सेन्ट्रल कोलफ़ील्ड्स लिमिटेड
एक मिनीरत्न कंपनी
कोल इंडिया की एक अनुषंगी कंपनी

आजादी का अमृत महोत्सव

G20 भारत 2023 INDIA
वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

वार्षिक प्रतिवेदन
और लेखा - 2022-23

वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा 2022-23

सेन्ट्रल कोलफ़ील्ड्स लिमिटेड

एक मिनीरत्न कंपनी

(कोल इंडिया की एक अनुषंगी कंपनी)
(सीआईएन : U10200JH1956GOI000581)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस
रांची - 834 029 (झारखण्ड)

वेबसाइट : https://www.centralcoalfields.in

संकल्पना / उद्देश्य एवं ध्येय

संकल्पना

खदान से बाजार तक सर्वोत्तम प्रक्रिया के माध्यम से देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ पर्यावरण एवं सामाजिक रूप से स्थायी विकास को प्राप्त करते हुए प्राथमिक ऊर्जा क्षेत्र में राष्ट्रीय अग्रणी के रूप में उभरना।

उद्देश्य

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड का उद्देश्य है सुरक्षा, संरक्षण और गुणवत्ता पर ध्यान देते हुए प्रभावकारी ढंग से मितव्ययितापूर्वक सुनियोजित मात्रा में कोयला एवं कोयला उत्पादों का उत्पादन तथा विपणन करना।

ध्येय

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड का मुख्य ध्येय:

1. संसाधनों की उत्पादकता में वृद्धि कर, क्षति को रोक कर, आंतरिक संसाधनों का आशातीत उत्पादन करना तथा प्रतिष्ठान की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त मात्रा में बाहरी संसाधनों को संचालित करना।
2. सुरक्षा के उच्च मानकों को बनाये रखना एवं दुर्घटना रहित कोयला खनन करना।
3. वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण पर जोर देना।
4. कोयले की भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए नई परियोजना हेतु विस्तृत अन्वेषण करना और योजना बनाना।
5. वर्तमान खदानों का आधुनीकिकरण करना।
6. कोयला खनन की तकनीकी जानकारी और संगठनात्मक सक्षमता तथा कोयला लाभकारिता का विकास करना तथा जहाँ आवश्यक हो वहाँ कोयले की अधिक निकासी हेतु वैज्ञानिक खोज से संबंधित विकास कार्य और अनुसंधान करना।
7. कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार करना तथा कोयला क्षेत्र के आस-पास समाज और समुदाय के प्रति निगमित उत्तरदायित्व का निर्वहन करना।
8. कार्य संचालन हेतु पर्याप्त मात्रा में कुशल श्रमशक्ति उपलब्ध कराना तथा कौशल बढ़ाने हेतु तकनीकी एवं प्रबंधकीय प्रशिक्षण देना।
9. उपभोक्ता संतुष्टि में सुधार करना।
10. सीएसआर क्रियाकलाप विशेषकर आस-पास के गांवों में स्वास्थ्य, सफाई और पेयजल की व्यवस्था को बढ़ाना।

विषय सूची

1.	प्रबंधन	03
2.	बैंकर एवं लेखा परीक्षक	04
3.	सूचना - वार्षिक आम बैठक	06
4.	अध्यक्ष का संदेश	12
5.	संचालन आँकड़े	18
6.	वित्तीय स्थिति	19
7.	निदेशक मंडल का प्रतिवेदन	25
8.	निदेशक प्रतिवेदन से संबंधित अनुलग्नक	78
9.	प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण प्रतिवेदन	144
10.	स्टैंडअलोन वित्तीय परिणाम	154
11.	स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर सांविधिक लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन एवं प्रबंधन का जवाब (परिशिष्ट-1 सहित)	261
12.	समेकित वित्तीय परिणाम	284
13.	समेकित वित्तीय विवरण पर सांविधिक लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन एवं प्रबंधन का जवाब (परिशिष्ट-1 सहित)	391
14.	फार्म एओसी - 1	409

निदेशक मंडल

26 जुलाई 2023 को

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

डॉ. बी. वीरा रेड्डी
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

सरकार नामांकित निदेशकगण

श्री विनय रंजन
निदेशक (का.एवं औ.स.) सीआईएल

श्री अजितेश कुमार
निदेशक कोयला मंत्रालय

स्वतंत्र निदेशक

श्री रमेश कु. सोनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट

कार्यकारी निदेशकगण

श्री राम बाबु प्रसाद
निदेशक (तक./सं.)

श्री पवन कु. मिश्रा
निदेशक (वित्त)

श्री हर्ष नाथ मिश्र
निदेशक (कार्मिक)

श्री बी. साईराम
निदेशक (तक./परि.एवं यो.)

कंपनी सचिव

श्री अमरेश प्रधान
कंपनी सचिव

वर्ष 2022-23 के दौरान प्रबंधन

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

श्री पी. एम. प्रसाद	:	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (01.09.2020 से प्रभावी)

कार्यकारी निदेशकगण

श्री के आर वासुदेवन	:	निदेशक (वित्त) (01.07.2021 से 10.06.2022)
श्री एस के गोमस्ता	:	निदेशक (तकनीकी) (01.11.2021 से 26.10.2022)
श्री पीवीकेआर मल्लिकार्जुन राव	:	निदेशक (कार्मिक) (23.07.2021 से 31.07.2022)
श्री राम बाबू प्रसाद	:	निदेशक (तकनीकी/संचालन) (14-05-2022 से)
श्री पवन कुमार मिश्रा	:	निदेशक (वित्त) (10.06.2022 से)
श्री हर्षनाथ मिश्र	:	निदेशक (कार्मिक) (24.08.2022 से)
श्री बी साईराम	:	निदेशक (तक./परि. एवं यो.) (26.10.2022 से)

अंशकालिक निदेशकगण

सुश्री संतोष	:	उप महानिदेशक, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली (03.01.2022 से 22.02.2023)
श्री विनय रंजन	:	निदेशक (का. एवं औ. सं.), सीआईएल, कोलकाता (05.08.2021 से)
श्री अजितेश कुमार	:	निदेशक, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली (22.02.2023)

अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशकगण

श्रीमती जाजुला गौरी	:	अधिवक्ता (10.07.2019 से 09.07.2022)
श्री हरबंस सिंह	:	भूतपूर्व निदेशक, जेनरल एपेक्स, जी. एस. आई. (10.07.2019 से 09.07.2022)
श्री रमेश कुमार सोनी	:	चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट (01.11.2021 से)

कंपनी सचिव

श्री रवि प्रकाश	:	(13.07.2017 से 31.08.2022)
श्री अमरेश प्रधान	:	(31.08.2022 से प्रभावी)

बैंकर्स

स्टेट बैंक आफ इंडिया
आईसीआईसीआई बैंक
एचडीएफसी बैंक
एक्सिस बैंक
इंडियन बैंक
बैंक आफ इंडिया

बैंक आफ महाराष्ट्र
केनरा बैंक
पंजाब नेशनल बैंक
यूको बैंक
बैंक आफ बड़ौदा
यूनियन बैंक आफ इंडिया

सांविधिक अंकेक्षक

मेसर्स एस.पी.ए.एन. एंड एसोसिएट्स
द्वारा - श्री अमीत कुमार चंद, 140, ओल्ड एजी कॉलोनी, कडरू,
राँची - 834002, झारखंड

शाखा अंकेक्षक

मेसर्स वी. रोहतगी एंड कं.
प्रथम तल, सर्जना भवन,
मेन रोड, राँची, झारखंड

मेसर्स लोधा पटेल वाधवा एंड कं.
304, श्रीलोक कॉम्प्लेक्स, 4 एच.बी. रोड,
तीसरी मंजिल, रांची - 834001, झारखंड

मेसर्स सुशील शर्मा एंड कंपनी
तीरथ मेंशन, कमरा नंबर 222,
ओवरब्रिज के पास,
मेन रोड रांची - 834001, झारखंड

मेसर्स एन के डी एंड क.
दूसरी मंजिल, राधा गौरी, गोशाला चौक,
नार्थ मार्केट रोड, अपर बाजार,
राँची-834001, झारखंड

लागत अंकेक्षक

मेसर्स नीरन एंड कं.,
इसेन डेन, 475, ऐजीनिआ, असिआना प्लाजा इंट्री, खंडगिरी,
भुबनेश्वर-768001, ओडिशा

शाखा लागत अंकेक्षक

मेसर्स मनी एंड कं.,
लागत लेखापाल
"अशोका" 111, साउथर्न एवेन्यू
कोलकाता-700029

मेसर्स डीजीएम एंड एसोसिएट्स,
64, बी. बी. गांगुली स्ट्रीट,
(दूसरा तल्ला), कोलकाता - 700012

सचिवीय अंकेक्षक

मेसर्स सतीश कुमार एंड एसोसिएट्स
कार्यालय क्रमांक 603, समृद्धि स्क्वायर, 6वीं मंजिल,
किशोरगंज चौक, रांची - 834001 (झारखंड)

आतंरिक लेखाकार

मेसर्स जैन सरोगी एंड कं.
508-8, पंचवटी प्लाजा, कचहरी रोड,
राँची-834001

क्षेत्र आंतरिक लेखा परीक्षक

मेसर्स नुंडी एंड एसोसिएट्स
द्वारा - श्री फाल्गुनी बनर्जी, डी-1, सुधालेखा अपार्टमेंट,
जे सी मल्लिक रोड, हीरापुर,
धनबाद - 826001

मेसर्स एस. के. नरेडी एंड कंपनी
द्वारा- विश्वजीत दास, राणा रॉय, सरना मैदान, नगरटोली,
न्यूक्लियस मॉल के पीछे,
राँची-834001

मेसर्स जयसवाल ब्रजेश एंड कंपनी
सीए रूबी बंसल, 400सी, आइकॉन हाइट
धुमसा टोली, घासी तालाब,
राँची -834001

मेसर्स बिस्वास दासगुप्ता दत्ता & रॉय
फ्लैट नंबर-3, नबकांति अपार्टमेंट, 59-बी,
सर्कुलर रोड, होटल अप्सरा के पीछे,
राँची -834001

मेसर्स गुप्ता सचदेवा एंड कंपनी
205-बी, महाबीर टावर, मेन रोड,
राँची -834001

मेसर्स पारीक एंड कंपनी
आशीर्वाद भवन, दिंदली बस्ती,
शेर-ए-पंजाब चौक के पास,
आदित्यपुर, जमशेदपुर - 831013

मेसर्स सी. के. प्रस्टी एंड एसोसिएट्स
15 एसी मार्केट, पहली मंजिल, जीईएल चर्च कॉम्प्लेक्स,
मेन रोड, राँची - 834001

मेसर्स हबीबुल्लाह एंड कंपनी
मकान नंबर 2, दर्जी मोहल्ला, एचपीओ डोरंडा,
राँची - 834002

मेसर्स अभिजीत दत्त एंड एसोसिएट्स
8 द्वारा 2, किरना शंकर रॉय रोड, दूसरी मंजिल,
कमरा नंबर 2 और 3, कलकत्ता-700001

मेसर्स आर. जी. एस. एंड एसोसिएट्स
सी/ओ मनीष सिंह, संत नगर, झिरी सरकारी स्कूल के पास,
नया शिव मंदिर झिरी, कामरे, राँची -835222

मेसर्स बी. गुप्ता एंड कंपनी
602, पार्क प्लाजा, टैगोर हिल रोड,
मोरहाबादी, राँची - 834008

मेसर्स ए. के. केजरीवाल एंड एसोसिएट्स
2सी, श्री बिमलानंद टॉवर, पुरुलिया रोड,
राँची -834001

पंजीकृत कार्यालय

दरभंगा हाउस
राँची 834 029
(झारखण्ड)

संदर्भ संख्या सचिव. सीएस/3(4)/एजीएम-67/2023/ 187 दिनांक: 28.07.2023

सूचना

एतदद्वारा अल्प सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कार्यों के संपादन हेतु कंपनी की **67वीं** वार्षिक आम बैठक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, दरभंगा हाउस, रांची-834029, झारखंड में **02 अगस्त, 2023, दिन बुधवार को 3.00 अपराह्न** में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी:

क. सामान्य कार्य:

1. विचार तथा अंगीकार करने के लिए:

क. 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की लेखा परीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के साथ निदेशक मंडल का प्रतिवेदन, सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन तथा उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

ख. 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित समेकित वित्तीय विवरण, उस पर सांविधिक लेखा परीक्षक और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन।

2. श्री राम बाबू प्रसाद (डीआईएन- 09644944) के स्थान पर एक निदेशक नियुक्त करने के लिए, जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) की शर्तों के अनुसार रोटेशन से सेवानिवृत्त होंगे तथा अहर्ता होने के कारण, उन्होने स्वयं की पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

3. श्री पवन कुमार मिश्रा (DIN- 09665365) के स्थान पर एक निदेशक नियुक्त करने के लिए, जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) की शर्तों के अनुसार रोटेशन से सेवानिवृत्त होंगे तथा अहर्ता होने के कारण, उन्होने स्वयं की पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

4. ₹1,000/- प्रति शेयर के 94,00,000 इक्विटी शेयरों पर अंतरिम लाभांश ₹600.66 करोड़ (यानी ₹ 639 प्रति इक्विटी शेयर) के अंतरिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि करने तथा बोर्ड द्वारा अनुशंसित प्रत्येक ₹1000/- के 94,00,000 इक्विटी शेयरों पर ₹ 423.00 करोड़ (यानी ₹ 450/- प्रति इक्विटी शेयर) के अंतिम लाभांश के भुगतान की घोषणा हेतु।

5. वित्त वर्ष 2022-23 तथा आगामी वर्षों के लिए सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के सांविधिक लेखा परीक्षकों/ शाखा लेखा परीक्षकों के लिए लेखा-परीक्षण शुल्क निर्धारित करने के लिए :

विचारार्थ प्रस्तुत और यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित संकल्प एक साधारण संकल्प के रूप में संशोधन सहित या संशोधन के बिना संपुष्टि करने हेतु:

"**संकल्प किया गया** कि एतदद्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142(1) के अनुसार, पठित कंपनी (लेखा-परीक्षण एवं लेखा-परीक्षक) नियम, 2014 के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कैग (सीएजी) द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 139 अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक में मेसर्स एस.पी.ए.एन. एंड एसोसिएट्स तथा शाखा अंकेक्षक में एन.के.डी. एंड कंपनी, रांची, मेसर्स लोढ़ा पटेल वाधवा एंड कंपनी, रांची, मेसर्स. वी. रोहतगी एवं कंपनी, रांची और मेसर्स सुशील कुमार शर्मा एंड कंपनी रांची का पारिश्रमिक ₹ 28,73,750.00/- लागू जीएसटी शुल्क अतिरिक्त तथा 7,18,200.00/- के जेब खर्च की प्रतिपूर्ति दिनांक 24-03-2023 को आयोजित 526वीं बोर्ड-बैठक में अनुमोदित की गयी थी तथा एतदद्वारा इसकी संपुष्टि की जाती है।''

ख. विशेष कार्य:

अ. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन।

विचारार्थ प्रस्तुत और यदि उचित हो तो निम्नलिखित संकल्प को संशोधन सहित या बिना संशोधन के **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु:

"**संकल्प किया जाता है** कि कंपनी अधिनियम**,** 2013 के प्रावधान 148(3) तथा कंपनी (लेखा-परीक्षण एवं लेखा-परीक्षक) नियम**,** 2014 के नियम 14 तथा अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लागत लेखा परीक्षकगण **मेसर्स निरन एंड कंपनी, प्रधान लागत लेखा परीक्षक, मेसर्स मणि एंड कंपनी और मेसर्स डीजीएम एंड एसोसिएट्स** के पारिश्रमिक (कुल शुल्क का 50% तक सीमित जेब खर्च को छोड़कर) का प्रस्ताव किया गया है ₹10,12,000/- तथा करों का

भुगतान अतिरिक्त, जैसा कि 26-09-2022 को आयोजित 519 वीं बोर्ड बैठक में बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया और एतदद्वारा इसकी संपुष्टि की जाती है। "

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार पर वर्णित विशेष कार्य के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के
निदेशक मंडल के आदेश से

ह/-
(अमरेश प्रधान)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. F-11264

दिनांक: 28.07.2023
स्थान: रांची

वार्षिक आम बैठक की तिथि	:	28.07.2023
वार्षिक आम बैठक का समय	:	03:00 पूर्वाह्न
वार्षिक आम बैठक का स्थान	:	कॉन्फ्रेंस हॉल, तृतीय तल, नया भवन, दरभंगा हाउस रांची 834029, (झारखंड)

टिप्पणी:

1. कारपोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") ने अन्य बातों के साथ-साथ अपने सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020 और 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020 को निर्गत सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 तथा इस संबंध में निर्गत उत्तरवर्ती परिपत्रों, जिसमें दिनांक 28 दिसंबर, 2022 को निर्गत 10/2022 नवीनतम परिपत्र (सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" के रूप में संदर्भित) के द्वारा एक स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") के माध्यम से या अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की अनुमति प्रदान की है ।

   बैठक में वीसी या ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने हेतु कंपनी की अधिकृत ई-मेल आईडी द्वारा अग्रिम लिंक उपलब्ध कराया जाएगा तथा बैठक में शामिल होने की सुविधा बैठक प्रारम्भ होने के निर्धारित समय से न्यूनतम 15 मिनट पूर्व से उपलब्ध होगी तथा इसे निर्धारित समय के 15 मिनट बाद तक लिंक बंद नहीं किया जाएगा ।

2. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में, आम बैठक (एजीएम) में उपस्थित होने के और मतदान करने के हकदार सदस्य अपनी ओर से उपस्थित होने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार होता है और प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि आम बैठक (एजीएम) वीसी के माध्यम से एमसीए परिपत्रों के अनुसार आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी ।

3. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 112 एवं 113 के अनुसार सदस्यों के प्रतिनिधियों को वीसी या ओएवीएम द्वारा प्रतिभागिता एवं मतदान हेतु नियुक्त किया जा सकता है ।

4. अधिनियम की धारा 103 के अनुसार एजीएम के कोरम के उद्देश्य से वीसी के माध्यम से सदस्यों की भागीदारी की गणना की जाएगी ।

5. सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के सचिवीय लेखा परीक्षक सहित शेयरधारक, निदेशक और लेखा परीक्षक बैठक में भाग लेने और/या मतदान करने के हकदार हैं और /या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से बैठक में भाग ले सकते हैं और / या मतदान कर सकते हैं ताकि बैठक में विचार किए गए मुद्दों पर केवल ऐसे चरण में अपनी सहमति या असहमति gmcompsectt.ccl@coalindia.in पर ई-मेल भेजकर व्यक्त की जा सके।

6. सदस्यों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101 (1) के अनुसार अल्पावधि में आम बैठक बुलाने के लिए अपनी सहमति प्रदान करें।
7. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 171(1)(बी) एवं 189(4) के प्रावधानों के अनुसरण में कंपनी के प्रत्येक वार्षिक आम बैठक के दौरान पंजिका को निरीक्षण हेतु खुला रखना आवश्यक है, ताकि बैठक में भाग लेने का अधिकार रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह उपलब्ध रहे।
8. चूंकि आम बैठक (एजीएम) परिपत्रों के अनुसार वीसी के माध्यम से आयोजित की जाएगी, इसलिए रूट मैप, प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं हैं।
9. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 102 (1) के अनुसार पर वर्णित विशेष कार्य के संबंध में प्रासंगिक व्याख्यात्मक विवरण **"अनुलग्नक ए"** के रूप में साथ संलग्न है।
10. चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होने वाले तथा इस बैठक में पुनर्नियुक्ति की मांग करने वाले निदेशकों का विवरण **"अनुलग्नक-बी"** में दर्शाया गया है।

वितरण:

I. सदस्यगण

क. कोल इंडिया लिमिटेड, (द्वारा अध्यक्ष, सीआईएल), सदस्य सीसीएल, कोयला भवन, न्यू टाउन, राजारहाट, कोलकाता- 700 156 (कृपया ध्यान दें : श्री बी.पी.दुबे, कंपनी सचिव, कोल भवन, परमाइस सं. 4, प्लॉट सं. एएफ़III, एक्शन एरिया 1ए, न्यू टाउन, राजरहाट, कोलकाता – 700 156)

ख. श्री पी.एम. प्रसाद, अध्यक्ष, सीआईएल, सदस्य सीसीएल, कोयला भवन, न्यू टाउन, राजारहाट, कोलकाता- 700 156.

ग. श्री विनय रंजन, निदेशक (का. एवं औ.सं.), सदस्य सीसीएल, सीआईएल, कोयला भवन, न्यू टाउन, राजारहाट, कोलकाता- 700 156.

II. लेखा परीक्षक

क. मैसर्स एस पी ए एन एंड एसोसिएट्स, रांची, सांविधिक लेखा अंकेक्षण।
ख. मेसर्स सतीश कुमार एंड एसोसिएट्स, रांची, सचिवीय लेखा परीक्षक।
ग. मेसर्स निरन एंड कंपनी, भुवनेश्वर, लागत लेखा परीक्षक।

III. निदेशकगण

क. श्री बी. वीरा रेड्डी, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक सीसीएल, सदस्य सीसीएल, दरभंगा हाउस, रांची-834029.
ख. श्री रमेश कुमार सोनी, स्वतंत्र निदेशक तथा अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति, सीसीएल, जगदलपुर, बस्तर-छत्तीसगढ़-494001.
ग. श्री अजितेश कुमार, निदेशक, कोयला मंत्रालय, सरकार द्वारा नामित निदेशक, शास्त्री भवन, नई दिल्ली – 110115.
घ. श्री विनय रंजन, निदेशक (का. एवं औ.सं.), सीआईएल, सरकार द्वारा नामित निदेशक, कोल भवन, न्यू टाउन, राजारहाट, कोलकाता- 700 156
ङ. श्री राम बाबू प्रसाद, निदेशक(तक./संचा.) जवाहर नगर, कांके रोड, रांची – 834008.
च. श्री पवन कुमार मिश्रा, निदेशक(वित्त), जवाहर नगर, कांके रोड, रांची-834008.
छ. श्री हर्ष नाथ मिश्रा, निदेशक(का.), जवाहर नगर, कांके रोड, रांची-834008
ज. श्री बी. साईराम, निदेशक(तक./परि. एवं यो.), दरभंगा हाउस, रांची-834008.

प्रतिलिपि :

1. कंपनी सचिव, कोल इंडिया लिमिटेड, कोल भवन, न्यू टाउन, राजारहाट, कोलकाता- 700156
2. महाप्रबंधक (वित्त), सीसीएल, रांची
3. महाप्रबंधक (प्रणाली), सीसीएल, रांची-एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

वार्षिक आम बैठक की सूचना का अनुलग्नक

अनुलग्नक-ए

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अंतर्गत अपेक्षित, दिनांक 28.07.2023 की सूचना में संलग्न मद संख्या 5 के अंतर्गत निम्नलिखित व्याख्यात्मक विवरण उल्लिखित व्यवसाय से संबन्धित सभी भौतिक तथ्यों का निर्धारण करता है।

5. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक की सम्पुष्टि

कंपनी (लेखा परीक्षा तथा लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 के अनुसार -

14. लागत लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक - धारा 148 की उप-धारा (3) के प्रयोजनार्थ :

(क) उन कंपनियों में जहां एक लेखा परीक्षण समिति का गठन आवश्यक है-

i. लेखा परीक्षण समिति की अनुशंसा पर लागत लेखा-परीक्षक के रूप में बोर्ड ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगी, जो लागत लेखा परीक्षक हो, या लागत लेखा परीक्षकों का एक फर्म हो; के साथ-साथ उक्त लागत लेखा-परीक्षक के पारिश्रमिक की भी अनुशंसा करेगी;

ii. लेखा परीक्षा समिति द्वारा (i) के अंतर्गत अनुशंसित पारिश्रमिक पर निदेशक मंडल द्वारा विचार उपरांत अनुमोदन दिया जाएगा तत्पश्चात शेयरधारकों द्वारा उक्त की संपुष्टि की जाएगी।.

तदनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा निम्नलिखित लागत लेखा परीक्षकों की नियुक्ति का अनुमोदन दिनांक 26-09-2022 को आयोजित अपनी 519वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या 519.4(1) के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सीसीएल मुख्यालय तथा सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों की लागत लेखा परीक्षा हेतु लेखा समिति की संतुस्ति पर 10,12,000/- रुपये (कुल शुल्क के 50% तक सीमित जेब खर्च तथा लागू कर को छोड़कर) के परिश्रमिक का अनुमोदन दिया गया:

लेखा परीक्षकों की सूची	क्षेत्र	वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लागत लेखा परीक्षा-शुल्क की सूची
मेसर्स निरन एंड कंपनी	मुख्यालय, बरका सयाल, केन्द्रीय कर्मशाला, अरगडा, रजरप्पा क्षेत्र के लिए	4,40,000
मेसर्स मणि एंड कंपनी	कथारा, ढोरी (गिरिडीह सहित), बो. एवं कर. क्षेत्र के लिए	2,94,000
मेसर्स डीजीएम एंड एसोसिएट्स	उत्तरी कर्णपुरा, पिपरवार, रजहरा, मगध और संघमित्रा, आम्रपाली और चंद्रगुप्त, हज़ारीबाग़ और कुजू क्षेत्र के लिए	2,78,000
कुल		**9,19,000**

यात्रा और जेब खर्च क प्रतिपूर्ति की सीमा कुल खर्च का 50% तक है। लागू करों का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।

कंपनी के कोई भी निदेशक तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार कंपनी में उनके द्वारा रखे गए शेयरों के अतिरिक्त उक्त संकल्प में किसी प्रकार का हित या संबंध नहीं है (वित्तीय या अन्यथा) या रुचि नहीं रखते हैं।
वार्षिक आम बैठक में सदस्यों की मंजूरी के लिए कंपनी के निदेशक मंडल ने संकल्प की अनुशंसा की ।

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक मंडल के आदेश से

ह/-
(अमरेश प्रधान)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. F-11264

अनुलग्नक-बी

वार्षिक आम बैठक में चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होने वाले और पुनर्नियुक्ति की मांग करने वाले निदेशकों का विवरण-

आम बैठक पर सचिवीय मानक ("एसएस-2") के अनुपालन में, वार्षिक आम बैठक में पुनर्नियुक्ति के इच्छुक निदेशकों का अपेक्षित विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है-

निदेशक का नाम और पदनाम	श्री राम बाबू प्रसाद, निदेशक (तकनीकी/संचालन.)
डीआईएन	09644944
जन्म की तारीख	24.02.1964
राष्ट्रीयता	भारतीय
बोर्ड में नियुक्ति की तिथि	14.05.2022
नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के नियम और शर्तें तथा मांगे गए पारिश्रमिक एवं अंतिम आहरित पारिश्रमिक का विवरण	कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र के अनुसार
योग्यता एवं अनुभव	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (भारतीय खानि विद्यापीठ) (आईआईटी-आईएसएम), धनबाद, झारखंड से वर्ष 1987 में प्रौद्योगिकी स्नातक (खनन आभियांत्रिकी) की उपाधि मिली। वर्ष 1996 से 1999 के दौरान उन्होने इग्नू, नई दिल्ली से 4 पाठ्यक्रमों यथा मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (वित्त प्रबंधन), प्रबंधन डिप्लोमा, वित्त प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा की उपाधि प्राप्त की। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) में उनकी नियुक्ति वर्ष 1987 में हुई। उनके पास सीसीएल तथा एनसीएल में जुलाई 2010 से मई 2022 तक महाप्रबंधक (खनन) के कार्यों के संपादन का व्यापक अनुभव है। श्री प्रसाद को एनसीएल, सीसीएल और एसईसीएल में अत्यधिक मशीनीकृत ओपनकास्ट खानों के साथ-साथ भूमिगत खानों में काम करने का 35 वर्षों का विस्तृत तथा वृहत अनुभव प्राप्त है।.
कंपनी में शेयरधारिता	शून्य
अन्य निदेशकों, प्रबंधक और अन्य केएमपी के साथ संबंध	शून्य
वर्ष 2022-23 के दौरान बोर्ड बैठकों में उपस्थिति	12
अन्य कंपनियों में निदेशकीय पद पर नियुक्ति की सूची	शून्य
सीसीएल की अन्य समितियों में अध्यक्षता/सदस्यता	आपदा प्रबंधन समिति

अनुलग्नक-बी

वार्षिक आम बैठक में चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होने वाले और पुनर्नियुक्ति की मांग करने वाले निदेशकों का विवरण-

आम बैठक पर सचिवीय मानक ("एसएस-2") के अनुपालन में, वार्षिक आम बैठक में पुनर्नियुक्ति के इच्छुक निदेशकों का अपेक्षित विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है-

निदेशक का नाम और पदनाम	श्री पवन कुमार मिश्रा, निदेशक (वित्त)
डीआईएन	09665365
जन्म की तारीख	05.09.1973
राष्ट्रीयता	भारतीय
बोर्ड में नियुक्ति की तिथि	10.06.2022
नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के नियम और शर्तें तथा मांगे गए पारिश्रमिक एवं अंतिम आहरित पारिश्रमिक का विवरण	कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र के अनुसार
योग्यता एवं अनुभव	वह वाणिज्य विषय में स्नातक हैं तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के सदस्य भी हैं। सीसीएल में नियुक्त होने के पूर्व, उन्होंने डीएनएच पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीएनएचपीडीसीएल), विदुत संवितरण इकाई तथा विदुत उत्पादक कंपनी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनपीसीआईएल) में सीएफओ (मुख्य वित्तीय अधिकारी) के पद पर कार्यों का संपादन किया है। उनके पास लेखांकन, वित्त और कराधान के क्षेत्र में 20 से अधिक वर्षों का विस्तृत अनुभव है।
कंपनी में शेयरधारिता	शून्य
अन्य निदेशकों, प्रबंधक और अन्य केएमपी के साथ संबंध	शून्य
वर्ष 2021-22 के दौरान बोर्ड बैठकों में उपस्थिति	11
अन्य कंपनियों में निदेशकीय पद पर नियुक्ति की सूची	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड
सीसीएल की अन्य समितियों में अध्यक्षता/सदस्यता	सदस्य सतत विकास एवं सीएसआर समिति

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का संदेश

प्रिय शेयरधारकगण,

कंपनी की 67वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इस बैठक में हमारे साथ वर्चुअल रूप से जुड़े कोल इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधि शेयरधारकगण तथा यहाँ उपस्थित व वर्चुअल रूप से जुड़े मेरे सहयोगी बोर्ड सदस्यों के प्रति मैं हृदयतल से आभार व्यक्त करता हूं। यह बैठक कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी नियामक ढांचे तथा दिशानिर्देशों के अनुरूप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जा रही है। बैठक के आयोजन की सूचना, निदेशकीय प्रतिवेदन और 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणी पहले ही ई-मेल के द्वारा साझा की जा चुकी है। आपकी अनुमति से, मैं उक्त को पढ़ा हुआ मान लेना चाहूंगा।

विगत चार दशकों में भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा उपभोग में लगभग 700% तक वृद्धि हुई है। बढ़ती जनसंख्या, विस्तार होती अर्थव्यवस्था तथा बेहतर जीवन गुणवत्ता की तलाश के कारण भारत में ऊर्जा उपभोग के और अधिक बढ़ने की संभावना है। राष्ट्र की बढ़ती ऊर्जा-मांग के अनुरूप, सीसीएल, स्वच्छ कोयले की आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु उत्पादन, उत्पादकता को बढ़ाने पर ध्यान देने के साथ-साथ समाज और अंशधारकों के संवहनीय एवं समावेशी विकास को साथ लेकर चलते हुए अपनी सर्वोत्तम क्षमता से कोयला उत्पादन तथा उत्पादकता पर बल दे रहा है।

वित्त वर्ष 2022-23 में सीसीएल ने व्यवसाय तथा परिचालन के क्षेत्र में भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन के दोनों मानकों में कीर्तिमान स्थापित किया है। कठिन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बाद भी समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने उत्पादन, उठाव तथा विद्त क्षेत्र को प्रेषण में उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए अपना सार्वकालिक उच्चतम स्तर प्राप्त किया है ।

कंपनी का पार्श्वदृश्य:

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड अक्टूबर 2007 से एक श्रेणी-I, मिनीरत्न कंपनी है तथा कोल इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) की 100% सहायक कंपनी है।

आपकी कंपनी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) अद्यतन:

- 36 खदानें: 03 भूमिगत और 33 खुलीं खदानें;
- 5 वाशरियां: 4 कोकिंग कोल वाशरियां (कथारा, रजरप्पा, केदला और स्वांग), 1 गैर-कोकिंग कोल वाशरी (पिपरवार);
- 1 बरकाकाना स्थित 1 केंद्रीय कार्यशाला (आईएसओ 9001) तथा) जारंगडीह, उत्तरी तापिन, डकरा, गिरिडीह और भुरकुंडा स्थित 5 क्षेत्रीय कर्मशालाएँ (जिनमें से 3 आईएसओ 9001 अभिप्रमाणित कर्मशालाएँ हैं);
- 7 कोलफील्ड्स (पूर्वी बोकारो, पश्चिमी बोकारो, उत्तरी कर्णपुरा, दक्षिणी कर्णपुरा, रामगढ़, गिरिडीह और हुंटार)

प्रदर्शन :

पिछले कुछ वर्षों में, कोरोना महामारी तथा वैश्विक अनिश्चितताओं ने हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित किया है। इस दौरान हमारा

कठिन परीक्षण हुआ, परंतु इन चुनौतियों ने हमें न सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर अपितु संगठन के स्तर पर भी अधिक मजबूत, लोचदार व उत्तरदेय बनाया है। इन चुनौतियों के बावजूद, आपकी कंपनी ने परिचालन और वित्तीय क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए उपलब्धियां प्राप्त की हैं जो इसकी सुदृढ़ परिचालन प्रणाली एवं प्रक्रियाओं का सदृश प्रमाण है।.

भौतिक:

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, सीसीएल ने सार्वकालिक सर्वाधिक कोयले का उत्पादन करते हुए 76.08 मिलियन टन का उत्पादन दर्ज किया, जो विगत वर्ष की तुलना में 10.52% अधिक उत्पादन है। इसी प्रकार, कंपनी विगत वर्ष से 4.47% की वृद्धि दर्ज करते हुए 75.02 मिलियन टन कच्चे कोयले का उच्चतम प्रेषण स्तर प्राप्त करने में सक्षम रही। वित्त वर्ष 2022-23 में आवश्यकता के अनुरूप विद्त प्रक्षेत्र को 64.56 मिलियन टन कोयला प्रेषित किया गया था। मलबा हटाने में भी आपकी कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 106.58 मिलियन घन मीटर की उपलब्धि प्राप्त की।

आपकी कंपनी ने आगे बढ़ते हुए कोयला उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक वृहत योजना बनाई है। वर्ष 2022-23 में 76 मिलियन टन कोयला उत्पादन को बढ़ा कर वर्ष 2023-24 में 84 मिलियन टन की योजना बनायी गयी है। वित्त वर्ष 2023-24 में कोल इंडिया लिमिटेड के लिए निर्धारित 780 मिलियन टन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सीसीएल का अहम योगदान रहेगा।.

वित्तीय :

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने सार्वकालिक उच्चतम सकल विक्रय, निवल विक्रय, पीबीटी (कर पूर्व लाभ) तथा पीएटी (कर पश्चात लाभ) की उपलब्धि प्राप्त की। विगत वर्ष की तुलना में क्रमशः 22.24% और 23.26% की वृद्धि के साथ सकल विक्रय ₹22,720.19 करोड़ रही, निवल विक्रय ₹15,226.21 करोड़ रहा। विगत वर्ष कर पूर्व लाभ(पीबीटी) ₹2094.73 करोड़ और कर पश्चात लाभ (पीएटी) ₹1696.92 करोड़ की तुलना में क्रमशः 78.72% और 62.16% की वृद्धि के साथ कर पूर्व लाभ(पीबीटी) ₹3743.61 करोड़ और कर पश्चात लाभ(पीएटी) ₹2751.67 करोड़ की प्राप्ति हुई।

31 मार्च 2023 को कंपनी की निवल संपत्ति ₹10,317.49 करोड़ थी, जो विगत वर्ष के ₹8,411.98 करोड़ की तुलना में 22.65% अधिक है।

कैपेक्स:

वर्ष के दौरान, सीसीएल ने मुख्यत: भूमि, भवन, रेलवे और खनन बुनियादी ढांचे, संयंत्र और मशीनरी पर व्यय करते हुए विगत वर्ष के ₹1849.11 करोड़ की तुलना में ₹2252.07 करोड़ का पूंजीगत व्यय किया है।

लाभांश :

यह बताते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि आपकी कंपनी द्वारा अंतरिम लाभांश के रूप में ₹600.66 करोड़ का भुगतान किया गया। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा ₹423.00 करोड़ के अंतिम लाभांश की घोषणा का अनुमोदन दिया गया, अर्थात कुल लाभांश ₹1023.66 करोड़ यानि ₹94,00,000 के प्रत्येक ₹1000.00 के इक्विटी शेयरों पर ₹1089.00 प्रति शेयर दिया गया (विगत वर्ष ₹827.20 करोड़ यानी ₹1,000.00 प्रत्येक के 94,00,000 इक्विटी शेयरों पर ₹880.00 प्रति शेयर)।

एमओयू निष्पादन:

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए केंद्रीय लोक उद्यमों की रेटिंग हेतु लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप होल्डिंग कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार आपकी कंपनी को "उत्कृष्ट" रेटिंग दी गई है। वित्तीय प्रदर्शन एवं अन्य गैर-वित्तीय मापदंडों की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए, जैसा एमओयू में निर्धारित किया गया है, आपकी कंपनी का स्व-मूल्यांकन स्कोर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए "उत्कृष्ट" है ।

नई एवं विस्तार परियोजनाएं/प्रौद्योगिकी अपनाना:

वैश्विक ऊर्जा में तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है। उत्पाद, सेवाओं, विनिर्माण और वितरण के क्षेत्र में हो रहे अनेक नवप्रवर्तनों/ नवाचारों से संवहनीय भविष्य प्रति व्यवसाय स्पष्ट प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर रहे हैं। नए उद्योग मॉडल भी उभर रहे हैं। इसके लिए प्रौद्योगिकी एवं नवाचार में निवेश की आवश्यकता है। पिछले दशक में, डिजिटल प्रौद्योगिकियों का तीव्र विकास हुआ है जिससे खनन सहित प्रत्येक उद्योग में परिवर्तन आया है। नई प्रौद्योगिकियों का खनन कार्यों पर कई प्रभाव पड़ सकते हैं, जिनमें सुरक्षा एवं उत्पादकता सहित पर्यावरण संरक्षण तथा महिलाओं के लिए अवसर सम्मिलित है। बेहतर भूमिगत संचार, स्वचालन, अधिक परिष्कृत खनिज एवं धातु परिवहन तथा आपातकालीन प्रतिक्रिया उपायों के माध्यम से खनन परियोजनाओं में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करके सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियाँ हासिल की जातीं हैं। खनन में तकनीकी प्रगति भी कार्यों को अधिक उत्पादक बना रही है। इसे ध्यान में रखते हुए, आपकी कंपनी सदैव नई प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन के लिए प्रयासरत रहती है तथा वर्तमान तथा भविष्य खनन कार्य को बढ़ाने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रही है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए, आपकी कंपनी ने प्रबल, मल्टी-स्पीड सूचना प्रौद्योगिकी तथा आधारभूत संरचना प्रणाली/बुनियादी ढांचा प्रणाली विकसित की है जो नई प्रौद्योगिकियों के तीव्र परिनियोजन को संभव बना रही है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कुल क्षमता 199.42 मि.टन./वर्ष की 25 ऑनगोइंग (चल रहीं) परियोजनाएं हैं, कुल क्षमता - 28.44 मिलियन टन की 21 पूर्ण परियोजनाएं, 3 मौजूदा परियोजनाएं तथा 3 खनन परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। वर्ष के दौरान, प्रथम मील कनेक्टिविटी-1 (एफएमसी-I) परियोजना के तहत 7.5 मि.टन./वर्ष की एक (1) परियोजना निर्माण के अग्रिम चरण में है। इसके अतिरिक्त, एफएमसी-II परियोजना के तहत 12.5 मि.टन./वर्ष की कुल क्षमता की दो और परियोजनाएं आवंटित की गई हैं तथा निर्माणाधीन हैं। कंपनी ने एफएमसी-III परियोजनाओं के

तहत 136 मि.टन./वर्ष की कुल क्षमता के 06 नए सीएचपी के निर्माण की भी योजना बनाई है।

सीसीएल में, हम पिछले कुछ वर्षों से अपने प्रौद्योगिकीय आधार को सुदृढ़ कर रहे हैं। एक कुशल उद्यम बनने की दिशा में व्यवसाय की जटिलताओं और उभरती उपभोक्ता आवश्यकताओं के अनुरूप यह एक प्रोद्योगिकी-सक्षम और मानव केंद्रित समाधान बनाने की यह अनवरत यात्रा है। नई प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण की दिशा में, मैं आपका ध्यान सीसीएल में निम्नलिखित कार्यों की ओर दिलाना चाहूंगा:

- औद्योगिक प्रक्रिया के एकीकरण के लिए सैप के वीटीएस-आरएफआईडी-एएनपीआर-बूम बैरियर आधारित वेब्रिज प्रणाली का कार्यान्वयन
- सौर परियोजनाएं: वित्त वर्ष 2023-24 में 85 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं जोड़ने के लक्ष्य के साथ वर्ष के दौरान 1.25 मेगावाट की स्थापित क्षमता ।
- रेल और सड़क वेब्रिज : तीन नये रेल वेब्रिज (सगतिक 140 मि.टन) एवं 100 मिलियन टन का एक रोड वेब्रिज वर्ष के दौरान स्थापित किया गया। सीसीएल में 11 नए 100 मि.टन रोड वेब्रिज की आपूर्ति की गयी है तथा स्थापित की जा रही है।.
- एफओआईएस सर्वर पर डेटा अंतरण और सैप के साथ एकीकरण के लिए एफओआईएस अनुपालन तथा रेल वेब्रिज को जोड़ने के लिए रेल वेब्रिज का स्तरोन्नतिकरण।
- जीपीएस आधारित वाहन ट्रैकिंग प्रणाली।
- सीसीएल निरीक्षण क्षेत्रों के संवेदनशील बिंदुओं पर सीसीटीवी निगरानी।.
- सीसीएल के चार केंद्रीय अस्पतालों में अस्पताल प्रबंधन प्रणाली के लिए नेटवर्किंग ।
- सीसीएल के सभी क्षेत्रों में वृहत व उन्नत लोकल एरिया नेटवर्क की स्थापना ।
- सीसीएल की मगध और आम्रपाली परियोजनाओं के लिए डिजिटल वॉकी टॉकीज, ट्रांसीवर और रिपीटर सेट की तैनाती।
- सीसीएल मुख्यालय से सभी क्षेत्रों में सेंट्रलाइज्ड इंटरनेट लीज्ड लाइन्स की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।

नैगमिक सामाजिक दायित्व

आपकी कंपनी अपने व्यापक सीएसआर कार्यक्रमों के माध्यम से समुदायों से जुड़ रही है जिससे झारखंड राज्य के लाखों लोगों तक सकारात्मक पहुंच बनी है। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी यह दृढ़ विश्वास करती है कि अपने अंशधारकों के विकास में एक निर्णायक भूमिका निभाने की प्रतिबद्धता कंपनी के परिचालन क्षेत्र तथा उसके आस-पास समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों के जीवन-स्तर के उत्थान तक विस्तृत है। नैगमिक सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के सिद्धांत कंपनी की कारपोरेट संस्कृति में अंतर्निहित हैं। संवहनीय विकास हमारे उद्देश्य की धुरी है इसलिए स्थानीय समुदायों की सेवा करना सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड मूल उद्देश्य है। सीसीएल द्वारा अपने कमान क्षेत्र अंतर्गत निवास करने वाले ग्रामीणों की सेवा-यात्रा सामुदायिक विकास कार्यक्रम से प्रारंभ की गयी थी जिसे वर्ष 2014 में सीएसआर के प्रारंभ होने के पश्चात अपने कमान क्षेत्र तथा झारखंड राज्य के अन्य हिस्सों में सामाजिक सुविधाओं में कई गुना वृद्धि की गयी है। आउटरीच प्रयासों को बढ़ाने के लिए, सीसीएल ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान विभिन्न प्रक्षेत्रों में सीएसआर गतिविधियां जैसे स्वास्थ्य देखभाल और पोषण, शिक्षा, खेल प्रोत्साहन, पेयजल आपूर्ति, ग्रामीण विकास आदि पर ₹36.12 करोड़ का व्यय किया है।.

डीपीई के निर्देशानुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सीएसआर की वार्षिक थीम 'स्वास्थ्य और पोषण' थी। अतः, वित्त वर्ष 2022-23 में कुल सीएसआर व्यय ₹36.12 करोड़ में से वार्षिक थीम पर व्यय राशि ₹15.01 करोड़ है।

सुरक्षा:

किसी संगठन में संवहनीयता के निर्वाह में सुरक्षा की अहम भूमिका होती है। यह उद्योग के विकास में सर्वोपरि महत्व रखता है। संगठनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी कार्य संस्कृति में समाहित है तथा कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है कि प्रत्येक कर्मचारी प्रत्येक दिन सुरक्षित रहे। हमारा मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सुरक्षा मानकों का संधारण करना तथा शून्य-क्षति प्राप्त करने के लिए नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं को अपनाना है।

कंपनी की प्राथमिक प्रयोजन अपनी प्रमुख परिसंपत्तियों यानी कर्मियों, खदानों और मशीनों को सुरक्षित रखना है और इसलिए हमारी सभी गतिविधियों का प्रयोजन हमारे संसाधनों की 'शून्य क्षति' सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। प्रबंधन द्वारा सभी खदानों की सुरक्षा प्रस्थिति की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है जिसके परिणामस्वरूप सुरक्षा मानकों में सुधार और वृद्धि होती है।

गंभीर और संघातक घटनाओं में कमी लाने के लिए प्रमुख कदम उठाए गए हैं जैसे:

- सुरक्षा बोर्ड की बैठक का नियमित आयोजन
- सुरक्षा समिति की सक्रियता हेतु विशेष अभियान
- केंद्रीय सुरक्षा सूचना प्रणाली (सीएसआईएस) पोर्टल
- अंतर क्षेत्रीय सुरक्षा लेखा परीक्षा
- प्रमुख आपदा प्रबंधन योजनाएँ (PHMP)
- सुरक्षा उपकरणों का नियमित उन्नयन
- सुरक्षा पर द्विपक्षीय एवं त्रिपक्षीय बैठक का सामयिक आयोजन मानव संसाधन

आज के तीव्रगामी कारपोरेट परिदृश्य में, प्रशिक्षण एवं विकास की महत्वपूर्ण भूमिका है। आवश्यक है कि प्रशिक्षण एवं विकास के महत्व को समझा जाए। कारपोरेट क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा की स्थिति में प्रशिक्षण और विकास संगठनात्मक सफलता के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है जहां प्रतिस्पर्धी बढ़त प्राप्त करने के लिए सक्षम श्रमशक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है।

सीसीएल अभ्यासरत प्रबंधकों, कर्मचारियों, श्रमिकों और संविदा कर्मियों तथा हितधारकों के सिद्धांत एवं व्यवहार को संश्लेषित करने के कौशल के साथ सुसज्जित करने के लिए नियमित पहल करता है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखते हुए कर्मचारियों को नित प्रोत्साहित एवं प्रेरित किया जाता है तथा प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रमों के माध्यम से उनकी संगठनात्मक प्रतिबद्धता समुन्नत की जाती है। सीसीएल, कर्मचारी-कल्याण एवं सामाजिक सुविधाओं पर भी यथोचित ध्यान दे रहा है। सीसीएल कर्मचारियों के लिए सभी कल्याणकारी सुविधाएं सुनिश्चित तथा प्रदान कर कर्मचारियों के वृहत्तर कल्याण में अपनी भूमिका के प्रति स्पष्ट दृष्टि रखता है। कंपनी का लक्ष्य कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ावा देना तथा अनुकूल और सौहार्दपूर्ण व्यवसायिक कार्य परिवेश प्रदान कर कार्य कौशल में सुधार करना है। जहां तक प्रशिक्षण और विकास का सवाल है सीसीएल मुख्यत: दो क्षेत्रों पर प्रश्रय देती है –

- ✡ ज्ञान संवर्धन
- ✡ कौशल विकास

ज्ञान संवर्धन के क्षेत्र में, प्रबंधन के कार्यात्मक क्षेत्र, कार्यात्मक अधिकारियों को क्रॉस फंक्शनल इनपुट प्रदान करना, अधिकारियों के लिए सामान्य प्रबंधन कार्यक्रम, प्रबंधन प्रशिक्षुओं और नव नियुक्त अधिकारियों के लिए प्रेरण और अभिविन्यास कार्यक्रम, अधिकारियों और गैर-कार्यकारियों के लिए ई-ऑफिस और ईआरपी प्रशिक्षण, मानक संचालन प्रक्रियाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम, गैर-वित्त कर्मचारियों के लिए वित्त, बचाव एवं सुरक्षा कार्यक्रम, कार्मिक अधिकारियों के लिए कार्यात्मक कौशल कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

अधिकारियों, अग्रिम पंक्ति के पर्यवेक्षकों के लिए कौशल विकास और गैर-कार्यकारियों के लिए कौशल उन्नयन कार्यक्रम का कंपनी के दैनिक पाठ्यक्रम में निरंतर स्थान दिया जाता है।

पर्यावरण प्रबंधन

हमारा विश्वास है पृथ्वी की संरक्षा का दायित्व तथा अवसर प्रत्येक व्यवसाय को प्राप्त है। पर्यावरण की संवहनीयता हमारा केन्द्रीय मूल्य है और हम अपने हर कार्य में संवहनीयता को अक्षुण्ण रखने का प्रयास करते हैं। कंपनी ने पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को कम करने तथा एक जीवनक्षम पृथ्वी के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न तरीकों को अपनाया गया है जैसे जल-भंडारण और भूजल-पुनर्भरण के लिए कृत्रिम जल स्रोत का निर्माण, परित्यक्त खदानों में मत्स्य पालन, वर्षा जल संचयन तथा परिशोधन के उपरांत निकटवर्ती समुदायों के मध्य संवितरण, खदान क्षेत्र के अंदर वनीकरण/वृक्षारोपण, ओबी डंप का वैज्ञानिक नवीनीकरण, खान पर्यटन, त्रिस्तरीय वृक्षारोपण आदि।

निम्नलिखित खंड वर्ष 2023 के अंत तक हमारे प्रदर्शन का एक चित्र मात्र है, जिसमें यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि हम किस प्रकार अपने व्यवसायिक परिचालनों से हुए पर्यावरणीय प्रभाव को न्यून करते हुए लोगों को अधिक संवहनीय जीवन यापन लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं::

1. 5 खदानों के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति , 1 खदान की ईसी क्षमता में वृद्धि हुई।
2. वित्त वर्ष 2022-23 में सीसीएल की इकाइयों के लिए 15 ट्रॉली माउंटेड फॉग कैनन की क्रय तथा स्थापित किया गया। इसके अतिरिक्त सीसीएल की परियोजनाओं में फिक्स्ड वाटर स्प्रिंकलर भी लगाए गए हैं।.
3. सीसीएल के कमान क्षेत्र में खदान-जल का उपयोग आसपास के 120 गांवों में पानी की आपूर्ति के लिए किया जाता है, जिससे लगभग 1,86,703 लोग लाभान्वित हो रहे हैं। साथ ही, सीसीएल खदानों में खदान खड्डों का उपयोग स्थानीय समुदायों/स्वयं सहायता समूहों द्वारा मछली उत्पादन/ मत्स्य पालन के लिए भी किया जा रहा है।.
4. अपने कमान क्षेत्र में इको-पार्क के विकास हेतु सीसीएल ने वैपकोस के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है । इस समझौता ज्ञापन के तहत, वैपकोस लगभग 63 करोड़ की लागत से 100 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्र को आच्छादित करते हुए सीसीएल के कमान क्षेत्रों में कुल नौ (09) इको-पार्क का विकास और रखरखाव करेगा।.
5. सीसीएल के कमान क्षेत्रों में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जेएसपीसीबी) के सर्वर से जुड़े डेटा के साथ 14 सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (सीएएक्यूएमएस) एवं 28 कंटीन्यूअस पीएम10 एनालाइजर की स्थापना की गयी है।.

नैगमिक शासन

आपकी कंपनी में विभिन्न विधियों, बोर्ड सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधन की आचार संहिता तथा केंद्रीय लोक उद्यमों के लिए डीपीई द्वारा जारी नैगमिक शासन पर दिशानिर्देश के अनुपालन के अनुश्रवण हेतु पर्याप्त प्रणाली स्थापित है।.

कंपनी ने विभिन्न विधिक अनुपालनों के अनुश्रवण के लिए एक प्रणाली स्थापित है। कंपनी के बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन

कार्मिकों की आचार संहिता, संदर्भ की शर्तों के अनुसार लेखापरीक्षा समिति की कार्यप्रणाली और निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल की संरचना सुनिश्चित और अनुपालन की जाती है। सीसीएल बोर्ड में कंपनी संबद्ध जोखिमों के संसूचन तथा अनुश्रवण हेतु जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। निदेशकीय प्रतिवेदन में कारपोरेट शासन पर एक पृथक खंड जोड़ा गया है। कंपनी सचिव ने वर्ष 2022-23 के दौरान नैगमिक शासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में एक प्रमाण-पत्र भी जारी किया है। इसके अतिरिक्त, कोयला मंत्रालय के निर्देश और डीपीई के दिशानिर्देशो के अनुपालन में कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत 2022-23 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षण अभ्यासरत कंपनी सचिव द्वारा किया गया, जिन्होंने निदेशक मंडल की अपेक्षित संख्या में अप्रशासकीय अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशकगण की नियुक्ति को छोड़कर एक अप्रयोग रिपोर्ट प्रतिवेदित किया ।

आपकी कंपनी ने उत्कृष्ट सर्वांगीण प्रदर्शन के साथ पूर्ववत एमओयू मूल्यांकन "उत्कृष्ट" को बरकरार रखा है।

पुरस्कार एवं सम्मान:

वर्ष के दौरान, सीसीएल को निम्नलिखित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया :-

- वित्त वर्ष 2021-22 हेतु 18 अगस्त, 2022 को सुरक्षा पर "कोल मिनिस्टर पुरस्कार" (द्वितीय पुरस्कार)
- वित्त वर्ष 2021-22 हेतु 18 अगस्त, 2022 को संवहनीयता पर "कोल मिनिस्टर पुरस्कार" (तीसरा पुरस्कार)
- सीआईएल के 48वें स्थापना दिवस (1 नवंबर, 2022) पर "सुरक्षा पर कारपोरेट पुरस्कार" (द्वितीय पुरस्कार)
- 6 जनवरी,2023 को मुंबई में आयोजित पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ कारपोरेट (बड़ी श्रेणी) के अंतर्गत वर्ष 2022 का "आईसीएसआई-सीएसआर उत्कृष्टता पुरस्कार"
- कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार के दूसरे राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कारों में सीसीएल को होटवार, रांची में खेल अकादमी के संचालन के लिए "खेल का संवर्धन" श्रेणी में विजेता घोषित किया गया।
- 20 दिसंबर, 2022 को एक कार्यक्रम के दौरान 'गृह' (हरित इमारतों के लिए एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिए ग्रीन रेटिंग) के तहत 'फोर स्टार रेटिंग' के साथ प्रमाणित किया गया ।

आभार:

मैं इस अवसर पर हमारे शेयर धारक कोल इंडिया लिमिटेड के साथ-साथ उसके प्रबंधन के प्रति, भारत सरकार के प्रति, विशेषकर हमारे प्रशासनिक मंत्रालय यानी कोयला मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अन्य केंद्रीय सरकारी प्राधिकरण, झारखंड सरकार (विशेष रूप से खान मंत्रालय, गृह विभाग और स्थानीय जिला प्रशासन), लेखा परीक्षकगण, जन प्रतिनिधिगण, स्थानीय ग्राम, स्थानीय निकायों, ट्रेड यूनियनों, हमारे मूल्यवान ग्राहकों, आपूर्ति कर्ताओं और मीडिया के प्रति उनके निरंतर समर्थन, विश्वास और सहयोग के लिए हार्दिक सम्मान और गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं ।

मैं कंपनी के विकास में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए बोर्ड के अपने सभी सहकर्मियों तथा सभी कर्मचारियों की सराहना करता हूं ।

मेरा दृढ़ विश्वास है कि कंपनी ने जिस प्रकार से संसाधनों और क्षमताओं का निर्माण किया है, यह निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में और अधिक सफलता लाएगी और लगातार ऐसा करते हुए आपकी कंपनी राष्ट्र की अपेक्षाओं के सहित हमारे कई शेयरधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करती रहेगी। आपकी कंपनी आपके भरोसे और विश्वास को महत्व देती है तथा इसे आगे बढ़ाने के लिए अथक प्रयास करती रहेगी।

ह/-
डॉ. बी. वीरा रेड्डी
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन- 08679590

कच्चा कोयला
उत्पादन एवं उठाव

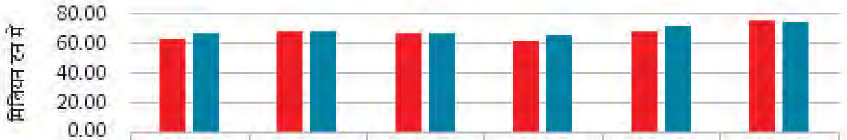

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
उत्पादन	63.41	68.72	66.89	62.59	68.85	76.09
उठाव	67.51	68.45	67.33	65.40	71.81	75.03

विक्री

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
सकल विक्रय (कोयला)	15728.80	16343.92	16768.33	15900.51	18585.25	22720.19
निबल विक्रय	10817.89	11273.99	11642.64	10774.32	12352.13	15226.21

लाभ

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
कर पूर्व लाभ	1387.49	2692.20	2932.72	1913.18	2094.73	3743.61
कर पश्चात लाभ	807.78	1704.47	1847.75	1221.28	1696.92	2751.67

निवल मालियत

संचालन आंकड़े

		31 मार्च को समाप्त वर्ष	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
1.	**(क)**	**कच्चे कोयले का उत्पादन : (मि. टन)**										
		भूमिगत	0.863	0.755	0.424	0.703	0.315	0.405	0.74	0.85	0.84	0.96
		खुली खदान	75.225	68.091	62.166	66.186	68.407	63.000	66.31	60.47	54.81	49.06
		योग	**76.088**	**68.846**	**62.589**	**66.889**	**68.722**	**63.405**	**67.05**	**61.32**	**55.65**	**50.02**
	(ख)	ओवर बर्डेन निष्कासन (मिलियन घन मीटर.)	106.581	100.066	103.577	103.356	100.490	95.622	102.63	106.78	97.38	59.02
2.		**ढुलाई (कच्चा कोयला) (मिलियन टन)**										
		स्टील	0.00	0.00	0.053	0.039	0.00	0.00	0.03	0.34	0.65	0.32
		बिजली	60.89	54.82	47.407	46.648	45.37	42.22	37.24	33.52	33.41	32.10
		सीमेंट	0.00	0.009	0.053	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		उर्वरक	0.11	0.115	0.13	0.143	0.09	0.15	0.22	0.24	0.24	0.27
		अन्य	8.34	10.948	10.63	11.732	13.80	15.73	10.83	12.40	10.23	9.00
		वाशरी को कोल आपूर्ति	5.36	5.51	7.04	8.770	9.19	9.41	12.61	13.09	10.81	10.43
		योग	**75.03**	**71.81**	**65.40**	**67.332**	**68.45**	**67.51**	**60.93**	**59.59**	**55.34**	**52.12**
3.		**औसत श्रमशक्ति**	**35418**	**36289**	**37444**	**38695**	**39919**	**41467**	**42919**	**44346**	**45849**	**47406**
4.		**उत्पादकता:**										
	(क)	प्रति व्यक्ति/प्रति वर्ष (टन)	2148.28	1897.16	1671.54	1728.62	1721.54	1529.05	1562.25	1382.76	1213.81	1055.14
	(ख)	प्रति मानव पाली उत्पादन (ओएमएस)										
	(i)	भूमिगत (टन)	2.13	1.17	0.44	0.540	0.214	0.194	0.29	0.32	0.29	0.33
	(ii)	खुली खदान (टन)	10.68	10.16	9.57	10.060	9.740	9.372	9.81	8.91	7.56	6.26
	(iii)	**समग्र (टन)**	**10.22**	**9.37**	**8.39**	**8.490**	**8.093**	**7.195**	**7.23**	**6.51**	**5.46**	**4.64**
5.		**लागत रिपोर्ट के अनुसार सूचना**										
	(i)	प्रति मानव पाली अर्जन (रु)	6252.92	4814.08	4185.94	4003.35	3794.70	3344.68	2985.56	2651.86	2507.87	2377.57
	(ii)	निबल/शुद्ध बिक्री योग्य कोयले के उत्पादन का औसत मूल्या (रु प्रति टन)	1500.87	1385.72	1343.69	1249.82	1125.09	1285.33	1048.85	1045.84	1099.43	1079.17
	(iii)	निबल/शुद्ध बिक्री योग्य कोयले के उत्पादन का औसत बिक्री मूल्य (रु प्रति टन)	1827.91	1608.20	1456.20	1547.08	1497.68	1369.23	1414.25	1490.72	1435.90	1414.86

वित्तीय स्थिति

(स्टैंडअलोन)

भारतीय लेखा मानक के अनुसार (जारी...)

(₹ करोड़ में)

क्र.			विवरण	2022-23	2021—22	2020—21	2019—20	2018—19 (पुनर्लिखित)
अ.	**गैर-चालू परिसंपत्तियां**							
	क.		संपत्ति, उपकरण एवं संयंत्र	6,045.80	5,737.61	5,532.00	4,670.11	2,496.09
	ख.		प्रगतिशील पूंजी कार्य	1,313.51	900.83	907.26	736.75	2,355.18
	ग.		आस्तियों का मूल्यांकन एवं अन्वेषण	683.95	573.69	499.79	448.45	405.43
	घ.		अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियां	26.80	19.93	10.93	4.37	5.74
	ङ.		वित्तीय परिसंपत्तियां					
		i.	निवेश	345.53	345.63	64.63	32.00	32.00
		ii.	ऋण	5.10	2.06	0.49	0.55	0.66
		iii.	अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	1,642.99	1,365.00	1,250.53	1,787.15	1,467.73
	च.		आस्थगित कर परिसंपत्ति(निबल)	504.96	679.47	674.14	843.44	1,039.09
	छ.		अन्य गैर-चालू परिसंपत्ति	3,056.25	2,293.68	1,436.20	620.07	1,123.94
	कुल गैर-चालू परिसंपत्ति(अ)			**13,624.89**	**11,917.80**	**10,375.97**	**9,142.89**	**8,925.86**
ब.	**चालू परिसंपत्तियां**							
	क.		भंडारसूची	1,144.30	1,031.34	1,288.67	1,233.36	1,353.66
	ख.		वित्तीयपरिसंपत्ति					
		i.	निवेश	718.59	64.72	—	0.48	52.56
		ii.	व्यापार प्राप्य	3,001.17	2,149.65	3,402.53	2,492.11	1,095.13
		iii.	नकद एवं नकद समतुल्य	850.64	664.91	226.69	117.94	244.55
		iv.	अन्य बैंक शेष	2,533.87	1,413.04	986.69	490.85	841.51
		v.	ऋण	0.71	—	—	—	—
		vi.	अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	158.87	97.84	256.70	591.44	628.38
	ग.		चालू कर परिसंपत्ति (निबल)	67.41	154.23	151.68	62.42	—
	घ.		अन्य चालू परिसंपत्ति	3,408.40	3,217.82	2,711.04	2,399.05	2,575.01
	कुल चालू परिसंपत्ति (ब)			**11,883.96**	**8,793.55**	**9,024.00**	**7,387.65**	**6,790.80**
कुल परिसंपत्ति (अ + ब)				**25,508.85**	**20,711.35**	**19,399.97**	**16,530.54**	**15,716.66**
इक्विटी और देयता								
अ.	**इक्विटी**							
	1.		**निर्गत, अभिदत्त एवं पेड-अप इक्विटी शेयर पूजी**	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00
	2.		**पूंजी प्रतिदान शेष**	—	—	—	—	—
			प्रारंभिक शेष					
			इक्विटी शेयरों की वापसी खरीद	—	—	—	—	—
			जारी बोनस शेयर	—	—	—	—	—
			अंतिम शेष	—	—	—	—	—
	3.		**पूंजीगत संचय**	**—**	**—**	—	—	—
	4.		**सामान्य संचय**					
			प्रारंभिक शेष	2,392.00	2,307.15	2,246.09	2,153.70	2,068.48
			सामान्य संचय से/को स्थानान्तरण	137.58	84.85	61.06	92.39	85.22
			इक्विटी शेयरों की वापसी खरीद	—	—	—	—	—
			जारी बोनस शेयर	—	—	—	—	—
			अंतिम शेष	**2,529.58**	**2,392.00**	**2,307.15**	**2,246.09**	**2,153.70**

वित्तीय स्थिति
(स्टैंडअलोन)
भारतीय लेखा मानक के अनुसार (जारी...)

(₹ करोड़ में)

क्र.			विवरण	2022—23	2021—22	2020—21	2019—20	2018—19 (पुनर्लिखित)
	5.		**प्रतिधारित उपार्जन**					
			प्रारंभिक शेष	5,305.45	4,475.46	3,315.24	1,914.58	653.43
			समायोजन	(0.09)	—	—	—	—
			वर्ष के लिए लाभ	2,751.67	1,696.92	1,221.28	1,847.75	1,704.47
			विनियोजन					
			सामान्य संचय से/को स्थानान्तरण	(137.58)	(84.85)	(61.06)	(92.39)	(85.22)
			अन्य संचयों में स्थानान्तरण	—	—	—	—	—
			अंतरिम लाभांश	(600.66)	(404.20)	—	(294.22)	(297.04)
			अंतिम लाभांश	(423.00)	(377.88)	—	—	—
			निगमित लाभांश कर	—	—	—	(60.48)	(61.06)
			वापसी खरीद पर कर	—	—	—	—	—
			जारी बोनस शेयर	—	—	—	—	—
			अंतिम शेष	**6,895.79**	**5,305.45**	**4,475.46**	**3,315.24**	**1,914.58**
	6.		**अन्य विस्तृत आय**					
			पुनर्लिखित प्रारंभिक शेष	(225.47)	(174.08)	(109.80)	134.44	154.13
			परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन (निबल कर)	177.59	(51.39)	(64.28)	(244.24)	(19.69)
			अंतिम शेष	**(47.88)**	**(225.47)**	**(174.08)**	**(109.80)**	**134.44**
	7.		**अन्य इक्विटी**	**9,377.49**	**7,471.98**	**6,608.53**	**5,451.53**	**4,202.72**
	8.		**कंपनी के इक्विटी धारकों को आरोप्य इक्विटी**	**10,317.49**	**8,411.98**	**7,548.53**	**6,391.53**	**5,142.72**
	9.		**गैर-नियंत्रित ब्याज**	—	—	—	—	—
	10.		**कुल इक्विटी (अ)**	**10,317.49**	**8,411.98**	**7,548.53**	**6,391.53**	**5,142.72**
ब.	**देयता**							
	गैर-चालू देयताएं							
	क.		वित्तीय देयताएं					
		i.	उधारी	—	—	—	—	—
		ii.	व्यापार देयताएं	—	—	—	—	—
		iii.	अन्य वित्तीय देयताएं	232.21	146.25	84.40	81.21	70.61
	ख.		प्रावधान	5,334.98	5,118.65	4,876.36	4,116.22	3,411.37
	ग.		आस्थगित कर देयताएं (निबल)	—	—	—	—	—
	घ.		अन्य गैर-चालू देयताएं	452.98	496.58	537.33	578.07	540.84
	कुल गैर-चालू देयताएं (ब)			**6,020.17**	**5,761.48**	**5,498.09**	**4,775.50**	**4,022.82**
स.	**चालू देयताएं**							
	क.		वित्तीय देयताएं					
		i.	उधारी	—	—	—	—	—
		ii.	व्यापार देयताएं	1,315.11	1,555.34	1,360.82	1,404.78	484.15
		iii.	अन्य वित्तीय देयताएं	1,214.63	1,123.19	1,268.08	439.21	502.75
	ख.		अन्य चालू देयताएं	4,466.99	3,037.75	2,889.75	2,577.22	4,556.45
	ग.		प्रावधान	2,174.46	821.61	834.70	942.30	1,007.77
	कुल चालू देयताएं (स)			**9,171.19**	**6,537.89**	**6,353.35**	**5,363.51**	**6,551.12**
	कुल इक्विटी एवं देयताएं (अ + ब + स)			**25,508.85**	**20,711.35**	**19,399.97**	**16,530.54**	**15,716.66**

आय एवं व्यय का विवरण

(स्टैंडअलोन)

भारतीय लेखा मानक के अनुसार

(₹ करोड़ में)

क्र.			विवरण	31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए					
				2023	2022	2021	2020	2019 (पुनर्लिखित)	2018 (पुनर्लिखित)
अ.	से आय								
	1.		सकल विषय (कोयला)	22,720.19	18,585.25	15,900.51	16,768.33	16343.92	15,728.80
			घटाव: उत्पाद शुल्क एवं अन्य लेवी	7,493.98	6,233.12	5,126.19	5,125.69	5069.93	4,910.91
	2.		निबल विक्रय	15,226.21	12,352.13	10,774.32	11,642.64	11,273.99	10,817.89
	3.	i.	कोयला आयात हेतु सुकरीकरण चार्ज	—	—	—	—	—	—
		ii.	बालू भराई एवं सख्ती कार्य हेतु सब्सिडी	—	—	—	—	—	1.05
		iii.	परिवहन ओर लदाई लागत की वसूली (एक्साइज ड्यूटी का निबल)	700.04	725.62	664.23	597.39	562.51	428.62
		iv.	निकासी सुकरीकरण चार्ज (लेवियों का निबल)	452.95	408.67	326.34	340.69	343.40	102.55
		v.	सेवाओं से आमदनी (लेवियों का निबल)	—	—	—	—	—	—
	3.		अन्य संचालन आय (एक्साइज ड्यूटी का निबल)	1,152.99	1,134.29	990.57	938.08	905.91	532.22
	4.	i.	निवेश एवं जमा का ब्याज	226.59	93.99	78.65	143.44	115.29	264.81
		ii.	म्युचुअल फंडों से लाभांश	—	—	0.01	3.15	4.92	10.59
		iii.	अन्य गैर-संचालन आय	691.64	239.70	212.62	458.86	192.82	233.56
	4.		अन्य आय	918.23	333.69	291.28	605.45	313.03	508.96
			कुल (अ)	**17,297.43**	**13,820.11**	**12,056.17**	**13,186.17**	**12,492.93**	**11,859.07**
ब.	के लिए प्रदत्त/प्रावधानित								
	1.	i.	वेतन, मजदूरी, भत्ता, बोनस आदि	5,557.91	4,247.07	3,863.35	3,866.92	3,755.20	3,754.14
		ii.	पीएफ तथा अन्य फंड में योगदान.	686.23	681.91	643.43	673.03	699.23	448.80
		iii.	ग्रेच्युटी	181.81	100.75	216.69	144.50	246.45	1,014.03
		iv.	अवकाश नकदीकरण	359.50	78.79	227.62	201.70	193.60	66.38
		v.	अन्य	437.25	367.10	281.61	374.15	234.38	195.20
	1.		कर्मचारी लाभ व्यय	7,222.70	5,475.62	5,232.70	5,260.30	5,128.86	5,478.55
	2.		उपभुक्त सामान की लागत	1,170.83	855.15	730.39	762.94	796.28	715.02
	3.		तैयार माल भंडार में बदलाव/प्रगतिशील कार्य और व्यापारगत भंडार	-81.81	278.86	(57.43)	126.37	(23.44)	512.66
	4.		बिजली एवं ईंधन	265.88	261.55	236.64	226.86	231.02	277.35
	5.		सामाजिक निगमित उत्तरादायित्व में व्यय	43.39	53.14	46.46	52.89	41.14	37.90
	6.		मरम्मति	243.10	273.20	287.91	347.09	374.57	326.69
	7.		संविदात्मक व्यय	1,944.87	1,867.10	1,638.11	1,604.04	1,322.13	1,294.38
	8.		वित्त लागत						
			छूट का अनवाईनडिंग	75.44	81.77	78.91	75.09	69.53	67.21
			अन्य वित्तीय लागत	—	—	4.98	0.53	5.72	103.60
	9.		मूल्यह्रास/अमूर्तिकरण/क्षति	682.96	647.55	554.26	490.39	344.28	351.52
	10.		स्ट्रिपिंग कार्य समायोजन	652.18	725.21	365.87	180.41	347.60	284.51
	11.		प्रावधान एवं राइट ऑफ	284.03	3.44	12.93	35.52	93.95	1.73
	12.		अन्य व्यय	1,050.25	1,202.79	1,011.26	1,091.02	1,069.09	1,020.46
			कुल (ब)	**13,553.82**	**11,725.38**	**10,142.99**	**10,253.45**	**9,800.73**	**10,471.58**

आय एवं व्यय का विवरण
(स्टैंडअलोन)
भारतीय लेखा मानक के अनुसार (जारी...)

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए					
		2023	2022	2021	2020	2019 (पुनर्लिखित)	2018 (पुनर्लिखित)
13.	**कर एवं अपवादात्मक वस्तु के पूर्व लाभ (अ-ब)**	**3,743.61**	**2,094.73**	**1,913.18**	**2,932.72**	**2,692.20**	**1,387.49**
14.	अपवादात्मक वस्तु	—	—	—	—	—	—
15.	**कर पूर्व लाभ**	**3,743.61**	**2,094.73**	**1,913.18**	**2,932.72**	**2,692.20**	**1,387.49**
16.	घटाव: कर व्यय	991.94	397.81	691.90	1,084.97	987.73	579.71
17.	**वर्ष के लिए चालू ऑपरेशनों से लाभ**	**2,751.67**	**1,696.92**	**1,221.28**	**1,847.75**	**1,704.47**	**807.78**
18.	समाप्त संचालनों से लाभ/(हानि) (कर पश्चात)	—	—	—	—	—	—
19.	संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों के लाभ/(हानि) में अंश	—	—	—	—	—	—
20.	**वर्ष के लिए लाभ**	**2,751.67**	**1,696.92**	**1,221.28**	**1,847.75**	**1,704.47**	**807.78**
21.	**अन्य विस्तृत आय**						
	क. i. लाभ या हानि हेतु पुनःवर्गीकृत नहीं किए जाने वाली वस्तुएं	237.32	(68.68)	(85.90)	(326.38)	(30.27)	155.59
	ii. लाभ या हानि हेतु पुनःवर्गीकृत नहीं किए जाने वाले वस्तुओं पर आय कर	59.73	(17.29)	(21.62)	(82.14)	(10.58)	53.85
	ख. i. लाभ या हानि हेतु पुनःवर्गीकृत नहीं किए जाने वाली वस्तुएं	—	—	—	—	—	—
	ii. लाभ या हानि हेतु पुनःवर्गीकृत नहीं किए जाने वाले वस्तुओं पर आय कर	—	—	—	—	—	—
22.	**अन्य कुल विस्तृत आय**	**177.59**	**(51.39)**	**(64.28)**	**(244.24)**	**(19.69)**	**101.74**
	वर्ष हेतु कुल विस्तृत आय (लाभ/(हानि) एवं वर्ष के अन्य विस्तृत आय सहित)	**2,929.26**	**1,645.53**	**1,157.00**	**1,603.51**	**1,684.78**	**909.52**
23.	**आरोप्य लाभ:**						
	कंपनी के स्वामी	2,751.67	1,696.92	1,221.28	1,847.75	1,704.47	807.78
	गैर नियंत्रण ब्याज	—	—	—	—	—	—
		2,751.67	**1,696.92**	**1,221.28**	**1,847.75**	**1,704.47**	**807.78**
24.	**अन्य आरोप्य विस्तृत आय:**						
	कंपनी के स्वामी	177.59	(51.39)	(64.28)	(244.24)	(19.69)	101.74
	गैर नियंत्रण ब्याज	—	—	—	—	—	—
		177.59	**(51.39)**	**(64.28)**	**(244.24)**	**(19.69)**	**101.74**
25.	**कुल आरोप्य विस्तृत आय:**						
	कंपनी के स्वामी	2,929.26	1,645.53	1,157.00	1,603.51	1,684.78	909.52
	गैर नियंत्रण ब्याज	—	—	—	—	—	—
		2,929.26	**1,645.53**	**1,157.00**	**1,603.51**	**1,684.78**	**909.52**

महत्त्वपूर्ण वित्तीय सूचना
(स्टैंडअलोन)
भारतीय लेखा मानक के अनुसार

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए					
		2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19 (पुनर्लिखित)	2017-18 (पुनर्लिखित)
अ.	**परिसंपत्तियों एवं देयताओं से संबंधित**						
1.	i. ₹ 1000/- प्रत्येक के इक्विटी शेयरों की संख्या.	9400000	9400000	9400000	9400000	9400000	9400000
	ii. शेयरधारकों की निधि						
	क. इक्विटी शेयर पूंजी	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00
	ख. आरक्षित (सामान्य एवं सांविधिक)	2,529.58	2,392.00	2,307.15	2,246.09	2,153.70	2068.48
	ग. संचित लाभ/हानि	6,847.91	5,079.98	4,301.38	3,205.44	2,049.02	807.56
	निबल संपत्ति	**10,317.49**	**8,411.98**	**7548.53**	**6391.53**	**5,142.72**	**3816.04**
	घ. पूंजीगत शेष	—	—	—	—	—	—
	शेयरधारकों की निधि	**10,317.49**	**8,411.98**	**7548.53**	**6391.53**	**5,142.72**	**3816.04**
2.	i. चालू परिपक्वता सहित दीर्घकालिक उधारी	—	—	—	—	—	—
	ii. चालू परिपक्वता दीर्घकालिक उधारी छोड़कर	—	—	—	—	—	—
3.	i. सकल संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	9,457.36	8,602.80	7,838.14	6,568.64	3,960.35	3531.70
	ii. संचित मूल्यह्रास/क्षति	3,411.56	2,865.19	2,306.14	1,898.53	1,464.26	1110.61
	iii. निबल संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	6,045.80	5,737.61	5,532.00	4,670.11	2,496.09	2421.09
4.	i. चालू परिसंपत्ति	11,883.96	8,793.55	9,024.00	7,387.65	6,790.80	6457.60
	ii. चालू देयताएं	9,171.19	6,537.89	6,353.35	5,363.51	6,551.12	7436.94
	iii. **निबल चालू परिसंपत्तिया/कार्यशील पूंजी**	**2,712.77**	**2,255.66**	**2670.65**	**2,024.14**	**239.68**	**(979.34)**
5.	i. **नियोजित पूंजी [3 (iii) + 4 (iii)]**	**8,758.57**	**7,993.27**	**8202.65**	**6,694.25**	**2,735.77**	**1441.75**
	ii. निबल पूंजीगत डब्ल्यूआईपी एवं विकास अंतर्गत अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति	2,024.26	1,494.45	1,417.98	1,189.57	2,766.35	1903.45
	iii. सीडब्ल्यूआईपी सहित नियोजित पूंजी [5 (i)+5 (ii)]	**10,782.83**	**9,487.72**	**9620.63**	**7,883.82**	**5,502.12**	**3345.20**
6.	i. व्यापार प्राप्य	3,001.17	2,149.65	3,402.53	2,492.11	1,095.13	1121.00
	ii. नकद एवं नकद समतुल्य	850.64	664.91	226.69	117.94	244.55	161.98
	iii. अन्य बैंक शेष	2,533.87	1,413.04	986.69	490.85	841.51	1194.23
7.	i. कोयले का अंत स्टॉक (निबल)	965.24	881.21	1163.03	1,103.27	1,229.85	1206.37
	ii. भंडार एवं कलपुर्जों का अंत स्टॉक (निबल)	174.70	144.46	123.03	125.51	119.15	137.92
	iii. अन्य अंत स्टॉक (निबल)	4.36	5.67	2.61	4.58	4.66	4.94
ब.	**लाभ/हानि संबंद्ध**						
1.	i. सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी)	4,502.01	2,824.05	2,551.33	3,498.73	3,111.73	1909.82
	ii. सकल लाभ (पीबीडीआईटी)	3,819.05	2,176.50	1,997.07	3,008.34	2,767.45	1558.30
	iii. कर पूर्व लाभ	3,743.61	2,094.73	1,913.18	2,932.72	2,692.20	1387.49
	iv. वर्ष के लिए कर के पश्चात लाभ	2,751.67	1,696.92	1,221.28	1,847.75	1,704.47	807.78
	v. निबल लाभ (कर एवं लाभांश पश्चात)	1,728.01	914.84	1,221.28	1,553.53	1,407.43	276.68
	vi. कुल विस्तृत आय	2,929.26	1,645.53	1,157.00	1,603.51	1,684.78	909.52
2.	i. कोयले का सकल विक्रय	22,720.19	18,585.25	15,900.51	16,768.33	16,343.92	15728.80
	ii. निबल विक्रय	15,226.21	12,352.13	10,774.32	11,642.64	11,273.99	10817.89
	iii. उत्पादन का विक्रय मूल्य	15,308.02	12,073.27	10,831.75	11,516.27	11,297.43	10305.23
3.	बेचे गए सामान का विक्रय मूल्य (निबल विक्रय-पीबीटी)	11,482.60	10,257.40	8861.14	8,709.92	8,581.79	9430.40
4.	कुल व्यय	13,553.82	11,725.38	10,12.99	10,253.45	9,800.73	10471.58
	i. कर्मचारी लाभ व्यय	7,222.70	5,475.62	5,232..70	5,260.30	5,128.86	5478.55
	ii. उपयुक्त सामग्री की लागत	1,170.83	855.15	730.39	762.94	796.28	715.02
	iii. बिजली एवं ईंधन	265.88	261.55	236.64	226.86	231.02	277.35
	iv. वित्तीय व्यय एवं मूल्य ह्रास	758.40	729.32	638.15	566.01	419.53	522.33
5.	प्रतिमाह भंडार एवं कलपुर्जों की औसत खपत	97.57	71.26	60.87	63.58	66.36	59.59
6.	i. वर्ष के दौरान नियोजित औसत श्रमशक्ति	35,418	36,313.5	37444	38,989.5	40000	41467
	ii. सीएसआर व्यय	43.39	53.14	46.46	52.89	41.14	37.90
	iii. प्रति कर्मचारी सीएसआर व्यय (रु'0000)	12.25	14.63	12.41	13.57	10.29	9.14
7.	अभिवृद्धित मूल्य	13,871.31	10,956.57	9,864.72	10,526.47	10270.13	9312.86
	i. प्रति कर्मचारी अभिवृद्धित मूल्य (रु'0000)	3,916.46	3,017.22	2,634.53	2,699.82	2567.56	2245.88

महत्वपूर्ण वित्तीय सापेक्षिक अनुपात
(स्टैंडअलोन)
भारतीय लेखा मानक के अनुसार

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	2022-23	2021-22	2020—21	2019—20	2018—19 (पुनर्लिखित)	2017—18 (पुनर्लिखित)
अ.	**लाभकारित अनुपात**						
1.	**प्रतिशत के रूप मे निबल विक्रय**						
	i. सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी)	29.57	22.86	23.68	30.05	27.60	17.65
	ii. सकल लाभ (पीबीआईटी)	25.08	17.62	18.54	25.84	24.55	14.40
	iii. कर पूर्व लाभ	24.59	16.96	17.76	25.19	23.88	12.83
2.	**प्रतिशत के रूप में कुल व्यय**						
	i. कर्मचारी लाभ व्यय	53.29	46.70	51.89	51.30	52.33	52.32
	ii. उपभुक्त सामान की लागत	8.64	7.29	7.20	7.44	8.12	6.83
	iii. बिजली एवं ईंधन	1.96	2.23	2.23	2.21	2.36	2.65
3.	**प्रतिशत के रूप में निवेशित पूंजी (सीडब्ल्यूआईपी छोड़)**						
	i. सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी)	51.40	35.33	31.10	52.26	113.74	132.47
	ii. सकल लाभ (पीबीआईटी)	43.60	27.23	24.35	44.94	101.16	108.08
	iii. कर पूर्व लाभ	42.74	26.21	23.32	43.81	98.41	96.24
4.	**प्रतिशत के रूप में निवेशित पूंजी (सीडब्ल्यूआईपी सहित)**						
	i. सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी)	41.75	29.77	26.52	44.38	56.56	57.09
	ii. सकल लाभ (पीबीआईटी)	35.42	22.94	20.76	38.16	50.30	46.58
	iii. कर पूर्व लाभ	34.72	22.08	19.89	37.20	48.93	41.48
5.	**कार्य संचालन अनुपात (निबल विक्रय - पीबीटी/निबल विक्रय)**	**0.75**	**0.83**	**0.82**	**0.75**	**0.76**	**0.87**
ब.	**तरलता अनुपात**						
	1. चालू अनुपात (चालू परिसंपत्तियां/चालू देयताएं)	1.30	1.35	1.42	1.38	1.04	0.87
	2. त्वरित अनुपात (त्वरित परिसंपत्तियां /चालू देयताएं)	1.17	1.19	1.22	1.15	0.83	0.69
स.	**टर्नओवर अनुपात**						
	1. पूँजीगत टर्नओवर अनुपात						
	i. निबल विक्रय (सीडब्ल्यूआईपी छोड़ निवेशित पूंजी)	1.74	1.55	1.31	1.74	4.12	7.50
	ii. निबल विक्रय (सीडब्ल्यूआईपी सहित निवेशित पूंजी)	1.41	1.30	1.22	1.48	2.05	3.23
	2. महीनों की संख्या में व्यवसाय प्राप्य (निबल)						
	i. सकल विक्रय	1.59	1.39	2.57	1.78	0.80	0.86
	ii. निबल विक्रय	2.37	2.09	3.79	2.57	1.17	1.24
	3. निबल विक्रय के अनुपात के रूप में						
	i. व्यापार प्राप्य	0.20	0.17	0.32	0.21	0.10	0.10
	ii. कोयले का भंडार	0.06	0.07	0.11	0.09	0.11	0.11
	4. कोयले का भंडार						
	i. माह की संख्या अनुसार उत्पादन मूल्य	0.76	0.08	1.29	1.15	1.31	1.40
	ii. माह की संख्या अनुसार बेचे गए सामान का मूल्य	1.01	1.03	1.58	1.52	1.72	1.54
	iii. माह की संख्या अनुसार निबल विक्रय	0.76	0.86	1.30	1.14	1.31	1.34
द.	**संरचनात्मक अनुपात**						
	1. दीर्घकालिक ऋण: इक्विटीगत शेयर पूंजी	—	—	—	—	—	—
	2. दीर्घकालिक ऋण: निबल संपत्ति	—	—	—	—	—	—
	3. निबल संपत्ति: इक्विटी	10.98	8.95	8.03	6.80	5.47	4.06
	4. निबल अचल संपत्ति : निबल संपत्ति	0.59	0.68	0.73	0.73	0.49	0.63
य.	**शेयरधारकों का ब्याज**						
	1. शेयर का अंकित मूल्य (रु.) (निबल संपत्ति/इक्विटी की संख्या)	10,976.05	8,948.91	8,030.35	6,799.49	5470.98	4059.62
	2. प्रति शेयर लाभांश (रु.)	1,089.00	880.00	402.00	313.00	316.00	565.00

निदेशकों का प्रतिवेदन

प्रति,

अंशधारकगण,

सेंट्रल कोलफीलड्स लिमिटेड,

प्रिय सदस्यगण,

निदेशक मंडल की ओर से 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणी सहित कंपनी के 67वें वार्षिक प्रतिवेदन को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी, सांविधिक लेखा-परीक्षकों का प्रतिवेदन एवं उक्त के सापेक्ष प्रबंधन के उत्तर के साथ-साथ लेखा-परीक्षित लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।

1. वित्तीय प्रदर्शन

वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान आपकी कंपनी की वित्तीय परिणाम निम्नांकित है:

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	2022-23	2021-22
i.	संचालन से राजस्व	16379.20	13486.42
ii.	अन्य आय	918.23	333.69
iii.	सकल राजस्व	17297.43	13820.11
iv.	मूल्यह्रास, ब्याज एवं कर को छोड़कर व्यय	12795.42	10996.06
v.	मूल्यह्रास, ब्याज से पूर्व लाभ	4502.01	2824.05
vi	मूल्यह्रास/परिशोधन/हानि	682.96	647.55
vii.	ब्याज	75.44	81.77
viii.	**कर पूर्व लाभ**	**3743.61**	**2094.73**
ix.	कर व्यय	991.94	397.81
x.	**कर पश्चात निबल लाभ**	**2751.67**	**1696.92**
xi.	अन्य व्यापक आय	237.32	(68.68)
xii	अन्य व्यापक आय पर कर	59.73	(17.29)
xiii.	कंपनी के मालिकों के लिए स्रोतजन्य लाभ	2929.26	1645.53

- परिचालन से व्यय 21.45% की वृद्धि हुई है।
- मार्च'23 को समाप्त वर्ष के कर पूर्व लाभ (पीबीटी) में 78.72% की वृद्धि हुई है।
- मार्च'23 को समाप्त वर्ष के कर पश्चात लाभ (पीबएटी) में 62.16% की वृद्धि हुई है।

1.2 लाभांश

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अंतरिम लाभांश के रुप में ₹ 600.66 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 404.20 करोड़) तथा एजीएम के सदस्यों की स्वीकृति के अधीन संतुस्त अंतिम लाभांश ₹ 423.00 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 423.00 करोड़) का भुगतान किया गया है।

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सकल लाभांश ₹1023.66 करोड़ अर्थात ₹1,089.00 प्रति शेयर के 94,00,000 इक्विटी शेयरों पर ₹1000.00 प्रति शेयर (विगत वर्ष ₹827.20 करोड़ अर्थात ₹1,000.00 प्रत्येक के 94,00,000 इक्विटी शेयरों पर ₹880.00 प्रति शेयर)।

1.3 ऋण

कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी सरकार या वित्तीय संस्थान से कोई ऋण नहीं लिया है।

1.4 रिजर्व में अंतरण

वर्ष 2022-23 के दौरान, कर पश्चात लाभ (पीएटी) के 5% के बराबर ₹137.58 करोड़ की राशि जनरल रिजर्व में अंतरित की गई है।

2. परिचालन प्रदर्शन

वर्ष 2021-22 की वास्तविक आंकड़ों तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान आपकी कंपनी द्वारा प्राप्त उत्पादन एवं उत्पादकता के आंकड़े निम्नानुसार हैं:

विवरण	2022-23		2021-22	विगत वर्ष के मुकाबले प्रतिशत वृद्धि
	लक्ष्य	वास्तविक	वास्तविक	
उत्पादन				
खुली खदान से (मि.टन)	75.130	75.224	68.091	10.477
भूमिगत खदान से (मि.टन)	0.870	0.863	0.755	14.240
कुल (मि.टन)	76.000	76.087	68.846	10.518
ओबीआर (एमएम3)	126.000	106.581	100.066	6.511
धुला कोयला (कोकिंग)				
उत्पादन (मि.टन)	0.965	0.722	0.400	80.386
प्रेषण (मि.टन)	0.965	0.709	0.528	34.281
धुला कोयला (नॉन-कोकिंग)				
उत्पादन (मि.टन)	5.700	3.665	4.267	-14.113
प्रेषण (मि.टन)	5.700	3.691	4.213	-12.398
धुला कोयला (कोकिंग)				
उत्पादन (मि.टन)	1.377	0.732	0.625	17.150
प्रेषण (मि.टन)	1.377	0.798	0.755	5.721
उत्पादकता (ओएमएस-टीई)				
खुली खदान	11.72	10.68	10.16	
भूमिगत खदान	0.84	2.13	1.17	
कुल	**10.20**	**10.22**	**9.37**	

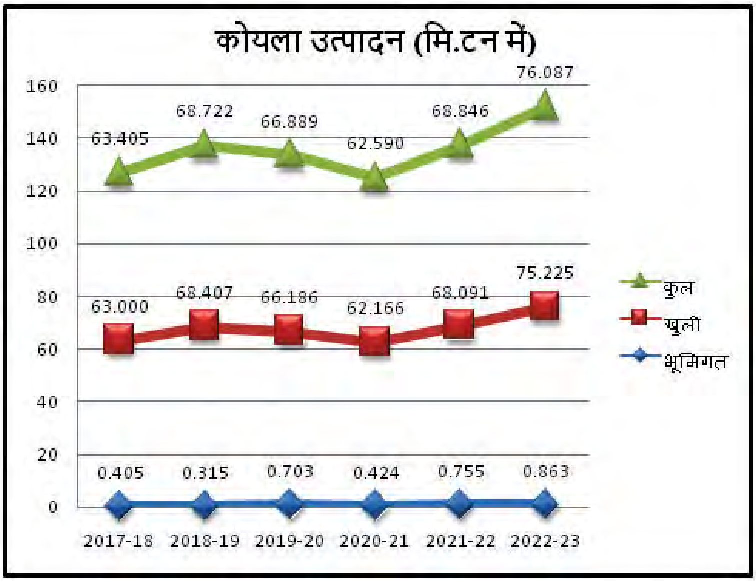

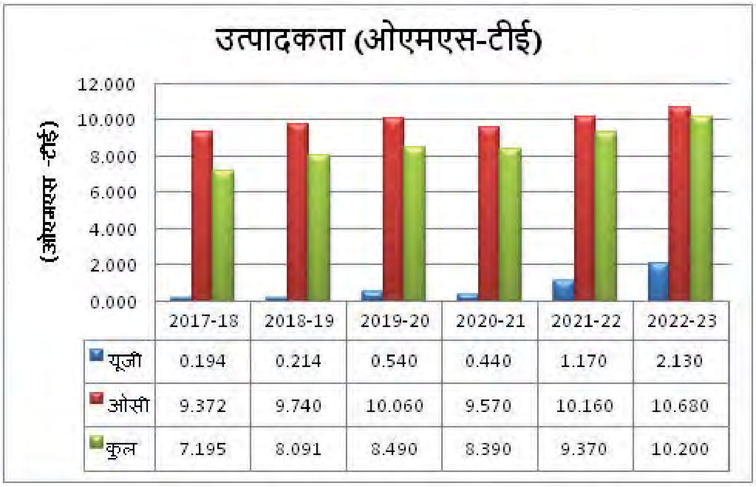

3. पूंजीगत व्यय

क. विगत वर्ष में ₹ 1849.11 के मुकाबले वर्ष 2022-23 के दौरान स्टैंडअलोन पूंजीगत व्यय ₹ 2252.07 करोड़ रहा। वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय का शीर्षवार विवरण नीचे दिया गया है:

(₹. करोड़ में.)

क्र.	व्यय शीर्ष	2022-23	2021-22
i.	भूमि	329.15	62.57
ii.	भवन	140.12	59.42
iii.	संयंत्र एवं मशीनरी	335.28	448.99
iv.	फर्नीचर एवं साज सज्जा	6.75	3.54
v.	कार्यालय उपकरण	17.92	10.67
vi.	रेल कोरीडोर एवं रेलवे साइडिंग	565.67	225.86

vii.	वाहन	5.86	12.68
viii.	अन्य खनन अवसंरचना	311.73	144.84
ix.	सॉफ्टवेयर	11.34	11.29
	कुल	**1723.82**	**979.87**

नोट- उपरोक्त के अलावा, कंपनी द्वारा पूंजीगत व्यय के लिए ₹528.25 करोड़ निबल अग्रिम का भुगतान किया गया है (विगत वर्ष ₹ 869.24 करोड़)। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पूंजीगत अग्रिम सहित कुल पूंजीगत व्यय ₹ 2252.07 करोड़ है (विगत वर्ष ₹ 1849.11 करोड़)।

ख. विगत वर्ष में ₹1863.30 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2022-23 के दौरान समेकित पूंजीगत व्यय 2443.19 करोड़ रहा। वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय का शीर्षवार विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.	व्यय शीर्ष	2022-23	2021-22
i.	भूमि	329.15	62.57
ii.	भवन	140.12	59.42
iii.	संयंत्र एवं मशीनरी	335.28	448.99
iv.	फर्नीचर एवं साज सज्जा	6.80	3.54
v.	कार्यालय उपकरण	18.00	10.67
vi.	रेल कोरीडोर एवं रेलवे साइडिंग	734.30	233.93
vii.	वाहन	5.86	12.68
viii.	अन्य खनन अवसंरचना	311.73	144.84
ix.	सॉफ्टवेयर	11.34	11.29
	कुल	**1892.58**	**987.94**

नोट- उपरोक्त के अलावा, कंपनी ने पूंजीगत व्यय के लिए ₹ 550.61 करोड़ निबल अग्रिम का भुगतान किया है (विगत वर्ष ₹ 875.36 करोड़)। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पूंजीगत अग्रिम सहित कुल पूंजीगत व्यय ₹ 2443.19 करोड़ है (विगत वर्ष ₹ 1863.30 करोड़)।

4. राजकोष में अंशदान

वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य/केन्द्रीय राजकोष में अंशदान का विवरण नीचे है:

क्रं.	विवरण	2022-23	2021-22
i.	कोयले पर रॉयल्टी	2102.58	1657.38
ii.	एनएमईटी (केन्द्रीय निधि)	45.31	35.43
iii.	डीएमएफ (राज्य निधि)	625.03	493.79
iv.	बिक्री कर/वैट	-	1.17
v.	आयकर	761.27	362.18
vi.	लाभांश कर	-	-
vii.	सेवा कर	0.14	-
viii.	कोयले पर सेन्ट्रल एक्साइज		-
ix.	माल और सेवा कर		
	आईजीएसटी	0.02	0.02
	सीजीएसटी	316.13	266.02
	एसजीएसटी	316.13	266.02
	जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर	3011.06	2925.79

x.	ट्रांजिट शुल्क	414.14	460.60
xi.	कोविड सेस	71.66	67.65
xii.	अन्य	24.73	31.49
	सकल	**7688.20**	**6567.54**

5. पूंजीगत संरचना

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कम्पनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी तथा चुकता शेयर पूंजी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है जोकि क्रमशः ₹1100.00 करोड़ एवं ₹ 940.00 करोड़ है। 31 मार्च, 2023 को कम्पनी की निबल मालियत ₹ 10317.49 करोड़ (स्टैंडअलोन) है जो कि 31 मार्च, 2022 को ₹ 8411.98 करोड़ (स्टैंडअलोन) थी।

6. वाशरी का प्रदर्शन:

कच्चे कोयले के उत्पादन और विपणन के अलावा सीसीएल कोकिंग कोयले और गैर-कोकिंग कोयले की धुलाई/परिष्करण के व्यवसाय में भी है। कंपनी में चार कोकिंग कोल वाशरी तथा गैर-कोकिंग कोयले की धुलाई/परिष्करण के लिए एक वाशरी उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सीसीएल वशरियों का समग्र लाभ में योगदान ₹ 534 करोड़ का रहा ।

वित्त वर्ष 2022-23 में कोकिंग कोल वाशरियों का परिचालन प्रदर्शन:

1. कोकिंग कोल वाशरियों में कच्चे कोयले की फीड 16.58 लाख टन है जो वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में 37% अधिक है।
2. कोकिंग कोल वाशरियों से धुले कोयले का उत्पादन 7.22 लाख टन रहा जो वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में 80% अधिक है।
3. वित्त वर्ष 2021-22 में कोकिंग कोल वाशरियों द्वारा 33% के सापेक्ष में धुले कोकिंग कोल का उत्पादन वित्त वर्ष 2022-23 में 43.5% है।
4. कोकिंग कोल वाशरियों से धुले कोकिंग कोल का प्रेषण 7.1 लाख टन है जो वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में 34% अधिक है।

नवीन कोकिंग कोल वाशरियों की स्थापना संबंधी उपलब्धियां:

भारत सरकार के 'मिशन कोकिंग कोल' में योगदान के प्रयोजन से, सीसीएल ने बी-ओ-ओ संकल्पना पर पांच नवीन कोकिंग कोल वाशरियों की स्थापना हेतु वर्ष 2022-23 में निविदाएं निर्गत की हैं। इनमें न्यू रजरप्पा (3 मि.टन/वर्ष), ढ़ोरी (3 मि.टन/वर्ष), न्यू स्वांग (1.5 मि.टन/वर्ष), बसंतपुर तापीन (4 मि.टन/वर्ष) और न्यू कथारा (3 मि.टन/वर्ष) शामिल हैं। इनमें से न्यू रजरप्पा और ढ़ोरी की निविदा को अंतिम रूप दिया जा चुका है तथा उसके संदर्भ में सूचना-पत्र दिया जा चुका है।

7. प्रेषण

वर्ष 2022-23 में कच्चे कोयले का सकल प्रेषण 75.02 मि.टन रहा। विगत वर्ष की तुलना में माध्यमवार प्रेषण निम्नानुसार है :

(आंकड़े मि. ट. में)

साधन	2022-23	2021-22	विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि
रेल	43.92	48.92	-10.22%
सड़क	25.74	17.38	48.16%
वाशरी को फीड	5.36	5.51	-2.72%
कुल प्रेषण	**75.02**	**71.81**	**4.48%**

वर्ष 2022-23 के दौरान कुल प्रेषण 75.49 मिलियन टन रहा। वर्ष 2022-23 में कोयले एवं इसके विभिन्न उत्पादों का क्षेत्रवार प्रेषण निम्नलिखित है:

(आंकड़े मि. ट. में)

क्षेत्र	कच्चा कोयला	स्वच्छ कोयला	धुला कोयला शक्ति	नन- कोकिंग धुला कोयला	स्लरी	रेजेक्ट्स	कुल
ऊर्जा	60.89	0.00	0.07	3.60	0.00	0.01	**64.56**
स्टील	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.70**
स्टील (स्टील सीपीपी सहित)	0.32	0.00	0.73	0.01	0.00	0.00	**1.06**
उर्वरक	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.11**
अन्य*	8.34	0.01	0.00	0.08	0.49	0.14	**9.06**
कुल	**69.66**	**0.71**	**0.80**	**3.69**	**0.49**	**0.15**	**75.49**

* अन्य के अंतर्गत स्पॉट ई-ऑक्शन, संपज लोहा, सी.पी.पी. एवं राज्य ऐजेंसियाँ तथा सीपीएसयू इत्यादि ।

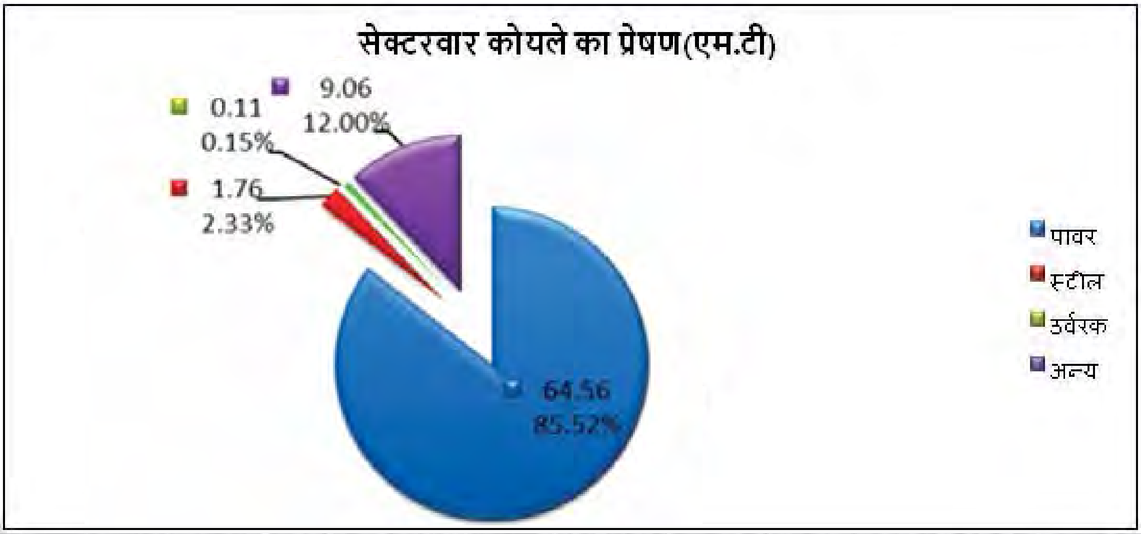

8. कोयला भंडार

दिनांक 31.03.2022 को 7.521 मिलियन टन कोयला*-भंडार की तुलना में 31 मार्च 2023 को अपरिष्कृत कोयले का भंडार 8.585 मिलियन टन था ।

(*सभी उत्पादक ईकाइयों, कोयला वाशरियों एवं कोक संयंत्रों में अपरिष्कृत कोयला-भंडार सहित)

9. सकल विक्रय तथा विक्रय-प्राप्ति

वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी का सकल विक्रय ₹ 23,930.83 करोड़ तथा विक्रय-प्राप्ति ₹ 25,309.09 करोड़ रही (सभी ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम राशि सहित)। 31 मार्च 2023 तक कर्जदारों (सकल) की क्षेत्रवार सारणी निम्नवत है:

(आंकड़े करोड़ ₹ में)

क्षेत्र	31.03.2023 को	31.03.2022 को
ऊर्जा	2,865.97	2,116.31
स्टील	652.78	813.25
अन्य	40.33	40.33
कुल	**3559.08**	**2,969.89**

10. एचइएमएम की संख्या एवं उपलब्धियां :

सीसीएल की मशीनीकृत खुली खदानों में 31.03.2022 की तुलना में 31.03.2023 को एचईएमएम की संख्या निमन्वत है:

एचईएमएम	निम्न तिथि पर संख्या					
	31.03.2023			31.03.2022		
	जिनका सर्वे-ऑफ नहीं किया गया	अस्थायी रुप से सर्वे-ऑफ	कुल	जिनका सर्वे-ऑफ नहीं किया गया	अस्थायी रुप से सर्वे-ऑफ	कुल
शॉवेल	65	34	99	72	34	106
डंपर	231	106	337	s292	88	380
डॉज़र	176	02	178	180	04	184
ड्रिल	95	13	108	104	14	118
सकल	**567**	**155**	**722**	**648**	**140**	**788**

नोट : पिछले वर्षों के दौरान एचईएमएम संबंधित संख्याबल अस्थायी रुप से सर्वे-ऑफ मशीनों को छोड़कर दी गयी थी। अब, इस वर्ष से वैसी एचईएमएम मशीनों की संख्या दी गयी है जिनका सर्वे-ऑफ नहीं किया गया है। साथ ही, अस्थाई रुप से सर्वे-ऑफ की गयी मशीनों की संख्या के साथ विगत वर्ष के समानुरुप एचईएमएम संबंधित संख्याबल दिया गया है।

एचईएमएम	उपलब्धता %			उपयोग %		
	मानदंड	वास्तविक		मानदंड	वास्तविक	
		22-23	21-22		22-23	21-22
शॉवेल	80	83.3	80.2	58	50.2	45.0
डंपर	67	80.6	78.0	50	41.1	41.4
डॉज़र	70	81.3	79.8	45	15.0	14.9
ड्रिल	78	90.1	88.7	40	21.2	20.8

11. प्रणाली क्षमता का उपयोग :

वर्ष 2022-23 के लिए 01-04-22 को आंकलित कुल प्रणाली क्षमता (एमएम 3)	खुली खदानों द्वारा उत्पादन (2022-23)			क्षमता उपयोग %	
	कोयला (मि. टन)	ओबी हटाना (एमएम 3)	सम्मिलित (एमएम 3)	2022-23	2021-22
189.69	75.225	106.581	154.495	81.4	71.9

12. कोयला विपणन

12.1 एएपी के अनुसार मांग की आपूर्ति

(आंकड़े मि. ट. में)

क्षेत्र	मांग (एएपी) 2022-23	प्रेषण 2022-23	% संतुष्टि 2022-23	मांग (एएपी) 2021-22	प्रेषण 2021-22	% संतुष्टि 2021-22	विगत वर्ष से वृद्धि %
स्टील (स्टील सीपीपी सहित)	1.50	1.77	118.00%	1.50	1.48	98.47%	19.84%
ऊर्जा	77.08	64.56	83.75%	62.00	59.17	95.44%	9.10%
उर्वरक	0.21	0.11	52.86%	0.15	0.12	76.67%	-3.48%
अन्य	16.35	9.05	55.38%	16.35	11.28	68.99%	-19.73%
कुल	**84.29**	**75.49**	**89.56%**	**80.00**	**72.04**	**90.05%**	**4.79%**

12.2 वैगन लोडिंग

वर्ष 2022-23 एवं 2021-22 में कोलफील्डवार वैगन लोडिंग की वस्तुस्थिति निम्न सारणी में दी गयी है:

(रेक/दिन)

रेलवे फील्ड्स	2022-23	2021-22	विगत वर्ष पर वृद्धि %
दक्षिणी कर्णपुरा	5.74	4.77	20%
उत्तरी कर्णपुरा	26.04	27.36	-5%
उप-योग कर्णपुरा	31.78	32.13	-1%
झरिया	6.71	8.1	-17%
पू.म.रेलवे कुल	38.49	40.23	-4%
गिरिडीह	0.06	0.07	-18%
पू.रेलवे कुल	0.06	0.07	-18%
रांची	0.67	0.88	-24%
द.पू. रेलवे	0.67	0.88	-24%
सीसीएल कुल	**39.22**	**41.18**	**-5%**

12.3 कोयले की ई-नीलामी

वि.व. 2022-23 के दौरान स्पॉट ई-नीलामी का प्रदर्शन निम्नानुसार हैः

अवधि	स्पॉट ई-नीलामी योजना	पेश मात्रा (मिलियन टन)	दर्ज मात्रा (मिलियन टन)	अधिसूचित कीमत पर % लाभ
2022-23	रेल	0	0	लागू नहीं
	सड़क	4.72	4.72	191%
	स्लरी	0.49	0.49	93.16%
	रिजेक्ट्स	0.34	0.34	249.98%
	कुल	**5.55**	**5.55**	**182.39%**

13. परियोजना कार्यान्वयन की स्थिति

31.03.2023 तक, सीसीएल में 227.86 मिलियन टन की स्वीकृत क्षमता के साथ 25 ऑनगोइंग और 21 पूरी हो चुकीं चालू खनन परियोजनाएं हैं। सीसीएल की ऑनगोइंग परियोजनाओं की स्वीकृत पूंजी और स्वीकृत क्षमता क्रमशः ₹ 27425.84 करोड़ और 199.42 मिलियन टन है। सीसीएल की पूरी हो चुकी परियोजनाओं को चलाने के लिए स्वीकृत पूंजी और स्वीकृत क्षमता क्रमशः ₹ 1620.35 करोड़ और 28.44 मिलियन टन है।

सीसीएल की पूरी हो चुकीं कुल 21 चालू खनन परियोजनाओं का विवरण

परियोजनाओं	संख्या	स्वीकृत पूंजी (करोड़ ₹)	स्वीकृत क्षमता (मि.टन/वर्ष)
₹ 150 करोड़ से ऊपर	4	954.66	11.75
₹150 करोड़ से ₹50 करोड़ के बीच	5	460.37	9.15
₹50 करोड़ से ₹20 करोड़ के बीच	2	56.52	1.45
₹20 करोड़ ₹ से ₹2 करोड़ के बीच	10	148.794	6.09
कुल	**21**	**1620.35**	**28.44**

सीसीएल की चल रही (ऑनगोइंग) 25 खनन परियोजनाओं का विवरण

परियोजनाओं	संख्या	स्वीकृत पूंजी (करोड़ ₹)	स्वीकृत क्षमता (मि.टन/वर्ष)
₹ 150 करोड़ से ऊपर	20	27287.52	196.21
₹150 करोड़ से ₹50 करोड़ के बीच	शून्य	शून्य	शून्य
₹50 करोड़ से ₹20 करोड़ के बीच	2	95.31	1.8
₹20 करोड़ ₹ से ₹2 करोड़ के बीच	3	43.01	1.41
कुल	**25**	**27425.84**	**199.42**

चल रही (ऑनगोइंग) 25 परियोजनाओं में से, हुरिलोंग भूमिगत खदान परि. को क्रमशः वानिकी स्वीकृति और पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान न किए जाने के कारण प्रारंभ नहीं किया जा सका। शेष 24 परियोजनाओं में से 17 परियोजनाएं अपने नियत समय पर चल रहीं हैं और अन्य 7 परियोजनाओं में उन समस्याओं के कारण विलंब हो रहा है जिन्हें मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

(क) भूमि का प्रमाणीकरण
(ख) वानिकी स्वीकृति
(ग) पर्यावरणीय स्वीकृति
(घ) कोयला निकासी समस्या
(ङ) पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के मुद्दे
(च) सुरक्षा कारण

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान अनुमोदित परियोजनाएं:

क्रम सं.	परियोजनाएं	स्वीकृत क्षमता (मि.टन/वर्ष)	स्वीकृत पूंजी (करोड.₹)	अनुमोदन की तिथि
01	स्वांग -पिपराडीह खुली खदान परि.	2	363.32	515वीं सीसीएल बोर्ड बैठक 14.05.22
02	तोपा खुली खदान परि.	5.25	सीआईएल ईएससी और सीआईएल बोर्ड के अनुमोदन के लिए के लिए कुल संस्वीकृत पूंजी ₹ 1003.30करोड़।	04.07.2022को आयोजित सीसीएल बोर्ड की 516वीं बैठक में
03	अरगडा खुली खदान परि.	4	सीआईएल ईएससी और सीआईएल बोर्ड के अनुमोदन के लिए के लिए कुल संस्वीकृत पूंजी ₹ 656.28 करोड़।	3.11.2022 को आयोजित 522वीं सीसीएल बोर्ड बैठक में

वित्त वर्ष 2022-23 में पूर्ण/प्रारंभ परियोजनाएं :

क्रम सं.	परियोजनाओं	स्वीकृत क्षमता (मि.टन/वर्ष)	स्वीकृत पूंजी (करोड़ ₹)	पूरा होने की तिथि
शून्य				

वित्त वर्ष 2022-23 में परियोजनाओं ने उत्पादन प्रारंभ

क्रम सं.	परियोजना	स्वीकृत क्षमता (मि.टन/वर्ष)	स्वीकृत पूंजी (करोड़ ₹)	उत्पादन प्रारंभ
01	सयाल डी खुली खदान परि.	1	48.35	वित्त वर्ष 23-22 में उत्पादन प्रारंभ हुआ

वित्त वर्ष 2022-23 में हमारी कंपनी का उत्पादन स्तर इस प्रकार है:

समूह	2022-23 मिलियन टन
मौजूदा खदानें और पूर्ण परियोजनाएं	13.55
चल रही (ऑन गोइंग) परियोजनाएं	62.54
कुल	**76.09**

14. रेलवे अवसंरचना

क. टोरी-शिवपुर रेल लाइन सेक्शन का ट्रिपलिंग कार्य –

₹2692 करोड़ की लागत से दोहरी रेल लाइन चालू होने के बाद, ₹ 894 करोड़ की अतिरिक्त लागत पर पू.म. रेलवे द्वारा तीसरी रेल लाइन का काम करवाया जा रहा है। तीसरी रेल लाइन का काम प्रगति पर है। लगभग 65% काम पूरा हो चुका है और दिसंबर 2023 तक पूरी रेल लाइन चालू होने की उम्मीद है।

इस रेल लाइन में सीसीएल द्वारा निवेशित पूंजीनिवेश की प्रतिपूर्ति के लिए रेलवे द्वारा वर्धित माइलेज @ 70% का अनुमोदन दिया गया है। जल्द ही पहली किस्त मिलने की उम्मीद है।

ख. शिवपुर-कठोटिया नई बीजी सिंगल रेल लाइन -

(अनुमानित लागत- ₹1799.64 करोड़)

शिवपुर-कठोटिया नई बीजी रेल लाइन का कार्य मेसर्स इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा सीसीएल, इरकॉन तथा झारखंड सरकार की संयुक्त उद्यम कंपनी "झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल)" के माध्यम से करवाया जा रहा है। इक्विटी/ऋण अनुपात - 30:70

इस रेल लाइन परियोजना के निर्माण के लिए जेसीआरएल द्वारा ऋण के रुप में ₹1259.75 करोड़ की राशि प्राप्त की जानी है।

जेसीआरएल द्वारा वित्तीय पूर्णता प्राप्त की जा चुकी है। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के नेतृत्व में 4 बैंकों के कन्सोर्टियम द्वारा जेसीआरएल को बैंक ऋण दिया जा रहा है। बैंक ऋण का प्रथम संवितरण किया जा चुका है।

कार्य प्रगति पर है और पूरा होने की समय सीमा मई 2025 है। भौतिक प्रगति लगभग 20% है।

ग. उत्तरी उरीमारी रेलवे साइडिंग का निर्माण-

मेसर्स राइट्स लिमिटेड द्वारा लगभग 10 किमी लंबाई रेल लाइन की निर्माण प्रगति पर है। व्हार्फ वॉल लोकेशन तक रेलवे लाइन के पूरा होने और व्हार्फ वॉल साइडिंग को चालू करने के लिए लोको ट्रायल रन किया गया है। दिसंबर 2023 तक पूरी रेल लाइन चालू होने की संभावना है।

घ. मगध रेलवे साइडिंग का निर्माण (प्रथम चरण)-

मेसर्स राइट्स लिमिटेड को ₹391.01 करोड़ का कार्य-आदेश दिया गया था। मेसर्स राइट्स लिमिटेड द्वारा रेलवे भूमि तथा अन्य अधिग्रहीत भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा है।

ङ. आम्रपाली रेलवे साइडिंग (फेज I) का निर्माण-

मेसर्स राइट्स लिमिटेड को ₹413.48 करोड़ का कार्य-आदेश दिया गया था। रेलवे भूमि के हिस्से में निर्माण कार्य प्रगति पर है।

च. निम्नलिखित रेल लाइनों के निर्माण के लिए पीएमसी कार्य दिया गया-

1. अशोक रेलवे साइडिंग
2. संघमित्रा रेलवे साइडिंग
3. मगध रेलवे साइडिंग (द्वितीय चरण)
4. आम्रपाली रेलवे साइडिंग (द्वितीय चरण) चंद्रगुप्त खुली खदान परि. से जोड़ने हेतु
5. आरएलएस प्रावधान के लिए केडीएच रेलवे साइडिंग पर नई लाइनों का निर्माण/मौजूदा रेल लाइनों में बदलाव
6. आरएलएस प्रावधान के लिए कारो रेलवे साइडिंग पर नई लाइनों का निर्माण/मौजूदा रेल लाइनों में बदलाव

छ. निम्नलिखित हेतु पू.म. रेलवे से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) का अनुमोदन -

i) कोतरे-बसंतपुर-पचमो (केबीपी) कोयला ब्लॉक (5 मि.टन/वर्ष) के लिए दानिया रेलवे स्टेशन से केदला वाशरी तक रेल बुनियादी ढांचे का निर्माण

ii) आरएलएस प्रावधान के लिए कोनार रेलवे साइडिंग पर नई लाइनों का निर्माण/मौजूदा रेल लाइनों में बदलाव।

15. कोयले का चूर्णण :

कोयला मंत्रालय के निदेशानुसार उपभोक्ताओं को सिर्फ -100 मि.मी. चूर्ण कोयला प्रेषित किया जाना चाहिए। खनित कोयले को वांछित आकार में चूर्ण करने के लिए सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में 27 क्रशर स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, कोयले के आकार को -100 मि.मी. में चूर्ण करने हेतु विभिन्न क्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकतानुसार मोबाइल क्रशर किराए पर लिए जाते हैं । साथ ही सीसीएल में कंवेयर बेल्ट के माध्यम से खदान से रेल वैगन तक -100 मि.मी. के कोयले के परिवहन हेतु विभिन्न कोल हैंडलिंग संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है। यह प्रणाली पर्यावरण के लिए अनुकूल है जो ट्रकों/टिप्परों के माध्यम से कोयले के परिवहन की आवश्यकता को दूर करेगा ।

निम्नलिखित कोल हैंडलिंग संयंत्र निर्माणाधीन हैं:

i) उत्तरी उरीमारी कोल हैंडलिंग संयंत्र (7.5 मि.टन/वर्ष) को एलओए/कार्य आदेश संख्या महाप्रबंधक (ई&एम)/ सीएचपी/20/2815-25 दिनांक 31.12.2020 द्वारा मेसर्स लार्सन & टुब्रो लिमिटेड को ₹291,61,68,000.00 मात्र (वृद्धि तथा जीएसटी सहित) की संविदा राशि निर्गत की गयी। संयंत्र दिसंबर, 2023 तक चालू हो जाएगा।

ii) कोनार कोल हैंडलिंग संयंत्र (5 मि.टन/वर्ष) को एलओए/कार्य आदेश संख्या महाप्रबंधक (ई&एम)/ सीएचपी(कोनार)/22/658 दिनांक 17.03.2022 द्वारा मेसर्स हैमटेक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को ₹250,15,52,800.00 मात्र (जीएसटी सहित) की संविदा राशि निर्गत की गयी ।

iii) केडीएच–पुरनाडीह कोल हैंडलिंग संयंत्र (7.5 मि. टन /वर्ष) को एलओए/कार्य आदेश संख्या महाप्रबंधक (ई&एम)/ सीएचपी कार्य- आदेश /23/1402-15 (एच) दिनांक 31.03.2023 द्वारा मेसर्स मधुकॉन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को ₹ 442,73,06,429.00 मात्र (जीएसटी सहित) की संविदा राशि निर्गत की गयी ।

सीसीएल के तहत निम्नलिखित कोल हैंडलिंग संयंत्रों का अनुमोदन/ निविदा प्रक्रियाधीन है तथा निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में कार्य-आदेश जारी होने की संभावना है:

क. कारो सीएचपी (7 मि.टन/वर्ष)
ख. आम्रपाली सीएचपी (25 मि.टन/वर्ष)
ग. मगध सीएचपी (51 मि.टन/वर्ष)
घ. अशोक पिपरवार सीएचपी (20 मि.टन/वर्ष)
ङ. चन्द्रगुप्त सीएचपी (15 मि.टन/वर्ष)
च. संघमित्रा सीएचपी (20 मि.टन/वर्ष)
छ. रोहिणी- करकट्टा सीएचपी (10 मि.टन/वर्ष)
ज. कोटरे- बसंतपुर पंचमों सीएचपी (5 मि.टन/वर्ष)
झ. कल्याणी सीएचपी (2 मि.टन/वर्ष)

16. सीसीएल की सौर परियोजनाएं :

मार्च'22 तक रुफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता (मेगा वाट पीक में) = 1.25 मेगा वॉट पीक

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सौर ऊर्जा उत्पादन विवरण:

क्र.	विवरण	
1.	स्थापित रुफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र	शून्य
2.	अवार्ड भूमि पर स्थापित सौर ऊर्जा परियोजना	20 मेगा वॉट (₹ 142 करोड़)
3.	कुल सौर ऊर्जा संयंत्र जिनकी व्यवहार्यता रिपोर्ट अनुमोदित की गयी	19.77 मेगा वॉट
4.	रुफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र से उत्पन्न सौर ऊर्जा (कि.वॉट घंटे में)	8,20,000 किलो वॉट घंटा

ऊर्जा-उपभोग में गिरावट :

क. सीसीएल के क्षेत्रों को डीवीसी तथा जेबीवीएनएल के विभिन्न आपूर्ति के श्रोतों से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। वर्ष 2021-22 के दौरान सीसीएल का विद्युत उपभोग 669.60 मिलियन किलोवाट प्रति घंटे था जबकि 2022-23 के दौरान डीवीसी के मद में विद्युत की खपत 638.95 एमयू तथा जेबीवीएनएल के मद में 25.04 एमयू कुल 663.99 मिलियन किलोवाट प्रति घंटे थी। अतः वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में 2022-23 में ऊर्जा-उपभोग में 1.44% की गिरावट आई है।

ख. वर्ष 2022-23 के दौरान सीसीएल को ₹3.07 करोड़ का लोड फ़ैक्टर रियायत तथा त्वरित भुगतान हेतु ₹6.51 करोड़ की छूट मिली है, कुल ₹9.58 करोड़।

ग. सीसीएल के लगभग समस्त क्षेत्रों में पावर फैक्टर को 0.90 से ऊपर बरकरार रखा जा रहा है। अधिक कैपेसिटर बैंक स्थापित कर इसे बेहतर बनाया जा रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 में कुल 6500 किलो वोल्ट एम्पीयर रिएक्टिव कैपेसिटर बैंक स्थापित किए गए।

घ. वित्त वर्ष 2022-23 में विभिन्न रेटिंग की 16301 एलईडी बल्ब, 5863 सुपर पंखों, 539 ऊर्जादक्ष एसी, 226 ऑटो टाइमर, 60 ऊर्जादक्ष वॉटर हीटर, 7360 केवीएआर के 20 कैपेसिटर बैंक के क्रय हेतु आदेश दिया गया। साथ ही सीसीएल, मुख्यालय हेतु 16 तथा पिपरवार क्षेत्र हेतु 06 इलेक्ट्रिक वाहन किराए पर लेने का आदेश दिया गया, जिसमें से सभी 22 इलेक्ट्रिक वाहन चल रहे हैं।

ङ. वित्त वर्ष 2022-23 में 8*300 वाट एलईडी फिटिंग्स युक्त 190 लाइटिंग टावरों का क्रय कर सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में लगाया गया।

17. उपभोक्ता संतुष्टि

कोयला उपभोक्ता के संतुष्टि को ध्यान में रखकर उपभोक्ताओं को उत्तम गुणवत्ता तथा चूर्ण कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु प्रभावकारी कदम उठाए गए हैं। इस संबंध में व्यवहृत उपाय निम्नवत हैं :

- सीसीएल में क्षेत्रीय एवं मुख्यालय स्तर पर पूर्ण-प्रशिक्षित प्राप्त अधिकारी व कर्मचारी युक्त गुणवत्ता प्रबंधन विभाग अवस्थित है।
- पूरे सीसीएल में प्रेषित कोयले की सैंपलिंग तथा कोयले के विश्लेषण हेतु पूर्ण सज्जित कुल 11 प्रयोगशालाएं उपलब्ध हैं।
- उपभोक्ता संतुष्टि को बढ़ाने तथा पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सीएसआईआर-सिम्फर, भारतीय गुणवत्ता परिषद तथा मेसर्स एसजीएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को लदान छोर पर प्रेषित कोयले का नमूना चयन एवं विश्लेषण हेतु तृतीय पक्ष एजेंसी (टीएसपीएसए) के रुप में सूचीबद्ध किया गया है।
- उपरोक्त टीपीएसए के अलावा, एक नई एजेंसी, मेसर्स मित्रा एसके प्रा लिमिटेड को पावर फ़ाइनेंस कार्पोरेशन द्वारा सूचीबद्ध किया गया है तथा इन एजेंसियों ने 2022-23 में सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है।
- कोयला गुणवत्ता प्रबंधन पर वेबिनार तथा उत्पादन एवं प्रेषण में लगे श्रमिकों के लिए कार्यशालाएं और प्रशिक्षण जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- इस वर्ष के दौरान तृतीय पक्ष द्वारा कुल 47.68 एमएमटी कोयले का नमूना चयन तथा विश्लेषण किया गया। विगत वर्ष की तुलना में 2022-23 में कोयला ग्रेड के भौतिकीकरण में निरंतर सुधार हो रहा है।
- उपभोक्ताओं के शिकायत हेतु एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली बनाई गयी है। जिसमें उपभोक्ताओं के शिकायतों की जांच की जाती है तथा इनके निवारण हेतु प्रभावी ढंग से कार्रवाई की जाती है।

- उपभोक्ताओं को (-)100 मि.मि. आकार के कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) अपनाई गयी है जो सीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी के लिए सीसीएल की रेलवे साइडिंगों पर फीडबैक रजिस्टर, शिकायत रजिस्टर का रखा गया है।
- कोयले के लदान के समय उपभोक्ताओं को भी उपस्थित रहने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।
- गुणवत्ता हमारे व्यवसाय का एक प्रमुख भाग है तथा उपभोक्ताओं तक वांछित गुणवत्ता एवं आकार का कोयला पहुंचाने के लिए कोयला गुणवत्ता निगरानी कार्य, उत्पादन, प्रेषण आदि में नियोजित कार्मिकों को संवेदनशील बनाया जाता है।
- प्रेषित कोयले के गुणवत्ता प्रबंधन हेतु एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का प्रभावी कार्यान्वयन किया जा रहा है। जिसे सीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है।

18. कोल कंडीशनिंग और मॉनिटरिंग सेल (सीसीएमसी) की उपलब्धियां

1. वित्त वर्ष 2022-23 में सीएमपीडीआई के सहयोग से सीसीएल की 30 खुली खदानों में विशिष्ट डीजल खपत की बेंचमर्किंग की गयी एवं ईंधन संरक्षण के लागू करने हेतु उनकी अनुशंसा समस्त संबंधित क्षेत्रों में परिचालित किए गए।
2. वित्तीय वर्ष 2022-23 में दर्ज की गयी एसडीसी 1.25 लीटर प्रति क्यूबिक मीटर है, अतः सीएमपीडीआईएल निर्धारित मानदंड 1.33 ली./घन मी. की तुलना में 6.01% सुधार है।
3. वित्त वर्ष 2022-23 में बिजली की कुल खपत 663.99 एमकेडब्लूएच रही, जबकि वित्तीय वर्ष 2021-22 में यह 669.59 एमकेडब्लूएच थी, यह दर्शाता है कि वित्त वर्ष 2021-22 कि तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 में 0.84% सुधार हुआ है।
4. विभिन्न प्रकार के प्रयुक्त तेलों के विश्लेषण हेतु उत्तरी तापिन, कथारा तथा डकरा जैसे तीन आरआर शॉप में तीन टीएएन (टोटल एसिड नंबर), टीबीएन (टोटल बेस नंबर) तथा नमी की मात्रा निर्धारित करने वाले यंत्र कमीशन किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, रोटेटिंग असेंबली/सब-असेंबली में तापमान के बदलाव का पता लगाने हेतु सीआरएस, बरकाकाना में एक थर्मल इमेजर लगाया गया है।
5. वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु वार्षिक ऊर्जा लेखा प्रतिवेदन संकलित कर सभी संबंधित सदस्यों के मध्य इसमें और सुधार के लिए परिचालित किया गया।
6. पीईएसओ के निर्देशानुसार 11 परियोजनाओं में तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा एचएसडी के तेजी से और डिजिटल रुप से नियंत्रित फिलिंग के लिए डीजल बाउजर के लिए टॉप लोडिंग सुविधा का निर्माण/कमीशन किया गया है।
7. वित्त वर्ष 2022-23 हेतु ऊर्जा बचत में सुधार के उपायों के लिए सीएमपीडीआईएल के समन्वय से उन 5 खानों का इलेक्ट्रिकल ऑडिट और बेंचमार्किंग किया गया जहां ऊर्जा की खपत अधिक थी। इसके अतिरिक्त, खदान के स्टार रेटिंग उद्देश्य के लिए सीएमपीडीआईएल के समन्वय से उत्तरी उरीमारी (बिरसा) परियोजना का भी इलेक्ट्रिकल ऑडिट और बेंचमार्किंग किया गया।
8. ओएमसी द्वारा सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण के उपायों तथा ज्ञान को बढ़ाने के लिए जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
9. आईओसीएल के समन्वय से सीसीएल के उत्तरी कर्णपुरा, पिपरवार और राजहरा क्षेत्र में पुराने मैकेनिकल डीजल डिस्पेंसिंग यूनिट (डीडीयू) को हटाकर इलेक्ट्रॉनिक डीडीयू लगाया गया। शेष व्यवहार्य इकाइयों का प्रतिस्थापन प्रगति पर है तथा वित्तीय वर्ष 23-24 में पूरा होने की संभावना है।

19. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार

प्रौद्योगिकीय विकास एवं प्रगति का भविष्य संभवतः इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार क्षेत्र की प्रगति पर निर्भर रहेगी। वर्तमान इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार समाज के दो मजबूत आधार स्तंभ हैं तथा निकट भविष्य में भी यह प्रवृत्ति बनी रहेगी। हमारे खानि संगठन में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार वृहत्तर संवाद स्थापित करना संभव बनाते हैं, चाहे वह फोन हो या इंटरनेट, वायु-तरंग हो या अथवा केबल द्वारा अथवा तार से या बेतार संचार स्थापित करना हो। सीसीएल के ई&टी विभाग द्वारा ऐसी अवसंरचना विकसित की गयी है जिससे दृश्य एवं श्रव्य डेटा का अंतरण सीसीएल कमान क्षेत्र में या बाहर कहीं भी किया सकता है।

सीसीएल के ई&टी विभाग द्वारा कई क्रांतिकारी परियोजनाएं शुरू की गई हैं जो दैनिक संचार की सुविधा उपलब्ध करती हैं, डेटा अंतरण को सक्षम करती हैं, हमारे दूर-सुदूर फैले क्षेत्रों को करीब लाती हैं तथा कोयला प्रेषण एवं परिवहन पारदर्शी बनाती हैं। ई&टी विभाग द्वारा की प्रमुख उपलब्धियां एवं अनुकरणीय कार्य निम्नानुसार हैं:

1. एमपीएलएस-वीपीएन तकनीक द्वारा वाइड एरिया नेटवर्क (डबल्यूएएन)

वर्तमान में, सीसीएल का परिचालन रांची स्थित मुख्यालय की साथ 13 क्षेत्रों और केंद्रीयकृत इकाइयों यथा गांधीनगर अस्पताल-रांची, केंद्रीय अस्पताल-रामगढ़, खान बचाव केंद्र-रामगढ़, बरकाकाना स्थित केन्द्रीय भंडार तथा केन्द्रीय कर्मशाला में किया जा रहा है। प्रत्येक क्षेत्र में क्षेत्रीय भंडार, परियोजना कार्यालय, खनन इकाइयां, वेब्रिज, मैगजीन्स, डीजल वितरण इकाइयां, औषधालय आदि अवस्थित हैं। इन सभी स्थानों में दो अलग सेवा प्रदाताओं के माध्यम से 2 डबल्यूएएन (वैन) द्वारा रिडनडेंसी के साथ दोहरी कनेक्टिविटी प्रदान की गई है:

i. **रेलटेल वैन (ईआरपी के लिए प्राथमिक वैन (डबल्यूएएन) नेटवर्क):** मेसर्स रेलटेल द्वारा उच्च-गति एमपीएलएस-वीपीएन बैंडविड्थ कनेक्टिविटी (2 स्थानों पर 500 एमबीपीएस लिंक, 1 स्थान पर 100 एमबीपीएस लिंक, 18 स्थानों पर 40 एमबीपीएस लिंक, 50 स्थानों पर 10 एमबीपीएस लिंक, 40 स्थानों पर 4 एमबीपीएस लिंक और 336 स्थानों के लिए 2 एमबीपीएस लिंक) उपलब्ध कराई गयी है। कुल 447 स्थलों में से 381 स्थल मेसर्स रेलटेल को सुपुर्द किए गए थे, जिनमें से सभी को चालू कर दिया गया है। यह स्तरोन्नत नेटवर्क मेसर्स टीसीआईएल के वैन(WAN) को प्रतिस्थापित करता है तथा साथ ही साथ सीसीएल में ईआरपी कार्यान्वयन के लिए प्राथमिक मुख्य कनेक्टिविटी रुप में कार्यान्वित है।

ii. **बीएसएनएल वैन (डबल्यूएएन) (ईआरपी के लिए अतिरिक्त वैन (डबल्यूएएन) नेटवर्क):** 5 वर्षों के लिए किराये पर लिए गए इस नेटवर्क में मूल रुप से 279 लिंक थे। इसके अलावा, इस वर्ष नेटवर्क में अतिरिक्त 168 लिंक जोड़े गए, जिनका बैंडविड्थ वितरण इस प्रकार है : डीसी और डीआरसी के लिए 2 स्थानों पर 500 एमबीपीएस का लिंक, सीसीएल मुख्यालय में 100 एमबीपीएस लिंक, 18 स्थानों पर 40 एमबीपीएस लिंक जिसमें क्षेत्र जीएम कार्यालय, 4 केंद्रीय अस्पताल, केन्द्रीय भंडार और केन्द्रीय कर्मशाला शामिल हैं। 50 स्थलों जैसे परियोजना अधिकारियों के कार्यालय में 10 एमबीपीएस का लिंक, क्षेत्रीय भंडार, क्षेत्रीय अस्पताल, कर्मशालाओं जैसे 40 स्थानों पर 4 एमबीपीएस लिंक और 336 स्थानों जैसे वेब्रिज, रेलवे साइडिंग, सब-स्टेशन आदि के लिए 2 एमबीपीएस लिंक उपलब्ध कराया गया। कुल 447 स्थलों में से 431 स्थल मेसर्स बीएसएनएल को सौंप दिए गए थे जिनमें से 422 तैयार स्थल चालू कर दिए गए हैं। इस नेटवर्क पर सीसीएल कमान क्षेत्रों में ई-ऑफिस कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। इसके अलावा, सीसीएल मुख्यालय में स्थित वेब्रिज से सेंट्रल सर्वर तक रियल-टाइम डेटा-ट्रांसफर भी इस एमपीएलएस-वीपीएन आधारित नेटवर्क का उपयोग करके पूरा किया जाता है।

2. केंद्रीकृत इंटरनेट लीज्ड लाइन सुविधा

सीसीएल ने इससे पहले सीसीएल मुख्यालय और सभी क्षेत्रों में विभिन्न इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के माध्यम से इंटरनेट लीज्ड लाइनों की अलग-अलग बैंडविड्थ प्रदान की थी। दिनांक 26.02.2022 को का.आ. सं. सीसीएल(मुख्यालय)/ई& टी/डब्ल्यूओ/1Gbps_ILL/2021-22/126 द्वारा मेसर्स बीएसएनएल को सीसीएल मुख्यालय तथा क्षेत्रों में 1 जीबीपीएस असंपीड़ित (1:1) आईएलएल के न्यूनतम 128 सार्वजनिक आई.पी. के साथ केंद्रीकृत इंटरनेट कनेक्टिविटी बीएसएनएल-एमपीएलएस वीपीएन का कार्य-आदेश निर्गत किया गया था। यह परियोजना 01.05.2022 को प्रारंभ की गई थी और संपूर्ण सीसीएल कमान क्षेत्र में इसके द्वारा केंद्रीकृत इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है। इसका उपयोग सीसीएल मुख्यालय में लैन में वितरण के साथ-साथ मेसर्स ऑरेंज बिजनेस सर्विसेज के जीपीएस/जीपीआरएस तथा आरएफआईडी सर्वर के साथ-साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली के लिए किया जा रहा है। सीसीएल मुख्यालय में अलग से 30 एमबीपीएस आईआईएल खरीदा गया है।

3. सीसीएल के सभी क्षेत्रों के लिए लोकल एरिया नेटवर्क

सीसीएल के सभी क्षेत्रों में 5 वर्षों के लिए किराये के आधार पर लोकल एरिया नेटवर्क की स्थापना के लिए 06.11.2021 को मेसर्स रेलटेल को कार्यादेश जारी किया गया था। यह परियोजना मेसर्स टीसीआईएल के लैन के उन्नयन तथा उसके स्थान पर कार्य कर रही है। इसमें संबद्ध उपस्करों सहित 2338 लैन बिंदु समस्त महाप्रबंधक कार्यालय, परियोजन अधिकारी कार्यालय, लेखा कार्यालय, क्षेत्रीय भंडार, केन्द्रीय भंडार, केन्द्रीय कर्मशाला, खान बचाव केंद्र के साथ-साथ सीसीएल के अन्य समस्त महत्वपूर्ण स्थानों को आच्छादित करने का प्रावधान सम्मिलित है।

4. अस्पताल प्रबंधन प्रणाली के लिए बुनियादी नेटवर्किंग

सीसीएल के चार केन्द्रीय अस्पतालों में अस्पताल प्रबंधन प्रणाली के लिए जीईएम पर कस्टम बोली के माध्यम से नेटवर्किंग अवसंरचना उपकरणों की आपूर्ति, संस्थापना और कमीशनिंग के लिए दिनांक 18.11.2021 को कार्य-आदेश जारी किया गया था। सीसीएल के चार केंद्रीय अस्पतालों, अर्थात रांची स्थित गांधीनगर अस्पताल और रामगढ़, ढ़ोरी और उत्तरी कर्णपुरा स्थित केंद्रीय अस्पतालों में नेटवर्किंग बुनियादी ढांचे की स्थापना मई 2022 में पूरी कर ली गयी तथा उक्त 4 अस्पतालों में लैन पूरी तरह से क्रियान्वित है। इस नेटवर्क द्वारा सीसीएल के केंद्रीय अस्पतालों में अस्पताल प्रबंधन प्रणाली (एचएमएस) के कार्यान्वयन को सक्षम किया गया।

5. सीसीएल कमान क्षेत्रों के लिए सीयूजी और बल्क संदेश सेवाएं

सीसीएल कमान क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर 3 वर्षों के लिए क्लोज्ड यूजर ग्रुप (सीयूजी) सुविधा के अंतर्गत मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए कार्य-आदेश 25.01.2022 को जारी किया गया था, जिसमें और सीसीएल के सभी अधिकारियों तथा अनुमोदित सुपरवाइजरी कर्मचारियों के लिए असीमित कॉलिंग सुविधा, न्यूनतम 1 जीबी डेटा प्रति दिन प्रति माह, 500 (स्थानीय + एसटीडी) एसएमएस के साथ कुल 4228 कनेक्शन का प्रावधान सम्मिलित था। इस परियोजना द्वारा सीसीएल कार्मिकों को निशुल्क वॉइस तथा डेटा की सुविधा दी गयी है। इसके अलावा जीईएम से सेवा के रुप में 10 लाख बल्क एसएमएस खरीदे गए, जिनका उपयोग कर्मचारियों/अन्य हितधारकों को एसएमएस के रुप में विभिन्न विभागों से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं के वितरण के लिए किया जाता है।

6. मगध और आम्रपाली की परियोजनाओं के लिए डिजिटल वॉकी टॉकी, ट्रांसीवर और रिपीटर सेट

जीईएम के माध्यम से 3 साल की वारंटी के साथ डिजिटल वॉकी-टॉकी (100), ट्रांसीवर्स (18) और रिपीटर सेट (4) की आपूर्ति के लिए 19.02.2022 को कार्य-आदेश जारी किया गया था। लाइसेंस प्रदान के लिए डब्ल्यूपीसी निर्णय (डीएल) प्राप्त होने के बाद सीसीएल की मेगा परियोजनाओं - मगध और आम्रपाली में सामग्री की डिलीवरी और स्थापना की गई। इनका उपयोग मगध और आम्रपाली में विस्फोटन, सीआईएसएफ के परिचालन कार्य, सुरक्षा, कोयला वाशरी संचालन व अन्य संयंत्र तथा रखरखाव कार्य जैसे कई महत्वपूर्ण कामों के लिए किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि सीसीएल के इतिहास में डिजिटल वीएचएफ प्रणाली तथा डब्ल्यूपीसी द्वारा जारी वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस पहली बार प्राप्त हुआ है।

7. ब्रॉडबैंड से हाई स्पीड एफटीटीएच उन्नयन

सीसीएल मुख्यालय के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण कार्यालयों में सभी विभागाध्यक्षों को प्रदान किए गए ब्रॉडबैंड कनेक्शनों को लैन के अलावा इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए उच्च गति वाले एफटीटीएच कनेक्शन में अपग्रेड किया गया है।

8. वीसी प्रणाली

सीसीएल के सभी क्षेत्रों, केंद्रीय कर्मशाला, बरकाकाना और सीसीएल मुख्यालय, रांची में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली स्थापित तथा परिचालन में हैं। मास्टर कंट्रोल यूनिट (एमसीयू) केंद्रीय स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग सर्वर के साथ सीसीएल मुख्यालय, रांची में स्थापित है। सभी दूरस्थ स्थानों में सार्वजनिक आईपी, यूपीएस और एक डिस्प्ले यूनिट के साथ 1 वीडियो एंडपॉइंट दिया गया है। यह प्रणाली इंटरनेट के साथ-साथ वैन पर भी काम करती है और हमारे पास सीआईएल कोलकाता की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली के एमसीयू और सार्वजनिक आईपी वाले किसी भी वीसी प्रणाली को जोड़ने का प्रावधान है। इसके अलावा वीसी प्रणाली सभी कार्यकारी निदेशकों के कार्यालय, सीवीओ कक्ष, अप्रनि के आवासीय कार्यालय और गांधीनगर अस्पताल में प्रदान किया गया है। सार्वजनिक आईपी प्रावधान के साथ उपर्युक्त वीसी प्रणाली के साथ, ई&टी विभाग ने कोविड प्रतिबंधों के मद्देनजर लिंक सुविधा के साथ ऐप/वेब-आधारित वीसी की भी सुविधा प्रदान की है। इस वीसी प्रणाली में कोयला मंत्रालय, सीआईएल मुख्यालय, क्षेत्र के महाप्रबंधक तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी आदि के साथ वीसी बैठक की सुविधा है जिसके कारण प्रशासनिक और प्रबंधकीय निर्णयों के साथ-साथ डीपीसी में कई साक्षात्कारों के संचालन के साथ-साथ निर्बाध समन्वय स्थापित करने में सहायता प्राप्त हुई। इसके फलस्वरुप अधिकारियों की यात्रा और आवास पर होने वाले सार्वजनिक धन की एक बड़ी राशि को व्यय करने से बचाया जा सका।

9. सीसीएल कमान क्षेत्रों के संवेदनशील बिंदुओं पर सीसीटीवी द्वारा निगरानी

कोयले की चोरी/उठाईगिरी की संभावना से बचाव हेतु कोयला मंत्रालय तथा सीवीओ, सीआईएल के निर्देशानुसार सीसीएल के सभी क्षेत्रों में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली स्थापित की गयी हैं। भंडार-गृह, विस्फोटक मैगजीन, प्रवेश-निकास के बिंदुओं, रेल वेब्रिज, साइडिंग और कोल हीप/डंप और अन्य संवेदनशील स्थानों की निगरानी सीसीटीवी से की जा रही है।

सीसीएल कमान क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर लगभग 1656 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें से 1234 कैमरे एनवीआर/ क्षेत्र नेटवर्क से जुड़े हैं, बाकी एकल रुप में कार्य करते हैं। क्षेत्रीय मुख्यालय, सीसीएल मुख्यालय और सीआईएल मुख्यालय में भी केन्द्रीकृत निगरानी के लिए क्षेत्र से क्षेत्रीय नियंत्रण कक्ष के सभी कैमरों के नेटवर्किंग की व्यवस्था उपलब्ध है। सीआईएल द्वारा चिन्हित सीसीएल की पांच प्रमुख खानों के सीसीटीवी कैमरों का सजीव प्रसारण भी सीआईएल मुख्यालय में उपलब्ध कराया गया है।

10. वेब्रिज का परिचालन तथा रखरखाव

ई & टी विभाग द्वारा एफओआईएस अनुपालन के लिए रेल वेब्रिज की एएमसी, सॉफ्टवेयर स्थापना और रेल वेब्रिज का उन्नयन किया गया है। एफओआईएस अनुपालन के लिए रेल वेब्रिज के उन्नयन और एफओआईएस सर्वरों में डेटा अंतरण के लिए रेल वेब्रिज की कनेक्टिविटी के लिए व्यवस्था की गई थी। सीसीएल के 23 रेल वेब्रिज के लिए एफओआईएस एकीकरण पूरा हो चुका है। वेब्रिज डेटा ट्रांसफर और एसएपी के साथ इसका एकीकरण भी विभाग द्वारा पूरा किया गया है।

11. सीसीएल कमान क्षेत्रों में जीपीएस/जीपीआरएस आधारित वाहन ट्रैकिंग प्रणाली और आरएफआईडी के साथ सीसीटीवी आधारित वजन नियंत्रण तथा निगरानी प्रणाली

सीसीएल द्वारा मेसर्स ऑरेंज बिजनेस सर्विसेस इंडिया टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई के माध्यम से 24X7 निगरानी के लिए एकीकृत प्रणाली स्थापित की गयी है। इस प्रणाली द्वारा 112 रोड वेब्रिजों पर कोयला परिवहन में तैनात ट्रकों, डंपरों तथा निजी टिप्परों के वजन का नियंत्रण सीसीटीवी के साथ आरएफआईडी से किया जाता है। साथ ही, 52 परियोजना कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण तथा 11 क्षेत्रीय कार्यालय में नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गयी है। एक केंद्रीयकृत नियंत्रण कक्ष सीसीएल मुख्यालय, रांची में स्थित है।

चूंकि सभी क्षेत्रों में पर्याप्त इंटरनेट लीज लाइन बैंडविड्थ उपलब्ध है, अतः समस्त सड़क वेब्रिजों की निगरानी 112 सीसीटीवी कैमरों के लाइव सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से सीसीएल मुख्यालय द्वारा की जा रही की है। इस प्रणाली के कार्यान्वयन से ट्रक चालकों द्वारा ड्राइविंग के नियमों के अनुपालन में सुधार हुआ है तथा लापरवाहीपूर्ण वाहन चलाने, निर्धारित गति से अधिक गति एवं ट्रकों के ओवरलोडिंग के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव हुआ है ।

मगध और आम्रपाली परियोजनाओं में वाहन ट्रैकिंग प्रणाली भी लागू की गई है जिसमें वर्तमान में 1300 जीपीएस उपकरण तैनात किए गए हैं। इन क्षेत्रों में, 800 उपकरण लगाए गए हैं। शेष 500 जीपीएस उपकरणों को भंडार में रखा गया है तथा नए परिवहन अनुबंध दिये जाने पर लगाए किए जाएंगे। आम्रपाली और चंद्रगुप्त क्षेत्र में चेक-पोस्ट पर बूम-बैरियर आधारित प्रणाली के साथ आरएफआईडी भी स्थापित किया गया है।

20. सुरक्षा

सीसीएल में, सभी के लिए खान सुरक्षा सर्वोपरि है। अतः, हमारी समस्त गतिविधियों का केंद्र संसाधनों की 'शून्य क्षति' सुनिश्चित करना है। आंतरिक सुरक्षा संगठन(आईएसओ) हमारी कंपनी की खानों की सुरक्षा का संधारण करता है। महाप्रबंधक (सुरक्षा एवं बचाव) के नेतृत्व में अनुभव प्राप्त दक्ष तकनीकी बहु-संवर्गीय टीम संरक्षा संबंधी कार्यों का निर्वहन कर रही है।

उपलब्धियां:

1. सीसीएल ने सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्त कीं -
   - क. 18 अगस्त, 2022 को वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु सुरक्षा के लिए "कोल मिनिस्टर पुरस्कार" (द्वितीय पुरस्कार)।
   - ख. सीआईएल के 48वें स्थापना दिवस (1 नवंबर 2022) के अवसर पर "सुरक्षा पर कारपोरेट पुरस्कार" (दूसरा पुरस्कार)।
   - ग. ऑपरेटरों के प्रशिक्षण और कौशल वर्धन हेतु एक बहु-आयामी सिम्युलेटर का क्रय।
   - घ. आरआरआरटी, चुरी, उ.कर्ण. क्षेत्र में एक गैस क्रोमैटोग्राफ का क्रय एवं परिचालन प्रारम्भ।
   - ङ. बचाव संबंधी सेवाओं को बढ़ाने के लिए सीसीएल द्वारा पूर्ण सज्जित 3 बचाव वैन खरीदे गए।
   - च. नवंबर, 2022 में उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय बचाव स्पर्धा में, सीसीएल समग्र रुप से सर्वश्रेष्ठ टीम में तीसरा स्थान प्राप्त किया। रेस्क्यू रिले रेस में प्रथम पुरस्कार, बचाव और रिकवरी में तीसरा पुरस्कार और चुरी भूमिगत में अग्निशमन हेतु विशेष योगदान की श्रेणी में दूसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ।
2. श्रीमती आकांक्षा कुमारी, प्रबंधन प्रशिक्षु (खनन), चुरी भूमिगत खदान, उत्तरी कर्णपुरा क्षेत्र, भारत में पहली रेस्क्यू प्रशिक्षित महिला बनीं।
3. महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत, दो महिला खनन अभियंता, सुश्री संयमी निधि और सुश्री अंजलि अत्रेयी ने चुरी भूमिगत खदान में अपना योगदान दिया ।
4. चुरी भूमिगत खदान में 57एल ड्रिफ्ट में आग लगने के कारण सीलबंद डब्ल्यू-10 पैनल को पुनः खोलने का कार्य 30.07.2022 को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया।
5. खान बचाव केंद्र, रामगढ़ के प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण केंद्र में 707 लोगों को प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण दिया गया।

सुरक्षा प्रबंधन योजना:

i. डीजीएमएस अधिकारियों, प्रत्येक गतिविधि से जुड़े खदान कर्मियों और आईएसओ से प्रशिक्षित सिमटार्स (SIMTARS) विशेषज्ञों के ठोस प्रयासों से सभी गतिविधियों और प्रत्येक गतिविधि से जुड़े खतरों को ध्यान में रखते हुए सभी ओपनकास्ट और भूमिगत खानों के लिए सुरक्षा प्रबंधन योजना (एसएमपी) तैयार की गई है। सुरक्षा संचालन प्रक्रिया बनाकर संबंधित कर्मियों को वितरित कर दी गई है।

ii. कार्य जोखिम विश्लेषण के आधार पर मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का निर्माण और अनुपालन।

iii. एसएमपी की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

सीसीएल सुरक्षा बोर्ड की बैठक:

सीसीएल सुरक्षा बोर्ड की बैठक नियमित रुप से आयोजित की जाती है और इसकी अध्यक्षता निदेशक (तकनीकी/संचालन), सीसीएल या निदेशक (तकनीकी/परि.&यो.), सीसीएल करते हैं और प्रतिभागियों में ट्रेड यूनियन प्रतिनिधि, क्षेत्रीय महाप्रबंधक, सीसीएल मुख्यालय के विभागाध्यक्ष और आईएसओ अधिकारी शामिल होते हैं।
आईएसओ नोडल अधिकारी के साथ ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि क्षेत्र के प्रत्येक खदान का निरीक्षण करते हैं। प्रत्येक खान में दृष्टिगत कमियों को निरीक्षण के आधार पर विचार-विमर्श कर खान-प्रबंधन द्वारा कमियों को दूर करने के लिए कृत-कार्रवाई सदस्यों के समक्ष रखी जाती है।

सुरक्षा ड्राइव:

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान चलाये गए सुरक्षा अभियान इस प्रकार हैं:

1. 22.04.2022 से 29.04.2022 तक खुली खानों में एचईएमएम रख-रखाव तथा सुरक्षा जागरुकता पर सुरक्षा अभियान।
2. दिनांक 01.06.2022 से 08.06.2022 तक मानसून की तैयारी।
3. दिनांक 22.08.2022 से 03.09.2022 तक भूमिगत एवं खुली खदान में ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग, खान जियोमेट्री के लिए वैज्ञानिक अध्ययन का कार्यान्वयन, कोयला और ओबी डंप प्रबंधन, एससीएएमपी, भूमिगत खदान खानों में रुफ बोल्टिंग और रुफ सपोर्ट प्रणाली ।
4. 21.09.2022 से 30.09.2022 तक भूमिगत खनन मशीनों की सुरक्षा प्रणाली (एसडीएल, एलएचडी, यूडीएम, सीएम, एमयूवी, क्वाड/ट्विन बोल्टर, शीयरर, ऊर्जा सपोर्ट, एएफ़सी इत्यादि) और खुली खदानों मे शोवेल्स (विभागीय और संवेदकीय) का संचालन और रखरखाव।
5. दिनांक 09.11.2022 से 18.11.2022 तक खानों में "सुरक्षा संस्कृति" की स्थिति का मूल्यांकन।
6. इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरों के लिए दिनांक 22.02.2023 से 23.02.2023 तक खानों में "शटडाउन प्रक्रिया और लोटो के कार्यान्वयन" पर दो दिवसीय कार्यशाला।
7. दिनांक 15.03.2023 से 28.03.2023 तक खुली खदानों का अग्नि सुरक्षा ऑडिट।

सुरक्षा समिति का सुदृढ़ीकरण

सुरक्षा समिति की बैठक खानों में आयोजित की जाती है जिसमें क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी, सीसीएल सुरक्षा बोर्ड के सदस्य और आईएसओ अधिकारी भी शामिल होते हैं। जिन स्थानों पर ठेकेदार खनन कार्यों में लगे हुए हैं, उनके प्रतिनिधियों को भी सुरक्षा मामलों पर जानकारी देने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

सुरक्षा समिति की भूमिका को मजबूत करने के लिए अप्रनि, सीसीएल और निदेशक (तकनीकी/संचालन), सीसीएल, भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुछ बैठकों में सम्मिलित हुए है।

यह सांविधिक और सबसे प्रभावी मंच है जहां प्रतिभागी जमीनी स्तर पर अपने बहुमूल्य सुझाव देते हैं।

क्षेत्र सुरक्षा पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक

सीसीएल की सभी खदानों की सुरक्षा स्थिति पर चर्चा करने के लिए हर महीने क्षेत्र सुरक्षा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की जाती है। बैठक की अध्यक्षता निदेशक तकनीकी (संचालन), सीसीएल द्वारा की जाती है और इसमें क्षेत्र सुरक्षा अधिकारी और आईएसओ अधिकारी शामिल होते हैं। यह मुख्यालय और क्षेत्रों के बीच दो-तरफ़ा संचार प्रणाली स्थापित करता है और सुरक्षा मुद्दों को हल करने में मदद करता है।

सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु व्यवहृत पहल-

सीसीएल ने हाल के वर्षों में सभी परियोजनाओं में सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए सांविधिक आवश्यकताओं के अनुपालन के अलावा चल रही सुरक्षा संबंधी पहलों के साथ-साथ कई उपायों का पालन किया है।

- सुरक्षा पर त्रिपक्षीय बैठक दिनांक 30.01.2023 को सीसीएल मुख्यालय, रांची में आयोजित की गई।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 मे 11 द्विपक्षीय और 11 त्रिपक्षीय बैठकों सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित की गई।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सभी खुली खदानों और भूमिगत खदानों का इंटर क्षेत्र सेफ्टी ऑडिट मल्टी-डिसिप्लिनरी टीम द्वारा जून से सितंबर 2022 तक किया गया था।
- खदान मे कार्य करने वाले कामगारों को उनके कार्य से संबंधित सुरक्षा के साथ-साथ उनके परिवेश और सहकर्मियों के बारे में अद्यतन रखने के लिए नियमित रुप से सुरक्षा वार्ता की जाती है। साथ ही, व्यक्तिगत सुरक्षा विमर्श नियमित आधार पर की जाती है।
- सभी कर्मचारियों को दिखाने और साझा करने के लिए खदानों के विभिन्न सुरक्षा प्रक्रियाओं, संचालन से संबंधित क्या करें और क्या न करें और दुर्घटना विश्लेषण पर वीडियो क्लिप/एनीमेशन फिल्म तैयार की गई है। विभिन्न वीटीसी और अन्य प्रतिष्ठानों में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान इन वीडियो क्लिप या एनिमेशन फिल्मों का व्यापक रुप से उपयोग किया जा रहा है। इस प्रयास से सभी कर्मचारियों के बीच सुरक्षा जागरुकता बढ़ने और जमीनी स्तर पर सर्वोत्तम सुरक्षा संस्कृति विकसित करने की उम्मीद है।
- धूल की निगरानी के लिए साइडिंग में 25 पीएम 10 एनालाइजर लगाए गए हैं। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में 14 सीएएक्यूएमएस की स्थापना की गई है।
- सीसीएल में, कोयला उत्पादन के लिए 15 सरफेस माइनर है। सरफेस माइनर द्वारा खनन विस्फोट मुक्त पर्यावरण अनुकूल खनन प्रणाली है। साथ ही चुरी भूमिगत खदान में कोयला निकालने के लिए कंटीन्यूअस माइनर का उपयोग किया जाता है।
- आईटी अवसंरचना का विकास: सीसीएल में खान सर्वेक्षण और निगरानी के लिए आधुनिक सर्वेक्षण उपकरण जैसे इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन और 3-डी लेजर स्कैनर का उपयोग किया जाता है। इनके अलावा, आरएफआईडी प्रणाली, बूम बैरियर, स्नैपशॉट के लिए सीसीटीवी कैमरा और मौजूदा वेब्रिज प्रणाली के साथ एकीकरण के साथ कोयला परिवहन के लिए जीपीएस आधारित वाहन ट्रैकिंग प्रणाली निष्पादित किया गया है। एक व्यापक सीसीटीवी निगरानी प्रणाली भी क्रियान्वित की जा रही है। ईआरपी और ई-ऑफिस पहले से ही परिचलन में हैं।
- उन्नत ब्लास्टिंग प्रणाली: सीसीएल में, गांवों और कस्बों के निकट न्यूनतम भू-कंपन तथा उचित विखंडन सुनिश्चित करने के लिए खुली खानों में नियंत्रित ब्लास्टिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर का उपयोग किया जा रहा है।
- 36 मोबाइल मिस्ट प्रकार के स्प्रिंकलर प्रदान किए गए और 15 ट्रॉली पर लगे फॉग कैनन की खरीद की गई।

मॉक रिहर्सल

2022-23 में ओपन कास्ट और भूमिगत खानों में विभिन्न आकस्मिक स्थितियों जैसे एचईएमएम में आग लगने, काम करने वाले व्यक्ति के डूबने, यू/जी पम्पिंग स्टेशन के पास CO_2 का उत्सर्जन, आदि से निपटने के लिए 148 मॉक रिहर्सल आयोजित किए गए।

केंद्रीकृत सुरक्षा सूचना प्रणाली (CSIS) पोर्टल

सीएसआईएस पोर्टल को संचालित किया गया है जहां सभी रिपोर्ट, आंकड़े और डेटा, जैसे, सांविधिक श्रमशक्ति, सांविधिक दस्तावेज, प्रशिक्षण, ई-निरीक्षण रिपोर्ट, दुर्घटना/घटना आदि, खान प्रबंधक द्वारा अपलोड किए जाते हैं। इसे अद्यतन तथा अधिक प्रभावशाली बनाए रखने के लिए आईएसओ अधिकारियों द्वारा नियमित रुप से इसकी समीक्षा की जाती है।

सांविधिक श्रमशक्ति

निम्नलिखित सांविधिक कार्मिकों की भर्ती प्रक्रियाधीन है -

क) माइनिंग सरदार- 77
ख) उप-सर्वेक्षक - 20
ग) इलेक्ट्रीशियन (गैर-उत्खनन) श्रेणी- IV - 126
घ) सहायक फोरमैन (विद्त) तक.&पर्य. ग्रेड-सी – 107

सुरक्षा प्रदर्शन

विवरण	अप्रैल 2021 - मार्च 2022	अप्रैल 2022 - मार्च 2023
संघातक दुर्घटना	2	1
मृत्यु	2	1
गंभीर दुर्घटना	2	2
गंभीर चोटें	3	2
मृत्यु दर प्रति मिलियन एम3 समग्र (ओबी+कोयला) (भूमिगत खदान+खुली खदान परि.)	0.02	0.01
मृत्यु दर प्रति 3 लाख मैन-शिफ्ट	0.08	0.04
गंभीर चोट दर प्रति मिलियन M3	0.02	0.01
गंभीर चोटों की दर प्रति 3 लाख मैन-शिफ्ट	0.12	0.08

21. कार्मिक प्रबंधन एवं औद्योगिक संबंध

21.1 कार्मिक प्रबंधन

दिनांक 31.03.2022 को कंपनी की श्रमशक्ति संख्या 35861 की तुलना में दिनांक 31.03.2023 की वर्तमान श्रमशक्ति 34975 है। 31.03.2022 की तुलना में 31.03.2023 को श्रम-शक्ति निम्न सारणी में श्रेणीवार प्रदर्शित है।

वर्ग	31.03.2023	31.03.2022
अधिकारी	2333	2285
पर्यवेक्षी	3203	3255
अत्यधिक कुशल / कुशल	10740	11206
कुशल/अकुशल(टीआर)	14440	14910
कुशल/अकुशल (पीआर)	199	215
अनुसचिवीय कर्मचारी	3694	3677
अन्य	366	313
कुल	**34975**	**35861**

वर्ष 2022-23 के दौरान कुल 886 श्रमशक्ति कम हुई। यद्यपि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी में 1754 कर्मचारियों की संख्या घटी, तथापि, मौजूदा श्रमशक्ति में 868 कर्मचारियों की संख्या जुड़ी।

कटौती:

श्रम-शक्ति में कटौती	कर्मचारियो की संख्या (31.03.2023)
सेवानिवृति	1153
मृत्यु	373
अंतर कम्पनी स्थानांतरण	147
इस्तीफा	46
निष्कासन/बर्खास्तगी	35
वी.आर.एस (जीएनएच)	0
चिकित्सीय अयोग्यता	0
अन्य	0
कुल कटौती	**1754**

वृद्धि:

श्रम-शक्ति में कटौती	कर्मचारियो की संख्या (31.03.2023)
9.3.0 के तहत नियुक्ति	331
भू-विस्थापन के अंतर्गत नियुक्ति	161
मृतक अधिकारियो के आश्रितो की नियुक्ति	0
9.4.0 के तहत नियुक्ति	0
अंतर कम्पनी स्थानांतरण	182
नयी भर्ती	186
पुनर्नियुक्ति	8
अवार्ड केस	0
अन्य (एसएफ़वीआरएस)	0
कुल	**868**

अ.जा./अ.ज.जा./बेंचमार्क दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व :

अ.जा./अ.ज.जा./बेंचमार्क दिव्यांगों की बहाली/पदोन्नति के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी आरक्षण नियम/दिशा निर्देशों का नियमानुसार अनुपालन सीसीएल में किया जाता है। 31.03.2023 को सकल श्रमशक्ति में उक्त वर्ग के कर्मचारियों की संख्या नीचे प्रदर्शित है :

वर्ग	31.03.2023 को	प्रतिनिधित्व (%)	31.03.2022 को	प्रतिनिधित्व (%)
अनुसूचित जाति	6968	19.92%	7037	19.44%
अनुसूचित जनजाति	5815	16.63%	6009	16.60%
अन्य पिछड़ा वर्ग	9015	25.77%	9297	25.69%
बेंचमार्क दिव्यांग	74	-	71	-

21.2 भर्ती विभाग

- माइनिंग सिरदार तक.&पर्य. ग्रेड-सी के 77 पद, सहायक फोरमैन (विद्युत) तक.&पर्य. ग्रेड-सी के 107 पद, उप-पर्यवेक्षक (खनन) तक.&पर्य. ग्रेड-सी के 20 पद तथा इलेक्ट्रिशियन (गैर-उत्खनन) श्रेणी- IV के 126 पद कुल 330 सांविधिक पदों को भरने हेतु एक विशेष भर्ती प्रक्रिया आरंभ की गयी ।
- सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ने 330 सांविधिक पदों की भर्ती हेतु सीबीटी आयोजित कर ईडीसीआईएल (पीएसयू) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है जिसका विज्ञापन 28.03.2023 को प्रकाशित किया जा चुका है एवं नियुक्ति-प्रस्ताव जून 2023 तक जारी होने की संभावना है।
- सीधी भर्ती के माध्यम से {जूनियर ओवरमैन के मद में 06 तथा सहायक फोरमैन (विद्युत) के मद में 01 } कुल 07 अभ्यर्थियों को नियुक्ति-पत्र प्रदान किया गया।
- 04 विभागीय कर्मचारियों का चयन अकाउंटेंट तक.&पर्य. ग्रेड-ए किया गया।
- 55 चिकित्सा अधिकारियों (वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ {ई-4}, चिकित्सा विशेषज्ञ {ई-3} और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी {जीडीएमओ} {ई-3}) की भर्ती के लिए रोजगार सूचना का विज्ञापन दिया गया। कुल 710 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 378 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु चयनित किया गया था। साक्षात्कार में 114 उम्मीदवार उपस्थित हुए। तत्पश्चात, परिणाम की घोषणा तथा नियुक्ति-पत्र निर्गत करने हेतु सीआईएल को 103 सफल अभ्यर्थियों की सूची अनुशंसा हेतु भेजी गयी।
- भर्ती विभाग में ओएमआर मशीन उपलब्ध है तथा ओएमआर मशीन द्वारा उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाता है। विभिन्न भर्ती/विभागीय अभ्यर्थियों की डीपीसी आदि के लिए ओएमआर मूल्यांकन की विस्तारित सुविधा सीसीएल के विभिन्न विभागों/क्षेत्रों को उपलब्ध करायी जा रही है ।

22. मानव संसाधन विकास

मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा प्रबंधकों, कर्मचारियों, कामगारों और संविदा कामगारों तथा हितधारकों में सिद्धांत एवं प्रयोग को संश्लेषित करने का कौशल प्रदान करने की पहल की जाती है। यह विभाग प्रबंधन के प्रयोजन मूलक विभिन्न क्षेत्रों में कार्यकारी अधिकारियों के मध्य क्रॉस फंक्शनल इनपुट, अधिकारियों हेतु सामान्य प्रबंधन कार्यक्रम, प्रबंधन प्रशिक्षुओं तथा नव-नियुक्त अधिकारीयों के लिए प्रवेश व अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन करता है।

जहां तक प्रशिक्षण एवं विकास का संबंध है मा.सं.वि. विभाग, सीसीएल द्वारा मुख्यतः दो केंद्रीय क्षेत्रों पर प्रश्रय दिया जा रहा है:

- ❖ ज्ञान संवर्धन
- ❖ कौशल विकास

ज्ञान संवर्धन परिक्षेत्र के अंतर्गत, प्रबंधन के प्रयोजनमूलक प्रक्षेत्र, कार्यकारी अधिकारियों को क्रॉस फंक्शनल इनपुट प्रदान करना, अधिकारियों हेतु सामान्य प्रबंधन कार्यक्रम, प्रबंधन प्रशिक्षुओं एवं नव- नियुक्त अधिकारियों हेतु प्रवेश तथा अभिविन्यास कार्यक्रम, अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु ई-ऑफिस तथा ईआरपी प्रशिक्षण कार्यक्रम, मानक संचालन प्रक्रिया के लिए जागरुकता कार्यक्रम, गैर-वित्त कार्मिकों हेतु वित्त सम्बन्धी, सुरक्षा एवं बचाव कार्यक्रम, कार्मिक संवर्गीय अधिकारियों हेतु प्रयोजनमूलक कौशल विकास कार्यक्रम मा.सं.वि. के प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र, सीसीएल में आयोजित किए गए हैं।

प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र, मा.सं.वि.,सीसीएल में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

फ्रंटलाइन पर्यवेक्षकों एवं अधिकारियों का कौशल विकास तथा कर्मचारियों हेतु कौशल स्तरोन्नतिकरण कार्यक्रम प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र, मा.सं.वि., सीसीएल के नियमित पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। हिंदी कार्यशाला, कंप्यूटर बोध कार्यक्रम तथा अधिकारी और कर्मचारियों के लिए प्रयोजनमूलक कौशल विकास जैसे कार्यक्रम बीटीटीआई, भुरकुंडा और सीईटीआई, बरकाकाना, प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र, मा.सं.वि. में आयोजित किए गए हैं।

यह विभाग हितधारकों के मध्य रोजगारोन्मुखी कौशल विकसित करने हेतु निरंतर प्रयासरत है।

उपर्युक्त के अलावा, अधिकारियों और कुछ कर्मचारियों को वर्ष पर्यंत विशिष्ट ज्ञान एवं कौशल वर्धन हेतु प्रशिक्षण के लिए बाहरी संस्थानों में नामित किया जाता है।

उपर्युक्त के आलोक में, मा.सं.वि. विभाग, सीसीएल की वर्ष 2022-23 द्वारा लब्ध प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:

- कोल इंडिया लिमिटेड की समस्त सहायक कंपनियों में सीसीएल भुरकुंडा में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आईटीआई पाठ्यक्रम का प्रवर्तक रहा है। वर्तमान स्थिति के अनुसार, बैच 2021-23 में 19 तथा बैच 2022-24 में 20 छात्र बीटीटीआई, भुरकुंडा में उक्त पाठ्यक्रम का अध्ययन

कर रहे है, और साथ ही सीसीएल की विभिन्न इकाइयों/ परियोजनाओं में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहें है। बीटीटीआई, भुरकुंडा को प्रशिक्षण अधिनियम के तहत बुनियादी प्रशिक्षण प्रदाता का भी दर्जा प्राप्त है।

बीटीटीआई भुरकुंडा में संचालित पाठ्यक्रम

- 318 कर्मचारियों (सभी को समाहित कहरते हुए) के लिए विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम बीटीटीआई, भुरकुंडा में आयोजित किए गए हैं; जैसे सामान्य जागरुकता एवं सुरक्षा कार्यक्रम, कैरियर विकास कार्यक्रम, विस्फोटक हैंडलिंग कार्यक्रम और मानसून की प्रारम्भिक तैयारी कार्यक्रम आदि।

एचईएमएम का बुनियादी प्रशिक्षण :

- डंपर, ड्रिल, पे-लोडर, मोटर ग्रेडर, ऑपरेटर जैसे एचईएमएम ऑपरेटरों को विभिन्न बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाता है। बुनियादी प्रशिक्षण हेतु नामित कर्मचारियों की प्रारंभिक सैद्धांतिक कक्षाएं सीईटीआई, बरकाकाना में संचालित की जाती है एवं तत्पश्चात व्यवहारिक प्रशिक्षण देकर एचईएमएम संचालन में उनकी दक्षता जाँचने हेतु परीक्षा आयोजित की जाती है। उपरोक्त पाठ्यक्रम के अलावा, परियोजना प्रभावित जन को प्रशिक्षण एवं बेसिक ऑपरेटर कोर्स के अतिरिक्त कंपनी के अनुभवी कर्मचारियों हेतु विभिन्न पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिसमें उन्हें सीईटीआई/ सीआरएस बरकाकाना के प्राध्यापकों सहित ओईएम/ ओईएमएस द्वारा विभिन्न तकनीकी प्रगति/ सुरक्षा विशेषताओं की जानकारी प्रदान की जाती है। सीईटीआई, बरकाकाना ने वर्ष 2022-23 में 425 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है।

एचईएमएम चालकों के लिए ओईएम प्रशिक्षण

- इसके अतिरिक्त, जनवरी 2023 में केंद्रीय उत्खनन प्रशिक्षण केंद्र में एचईएमएम प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से एक प्रशिक्षण सिम्युलेटर स्थापित किया गया।
- उपरोक्त के अतिरिक्त, सीसीएल देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के छात्रों को इंजीनियरिंग/ एमबीए/ बीबीए/ एमसीए / बीसीए और अन्य व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के निःशुल्क इंटर्नशिप/ व्यवसायिक प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करता है। वर्ष 2022-23 के दौरान कुल 2192 गैर-खनन तथा 509 खनन के छात्रों को सीसीएल के कॉर्पोरेट मुख्यालय, क्षेत्रों, परियोजनाओं और इकाइयों में उक्त अवसर का लाभ प्राप्त हुआ है।

शिक्षुता अधिनियम के अनुसार शिक्षु प्रशिक्षण

- वर्ष 2022-23 के दौरान, कोल इंडिया और सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन के अनुरुप सीसीएल को संविदाकर्मी सहित कुल श्रमशक्ति के न्यूनतम 2.69% शिक्षुओं की नियुक्ति करनी थी। मानव संसाधन विकास विभाग ने निर्धारित समय के अन्दर सफलतापूर्वक 2.5% शिक्षुओं को नियुक्त करने का लक्ष्य प्राप्त किया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

क्र सं	संविदा कर्मियों सहित सीसीएल की कुल श्रमशक्ति	2022-23 में नियुक्त शिशुक्षुओं की कुल संख्या (31/03/2023 की स्थिति)
01	42995 31/03/2023 तक	1160

एनएटीएस : 525
बीटीपी : 75
एनएपीएस : 560

बीटीपी का सफल आयोजन

वित्त वर्ष 2022 के अगस्त माह से सीसीएल में बीटीपी प्रारंभ किया गया है। सीसीएल, बीटीपी में पंजीकृत होने वाली पहली सहायक कंपनी है जहां व्यापार के लिए पर्याप्त/ आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध है। बीटीपी में किसी संस्था नियुक्त वैसे नए प्रशिक्षुओं को बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिनके पास संबद्ध ट्रेड से कोई औपचारिक शिक्षा और/या प्रशिक्षण नहीं हैं तथा वे आर्थिक रुप से पिछड़े वर्गों से संबंध रखते हों।

वित्त वर्ष 2022-23 में सीसीएल के बीटीपी* नव- शिशुक्षुओं की सूची।

क्र सं	स्थापना का नाम	ट्रेड	चयनित उम्मीदवार
1.	एमटीसी, मा.सं. वि.	आईटीईएसएम, मल्टीमीडिया और वेबपेज डिजाइनिंग	15
2.	गांधी नगर अस्पताल, राँची	मेडिकल लेबोरेटरी टेकनिशियन (एमएलटी) पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, स्वास्थ्य और स्वच्छता निरीक्षक और ड्रेसर/हेयर कटर	25
3.	बीटीटीआई भुरकुंडा	वायरमैन, सर्वेयर	20
4.	सीईटीआई भुरकुंडा	वेल्डर, मैकेनिक अर्थमूविंग मशीनरी, मैकेनिक मोटर वाहन	15
		कुल = 75	

- योग व ध्यान प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान, मानव संसाधन विकास विभाग में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अभिन्न अंग है। प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान, मानव संसाधन विकास विभाग, रांची में किसी भी संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों हेतु जीवन-शैली एवं योग-सत्र अनिवार्यतः आयोजित किया जाता है। अभी तक कुल 175 अधिकारी इस योजना से लाभान्वित हुए हैं ।
- मा.सं.वि. विभाग,सीसीएल द्वारा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान, सीसीएल, आईआईसीएम, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा राष्ट्र के अन्य बाह्य प्रशिक्षण केन्द्रों में आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण व सेमिनारों के मद में समीक्षाधीन वित्त वर्ष 2022-23 में ₹ 21.75 करोड़ (इक्कीस करोड़ पचत्तर लाख) व्यय किया गया है।

जागरुकता प्रशिक्षण

- मासंवि, सीसीएल द्वारा दिनांक 28/10/2022 को हाईवॉल माइनिंग पर चर्चा हेतु एक दिवसीय जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया । इस प्रशिक्षण में कुल 29 अधिकारियों ने भाग लिया। तथा इस प्रशिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पूर्व अप्रनि, श्री बाला स्वामी अकला ने इस सत्र का संचालन किया।
- दिनांक 12/12/2022 से 13/12/2022 तक, सैप में भुगतान आदेश संबंधी लेन-देन और देनदारियों का शोधन" जैसे विषयों पर एमटीसी, मासंवि, सीसीएल रांची में दो दिवसीय सत्र आयोजित किया गया । तथा इस कार्यक्रम में सीसीएल के समस्त क्षेत्रों से कुल 63 अधिकारियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया ।
- सभी सेवानिवृत्त कर्मियों को उनके लाभ से सम्बद्ध आवश्यक स्वास्थ्य तथा वित्तीय जानकारी प्रदान करने हेतु दिनांक: 22/12/2022 को एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें कुल 20 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- दिनांक 22/02/2023 को " शटडाउन प्रक्रिया और विद्दत पर्यवेक्षकों के लिए एलओटीओ के कार्यान्वयन" विषय पर एक दिवसीय सत्र का आयोजन किया गया जिसमें कुल 51 प्रतिभागियों ने भाग लिया और लाभान्वित हुए।
- दिनांक 23/02/2023 को " शटडाउन प्रक्रिया और उत्खनन पर्यवेक्षकों के लिए लोटो(एलओटीओ) का कार्यान्वयन" विषय पर एक दिवसीय सत्र का आयोजन किया गया जिसमें कुल 39 प्रतिभागियों ने भाग लिया और लाभान्वित हुए।

आयोजित प्रशिक्षण सत्र तथा डीडीएमएस (विद्युत) द्वारा प्रदत्त प्रशिक्षण

- दिनांक: 18/03/2023 को "कर्मचारी मानसिक स्वास्थ्य जागरुकता कार्यक्रम" पर एक दिवसीय सत्र आयोजित किया गया जिसमें कुल 30 कर्मचारियों ने भाग लिया और लाभान्वित हुए।

वर्ष के दौरान प्राप्त महत्वपूर्ण उपलब्धियां

1. लंबे अंतराल तथा अनेक प्रयासों के पश्चात केंद्रीय उत्खनन प्रशिक्षण को अंततः एचईएमएम प्रशिक्षण प्रदान करने वाले क्षेत्रों में 'उत्कृष्टता के केंद्र' की श्रेणी में स्थान प्राप्त हुआ । पहले केवल सैद्धांतिक प्रशिक्षण तथा व्यावहारिक अनुभव हेतु नौकरी प्रशिक्षण ही प्रदान किया जाता था । परन्तु अब, एक प्रशिक्षण सिम्युलेटर स्थापित किया गया है जिसमें बीईएमएल द्वारा निर्मित 100टी डम्पर, एचईसी द्वारा निर्मित ईकेजी 4.6 क्यूबिक मीटर ईआरएस इलेक्ट्रिकल

शॉवेल तथा बीईएमएल द्वारा निर्मित डी355डोज़4 410 एचपी जैसे एचईएमएम सिम्युलेटर डिजाइन के तीन कंसोल के साथ मल्टी-डायमेंशनल / मॉड्यूल जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसमें मोशन प्लेटफॉर्म है जो 6° फ्रीडम के साथ 180° विआर विज़न प्रदान करता है। सुरक्षा के अतिरिक्त प्रशिक्षण सिम्युलेटर हमें गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण भी प्रदान करता है।

सीईटीआई, बरकाकाना में सिम्युलेटर प्रशिक्षण

2. सुरक्षा विभाग, सीआईएल द्वारा लिए गए पहल : पीपी मोड के तहत निजी पार्टी के सहयोग से सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के सुरक्षा उन्मुख प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु रजरप्पा क्षेत्र, सीसीएल के व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र को "सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र" के रुप स्थापित करने के लिए चिन्हित किया गया है। तथा इस संबंध में निविदाएँ पूर्व में ही जारी की जा चुकी है। इसके साथ यह भी तय किया गया की सफल बोलीदाता अनुबंध प्रारंभ होने की तिथि से छह वर्ष की अवधि तक प्रशिक्षण केंद्र का संचालन करेंगे ।

वीटीसी रजरप्पा को सीसीएल के उत्कृष्ट सुरक्षा केन्द्रों में शामिल किया जाएगा

3. सीसीएल में गैस- परीक्षण सुविधा हेतु जीवीटीसी को अधिकृत करना

जीवीटीसी अरगडा, जीवीटीसी सौंदा तथा जीवीटीसी उत्तरी कर्णपुरा को गैस चैंबर का संचालन कर गैस- परीक्षण प्रमाण पत्र निर्गम हेतु अधिकृत किया गया।

भविष्य की पहल

- कुल कार्यबल (संविदा कर्मचारियों सहित) के विभिन्न ट्रेडों से न्यूनतम 5% प्रशिक्षुओं की नियुक्ति;
- जीवीटीसी की बुनियादी स्तरोन्नति;
- लेक्चर हॉल और कंप्यूटर लैब में आधुनिक ऑडियो-विजुअल उपकरणों की खरीद एवं संस्थापना द्वारा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान, मा.सं.वि., सीसीएल का बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना;
- मौजूदा शॉवेल, डम्पर और डॉज़र ऑपरेटरों का कौशल विकास तथा ऑपरेटरों के प्रवेशकीय स्तरीय प्रशिक्षण हेतु बहु-आयामी एचईएमएम सिम्युलेटर की खरीद;
- सीसीएल के मौजूदा अधिकारियों से आंतरिक संकाय व प्रशिक्षकों के एक समूह का विकास;
- प्रबंधन के मुद्दों पर आउटरीच कार्यक्रमों के लिए अच्छा प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों का नामांकन;
- मानव संसाधन विकास विभाग, सीसीएल, रांची में अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण
- यूजर इंटरफेस का उपयोग करके ऑनलाइन इंटर्न/वीटी एप्लिकेशन प्रदान करके डिजिटल मा.सं.वि. का निर्माण।
- यूट्यूब चैनल के माध्यम से डिजिटल कोचिंग।

23. कल्याण

कंपनी के उद्देश्यों के अनुरुप सीसीएल का कल्याण विभाग कर्मचारियों के लिए सभी कल्याणकारी सुविधाएं सुनिश्चित तथा

प्रदान कर कर्मचारियों के वृहत्तर कल्याण में अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है। विभाग का लक्ष्य कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ावा देना तथा अनुकूल और सौहार्दपूर्ण व्यवसायिक कार्य परिवेश प्रदान कर कार्य कौशल में सुधार करना है।

हमारी कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रमुख कल्याणकारी सुविधाओं की विवरणी निम्नानुसार है:

- **आवास :** सीसीएल अपने कर्मचारियों के जीवन को और बेहतर बनाने हेतु निरंतर प्रयास कर रहा है। सभी कर्मचारियों को कंपनी द्वारा आवास की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। कंपनी द्वारा आवासीय कॉलोनियों का रखरखाव किया जा रहा है, जिसमें सड़क, पार्क, मनोरंजक क्लब, खेल का मैदान आदि जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं शामिल हैं।

  कर्मचारियों को अत्याधुनिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से सीसीएल द्वारा मगध-संघमित्रा तथा आम्रपाली-चंद्रगुप्त क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त "स्मार्ट टाउनशिप प्रोजेक्ट" की संकल्पना की गयी तथा उसपर कार्य आरंभ किया। प्लिंथ क्षेत्र के संबंध में नवीनतम जीपीआरए दिशानिर्देशानुसार विभिन्न श्रेणियों के आवासों का क्षेत्रफल रखा गया है। कुल 1194 इकाइयों की परिकल्पना की गई है, जिन्हें मार्च 2024 तक पूरा किया जाना है।

- **पेयजल :** पेयजल आपूर्ति बढ़ाने सहित आईएस-10500 के अनुसार गुणवत्ता मानकों के अनुपालन हेतु मेकॉन ने सभी लाभार्थियों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ नए डब्ल्यूटीपी की स्थापना कर मौजूदा डब्ल्यूटीपी के नवीनीकरण का कार्य आरंभ किया है। मार्च 2024 तक कार्य पूर्ण होने की संभावना है।

वर्तमान स्थिति में सीसीएल के पास निम्नलिखित जल के स्त्रोत उपलब्ध हैं ।

1	जल प्रशोधन संयंत्र	10
2	गहरे बोर होल	182
3	दाब शोधन संयंत्र	78

प्रस्तावित नए जल प्रशोधन संयंत्रों का निर्माण

क्रम सं	नए जल प्रशोधन संयंत्र @ 1 एमजीडी क्षमता (प्रत्येक)
1.	गिद्दी- ए, अरगड़ा
2.	रेलीगढ़ा, अरगड़ा
3.	लोहा पुल, कथारा
4.	स्वांग, कथारा
5.	हिल टॉप, बोकारो एवं करगली
6.	उत्तरी तापिन, हजारीबाग

- **चिकित्सीय सुविधाएँ :** सीसीएल में चिकित्सीय सेवा त्रिस्तरीय प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। प्राथमिक स्तर पर सेवा डिस्पेन्सरी के माध्यम से प्रदान की जाती है। क्षेत्रीय अस्पतालों/ केंद्रीय अस्पतालों के द्वारा क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय स्तर की चिकित्सीय सुविधाएँ प्रदान की जा रही है।

यहाँ चार केंद्रीय अस्पताल अवस्थित है :

- गांधीनगर अस्पताल, रांची
- केन्द्रीय अस्पताल, रामगढ़
- केन्द्रीय अस्पताल, ढोरी
- केन्द्रीय अस्पताल, उत्तरी कर्णपुरा

क. अवसंरचनाः

क्र.	चिकित्सीय अवसंरचना का प्रकार	संख्या
1	अस्पताल	
	- केंद्रीय अस्पताल	04
	- रीज़नल अस्पताल	07
	- क्षेत्रीय अस्पताल	08
2	बिस्तर	892
3	डिस्पेंसरी	63
4	चिकित्सक	219
5	एम्बुलेंस	78 (63 किराए पर और 15 रोगी परिवहन के लिए, 56 बीएलएस तथा 7 एएलएस

ख. केंद्रीय अस्पताल, रांची में मूल्य संवर्धित सेवाएं

(i) केन्द्रीय अस्पताल, गांधीनगर, रांची में प्रत्येक महीने हृदय-रोग सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक का संचालन किया जाता है। इस क्लीनिक में मैक्स अस्पताल, नई दिल्ली के हृदय-रोग विशेषज्ञ डॉ.राजीव राठी तथा यशोदा अस्पताल, हैदराबाद के हृदय-रोग विशेषज्ञ डॉ. पी.के.कुचलकांति गांधीनगर अस्पताल में हृदय-रोग संबंधी परामर्श देते हैं।

(ii) गाधी नगर अस्पताल में 20 बिस्तर की क्षमता युक्त सघन चिकित्सा इकाइयों का विवरण निम्नानुसार है :

क. आई.सी.यू. : 06 बिस्तर
ख. सी.सी.यू. : 05 बिस्तर
ग. डायलिसिस : 04 बिस्तर
घ. रिकवरी : 05 बिस्तर

(iii) सीसीएल स्थित केंद्रीय अस्पतालों में 355 बिस्तरों की क्षमता वाले कुल नौ (09) कोविड केंद्र स्थापित किए गए।

(iv) सीसीएल के नौ (9) स्थानों में कोविड टीकाकरण केंद्र पूर्णरुपेण कार्य कर रही है, जिसमें अब तक (31 मार्च, 2023) तक 240000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया

जा चुका है। टीका लगवाने वाले लाभार्थियों में कर्मचारीवृंद तथा उनके आश्रित, संविदा कर्मी तथा सीसीएल कमान क्षेत्रों के निवासी शामिल हैं।

(v) गांधीनगर अस्पताल, रांची में जनरल मेडिसिन में डीएनबी पाठ्यक्रम हेतु 2 सीटें तथा डिप्लोमा (नेत्र) के लिए 04 सीटें उपलब्ध हैं।

(vi) एबीपीएमजेएवाई (अटल बिहारी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना) के तहत दस (10) अस्पताल सूचीबद्ध किए गए हैं।

(vii) जन औषधि योजना के तहत (4) जन औषधि केंद्र सीसीएल में स्थापित किए गए हैं जहां जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जा रहीं हैं।

❖ **शिक्षा :**

विद्यालयों को अनुदान:

सीसीएल द्वारा अपने कर्मचारियों के बच्चों तथा इसकी इकाइयों के निकटवर्ती क्षेत्र के आश्रितों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सुविधा पर विशेष बल दिया जा रहा है। सीसीएल की समीपवर्ती क्षेत्रों में केंद्रीय विद्यालय, डीएवी पब्लिक स्कूल चल रहे हैं। इन विद्यालयों को पुनरावर्ती तथा अनावर्ती वित्तीय अनुदान के साथ अन्य बुनियादी सहयता भी दी जा रहीं है ।

विद्यालय का नाम	2022-2023 हेतु कुल राशि
डीएवी	₹ 9.87 करोड़
केंद्रीय विद्यालय	₹ 3.74 करोड़

छात्रवृति:

सीआईएल छात्रवृति योजना के अंतर्गत सीसीएल अपने कर्मचारियों के मेघावी बच्चों को प्रत्येक वर्ष छात्रवृति प्रदान करता है। सीआईएल छात्रवृति योजना के लाभार्थियों की संख्या ।:

	वर्ष- 2022-2023
व्यय	2.87 लाख
छात्रों की संख्या	152

शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति:

एनसीडब्ल्यूए - X के तहत सीसीएल अपने गैर-अधिकारियों के बच्चों के प्रतिभा का विकास एवं सहायता करने हेतु सरकारी इंजीनियरिंग/मेडिकल महाविद्यालयों में पूर्णकालिक पाठ्यक्रम में नामांकित मेधावी छात्रों के शिक्षण शुल्क तथा छात्रावास शुल्क की प्रतिपूर्ति करता है। विगत वर्ष में किया गया व्यय नीचे दिया गया है:

	वर्ष- 2022-2023
व्यय	51.27 लाख
छात्रों की संख्या	58

❖ **खेल और कल्याण**

सीसीएल अपने कर्मचारियों, उनके पारिवार के सदस्यों, ग्रामीणों तथा परियोजना प्रभावित लोगों के सामाजिक और शारीरिक स्वास्थ्य के विकास हेतु खेल तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को काफी महत्व देता है। आयोजित की जाने वाले कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा चुकी हैं। सीआईएल स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के दिशानिर्देशानुसार खिलाड़ियों के कौशल विकास हेतु विभिन्न खेल-कूद तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन के अलावा कोचिंग कैंप भी आयोजित किए जा रहे हैं।

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ने अंतर सार्वजनिक उपक्रम स्तरीय दो प्रतिष्ठित कार्यक्रम आयोजित किए साथ ही सीआईएल एवं सीसीएल स्तर के खेल कैलेंडर के अनुसार समस्त खेलों का आयोजन किया है।

अखिल भारतीय सार्वजनिक उपक्रम वॉलीबॉल टूर्नामेंट:

अखिल भारतीय सार्वजनिक उपक्रम वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन दिनांक 8 से 10 जून 2022 तक हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम, खेलगांव, रांची में किया गया।

सात (7) सार्वजनिक उपक्रम की टीमों ने लीग-सह-नॉकआउट मुक़ाबले में भाग लिया।

अंततः फाइनल मैच जीवन बीमा निगम (एलआईसी) बनाम ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) के बीच खेला गया जिसमें एलआईसी ने ओआईएल को 3 सेट से हरा दिया।

अखिल भारतीय सार्वजनिक उपक्रम वॉलीबॉल टूर्नामेंट

अखिल भारतीय सार्वजनिक उपक्रम क्रिकेट टूर्नामेंट:

अखिल भारतीयसार्वजनिक उपक्रम क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन 13 से 18 मार्च 2023 तक रांची में किया गया था, जिसमें तेरह (13) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने इस टूर्नामेंट में भाग लिया था।

फाइनल मैच एयर इंडिया (एआई) बनाम बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) के बीच खेला गया जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा विजेता रहा।

अखिल भारतीय सार्वजनिक उपक्रम क्रिकेट टूर्नामेंट

सिमडेगा और खूंटी में हॉकी स्टिक का वितरण:

झारखंड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिभाशाली हॉकी खिलाड़ियों का इतिहास रहा है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, सीसीएल ने सिमडेगा और खूंटी जिले के उभरते खिलाड़ियों के मध्य 200 हॉकी स्टिक वितरित किए ।

झारखंड की भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों का सम्मान:

सीसीएल ने 24 अगस्त 2022 को कॉमन वेल्थ गेम्स 2022 में देश का नाम रौशन करने वाले हॉकी खिलाड़ियों तथा भारत का प्रतिनिधित्व करने वालों को सम्मानित किया गया ।

कोल इंडिया मैराथन:

कोल इंडिया ने 26 मार्च 2023 को झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन के तकनीकी सहयोग से रांची में कोल इंडिया मैराथन का सफल आयोजन किया। यह प्रतिष्ठित आयोजन सीसीएल द्वारा झारखंड में आयोजित किया जाने वाला पहला पंजीकृत मैराथन है। इस मैराथन में पद्मश्री पुरस्कार विजेता सुश्री शाइनी विल्सन, सुश्री ज्योतिर्मयी सिकदर तथा सुश्री प्रेमलता अग्रवाल ने भाग लिया।

1. फुल मैराथन: 42.195 कि. मी. (18 वर्ष और अधिक) ।
2. हाफ मैराथन: 21.098 कि. मी. (18 वर्ष और अधिक) ।
3. 10 कि. मी. (18 वर्ष और अधिक) ।
4. 05 कि. मी. (सभी के लिए) ।

कोल इंडिया मैराथन की कुछ झलकियाँ

अन्य कल्याण संबंधी गतिविधियाँ:

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन :
कोयला मंत्रालय द्वारा निर्धारित तिथि पर कॉमन योग प्रोटोकॉल (सीपीवाई) के अभ्यास के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सीसीएल, मुख्यालय तथा सीसीएल के कमान क्षेत्रों में कई योग गतिविधियाँ आयोजित की गईं।

हर घर तिरंगा अभियान :
आम जनता के बीच रोमांच व पहुँच बढ़ाने के लिए, पूरी कंपनी में प्रभात फेरी जैसी अनेक गतिविधियाँ आयोजित की गईं। प्रभात फेरी में 250 कर्मचारियों ने दरभंगा हाउस, सीसीएल, मुख्यालय से जवाहर नगर क्लब तक मार्च किया तथा क्विज़, भाषण जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं ।

सीसीईबीएफएस :
इस योजना को "सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड एम्प्लॉइज बेनेवोलेंट फंड सोसाइटी" कहा जाता है। यह भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित सीसीएल के सभी मुख्यालयों सहित समस्त कोलियरी, वाशरियों तथा अन्य इकाइयों और संस्थानों पर सभी कर्मचारियों पर लागू होता है ।

सीसीईबीएफएस के लाभ

- मृत्यु भुगतान
- छात्रवृत्ति
- बीमारी
- चाँदी के सिक्के (विदाई उपहार)

क्रम संख्या	लाभ योजनाएँ	वर्ष 2022-2023	
		लाभार्थियों की संख्या	राशि (लाख में)
1	मृत्यु भुगतान	405	1
2	छात्रवृत्ति	155	2
3	बीमारी	0	3
4	चाँदी के सिक्के (विदाई उपहार)	971	4

क्रेच सुविधा : सीसीएल के समस्त क्षेत्रों में क्रेच की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कार्य प्रगति पर है तथा वर्तमान तिथि में सीसीएल में कुल छह (6) क्रेच कार्यरत हैं।

सुरक्षा बैरक तथा अधिकारी हॉस्टल: 3 हॉल और 7 केबिन वाले एक नए सीआईएसएफ बैरक तथा 25 कमरों वाले दो मंजिला अधिकारी हॉस्टल का निर्माण किया गया ।

24. नैगमिक सामाजिक दायित्व

सीसीएल झारखंड के 8 जिलों (रांची, रामगढ़, चतरा, लातेहार, पलामू, गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो) में परिचालित है। उक्त जिले विकास सूचकांक में नीचे हैं तथा देश के 112 आकांक्षी जिलों में सूचीबद्ध हैं।

संवहनीय विकास सीसीएल के मिशन का केंद्रबिन्दु है। इसे ध्यान

में रखते हुए रख कर दृढ़ संकल्प के साथ सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड स्थानीय समुदायों की सेवा कर रहा है। सीसीएल द्वारा अपने कमान क्षेत्र अंतर्गत निवास करने वाले ग्रामीणों की सेवा-यात्रा सामुदायिक विकास कार्यक्रम से प्रारंभ की गयी थी जिसे वर्ष 2014 में सीएसआर के प्रारंभ होने के पश्चात अपने कमान क्षेत्र तथा झारखंड राज्य के अन्य हिस्सों में सामाजिक सुविधाओं में कई गुना वृद्धि की गयी है।

सीसीएल में सीएसआर का कार्यान्वयन इसके बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीसीएल सीएसआर नीति, अनुवर्ती संशोधनों के साथ कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी सीएसआर नियम 2014 और संशोधन, डीपीई, नीति आयोग तथा अन्य सरकारी नियम/दिशानिर्देश/कार्यक्रम पर आधारित है।

सीसीएल की सीएसआर नीति कंपनी अधिनियम-2013 के अनुरूप सीएसआर योजनाओं को दर्शाती है। इस सीएसआर नीति के अनुसार सीएसआर के मद में न्यूनतम विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के औसतन शुद्ध लाभ का 2% अथवा विगत वर्ष के कोयला उत्पादन का ₹ 2.00 प्रति टन में से जो अधिक हो का व्यय किया जाना है। तदनुसार, 2022-23 में लक्षित सीएसआर व्यय ₹46.27 करोड़ था।

सीएसआर नीति के अनुसार, सीएसआर व्यय का लगभग 80% सीसीएल की परिचालित इकाइयों के 25 किलोमीटर के अंदर तथा शेष 20% का व्यय झारखंड के अन्य स्थानों में किया जाना है।

सीपीएसई के डीपीई दिशानिर्देशानुसार, वर्ष 2022-23 हेतु डीपीई द्वारा निर्धारित वार्षिक थीम 'स्वास्थ्य एवं पोषण' के अनुसरण में आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता देते हुए सीएसआर का लगभग 60% व्यय किया जाएगा।

वित्त वर्ष 2022-23 में निर्धारित ₹46.27 करोड़ के लक्ष्य के मुक़ाबले सीएसआर का कुल व्यय ₹ 36.12 करोड़ रहा। वित्त वर्ष 2022-23 में सीएसआर व्यय के ₹ 36.12 करोड़ में से वार्षिक थीम के मद में ₹15.01 करोड़ का व्यय किया गया।

सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में क्षेत्रवार व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	क्षेत्र	वित्त वर्ष 2022-23 में व्यय (लाख में)
1	स्वास्थ्य एवं पोषण	972.34
2	शिक्षा	811.73
3	खेल प्रोत्साहन	593.05
4	पेयजल	379.33
5	ग्रामीण विकास	256.37
6	कौशल विकास तथा आजीविका	161.62
7	स्वच्छता	142.18
8	पर्यावरण तथा सतत वियक्स	129.62
9	पशु कल्याण	9.36
10	दिव्यांग कल्याण	7.55
11	कला एवं संस्कृति का प्रोत्साहन	3.89
12	वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण	2.99
13	आपदा प्रबंधन	1.50
14	प्रशासनिक व्यय	140.72
	कुल	**3612.24**

सीसीएल द्वारा 2022-23 की क्षेत्रवार सीएसआर गतिविधियों का सार इस प्रकार है :

1. स्वास्थ्य और पोषण

इस क्षेत्र में सीसीएल द्वारा निष्पादित प्रमुख परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

1.1 एमडीएम हेतु रामगढ़ में सामुदायिक रसोई का निर्माण

सीसीएल ने रामगढ़ जिले के 538 सरकारी विद्यालयों को सामूहिक भोजन की आपूर्ति हेतु प्रतिदिन 50000 भोजन क्षमता वाली एक सामुदायिक रसोई स्थापित करने के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन एवं जिला प्रशासन रामगढ़ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस परियोजना की कुल लागत ₹ 22.09 करोड़ है जिसमें भवन, उपकरण, जहाजों, वाहनों आदि के निर्माण तथा संचालन के 1 वर्ष हेतु आवश्यक धनराशि आदि शामिल है।

1.2 नि:क्षय मित्रः टीबी के मरीजों को गोद लेना

सीसीएल ने पीएम टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत लातेहार और चतरा जिलों के टीबी रोगियों को गोद लेने के लिए निक्षय मित्र में पंजीकरण कराया है। इस नए पहल के तहत, सीसीएल ने इन जिलों के पंजीकृत टीबी रोगियों को सीआईएनआई के माध्यम से मासिक तौर पर पौष्टिक भोजन प्रदान की है जिसकी ऑनलाइन ट्रैकिंग की जाती है। इस परियोजना की लागत ₹ 74.36 लाख तथा अवधि 6 माह की है।

Ministry of Health and Family Welfare,
Government of India

Acknowledges that Mr. / Ms / Dr / M/s CENTRAL COALFIELDS LIMITED
with an id 358622174 has registered as a Ni-Kshay Mitra under the 'Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyaan' to provide support to Persons with TB undergoing treatment.
Your valuable support will help the country in eliminating TB from India.

Deputy Director General-TB

चतरा और लातेहार जिले में यक्ष्मा रोगियों के मध्य पोषक आहार का वितरण

1.3 चतरा जिला के लिए एंबुलेंस की सुविधा

जिला प्रशासन, चतरा को ₹1.05 करोड़ की लागत का 4 'बी' टाइप तथा 2 'सी' टाइप एम्बुलेंस प्रदान की गई। मरीजों एवं दुर्घटना पीड़ित लोगों को त्वरित एंबुलेंस की सुविधा प्रदान करने हेतु इन एंबुलेंसों की तैनाती सीएचसी में की गयी ।

चतरा जिले में एम्बूलेंस का प्रावधान

1.4 सीएसआर डिस्पेंसरी तथा विशेष स्वास्थ्य शिविर का नियमित आयोजन

केंद्रीय अस्पताल, रांची में स्थित जन आरोग्य केंद्र तथा संचालित क्षेत्रों में कंपनी अस्पतालों के सीएसआर डिस्पेंसरियों के माध्यम से सीसीएल ने अपने कमान क्षेत्रों के ग्रामीणों को स्वास्थ्य हेतु सेवा प्रदान की है। तत्पश्चात, ग्रामीणों के मध्य पहुंचकर कंपनी ने गांवों तथा विद्यालयों में पूरे वर्ष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया । वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 684 शिविरों का आयोजन किया गया, जिससे 1,32,871 लोग लाभान्वित हुए।

स्वास्थ्य शिविर

मल्टी स्पेशियलिटी मेगा स्वास्थ्य शिविर, रोग विशिष्ट शिविर (मधुमेह, एनीमिया, उच्च रक्तचाप चिन्हित करने हेतु) तथा मोतियाबिंद सर्जरी शिविर का भी आयोजन किया है। जिन रोगियों को उच्चतर चिकित्सा की आवश्यकता होती है उनका कंपनी के केन्द्रीय अस्पताल में रेफर उपरांत निःशुल्क ईलाज किया जाता है।

1.5 रामगढ़ के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सीय उपकरणों की आपूर्ति

सीसीएल के कई परिचालित क्षेत्रों से जुड़ा रामगढ़ जिला एक महत्वपूर्ण जिला है। इस क्लस्टर के ग्रामीणों को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी अस्पताल, रामगढ़ में 4 बायोकैमिस्ट्री एनालाइजर, 2 एबीजी एनालाइजर , 4 हेमेटोलॉजी एनालाइजर आदि लगाने हेतु सीसीएल ने ₹88.60 लाख का योगदान दिया है ।

1.6 बोकारो जिला के एएनएम विद्यार्थियों को ई-स्कूटर

सीसीएल ने ₹75.16 लाख की लागत से बोकारो जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में प्रभावी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रसार हेतु सहायक नर्स (एएनएम) के लिए 100 ई-स्कूटर के क्रय व वितरण की स्वीकृति दी गयी है।

बोकारो में सहायक नर्सों के बीच ई-स्कूटर का वितरण

1.7 लातेहार में मॉडल प्रसव कक्ष

सीसीएल द्वारा ₹1.05 करोड़ की परियोजना लागत से लातेहार जिले के 15 सीएचसी/पीएचसी में मॉडल प्रसव कक्ष के निर्माण में सहायता दी गयी है। जिससे सीसीएल से जुड़े इन आकांक्षी जिलों के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को संस्थागत प्रसव की सुविधा के साथ मां तथा नवजात शिशुओं के स्वस्थ जीवन में सहायता प्राप्त मिलेगी।

1.8 कोडरमा में आँगन बाड़ी केन्द्रों का निर्माण

सीसीएल के सीएसआर योगना के अंतर्गत ₹42 लाख की लागत से कोडरमा जिले के 30 आंगनबाड़ी केंद्रों को आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र में स्तरोन्नत किया गया।

2. शिक्षा

सीसीएल ने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत आधार तैयार करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए कमान क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया है।

शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सीएसआर के तहत सीसीएल द्वारा की गई प्रमुख पहलें नीचे सूचीबद्ध हैं:

2.1 राजकीय पुस्तकालय, रांची

सीसीएल ने शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार से ₹65.25 करोड़ की लागत के साथ रांची विश्वविद्यालय में 5000 सीट वाले राज्य पुस्तकालय की स्थापना हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। पुस्तकालय में रीडिंग-हॉल, ई-रिसोर्स & जर्नल सेक्शन, कॉन्फ्रेंस रूम, डिजिटल लाइब्रेरी सेक्शन, ग्रुप-स्टडी के लिए क्यूबिकल्स, मीटिंग रूम, मेडिटेशन सेंटर, कैफेटेरिया आदि की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। यह पुस्तकालय छात्रों के अलावा आम लोगों के लिए भी खुला रहेगा। तथा इस परियोजना को पूरा होने में 2 वर्षों का समय लग सकता है।

2.2 सीसीएल के लाल और सीसीएल की लाडली

कमान क्षेत्रों अंतर्गत वंचित वर्ग के विद्यार्थियों (लड़कों और लड़कियों) का चयन योग्यता/प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाता है तथा जेईई मेन्स/एडवांस्ड/अन्य इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं के लिए सीसीएल के आईआईटीयन अधिकारियों द्वारा निशुल्क आवासीय कोचिंग एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रदान की जाती है।

इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के साथ सीसीएल कमान क्षेत्र के 20 छात्रों और 20 छात्राओं को नामांकन किया जाता है तथा संध्याकालीन कक्षाओं में आईआईटीयन अधिकारी कोचिंग देते हैं, वहीं +2 की पढ़ाई डीएवी गांधीनगर में होती है।

सीसीएल के लाल एवं सीसीएल के लाडली

2020-22 बैच का परिणाम: कुल 31 छात्रों में से 19 छात्रों ने सीबीएसई बारहवीं कक्षा में 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। 9 ने 80% से अधिक तथा अन्य 3 ने 70% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इंजीनियरिंग की प्रवेश-परीक्षा में 25 ने जेईई मेन्स के लिए क्वालीफाई किया तथा जिसमें से 7 ने जेईई एडवांस्ड पास किया है।

2.3 सीसीएल कोविड संकट छात्रवृत्ति योजना

कोरोना के कारण अपने माता-पिता या परिवार के प्राथमिक अन्नदाता के स्वर्गवास के उपरांत भी बच्चों की निर्बाध एवं नियमित पढ़ाई के लिए सीसीएल द्वारा वर्ष 2022 में "कोविड संकट छात्रवृत्ति योजना" का आरंभ की गयी। इस योजना के अंतर्गत सीसीएल कमान क्षेत्रों से सम्बद्ध जिलों में कक्षा 01 से स्नातक तक की पढ़ाई कर रहे छात्र-छात्राओं की नियमित शिक्षा के लिए दो वर्षों तक छात्रवृत्ति दी जाती है। वर्तमान में यह परियोजना अपने द्वितीय वर्ष में चल रही है। इस परियोजना को उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश की सराहना भी मिल चुकी है तथा इन लाभार्थियों को झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण के "शिशु परियोजना" से भी लाभ प्राप्त हुआ है।

सीसीएल कोविड संकट छात्रवृत्ती योजना

2.4 सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की सुविधा

चतरा तथा जामताड़ा जिला प्रशासन के समन्वय से सीसीएल द्वारा सरकारी विद्यालयों में कुल 94 स्मार्ट क्लास स्थापित किए गए हैं। टंडवा, चतरा के सरकारी विद्यालयों में एक्स्ट्रामार्क्स फाउंडेशन

सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास

द्वारा 54 स्मार्ट क्लास डिवाइस स्थापित किए गए। यह परियोजना अपने द्वितीय वर्ष में चल रही है। साथ ही, सरकारी शिक्षकों को प्रशिक्षण तथा सहयोग दिया जा रहा है। जामताड़ा के सरकारी विद्यालयों में कुल 40 स्मार्ट क्लास उपकरण लगाए गए। इस परियोजना सरकारी विद्यालयों को डिजिटल शिक्षण की सुविधा मिली है जिससे शिक्षण एवं अधिगम को अधिक रुचिकर एवं प्रभावशाली बनाते हुए विद्यार्थियों में शिक्षा-शिक्षण-स्कूल के प्रति रुचि जागृत हुई है।

2.5 कोडरमा और गिरिडीह के सरकारी विद्यालयों के भवन का निर्माण

कोडरमा तथा गिरिडीह जिलों के सरकारी विद्यालयों में सुविधाओं में बढ़ोतरी करते हुए ₹3.46 करोड़ की लागत से कुल 21 विद्यालयों में चारदीवारी का निर्माण, डीप बोरिंग की खुदाई, आरओ वाटर प्यूरीफायर लगाने, शौचालयों के निर्माण आदि का कार्य प्रगति पर है।

2.6 मिनी साइंस लैब : ग्रामीण छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करने तथा प्रभावी शिक्षा और छात्रों के स्मरण-शक्ति को बढ़ाने हेतु ₹19.92 लाख की लागत से चतरा के 4 सरकारी विद्यालयों में मिनी साइंस लैब की स्थापना की गई।

2.7 एकल विद्यालय: लातेहार जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में आदिवासी बच्चों की अनौपचारिक शिक्षा हेतु 120 एकल शिक्षक विद्यालयों को सीसीएल द्वारा धनराशि उपलब्ध कराई गयी है। (परियोजना लागत ₹ 26.40 लाख तथा अवधि 1 वर्ष)

2.8 शिक्षा के क्षेत्र में उठाए गए अन्य महत्वपूर्ण कदम

अपने कमान क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सीसीएल ने कई अन्य परियोजनाएं आरंभ की हैं, जिनमें से कुछ नीचे उल्लिखित है :

- सीसीएल ने अपने कमान क्षेत्र के अंतर्गत स्थित विद्यालयों में कक्षाओं के निर्माण, विद्त सामग्री की फिटिंग, डेस्क, बेंच आदि जैसे आधारभूत सुविधाएं प्रदान की हैं ।
- स्थानीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में आवासीय शिक्षा की सुविधा देने हेतु गोद लिए गए बच्चों (मुख्य रुप से अनाथ और अन्य वंचित छात्रों) को शैक्षिक सहायता दी गयी।
- छात्रों को पुस्तकें, बैग, स्टेशनरी, विद्यालय की फीस, विद्यालय-ड्रेस आदि प्रदान किए गए ।
- ग्रामीण छात्रों के विद्यालय आने-जाने हेतु विद्यालय बस किराए पर लिय गया।
- कक्षाएं एवं सामुदायिक पुस्तकालय

3. खेल प्रोत्साहन

3.1 खेल अकादमी, खेलगांव, झारखण्ड का संचालन/ अनुरक्षण

सितंबर 2015 में झारखंड सरकार के साथ किए गए समझौता ज्ञापन के तहत, 34वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान खेलगांव, होटवार, रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक खेल अकादमी की स्थापना की गई। इस अकादमी के निर्माण में हुआ व्यय सीसीएल तथा राज्य सरकार के बीच 50:50 के अनुपात में साझा किया गया। अकादमी का संचालन स्थानीय प्रबंधन समिति (एलएमसी) की मदद से झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी (जेएसएसपीएस) द्वारा किया जाता है, जिसमें सीसीएल के कर्मियों का भी बहुमूल्य योगदान रहता है। वर्तमान में 437 स्पोर्ट्स कैडेट (206 लड़कियां और 231 लड़के) प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। राज्यव्यापी कठिन प्रतिभा पहचान के माध्यम से चुने गए, लगभग 96% स्पोर्ट्स कैडेट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े समुदाय वर्ग से संबंध रखते हैं।

निशुल्क सुविधाएं : विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षण, खेल-कूद सामाग्री, हॉस्टल, मेस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में सेकेंडरी एजुकेशन, चिकित्सीय सेवा, ₹1 लाख का मेडिकल व दुर्घटना बीमा, ₹500 प्रति माह के दर से छात्रवृति तथा टूर्नामेंट में भाग लेने आदि हेतु सुविधाएं निशुल्क प्रदान की जाती हैं।

अकादमी, ओलंपिक पदक जीतने के अपने प्रतिष्ठित सपने को साकार करने हेतु का निरंतर प्रयास करती है। खेल कैडेटों ने जिला/राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कुल 847 पदक जीते हैं (स्वर्ण-376, रजत-240, कांस्य-231)।

सीसीएल द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 में अकादमी के संचालन में ₹7.99 करोड़ का व्यय किया गया।

इस परियोजना ने खेल-संवर्धन श्रेणी में सीसीएल को लगातार दूसरी बार (2019 और 2020-2022 में घोषित) राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार दिलाया है।

खेल अकादमी, होटवार

3.2 खेल-सामग्री का वितरण तथा फुटबाल मैदान का नवीकरण

खेल को एक उपयुक्त माध्यम मानते हुए तथा खेल-कूद को प्रोत्साहन देने हेतु सीसीएल ने अपने कमान क्षेत्र में रहने वाले युवाओं के मध्य फुटबॉल, क्रिकेट किट, वॉलीबॉल, नेट आदि का वितरण किया है।

4. पेयजल

खनन क्षेत्रों में स्थित गांवों में हमेशा जल की कमी रहती है। सीसीएल ने अपने कमान क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले लोगों के पेयजल की समस्या को दूर करने हेतु गहरे बोरिंग, सौर ऊर्जा से संचालित गहरे बोरिंग, हैंडपंप, कूपों, आरओ वाटर संयंत्र, वॉटर प्यूरीफायर, पाइपलाइन आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई है। अपने कमान क्षेत्रों अंतर्गत रहने वाले ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सीसीएल द्वारा इन स्रोतों की स्थापना की गयी है।

पिरी, बरकाकाना में सौर ऊर्जा चालित डीप बोरिंग

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आरंभ किए गए पेयजल स्रोतों का विवरण निम्नानुसार है:

गतिविधि	संख्या	व्यय (लाख में)
हैंड पम्प	86	59.11
कूप	12	43.79
गहरे बोरवेल	21	100.73
सौर सबमर्सिबल पम्प सहित गहरा बोरवेल	13	128.56
जल प्रशोधक	37	32.02
पाइप तथा अन्य के द्वारा जल वितरण	1	8.69

हरित-ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए कंपनी द्वारा दूर-दराज के गांवों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता के लिए जल भंडारण टैंक के साथ सौर ऊर्जा चालित गहरे बोरवेल बनाए गए हैं। वैसे क्षेत्रों में जहां बिजली की कमी/अनुलब्धता है वहाँ ग्रामीणों ने इन सुविधावों का बखूबी सदुपयोग किया है। इन उपकरणों के रखरखाव की व्यवस्था स्थानीय समूहों द्वारा की जाती है।

5. पर्यावरण और सतत विकास

5.1 रांची चिड़ियाघर में 2 शेर तथा 2 बाघ को गोद लेना

झारखंड चिड़ियाघर प्राधिकरण के साथ हुए समझौता ज्ञापन के तहत सीसीएल ने रांची के भगवान बिरसा जूलॉजिकल पार्क में तीन साल के लिए एक शेर तथा एक बाघ के जोड़े को गोद लिया है। चिड़ियाघर में रहने वाले पक्षियों तथा जानवरों के भोजन, चिकित्सा सामग्री एवं रखरखाव के मद में सीसीएल ने कुल ₹36 लाख का व्यय किया है। यह परियोजना अपने द्वितीय वर्ष में जारी है।

बिरसा प्राणी उद्यान में प्राणियों को गोद लिया गया

5.2 ट्री-एम्बुलेंस

इस अनूठी पहल के अंतर्गत सीसीएल ने अपने परिचालन क्षेत्र के समीपवर्ती जंगलों में संक्रमित पेड़ों के उपचार तथा उनकी दीर्घ आयु, रख-रखाव हेतु ₹ लाख की वित्तीय सहयता दी है। ₹51.09 लाख की लागत से इस परियोजना का कार्यान्वयन तीन वर्षों की अवधि हेतु आरकेडीएफ विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है।

5.3 तालाबों का निर्माण

भूजल स्तर को रिचार्ज करने तथा जल की उपलब्धता सुविधाजनक बनाने हेतु, सीसीएल द्वारा अपने कमान क्षेत्र में स्थित गांवों तथा आसपास के क्षेत्रों में तालाबों का निर्माण/जीर्णोद्धार कराया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ₹112.84 लाख की लागत से 14 तालाबों का जीर्णोद्धार/निर्माण कराया गया।

6. कौशल संवर्धन तथा आजीविका

हालिया वर्षों में स्थानीय युवाओं का कौशल संवर्धन लाभार्थियों की आजीविका तथा राष्ट्रीय/राज्य की अर्थव्यवस्था हेतु कुशल कार्यबल के निर्माण में हस्तक्षेप का महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है।

6.1 एचएमवी (हैवी मोटर वेहिकल) ड्राइविंग प्रशिक्षण

भारी मोटर वाहन चालकों की अत्यधिक मांग है तथा भारी मोटर वाहन चालक लाइसेन्स प्राप्त करना चालकों का उद्देश्य रहता है। सीसीएल ने ₹30.50 लाख की कुल लागत से झारखंड सरकार से अनुज्ञप्ति प्राप्त भारी मोटर वाहन चालान प्रशिशन केंद्र (डीटीसी) को नियुक्त कर सीसीएल कमान क्षेत्रों के 140 परियोजना प्रभावित

लोगों/ग्रामीणों को 45 दिवसीय निशुल्क आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया है। प्रशिक्षण केंद्र द्वारा प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एचएमवी ड्राइविंग लाइसेंस निर्गम की व्यवस्था भी की गयी।

लातेहार में भारी मोटर वाहन चालन प्रशिक्षण

6.2 सिलाई प्रशिक्षण : ₹11.44 लाख की लागत से रांची जिले में सनमार्गम फाउंडेशन के माध्यम से अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग कीं 50 महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण दिया गया। लाभार्थियों की स्वरोजगार गतिविधियों को व्यापक बनाने के लिए इस प्रयोजन में स्थानीय लघु और मध्यम परिधान निर्माण इकाइयों के साथ लिंकेज की व्यवस्था, स्थानीय बैंकों के साथ क्रेडिट लिंकेज, पीएमईजीपी योजना, मुद्रा योजना आदि जैसी योजनाएँ भी शामिल की गईं।

6.3 'ट्राइबल हाट'

ट्राइबल हाट- ग्रामीण कलाकारों का कौशल विकास

रामगढ़ जिले में ₹48.72 लाख की परियोजना लागत से 'ट्राइबल-हाट' (Tribal HAndicraft Artefact Tribune) परियोजना के तहत अमर जागृति केंद्र के माध्यम से 20 के समूह में स्वयं सहायता समूह बना कर 200 कारीगरों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इन महिलाओं को डोकरा कला, सुजनी कला, बांस शिल्प, जूट शिल्प का प्रशिक्षण दिया गया । वर्तमान स्थिति में कारीगर कलाकृतियाँ बनाकर व्यक्तियों, दुकानों में विक्रय कर रहे हैं। ई-मार्केटिंग पटल द्वारा विक्रय सक्षम किया जा रहा है।

6.4 टाना भगत समुदाय के 25 सदस्यों को मोटरसाइकिल के रखरखाव तथा मरम्मत तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया।

टाना भगतों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण

टाना भगत झारखंड का एक स्थानीय आदिवासी समुदाय है, जो अंग्रेजी शासन के प्रतिरोध और विशुद्ध गांधीवादी होने के लिए विख्यात है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत, झारखंड सरकार टूल रूम (उद्योग विभाग, झारखंड के तत्वावधान में एक सोसाइटी) की भागीदारी से 24 युवाओं को सीसीएल द्वारा मोटरसाइकिल रखरखाव और मरम्मत का प्रशिक्षण दिया गया। इस पहल के परिणामस्वरुप कुछ अभ्यर्थी मोटरसाइकिल मरम्मत की दुकानों में कार्य कर रहे हैं तथा कुछ ने निजी मोटरसाइकिल गैरेज खोलकर स्वरोजगार को बढ़ावा दिया है।

6.5 चितरपुर (रामगढ़) के सिलाई क्लस्टर में सोलर पीवी मॉड्यूल की स्थापना ।

सिलाई क्लस्टर, चितरपुर के लिए सोलर पीवी

सीसीएल द्वारा द एनर्जी&रिसोर्स इंस्टीट्यूट (टेरी) के साथ भागीदारी में रामगढ़ स्थित चितरपुर सिलाई क्लस्टर में 50 परिवारों को

सिलाई मशीन,पंखा दिया गया तथा बिजली के लिए सोलर पैनल, बैटरी और वायरिंग आदि लगाने में हुए कुल व्यय की 50 प्रतिशत राशि दी। व्यय की गयी कुल धनराशि लाभार्थियों तथा सीसीएल के बीच 50:50 के अनुपात में साझा किया गया। ₹8.75 लाख कम निवेश से बिजली कटने पर अतिरिक्त काम होने से मासिक आय में लगभग ₹2500 की वृद्धि होने के कारण इस पहल का काफी प्रभाव पड़ा है। सौर ऊर्जा से जुड़ी सिलाई मशीन के साथ दो बल्ब तथा एक पंखा उपलब्ध कराया गया जिससे उनके बच्चों के पठन-पाठन में सहायता मिली है।

6.6 युवाओं के लिए अल्पावधि प्रशिक्षण

स्थानीय ग्रामीणों विशेषकर युवाओं को आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए सीसीएल ने अपने कमान क्षेत्रों में फूड प्रोसेसिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, सिलाई, कंप्यूटर आदि जैसे विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान की है।

प्रशिक्षण का प्रकार	लाभार्थियों की संख्या	व्यय (₹ लाख में)
कम्प्यूटर प्रशिक्षण	120	1.79
खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण	986	20.00
प्लास्टिक प्रसंस्करण	160	72.80
दुग्ध एवं मत्स्य	50	0.51
कुल	1316	95.10

6.7 आजीविका सृजन

आजीविका और आय सृजन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों द्वारा मूढ़ी (पफ राइस) मशीन, मसाला पीसने की मशीन, सैनिटरी नैपकिन निर्माण केंद्र, सिलाई मशीन, मधुमक्खी के छत्ते आदि जैसे सीएसआर पहल किए गए।

7. स्वच्छता

7.1 रांची तथा हटिया रेलवे स्टेशन में बोतल क्रशिंग मशीन की स्थापना।

राँची तथा हटिया रेलवे स्टेशन में बोतल क्रशिंग मशीन

प्लेटफॉर्म की सफाई एवं स्वच्छ पर्यावरण के लिए प्लास्टिक की रिसाइक्लिंग के उद्देश्य से रांची रेलवे स्टेशन में 9 तथा हटिया रेलवे स्टेशन में 2 बॉटल क्रशिंग मशीनें लगाई गईं हैं।

7.2 शौचालय निर्माण

सीसीएल ने खुले में शौच को कम करने हेतु अपने कमान क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों/गांवों में लगभग 30 शौचालयों का निर्माण किया है, जिससे एक स्वस्थ व स्वच्छ वातावरण का निर्माण हुआ है।

7.3 स्वच्छता पखवाड़ा

कोयला मंत्रालय के निर्देशानुसार, विशिष्ट अवधि के दौरान कंपनी द्वारा सभी क्षेत्रों / मुख्यालय में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिनांक 16.06.2022 से 30.06.2022 तक स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया था ।

सीसीएल के क्षेत्रों/मुख्यालय में वृक्षारोपण, विद्यालयों व अस्पतालों की सफाई, कार्यालयों तथा आवासीय परिसरों की सफाई, स्टेशनरी वस्तुओं के सदुपयोग हेतु एकल उपयोग प्लास्टिक को कम करने, पुनः प्राप्त भूमि पर ठोस कूड़ा-कचड़ा को खाद में बदलने, वर्षा के जल का संचयन तथा जल पुनर्चक्रण, मास्क, सैनिटाइज़र, साबुन आदि सामग्रियों के वितरण जैसे विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया ।

8. ग्रामीण विकास योजनाएं

सार्वजनिक बैठक/सामाजिक समारोह आयोजन का स्थल, आवागमन तथा अन्य आवश्यक कार्यों के लिए सामुदायिक भवन, सड़क आदि की बहुधा मांग ग्रामीणों द्वारा की जाती है।

8.1 राय- खलारी रोड के चौड़ीकरण का प्रावधान

यह सड़क सीसीएल के उत्तरी कर्णपुरा तथा पिपरवार क्षेत्र के समीप रहने वाले ग्रामीणों की जीवन-रेखा है। स्थानीय लोगों तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की मांग पर सीसीएल ने राय-खलारी रोड (6 कि.मी.) के सुदृढ़ीकरण व चौड़ीकरण हेतु ₹8.02 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है। आरईओ वर्क्स डिवीजन, रांची के माध्यम से इस सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

8.2 सड़क का निर्माण

पिपरवार क्षेत्र द्वारा चतरा के बेंती गांव में ₹79.56 लाख की लागत से लगभग 800 मीटर के पीसीसी रोड सहित 4 पुलियों का निर्माण किया गया ।

9. सीएसआर की अन्य प्रमुख पहलें

9.1 "हर घर तिरंगा" अभियान ।

"आजादी का अमृत महोत्सव" के तहत घरों, कार्यालयों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के राष्ट्रीय अभियान के साथ जुड़ते हुए सीसीएल ने मुख्य रुप से ट्राइफेड और जेएसएलपीएस से झंडों की व्यवस्था की, जिसके परिणामस्वरुप अभियान के सम्मान के साथ-साथ आदिवासियों की आजीविका में भी सुधार हुआ।

सीसीएल ने झारखंड सरकार को ₹2.0 करोड़ की सहायता प्रदान करने के साथ-साथ लगभग 13 लाख झंडों के क्रय हेतु ₹ 2.40 करोड़ का व्यय किया है।

हर घर तिरंगा अभियान-2021

9.2 प्रौद्योगिकी इनक्यूबेशन:

झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत नए उद्यमियों/एमएसएमई स्टार्ट-अप को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु जेयूटी में एक टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर (टीबीआई) स्थापित किया गया। 3 वर्षों की यह योजना अपने द्वितीय वर्ष में चल रही है।

9.3 पशु एम्बुलेंस:

घायल/बीमार जानवरों (आवारा जानवरों और पशुधन) के इलाज हेतु ओटी की सुविधा सहित 24x7 पशु एम्बुलेंस -सह-आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहन प्रदान करने व चलाने के लिए होप&एनिमल ट्रस्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है, जिसकी परियोजना लागत ₹37.00 लाख है। इस योजना की अवधि 1 वर्ष की है।

आवारा पशुओं के लिए पशु एम्बुलेंस

10. सीएसआर पुरस्कार तथा सम्मान

6 जनवरी को मुंबई में आयोजित पुरस्कार समारोह में सीसीएल को वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ कारपोरेट (बड़ी श्रेणी) के अंतर्गत प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया से आईसीएसआई सीएसआर उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुआ।

आईसीएसआई -सीएसआर उत्कृष्टता पुरस्कार-2022

दिनांक 18.08.2022 को, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार ने विभिन्न श्रेणियों में द्वितीय राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा की है। सीसीएल को रांची के होटवार स्थित खेल अकादमी चलाने की अपनी प्रमुख परियोजना के लिए "खेल को बढ़ावा देने" की श्रेणी में विजेता घोषित किया गया।

25. समाधान योजना

सीसीएल में कार्यरत या सेवानिवृत समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों, संवेदकों, उपभोक्ताओं या सीसीएल से संबंधित किसी भी व्यक्ति की शिकायत के निवारण हेतु 27.04.2012 को एक शिकायत केंद्र की स्थापना की गयी थी।

शिकायतकर्ता अपनी शिकायत व्यक्तिगत रुप से, लिखित रुप में, अथवा सीसीएल वेबसाइट पर शिकायत डेस्क के अंतर्गत उपलब्ध ऑनलाइन समाधान पोर्टल (https://www.centralcoalfields.in/ccl_cmplnt/mobileauth1.php) पर दर्ज कर सकते हैं तथा उन्हें टोल फ्री नंबर 18003456501 पर हर संभव सहायता भी प्रदान की जाती है। पोर्टल पर दर्ज शिकायत होने के उपरांत ऑनलाइन जनित पावती संख्या शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भेजी जाती है। शिकायत की स्थिति/प्रतिपुष्टि ऑनलाइन उपलब्ध रहती है जिसे कंपनी की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

मुख्यालय में शिकायत की समीक्षा करने के उपरांत, इसे संबंधित क्षेत्र/विभाग को अग्रेषित किया जाता है, जो शिकायत से संबंधित इकाई को ऑनलाइन अग्रेषित की जाती है। सभी स्तरों पर संबद्ध इकाई/क्षेत्र/मुख्यालय के विभागों के संबंधित नोडल अधिकारियों की सूचना के लिए एसएमएस सुविधा अंतर्निहित है।

नए मामले की सूचना संबंधित इकाई/क्षेत्र/मुख्यालय के संबंधित नोडल अधिकारी को प्रस्थिति बताने के लिए अनंतर अग्रेषित की जाती है।

दर्ज शिकायतों की दैनिक अनुवर्ती कार्रवाई फोन के माध्यम से अथवा व्यक्तिगत रुप से की जाती है।

संबंधित नोडल अधिकारी द्वारा 7 दिनों के भीतर अनुपालन न करने की स्थिति में, मामला संबंधित महाप्रबंधक/ विभागाध्यक्ष/ स्टाफ अधिकारी (का. एवं प्र.) के सम्मुख रखा जाता है और उनके मोबाइल नंबर पर एसएमएस द्वारा सूचना दी जाती है।

यदि संबंधित महाप्रबंधक/ विभागाध्यक्ष/ स्टाफ अधिकारी (का. एवं प्र.) द्वारा 14 दिनों के अन्दर शिकायत का निवारण न करने की स्थिति में, मामला महाप्रबंधक (समाधान) और निदेशक (कार्मिक) के तक। सचिव के सम्मुख व्यक्तिगत रुप से रखा जाता है तथा उनके मोबाइल नंबर पर एसएमएस द्वारा सूचना दी जाती है।

कुछ तकनीकी कारणों या किसी अन्य कारण से यदि शिकायत लंबित हो जाती है तो इस स्थिति में, व्यक्तिगत रुप से शिकायत को निदेशक (कार्मिक) के संज्ञान में लाया जाता है और उनके मोबाइल नंबर पर एसएमएस द्वारा सूचना दी जाती है।

संबंधित क्षेत्र/विभाग द्वारा प्राप्त उत्तर की समीक्षा की जाती है और यदि संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो मामले को पुनः समीक्षा तथा यथोचित उत्तर के लिए संबंधित क्षेत्र/विभाग को भेजा जाता है और यदि संतोषजनक पाया जाता है, तो उत्तर शिकायतकर्ता को शिकायत प्रस्तुत करने प्रकार्य अनुसार पत्र/ईमेल अथवा ऑनलाइन के माध्यम से अग्रेषित कर दिया जाता है।

वर्ष 2022-23 में समाधान सेल कि उपलब्धियां.

वर्ष 2022-23 में समाधान सेल के कुल 330 शिकायतें प्राप्त हुईं जिस में से 330 शिकायतों का निष्पादन किया गया फलस्वरुप उपलब्धि प्रतिशतता 100 % रही है ।

26. वन एवं पर्यावरण

क. पर्यावरणीय स्वीकृतियां:

1. सांविधिक स्वीकृति:

वित्त वर्ष 2022-23 में प्राप्त टीओआर तथा पर्यावरणीय स्वीकृतियां निम्न की तालिका में सूचीबद्ध है :

अ. वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राप्त टीओआर:

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	क्षमता (मि.टन/वर्ष में)	टीओआर निर्गम की तिथि
1	ढोरी खास (लोअर) ओसीएम	2	12.12.2022
2	रोहिणी खुली खदान परियोजना	0.75	24.03.2023

ब. वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राप्त पर्यावरणीय स्वीकृतियाँ

क्रम सं	परियोजना का नाम	क्षमता (मि.टन/वर्ष में)	पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गम की तिथि
नई पर्यावरणीय स्वीकृतियाँ			
1	भुरकुंडा कोलियरी	2.05	13.07.2022
2	कथारा खुली खदान परियोजना	1.90	18.10.2022
3	कबरीबाद खुली खदान परियोजना	0.60	30.01.2023
4	ढोरी खास (लोअर) खुली खदान	2	30.01.2023
5	गिद्दी 'ए' खुली खदान परियोजना	1	24.03.2023
पर्यावरणीय स्वीकृति क्षमता में वृद्धि			
1	उत्तरी उरीमारी खुली खदान परियोजना	4.2	13.02.2023
पर्यावरणीय स्वीकृति की वैद्यता का विस्तार/परिशिष्ट			
1	केडीएच विस्तार खुली खदान परियोजना	5	26.12.2022
2	उत्तरी उरीमारी खुली खदान परियोजना	3.6	27.12.2022
3	कारो विस्तार खुली खदान परियोजना	3.5	16.01.2023

स. वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त सीटीओ/सीटीई तथा अन्य स्वीकृतियाँ :

जल और वायु अधिनियमों के तहत सीसीएल की सभी परिचालन इकाइयों के लिए झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जेएसपीसीबी) द्वारा संचालन की सहमति (सीटीओ) प्राप्त की गई है। वित्त वर्ष 2022-23 में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 52 सीटीओ का नवीनीकरण/निर्गत किया गया है। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2022-23 में सीसीएल की विभिन्न इकाइयों के लिए 5 परियोजनाओं की सीटीई और 3 संख्या में स्टॉक परिसमापन अनुमति भी जारी की गई है।

2. वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय:

क. सीसीएल की प्रत्येक इकाई में मिस्ट टाइप वाटर स्प्रिंकलर सहित मोबाइल वाटर स्प्रिंकलर उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा सीसीएल की परियोजनाओं में फिक्स वाटर स्प्रिंकलर भी लगाए गए हैं।

ख. वित्त वर्ष 2022-23 में सीसीएल की इकाइयों के लिए 15 ट्रॉली माउंटेड फॉग कैनन की क्रय तथा स्थापित किया गया।

ग. ओवरबर्डन के ऊपर, बुनियादी अवसंरचनाओं के निकट वृक्षारोपण तथा हरित पट्टी का विकास।

घ. केवल आच्छादित ट्रकों से कोयले का परिवहन।

ङ. मोबाइल/फिक्स्ड वॉटर स्प्रिंकलर के माध्यम से रेलवे साइडिंग पर विंड ब्रेकिंग प्रणाली एवं पानी के छिड़काव की व्यवस्था की जाती है।

3. जल संसाधन प्रबंधन :

क. खनन कार्य के कारण जलस्तर तथा भूजल गुणवत्ता की नियमित निगरानी पीजोमीटरों के नेटवर्क तथा अन्य बोर/खुले कूपों के माध्यम से की जा रही है।

ख. सतही जल एवं बहिःस्राव जल की नियमित निगरानी की जा रही है।

ग. सतही बहाव के खान संप तक प्रवाह के लिए कैच ड्रेन और गारलैंड ड्रेन का निर्माण किया गया है।

घ. सीसीएल के कमान क्षेत्र में खदान-जल का उपयोग आसपास के गांवों (120 संख्या) में पानी की आपूर्ति के लिए किया जाता है, जिससे लगभग 1,86,703 लोग लाभान्वित होते हैं। सीसीएल कमान क्षेत्र में खदान के पानी के उपयोग की विवरणी नीचे सारणीबद्ध है:

सभी आंकड़े लाख घन मी. में

औसत खान डिस्चार्ज	व्यक्तिगत उपयोग हेतु		सार्वजनिक उपयोग हेतु		रिचार्ज/भविष्य में उपयोग हेतु
	घरेलू	व्यावसायिक	घरेलू	सिंचाई	
373.9	75.12	150	86.8	10.44	51.54

ङ. सीसीएल के खदान खड्डों का सदुपयोग स्थानीय समुदाय/स्वयं सहायता समूहों द्वारा पिंजड़ाबंद मछली उत्पादन/मत्स्य पालन के लिए किया जा रहा है।

सीसीएल के उत्तरी कर्णपुरा क्षेत्र स्थित खदान खड्डे में पिंजड़ाबंद मछली पालन।

4. भूमि-उद्धार तथा वृक्षारोपण

क. वित्त वर्ष 2022-23 में किए गए वृक्षारोपण की तालिका नीचे प्रस्तुत है।:

पौधों की संख्या	रोपित पौधों का कुल क्षेत्रफल (हे. में)
3,75,401	178.85

ख. अपने कमान क्षेत्र में इको-पार्क के विकास हेतु सीसीएल ने वैपकोस के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है । इस समझौता ज्ञापन के तहत, वैपकोस लगभग 63 करोड़ की लागत से 100 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्र को आच्छादित करते हुए सीसीएल के कमान क्षेत्रों में कुल नौ (09) इको-पार्क का विकास और रखरखाव करेगा।

5. पर्यावरणीय अनुश्रवण:

क. एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला के साथ सीएमपीडीआई की मदद से वर्ष 2022-23 के दौरान सीसीएल के समस्त इकाइयों में वायु, जल एवं ध्वनि का नियमित पर्यावरणीय अनुश्रवण किया जा रहा है।

ख. वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सीसीएल की 14 परियोजनाओं हेतु एक सीजन का बेसलाइन डाटा जनरेशन का काम भी किया गया।

ग. सीसीएल के कमान क्षेत्रों में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जेएसपीसीबी) के सर्वर से जुड़े डेटा के साथ 14 सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (सीएएक्यूएमएस) एवं 28 कंटीन्यूअस पीएम10 एनालाइजर पहले से स्थापित हैं।

घ. वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान सीएमपीडीआई के माध्यम से सैटेलाइट के आंकड़ों तथा रिमोट सेंसिंग के आधार पर सीसीएल की 27 खुली खदानों की भूमि-उद्धार का अनुश्रवण किया जा रहा है।

6. आईएमएस प्रमाणन :

सीसीएल स्थित इकाइयों के लिए आईएमएस (आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015, आईएसओ 45001: 2018) का पुनर्प्रमाणन 12.05.2022 को निर्गत हुआ। सीसीएल की पांच इकाइयों में एक पाइलट परियोजना के रुप में ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 50001:2018) के कार्यान्वयन की प्रक्रिया दिसंबर-2022 में आरंभ हुई है।

7. वित्त वर्ष 2022-23 में पर्यावरण से संबंधित अन्य गतिविधियां:

क. अरगडा क्षेत्र, सीसीएल, रांची, झारखंड के गिद्दी 'ए' कोलियरी पिट लेक में प्रस्तावित रामसर साइट की जैव-विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र का आकलन करने हेतु दिनांक 16.02.2023 को वेटलैंड्स इंटरनेशनल साउथ एशिया के साथ ₹18.29 लाख की लागत पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर सीसीएल द्वारा किया गया है। उक्त कार्य की अवधि 06 माह की है।

ख. भारतीय कोयला खनन उद्योग के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन की रुपरेखा की समीक्षा हेतु दिनांक 03.02.2023 को सीसीएल ने आइआइटी (आईएसएम) धनबाद को कुल ₹ 24.09 लाख की लागत का कार्य-आदेश जारी किया है। उक्त कार्य की अवधि 12 माह की है।

ग. सीसीएल ने दक्षिण कर्णपुरा कोलफील्ड्स, दामोदर नदी बेसिन, झारखंड के समीपवर्ती पारिस्थितिकी-तंत्र में खनन कार्य के प्रभाव के आकलन हेतु 18.10.2022 को झारखंड के केंद्रीय विश्वविद्यालय को ₹48.73 लाख की लागत से कार्य-आदेश जारी किया है। उक्त कार्य की अवधि 07 माह की है।

घ. सीसीएल ने खदान स्थल के उद्धार के लिए मृदा-संरक्षण तथा उपयोग एवं देशीय पारिस्थितिकी-तंत्र के प्रत्यारोपण की कार्य-प्रणाली के विकास के लिए ₹441 लाख की लागत से दिनांक 22.11.2021 को आईसीईएफ़आरई-आईएफपी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। उक्त कार्य वित्तीय वर्ष 2022-23 में क्रियान्वयन के अधीन है।

8. अन्य पर्यावरण संबंधी समारोह:

क. पारिस्थितिकी-तंत्र को बहाल के लिए नयीं पहलों को प्रोत्साहन देने तथा संवहनीय खनन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने के लिए सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के समस्त क्षेत्रों तथा परियोजनाओं में "विश्व पर्यावरण दिवस-2021" दिनांक 05.06.2022 को मनाया गया। इस अवसर पर सीसीएल के कमान क्षेत्र में पौधारोपण के साथ-साथ पौधा वितरण, क्विज, निबंध व ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

विश्व पर्यावरण दिवस के आयोजन की कुछ झलकियाँ

ख. एमओईएफ़&सीसी के निर्देशन में भारत में चीतों की वापसी से संबंधित जागरुकता उत्पन्न करने हेतु विभिन्न विद्यालयों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें सीसीएल कार्मिकों, छात्रों, शिक्षकों ने अपनी सृजनात्मकता का परिचय पोस्टर, चित्रकारी आदि के माध्यम से दिया।

भारत में चीतों की वापसी के अवसर पर आयोजित गतिविधियों की कुछ झलकियाँ

ख. वानिकी स्वीकृति:

i. चरण I वानिकी स्वीकृति: 1311.94 हेक्टेयर क्षेत्रफल हेतु 4 प्रस्ताव

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	चरण1 की तिथि
1	होन्हे से शिवपुर साइडिंग तक सड़क	8.38	19.09.2022
2	पुरनाडीह खुली खदान परि.	321.69	17.01.2023
3	केडीएच खुली खदान परि.	126.72	27.02.2023
4	कोतरे बसंतपुर पचमो खुली खदान परि.	855.17	27.02.2023
	कुल	**1311.96**	

ii. चरण II वानिकी स्वीकृति: 8.38 हेक्टेयर क्षेत्रफल हेतु 1 प्रस्ताव

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	चरण1 की तिथि
1	होन्हे से शिवपुर साइडिंग तक सड़क	8.38	15..01.2023
	कुल	**8.38**	

iii. साइट हैंडओवर: 32.61 हेक्टेयर क्षेत्रफल हेतु 1 प्रस्ताव

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	साइट हैंडओवर की तिथि
1	कर्मा खुली खदान परि. (132.28)	32.61	17.02.2023
	कुल	**32.61**	

iv. मगध कोयला ब्लॉक (8.54 हेक्टेयर) में कोल पाइप कन्वेयर की 5.55 हेक्टेयर वन भूमि हेतु एक वर्ष की अस्थायी कार्य अनुमति 23.12.2022 को दी गई

v. झारखंड सरकार द्वारा जलवायु एमओईएफ&सीसी/आईआरओ-एमओईएफ&सीसी को अनुशंसित प्रस्ताव

क्र.सं.	प्रस्ताव का नाम	क्षेत्रफल (हे. में)	अनुशंसा की तिथि
1	होन्हे से शिवपुर साइडिंग तक सड़क	8.38	08.04.2022
2	पुरनाडीह खुली खदान परि.	323.49	17.08.2022
3	केडीएच खुली खदान परि.	126.72	22.08.2022
4	कोतरे बसंतपुर पचमो खुली खदान परि.	855.17	30.09.2022
5	उरीमारी खुली खदान परि.	34.64	23.12.2022
6	उत्तर उरीमारी रेलवे साइडिंग	11.11	03.01.2023
7	आम्रपाली खुली खदान परि.	431.59	06.03.2023
8	मगध खुली खदान परि.	192.36	06.03.2023
9	सौंडा डी नवीनीकरण	99.69	14.12.2022
10	उरीमारी खुली खदान परि. नवीनीकरण	49.97	14.12.2022
11	रजरप्पा खुली खदान परि.	277.15	07.09.2022
12	केदला खुली खदान परि.	168.50	28.11.2022
13	लाइयो भूमिगत	78.59	02.12.2022
14	एसडीखुली खदान परि.	7.45	21.02.2023
		2664.81	

vi. ऑनलाइन समर्पित वन स्वीकृति आवेदन/संशोधन:

क्र. सं.	प्रस्ताव का नाम	क्षेत्रफल (हे. में)	आवेदन/संशोधन की तिथि
1	मगध रेलवे साइडिंग	115.18	15.09.2022
2	आम्रपाली रेलवे साइडिंग	120.61	29.11.2022
3	कबरीबाद खुली खदान परि.	27.37	10.01.2023
	कुल	**263.16**	

vii. वित्त वर्ष 2022-23 में वन विभाग द्वारा कैपेक्स के अंतर्गत ₹ 306.94 करोड़ का भुगतान किया गया है।

viii. 565.52 हेक्टेयर जीएमजेजे भूमि के 7 प्रस्तावों हेतु निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

क्र. सं.	प्रस्ताव का नाम	क्षेत्रफल (हे. में)	निर्गम तिथि
1	चंद्रगुप्त खुली खदान परि. (चतरा)	3.46	10.06.2022
2	चंद्रगुप्त खुली खदान परि.) हजारीबाग)	161.81	30.08.2022
3	अरगड़ा खुली खदान परि.	18.2	30.09.2022
4	आम्रपाली रेलवे साइडिंग	17.35	11.11.2022
5	मगध रेलवे साइडिंग	18.9	10.01.2023
6	अशोक विस्तार खुली खदान परि.	307.99	10.01.2023
7	पिपरवार भूमिगत खदान	37.81	10.01.2023
	कुल	**565.52**	

ix. 1717.865 हेक्टेयर भूमि के प्रस्ताव हेतु चिन्हित प्रतिपूरक वनीकरण

क्र. सं.	प्रस्ताव का नाम (हेक्टेयर में क्षेत्र)	प्रतिपूरक वनीकरण का क्षेत्रफल
1	आम्रपाली रेलवे साइडिंग (120.61)	241.22
2	मगध रेलवे साइडिंग (115.18)	230.36
3	आम्रपाली खुली खदान परि. के लिए अतिरिक्त सीए (431.59)	127
4	मगध खुली खदान परि. के लिए अतिरिक्त सीए (115.18)	30.02
5	अशोक खुली खदान परि. (28.35)	56.70
6	पिपरवार में 20 मेगावाट सौर पीवी परियोजना (17.06)	34.12
7	चंद्रगुप्त खुली खदान परि. (चतरा डिवीजन भाग)	801.92
8	कारो खुली खदान परि. (226.67)	108.94
9	रजरप्पा खुली खदान परि.	84
10	रजरप्पा (1.5 गुना सुरक्षा क्षेत्र क्षेत्र)	3.585
	कुल	**1717.865**

x. 3816.485 हेक्टेयर प्रतिपूरक वनीकरण के 12 प्रस्तावों का डीजीपीएस और केएमएल का निर्माण:

क्र. सं.	प्रस्ताव का नाम (हेक्टेयर में क्षेत्र)	प्रतिपूरक वनीकरण का क्षेत्रफल
1	रजरप्पा खुली खदान परि.	84
2	भुरकुंडा कोलियरी	1225
3	होन्हे से शिवपुर तक सड़क	83.80
4	आम्रपाली रेलवे साइडिंग	260
5	आम्रपाली खुली खदान परि.	127
6	कर्मा खुली खदान परि.	193.16
7	करो खुली खदान परि.	108.94
8	झारखंड खुली खदान परि. नवीनीकरण	116
9	लाइयों भूमिगत खदान	158
10	रजरप्पा खुली खदान परि. (1.5 गुना सुरक्षा क्षेत्र)	3.585
11	चंद्रगुप्त खुली खदान परि.	1400
12	अशोक खुली खदान परि.	57
	कुल	**3816.485**

xi. 1287.61 हेक्टेयर वन भूमि के लिए प्रस्ताव की 11 संख्या की डीजीपीएस/केएमएल/भूमि उपयोग योजना तैयार करना:

क्र. सं.	प्रस्ताव का नाम	वन क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	अशोक खुली खदान परि.	259.17
2	मगध रेलवे साइडिंग	115.18
3	पिछरी खुली खदान परि.	53.94
4	आम्रपाली रेलवे साइडिंग	120.61
5	केदला दानिया रेलवे साइडिंग	34.26
6	कबरीबाद खुली खदान परि.	27.37
7	लाइयो भूमिगत खदान (287.56 हेक्टेयर केएमएल और भूमि उपयोग)	78.59
8	केदला खुली खदान परि. (1084.49 केएमएल और भूमि उपयोग)	168.50
9	खासमहल भूमिगत खदान परि.	14.99
10	चैनपुर खुली खदान परि.	308
11	पूर्वी परेज भूमिगत खदान परि.	107
	कुल	**1287.61**

xii. विभिन्न योजनाओं की तैयारी और अनुमोदन:

क्र. सं.	प्रस्ताव	योजना	अनुमोदन दिनांक
1	मगध कोयला ब्लॉक में	साइट विशिष्ट वन्यजीव प्रबंधन योजना	26.07.2022
2	कोयला पाइप कन्वेयर	जलग्रहण क्षेत्र प्रशोधन योजना	22.11.2022
3	कारो खुली खदान परि.	साइट विशिष्ट वन्यजीव प्रबंधन योजना	17.03.2023

27. भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास

1. भूमि अधिग्रहण की स्थिति

वर्ष 2022-23 के दौरान कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन एवं विकास) अधिनियम,1957 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के निम्नलिखित प्रस्तावों पर अग्रेत्तर प्रगति निम्नदर्शित है:

क्र.सं.	विवरण	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1.	रोहिणी करकट्टा खुली खदान हेतु सीबीए धारा 4(1) देखें एस.ओ. -705 दिनांक 02 अगस्त 2022	1173.48
2.	सिरका खुली खदान परियोजना हेतु सीबीए धारा 4(1) देखें एस.ओ. -779 दिनांक 14.09.2022	92.91
3.	पुंडी खुली खदान परियोजना हेतु सीबीए धारा 4(1) देखें एस.ओ. -539 (ई) दिनांक 02.2.2023	50.59
4.	मगध खुली खदान परियोजना सीबीए धारा 4(1) देखें एस.ओ. -1397 (ई) दिनांक 23.03.2023	23.03
5.	गिद्दी- 'सी' खुली खदान सीबीए धारा 7(1) देखें एस.ओ. - 680 दिनांक 20.07.2022	42.88
6.	गोविंदपुर चरण- II सीबीए धारा 7(1) देखें एस.ओ. -3221 (ई) दिनांक 18.07. 2022	178.31
7.	झारखंड लईयो खुली खदान सीबीए धारा 7(1) देखें एस.ओ. 801 दिनांक 26.08.2022	108.10
8.	चंद्रगुप्त खुली खदान परियोजना सीबीए धारा (1)7 देखें एस.स 118 दिनांक 15.11.2022	170.72
9.	होन्हे शिवपुर रोड़, आम्रपाली खुली खदान परियोजना सीबीए धारा 7(1) देखें एस.ओ. 5558(ई) दिनांक 30.11.2022	6.44
10.	कल्याणी खुली खदान परियोजना सीबीए धारा 9(1) देखें एस.ओ. सं. 645 दिनांक 8.07.2022, ई	291.24
11.	आम्रपाली खुली खदान परियोजना सीबीए धारा 9 (1) देखें एस.ओ. सं. 3220 दिनांक 18.07.2022,	107.32
12.	कल्याणी खुली खदान सीबीए धारा 11 (1) देखें एस. ओ.1077 दिनांक 05.11.2022	291.24

- सीबीए (ए&बी) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत कुल 12 राजपत्र अधिसूचना जारी किए गए।
- प्रस्तावित सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के निर्माण के लिए सीसीएल द्वारा झारखंड सरकार से 5.5 एकड़ भूमि ली गई है इस हेतु हस्तांतरण विलेख प्रक्रियाधीन है ।

2. नियोजन:

वर्ष 2022-23 के दौरान भू.अ. एवं राजस्व विभाग द्वारा 211 नियोजन-प्रस्तावों को निष्पादित किया गया। 31.03.2023 तक 211 प्रस्तावों में से 161 नियुक्ति-पत्र जारी किए गए हैं।

3. पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना:

वर्ष 2022-23 के दौरान 271 घरों/निर्माण में निवास करने वाले कुल 321 स्थानांतरित परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना मद मे कुल ₹28.77 करोड़ पुनर्वसन लाभ एवं पुनर्वासित स्थल के विकास की गतिविधियों के लिए स्वीकृत किए गए।

4. भू-मुआवजा: (₹527.91करोड़)

सीसीएल ने वित्त वर्ष 2022-23 में, ₹527.91 करोड़ भूमि मुआवजे का भुगतान किया, जिसमें से झारखंड सरकार को ₹493.80 करोड़ सरकारी अधिग्रहित भूमि के मद मे अग्रिम राशि झारखंड सरकार को दी गई। प्रस्तावित सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के निर्माण हेतु ₹12.83 करोड़ का भुगतान झारखंड सरकार को तथा विभिन्न भू-स्वामियों को भूमि के मद में ₹19.38 करोड़ का भुगतान किया गया। साथ ही ₹0.45 करोड़ का भुगतान प्राधिकरण तथा डीएलएओ को किया गया।

5. विधिक मुकदमों का निष्पादन:

वित्त वर्ष 2022-23 में भूमि से संबंधित कुल 52 मुकदमों का निपटारा हुआ जिसमें से 39 भूमि से संबंधित मुकदमों का निष्पादन आयोजित विभिन्न लोक अदालतों द्वारा किया गया।

28. भूगर्भ विज्ञान विभाग

(i) भूगर्भीय एवं अन्य सेवाएं

वर्ष 2022-23 के दौरान निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। उनमें से अधिकांश सीसीएल कमान क्षेत्र के सीआईएल ब्लॉकों में अन्वेषण और उत्पादन समर्थन खनन सेवाओं से संबंधित हैं।

1. क्षेत्रीय निदेशक और विभागाध्यक्ष (अन्वेषण), क्षे.सं.-III, सीएमपीडीआई, रांची के साथ चालू ब्लॉकों के लोकेशन योजनाओं के संबंध में पारस्परिक विमर्श जहां सीसीएल कमान क्षेत्र के सीआईएल ब्लॉकों में विभागीय और आउटसोर्सिंग मोड के माध्यम से अन्वेषण किया जा रहा है।
2. क्षे.सं.- III, सीएमपीडीआई, रांची द्वारा सीसीएल कमान क्षेत्र के सीआईएल ब्लॉकों में विभागीय सहित आउटसोर्सिंग माध्यम किए गए भूगर्भीय, भूभौतिकीय (भूभौतिकीय लॉगिंग, प्रतिरोधकता और वीईएस सर्वेक्षण) अन्वेषण कार्य का अनुश्रवण।
3. वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भूगर्भ विज्ञान विभाग,सीसीएल का प्रदर्शन निम्न प्रदर्शित है :

भूगर्भ विज्ञान विभाग, सीसीएल2022-23 - का प्रदर्शन

	वित्तीय वर्ष 2021-22 उपलब्धियां	वित्तीय वर्ष 2022-23		विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि (%)	लक्ष्य से अधिक वृद्धि (%)
		लक्ष्य	उपलब्धियॉ		
विभागीय (मीटरेज)	50535	54000	57828	14.43%	107.09%
आउटसोर्स (मीटरेज)	7451	35000	31434	321.88%	90.0%
कुल मीटरेज	**57986**	**89000**	**89262**	**53.94%**	**100.29%**
पूंजीगत व्यय (करोड़)	55	65	65	18%	100%
भूगर्भीय रिपोर्ट (जीआर)	2	3	3	50%	100%

- सीसीएल कमान क्षेत्र में अन्वेषण ड्रिलिंग में 59.94% की प्रगति हुई है।
- 3-डी सिस्मिक सर्वे के लिए ₹17.0 करोड़ आवंटित किए गए हैं परंतु 2022-23 में काम नहीं प्रारंभ हुआ।
- वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 6000 मिलियन टन की अतिरिक्त ड्रिलिंग प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

4. क्षे.सं.- III, सीएमपीडीआई, रांची द्वारा प्रस्तुत भूवैज्ञानिक रिपोर्ट का याद्दच्छिक पुनरीक्षण। पुनरीक्षित भूवैज्ञानिक रिपोर्ट इस प्रकार हैं:

1. धाधू पूर्व (दक्षिण), उत्तरी कर्णपुरा कोयला क्षेत्र।
2. सयाल डी, दक्षिणी कर्णपुरा कोलफील्ड्स।
3. पिछरी, पूर्वी बोकारो कोलफील्ड्स।
4. राजबर 'ए', औरंगा कोलफील्ड्स।

5. विभागीय सहित आउटसोर्सिंग द्वारा सीसीएल कमान क्षेत्र अंतर्गत सीआईएल ब्लॉकों में कोयला परीक्षण तथा भूभौतिकीय बिल सहित अन्वेषण कार्य के लिए लिए सीएमपीडीआई के 79 बिलों (20.03.2023 तक) का प्रसंस्करण।

6. सीसीएल कमान क्षेत्र के सीआईएल ब्लॉकों में 102 ड्रिल किए गए बोरहोल का संयुक्त मापन प्रमाणन हेतु क्षेत्र का दौरा।

7. आउटसोर्सिंग प्रस्तावों पर विचार-विमर्श के लिए तकनीकी समिति की 40 बैठकें आयोजित की गई।

8. दिनांक 01.04.2022 तक क्षे.सं.-III, सीएमपीडीआई के अनुसार सीसीएल कमान क्षेत्र के सीआईएल ब्लॉक कोयला में भंडार का संकलन। सीसीएल कमान क्षेत्र के सीआईएल ब्लॉक कोयले का भंडार कुल 22708.02 मि.टन है। 1.04.2022 तक भारत में कोयले का कुल भंडार 361411.46 मि.टन है ।

9. सीसीएल कमान क्षेत्रों में भूमिगत कोयला उत्पादन तथा वृद्धि, कोयले की हाई वाल माइनिंग तथा कोयला गैसीकरण के लिए क्षेत्रो का दौरा।

10. अनुसंधान एवं विकास,भूमिगत,योजना एवं परियोजना, संचालन, क्षेत्रीय संस्थान-III के साथ परस्पर विमर्श।

11. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान क्षेत्रों की मांग के अनुसार तोपा (1141 मी.) एवं लपंगा (6929 मी.) ड्रिलिंग कैम्प द्वारा कुल 8070 मीटर ड्रिलिंग की सेवाएं उपलब्ध करायी गयी। सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल की आवश्यकता पूर्ति हेतु कुल 26 नलकूपों की ड्रिलिंग की गई।

12. राँची विश्वविद्यालय के दो (02) छात्रों का भूगर्भ विज्ञान विभाग, सीसीएल में प्रशिक्षण दिया गया।

(ii) कोयला भंडार

दिनांक 01.04.2022 तक सीसीएल कमान क्षेत्र अंतर्गत क्षेत्रीय संस्थान-III, सीएमपीडीआई द्वारा संकलित एवं परिकलित सिद्ध, सूचित एवं अनुमानित कोयला का सकल भूगर्भीय भंडार 22708.02 मिलियन टन है। सीसीएल कमान क्षेत्र में कोयला भंडार का विवरण नीचे दिया गया है :-

(आंकड़े मिलियन टन में)

कोयले का प्रकार	सिद्ध	सूचित	अनुमानित	कुल
कुल कोयला भंडार	17325.25	4991.95	390.82	22708.02

29. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी

पारदर्शिता बढ़ाने और अपने संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के निरंतर प्रयास में, सीसीएल ने अपने हितधारकों की संतुष्टि हेतु कंपनी की कई व्यावसायिक प्रक्रियाओं में आई.सी.टी. का प्रभावी उपयोग किया है।

वित्त वर्ष 2022-23 में इस दिशा में उठाये गए मुख्य कदम इस प्रकार हैं:

1. सीसीएल में व्यवसायिक प्रक्रिया के एकीकरण के लिए, विश्व विख्यात ईआरपी समाधान 'सैप (SAP)' जिसे विगत वर्ष सीआईएल की अन्य सहायक कंपनियों में एक साथ शुरू किया गया था, के 7 क्रियान्वित मॉड्यूलों यथा पी.पी.(प्रोडक्शन प्लानिंग), पी.एस.(प्रोजेक्ट सिस्टम), पी.एम.(संयंत्र मेंटेनेंस), एच.सी.एम.(ह्मन कैपिटल मैनेजमेंट), एफ.आई. सी.ओ (फाइनेंस & कण्ट्रोल) ,एम.एम.(मटेरियल मैनेजमेंट) एवं एस.डी.(सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन) में पूरी अनुषंगी के उपयोगकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी से स्थिरता आई है।
2. इस वर्ष, सीसीएल के 4 केंद्रीय अस्पतालों में फोटो मेडिकल कार्ड के साथ चिकित्सा सेवाओं के एकीकृत समाधान - अस्पताल प्रबंधन प्रणाली (एच.एम.एस.) की शुरुआत की गई है ।
3. सीसीएल में टेली मेडिसिन सुविधा के लिए 11 स्थानों पर डिजिटल डिस्पेंसरी प्रारंभ किया गया है ।

4. गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में, साइबर अपराध के खिलाफ लोगों की आम जागरूकता के लिए सीसीएल की विभिन्न इकाइयों में 'साइबर जागरुकता दिवस' का आयोजन किया गया है।
5. सीसीएल के कमान क्षेत्रों में कार्यरत सभी कांटाघरों (रोड सेल और आंतरिक परिवहन) को नेटवर्क व्यवधान से बचने के लिए फ़ेलसेफ तंत्र सहित निर्बाध डाटा अंतरण के लिए केंद्रीय सैप सर्वर से जोड़ा गया है।
6. सीआईएल के केंद्रीय सेवा प्रदाता के सौजन्य से कोयले की ई-नीलामी एवं वस्तुओं और सेवाओं का ई-क्रय परिचालन में है। उपलब्धता के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं के ई-क्रय के लिए जीईएम पोर्टल का प्रमुख रूप से उपयोग किया जा रहा है। आईटी पहलों के माध्यम से व्यावसायिक प्रक्रियाओं को आरंभ वेंडरों एवं कर्मचारियों को ई-भुगतान एवं शिकायकर्तो के निवारण हेतु ई-फाइलिंग की सुविधा दी गई है।
7. संपूर्ण सीसीएल में संगठन की व्यावसायिक प्रक्रियाओं में उन्नयन हेतु एनआईसी के सौजन्य से ई-ऑफिस का उपयोग किया जा रहा है जिसका उद्देश्य व्यापार प्रक्रिया प्रबंधन में गुणात्मक सुधार, उत्पादन,और उत्पादकता मे वृद्धि एवं पारदर्शिता लाना है।
8. विभिन्न व्यावसायिक प्रक्रियाओं के उत्पादकता और दक्षता में प्रभावी सुधार करने की दिशा में एवं सैप (ईआरपी) क्रियान्वयन हेतु सीसीएल के केंद्रीय अस्पताल तथा कमान क्षेत्रों में लैन सहित सैप(ईआरपी) के प्रभावी क्रियावयन के लिए वाइड एरिया नेटवर्क (WAN) को फ़ेलसेफ रिडनडेंट मोड के साथ चालू किया गया है ।
9. सीसीएल के सभी अधिकारियों को सीआईएल द्वारा जारी किए गए कारपोरेट ई-मेल मैसेज सिस्टम को विभागीय पत्राचार के लिए लागू किया गया है।
10. विभागीय प्रमुखों के कार्य संपादन की निगरानी एवं विवेचना हेतु अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निदेशक के डैशबोर्ड, कोविड परीक्षण रिपोर्ट पोर्टल, क़्वार्टर आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए पोर्टल, एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए भीष्म पितामह पोर्टल जैसे इन-हाउस विकसित बहुतेरे वेब/ मोबाइल एप्पलिकेशन परिचालन में है। कोल इंडिया मैराथन (2023) के लिए वेब पोर्टल देश भर में निर्बाध पंजीकरण के लिए विकसित और लॉन्च किया गया था।
11. सीसीएल के सभी अधिकारियों की वार्षिक कार्यक्षमता का मूल्यांकन, सतर्कता सूचना एवं वार्षिक संपत्ति विवरण सीआईएल द्वारा संचालित केंद्रीय वेब प्रणाली पर किया जाता है।
12. अपने हितधारकों को समय पर भुगतान के लिए प्रतिबद्ध, विगत साल शुरू किए गए सैप के माध्यम से बैंक का पेमेंट गेटवे सफलतापूर्वक चल रहा है।

30. सुरक्षा प्रबंधन

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) का सुरक्षा विभाग एक 24x7 कार्यकारी विभाग है जो कोयले की चोरी, अवैध खनन और कंपनी की संपत्ति तथा परिसंपत्तियों की सुरक्षा के खतरे को रोकने के लिए आवश्यक निवारक उपायों की निगरानी, नियंत्रण और आवश्यक निवारक उपाय करता है। इसके अलावे अवैध खनन की रोकथाम के लिए मोबाइल आधारित एप्प "खनन प्रहरी" का भी उपयोग किया जा रहा है। सुरक्षा विभाग ने विभिन्न खदानों/ परियोजनाओं और इकाइयों में चल रही विभिन्न गतिविधियों की चौबीसों घंटे निगरानी हेतु एक क्रियाविधि स्थापित किया है।

कंपनी की संपत्ति तथा परिसंपत्तियों की सुरक्षा हेतु सीसीएल के सुरक्षा बल में विभागीय सुरक्षा कर्मी, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (एसआईएसएफ), झारखंड सरकार तथा झारखंड सरकार के होमगार्ड आदि शामिल हैं।

दिनांक 31.03.2023 तक सीसीएल के कुल सुरक्षा बल की कुल संख्या निम्नानुसार है: -

क्र० सं०	सुरक्षा बलों के प्रकार	मौजूदा श्रमशक्ति की संख्या
1.	विभागीय सुरक्षा बल	1561
2.	केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ)	1833
3.	राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (एसआईएसएफ), झारखंड सरकार।	272
4.	होमगार्ड , झारखंड सरकार।	1975
	कुल	**5641**

वर्तमान में सीआईएसएफ बोकारो एवं करगली , ढोरी, उतरी कर्णपुरा तथा पिपरवार जैसे चार क्षेत्रों में तैनात है । मगध-संघमित्रा तथा आम्रपाली-चंद्रगुप्त क्षेत्रों में सीआईएसएफ की तैनाती प्रक्रियाधीन है। सीसीएल के मगध-संघमित्रा और आम्रपाली-चंद्रगुप्त के अति संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सीआईएसएफ की भर्ती के लिए सुरक्षा स्कंध में 1676 पदों के सृजन के लिए गृह मंत्रालय, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। ₹41.48 करोड़ की प्रतिभूति राशि के ई-भुगतान की प्राप्ति की सूचना लेखा अधिकारी/रिकवरी सीआईएसएफ़, नयी दिल्ली के पत्र संख्या आर-11013/लेखा/ वसूली/वीविधि/2022/1467, दिनांक 16/01/2023 द्वारा प्राप्त हुई ।

सीसीएल के करगली, उतरी कर्णपुरा तथा पिपरवार क्षेत्र में सीआईएसएफ की अतिरिक्त तैनाती का पुनः सर्वेक्षण अवलोकन तथा अनुमोदनार्थ महानिदेशक, सीआईएसएफ बल मुख्यालय, नई दिल्ली को भेजा गया है।

बरामद मात्रा (टन में)	अनुमानित मूल्य (लाख ₹ में)	घटनाओ की संख्या	कार्रवाही की संख्या	स्थानीय पुलिस थाना में दर्ज शिकायत की संख्या	एफआईआर (पंजीकृत)	कुल गिरफ्तारी	काली सूची में दर्ज वाहनो की संख्या
1450.51	40.75	565	565	94	66	29	20

सुरक्षा बल द्वारा किए गए सफल छापे दुर्भावनापूर्ण इरादों के प्रभावी निवारण की पहचान है। सीसीएल के लीज होल्ड क्षेत्र में अवैध कोयला खनन की सूचना मिलने पर, सुरक्षा विभाग स्थानीय पुलिस की मदद से घटना स्थल पर छापेमारी कर रैट होल को बंद करना सुनिश्चित करती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कुल 3443 रैट होल को बंद किए गए है।

सीसीएल के कमान क्षेत्रों में कोयले की चोरी तथा अवैध खनन की रोकथाम के लिए निम्नलिखित अनुमोदित मानक संचालन प्रक्रिया को परिचालित किया गया है।

1. अवैध उत्खनन के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया ।
2. कोयला चोरी से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया ।
3. ट्रकों द्वारा कोयला चोरी के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया।
4. रोड सेल से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया ।
5. कोयला प्रेषण से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया ।

सीसीएल के कमान क्षेत्रों में कोयले की चोरी को रोकने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी को लागू किया गया। विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणो का विवरण निम्नानुसार है: -

स्थापित सीसीटीवी कैमरों की संख्या	वाहनों में लगाए गए जीपीएस की संख्या	आरएफ़आईडी आधारित बूम बैरीयर की संख्या
1687	3150	112

कंपनी की संपत्ति तथा परिसंपतियों की वास्तविक समय में 24x7 निगरानी हेतु इले. एवं दूरसंचार विभाग द्वारा क्षेत्रों, आवासीय परिसर तथा कार्यालय परिसर में लगाया गया है तथा आईवीटी नियंत्रण कक्ष के साथ सीसीटीवी कैमरों को जोड़ा गया है।

गैर-तकनीकी श्रेणी में "राजभाषा" का प्रथम पुरस्कार/शील्ड सुरक्षा विभाग को दिया गया।

26/03/2023 को आयोजित कोल इंडिया मैराथन-2023 में आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मैराथन की सभी चार श्रेणियों में यथा फुल मैराथन, हाफ मैराथन, 10 किमी और 5 किमी के लिए निर्बाध मार्ग सुनश्चित कर मैराथन को सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

बहाल नए कर्मचारियों में से 55 को बुनियादी सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा उन्हें लाभकारी उपयोग के लिए सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में तैनात किया गया है।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 51 सुरक्षा कर्मियों को अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नत किया गया है ।

वित्त वर्ष 22-23 के दौरान अवैध गतिविधियों में शामिल होने के लिए 20 वाहनों को काली सूची में डाला गया है।

वित्तीय वर्ष 22-23 के दौरान 106 संवेदनशील पदों पर पदस्थापित सुरक्षाकर्मियों को रोटेशन नीति/दिशानिर्देश के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में रोटेट/स्थानांतरित किया गया है।

31. राजभाषा कार्यान्वयन प्रतिवेदन 2022-23

राजभाषा विभाग : गतिविधि एवं उपलब्धियां

झारखंड की राजधानी- रांची में स्थित कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनी – सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड 'क' क्षेत्र में अवस्थित है । यहाँ लगभग 90 प्रतिशत कार्मिक हिंदी के कार्यसाधक ज्ञान से युक्त हैं। भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु कंपनी का राजभाषा विभाग सदैव तत्परता से कार्य करता है। गृह-मंत्रालय और कोयला-मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जाता है।

कारपोरेट स्तरीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें :

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय एवं कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार मुख्यालय के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों एवं कारपोरेट स्तर पर मुख्यालय में प्रत्येक तिमाही राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन सुनिश्चित किया जाता है। वर्ष 2022-23 में क्रमशः दिनांक 22.06.2022, 29.08.2022, 05.12.2022, 21.03.2023 को कारपोरेट स्तरीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें आयोजित की गईं।

सीसीएल के प्रकाशन:

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की गृह पत्रिका 'उत्कर्ष' हिंदी भाषा में प्रकाशित होती है। राजभाषा विभाग के सहयोग से जनसंपर्क विभाग द्वारा उक्त पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। अद्यतन अंक का विमोचन 1 नवंबर, 2022 को किया गया था। 'उत्कर्ष' पत्रिका के साथ-साथ सीसीएल में प्रति माह सीसीएल समाचार की एक ई-पत्रिका 'अपनी बात' प्रकाशित की जाती है।

सीसीएल हिंदी काव्यपाठमाला :

सीसीएल में हिंदी को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य तथा सीसीएल में कार्यरत कार्मिकों के भीतर छिपी काव्य प्रतिभा की पहचान हेतु सीसीएल हिंदी काव्यपाठमाला (काव्यपाठ की श्रृंखला) का आयोजन प्रारंभ किया गया है। इस काव्यपाठ श्रृंखला के अंतर्गत अब तक काव्यपाठ के दो अध्यायों का आयोजन वेब के माध्यम से किया जा रहा है।

राजभाषा विभाग, कोयला मंत्रालय द्वारा सीसीएल मुख्यालय का निरीक्षण :

उप-निदेशक(राजभाषा), राजभाषा विभाग, कोयला मंत्रालय द्वारा सीसीएल मुख्यालय एवं क्षेत्र का राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी निरीक्षण किया गया तथा प्राप्त सुझावों पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है।

नराकास (उपक्रम), रांची के तत्वाधान में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन :

सीसीएल द्वारा नराकास(उपक्रम), रांची के तत्वाधान में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 24 जनवरी 2023 को किया गया। उक्त प्रतियोगिता में सदस्य कार्यालयों से न्यूनतम 2 प्रतिभागियों ने भाग लिया। सीसीएल द्वारा आयोजित उक्त प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता की सराहना प्रतिभागियों द्वारा की गयी।

पुरस्कार योजना :

कंपनी के कार्मिकों की रचनात्मकता और मौलिक हिंदी लेखन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वित्त वर्ष 2021-22 से हिंदी मौलिक पुस्तक लेखन प्रोत्साहन योजना, सीसीएल का शुभारंभ किया गया है। मूल रूप से हिंदी में कार्यालयीन कार्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मूल रूप से हिन्दी में पत्राचार टिप्पण आलेखन व अन्य कार्यालयीन कार्य करने संबंधी प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गयी है।

पुस्तकों का क्रय : समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजभाषा विभाग,सीसीएल द्वारा विभिन्न विषयों पर हिंदी भाषा में पुस्तकों का क्रय किया गया।

राजभाषा प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएं :

सीसीएल में राजभाषा क्रियान्वयन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु 5 राजभाषा प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की गयी। विगत एक वर्ष के दौरान मानव संसाधन विकास विभाग, सीसीएल के सहयोग से राजभाषा विभाग द्वारा क्रमशः दिनांक 29.06.2022, 07.09.2022, 19.09.2022, 22.12.2022, 28.03.2023 को सीसीएल मुख्यालय स्थित सभागार में राजभाषा कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इन कार्यशालाओं में तकनीकी सुविधाओं का प्रशिक्षण दिया गया, जिनका विषय यूनिकोड समर्थित हिन्दी टंकण, बोलकर टंकण करने, मशीन अनुवाद आदि रहा। इसके अतिरिक्त कार्यालयीन हिन्दी संबंधी सैद्धांतिक एवं प्रयोगकीय प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही मुख्यालय के विभिन्न विभागों में 'डेस्क-प्रशिक्षण' एवं कम्प्यूटर की द्विभाषी स्थापना में सहयोग किया गया।

राजभाषा कार्यान्वयन का निरीक्षण

समय-समय पर सीसीएल के क्षेत्रों, केन्द्रीय कृत इकाइयों एवं मुख्यालय के विभागों का निरीक्षण किया जाता है और राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए उचित सलाह दी जाती है। विभाग द्वारा वर्ष के दौरान मुख्यालय के 12 विभागों तथा 08 क्षेत्रों का राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी निरीक्षण किया गया।

पखवाड़ा – 2022 का आयोजन

वित्त वर्ष 2022-23 में सीसीएल मुख्यालय में राजभाषा पखवाड़ा का आयोजन 14 सितंबर से 30 सितंबर तक किया गया जिसमें सीसीएल मुख्यालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। राजभाषा के संवर्धन हेतु 6 प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं जिसमें से एक प्रतियोगिता अहिंदी भाषी कार्मिकों के लिए विशेषकर आयोजित की गयी। पखवाड़े के दौरान सीसीएल काव्यपाठमाला की वार्षिक प्रतियोगिता भी आयोजित की गयी।

राजभाषा पखवाड़ा के समापन-सह-पुरस्कार वितरण समारोह 30.09.2023 को अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। विजयी प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह, प्रमाण—पत्र सहित कोल इंडिया द्वारा निर्धारित पुरस्कार राशि का भुगतान किया गया। लगभग 100 प्रतिभागियों को प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया।

राजभाषा पखवाड़ा के समापन सह पुरस्कार वितरण समारोह में राज्य के प्रतिष्ठित साहित्यकार को सीसीएल राजभाषा भास्कर सम्मान – 2022 से सम्मानित किया गया।

प्रोत्साहन हेतु अन्य गतिविधियां :

- राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करने के उद्देश्य से तिमाही के दौरान राजभाषा का सर्वोत्तम क्रियान्वयन करने वाले विभागों/क्षेत्रों को राजभाषा चल-शील्ड प्रदान किया जाता है।
- राजभाषा विभाग द्वारा सीसीएल की वेबसाइट पर विविध तकनीकी तथा प्रशासनिक शब्दकोश का लिंक उपलब्ध कराया गया है।
- सीसीएल की वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर प्रतिदिन 'आज का शब्द' अद्यतन किया जा रहा है।
- कार्मिकों की राजभाषा संबंधी सहायता के लिए 'राजभाषा सहायिका' सीसीएल की वेबसाइट राजभाषा टैब के अंतर्गत उपलब्ध कराया गया है।
- साथ ही, कार्यालय के विभिन्न विभागों में प्रतिदिन प्रयुक्त होने वाले कठिन शब्दों को संकलित करते हुए एक 'कार्यालय सहायिका' पुस्तिका का निर्माण किया गया है। उक्त पुस्तिका सीसीएल के वेबसाइट पर राजभाषा टैब के अंतर्गत उपलब्ध है।
- कंपनी में कंप्यूटर पर काम करने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को यूनिकोड समर्थित हिंदी टाइपिंग प्रणाली का प्रशिक्षण उनके कार्यस्थल पर दिया जाता है।
- राजभाषा के कार्यान्वयन के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा समय-समय पर प्राप्त निर्देशों का अनुपालन किया जाता है।

32. सतर्कता विभाग

वित्तीय वर्ष 2022-23 में सतर्कता विभाग, सीसीएल का प्रदर्शन निम्नानुसार है ।

क. प्राप्त शिकायतें तथा कृत कार्रवाई:

प्राप्त शिकायतें	वर्ष 2022-23
1 अप्रैल 2022तक लंबित मामले	93
1 अप्रैल,2022 से 31 मार्च,2023 तक प्राप्त शिकायतें की संख्या	445
दायर बेनामी/छद्मनामी मामले दायर किया गया शिकायतें की संख्या	129
1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च,2023 तक की अवधि के दौरान जांच/ सत्यापन के लिए ली गई शिकायतों की संख्या	263
आवश्यक कार्रवाई हेतु विभागाध्यक्ष/ महाप्रबंधक को अग्रसारित शिकायतों की संख्या	59

ख. नियमित अनुसंधान (आरआई मामले):

अनुसंधान	वर्ष 2022-2023
1 अप्रैल 2022 को लंबित मामले	08
1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 की अवधि के दौरान अनुसंधान हेतु लिए गए मामले	21
1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के अवधि के दौरान समाप्त अनुसंधान	20
31 मार्च 2023 तक लंबित मामले	9

ग. अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामले (आरडीए मामले):

अनुशासनात्मक कार्रवाई (आरडीए) के मामलों की संख्या	मामले	वर्ष 2022-23	
		व्यक्तियों की संख्या	
		बड़ेमामले	बड़ेमामले
बड़े मामले	7	16	5
छोटे मामले	1	-	2

घ. विभागीय अनुसंधान

पूर्ण विभागीय अनुसंधान	वर्ष 2022-23	
	मामले	व्यक्तियों की संख्या
समाप्त	13	32
आंशिक कार्रवाई	07	34

ङ. वैसे मामलों की संख्या जिनमें जुर्माना लगाया गया:

वैसे मामलों की संख्या जिनमें जुर्माना लगाया गया	वर्ष 2023-2023	
	मामले	मामले
बड़े मामले		
समाप्त	18	48
आंशिक कार्रवाई	1	2
छोटे मामले		
समाप्त	2	3
आंशिक कार्रवाई	0	0

च. वर्ष 2022-23 के दौरान औचक निरीक्षण :

वर्ष	सम्पन्न औचक निरीक्षण	नियमित अनुसंधान में परिवर्तित
वर्ष 2022-23 (1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023)	06	01

छ. गहन अनुसंधान के मामले (आईटीई मामले):

वर्ष	सम्पन्न औचक निरीक्षण	नियमित अनुसंधान में परिवर्तित
2022-23	05	00

ज. अधिकारियों की संपत्ति विवरणी की संवीक्षा

वर्ष (2022-23)	कृत संवीक्षा
वर्ष 2022-23 (1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023)	460

झ. प्रत्येक वर्ष संदेहपूर्ण व्यक्तियों (अग्रीड लिस्ट)/संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों (ओडीआई) की सूची तैयार की जा रही है।

ञ. अनुसंधान के दौरान प्रचलित प्रणाली में व्याप्त अनियमितताओं को दृष्टिगत करते हुए तथा सीसीएल सतर्कता विभाग द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के आधार पर प्रणालीगत सुधार हेतु सक्षम प्राधिकारी को निवारक उपायों की संतुस्ति दी जाती है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भ्रष्टाचार के अवसरों को न्यूनीकृत करने हेतु निम्न प्रणालीगत सुधारों की अनुशंसा की गई:

- निविदाओं में फर्मों को भाग लेने से प्रतिबंधित करने के संबंध में प्रणालीगत सुधार।
- विपणन एवं विक्रय विभाग दृष्टिगत ई-नीलामी की सूचना अपलोड करने के लिए वेबपेज इंटरफेस विकसित करने की प्रणाली में सुधार के उपाय।

- सीपीआरएमएस-एनई और सीपीआरएमएस-ई में चिकित्सा दावों के ससमय पर निपटान के लिए प्रणाली में सुधार के उपाय।
- वाशरियों के लिए बीओओ निविदाओं में प्रणाली सुधार के उपाय।
- निविदाओं में गंभीर असंतुलित बोली से निपटने में प्रणाली में सुधार और माप पुस्तकों का रख-रखाव।
- रोड सेल बिक्री दिशानिर्देश, 2009 के संबंध में प्रणाली में सुधार के उपाय।
- अधिक वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीके से हिंडरेंस रजिस्टर के रख-रखाव में प्रणाली में सुधार।

ट. सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2022 का पालन

केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार दिनांक 31.10.2022 से 06.11.2022 तक सीसीएल की समस्त इकाइयों, क्षेत्रों के साथ सीसीएल मुख्यालय में 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2022' का सोत्साह आयोजन किया गया। इस वर्ष सीसीएल सतर्कता विभाग द्वारा जागरूकता अभियान का प्रारंभ दरभंगा हाउस,सीसीएल में प्रतिज्ञा से हुआ।

- **प्रतिज्ञा:**

सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2022 का आयोजन सीसीएल (मुख्यालय), रांची के साथ-साथ सीसीएल के सभी क्षेत्रों और परियोजनाओं/इकाइयों में सभी कर्मचारियों द्वारा सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा लेने के साथ शुरू हुआ। सीसीएल (मुख्यालय) में, सीवीओ, सीसीएल, निदेशक (वित्त), सीसीएल, निदेशक (कार्मिक), सीसीएल, और निदेशक (तकनीकी/पीपी), सीसीएल द्वारा 31.10.2022 को सीसीएल (मुख्यालय) शपथ दिलाई गई। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के पालन के संबंध में भारत के माननीय राष्ट्रपति, भारत के माननीय उपराष्ट्रपति और माननीय सीवीसी के संदेश को भी सीवीओ और सीसीएल के कार्यकारी निदेशकों द्वारा पढ़ा गया।

वस्तुतः, सभी कर्मचारियों व अन्य हितधारकों को सामूहिक रूप से भ्रष्टाचार की रोकथाम और उसके विरुद्ध लड़ाई में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 से काफी पहले ही सत्यनिष्ठा शपथ दिलाई जा रही थी। यह गतिविधि मुख्यालय और क्षेत्र ,इकाइयों तक सीमित नहीं रही बल्कि कई अन्य स्थानों जैसे स्कूल, कॉलेज आदि में भी आयोजित किया गया।

- **ई-शपथ**

ई-शपथ ग्रहण हेतु कर्मचारियों के साथ-साथ ग्राहकों, ठेकेदारों, नागरिकों आदि को प्रेरित एवं प्रभावित करने के लिए सीसीएल की वेबसाइट पर "सत्यनिष्ठा-शपथ" हेतु www.cvc.nic.in का हाइपरलिंक सक्रिय किया गया। साथ ही, अधिकारियों, गैर-अधिकारियों, आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, नागरिकों आदि को शपथ ग्रहण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्रों में ई-शपथ बूथ लगाए गए। सीसीएल, मुख्यालय में ई-प्रतिज्ञा ग्रहण हेतु 4 ई-शपथ बूथ लगाए गए थे। इस वर्ष 1700 से अधिक लोगों को ई-शपथ दिलाई गई है।

- **सतर्कता जागरूकता रथ:**

दिनांक 31.10.2022 को अप्रनि, सीसीएल सहित समस्त कार्यकारी निदेशकों ने सीसीएल मुख्यालय से सतर्कता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रथ के चारों ओर भ्रष्टाचार निरोधक एवं जागरूकता संबंधित नारे, छायाचित्र एवं संदेशादि का प्रदर्शन किया गया था। रथ द्वारा रांची के समस्त आवासीय क्षेत्रों का परिभ्रमण किया गया। सीसीएल मुख्यालय, रांची में आयोजित कार्यक्रम जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 8 जिलों (रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, चतरा, लातेहार, पलामू) में 2600 वर्ग किलोमीटर प्रसारित सीसीएल के 12 क्षेत्रों में सतर्कता जागरूकता रथ द्वारा परिभ्रमण किया गया।

- **सतर्कता जागरूकता मार्च:**

रथ को झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद, सीसीएल (मुख्यालय), रांची में एक सतर्कता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया ताकि भ्रष्टाचार के अस्तित्व, कारण और खतरे के बारे में जन जागरूकता बढ़ाई जा सके। रैली में लगभग 300 प्रतिभागी हाथों में तख्तियां लिए हुए थे जिन पर उत्तेजक नारे लिखे हुए थे। सीसीएल के सीएमडी श्री पी.एम. प्रसाद द्वारा मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया,इस मार्च में सीसीएल के कार्यकारी निदेशकों सहित सीसीएल के सीएमडी ने भाग लिया। उपर्युक्त अभियान को सीसीएल के सभी 12 क्षेत्रों में भी दोहराया गया। इसके अलावा सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में कई मार्च, प्रात:कालीन 'प्रभात फेरी' आदि का भी आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को शामिल किया गया।

- **सरला बिड़ला विश्वविद्यालय में विभिन्न गतिविधियाँ:**

सीसीएल से परे जागरूकता कार्यक्रम का प्रसार करने के लिए, अभियान को शहर के कई हिस्सों में व्यापक रूप से प्रसारित किया गया। 3 नवंबर को सरला बिड़ला विश्वविद्यालय में इस वर्ष की थीम "भ्रष्टाचार मुक्त भारत एक विकसित राष्ट्र के लिए" पर वाद-विवाद, भाषण, निबंध लेखन, नृत्य, गायन, पेंटिंग, रंगोली, नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिताओं जैसी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया।

- **प्रबंधन प्रशिक्षुओं के लिए सीसीएल (मुख्यालय), रांची में आयोजित कार्यक्रम:**

दरभंगा हाउस में नवनियुक्त प्रबंधन प्रशिक्षुओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए 4 नवंबर को एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां सीसीएल के सभी प्रबंधन प्रशिक्षुओं को आमंत्रित किया गया था। सतर्कता अधिकारियों ने उन्हें सीडीए नियमों, सतर्कता नियमावली, प्रमाणित स्थायी आदेशों और अनुशासनात्मक कार्यवाही के बारे में अवगत कराया।

- **डीएवी गांधीनगर और केंद्रीय विद्यालय, राजेंद्रनगर में आयोजित कार्यक्रम :**
  डीएवी गांधीनगर और केवी राजेंद्र नगर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए जैसे:
  - निबंध लेखन
  - वाद –विवाद
  - कविता पाठ
  - पेंटिंग प्रतियोगिताएं
  - प्रश्नोत्तरी
- **सीसीएल के 13 विभिन्न क्षेत्रों एवं 5 स्वतंत्र इकाइयों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह आयोजित किया गया।**

31अक्टूबर '22 को 11.00 बजे सुबह शपथ ग्रहण समारोह के साथ सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह प्रारंभ हुआ। क्षेत्रीय महाप्रबंधक या इकाई/ क्षेत्र के वरीय अधिकारी द्वारा सत्यनिष्ठा-शपथ दिलाई गयी। सभी इकाइयों/ कार्यालयों/ क्षेत्रों में मुख्य स्थानों पर बैनर एवं पोस्टर भ्रष्टाचार निरोधक विचारोत्तेजक स्लोगन प्रदर्शित किए गए। साथ ही, सीसीएल के समस्त क्षेत्रों में सतर्कता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया।

स्कूली बच्चों के मन-मतिष्क में अच्छे मूल्यों और नैतिकता को विकसित करने के लिए विभिन्न स्कूलों में क्षेत्र स्तर पर वाद-विवाद/वाक्य/भाषण, पेंटिंग/पोस्टर मेकिंग, स्किट, निबंध लेखन प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया गया। 8 स्कूलों की में इंटीग्रिटी क्लब भी बनाए गए।

- **सीसीएल मुख्यालय एवं विभिन्न क्षेत्रों में सेमिनार/ कार्यशालाएं:**

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान सीसीएल सतर्कता द्वारा निम्नलिखित कार्यशालाएं तथा सेमिनार आयोजित किए गए:

(i) प्रबंधन प्रशिक्षुओं के लिए कार्यशाला : दरभंगा हाउस में नवनियुक्त प्रबंधन प्रशिक्षुओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए 4 नवंबर को एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां सीसीएल के सभी मि.टन को आमंत्रित किया गया था। हमारे कुछ सतर्कता अधिकारियों ने उन्हें सीडीए नियमों, सतर्कता नियमावली, प्रमाणित स्थायी आदेशों और अनुशासनात्मक कार्यवाही के बारे में अवगत कराया।

उपर्युक्त कार्यशालाएं एक बहुत ही जीवंत इंटरैक्टिव सत्र के साथ समाप्त हुईं और प्रतिभागियों/विक्रेताओं/ठेकेदारों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का पर्याप्त उत्तर दिया गया।

साथ ही नवनियुक्तों के बीच विजिलेंस मैनुअल 2021, सीडीए रूल्स और येलो बुक की कॉपी भी बांटी गई।

(ii) 06.11.2022 को, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 के समापन दिवस पर, डीएवी गांधीनगर और के. वी राजेंद्र नगर में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें स्कूलों द्वारा आयोजित प्रत्येक कार्यक्रम में शीर्ष 3 विजेताओं को सम्मानित किया गया।

- **जागरूकता ग्राम सभा :** सीसीएल की 6 क्षेत्रों और 2 स्वतंत्र इकाइयों में 9 जागरूकता सभाओं का आयोजन किया गया। सभाओं में मुखिया, सरपंच, ग्रामीणों, छात्रों आदि ने भाग लिया। जागरूकता सभाओं के दौरान ग्रामीणों को सामूहिक शपथ दिलाई गई और भ्रष्टाचार के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा की गई।
- **सीयूजी मोबाइल और सोशल मीडिया (ट्विटर) में संदेश के माध्यम से जागरूकता:**

सीसीएल सतर्कता ने सप्ताह के दौरान जागरूकता पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और सीसीएल के अधिकारियों को और संवेदनशील बनाने के लिए कुछ नवोन्मेषी उपाय किए गए।

i. सीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर सभी गतिविधियों को फोटो सहित अपलोड किया गया।

ii. इस दिशा में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान प्रत्येक दिन अधिकारियों के सीयूजी मोबाइल पर प्रेरक संदेश भेजे गए।

iii. थीम सहित प्रमुख कार्यक्रमों के छायाचित्र सीसीएल के अधिकारिक ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपलोड किए गए।

iv. राज्य में व्यापक प्रसार वाले प्रमुख समाचार पत्रों में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों को प्रकाशित किया गया।

33. सूचना का अधिकार की स्थिति

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत वर्ष 2022-23 के दौरान निपटाए गए आवेदनों का विवरण नीचे दिया गया है:

1.	प्राप्त आवेदनों की संख्या:	675
2.	निपटाए गए आवेदनों की संख्या:	407
3.	प्रक्रियाधीन आवेदनों की संख्या:	11
4.	सूचना का अधिकार अधिनियम2005- के पैरा 6(3) के तहत स्थानांतरित आवेदनों की संख्या:	252
31.03.2023 तक आरटीआई अधिनियम 2005 के पैरा (3) के तहत स्थानांतरित आरटीआई आवेदन की स्थिति		
•	अन्य संगठन/लोक प्राधिकरण को स्थानांतरण:	46
•	संबंधित क्षेत्र/क्षेत्रों में स्थानांतरण (लोक प्राधिकरण) (आवेदकों को भेजी गयी सूचना - 154, जारी स्मार-पत्र -52)	206
5.	अस्वीकृत आवेदनों की संख्या:	05
6.	क्या सीआईसी द्वारा आरटीआई अधिनियम-2005 के तहत सीसीएल के किसी अधिकारी को कोई दंड दिया गया है	नहीं

34. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के अंतर्गत सूचना

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संदर्भ में सीसीएल में एक आंतरिक शिकायत समिति कार्य कर रही है। समिति के गठन का आदेश सीसीएल वेबसाइट के महिला सशक्तिकरण पोर्टल में अपलोड किया गया है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 की धारा 22 के संदर्भ में वित्त वर्ष 2022-23 से संबंधित जानकारी इस प्रकार है:

प्राप्त शिकायतें	निस्तारित मामले	कृत कार्रवाई
शून्य	शून्य	लागू नहीं

35. वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सहायक कंपनियां, सहयोगी और संयुक्त उद्यम कंपनियां

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। कंपनी का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत किया गया था। जेसीआरएल का शेयरधारिता पैटर्न इस प्रकार है:

प्रमोटर का नाम	शेयर होल्डिंग
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	64%
मेसर्स इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	26%
झारखंड सरकार	10%

जेसीआरएल की अधिकृत शेयर पूंजी ₹ 500.00 करोड़ है। झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड का गठन को शिवपुर-कठौतिया नई बड़ी गेज विद्तीकृत रेल लाइन - 49.085 किमी (1799.64 करोड़) की परियोजना शुरू करने के लिए 31.08.2015 को की गयी थी। जेसीआरएल की विस्तृत जानकारी इस रिपोर्ट के साथ संलग्न अनुलग्नक-XIII में दी गई है ।

36. एमओयू मापदंडों के सापेक्ष प्रदर्शन

सीपीएसई की रेटिंग के लिए भारत सरकार के भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अप्रनि, सीसीएल और अध्यक्ष, सीआईएल के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों सभी मापदंडों के वास्तविक प्रदर्शन के आधार पर, सीसीएल का एमओयू समग्र स्कोर "उत्कृष्ट" रेटिंग के साथ 91.99% था। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मूल्यांकन प्रक्रियाधीन है।

37. नैगमिक शासन

कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी के रूप में आपकी कंपनी का यह दृढ़ विश्वास है कि निष्पक्ष, नैतिक और पारदर्शी प्रशासन प्रणाली की समृद्ध विरासत पर महान कंपनियों का निर्माण होता है। आपकी कंपनी में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, नैतिकता तथा अन्य सुशासन कार्यप्रणाली के उच्चतम मानदंड इनके लागू होने के पहले ही विद्यमान थे। महारत्न कोलइंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी के रूप में आपकी कंपनी की नैगमिक शासन प्रणाली सर्वश्रेष्ठ मानदंड एवं कार्यप्रणाली के अनुरूप है। नैगमिक शासन वस्तुतः विभिन्न हितधारकों यथा अंशधारकों, प्रबंधन, कार्मिकों, ग्राहकों, विक्रेताओं, नियामक प्राधिकारियों एवं वृहत्तर समुदाय के मध्य अंतर्संबंधों का कुशल प्रबंधन है। आपकी कंपनी का यह दृढ़ विश्वास है कि उक्त संबंधों को निगमित निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा उत्तरदेयता के माध्यम से सुदृढ किया जा सकता है। विश्वसनीय वित्तीय सूचना, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, सशक्तिकरण एवं विधिक अनुपालन को आपकी कंपनी प्राथमिक महत्व देती है।

नैगमिक शासन संबंधित सूचना अनुलग्नक-1 में संलग्न है तथा 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु आपकी कंपनी द्वारा नैगमिक शासन के प्रावधानों के अनुपालन संबंधी लेखा परीक्षकों का प्रमाणन अनुलग्नक-II में संलग्न है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 1992 की धारा 12 (1) एवं वर्ष 2018 एवं 2019 में संशोधन, के अनुसार अंतरंग व्यापार के प्रतिषेध हेतु आचार संहिता मु.म.प्र.(वित्त)/कंपनी सचिव, सीआईएल के कार्यालय आदेश संख्याः सीआईएलःIX(डी): 04007:2010:1856 दिनांक 30.11/01.12.2010 का अनुमोदन 13 अगस्त 2019 को आयोजित सीआईएल बोर्ड की 390वीं बैठक में दिया गया है। सेबी की अधिसूचनाओं के अनुरूप इस नीति का आवधिक अद्यतनीकरण किया जाता है तथा सीआईएल की सहायक कंपनियों द्वारा जाता है व जारी परिपत्र कंपनी के पदनामित कर्मचारियों के मध्य परिचालित किया गया है जिसमें निदेशकगण, मुख्य सतर्कता अधिकारी, समस्त कार्यकारी निदेशकगण, समस्त मुख्य महाप्रबंधक एवं महाप्रबंधकगण एवं कंपनी के नामित विभागों में कार्यरत अधिकारीगण सम्मिलित हैं।

डीपीई द्वारा जारी नैगमिक शासन के दिशानिर्देशों के अनुपालन के आधार पर ग्रेडिंग इस प्रकार है :

क्र.	मानदंड	उत्कृष्ट रेटिंग के लिए एमओयू 2022-23 का लक्ष्य	एमओयू 2022-23की वास्तविक उपलब्धि
1.	डीपीई द्वारा जारी नैगमिक शासन के दिशानिर्देशों के अनुपालन के आधार पर ग्रेडिंग	85 एवं अधिक	91.11

38. शेयरधारकों के निरीक्षण हेतु मुख्यालय में वार्षिक रिपोर्ट और लेखा की उपलब्धता

सीसीएल के वार्षिक लेखा और संबंधित विस्तृत जानकारियाँ, नियंत्रण कंपनी एवं सहायक कंपनियों के शेयरधारकों द्वारा किसी भी समय मांगे जाने की स्थिति में उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। सीसीएल के मुख्यालय में वार्षिक लेखा किसी भी शेयरधारक द्वारा निरीक्षण के लिए रखा गया है।

अतएव, निगमित मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 2/2011 दिनांक 8 फरवरी, 2011 तथा अनुवर्ती पत्र संख्या CIL:XI(D):04032:2011:2255 दिनांक 8 मार्च, 2011 के अनुपालन में सीआईएल के शेयरधारकों को जानकारी प्रदान करने के लिए उनकी की मांग पर सीसीएल का लेखा रांची (मुख्यालय) में उपलब्ध कराया गया हैं।

39. निदेशक मंडल

कंपनी कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सरकारी कंपनी है। निदेशकों को भारत सरकार द्वारा नामांकित/नियुक्त किया जाता है।

आलोच्य वर्ष के दौरान सीसीएल के निदेशक मंडल की 13 (तेरह) बैठकों का आयोजन किया गया। दिनांक 31.03.2023 को आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित निदेशकगण थे :

कार्यकारी निदेशगण :

1. श्री पी.एम. प्रसाद, अप्रनि, सीसीएल
2. श्री राम बाबू प्रसाद, निदेशक (तक/संच), सीसीएल
3. श्री पवन कुमार मिश्र, निदेशक (वित्त), सीसीएल
4. श्री बी. साईंराम, निदेशक (तक./परि. एवं यो.), सीसीएल
5. श्री हर्ष नाथ मिश्र, निदेशक (कार्मिक), सीसीएल

आधिकारिक अंशकालिक निदेशक:

1. श्री अजितेश कुमार, निदेशक, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
2. श्री विनय रंजन, निदेशक (का.एवं औ.सं.), सीआईएल

गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशक:

1. श्री रमेश कुमार सोनी, सीए

   वर्ष के दौरान कंपनी के बोर्ड/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक में परिवर्तन का विवरण नैगमिक शासन प्रतिवेदन के अनुलग्नक-1 के बिंदु संख्या - 2 पर उपलब्ध है।

40. बोर्ड, समिति और निदेशकों के प्रदर्शन का वार्षिक मूल्यांकन

आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत है और किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (पी) के प्रावधान लागू नहीं होंगे क्योंकि निदेशकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन कोयला मंत्रालय द्वारा किया जाता, जो कंपनी की प्रशासनिक प्रभारी है।

41. कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत जमाराशि

कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों और धारा 73 से 76 के प्रावधानों या कंपनी अधिनियम के किसी भी अन्य प्रासंगिक प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, कोई भी जमा राशि स्वीकार नहीं की है।

42. निदेशकों का उत्तरदायित्व का विवरण :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अंतर्गत निदेशकों के दायित्व वक्तव्य के संबंध में, एतदद्वारा पुष्टि की जाती है कि :

1. 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वित्तीय विवरणी के निर्माण में धारक कंपनी, सीआईएल, द्वारा अनुमोदित एकरूप लेखाकरण नीति का अनुपालन किया गया है। उक्त एकरूप लेखाकरण नीति कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015 अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) के अनुसार तैयार किया गया है। निम्नांकित के अतिरिक्त, वित्तीय विवरणी परंपरागत लागत के आधार पर निर्मित की गयी है।
2. निम्न के अलावा, वित्तीय विवरणी ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए है,
   - कुछ वित्तीय परिसंपत्ति एवं देयताओं को उचित मूल्य पर मापा गया है.
   - परिभाषित लाभ योजनाएं - योजना परिसंपत्तियों को उचित मूल्य पर मापा गया है।
   - भण्डार को लागत पर या एनआरवी में जो कम हो।
3. यह कि, निदेशकों द्वारा उन लेखाकरण नीतियों का चयन किया गया तथा निर्णय व प्राक्कलन किया गया जिन्हें तार्किक एवं विवेकपूर्ण माना गया ताकि संदर्भाधीन वर्ष हेतु लाभ-हानि तथा वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति के बारे में सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्राप्त किया जा सके।
4. यह कि, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार लेखा आंकड़ो का पर्याप्त एवं समुचित रख-रखाव ताकि कंपनी-परिसंपत्ति की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की पहचान और उनकी रोकथाम की जा सके।

5. यह कि, 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु 'गोइंग कंसर्न' के रूप कार्यरत रहने में कंपनी की क्षमता, यथा लागू, गोइंग कंसर्न से संबद्ध मामलों का प्रकटीकरण एवं गोइंग कंसर्न लेखांकन के अनुप्रयोग के आधार पर कंपनी वित्तीय विवरणी निर्मित की गयी है।

6. यह कि आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली समुचित है तथा प्रभावी रूप कार्य कर रही है।

7. यह कि, लागू सभी विधिक प्रावधानों के अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु यह प्रणाली विकसित की गई है एवं उक्त प्रणालियां पर्याप्त हैं एवं उनका संचालन प्रभावी रूप से हो रहा है।

43. कंपनी अधिनियम की धारा 186 के तहत ऋण, गारंटी और निवेश:

	विवरण	राशि	प्रयोजन
क.	किसी व्यक्ति या निगमित निकाय को ऋण	5.81	कर्मचारी को घर बनाने और कार खरीदने के लिए ऋण
ख.	किसी निगमित निकाय या व्यक्ति को ऋण के संबंध में प्रदान की गई गारंटी या प्रतिभूति	शून्य	
ग.	किसी अन्य निगमित निकाय की सदस्यता, खरीद या अन्यथा, प्रतिभूति के माध्यम से निवेश	345.53	सहायक कंपनी के इक्विटी शेयरों में ₹64.63 करोड़ के इक्विटी शेयर तथा ₹280.90 करोड़ के क्वासी इक्विटी के रूप में निवेश।

44. दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 2016

नियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा गोइंग कंसर्न स्थिति और भविष्य में कंपनी के संचालन को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश पारित नहीं किए गए थे, और दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत कोई आवेदन नहीं किया गया था या कार्यवाही लंबित नहीं थी।

45. कंपनी के अंकेक्षंगण :

सांविधिक लेखा परीक्षक:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आपकी कंपनी के वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षक हेतु भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किए गए थे। उक्त का विवरण निगमित प्रशासन प्रतिवेदन में संलग्न अनुलग्नक- I में बिंदु क्रमांक 5 पर दिया गया है।

लागत लेखा परीक्षक :

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए आपकी कंपनी की लागत लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिए 26.09.2022 को आयोजित 519वीं बोर्ड बैठक में निदेशक मंडल द्वारा लागत लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की गई थी। उक्त का विवरण निगमित प्रशासन प्रतिवेदन में संलग्न अनुलग्नक- I में बिंदु क्रमांक 5 पर दिया गया है।

साचिवीय लेखा परीक्षक :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिए सचिवीय लेखा परीक्षक को निदेशक मंडल द्वारा अपनी 515 वीं बोर्ड बैठक में मद संख्या 4 (5) दिनांक 14.05.2022 के तहत नियुक्त किया गया उक्त का विवरण निगमित प्रशासन प्रतिवेदन में संलग्न अनुलग्नक- I में बिंदु क्रमांक 5 पर दिया गया है। कंपनी ने वर्ष 2022-23 के लिए एमआर-3 के रूप में 'सचिवीय लेखा परीक्षक प्रतिवेदन' प्राप्त किया है तथा उनकी टिप्पणी पर जवाब अनुलग्नक-III में संलग्न थी।

आतंरिक लेखा परीक्षक :

सीसीएल बोर्ड द्वारा 06.07.2020 को आयोजित 488वीं बोर्ड बैठक में वर्ष 2020-21 से 2022-23 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की गई थी। उक्त का विवरण निगमित प्रशासन प्रतिवेदन में संलग्न अनुलग्नक- I में बिंदु क्रमांक 5 पर दिया गया है।

46. लागत लेखा परीक्षक प्रतिवेदन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के साथ पठित कंपनी (लागत रिकॉर्ड और ऑडिट) नियम, 2014 के अनुसार कंपनी लागत लेखांकन रिकॉर्ड का अनुरक्षण कर रही है। वर्ष 2021-22 के लिए दाखिल करने की नियत तारीख के भीतर लागत लेखा परीक्षक प्रतिवेदन एक्सबीआरएल मोड के तहत दायर की गई है। वर्ष 2021-22 की लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कोई योग्यता अथवा प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है। वर्ष 2022-23 के लिए लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है और दाखिल करने की निर्धारित तिथि के भीतर दाखिल की जाएगी।

47. लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर प्रबंधन का स्पष्टीकरण:

क. सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर प्रबंधन स्पष्टीकरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी टिप्पणियों के साथ प्रबंधन का स्पष्टीकरण संबंधित टिप्पणी/पाद टिप्पणी में यथोचित रूप से स्पष्ट किया गया है।

ख. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) द्वारा वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा:

वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ए) [तथा धारा 129(4) के साथ पठित] के तहत की गयी पूरक लेखापरीक्षा पर कैग के कार्यालय द्वारा जारी टिप्पणियाँ के साथ प्रबंधन स्पष्टीकरण संलग्न है।

48. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली

कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं। वर्ष के दौरान, यह सुनिश्चित करने के लिए कि संपत्ति सुरक्षित है और कंपनी की गतिविधियां संगठन की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार संचालित की जाती हैं, इस प्रकार के आंतरिक नियंत्रणों का परीक्षण किया गया तथा कैग लेखापरीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा और सांविधिक लेखापरीक्षा में डिजाइन या संचालन में रिपोर्ट करने योग्य सामग्री में कोई कमी नहीं देखी गई।

49. बोर्ड समितियां:

क. निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति

31.03.2023 को निदेशकीय लेखा परीक्षक समिति की अद्यतन संरचना निम्नानुसार है::

1. श्री रमेश कुमार सोनी,
   गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक – अध्यक्ष
2. श्री विनय रंजन,
   निदेशक (का. एवं औ.सं.), सीआईएल – सदस्य
3. श्री अजितेश कुमार,
   आधिकारिक अंशकालिक निदेशक – सदस्य
4. श्री पवन कुमार मिश्र,
   निदेशक (वित्त), सीसीएल – स्थायी आमंत्रित

वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित कंपनी की लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण कारपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के बिंदु संख्या 4 में दिया गया है।

ख. सतत विकास / नैगमिक सामाजिक दायित्व समिति:

31.03.2023 को सतत विकास /नैगमिक सामाजिक दायित्व समिति की अद्यतन संरचना निम्नानुसार है:

1. श्री रमेश कु. सोनी,
   गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशक – अध्यक्ष
2. श्री विनय रंजन,
   निदेशक (का. एवं औ.सं.), सीआईएल – सदस्य
3. श्री पवन कुमार मिश्र,
   निदेशक (वित्त), सीसीएल – सदस्य
4. श्री हर्ष नाथ मिश्र,
   निदेशक (कार्मिक), सीसीएल – सदस्य

वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित कंपनी की सतत विकास/ नैगमिक सामाजिक दायित्व समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण कारपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के बिंदु संख्या 4 में दिया गया है।

ग. जोखिम प्रबंधन समिति:

31.03.2023 को जोखिम प्रबंधन समिति की अद्यतन संरचना निम्नानुसार है:

1. श्री रमेश कु. सोनी,
   गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशक – अध्यक्ष
2. श्री राम बाबू प्रसाद,
   निदेशक (तक./ संचा), सीसीएल – सदस्य
3. श्री बी. साईंराम,
   निदेशक (तकनीक/परि. एवं यो.), सीसीएल – सदस्य
4. श्री एस.आर. तालंकर,
   महाप्रबंधक (संचालन) – मुख्य जोखिम अधिकारी

वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित कंपनी की जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण कारपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के बिंदु संख्या 4 में दिया गया है।

घ. मानव संसाधन समिति:

31.03.2023 को मानव संसाधन समिति समिति की अद्यतन संरचना निम्नानुसार है:

1. श्री रमेश कु. सोनी,
   गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशक – अध्यक्ष
2. श्री विनय रंजन,
   निदेशक (का.एवं औ.सं.), सीआईएल – सदस्य
3. श्री बी साईंराम,
   निदेशक (तकनीक/परि. एवं यो.), सीसीएल – सदस्य
4. श्री हर्ष नाथ मिश्र, निदेशक (कार्मिक), सीसीएल - सदस्य

वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित कंपनी की मानव संसाधन समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण कारपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के बिंदु संख्या 4 में दिया गया है।

50. डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन

डीपीई ने दिशानिर्देश/नियम/प्रक्रियाएं जारी की हैं, जिनका पालन प्रत्येक सीपीएसई को करना होगा और वित्तीय वर्ष के अंत में, कारण बताते हुए अनुपालन/गैर-अनुपालन प्रमाण-पत्र आगामी वर्ष के 30 अप्रैल तक कोयला मंत्रालय को भेजना होगा।

उपर्युक्त के अनुरूप, आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कोयला मंत्रालय को अनुपालन/गैर-अनुपालन का प्रमाण-पत्र भेजा गया।

51. वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन

वित्तीय वर्ष की समाप्ति और रिपोर्ट की तारीख के बीच ऐसा कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धता नहीं हुई जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकती है।

52. सचिवीय मानक

आपकी कंपनी ने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सभी लागू सचिवीय मानकों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की तथा उक्त प्रणालियाँ पर्याप्त हैं व प्रभावी ढंग से काम रहीं हैं।

53. वार्षिक रिटर्न

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) के साथ पठित धारा 134(3)(ए) के अनुसार, अधिनियम की धारा 92(1) के साथ पठित नियम 11 के अनुसार कंपनी की वार्षिक रिटर्न की प्रति तैयार की जाती है। कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 को कंपनी की वेबसाइट https://www.centralcoalfields.in/ccl_admin/dept_circular_upload/file/20.pdf पर देखा जा सकता है।

54. धोखाधड़ी की सूचना

रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के तहत लेखा परीक्षकों द्वारा किसी प्रकार की धोखाधड़ी सूचित नहीं की गई है।

55. महत्वपूर्ण वेबलिंक:

कंपनी की वेबसाइट पर निम्नलिखित नीतियां देखीं जा सकती हैः

(i) सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का वेब-लिंक :

Web Link: https://www.centralcoalfields.in/sutbs/sdcsr.php

(ii) सतर्कता तंत्रः

https://www.centralcoalfields.in/vglnc/pdf/21_02_2020_whistle_blower_policy.pdf

(iii) कोल इंडिया लिमिटेड के नामित व्यक्तियों द्वारा नियमन, निगरानी और प्रतिवेदन ट्रेडिंग के लिए आचार संहिताः

https://www.centralcoalfields.in/indsk/pdf/policy/02_07_2021_code_of_conduct.pdf

(iv) संबंधित पार्टी लेनदेन नीतिः

https://www.centralcoalfields.in/indsk/pdf/policy/related_party_policy.pdf

(v) सेबी(एलओडीआर) विनियम, 2015 के तहत भौतिकता निर्धारण पर नीति

https://www.centralcoalfields.in/indsk/pdf/policy/Policy_on_determination_of%20_Materiality_under_SEBI_LODR_%20Regulations_2015__03042017.pdf

(vi) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(डी) के अनुसार धारा 149 की उपधारा (6) के तहत स्वतंत्र निदेशक की घोषणा।

https://www.centralcoalfields.in/ccl_admin/dept_circular_upload/file/15.pdf

56. धन्यवाद ज्ञापन:

आपके निदेशकगण, कंपनी के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आपकी कंपनी को प्रदत्त बहुमूल्य मार्गदर्शन एवं समर्थन हेतु भारत सरकार, विशेष रूप से कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड के प्रति हार्दिक आभार ज्ञापित करते हैं। आपके निदेशकगण, आपकी कंपनी को बहुमूल्य सहयोग एवं सहायता के लिए झारखंड सरकार एवं अन्य राज्य सरकारों को भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपके निदेशकगण, हार्दिक सहयोग एवं कर्तव्य निष्ठा के लिए कामगारों, कर्मचारियों और अधिकारियों को भी धन्यवाद देते हैं।

आपके निदेशकगण को पूर्ण विश्वास है कि समस्त श्रेणी के कार्मिक आगामी वर्षों में कंपनी के उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु कठिन परिश्रम करते रहेंगे। आपके निदेशकगण वैधानिक अंकेक्षकों, कर अंकेक्षकों, नियंत्रक एवं भारत सरकार के महालेखापरीक्षक तथा कंपनी रजिस्ट्रार, बिहार एवं झारखण्ड सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता और मार्गदर्शन हेतु सधन्यवाद आभार प्रकट करते हैं।

57. परिशिष्टः

आपके विचारार्थ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जा रहे हैं:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अनुसरण में निदेश-कीय रिपोर्ट का परिशिष्टः

i. वित्त वर्ष 2022-23 के लिए नैगमिक शासन **अनुलग्नक-I**

ii. नैगमिक शासन के अनुपालन पर प्रमाण-पत्र **अनुलग्नक-II**

iii. 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन **अनुलग्नक - III**

iv. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ और उस पर प्रबंधन का उत्तर। **अनुलग्नक - IV**

v. सीईओ और सीएफओ प्रमाणन **अनुलग्नक - V**

vi. प्रबंधकीय कार्मिक नियम, 2014 के अध्याय XII के तहत नियुक्ति और पारिश्रमिक के नियम 5 के अनुसार सूचना। **अनुलग्नक-VI**

vii. कंपनी की ऊर्जा संरक्षण पर सूचना,अनुसंधान और विकास गतिविधियों के बारे में विवरण और धारा 134 (3एम) के अनुसार विदेशी मुद्रा आय और व्यय का विवरण - **अनुलग्नक VII-IX**

viii. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सीएसआर गतिविधियों का वार्षिक प्रतिवेदन **अनुलग्नक – X**

ix. कंपनी द्वारा संबंधित पक्षों के साथ की गयी संविदा/ व्यवस्थाओं विवरण का प्रकटीकरण (एओसी-2) **अनुलग्नक -XI**

x. प्रत्येक सहायक कंपनी, सहयोगी और संयुक्त उद्यम कंपनी के प्रदर्शन और वित्तीय स्थिति पर प्रतिवेदन **अनुलग्नक- XII**

xi. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण प्रतिवेदन **अनुलग्नक - XIII**

कृते तथा निदेशक मंडल की ओर से

ह/-
(बी.वीरा रेड्डी)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन-08679590
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

दिनांक : 26.07.2023
स्थान : रांची

अनुलग्नक – I

नैगमिक शासन पर रिपोर्ट

1. दर्शन

प्रबंधन, उत्कृष्ट नैगमिक शासन एवं अपने प्रबन्धकीय उत्तरदायित्वों के लिए सीसीएल सदैव प्रयत्नशील रहा है। सीसीएल का नैगमिक शासन मुख्यतः निम्नलिखित मुख्य सिद्धांतों पर आधारित हैः

1. अपने उत्तरदायित्वों तथा कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रतिबद्ध, दक्ष, समुचित संरचना एवं आकार के निदेशक मंडल का गठन।
2. यह सुनिश्चित करना कि बोर्ड तथा इसकी समितियों को समयबद्ध सूचना प्राप्त हो ताकि वे प्रभावकारी ढंग से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकें।
3. कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करना तथा स्वतंत्र जांच कराना।
4. जोखिम प्रबंधन तथा आंतरिक नियंत्रण की ठोस पद्धति अपनाना।
5. कंपनी से संबंधित वास्तविक सूचना शेयरधारकों के समक्ष समय पर संतुलित रूप से प्रकाशित करना।
6. पारदर्शिता और प्रतिबद्धता।
7. सभी लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन।
8. अपने सभी हितधारकों, कर्मचारियों, उपभोगताओं, अंशधारकों और निवेशकों के साथ निष्पक्ष एवं समान व्यवहार करना।

नैगमिक नागरिक के रूप में आपकी कंपनी नैगमिक शासन के उच्चतम मानदंडों के पालन में विश्वास करती है। सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सीसीएल समस्त भारतीय नागरिकों को सभी वांछित सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु संभव सहायता प्रदान करता है।

यह मात्र अनुपालन एवं नियंत्रण-संतुलन बनाने का विषय नहीं है अपितु, अवसरों को वास्तविकता में बदलने के दृष्टिकोण के साथ कंपनी के उदेश्यों को बेहतर निष्पादन की दिशा में सतत् प्रक्रिया है। कंपनी के इन प्रयासों में राष्ट्रीय मांग, शेयरधारकों के लाभ एवं कर्मचारियों के विकास के साथ इसकी गतिविधियों को पंक्तिबद्ध करना तथा विभिन्न संसाधनों का लाभ लेना शामिल है जिससे कि जोखिमों को कम करने के फलस्वरूप शेयरधारकों को प्रसन्न किया जा सके। कंपनी के मुख्य उदेश्यों में विवेक एवं चेतना की निगमित संस्कृति का सृजन एवं पालन, पारदर्शिता, स्पष्टता, जिम्मेदारी, औचित्य, हिस्सेदारी, सतत मूल्य सृजन, नैतिक आचरण तथा क्षमता का विकसित करना एवं उन अवसरों को पहचानना है जो मूल्य सृजन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके, जिससे सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन संगठन का निर्माण हो।

2. निदेशक मंडल

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में दिनांक 31.03.2023 को आठ (08) निदेशक शामिल थे जिसमें पाँच (05) कार्यकारी निदेशक अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक सहित, दो (2) अंशकालिक प्रशासकीय निदेशक, एक (1) अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक शामिल थे।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की कुल तेरह (13) बैठकें हुई यथा 29.04.2022, 14.05.2022, 04.072.2022, 31.07.2022, 31.08.2022, 26.09.2022, 10.10.2022, 28.10.2022, 23.11.2022, 21.12.2022, 17.01.2023, 25.01.2023 तथा 24.03.2023। इस प्रकार निदेशक मंडल की इन बैठकों के बीच समय का अंतराल 2 माह से अधिक नहीं था।

निदेशक मंडल के गठन, निदेशक मंडल की बैठक, आम बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति, अन्य कंपनियों में निदेशकों के पद तथा अन्य समितियों में उनकी सदस्यता इत्यादि का निम्नानुसार विवरण दिया जा रहा हैः

क्रम सं.	नाम तथा पदनाम	श्रेणी	बोर्ड बैठक (समिति की बैठक का विवरण अलग से दिया गया है)		निदेशकीय पद का धारण
			कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति	
1.	श्री पी. एम. प्रसाद, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	कार्यकारी निदेशक	13	13	शून्य
2.	श्री अजितेश कुमार , निदेशक, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार*	प्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	1	1	शून्य
3.	सुश्री संतोष, उप महानिदेशक,कोयला मंत्रालय, भारत सरकार**	प्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	12	10	शून्य
4.	श्री विनय रंजन, निदेशक(का. एवं औ), सीआईएल	प्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	13	12	• सीआईएल • डबल्यूसीएल
6.	श्री के आर वासुदेवन, निदेशक (वित्त), सीसीएल^	कार्यकारी निदेशक	2	2	• एमसीएल • एमजेएसजे कोल लिमिटेड • एमएनएच शक्ति लिमिटेड
7.	श्री पवन कुमार मिश्रा, निदेशक (वित्त),सीसीएल^^	कार्यकारी निदेशक	11	11	जेसीआरएल
8.	श्री राम बाबू प्रसाद , निदेशक (तक./सं.), सीसीएल ^^^	कार्यकारी निदेशक	12	12	शून्य
10.	श्री एस के गोमस्ता, निदेशक (तक./परि. एवं यो.),सीसीएल$	कार्यकारी निदेशक	7	7	• सीएमपीडीआईएल • जेसीआरएल
11.	श्री बी.साईंराम , निदेशक (तक./परि. एवं यो.), सीसीएल$$	कार्यकारी निदेशक	6	6	• जेसीआरएल
12.	श्री पीवीकेआर मल्लिकार्जुन राव, निदेशक (कार्मिक),सीसीएल#	कार्यकारी निदेशक	4	3	• बीसीसीएल
13.	श्री हर्ष नाथ मिश्र , निदेशक (कार्मिक),सीसीएल##	कार्यकारी निदेशक	9	9	शून्य
14.	श्री हरबंस सिंह, भूतपूर्व निदेशक जनरल एपेक्स, जीएसआई	अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	3	3	शून्य
15.	श्रीमती जाजुला गौरी, अधिवक्ता+	अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	3	3	शून्य
16.	श्री रमेश कुमार सोनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट++	अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक	13	13	शून्य

* श्री अजितेश कुमार, निदेशक, कोयला मंत्रालय ने 22.02.2023 को प्रशासकीय अंशकालिक निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया

** सुश्री संतोष, उप महानिदेशक, कोयला मंत्रालय ने 22.02.2023 को प्रशासकीय अंशकालिक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला

^ श्री के.आर. वासुदेवन ने 10.06.2022 को निदेशक (वित्त), सीसीएल के अतिरिक्त प्रभार का त्याग किया

^^ श्री पवन कुमार मिश्रा ने दिनांक 10.06.2022 को निदेशक (वित्त), सीसीएल के रूप में पदभार ग्रहण किया

^^^ श्री राम बाबू प्रसाद ने 14.05.2022 को सीसीएल के निदेशक (तक. /सं.), के रूप में पदभार ग्रहण किया

$ श्री एस.के. गोमास्ता ने 26.10.2022 को निदेशक (तक./परि. एवं यो.), सीसीएल अतिरिक्त प्रभार छोड़ दिया

$$ श्री बी. साईंराम ने 26.10.2022 को सीसीएल के निदेशक तकनीकी (परि. एवं यो.), के रूप में पदभार ग्रहण किया

\# 31.07.2022 को श्री पी.वी.के.आर. मल्लिकार्जुन राव, निदेशक (कार्मिक), सीसीएल सेवानिवृत्त हुए।

\## श्री हर्ष नाथ मिश्र ने 24.08.2022 को निदेशक (कार्मिक), सीसीएल के रूप में पदभार ग्रहण किया

\+ श्री हरबंस सिंह ने 09.07.2022 को गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया

++ श्रीमती जजुला गौरी ने 09.07.2022 को गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया

वर्ष 2022-23 दौरान अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं निदेशकों के पारिश्रमिक की अनुसूची

क. कार्यकारी निदेशकगण

नाम	अन्य निदेशकों के साथ संबंध	अन्य निदेशकों के साथ व्यावसायिक संबंध	वर्ष 2022-23 का पारिश्रमिक (रु)										
			वेतन एवं बकाया सहित भत्ते	पीआरपी	परिलब्धि	आवास किराया भत्ता	अवकाश नकदीकरण	सीएम पीएफ अंशदान	चिकित्सा व्यय	एनपीएस अंशदान	एलटीसी (एफ)	उपदान	कुल
श्री पी. एम. प्रसाद	शून्य	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	4798962.00	2705467.06	778803.38	0.00	657051.00	456367.00	0.00	263937.00	0.00	0.00	9660587.44
श्री राम बाबू प्रसाद	शून्य	निदेशक (तक./सं).	4708736.70	1706304.96	592022.58	0.00	0.00	447775.00	0.00	236219.00	0.00	0.00	7691058.24
श्री हर्ष नाथ मिश्र	शून्य	निदेशक (कार्मिक)	2806676.21	0.00	221304.62	0.00	0.00	267620.00	0.00	124579.00	0.00	0.00	3420179.83
श्री पवन कुमार मिश्रा	शून्य	निदेशक (वित्त)	2630400.00	0.00	158187.00	0.00	0.00	250464.00	0.00	129369.00	0.00	0.00	3168420.00
श्री बी. साईंराम	शून्य	निदेशक (तक./ यो. एवं परि)	1448921.75	831712.80	0.00	227977.20	0.00	138408.00	0.00	59265.00	0.00	0.00	2706284.75
कुल योग			**16393696.66**	**5243484.82**	**1750317.58**	**227977.20**	**657051.00**	**1560634.00**	**0.00**	**813369.00**	**0.00**	**0.00**	**26646530.26**

सेवा संविदा

कंपनी के समस्त निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। पूर्णकालिक निदशकों को नियुक्ति के संबंध में नियम एवं शर्तों का निर्धारण कंपनी की अन्तर्नियमावली के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

ख. अंशकालीन निदेशकगण

किसी प्रकार के पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है।

ग. अप्रशासकीय अंशकालीन निदेशक

क्र.	पारिश्रमिक का विवरण				कुल राशि (रु)
1.	स्वतंत्र निदेशक:	श्री हरबंस सिंह, (09.07.2022 तक)	श्रीमती जाजुला गौरी (09.07.2022 तक)	श्री रमेश कुमार सोनी, (01.11.2021 से आज तक)	
	बोर्ड/समिति की बैठक में भाग लेने हेतु सिटिंग फीस	1,40,000	1,60,000	6,00,000	9,00,000
	कुल (1)	1,40,000	1,60,000	6,00,000	9,00,000

3. बोर्ड समिति

(क) निदेशकों की लेखा-परीक्षण समिति

श्री के.आर.वासुदेवन की 10.06.2022 को सेवानिवृत्त उपरांत, निदेशक (वित्त), सीसीएल के रूप में श्री पवन कुमार मिश्रा ने दिनांक 10.06.2022 को कार्यभार ग्रहण किया फलस्वरूप, निदेशकों की लेखा-परीक्षण समिति का पुनर्गठन निम्नलिखित निदेशकों के साथ 04.07.2022 को आयोजित 516वीं बोर्ड बैठक में किया गया:

1. श्री रमेश कुमार सोनी,
   अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक — अध्यक्ष
2. सुश्री संतोष,
   प्रशासकीय अंशकालिक निदेशक — सदस्य
3. श्री हरबंस सिंह,
   अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक — सदस्य
4. श्री विनय रंजन,
   निदेशक (का. एवं औ), सीआईएल — सदस्य
5. श्रीमती जाजुला गौरी,
   अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक — सदस्य
6. श्री पवन कुमार मिश्रा ,
   निदेशक (वित्त), सीसीएल — स्थाई आमंत्रित

दिनांक 09.07.2022 को श्री हरबंस सिंह तथा श्रीमती जाजुला गौरी का कार्यकाल पूरा होने पर, सीसीएल बोर्ड की 31.07.2022 को आयोजित 517वीं बोर्ड बैठक में निम्नलिखित निदेशकों को सम्मिलित करते हुए निदेशकों की लेखा-परीक्षण समिति का पुनर्गठन किया गया:

1. श्री रमेश कुमार सोनी,
   अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक — अध्यक्ष
2. सुश्री संतोष,
   प्रशासकीय अंशकालिक निदेशक — सदस्य
3. श्री विनय रंजन,
   निदेशक (का. एवं औ), सीआईएल — सदस्य
4. श्री पवन कुमार मिश्रा ,
   निदेशक (वित्त), सीसीएल — स्थाई आमंत्रित

श्री अजितेश कुमार, निदेशक, कोयला मंत्रालय द्वारा 22.02.2023 को सुश्री संतोष, उप. महानिदेशक, कोयला मंत्रालय के स्थान पर प्रशासकीय अंशकालिक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात, सीसीएल बोर्ड ने 24.03.2023 को आयोजित अपनी 526 वीं बैठक में निम्नलिखित निदेशकों के साथ निदेशकों की लेखा-परीक्षण समिति का पुनर्गठन किया-

1. श्री रमेश कुमार सोनी,
   अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक — अध्यक्ष
2. श्री विनय रंजन,
   प्रशासकीय अंशकालिक निदेशक — सदस्य
3. श्री अजितेश कुमार,
   प्रशासकीय अंशकालिक निदेशक — सदस्य
4. श्री पवन कुमार मिश्रा ,
   निदेशक (वित्त), सीसीएल — स्थाई आमंत्रित

लेखा-परीक्षण समिति की बैठक के कोरम में, या तो 2 सदस्य होंगे या लेखा-परीक्षण समिति के एक तिहाई सदस्यों में से जो भी अधिक हो, लेकिन कम से कम दो स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति अनिवार्य है। सीसीएल बोर्ड ने अपनी 411वें बैठक में 04.11.2014 को लेखा-परीक्षण समिति के संदर्भ में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177(4) के प्रावधान की शर्तों को मंजूरी दी।

दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान लेखा-परीक्षण समिति की 08 (आठ) बैठकों का आयोजन दिनांक 25.05.2021, 14.05.2022, 27.06.2022, 30.07.2022, 16.09.2022, 28.10.2022, 21.12.2022, 25.01.2023 एवं 24.03.2023. को किया गया। कंपनी सचिव लेखा-परीक्षण समिति के भी सचिव हैं।

लेखा-परीक्षण समिति का कार्य क्षेत्र

परस्पर-कार्य की सूची निम्नवत है:

1. अंकेक्षकों के साथ आवधिक परिचर्चा:
   - आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्ता एवं अनुपालन
   - अंकेक्षकों के पर्यवेक्षण सहित लेखा-परीक्षण का दायरा
   - बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले तिमाही, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक वित्तीय विवरण की समीक्षा करें।

2. निम्नलिखित कार्य करने के लिए:

- सही, पर्याप्त और विश्वसनीय वित्तीय विवरण यह सुनिश्चित करने के लिए कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण
- प्रबंधन के साथ बोर्ड में अनुमोदन पूर्व वार्षिक वित्तीय विवरण की समीक्षा, विशेषकर इसे निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण में सम्मिलित की जाने वाली बातें, यदि कोई लेखा विधिनीति में परिवर्तन हो, लेखा संबंधी महत्वपूर्ण प्रविष्टियां, किये गये महत्वपूर्ण समायोजन एवं अभियोग्यता का प्रस्तुतीकरण संबंधित पार्टी के लेन-देन, लेखा-परीक्षण प्रतिवेदन प्रारूप में।

ii. सतत विकास एवं नैगमिक सामाजिक दायित्व समिति

लोक उपक्रम विभाग, भारी उद्योग और लोक उपक्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यालय ज्ञापन सं. डीपीई ओ. एम. सं. 3(9)/2010- डीपीईह (एमओयू) दिनांक 23 सितम्बर, 2011 को सरकारी लोक उपक्रमों के सतत विकास हेतु मार्गदर्शिका जारी की:

मार्गदर्शिका के अनुसार प्रभावी क्रियान्वयन हेतु:

- सतत विकास हेतु योजना तैयार किया जाना आवश्यक है।
- सतत विकास के मूल्यांकन हेतु स्वतंत्र बाहरी एजेंसी/ विशेषज्ञ/सलाहकार की नियुक्ति की जाए।
- सतत विकास योजना के अनुमोदन और उसके निष्पादन की देख-रेख हेतु बोर्ड स्तरीय पदनामित समिति गठित की जाए।

कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग 135 के अन्तर्गत निगमित उत्तरदायित्व और सतत विकास समिति में कम से कम 3 निदेशक होना आवश्यक हैं - जिनमें से कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक होंगे।

श्री पवन कुमार मिश्रा ने दिनांक 10.06.2022 को श्री के.आर. वासुदेवन के स्थान पर निदेशक(वित्त), सीसीएल के रूप में प्रभार ग्रहण के उपरांत निम्नलिखित निदेशकों को सम्मिलित करते हुए सतत विकास एवं नैगमिक सामाजिक दायित्व समिति का पुनर्गठन 04.07.2022 को आयोजित 516वीं बोर्ड बैठक में किया गया:

1. श्री हरबंस सिंह,
   अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक — अध्यक्ष
2. श्रीमती जाजुला गौरी,
   अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक — सदस्य
3. श्री रमेश कुमार सोनी,
   अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक — सदस्य
4. श्री विनय रंजन,
   निदेशक (का.एवं औ. सं), सीआईएल — सदस्य
5. श्री पवन कुमार मिश्रा ,
   निदेशक (वित्त), सीसीएल — सदस्य
6. श्री पीवीकेआर मल्लिकार्जुन राव,
   निदेशक (का.), सीसीएल — सदस्य

इसके अनंतर, श्री हरबंस सिंह और श्रीमती जाजुला गौरी का कार्यकाल 09.07.2022 को पूरा होने तथा श्री पीवीकेआर मल्लिकार्जुन राव, निदेशक (का.), सीसीएल (अतिरिक्त प्रभार) की 31.07.2022 को सेवा निवर्तन उपरांत, सतत विकास एवं नैगमिक सामाजिक दायित्व समिति का पुनर्गठन निम्नलिखित निदेशकों को सम्मलित करते हुए 31.07.2022 को आयोजित 517वीं बोर्ड बैठक में किया गया :

1 श्री रमेश कुमार सोनी,
  अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक — अध्यक्ष
2. श्री विनय रंजन,
   निदेशक (का. एवं औ. सं), सीआईएल — सदस्य
3. श्री पवन कुमार मिश्रा,
   निदेशक (वित्त), सीसीएल — सदस्य
4. श्री राम बाबू प्रसाद,
   निदेशक (तक. /सं.), सीसीएल — सदस्य

तत्पश्चात, श्री हर्ष नाथ मिश्र द्वारा निदेशक (कार्मिक), सीसीएल का कार्यभार ग्रहण के उपरांत सतत विकास एवं नैगमिक सामाजिक दायित्व समिति का पुनर्गठन निम्नलिखित निदेशकों को सम्मलित करते हुए 26.09.2022 को आयोजित 517वीं बोर्ड बैठक में किया गया:

1. श्री रमेश कुमार सोनी,
   अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक — अध्यक्ष
2. श्री विनय रंजन,
   निदेशक (का.एवं औ. सं), सीआईएल — सदस्य
3. श्री पवन कुमार मिश्रा ,
   निदेशक (वित्त), सीसीएल — सदस्य
4. श्री हर्ष नाथ मिश्र,
   निदेशक (का.), सीसीएल — सदस्य

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान निदेशकों की उच्चधिकार समिति की 07 (पांच) बैठकों का आयोजन दिनांक 28.04.2022, 27.06.2022, 08.08.2022, 31.08.2022, 21.12.2022, 17.01.2023 और 24.03.2023 को किया गया।

iii. जोखिम प्रबंधन समिति

दिनांक 14.05.2022 को निदेशक (तकनीकी), सीसीएल के पद पर श्री राम बाबू प्रसाद की नियुक्ति के परिणामस्वरूप , सीसीएल बोर्ड ने 04.07.2022 को आयोजित अपनी 516वीं बैठक में निम्नलिखित निदेशकों के साथ जोखिम प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया:

1. श्री रमेश कुमार सोनी,
   गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक — अध्यक्ष,
2. श्री राम बाबू प्रसाद,
   निदेशक (तकनीक/संचालन), सीसीएल — सदस्य
3. श्री एस.के.गोमस्ता,
   निदेशक (तकनीक/यो.एवं परी.), सीसीएल — सदस्य

4. श्री एस.के. पांडे,
महाप्रबंधक (संचालन) — मुख्य जोखिम अधिकारी

श्री एस.के.गोमस्ता के स्थान पर श्री बी.साईंराम द्वारा निदेशक (तकनीकी) का कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत सीसीएल बोर्ड ने 23.11.2022 को आयोजित अपनी 522वीं बैठक में निम्नलिखित निदेशकों के साथ जोखिम प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया:

1. श्री रमेश कुमार सोनी,
गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक — अध्यक्ष,
2. श्री राम बाबू प्रसाद,
निदेशक (तकनीकी/संचालन), सीसीएल — सदस्य
3. श्री बी.साईंराम,
निदेशक (तकनीकी/यो.एवं परी.), सीसीएल — सदस्य
4. श्री एस.के. पांडे,
महाप्रबंधक (संचालन) — मुख्य जोखिम अधिकारी

सीसीएल बोर्ड ने 24.03.2023 को आयोजित अपनी 526वीं बैठक में निम्नलिखित निदेशकों के साथ जोखिम प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया:

1. श्री रमेश कुमार सोनी,
गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक — अध्यक्ष,
2. श्री राम बाबू प्रसाद,
निदेशक (तकनीकी/संचालन), सीसीएल — सदस्य
3. श्री बी.साईंराम,
निदेशक (तकनीकी/यो.एवं परी.), सीसीएल —सदस्य
4. श्री एस.आर.तलंकार,
महाप्रबंधक (संचालन) — मुख्य जोखिम अधिकारी

दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की 1 (एक) बैठक का आयोजन दिनांक 25.03.2023 को किया गया।

iv. मानव संसाधन समिति

सीसीएल बोर्ड द्वारा 04.07.2022 को आयोजित 516 वीं बैठक में निम्नलिखित निदेशकों को सम्मिलित करते हुए मानव संसाधन समिति का पुनर्गठन किया गया:

1. श्रीमती जाजुला गौरी,
अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक — अध्यक्ष
2. श्री रमेश कुमार सोनी,
अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक — सदस्य
3. श्री विनय रंजन,
निदेशक (तकनीकी), सीआईएल — सदस्य
5. श्री एस.के. गोमस्ता,
निदेशक तकनीकी (परि. एवं यो.), सीसीएल — सदस्य
6. श्री पीवीकेआर मल्लिकार्जुन राव,
निदेशक (का.), सीसीएल — सदस्य

इसके अनंतर, श्री हरबंस सिंह और श्रीमती जाजुला गौरी का कार्यकाल 09.07.2022 को पूरा होने तथा श्री पीवीकेआर मल्लिकार्जुन राव, निदेशक (का.), सीसीएल (अतिरिक्त प्रभार) की 31.07.2022 को सेवा निवर्तन उपरांत, मानव संसाधन समिति का पुनर्गठन निम्नलिखित निदेशकों को सम्मिलित करते हुए 31.07.2022 को आयोजित 517वीं बोर्ड बैठक में किया गया :

1. श्री रमेश कुमार सोनी,
अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक — अध्यक्ष
2. श्री विनय रंजन,
निदेशक (का.एवं औ. सं), सीआईएल — सदस्य
3. श्री एस.के. गोमस्ता,
निदेशक तकनीकी (परि. एवं यो.), सीसीएल — सदस्य
4. श्री राम बाबू प्रसाद ,
निदेशक (तक./सं.), सीसीएल — सदस्य

श्री पीवीकेआर मल्लिकार्जुन राव,निदेशक (का.), सीसीएल के 31.07.2022 को सेवा निवर्तन तथा श्री हर्ष नाथ मिश्र द्वारा निदेशक (कार्मिक), सीसीएल का कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत, सीसीएल बोर्ड द्वारा 26.09.2022 को आयोजित अपनी 519 वीं बोर्ड बैठक में, निम्नलिखित निदेशकों को सम्मिलित करते हुए मानव संसाधन समिति का पुनर्गठन किया गया -

1. श्री रमेश कुमार सोनी,
अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक — अध्यक्ष
2. श्री विनय रंजन,
निदेशक (का.एवं औ. सं), सीआईएल — सदस्य
3. श्री एस.के. गोमस्ता,
निदेशक तकनीकी (परि. एवं यो.), सीसीएल— सदस्य
4. श्री हर्ष नाथ मिश्र,
निदेशक (का.), सीसीएल — सदस्य

इसके अनंतर, श्री एस.के.गोमस्ता के स्थान पर श्री बी.साईंराम द्वारा निदेशक (तकनीकी) का कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत सीसीएल बोर्ड द्वारा 23.11.2022 को आयोजित 522वीं बोर्ड बैठक में, निम्नलिखित निदेशकों को सम्मिलित करते हुए मानव संसाधन समिति का पुनर्गठन किया गया :

1. श्री रमेश कुमार सोनी,
अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक — अध्यक्ष
2. श्री विनय रंजन,
निदेशक (का.एवं औ. सं), सीआईएल — सदस्य
3. श्री बी.साईंराम,
निदेशक तकनीकी (परि. एवं यो.), सीसीएल — सदस्य
4. श्री हर्ष नाथ मिश्र,
निदेशक (का.), सीसीएल — सदस्य

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान मानव संसाधन समिति की 1 (एक) बैठक का आयोजन दिनांक 14.05.2023 को किया गया।

4. 2022-23 में बोर्ड स्तरीय समिति की बैठकों में उपस्थिति

क्रं	नाम एवं पदनाम	लेखा-परीक्षण समिति	सतत विकास एवं नैगमिक सामाजिक दायित्व समिति	मानव संसाधन समिति	मानव संसाधन समिति
कार्यकारी निदेशकगण					
1.	श्री पी.एम.प्रसाद	-	-	-	-
2.	श्री के.आर.वासुदेवन	1/1	1/1	-	-
3.	श्री पावन कुमार मिश्रा	-	6/6	-	-
4.	श्री राम बाबू प्रसाद ,निदेशक (तक./सं.), सीसीएल)	-	2/2	1/1	-
5.	श्री बी.साईंराम	-	-	1/1	-
6.	श्री एस.के. गोमस्ता	-	-	-	-
7.	श्री पीवीकेआर मल्लिकार्जुन राव	-	2/2	-	1/1
8.	श्री हर्ष नाथ मिश्र	-	4/4	-	-
प्रशासकीय अंशकालीन निदेशक					
9.	सुश्री संतोष, उप महानिदेशक कोयला मंत्रालय	5/7	-	-	-
10.	श्री अजितेश कुमार , निदेशक,कोयला मंत्रालय, भारत सरकार*	1/1	-	-	-
11.	श्री विनय रंजन	8/8	7/7	-	1/1
अप्रशासकीय अंशकालीन निदेशक					
12.	श्री हरबंस सिंह	2/2	2/2	-	-
13.	श्रीमती जाजुला गौरी	2/2	2/2	-	1/1
14.	श्री रमेश कुमार सोनी	8/8	7/7	1/1	1/1

* उपरोक्त तालिका, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित बोर्ड स्तर की समिति बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण दर्शाती है। उपस्थिति, बैठक के लिए प्राप्त आहर्ता की संख्या में से बैठकों में उपस्थिति की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है।

5. कंपनी के लेखा परीक्षक

क. सांविधिक अंकेक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत वर्ष 2022-23 के लिए आपकी कंपनी की लेखा-रिपोर्ट के लेखा-परीक्षण कार्य हेतु भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निम्नलिखित चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों की नियुक्ति की गई है:

मेसर्स एसएपीएन एंड एसोसिएट्स

द्वारा– श्री अमित कुमार चाँद, 140, ओल्ड एजी कॉलोनी,

कडरू रांची - 834002, रांची, झारखंड

शाखा लेखा-परीक्षक

1. **मेसर्स वी. रोहतगी एंड कंपनी**
   प्रथम तल्ला, सर्जना बिल्डिंग, मेन रोड,
   रांची - 834001 , झारखंड
2. **मेसर्स लोधा पटेल वाधवा एण्ड कं.**
   304, श्रीलोक कॉम्प्लेक्स,4 एच.बी. रोड, तीसरा तल्ला,
   रांची - 834001, झारखंड
3. **मेसर्स सुशील शर्मा एंड कंपनी**
   तीरथ मेंशन,कमरा नंबर 222, ओवरब्रिज के पास,
   रांची - 834001, झारखंड
4. **मेसर्स एन.के.डी एंड कंपनी**
   द्वितीय तल्ला, राधा गौरी, गौशाला चौक,
   नॉर्थ मार्केट रोड,अप्पर बाज़ार
   रांची- 834001, झारखंड

ख लागत लेखा-परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 26.09.2022 पर 519 वीं बोर्ड बैठक में वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए अधिनियम के तहत आवश्यक लागत लेखा-परीक्षा आयोजित करने के लिए निम्नलिखित लागत लेखा-परीक्षकों को नियुक्त किया गया:

मैसर्स निरन एंड कंपनी,

ईएसईएन डेन, 475, ऐगिनिया,
एशियाना प्लाजा एंट्री, खंडगिरि,
भुवनेश्वर-751019, ओडिशा।

शाखा लागत लेखा-परीक्षक

1. **मैसर्स मणि एंड कंपनी**
   लागत लेखाकार, "अशोका" 111,
   सदर्न एवेन्यू कोलकाता–700029
2. **मैसर्स डीजीएम एंड एसोसिएट्स**
   64, बी.बी गांगुली स्ट्रीट,
   (द्वितीय तल्ला), कोलकाता - 700012

ग. सचिवीय अंकेक्षक:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के अनुसार, निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 14.05.2022 पर 515वीं बोर्ड बैठक में मद संख्या 4(5) के तहत वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए अधिनियम के तहत आवश्यक लागत लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए निम्नलिखित लागत लेखा परीक्षकों को नियुक्त किया गया था:

सचिवीय अंकेक्षक:

मेसर्स सतीश कुमार एंड एसोसिएट्स
कार्यालय क्रमांक 603, समृद्धि स्क्वायर, 6वीं मंजिल,
किशोरगंज चौक, रांची - 834001 (झारखंड)

घ. आतंरिक लेखा परीक्षक:

सीसीएल बोर्ड द्वारा 06.07.2020 को आयोजित 488वीं बैठक में वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक के लिए निम्नलिखित आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त किए गए:

मेसर्स जैन सरावगी एन्ड कं.
508-8, पंचवटी प्लाजा, कचहरी रोड,
राँची-834001

क्षेत्र आंतरिक लेखा परीक्षक:

1. **मेसर्स नंदी एंड एसोसिएट्स**
   द्वारा - श्री फाल्गुनी बनर्जी, डी-1, सुधालेखा अपार्टमेंट,
   जे सी मल्लिक रोड, हीरापुर, धनबाद – 826001
2. **मेसर्स एस के नरेडी एंड कंपनी**
   द्वारा- विश्वजीत दास, राणा रॉय, सरना मैदान, नगरटोली,
   न्यूक्लियस मॉल के पीछे, राँची-834001
3. **मेसर्स जयसवाल ब्रजेश एंड कंपनी**
   सीए रूबी बंसल, 400सी, आइकॉन हाइट
   धुमसा टोली, घासी तालाब, राँची -834001
4. **मेसर्स बिस्वास दासगुप्ता दत्ता & रॉय**
   फ्लैट नंबर-3, नबकांति अपार्टमेंट, 59-बी,
   सर्कुलर रोड, होटल अप्सरा के पीछे, राँची -834001
5. **मेसर्स गुप्ता सचदेवा एंड कंपनी**
   205-बी, महाबीर टावर, मेन रोड, राँची -834001
6. **मेसर्स पारीक एंड कंपनी**
   आशीर्वाद भवन, दिंदली बस्ती,
   शेर-ए-पंजाब चौक के पास,
   आदित्यपुर, जमशेदपुर – 831013
7. **मेसर्स सी के प्रुस्ती एसोसिएट्स**
   15 एसी मार्केट, पहली मंजिल,
   जीईएल चर्च कॉम्प्लेक्स,
   मेन रोड, राँची – 834001
8. **मेसर्स हबीबुल्लाह एंड कंपनी**
   मकान नंबर 2, दर्जी मोहल्ला, एचपीओ डोरंडा,
   राँची – 834002
9. **मेसर्स अभिजीत दत्त एंड एसोसिएट्स**
   8 द्वारा 2, किरना शंकर रॉय रोड, दूसरी मंजिल,
   कमरा नंबर 2 और 3, कलकत्ता-700001
10. **मेसर्स आर जी एस एंड एसोसिएट्स**
    सी/ओ मनीष सिंह, संत नगर, झिरी सरकारी स्कूल के पास,
    नया शिव मंदिर झिरी, कामरे, राँची -835222
11. **मेसर्स बी गुप्ता एंड कंपनी**
    602, पार्क प्लाजा, टैगोर हिल रोड,
    मोरहाबादी, राँची – 834008
12. **मेसर्स ए के केजरीवाल एंड एसोसिएट्स**
    2सी, श्री बिमलानंद टॉवर, पुरुलिया रोड,
    राँची -834001

6. वार्षिक आम बैठक:

विगत तीन वर्षों में शेयर धारकों की आम बैठकों का विवरण निम्नानुसार दिया जा रहा है:

वर्ष	तिथि एवं समय	अवस्थिति	उपस्थिति	विशेष संकल्प, यदि कोई हो
2020-21	12 अगस्त 2021 पूर्वाह्न 10.00 बजे	दरभंगा हाउस, रांची	1. श्री पी. एम. प्रसाद, सदस्य एवं अध्यक्ष. 2. श्री प्रमोद अग्रवाल, सदस्य 3. श्री बिनय दयाल सदस्य 4. श्री एम. विश्वनाथन,सीआईएल के प्रतिनिधि	शून्य
2021-22	12 अगस्त 2021 पूर्वाह्न 10.00 बजे	दरभंगा हाउस, रांची	1. श्री पी. एम. प्रसाद, सदस्य एवं अध्यक्ष. 2. श्री प्रमोद अग्रवाल, सदस्य 3. श्री बिनय दयाल सदस्य 4. श्री एम. विश्वनाथन,सीआईएल के प्रतिनिधि	शून्य
2022-23	4 अगस्त 2022 पूर्वाह्न 12.00 बजे	दरभंगा हाउस, रांची	1. श्री पी. एम. प्रसाद, सदस्य एवं अध्यक्ष. 2. श्री विनय रंजन, सदस्य 3. श्री एम. विश्वनाथन,सीआईएल के प्रतिनिधि	शून्य

नोटः विगत तीन वर्षों में संपन्न आम बैठकों में डाक द्वारा मतदान के माध्यम से कोई भी विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया।

7. प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर)

संबंधित पार्टी के लेन- देन

कंपनी के निदेशकों द्वारा प्रदत्त प्रकटीकरण के अनुसार, सम्बद्ध पार्टियों से ऐसा कोई लेन- देन नहीं किया गया जिससे व्यापक रूप से कंपनी के हित को कोई हानि पहुंचती हो।

निदेशकों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आचार- संहिता

दिनांक 02.07.2008 को निदेशक मंडल की 348वीं बैठक में निदेशकों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आचार संहिता बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे सीसीएल की वेबसाइट www.centralcoalfields.inपर अपलोड किया गया है। मार्च 2022 को समाप्त वर्ष तक आचार संहिता की प्राप्ति रसीद एवं उसके अनुपालन सम्बन्धी स्वीकारोक्ति प्राप्त की जा चुकी है।

सेबी (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 के विनियम 12(1) के अनुसरण में अंतरंग व्यापार की रोकथाम के लिए आचार संहिता।

अंतरंग व्यापार की रोकथाम के लिए, सेबी (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम 2015 के विनियम 12(1) और 2018 तथा 2019 में संशोधित, सीआईएल बोर्ड द्वारा 13 अगस्त 2019 को आयोजित 390वीं बोर्ड बैठक में आंतरिक प्रक्रिया संहिता तथा आचरण संहिता नीति को अनुमोदित किया गया है। इस नीति को समय-समय पर सीआईएल द्वारा अद्यतन किया जा रहा है। सेबी अधिसूचनाओं के अनुसार और इसकी सभी सहायक कंपनियों द्वारा अपनाया जाता है।

संशोधित पीटीआई नियमों के अनुसार, नामित व्यक्तियों के डिजिटल डेटाबेस का अनुरक्षण सीआईएल द्वारा कार्यान्वित सॉफ्टवेयर में किया जा रहा है।

शक्तियों का प्रत्यायोजन:

सीसीएल की शक्तियों के प्रत्यायोजन को 15 नवंबर 2022 को आयोजित 34वीं ईसीएफडी बैठक के अनुमोदन से संशोधित किया गया था तथा उक्त को 17.11.2022 से सीसीएल में लागू किया गया था।

लेखा संव्यवहार:

कंपनी अधिनियम 2013 के तहत प्रस्तुतीकरण करते हुए वांछित एवं संगत अपेक्षाओं तथा कंपनी में लागू बाध्यकारी लेखा मापदंडों के अनुरूप ही वित्तीय विवरणियों को तैयार किया गया है।

जोखिम प्रबंधनः

व्यवसायिक रणनीति के तहत जोखिम को चिन्हित करने, मूल्यांकन एवं संगठन के विभिन्न कार्य-संचालन के विभिन्न क्षेत्रों में जोखिम कम करने संबंधी प्रक्रियात्मक कार्यों पर समुचित ध्यान दिया जाता है। आन्तरिक एवं बाह्य कारणों से सन्निहित संभावित जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है तथा जोखिम पर प्रभावपूर्ण तरीके से काबू पाने हेतु जोखिम के विरूद्ध बनाई गई नीति एवं प्रणाली के माध्यम से आवश्यक निरोधात्मक कदम उठाए जाते हैं।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

वर्ष के दौरान सभी स्वतंत्र निदेशकों ने "स्वतंत्र निदेशक" का पद धारण करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) के तहत निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किया है एवं धारा 149(7) के तहत प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक से आवश्यक घोषणा पत्र प्राप्त हुए हैं।

8. संचार-व्यवस्था साधनः

कंपनी का संचालन और वित्तीय निष्पादन प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्रों और स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है। उपरोक्त के अलावा कंपनी की वेबसाइट में वित्तीय परिणाम प्रदर्शित किया जाता है।

9. लेखा-परीक्षण अर्हता:

दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी लेखा पर सांविधिक अंकेक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर की विवरणियों को निदेशकों की रिपोर्ट में परिशिष्ट के रूप में प्रदर्शित किया गया है। 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम 2013 के भाग के 143(6)(बी) के अन्तर्गत सीसीएल की वित्तीय विवरणी पर भारत के सीएजी के टिप्पणी को भी संलग्न किया गया है।

10. बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षणः

विशेषज्ञता एवं अनुभव आधार पर कार्यकारी निदेशकगण अपने कार्यात्मक क्षेत्र के प्रमुख होते हैं तथा कंपनी के साथ-साथ कंपनी के व्यवसाय के जोखिम प्रोफाइल के बारे में भी जानकारी रखते हैं। अंशकालीन निदेशकगण, कंपनी के व्यापार मॉडल की पूर्ण जानकारी रखते हैं। कंपनी के व्यवसाय के जोखिम प्रोफाइल को बोर्ड के द्वारा पूरी तरह से परिभाषित किया गया है तथा बोर्ड सदस्यों को समय-समय पर इसके बारे में जानकारी दी जाती रहती है।

11. अंशकालिक निदेशकों के मूल्यांकन के लिए तंत्रः

कोयला मंत्रालय एवं कोल इंडिया लिमिटेड (नियंत्रक कंपनी) का प्रतिनिधित्व करने वाले अंशकालिक निदेशकगणों के प्रदर्शन का मूल्यांकन उनके संबंधित नियमों के अनुसार किया जाता है। अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशकगणों की बोर्ड सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए कोयला मंत्रालय और लोक उपक्रम विभाग के माध्यम से भारत सरकार के द्वारा चयन किया जाता है। आम तौर पर नियुक्ति तीन वर्षों के कार्यकाल के लिए की जाती है।

12. व्हीसिल ब्लोअर नीतिः

दिनांक 13 अगस्त 2019 को आयोजित अपने 390वीं बोर्ड बैठक में सीआईएल द्वारा अनुमोदित कोल इंडिया की व्हीसिल ब्लोअर नीति, 2019 अपने सभी सहायक कंपनियों के लिए लागू है।

इसके अलावा पीएसयू होने के नाते कंपनी का रिकार्ड सीएजी और सतर्कता/सीबीआई के द्वारा जांच के लिए उपलब्ध है।

आपकी कंपनी में एक स्वतंत्र सतर्कता विभाग है जिसके प्रमुख, मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं। सतर्कता विभाग, केन्द्रीय सतर्कता कमीशन के समग्र मार्गदर्शन के तहत कार्य करता है तथा मुख्य रूप से निवारक सतर्कता पर जोर देता है।

13. सत्यनिष्ठा संधिः

दिनांक 11.08.2008 को नई दिल्ली में आपकी कंपनी तथा ट्रांसपेरेंसी इन्टरनेशनल इंडिया के बीच सत्यनिष्ठा के कार्यान्वयन हेतु एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। दिनांक 23/08/2008 को संपन्न बोर्ड की 350वीं बोर्ड के समक्ष सूचना हेतु उक्त ज्ञापन-समझौता को प्रस्तुत किया गया।

14. कंपनी द्वारा अनुपालनः

कारपोरेट गवर्नेंस पर जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन के अनुसरण में तिमाही अनुपालन रिपोर्ट नई दिल्ली स्थित कोयला मंत्रालय एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के विभाग तथा भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रमों के मंत्रालय को भेजी गई है।

15. यूएन ग्लोबल काम्पेक्ट

ग्लोबल काम्पेक्ट एक तंत्र है जिसमें मानवाधिकार, श्रम, पर्यावरण तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध सर्वमान्य 10 सिद्धांतो के अनुरूप उद्यम अपने परिचालन तथा रणनीति के कार्यान्वयन हेतु प्रतिबद्ध है। विश्व के सबसे बड़े कारपोरेट नागरिक के रूप ग्लोबल काम्पेक्ट प्रथम संस्था है जो किसी भी उद्योग के कारोबार तथा विपणन को व्यापक रूप से सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप मान्यता दिलाने तथा विस्तार का प्रयास करती है। विश्व स्तरीय कंपनियाँ यू.एन. ग्लोबल काम्पेक्ट की सदस्य बनी है। सामुदायिक विकास के क्षेत्र में प्रदर्शन के आधार पर सीसीएल 2009 से यू.एन. ग्लोबल काम्पेक्ट की सदस्य है। तब से, कंपनी ने व्यावसायिक उत्कृष्टता सिद्धांतो के अनुप्रयोग से सीएसआरको एक मुख्य व्यवसाय प्रविधि बनाने के साथ अपनी सीएसआर गतिविधियों को बढ़ाया है। सीसीएल सहयोग और नवाचार पर बल देते हुए वृहतत्तर सामाजिक लक्ष्यों जैसे संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य को आगे ले जाने हेतु रणनैतिक कार्रवाई की है।

सीसीएल अपने परिचालन क्षेत्रों के आसपास समुदाय तथा झारखंड के अन्य हिस्सों में आवश्यकता के अनुसार नागरिकों की तात्कालिक आवश्यकताओं में एसडीजी को प्राथमिकता देते हुए सीएसआर कार्यान्वित करती है। कंपनी मुख्य रूप से स्वास्थ्य एवं पोषण, स्वच्छता, पेय जल, शिक्षा, खेल, रोजगार/स्व-रोजगार के लिए युवाओं का कौशल विकास, पशु कल्याण आदि के क्षेत्रों में कार्यों का निष्पादन किया है। कंपनी एक हाइब्रिड दृष्टिकोण को अंगीकृत करते हुए सीएसआर कार्यान्वयन का कुछ अंश स्वयं तथा कुछ अलाभकारी प्रतिष्ठित कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में सीसीएल ने अक्षय पात्र फाउंडेशन और जिला प्रशासन रामगढ़ के साथ रामगढ़ जिले के 538 सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन की आपूर्ति के लिए प्रतिदिन 50000 भोजन क्षमता वाली केंद्रीकृत रसोई की स्थापना के लिए, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत कार्यान्वयन की ऑनलाइन ट्रैकिंग के साथ सीसीएल ने लातेहार और चतरा जिले के 1400 टीबी रोगियों को 6 महीने के लिए गोद लेने और पोषण टोकरी प्रदान करने के लिए निक्षय मित्र के रूप में पंजीकरण कराया है। मरीजों और दुर्घटना पीड़ितों की

त्वरित सहायता के लिए चतरा जिला प्रशासन को 4 टाइप बी और 2 टाइप सी एम्बुलेंस प्रदान किए गए। सीसीएल रांची में अपने केंद्रीय अस्पताल में स्थित जन आरोग्य केंद्र तथा परिचालन क्षेत्रों में कंपनी अस्पतालों में सीएसआर औषधालय के माध्यम से कमान क्षेत्रों के ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रहा है। सीसीएल ने अपने सीएसआर कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा उपकरण, एएनएम के लिए ई-स्कूटर, मॉडल लेबर रूम विकसित किए हैं और आंगनबाड़ियों को मॉडल आंगनबाड़ियों में स्तरोन्नत किया है।

शिक्षा के अधीन, सीसीएल ने रांची विश्वविद्यालय में छात्रों तथा आम लोगों के लिए वाचनालय, ई-संसाधन और जर्नल अनुभाग, सम्मेलन कक्ष, डिजिटल लाइब्रेरी अनुभाग, सामूहिक अध्ययन के लिए कक्ष, बैठक-कक्ष, ध्यान केंद्र, कैफेटेरिया आदि से सुसज्जित 5000 सीटों वाले राजकीय पुस्तकालय के निर्माण हेतु शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। कमान क्षेत्र के वंचित वर्गों से संबंधित छात्रों (लड़कों और लड़कियों) को मेधा/प्रवेश-परीक्षा के आधार पर चुना जाता है और उन्हें प्रतिष्ठित स्कूल में निशुल्क उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रदान की जाती है तथा सीसीएल के लाल/लाडली योजना के तहत जेईई मेन्स/एडवांस्ड/अन्य इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए सीसीएल के आईआईटियन अधिकारियों द्वारा निशुल्क आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वैसे बच्चों की नियमित शिक्षा जारी रखने के लिए, जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता-पिता या परिवार के प्राथमिक कमाने वाले सदस्यों को खो दिया है, सीसीएल ने एक कोविड संकट छात्रवृत्ति शुरू की है। इसके अलावा, सीसीएल ने अपने कमान क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कूलों में 4 मिनी साइंस लैब और 94 स्मार्ट क्लास ,स्कूलों में मौलिक अवसंरचना, शिक्षण किट/ स्टेशनरी का प्रावधान किया है साथ ही ग्रामीण बच्चों के आवागमन के लिए स्कूल बसों को किराए पर लेना, कक्षाओं और सामुदायिक पुस्तकालयों का विकास किया है।

सीसीएल का झारखंड के खेलगांव में खेल अकादमी के संचालन और रखरखाव के माध्यम से खेल को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय योगदान है। इस योजना से खेल श्रेणी को बढ़ावा देने के लिए लगातार दो वर्षों से सीसीएल को राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार मिले हैं (2019 और 2020 2022 में घोषित)। खेल अकादमी की प्रमुख योजना के अलावा, सीसीएल खेल को बढ़ावा देने, समय के लाभकारी उपयोग और स्थानीय युवाओं के सकारात्मक अभिविन्यास और प्रेरणा के साथ-साथ समाज के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण विकसित करने के लिए स्थानीय युवाओं और बच्चों को फुटबॉल, क्रिकेट किट, वॉलीबॉल, नेट आदि प्रदान करता है।

समुदाय की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, सीसीएल ने गहरे नलकूप, सौर ऊर्जा संचालित गहरे नलकूप, हैंडपंप, कुएं, आरओ जल संयंत्र और जल प्रशोधक की स्थापना की है तथा पाइपलाइनों के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कंपनी ने स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता के लिए दूरदराज के गांवों में जल भंडारण टैंकों के साथ सौर-ऊर्जा संचालित गहरे नलकूपों का निर्माण किया है।

पशु कल्याण के क्षेत्र में, सीसीएल द्वारा भगवान बिरसा जैविक उद्यान, रांची में जानवरों (शेर और बाघ की एक जोड़ी) को उनके भरण-पोषण, भोजन, चिकित्सा/पशु चिकित्सीय देखभाल के लिए गोद लिया गया है। घायल/बीमार जानवरों (आवारा और पशुधन) के इलाज के लिए, सीसीएल द्वारा इनबिल्ट ओटी सुविधा के साथ 24x7 पशु एम्बुलेंस सह आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहन आरंभ किया जा रहा है।

स्थानीय युवाओं/महिलाओं के कौशल विकास को प्राथमिकता देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, सफल प्रशिक्षण पूरा होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के साथ 140 पीएपी को एचएमवी ड्राइविंग प्रशिक्षण प्रदान किया गया। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को बाजार से जोड़ने के साथ-साथ सिलाई प्रशिक्षण प्रदान किया गया। रामगढ़ कोयला क्षेत्र के आसपास के गांवों में, कारीगरों के एसएचजी का गठन किया गया और डोकरा कला, सुजनी कला, बांस शिल्प और जूट शिल्प में प्रशिक्षण प्रदान किया गया और साथ ही ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म/व्यक्तियों/दुकानों के माध्यम से बाजार से जुड़ने में सहायता प्रदान की गई। टाना भगत समुदाय के 25 युवाओं को कार्यशालाओं में नौकरी/खुद की मरम्मत की दुकान खोलने से जोड़कर मोटरसाइकिल रखरखाव और मरम्मत तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया। सिलाई मशीनों और पंखे को बिजली देने के लिए सोलर पैनल, बैटरी और वायरिंग आदि की स्थापना के माध्यम से सिलाई समूहों का सोलराइजेशन, टेरी के माध्यम से 50 सिलाई उद्यमियों के लिए घर आधारित कार्यशाला का काम किया गया। सीसीएल स्थानीय ग्रामीणों विशेषकर युवाओं को आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए अपने कमान क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण, मोबाइल मरम्मत, सिलाई, कंप्यूटर आदि के व्यापार में विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षण भी चला रहा है।

स्वच्छता के तहत, खुले में शौच को कम करने के लिए इसके कमान क्षेत्रों में स्थित स्कूलों/गांवों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया गया है, जिससे एक स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण तैयार किया जा सके। प्रमुख रेलवे स्टेशनों रांची और हटिया में 13 बोतल क्रशिंग मशीनें लगाई गई हैं।

टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन के तहत सीसीएल के सीएसआर समर्थन के साथ झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, रांची में नए उद्यमियों/एमएसएमई स्टार्ट-अप को तकनीकी और वित्तीय सहायता दी जा रही है।

गतिविधियों, आयोजनों, सम्मेलनों, समुदायों के साथ बातचीत और आवश्यकता आधारित योजना में मदद करने वाले प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों की भागीदारी सीसीएल में सीएसआर कार्यान्वयन की प्रमुख विशेषता है। कर्मचारी नियमित रूप से सोशल मीडिया पर सीएसआर प्रयासों के समाचार/सूचना/उपलब्धियों को साझा करते हैं।

अनुलग्नक – IA

निदेशकों का पार्श्वदृश्य

दिनांक 31-03-2023 तक सीसीएल के निदेशक मंडल में अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक,निदेशक (वित्त),निदेशक (तक./परि एवं यो.), निदेशक (कार्मिक),निदेशक(तक/सं.), दो सरकारी/सीआईएल मनोनीत निदेशक, एक अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशक सम्मिलित हैं।

सभी निदेशकगणों का संक्षिप्त परिचय, उनकी शैक्षणिक योग्यता, कार्य-क्षेत्र, अनुभव एवं विशेषज्ञता, व्यावसायिक संस्थाओं में उनकी सदस्यता, अन्य कंपनियों में अध्यक्षकीय/निदेशकीय पद का धारण आदि नीचे दिया गया है :

कार्यकारी निदेशकगण:

DIN : 08073913

श्री पी.एम. प्रसाद

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

दिनांक 01 सितम्बर, 2020 को श्री पी.एम.प्रसाद ने सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया। श्री प्रसाद को परिचालन तथा प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों में 39 वर्षों का वृहत अनुभव है। ओस्मानिया विश्वविद्यालय से खनन अभियांत्रिकी की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात, श्री प्रसाद भारतीय खानि विद्यापीठ(आईआईटी-आईएसएम), धनबाद से ओपन कास्ट खनन में स्नात्तकोत्तर(एम.टेक) की उपाधि प्राप्त की। श्री प्रसाद को डीजीएमएस द्वारा प्रथम श्रेणी खान प्रबंधक का प्रमाण-पत्र वर्ष 1988 में प्राप्त हुआ तथा उन्होंने वर्ष 1997 में नागपुर विश्वविद्यालय से विधिशास्त्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त की।

श्री प्रसाद ने अपने व्यावसायिक जीवन का प्रारंभकोल इंडिया लिमिटेड(सीआईएल) की सहायक कंपनी, वेकोलिमें प्रशिक्षु अधिकारी के रूप मेंवर्ष 1984 से की थी। कंपनी में विभिन्न भूमिकाओं का निर्वहन करते हुए उन्होंने संपूर्ण समर्पण, मेहनत, ईमानदारी एवं ऊर्जास्वित नेतृत्व का प्रदर्शन किया। तदुपरान्त, वह महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) में लिंगराज क्षेत्र के महाप्रबंधक नियुक्त हुए।

वर्ष 1994-95 में वेकोलि में अपने कार्यकाल के दौरान भूमिगत आग से प्रभावित डीआरसी खदान में पुनः खनन प्रारंभ कराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस असाधारण कार्यनिष्पादन के लिए, श्री प्रसाद को वर्ष 1995 में सचिव, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार तथा अध्यक्ष, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा 'सर्वश्रेष्ठ खान प्रबंधक' से पुरस्कृत किया गया।

एमसीएल में महाप्रबंधक के रूप में अपने सफल कार्यकाल के दौरान, मार्च,2010 में उन्होंने 'कानिहा खुली खदान परियोजना' के सफल शुभारंभ एवं परिचालन में प्रमुख भूमिका निभाई। उनकी प्रमुख उपलब्धियों के अंतर्गत वर्ष 2014-15 में हिंगुला खुली खदान क्षेत्र स्थित नाले का सफल दिशा परिवर्तन,जिसके कारण 26 मि.टन अवरुद्ध कोयले की निकासी संभव हो पायी तथा तालचर में न्यू रेलवे साइडिंग सं. 9 का शुभारंभ भी सम्मिलित है। सुरक्षा के प्रति उनकी विशेष अभिरुचि है तथा वह जिस परियोजना में पदस्थापित रहे, वहाँ उन्होंने आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजय प्राप्त की। वह दो परियोजनाओं यथा वर्ष 1996 से 1998 तक पदमपुर परियोजना, वेकोलि तथा 2006 से 2008 के मध्य नंदिरा भूमिगत खदान, एमसीएल में लगातार तीन बार विजयी रह चुके हैं।

मई 2015 में, वह एनटीपीसी में कार्यकारी निदेशक (कोयला खनन) के रूप में नियुक्त हुए जहां उन्हें एमडीओ परियोजनाओं के आवंटन की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा पकरी-बरवाडीह कोयला ब्लॉक (एनटीपीसी की पहली परियोजना) के आवंटन और शेष कोयला ब्लॉकों के लिए निविदा आमंत्रण सूचना जारी करने का श्रेय दिया जाता है। मार्च 2016 में उन्होंने एनटीपीसी हजारीबाग, झारखंड के परियोजना के कार्यकारी निदेशक सह प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। पकरी-बरवाडीह कोल ब्लॉक में कोयला खनन परिचालन शुरू करने की चुनौती स्वीकार की। परियोजना प्रमुख के रूप में उनके इस कार्यकाल के दौरानपकरी-बरवाडीह परियोजना को वर्ष 2016 में कोयला खनन परियोजनाओं के लिए 'स्वर्ण शक्ति पुरस्कार' के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

फरवरी 2018 में, श्री प्रसाद सीआईएल की एक अनुषंगी कंपनी नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) के निदेशक तकनीकी (परि. एवं यो.) का कार्यभार ग्रहण किया जहां उन्हें 5 मुख्य क्षेत्रों यथा कारपोरेट योजना विन्यास, असैनिक अभियांत्रिकी, रेलवे साइडिंग, पर्यावरण एवं वन आदि का उत्तरदायित्व दिया गया। उनके कुशल नेतृत्व के अंतर्गत एनसीएल को पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जून, 2018 को प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन के दौरान पर्यवरण संरक्षण हेतु सर्वश्रेष्ठ कार्यनिष्पादन के लिए सम्मानित किया गया।

अगस्त, 2019 में उन्होंने बीसीसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के पद पर योगदान दिया। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के मध्य उन्होंने प्रतिबद्धता, उत्साह एवं समर्पण के साथ कंपनी का नेतृत्व किया। कोविड-19 महामारी के विरुद्ध उन्होंने कंपनी का कुशल नेतृत्व किया तथा कंपनी के समग्र प्रदर्शन में बदलाव लाने के प्रयासों के साथ विभिन्न पहलों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही।

श्री प्रसाद अपने अंतर-वैयक्तिक कौशल के लिए प्रसिद्ध हैं और टीम-वर्क में दृढ़ विश्वास रखते हैं तथा उत्कृष्ट तकनीकी विशेषज्ञता के स्वामी हैं। उनके मार्गदर्शन में कंपनी नित नयी सफलता की एवं ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है।

श्री राम बाबू प्रसाद

निदेशक (तकनीकी/संचालन)

DIN: 09644944

श्री राम बाबू प्रसाद दिनांक 14.05.2022 से निदेशक तकनीकी(संचालन), सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) के पद पर कार्यरत हैं।

श्री प्रसाद ने वर्ष 1987 में भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान (भारतीय खानि विद्यापीठ) (आईआईटी-आईएसएम), धनबाद, झारखंड से प्रौद्योगिकी स्नातक (खनन आभियांत्रिकी) की उपाधि मिली। वर्ष 1987 में उन्होंनें कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)में प्रबंधन प्रशिक्षु (खनन) के रूप में अपना प्रथम योगदान दिया। उन्हेंसीएमआरअंतर्गत कोयला खदान प्रबंधन हेतु खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस), धनबाद से प्रथम श्रेणी प्रबंधक अभियोग्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त प्राप्त है। वर्ष 1996 से 1999 के दौरान उन्होने इग्नू, नई दिल्ली से 4 पाठ्यक्रमों यथा मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (वित्त प्रबंधन), प्रबंधन डिप्लोमा, वित्त प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा की उपाधि प्राप्त की।

कोल इंडिया लिमिटेड की झारखंड राज्य में अवस्थित सहायक कंपनी सीसीएल में शीर्ष तकनीकी पद पर आसीन होने के पूर्व, श्री राम बाबू प्रसाद को सीसीएल के साथ-साथ एनसीएल में जुलाई 2010 से मई 2022 तक महाप्रबंधक (खनन) के रूप में कार्यों के निष्पादन का व्यापक अनुभव है। एनसीएल में वह महाप्रबंधक(खनन), जयंत क्षेत्र, एनसीएल के पद पर कार्यरत थे। एनसीएल कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। एनसीएल को सीआईएल की तीसरी सबसे बड़ी कोयला उत्पादक सहायक कंपनी होने का गौरव प्राप्त है। सीसीएल की विभिन्न परियोजनाओं के परियोजना अधिकारी के रूप में उन्होंने मार्च 2004 से जुलाई 2010 तक कार्यों का सफल निष्पादन किया। श्री प्रसाद को एनसीएल, सीसीएल और एसईसीएल में अत्यधिक यंत्रीकृत ओपनकास्ट खादानों के साथ भूमिगत खादानों में कार्यों के निष्पादन का 35 वर्षों का वृहत व विविध कार्य-अनुभवहै।

पुरस्कार एवं प्रशस्ति

- वर्ष 1998 में एसईसीएल की सोमना यूजी खदान में खदान प्रबंधक के रूप में कार्य करने के दौरान, सीआईएल में उच्चतम एसडीएल उत्पादकता प्राप्त करने के लिए उत्कृष्ट खनिक के पुरस्कार से सम्मानित किया गया ।
- उन्हें वर्ष 2016 में एनसीएल के "सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय महाप्रबंधक" का सम्मान प्राप्त हुआ।
- उन्हें वर्ष 2021 में "लोकोन्मुख सर्वश्रेष्ठ लाइन प्रबंधक" से सम्मानित किया गया।

श्री प्रसाद को अंतरराष्ट्रीय अनुभव भी प्राप्त है। 2018 में, उन्होंने मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं संसाधन सम्मेलन में भाग लिया। वर्ष 2019 में ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम में उनकी प्रतिभागिता रही। भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) कोलकाता, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) खड़गपुर तथा हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी उनकी सक्रिय प्रतिभागिता रही है।

श्री प्रसाद कोयला खदान बंदीकरण तथा जस्ट ट्रांजिशन के संबंध में उपरोक्त देशों में अंगीकृत सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन करने हेतु पोलैंड, जर्मनी और बेल्जियम स्थित खदान स्थलों में विश्व बैंक तथा जीआईजेड प्रायोजित अध्ययन दौरे के सदस्य रहे। अध्ययन दौरे का उद्देश्य जस्ट ट्रांजिशन के सिद्धांतों पर एक व्यापक खदान बंदीकरण की रूपरेखा का विकास करना था। अध्ययन दौरे में सम्मिलित भारतीय टीम को जस्ट ट्रांजिशन सुनिश्चित करने वाले समुदायोन्मुख दृष्टिकोण के साथ खदान स्थलों के बंदीकरण हेतु जर्मनी द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को देखने तथा उन सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसकी प्रतिकृति भारत में की जा सकती है। इस दौरे से भारत को दीर्घावधि में निम्न कार्बन उत्सर्जक अर्थव्यवस्था में निर्बाध अवस्थान्तरके लिए क्षमता निर्माण का विकास करनेतथा जलवायु परिवर्तन कारकोंके विरुद्ध युद्ध में सहायता प्राप्त हुई है।

श्री राम बाबू प्रसाद पेशे न केवल एक खनन अभियंता हैं, अपितु लोकोपकार के प्रति भी उनकी अभिरुचि है तथा वह ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन-यापन करने वाले ग्रामीणों की सहायता हेतु सदैव प्रवृत रहते हैं। श्री प्रसाद जब महाप्रबंधक,सीएसआर,सीसीएल के पद पर कार्यों का निष्पादन कर रहे थे, तब उन्होंने निर्धन परिवारों के सशक्तिकरण हेतु भारतीय प्रबंधन संस्थान(आईआईएम) रांची के सहयोग से "सीसीएल के लाल" और "बेयरफुट मैनेजर" कार्यक्रम की शुरूवात की। वर्ष 2014-15 के दौरान स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत झारखंड सहित विभिन्न राज्यों में 7000 से अधिक शौचालयों के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी।

श्री प्रसाद अपने अंतर-वैयक्तिक कौशल के लिए प्रसिद्ध हैं और टीम-वर्क में दृढ़ विश्वास रखते हैं तथा उत्कृष्ट तकनीकी विशेषज्ञता के स्वामी हैं। उनके मार्गदर्शन में कंपनी नित नयी सफलता की एवं ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है।

DIN: 09665365

श्री पवन कुमार मिश्रा

निदेशक (वित्त)

श्री पवन कुमार मिश्रा ने जून,2022 में कोयला खनन कंपनी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड(सीसीएल) में निदेशक (वित्त) के पद पर कार्यभार ग्रहण किया हैं। वह वाणिज्य विषय में स्नातक हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के सदस्य भी हैं। साथ ही,वह झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल) के निदेशक हैं।

सीसीएल में नियुक्त होने के पूर्व, उन्होंने डीएनएच पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीएनएचपीडीसीएल), विदृत संवितरण इकाई तथा विदृत उत्पादक कंपनी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनपीसीआईएल) में सीएफओ (मुख्य वित्तीय अधिकारी) के पद पर कार्यों का संपादन किया है।उनके पास लेखांकन, वित्त और कराधान के क्षेत्र में 20 से अधिक वर्षों का विस्तृत अनुभव है। श्री मिश्रा को ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित कारपोरेट लेखांकन और कराधान, कारपोरेट वित्तपोषण सहित पुनर्गठन, वाणिज्यिक/परियोजनामूल्यांकन सहित समझौता वार्ता एवं उक्त का प्रलेखन, बजट तथा बजटीय नियंत्रण, लेखा परीक्षकों के साथ कार्य-व्यवहार, वाणिज्यिक अनुपालन सहित टैरिफ निर्धारण तथा अंतिम रूप देने,विदृतक्रय करार तथा अन्य नियामक अनुपालन का वृहत एवं व्यापक अनुभव है।

अपने पूर्ववर्ती व्यावसायिक कार्यावधि में,प्रलेखन के साथ प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा विदृतसंवितरण कंपनी के निजीकरण में उनकी प्रमुख भूमिका रही है जो स्वयं एक अभूतपूर्व प्रक्रिया थी। उक्त निजीकरण के दौरान हस्तांतरण तथा हैंडहोल्डिंग प्रक्रिया में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। नियामक सुधारों के माध्यम से वितरण उपयोगिता कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन में सुधार, एकीकृत व्यापार समाधान एवं स्वचालित व्यावसायिक प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन, वित्त नियमावलीएवं आंतरिक लेखा परीक्षा नियमावली का निर्माण, नवीन लेखा नीतियों और रिपोर्टिंग संरचना को अंतिम रूप देने सहित नए लेखा मानकों (इंडएएस) के कार्यान्वयन में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

DIN: 09732955

श्री हर्ष नाथ मिश्र

निदेशक (कार्मिक)

श्रीहर्ष नाथ मिश्र,कोल इंडिया लिमिटेड(सीआईएल)की सहायक कंपनी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड(सीसीएल) में निदेशक (कार्मिक) के पद पर कार्यरत हैं। श्री मिश्र ने अपने व्यावसायिक जीवन की यात्रा वर्ष 1991 से प्रारंभ की थी। सीआईएल में योगदान देने से पूर्व उन्होंने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड(सेल) में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएँ दी थीं।

श्री मिश्र ने पटना विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र विषय में स्नातकोत्तर की उपाधितथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड बिजनेस मैनेजमेंट (आईआईएसडबल्यूबीएम), कलकत्ता विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य एवं श्रम कल्याण में डिप्लोमा प्राप्त किया है। उक्त शास्तियों सहित उन्हें विनोबा भावे विश्वविद्यालय से एलएलबी की उपाधि भी प्राप्त है। वह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट (एनआईपीएम) के आजीवन सदस्य हैं और अद्यतन रांची चैप्टर के अध्यक्ष हैं।

उन्हें मानव संपदा प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों में तीन दशक से अधिक का अनुभव प्राप्त है। श्री मिश्र अपनी दूरदर्शी दृष्टिकोण और बहुआयामी निर्णय क्षमता के लिए सुप्रसिद्ध हैं। वह प्रक्रिया सरलीकरण हेतु परिवर्तनकारी एवं अभिनव कार्यप्रणालियों को कार्यान्वित करने में विश्वास करते हैं। अल्पावधि में ही उन्होंने सीसीएल तथा बीसीसीएल में हितधारकों के सुखद अनुभव के संवर्धन हेतु विभिन्न प्रक्रियाओं एवं कार्यप्रणालियों में अनुकरणीय सुधार किया है। वह मृदुभाषी, सुधीर श्रोता तथा कर्मचारी हितैषी अधिकारी हैं। उन्हें औद्योगिक संबंधों का विशेषज्ञ माना जाता है।

वह एक सुधि पाठकहैं तथा उन्होंने विभिन्न स्तरों पर अनान्य सम्मेलनों एवं सेमिनारों में भाग लिया है।

श्री बी. साईंराम

निदेशक (तकनीकी/परियोजना एवं योजना)

श्री बी.साईराम एनआईटी,रायपुर से स्नातक खनन अभियंता हैं। उन्हें कोयला प्रक्षेत्र में 32 वर्षों का वृहत कार्य-अनुभव प्राप्त है तथा उन्होंने विभिन्न क्षमताओं में खान परिचालन, योजना, लॉजिस्टिक्स एवं नियामकपहलुओं से संबंधित कार्यों का निष्पादन किया है। वर्ष 1991 में कोल इंडिया लिमिटेड में उन्होंने प्रथम योगदान दिया था। उन्होंने साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड और कारपोरेट मुख्यालय,सीआईएल में विभिन्न पदों पर कार्य-निष्पादन किया है। एनटीपीसी स्कूल ऑफ बिजनेस,दिल्ली से उन्होंने प्रबंधन विषय पर 15 माह का पूर्णकालिक आवासीय पीजीडीएम की उपाधि प्राप्त की।

DIN: 09784229

कोर्स के दौरान उन्होंने नानयांग बिजनेस स्कूल,सिंगापुर में 15 दिवसीय इमरशन कार्यक्रम में भाग लिया। वह जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन से संबंधित जर्मनी और पोलैंड के अध्ययन दौरे की टीम का हिस्सा भी रहे हैं। कोयला खनन के केंद्रीय क्षेत्र - संचालन तथा योजना निर्माण के साथ-साथ उन्हें कर्मचारी कल्याण,जनसंपर्क, सीएसआर तथा विधि विभाग का नेतृत्व करने का भी अनुभव प्राप्त है। उनके नवीनतम कार्यों में कोयला क्षेत्र अंतर्गत स्थायी सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय कार्य-प्रणालियों की स्थापना शामिल है। निदेशक (तकनीकी),सीसीएल का कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व श्री साईराम सीआईएल में कार्यकारी निदेशक के पद पर कार्यरत थे।

अंश-कालिक/ नामित निदेशक

DIN: 03636743

श्री विनय रंजन

निदेशक (का. एवं औ.), सीआईएल नामित निदेशक

श्री विनय रंजन, निदेशक (का. एवं औ.), कोल इंडिया लिमिटेड ने 05.08.2021 को सीसीएल बोर्ड ने सीआईएल नामित निदेशक का कार्यभार ग्रहण किया है।श्री रंजन प्रदर्शन-केन्द्रित,लोकोन्मुखी कार्यकारी हैं जिन्हें मानव संसाधन के सभी क्षेत्रों में विशद व वृहत कार्यानुभव प्राप्त है जिसमें वृहत पैमाने पर लेटरल/कैंपस चयन, प्रतिभा प्रबंधन, प्रदर्शन प्रबंधन, नियोक्ता की ब्रांडिंग, प्रतिपूर्ति प्रबंधन और बेंच-मार्किंग, चेंज मैनेजमेंट, संस्कृति निर्माण, कार्मिक नियोजन, कार्मिक संबंध, एचआरआईएस, कर्मचारी उत्पादकता तथा अधिगम एवं विकास आदि क्षेत्रों में अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया है।

उन्होंने सफलतापूर्वक विदेशी व्यापारिक संस्थाओं में मानव संपदा से संबधित अपना सहयोग दिया है। वह सैप-एचआर कार्यान्वयन के दो पूर्ण जीवन-चक्र का हिस्सा रह चुके है। उन्होने टाटा कम्युनिकेशन (पूर्व में वीएसएनएल) में सैप-एचआर कार्यान्वयन के पूर्ण जीवन चक्र की टीम का नेतृत्व किया हैं। वहाँ उन्होंने आठ (8) सदस्यीय टीम का नेतृत्व किया, जिसमें सम्पूर्ण सैप एचसीएम मॉड्यूल के कार्यान्वयन के लिए वीएसएनएल एचआर और टीसीएस शामिल थी। वीएसएनएल से प्रतिनियुक्त पर श्री रंजन टाटा टेलीसर्विसेज (टीटीएसएल) की सैप क्रियान्वयन कार्यान्वयन टीम का भी हिस्सा भी रहे हैं।

वह प्रभावोत्पादक नेतृत्व कौशल युक्त कुशल व उत्पादक कार्यबल विकसित करने की क्षमता रखते हैं। वह हितधारक प्रबंधन का कौशल रखते हैं तथा विगत 5 वर्षों से वह प्रमोटरों के साथ प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं। वह उच्च स्तरीय सेवा-निष्पादन के साथ-साथ अपनी सत्यनिष्ठा और प्रतिबद्धता के लिए विख्यात है। श्री रंजन अपने कुशल अंतर्वैयक्तिकसंवाद कौशल एवं संव्यवहार के लिए भी जाने जाते हैं।

29 जुलाई 2016 को फ्रांस के फॉनटेनब्लियू परिसर में पाठ्यक्रम की समाप्ति के उपरांत आयोजित भव्य दीक्षांत समारोह वह इनसियाड के पूर्ववर्ती छात्र बनें।

दैनिक भास्कर समूह ने जब विस्तार कर यूएस 2 बिलियन डॉलर के निवेश से दो वृहत ताप विद्त संयंत्रों के निर्माण का निर्णय लिया तब श्री विनय रंजन डीबी पावर लिमिटेड (दैनिक भास्कर समूह की कंपनी) के कारपोरेट प्रमुख-मानव संसाधन का कार्यभार संभाल रहे थे।

श्री अजितेश कुमार

निदेशक, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार

श्री अजितेश कुमार,कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने 22.02.2023 को सेंट्रल कोलफीएल्ड्स लिमिटेड के आधिकारिक अंशकालिक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला।

श्री अजितेश कुमार, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा, 2005में सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग (ग्रुप-ए) सेवा के 2006 बैच के अधिकारी हैं। उन्होंने वर्ष 2004 में गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर (उत्तराखंड) के अधीन इंजीनियरिंगमहाविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक की उपाधि प्राप्त की है।

2008 से 2019 तककेंद्रीय विद्त प्राधिकरण, विद्त मंत्रालय (भारत सरकार), नई दिल्ली में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने पनबिजली (हाइड्रोपावर) परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का मूल्यांकन तथा पनबिजली परियोजनाओं की स्थापित क्षमताओं के निर्धारण का कार्य किया है। वह उप-स्टेशनों तथा प्रेषण लाइनों सहित

DIN: 08765626

एचवी बिजली परियोजनाओं की निगरानी में भी शामिल थे। वर्तमान में, वह सितंबर, 2019 से सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के तहत कोयला मंत्रालय (भारत सरकार) में निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं। अपने वर्तमान कार्यभार में, वह कोयला ब्लॉक आवंटन व नीलामी, कोयला ब्लॉकों की निगरानी और विकास, नीति से संबंधित काम कर रहे हैं।

उन्होंने सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में भी काम किया है।

अप्रशासकीय अंशकालिक निदेशकगण

DIN: 09399355

श्री रमेश कुमार सोनी

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सदस्य, श्री रमेश कुमार सोनी का जन्म वर्ष 1962 में हुआ।

उन्होंने अपने स्नातक की उपाधि रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) से प्राप्त की है।

वर्तमान में वह जगदलपुर, जिला-बस्तर (छ.ग.) में चार्टर्ड एकाउंटेंट का कार्य संभाल रहे हैं।

श्री सोनी आरंभ से ही विभिन्न निजी लिमिटेड कंपनियों, बैंक-शाखाओं, औद्योगिक-इकाइयों, स्वास्थ्य क्षेत्र की इकाइयों तथा गैर-लाभकारी संस्थाओं के सलाहकार व सांविधिक लेखा परीक्षक रहे हैं। वह विभिन्न लघु, सूक्ष्म व मध्यम उद्यमों से जुड़े रहे हैं तथा उनके व्यवसाय को स्थापित करने व सुधार करने में सहायता की है।

उन्हें सांविधिक लेखा, समवर्ती लेखा, भंडार लेखा, वित्त प्रबंधन, प्रत्यक्ष कर, निवेश संबंधी परामर्श जैसे विविध प्रक्षेत्रों में दक्षता प्राप्त है।

उन्होंने अपने व्यावसायिक विशेषज्ञता से संबधित व्याख्यान विभिन्न जिला औद्योगिक केंद्र, चैंबर ऑफ कॉमर्स, चैंबर ऑफ स्कूल एवं विभिन्न गैर-लाभकारी संस्थाओं दिया है।

श्री सोनी द्वारा विभिन्न विद्यालयों तथा गैर-लाभकारी संस्थाओं में आयोजित गोष्ठियों में वाणिज्य-क्षेत्र में कैरियर मार्ग दर्शन, शिक्षा एवं व्यावसायिक अवसरों आदि पर व्याख्यान दिया गया है।

अनुलग्नक-II

सचिवीय लेखा परीक्षक द्वारा कारपोरेट शासन पर प्रमाण-पत्र

सतीश कुमार एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

सेवा में

सदस्यगण,
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड।
रांची

1. हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी द्वारा नैगमिक शासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की, यद्यपि सूची में प्रदर्शित करार का अनुच्छेद-49 कंपनी में लागू नहीं होता है। यह कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी इकाई है जो कि सूचीबद्ध है।
2. नैगमिक शासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबधंन की है। नैगमिक शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु कंपनी द्वारा स्वीकृत सीमा को देखते हुए हमारी यह जांच उसकी प्रक्रिया तथा उसके क्रियान्वयन की जांच तक ही सीमित थी। यह न तो लेखा-परीक्षण और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणियों पर मंतव्य की अभिव्यक्ति है।
3. हमारे विचार मेंतथा हमारी सर्वोतम जानकारी के अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण और प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदनों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कारपोरेट शासन पर विभाग के सार्वजनिक उद्यम दिशानिर्देश के अनुसार आवश्यक संख्या में गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशकों की नियुक्ति को छोड़कर कारपोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन किया है।
4. हम आगे कहते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते **सतीश कुमार एंड एसोसिएट्स**

ह/-
(सतीश कुमार)
कंपनी सचिव
एफसीएस संख्या:8423
सी.पी. संख्या:9788

स्थान : रांची
दिनांक : 11 जुलाई, 2023
यूडीआईएन : F008423E000589190

अनुलग्नक–III

प्रपत्र सं. एमआर -3

सचिवीय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

(31 मार्च, 2023को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए)

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी (नियुक्ति और पारिश्रमिक कार्मिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसार]

सेवा में,

सदस्यगण,
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड,
रांची

हमनें सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (इसके पश्चात "कंपनी" के रूप में संदर्भित)के लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथाअच्छी कारपोरेट प्रथाओं के अनुपालन की सचिवीयलेखा-परीक्षण किया है। सचिवीय लेखा-परीक्षणइस तरह से आयोजित की गई थी जिससे हमें कारपोरेट आचरण /वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार मिला। अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक कीलेखा अवधि के दौरान कंपनी की पुस्तकों, कागजात, मिनट बुक्स,, फॉर्म और दाखिल किए गए रिटर्न व कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य अभिलेखों के हमारे सत्यापन के आधार पर तथा कंपनी, कंपनी के अधिकारियों, एजेंटों एवं प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदत्त सूचना एवं अन्य यथा प्रासंगिक दस्तावेजों/ फाइलिंग सहित, जिनपर निम्नलिखित प्रावधानों के अनुपालन सापेक्ष 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु भरोसा किया गया है:

1. कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उक्त के अधीन बनाए गए नियम;
2. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक
3. निक्षेपागार अधिनियम, 1996 एवं इसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम
4. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015
5. सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा उनके दिनांक 14 मई, 2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18(8)/2005-जीएम के तहत जारी किए गए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कारपोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देश
6. अनुबंध श्रम (नियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970
7. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम,2013)
8. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए अन्य पर्यावरण कानून और नियम।
9. सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कारपोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देश जारी किए गए।
10. कोयला मंत्रालय के पत्र संख्या 21/35/2005-एएसओ (iv) दिनांक 6 जून, 2008 में विनिर्दिष्ट कंपनी के निदेशक मंडल का गठन।
11. सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (कंपनी) पर लागू विशिष्ट कानूनों का अनुपालन की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। हमारी प्रतिवेदन प्रबंधन और उसके अधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए अनुपालन प्रमाणपत्रों की सीमा तक सीमित है। तथापि, उत्पादन इकाई/क्षेत्र पर विशेष रूप से लागू अन्य कानूनों के अंतर्गत दाखिल किए जाने वाले सांविधिक विवरणियों के अनुपालन के आश्वासन/विश्वसनीयता को संबंधित विभागाध्यक्ष या कंपनी के अधिकारियों से प्राप्त प्रमाणपत्रों पर भरोसा किया गया है (अनुलग्नक-बी1 देखें)।

I. हमारे मत में, हमारे द्वारा किए गए परीक्षण के आधार पर, कंपनी तथा अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत जानकारी तथा हमें प्रस्तुत अभिलेखों के सत्यापन के अनुसार,कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के प्रावधानों तथा अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों का, कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का,विशेषकर यहां उल्लिखित प्रावधानों अनुपालन किया है; तथा यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र एक सीमा तक, प्रकार्य से तथा रिपोर्टिंग व प्रेक्षण के अनुरूप है **(अनुलग्नक-बी में देखें):**

1. भाग I के तहत निर्धारित तुलन-पत्र का फॉर्म, भाग II के तहत विहित लाभ और हानि का विवरण तथा इसे तैयार करने के लिए सामान्य निर्देश, जैसा कि अधिनियम की अनुसूची III में निर्धारित है।

2. सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा दिनांक 14 मई, 2010 के उनके ओएम सं 18(8)/2005-जीएम द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कारपोरेट प्रशासन संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसरण में कंपनी के निदेशक मंडल के पास कार्यकारी, गैर-कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशक का पर्याप्त संतुलन नहीं है।कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (1) के प्रावधान (कंपनी

निदेशकों की नियुक्ति) नियम, 2014 के नियम 3 के साथ और कोयला मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से महिला निदेशक और स्वतंत्र निदेशक के संबंध में जारी किए गए निर्देश ।

3. कंपनी के नाम एवं पंजीकृत कार्यालय का प्रकाशन।
4. झारखंड कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष उक्त अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित समय के भीतर अपेक्षित फॉर्म और रिटर्न दाखिल करना ।
5. निदेशक मंडलों और उसकी समितियों की बैठकें बुलाना और आयोजित करना ।
6. 04 अगस्त, 2022 गुरुवार, को सदस्यों की 66वीं वार्षिक आम बैठकें बुलाना और आयोजित करना ।
7. वार्षिक आम बैठक, असाधारण बैठक, बोर्ड बैठक और बोर्ड की समितियों की बैठकों की कार्यवाही के कार्यवृत्त का रखरखाव खुले पन्नोंमें व्यवस्थित रूप अभिलेखित किया जाता है, जिसे नियमित अंतराल पर सजिल्द पुस्तक रूप में रखाजा रहा है ।
8. निदेशकों को पारिश्रमिक भुगतान।
9. सांविधिक लेखा परीक्षकों, आंतरिक लेखा परीक्षकों और लागत लेखा परीक्षकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक ।
10. लेखा परीक्षण समिति तथा नामांकन व पारिश्रमिक समिति की संरचना एवं संदर्भ की शर्तें।
11. कंपनी के सदस्यों और लेखा परीक्षकों पर कंपनी द्वारा दस्तावेजों की सर्विस ।

II. हम आगे प्रतिवेदित करते हैं कि

1. निदेशकों ने यथा आवश्यकतानुसार अन्य कंपनियों में अपनी शेयरधारिता और निदेशकीय पदतथा अन्य संस्थाओं में अपने सरोकार को प्रकटकिया है और उनके सरोकारों को बोर्ड द्वारा नोट और दर्ज किया गया है।
2. निदेशकों ने अपनी नियुक्ति की पात्रता, उनके स्वतंत्र होने और निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों की आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में प्रकटीकरण कीआवश्यकताओं का अनुपालन किया है ।
3. समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी, अपने किसी निदेशक तथा अधिकारी पर अभियोग,जुर्माना या दंड नहीं लगाया गया।
4. कंपनी द्वारा स्थापित अनुपालन-तंत्र तथा कंपनी सचिव, कंपनी के अनुपालन अधिकारी और कंपनी के अन्य विभागीय प्रमुखों द्वारा जारी किए गए अनुपालन प्रमाण-पत्र(त्रों) और अन्य प्रमाण-पत्रों के आधार पर कंपनी का किसी प्रकार का कोई अनुपालन लंबित नहीं है ।
5. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि ऑडिट के दौरान, कंपनी ने कोई भी विशिष्ट घटना/कार्रवाई नहीं की है जिसका उपरोक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर बड़ा असर हो सकता है ।

कृते **सतीश कुमार एंड एसोसिएट्स**

ह/-
(सतीश कुमार)
कंपनी सचिव
एफसीएस संख्या:8423
सी.पी. संख्या:9788

स्थान : रांची
दिनांक : 11 जुलाई, 2023
यूडीआईएन : F008423E000589124

नोट: - इस प्रतिवेदन को हमारे कार्यक्रम की तारीख के पत्र के साथ पढ़ा जाना है जो "अनुलग्नक-ए", "अनुलग्नक-बी" और अनुलग्नक-बी 1 के रूप में संलग्न है जो इस प्रतिवेदन का एक अभिन्न अंग है।

अनुलग्नक –ए

सेवा में,
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
रांची

समतिथि के हमारे प्रतिवेदन को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए ।

प्रबंधन की जिम्मेदारी

1. सचिवीय अभिलेख के रख-रखाव की जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी इन सचिवीय अभिलेखों के लेखा-परीक्षण के आधार पर अभिमत व्यक्त करना है ।
2. हमने सचिवीय अभिलेखों के तथ्यों के सत्यता के बारे में संगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए हमने उपयुक्त लेखा-परीक्षण कार्यों एव विधियों का अनुसरण किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित होते हैं, परीक्षण के आधार पर सत्यापन किया गया था। हम मानते हैं कि हमारे द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं और प्रथाएं हमारी राय बनाने के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. कारपोरेट शासन के प्रावधानों तथा लागू अन्य सभी विधियों, नियमों व अधिनियमों, मानकोंका अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा परीक्षण टेस्ट बेसिस के आधार पर विधियों की जांच के कार्य तक सीमित था ।
4. सचिवीय लेखा-परीक्षण प्रतिवेदन न तो कंपनी की भावी सुगमता का आश्वासन है और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता का, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संपादन किया है ।
5. हमलोगों ने कंपनी के वित्तीय आंकड़े एवं लेखा पुस्तकों, जीएसटी और टीडीएस रिटर्न आदि की सत्यता एवं उपयुक्ता का सत्यापन नहीं किया है ।
6. कंपनी ने "**अनुलग्नक-बी**" में निर्दिष्ट मामलों को छोड़कर प्रावधानों, विनियमों, परिपत्रों का अनुपालन किया है।

कृते **सतीश कुमार एंड एसोसिएट्स**

ह/-
(सतीश कुमार)
कंपनी सचिव
एफसीएस संख्या:8423
सी.पी. संख्या:9788

स्थान : रांची
दिनांक : 11 जुलाई, 2023
यूडीआईएन : F008423E000589124

अनुलग्नक – बी

सचिवीय लेखा प्रेक्षण पर प्रबंधन का उत्तर

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के अनुसार मेसेर्स सतीश कुमार एवं एसोसिएट्स को मेसर्स सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, रांची के सचिवीय लेखा परीक्षण हेतु नियुक्त किया गया है। सतीश कुमार एवं एसोसिएट्स द्वारा 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु सचिवीय लेखा प्रतिवेदन के प्रेक्षण के संदर्भ में प्रबंधन का उत्तर यथासंलग्न है:

क्र. स.	प्रेक्षण	प्रबंधन का उत्तर
1	कंपनी विशेष रूप से बोर्ड में महिला निदेशक की नियुक्ति के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (1) तथा (कंपनी निदेशकों की नियुक्ति) नियम, 2014 के नियम 3 के प्रावधान के अनुपालन में नहीं थी।	कंपनी कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सरकारी कंपनी है एवं कोल इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। निदेशकों की नियुक्ति कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जाती है जिसमें कंपनी की कोई भूमिका नहीं होती है। तथापि, कंपनी के निदेशक मंडल में महिला निदेशक की रिक्तियों को भरने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय को अभ्यावेदन दिया गया है।
2	सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा अपने ओएम नंबर 18(8)2005-जीएम दिनांक 14 मई, 2010 के तहत जारी किया , केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कारपोरेट अभिशासन संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन नहीं किया गया है। क्योंकि बोर्ड में ऊपर उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार पांच स्वतंत्र निदेशकों की कुल आवश्यकता की तुलना में केवल एक स्वतंत्र निदेशक है।	कंपनी कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सरकारी कंपनी है और कोल इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। निदेशकों की नियुक्ति कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जाती है जिसमें कंपनी की कोई भूमिका नहीं होती है । तथापि, कंपनी के निदेशक मंडल में गैर-सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशकों की रिक्तियों को भरने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय को अभ्यावेदन दिया गया है ।

अनुलग्नक – बी 1

कंपनी पर लागू निम्नलिखित विशिष्ट विधियों के संबंध में अनुपालन पूर्ण रूप से कंपनीप्रबंधन तथा उसके अधिकारियों से प्राप्त अनुपालन प्रमाण-पत्रों पर आधारित हैं (यहरिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है)

1. खान अधिनियम, 1952;
2. भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884;
3. कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2000 और कोलियरी नियंत्रण नियम, 2004;
4. कोयला खान विनियम, 2017;
5. वेतन भुगतान (खान) नियम 1956;
6. कोयला खान पेंशन योजना, 1998;
7. कोयला खान (संरक्षण एवं विकास) अधिनियम 1974;
8. खान व्यावसायिक प्रशिक्षण विनियम, 1966;
9. खान क्रेच नियम, 1961;
10. खान बचाव नियम, 1985;
11. कोयला खदान पिथेड बाथ नियम, 1946
12. प्रसूति प्रसुविधा नियम 1963;
13. विस्फोटक नियम, 2008;
14. खान रियायत नियम,1960;
15. कोयला खान भविष्यनिधि (प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1948;
16. खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957;
17. अवितरित मजदूरी का भुगतान (खान) नियम, 1989;
18. भारतीय विद्त नियमावली, 1956, भारतीय विद्त अधिनियम, 2003;
19. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986; (पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986)
20. हानिकारक अपशिष्ट (प्रबंधन और पारगमन गतिविधि) नियम, 2016;
21. जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974; और उसके तहत बनाए गए नियम
22. वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981;
23. लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 और उसके तहत बनाये गये नियम।

अनुलग्नक-IV

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के साथ धारा के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकगण अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप अधिनियम की धारा 143 के साथ 129 (4) के तहत स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणी पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह घोषित किया जाता है कि यह उनके द्वारा 13 जून 2023 की संशोधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 27 अप्रैल, 2023 की उनकी पूर्व लेखा प्रतिवेदन को अधिलंघित करता है ।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की तरफ से, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणी की अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के तहत पूरक लेखा परीक्षा आयोजित की है। यह पूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षकों के कार्य-पत्रों के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया था और मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखांकन रिकॉर्ड के चुनिंदा परीक्षण तक सीमित है। पूरक लेखा परीक्षण के मेरे कुछ लेखापरीक्षा अवलोकन को लेखा प्रतिवेदन में सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा संशोधित किया गया है।

इसके अतिरिक्त , मैं अधिनियम की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहूंगा जो मुझे दृष्टिगत हुए तथा मेरे विचार से वित्तीय विवरण एवं संबद्ध लेखा-परीक्षण प्रतिवेदन कि बेहतर समझ हेतु आवश्यक हैं।

ए. प्रकटीकरण पर टिप्पणी

ए .1 तुलन-पत्र

ए .1.1 वर्तमान परिसंपत्ति: अन्य वर्तमान देनदारियां (नोट संख्या 11) प्राप्य इनपुट टैक्स क्रेडिट: ₹ 1455.57 करोड़

भारतीय लेखा मानक - 01 के अनुसार, एक इकाई को वह जानकारी प्रदान करनी होती है जो वित्तीय विवरणी में कहीं और प्रस्तुत नहीं की गई है, परंतु उनमें से किसी की भी समझ के लिए प्रासंगिक है। इसमें आगे कहा गया है कि एक इकाई को भविष्य के बारे में अपनी धारणाओं और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमान अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोतों के बारे में जानकारी का प्रकटीकरण करना होगा, जिसके परिणामस्वरूप वहन राशि में महत्वपूर्ण समायोजन अगले वित्तीय वर्ष के भीतर संपत्तियों और देनदारियों का हो सकता है।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अधिसूचना संख्या 5/2017-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून 2017 के माध्यम से उन वस्तुओं का विवरण अधिसूचित किया है, जिनके संबंध में अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी की अनुमति नहीं दी जाएगी, जहां क्रेडिट ऐसी वस्तुओं की आउटपुट आपूर्ति पर कर की दर से अधिक होने के कारण इनपुट पर कर की दर जमा हो गई है। उपरोक्त सूची में 'कोयला' का उल्लेख नहीं है।

अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट को सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 54(3) के प्रावधानों के अनुसार रिफ़ंड की अनुमति दी जा सकती है, जहां इनपुट पर कर की दर आउटपुट आपूर्ति पर कर की दर से अधिक होने के कारण क्रेडिट जमा हो गया है, सिवाय इसके कि जहां माल हो या सेवाओं को परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। इसके अलावा, इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अधिसूचना संख्या 09/2017-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 13 जुलाई 2022 के माध्यम से उपरोक्त अधिसूचना संख्या 5/2017-केंद्रीय कर (दर) में संशोधन कर कोयला जोड़ा गया, जिस पर कोई अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट पर किसी प्रकार के रिफ़ंड की अनुमति नहीं दी गई।

सीसीएल ने इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए वसूली योग्य राशि ₹1,455.57 करोड़ दिखाई है, जिसमें से ₹1,273.94 करोड़ जुलाई 2022 की अधिसूचना से पहले की अवधि से संबंधित है और शेष ₹181.64 करोड़ जुलाई 2022 की अधिसूचना के बाद की अवधि से संबंधित है, जिस पर सीसीएल रिफ़ंड का दावा करने का पात्र नहीं हैं।

आउटपुट यानी कोयले की बिक्री पर जीएसटी की दर 5 प्रतिशत है जबकि इनपुट पर 18 प्रतिशत कर लगता है, जिसके परिणामस्वरूप इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए प्राप्य राशि जमा हो जाती है। सीसीएल ने वर्ष 2018-19 के लिए 61.96 करोड़ रुपये के रिफ़ंड के लिए आवेदन किया है। हालाँकि, सहायक चालान/दस्तावेजों की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए कर अधिकारियों द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया है और उचित दस्तावेजों के साथ नया दावा प्रस्तुत करने की भी सलाह दी गई है। सीसीएल द्वारा रिफ़ंड के लिए कोई और दावा दायर नहीं किया गया। हालाँकि, इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग के लिए जीएसटी अधिनियम के

तहत कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है, यह ध्यान देने योग्य है कि इनपुट और आउटपुट टैक्स की दर में महत्वपूर्ण अंतर के कारण, सीसीएल पिछले वर्षों के टैक्स क्रेडिट को समायोजित करने में असमर्थ है और टैक्स क्रेडिट है समय के साथ बढ़ रहा है। इसके अलावा, सीसीएल द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफ़ंड/संचय का मामला उच्च अधिकारियों के साथ नहीं उठाया गया है। हालाँकि, इसे नियंत्रक कंपनी कोल इंडिया ने उच्च अधिकारियों के समक्ष उठाया गया है।

न तो सीसीएल और न ही सांविधिक लेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में इनपुट टैक्स क्रेडिट को आगे ले जाने के लिए उपर्युक्त तथ्यों और उनके स्पष्टीकरणों को प्रकट किया है तथा वित्तीय विवरणी/लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में उपर्युक्त तथ्यों को प्रकट किया गया है, जो भारतीय लेखा मानक-01 का उल्लंघन है। वैसे तथ्यों को प्रकट न करने से जो वित्तीय विवरणी के उपयोगकर्ताओं के सुविज्ञ निर्णय के लिए अभिन्न हैं के परिणामस्वरूप प्रकटीकरण आवश्यकताओं में त्रुटि आयी है।

ए.1.2. स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन: ₹ 3,639.59 करोड़ (नोट 21)

भारतीय लेखा मानक – 01 के अनुसार, एक इकाई को वह जानकारी प्रदान करनी होती है जो वित्तीय विवरणी में कहीं और प्रस्तुत नहीं की गई है, लेकिन उनमें से किसी की भी समझ के लिए प्रासंगिक है। इसके अलावा, इसमें कहा गया है कि जब कोई इकाई भारतीय लेखा मानक की आवश्यकताओं से हटती है तो उसे यह प्रकट करना होता है कि उसने लागू भारतीय लेखा मानक का अनुपालन किया है, सिवाय इसके कि वह सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए किसी विशेष आवश्यकता से हट गई है ।

भारतीय लागत लेखाकार संस्थान (आईसीएमएआई) ने 2017 में एकरूपता, यथोचित सटीकता के साथ ओवरबर्डन हटाने की लागत (ओबीआर) निर्धारित करने, सिद्धांतों में संगतता लाने के लिए लागत लेखा मानक-23 (सीएएस-23) जारी किया। सीएएस-23 ओबीआर मूल्यांकन के विभिन्न प्रमुख घटकों को परिभाषित करते समय एडवांस स्ट्रिपिंग की कार्यप्रणाली को भी परिभाषित करता है ।

साथ ही, भारतीय लेखा मानक -16 में कहा गया है कि स्ट्रिपिंग गतिविधि को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए और अपेक्षित उपयोगी जीवनावधि के आधार पर व्यवस्थित मूल्यह्रास या परिशोधन किया जाना चाहिए।

स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन से संबंधित कंपनी की लेखांकन नीति यह निर्धारित करती है कि एक मिलियन टन प्रति वर्ष और उससे अधिक की निर्धारित क्षमता वाली खदानों में, खदानों को राजस्वित करने के उपरांत स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्तियों और अनुपात भिन्नता खाते का समायोजन करते हुए स्ट्रिपिंग की लागत प्रत्येक खदान पर तकनीकी रूप से मूल्यांकित औसत स्ट्रिपिंग अनुपात (ओबी: कोयला) के आधार चार्ज पर की जाती है। तुलन-पत्र में स्ट्रिपिंग एक्टिविटी एसेट तथा अनुपात भिन्नता के निबल शेष को गैर-वर्तमान प्रावधान/(अन्य गैर-चालू संपत्ति जैसा भी मामला हो) के तहत स्ट्रिपिंग एक्टिविटी एडजस्टमेंट प्रदर्शित किया गया है ।

कंपनी द्वारा अपनाई गई ओबीआर पर उपरोक्त नीति भारतीय लेखा मानक -16 (परिशिष्ट बी) के प्रावधानों के अनुपालन में नहीं है। इसके अलावा, सीसीएल की परियोजनाओं ने एडवांस स्ट्रिपिंग की गणना करते समय विभिन्न तरीकों को अपनाया, जो कि सीएएस-23 के प्रावधानों का अपालन है ।

सीसीएल ने भारतीय लेखा मानक -16 के साथ-साथ सीएएस-23 के प्रावधानों के संदर्भ में उपरोक्त लेखांकन नीति की कभी समीक्षा नहीं की थी। साथ ही, ओबीआर मूल्यांकन की वर्तमान प्रणाली को जारी रखने का स्पष्टीकरण सीएएस-23 और भारतीय लेखा मानक -16 के विचलन में अथवा प्रावधान में है और उन खातों में उक्त का प्रकटीकरण नहीं किया गया है जो भारतीय लेखा मानक -01 का अपालन है।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

ह /-

(अतुल प्रकाश)
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक (कोयला)
कोलकाता

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 30 जून 2023

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के साथ धारा 129 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च ,2023 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के साथ धारा के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकगण अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप अधिनियम की धारा 143 के साथ 129 (4) के तहत स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणी पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह घोषित किया जाता है कि यह उनके द्वारा 13 जून, 2023 की संशोधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 27 अप्रैल,2023 के उनके पूर्व लेखा प्रतिवेदन को अधिलंघित करता है ।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की तरफ से, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणी की अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के साथ अधिनियम की धारा 129(4) के तहत पूरक लेखा परीक्षा आयोजित की है। उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनी झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड के वित्तीय विवरणी का पूरक लेखापरिक्षण किया। यह पूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षकों के कार्य -पत्रों के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया था और मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखांकन रिकॉर्ड के चुनिंदा परीक्षण तक सीमित है। पूरक लेखा परीक्षण के मेरे कुछ लेखापरीक्षा अवलोकन को लेखा प्रतिवेदन में सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा संशोधित किया गया है।

इसके अतिरिक्त , मैं अधिनियम की धारा 143 (6) (बी) के साथ अधिनियम की धारा 129 (4) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहूंगा जो मुझे दृष्टिगत हुए तथा मेरे विचार से समेकित समेकित समेकित समेकित समेकित वित्तीय विवरण एवं संबद्ध लेखा-परीक्षण प्रतिवेदन की बेहतर समझ हेतु आवश्यक हैं ।

ए. प्रकटीकरण पर टिप्पणी

ए .1 तुलन-पत्र

ए.1.1 वर्तमान संपत्ति: अन्य वर्तमान संपत्ति (नोट 11) प्राप्य इनपुट टैक्स क्रेडिट: 1,481.70 करोड़

भारतीय लेखा मानक - 01 के अनुसार, एक इकाई को वह जानकारी प्रदान करनी होती है जो वित्तीय विवरणी में कहीं और प्रस्तुत नहीं की गई है, परंतु उनमें से किसी की भी समझ के लिए प्रासंगिक है। इसमें आगे कहा गया है कि एक इकाई को भविष्य के बारे में अपनी धारणाओं और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमान अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोतों के बारे में जानकारी का प्रकटीकरण करना होगा, जिसके परिणामस्वरूप वहन राशि में महत्वपूर्ण समायोजन अगले वित्तीय वर्ष के भीतर संपत्तियों और देनदारियों का हो सकता है।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अधिसूचना संख्या 5/2017-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून 2017 के माध्यम से उन वस्तुओं का विवरण अधिसूचित किया, जिनके संबंध में अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी की अनुमति नहीं दी जाएगी, जहां क्रेडिट ऐसी वस्तुओं की आउटपुट आपूर्ति पर कर की दर से अधिक होने के कारण इनपुट पर कर की दर जमा हो गई है। उपरोक्त सूची में 'कोयला' का नाम नहीं था।

अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट को सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 54(3) के प्रावधानों के अनुसार रिफ़ंड के रूप में अनुमति दी जा सकती है, जहां इनपुट पर कर की दर आउटपुट आपूर्ति पर कर की दर से अधिक होने के कारण क्रेडिट जमा हो गया है, सिवाय इसके कि जहां माल हो या सेवाओं को परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है । इसके अलावा, इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग के लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं है ।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अधिसूचना संख्या 09/2017-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 13 जुलाई 2022 के माध्यम से उपरोक्त अधिसूचना संख्या 5/2017-केंद्रीय कर (दर) में संशोधन किया और कोयला डाला, जिस पर कोई अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी की अनुमति दी जानी थी ।

सीसीएल ने इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए वसूली योग्य राशि ₹ 1,455.57 करोड़ दिखाई है, जिसमें से ₹ 1,273.94 करोड़ जुलाई 2022 की अधिसूचना से पहले की अवधि से संबंधित है और शेष ₹ 181.64 करोड़ जुलाई 2022 की अधिसूचना के बाद की अवधि से संबंधित है, जिस पर सीसीएल है। रिफ़ंड का दावा करने के लिए पात्र नहीं हैं।

आउटपुट यानी कोयले की बिक्री पर जीएसटी की दर 5 प्रतिशत है जबकि इनपुट पर 18 प्रतिशत कर लगता है, जिसके परिणामस्वरूप इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए प्राप्य राशि जमा हो जाती है। सीसीएल ने वर्ष 2018-19 के लिए 61.96 करोड़ रुपये के रिफ़ंड के लिए आवेदन किया है. हालाँकि, सहायक चालान/ दस्तावेजों की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए कर अधिकारियों द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया है और उचित दस्तावेजों के साथ नया दावा प्रस्तुत करने की भी सलाह दी गई है। सीसीएल द्वारा रिफ़ंड के लिए कोई और दावा दायर नहीं किया गया। हालाँकि, इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग के लिए जीएसटी अधिनियम के तहत कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है, यह ध्यान देने योग्य है कि इनपुट और आउटपुट टैक्स की दर में महत्वपूर्ण अंतर के कारण, सीसीएल पिछले वर्षों के टैक्स क्रेडिट को समायोजित करने में असमर्थ है और टैक्स क्रेडिट है समय के साथ बढ़ रहा है. इसके अलावा, सीसीएल द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफ़ंड/संचय का मामला उच्च अधिकारियों के साथ नहीं उठाया गया है। हालाँकि,

इसे नियंत्रक कंपनी कोल इंडिया ने उच्च अधिकारियों के समक्ष उठाया है।

न तो सीसीएल और न ही सांविधिक लेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में इनपुट टैक्स क्रेडिट को आगे ले जाने के लिए उपर्युक्त तथ्यों और उनके स्पष्टीकरणों को प्रकट किया है तथा वित्तीय विवरणी/लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में उपर्युक्त तथ्यों को प्रकट किया गया है, जो भारतीय लेखा मानक-01 का उल्लंघन है। वैसे तथ्यों को प्रकट न करने से जो वित्तीय विवरणी के उपयोगकर्ताओं के सुविज्ञ निर्णय के लिए अभिन्न हैं के परिणामस्वरूप प्रकटीकरण आवश्यकताओं में त्रुटि आयी है।

ए. 1.2. स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन: ₹ 3,639.59 करोड़ (नोट 21)

भारतीय लेखा मानक – 01 के अनुसार, एक इकाई को वह जानकारी प्रदान करनी होती है जो वित्तीय विवरणी में कहीं और प्रस्तुत नहीं की गई है, लेकिन उनमें से किसी की भी समझ के लिए प्रासंगिक है। इसके अलावा, इसमें कहा गया है कि जब कोई इकाई भारतीय लेखा मानक की आवश्यकताओं से हटती है तो उसे यह प्रकट करना होता है कि उसने लागू भारतीय लेखा मानक का अनुपालन किया है, सिवाय इसके कि वह सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए किसी विशेष आवश्यकता से हट गई है ।

भारतीय लागत लेखाकार संस्थान (आईसीएमएआई) ने 2017 में एकरूपता, यथोचित सटीकता के साथ ओवरबर्डन हटाने की लागत (ओबीआर) निर्धारित करने, सिद्धांतों में संगतता लाने के लिए लागत लेखा मानक-23 (सीएएस-23) जारी किया। सीएएस-23 ओबीआर मूल्यांकन के विभिन्न प्रमुख घटकों को परिभाषित करते समय एडवांस स्ट्रिपिंग की कार्यप्रणाली को भी परिभाषित करता है ।

साथ ही, भारतीय लेखा मानक -16 में कहा गया है कि स्ट्रिपिंग गतिविधि को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए और अपेक्षित उपयोगी जीवनावधि के आधार पर व्यवस्थित मूल्यह्रास या परिशोधन किया जाना चाहिए।

स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन से संबंधित कंपनी की लेखांकन नीति यह निर्धारित करती है कि एक मिलियन टन प्रति वर्ष और उससे अधिक की निर्धारित क्षमता वाली खदानों में, खदानों को राजस्वित करने के उपरांत स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्तियों और अनुपात भिन्नता खाते का समायोजन करते हुए स्ट्रिपिंग की लागत प्रत्येक खदान पर तकनीकी रूप से मूल्यांकित औसत स्ट्रिपिंग अनुपात (ओबी: कोयला) के आधार चार्ज पर की जाती है। तुलन-पत्र में स्ट्रिपिंग एक्टिविटी एसेट तथा अनुपात भिन्नता के निबल शेष को गैर-वर्तमान प्रावधान/(अन्य गैर-चालू संपत्ति जैसा भी मामला हो) के तहत स्ट्रिपिंग एक्टिविटी एडजस्टमेंट प्रदर्शित किया गया है ।

कंपनी द्वारा अपनाई गई ओबीआर पर उपरोक्त नीति भारतीय लेखा मानक -16 (परिशिष्ट बी) के प्रावधानों के अनुपालन में नहीं है। इसके अलावा, सीसीएल की परियोजनाओं ने एडवांस स्ट्रिपिंग की गणना करते समय विभिन्न तरीकों को अपनाया, जो सीएएस-23 के प्रावधानों का अपालन है ।

सीसीएल ने भारतीय लेखा मानक -16 के साथ-साथ सीएएस-23 के प्रावधानों के संदर्भ में उपरोक्त लेखांकन नीति की कभी समीक्षा नहीं की थी। साथ ही, ओबीआर मूल्यांकन की वर्तमान प्रणाली को जारी रखने का स्पष्टीकरण सीएएस-23 और भारतीय लेखा मानक-16 के विचलन में अथवा प्रावधान में है और उन खातों में उक्त का प्रकटीकरण नहीं किया गया है जो भारतीय लेखा मानक -01 का अपालन है।

ए.2. नोट -38 - वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स

भारतीय लेखा मानक - 01 के अनुसार, एक इकाई को वह जानकारी प्रदान करनी होती है जो वित्तीय विवरणी में कहीं और प्रस्तुत नहीं की गई है, परंतु उनमें से किसी की भी समझ के लिए प्रासंगिक है। इसमें आगे कहा गया है कि एक इकाई को भविष्य के बारे में अपनी धारणाओं और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमान अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोतों के बारे में जानकारी का प्रकटीकरण करना होगा, जिसके परिणामस्वरूप वहन राशि में महत्वपूर्ण समायोजन अगले वित्तीय वर्ष के भीतर संपत्तियों और देनदारियों का हो सकता है।

झारखंड सरकार द्वारा 61.44 हेक्टेयर भूमि को झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल) को हस्तांतरित करने के लिए जनवरी 2022 में 216.55 करोड़ रुपये की मांग की गई है। जेसीआरएल के प्रबंधन ने तर्क दिया (जुलाई 2022) कि उठाई गई मांग कृषि भूमि के स्थान पर व्यावसायिक भूमि कीउच्च दर पर आधारित थी। हालांकि, इस मुद्दे पर राज्य सरकार और कोयला मंत्रालय के विभिन्न स्तरों पर चर्चा की गई है। हालांकि, मार्च 2023 तक अनसुलझा रहा। भूमि के मूल्य निर्धारण के संबंध में मामले का समाधान होने पर भूमि का कब्ज़ा प्राप्त करने के लिए झारखंड सरकार को भुगतान किया जाएगा। हालाँकि, मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणी में इस मुद्दे का प्रकट नहीं किया गया है । वित्तीय विवरणी में इस मुद्दे का प्रकट न करना भारतीय लेखा मानक -01 का उल्लंघन है।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

ह /-

(अतुल प्रकाश)
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक (कोयला)
कोलकाता

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 30 जून 2023

अनुलग्नक -A

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर

स्टैंडअलोन

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	प्रबंधन का उत्तर
ए.1 तुलन-पत्र **ए .1.1 वर्तमान संपत्ति: अन्य वर्तमान संपत्ति (नोट 11) प्राप्य इनपुट टैक्स क्रेडिट: 1,455.57 करोड़** भारतीय लेखा मानक - 01 के अनुसार, एक इकाई को वह जानकारी प्रदान करनी होती है जो वित्तीय विवरणी में कहीं और प्रस्तुत नहीं की गई है, परंतु उनमें से किसी की भी समझ के लिए प्रासंगिक है। इसमें आगे कहा गया है कि एक इकाई को भविष्य के बारे में अपनी धारणाओं और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमान अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोतों के बारे में जानकारी का प्रकटीकरण करना होगा, जिसके परिणामस्वरूप वहन राशि में महत्वपूर्ण समायोजन अगले वित्तीय वर्ष के भीतर संपत्तियों और देनदारियों का हो सकता है। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अधिसूचना संख्या 5/2017-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून 2017 के माध्यम से उन वस्तुओं का विवरण अधिसूचित किया है, जिनके संबंध में अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी की अनुमति नहीं दी जाएगी, जहां क्रेडिट ऐसी वस्तुओं की आउटपुट आपूर्ति पर कर की दर से अधिक होने के कारण इनपुट पर कर की दर जमा हो गई है। उपरोक्त सूची में 'कोयला' का उल्लेख नहीं है। अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट को सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 54(3) के प्रावधानों के अनुसार रिफ़ंड की अनुमति दी जा सकती है, जहां इनपुट पर कर की दर आउटपुट आपूर्ति पर कर की दर से अधिक होने के कारण क्रेडिट जमा हो गया है, सिवाय इसके कि जहां माल हो या सेवाओं को परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। इसके अलावा, इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अधिसूचना संख्या 09/2017-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 13 जुलाई 2022 के माध्यम से उपरोक्त अधिसूचना संख्या 5/2017-केंद्रीय कर (दर) में संशोधन कर कोयला जोड़ा गया, जिस पर कोई अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट पर किसी प्रकार के रिफ़ंड की अनुमति नहीं दी गई।	बही-खातों में प्राप्य इनपुट टैक्स क्रेडिट-जीएसटी (आईटीसी - जीएसटी) को प्रतिलब्धि के रूप आगे ले जाना आंतरिक और बाहरी दोनों कारकों - कोयला मूल्य संशोधन, भविष्य में मात्रा में वृद्धि, कोयले पर जीएसटी दर में परिवर्तन, मुआवजा सेस पर भविष्यगत निर्णय, रॉयल्टी पर मुकदमेबाजी, अन्य व्यावसायिक कारकों, विविधीकरण तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटस ऑफ इंडिया की विशेषज्ञ सलाहकार समिति के मत में विहित यथोचित कालक्रम पर निर्भर है। आईटीसी - जीएसटी संचय की वर्तमान प्रवृत्ति में ह्रास की प्रवृत्ति दृष्टिगत हुई है तथा भविष्य में और अधिक कम होने की प्रत्याशा है। इसके अलावा, जीएसटी को भारत में वर्ष 2017 में लागू किया गया है और उद्योग के समग्र विस्तार एवं चल रहे व्यापार अवधारणा को ध्यान में रखते हुए, उद्योग के दृष्टिकोण से भविष्य में पर्याप्त समय बचा है। इसलिए, उक्त मामले में तर्कसंगत निर्णय लेने के लिए यथोचित कालक्रम व्यतीत होना वर्तमान में शेष है। उक्त मामले में, नियम 89 (5) इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के मामले में आईटीसी के वांछित प्रतिपूर्ति की गणना का सूत्र निर्धारित करता है। जीएसटी के सूत्रपात से लेकर जुलाई 2022 तक रिफ़ंड केवल इनपुट वस्तुओं पर आईटीसी के लिए उपलब्ध था। हालाँकि, अधिसूचना संख्या 14/2022 द्वारा इनपुट सेवाओं को सम्मिलित करने हेतु इसका संशोधन किया गया। इसके अलावा, यह भी अधिसूचित किया गया है कि कोयला उद्योग अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी के लिए अयोग्य होगा, जहां क्रेडिट अधिसूचना संख्या 09/2022 के माध्यम से इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण जमा हुआ है। ऐसे परिदृश्य में, कोयला उद्योग के लिए किसी भी रिफ़ंड की संभावना बहुत कम है।

सीसीएल ने इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए वसूली योग्य राशि ₹1,455.57 करोड़ दिखाई है, जिसमें से ₹1,273.94 करोड़ जुलाई 2022 की अधिसूचना से पहले की अवधि से संबंधित है और शेष ₹181.64 करोड़ जुलाई 2022 की अधिसूचना के बाद की अवधि से संबंधित है, जिस पर सीसीएल रिफ़ंड का दावा करने का पात्र नहीं हैं।

आउटपुट यानी कोयले की बिक्री पर जीएसटी की दर 5 प्रतिशत है जबकि इनपुट पर 18 प्रतिशत कर लगता है, जिसके परिणामस्वरूप इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए प्राप्य राशि जमा हो जाती है। सीसीएल ने वर्ष 2018-19 के लिए 61.96 करोड़ रुपये के रिफ़ंड के लिए आवेदन किया है। हालाँकि, सहायक चालान/दस्तावेजों की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए कर अधिकारियों द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया है और उचित दस्तावेजों के साथ नया दावा प्रस्तुत करने की भी सलाह दी गई है। सीसीएल द्वारा रिफ़ंड के लिए कोई और दावा दायर नहीं किया गया। हालाँकि, इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग के लिए जीएसटी अधिनियम के तहत कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है, यह ध्यान देने योग्य है कि इनपुट और आउटपुट टैक्स की दर में महत्वपूर्ण अंतर के कारण, सीसीएल पिछले वर्षों के टैक्स क्रेडिट को समायोजित करने में असमर्थ है और टैक्स क्रेडिट है समय के साथ बढ़ रहा है। इसके अलावा, सीसीएल द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफ़ंड/संचय का मामला उच्च अधिकारियों के साथ नहीं उठाया गया है। हालाँकि, इसे नियंत्रक कंपनी कोल इंडिया ने उच्च अधिकारियों के समक्ष उठाया गया है।

न तो सीसीएल और न ही सांविधिक लेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में इनपुट टैक्स क्रेडिट को आगे ले जाने के लिए उपर्युक्त तथ्यों और उनके स्पष्टीकरणों को प्रकट किया है तथा वित्तीय विवरणी/लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में उपर्युक्त तथ्यों को प्रकट किया गया है, जो भारतीय लेखा मानक-01 का उल्लंघन है। वैसे तथ्यों को प्रकट न करने से जो वित्तीय विवरणी के उपयोगकर्ताओं के सुविज्ञ निर्णय के लिए अभिन्न हैं के परिणामस्वरूप प्रकटीकरण आवश्यकताओं में त्रुटि आयी है।

उक्त घटना के प्रकटीकरण के संबंध में, निम्नलिखित ध्यान देने योग्य हैं; भारतीय लेखा मानक-1 'वित्तीय विवरणी की प्रस्तुति' का उद्देश्य सामान्य-उद्देश्य वित्तीय विवरणी की प्रस्तुति के लिए आधार निर्धारित करना है ताकि पिछली अवधि में इकाई की वित्तीय विवरणी तथा अन्य इकाइयों की वित्तीय विवरणी के साथ तुलनात्मकता सुनिश्चित की जा सके। यह वित्तीय विवरणी की प्रस्तुति के लिए समग्र आवश्यकताओं, उनकी संरचना के दिशानिर्देश और उनकी सामग्री के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। अतः, भारतीय लेखा मानक-1 वित्तीय विवरणी की तैयारी और प्रस्तुति के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं स्थापित करता है।

इसके अलावा, भारतीय लेखा मानक-1 की धारा 48 में निर्दिष्ट करती है कि यह मानक कभी-कभी वित्तीय विवरणी में प्रस्तुत वस्तुओं को शामिल करते हुए व्यापक अर्थ में 'प्रकटीकरण' शब्द का उपयोग करता है। अन्य भारतीय लेखा मानक द्वारा भी प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है। जब तक इस मानक या किसी अन्य भारतीय लेखा मानक में इसके विपरीत निर्दिष्ट न किया जाए, ऐसे प्रकटीकरण वित्तीय विवरणी में किए जा सकते हैं।

इसके अलावा, "भारतीय लेखा मानक के अनुसार वित्तीय विवरणी की तैयारी और प्रस्तुति के लिए रूपरेखा, इसके खंड 44 से 45 में कहा गया है कि सूचना/संवाद पर समयबद्धता, लाभ और लागत के बीच संतुलन, गुणात्मक विशेषताओं के बीच संतुलन जैसी बाधाएं हैं।(अर्थात अत्यधिक प्रकटीकरण)।

उपरोक्त मामले में, यह अग्रेत्तर यह प्रस्तुत किया गया है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को आगे ले जाने के मामले में विशिष्ट प्रकटीकरण करने के लिए लागू भारतीय लेखा मानक के तहत कोई विशिष्ट आवश्यकता नहीं है। इसलिए, यही घटना वित्तीय विवरण में शामिल किए जाने वाले अन्य स्वैच्छिक प्रकटीकरण के अंतर्गत आती है। चूंकि, उक्त विषय वस्तु में अन्य प्रासंगिक जानकारी पहले से ही बाजार में है यानी उद्योग की जानकारी, वैधानिक प्रावधान और अन्य प्लेटफॉर्म, उक्त मामले में कोई भी विशिष्ट चर्चा वित्तीय विवरणी में नहीं की गई है। फिर भी, जैसा कि कैग की लेखा-परीक्षा टीम द्वारा इसका विशेष अवलोकन किया गया है, भविष्य के वित्तीय विवरणी में उक्त का अनुपालन किया जाएगा।

ए.1.2. स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन: ₹ 3,639.59 करोड़ (नोट 21)

भारतीय लेखा मानक – 01 के अनुसार, एक इकाई को वह जानकारी प्रदान करनी होती है जो वित्तीय विवरणी में कहीं और प्रस्तुत नहीं की गई है, लेकिन उनमें से किसी की भी समझ के लिए प्रासंगिक है। इसके अलावा, इसमें कहा गया है कि जब कोई इकाई भारतीय लेखा मानक की आवश्यकताओं से हटती है तो उसे यह प्रकट करना होता है कि उसने लागू भारतीय लेखा मानक का अनुपालन किया है, सिवाय इसके कि वह सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए किसी विशेष आवश्यकता से हट गई है ।

भारतीय लागत लेखाकार संस्थान (आईसीएमएआई) ने 2017 में एकरूपता, यथोचित सटीकता के साथ ओवरबर्डन हटाने की लागत (ओबीआर) निर्धारित करने, सिद्धांतों में संगतता लाने के लिए लागत लेखा मानक-23 (सीएएस-23) जारी किया। सीएएस-23 ओबीआर मूल्यांकन के विभिन्न प्रमुख घटकों को परिभाषित करते समय एडवांस स्ट्रिपिंग की कार्यप्रणाली को भी परिभाषित करता है ।

साथ ही, भारतीय लेखा मानक -16 में कहा गया है कि स्ट्रिपिंग गतिविधि को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए और अपेक्षित उपयोगी जीवनावधि के आधार पर व्यवस्थित मूल्यह्रास या परिशोधन किया जाना चाहिए।

स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन से संबंधित कंपनी की लेखांकन नीति यह निर्धारित करती है कि एक मिलियन टन प्रति वर्ष और उससे अधिक की निर्धारित क्षमता वाली खदानों में, खदानों को राजस्वित करने के उपरांत स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्तियों और अनुपात भिन्नता खाते का समायोजन करते हुए स्ट्रिपिंग की लागत प्रत्येक खदान पर तकनीकी रूप से मूल्यांकित औसत स्ट्रिपिंग अनुपात (ओबी: कोयला) के आधार चार्ज पर की जाती है। तुलन-पत्र में स्ट्रिपिंग एक्टिविटी एसेट तथा अनुपात भिन्नता के निबल शेष को गैर-वर्तमान प्रावधान/(अन्य गैर-चालू संपत्ति जैसा भी मामला हो) के तहत स्ट्रिपिंग एक्टिविटी एडजस्टमेंट प्रदर्शित किया गया है ।

कंपनी द्वारा अपनाई गई ओबीआर पर उपरोक्त नीति भारतीय लेखा मानक -16 (परिशिष्ट बी) के प्रावधानों के अनुपालन में नहीं है। इसके अलावा, सीसीएल की परियोजनाओं ने एडवांस स्ट्रिपिंग की गणना करते समय विभिन्न तरीकों को अपनाया, जो कि सीएएस-23 के प्रावधानों का अपालन है ।

सीसीएल ने भारतीय लेखा मानक -16 के साथ-साथ सीएएस-23 के प्रावधानों के संदर्भ में उपरोक्त लेखांकन नीति की कभी समीक्षा नहीं की थी। साथ ही, ओबीआर मूल्यांकन की वर्तमान प्रणाली को जारी रखने का स्पष्टीकरण सीएएस-23 और भारतीय लेखा मानक -16 के विचलन में अथवा प्रावधान में है और उन खातों में उक्त का प्रकटीकरण नहीं किया गया है जो भारतीय लेखा मानक -01 का अपालन है।

भारतीय लेखा मानक 1 वित्तीय विवरणी की प्रस्तुति के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं स्थापित करता है। यह सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए वित्तीय विवरणी की टिप्पणी में प्रकटीकरण के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को भी निर्दिष्ट करता है।

भारतीय लेखा मानक 1 का पैरा 20 प्रकटीकरण आवश्यकता से संबंधित है जब कोई इकाई भारतीय लेखा मानक की आवश्यकता से बाहर निकलती है यानी जब प्रबंधन यह निष्कर्ष निकालता है कि, भारतीय लेखा मानक में आवश्यकता का अनुपालन इतना भ्रामक होगा कि यह फ्रेमवर्क में निर्धारित वित्तीय विवरणी के उद्देश्य के विरूद्ध होगा।

जहां तक सीएएस (अर्थात लागत लेखा मानक) 23 के अपालन का संबंध में है, कृपया भारतीय लेखा मानक-1 के पैरा 20 का संदर्भ लिया जाए, जिसमें विशेष रूप से यह कहा गया है कि लागत लेखा मानक के बजाय भारतीय लेखा मानक की आवश्यकता का अनुपालन न किए जाने का प्रकटीकरण किया जाना अपेक्षित है। इसके अलावा, वित्तीय विवरण तैयार करने में सीएएस की कोई प्रयोज्यता नहीं है और इसकी अंतर्निहित प्रकृति के कारण, लागत विवरण/लागत लेखांकन रिकॉर्ड तैयार करने में सीएएस का अनुपालन किया जाना है।

भारतीय लेखा मानक 16 के परिशिष्ट बी के प्रावधानों के संबंध में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि सतही खदान के उत्पादन में स्ट्रिपिंग लागत के लेखांकन से संबंधित है तथा दायित्व के रूप में अनुपात भिन्नता को छोड़कर केवल परिसंपत्ति के निर्माण का निर्धारण करता है अर्थात केवल अनुकूल खनन परिस्थिति। उक्त मामले में सभी प्रासंगिक जानकारी संबंधित लेखांकन नीति यानी स्ट्रिपिंग गतिविधि व्यय/समायोजन में उपयुक्त रूप से तथा उचित रूप से प्रकट की गई है। इस प्रकार, उक्त विषय वस्तु में लागू भारतीय लेखांकन मानक-16 से कोई अपालन या विचलन नहीं है।

समेकित

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	प्रबंधन का उत्तर
ए .1 तुलन-पत्र **ए.1.1 वर्तमान संपत्ति: अन्य वर्तमान संपत्ति (नोट 11)** **प्राप्य इनपुट टैक्स क्रेडिट: 1481.70 करोड़**	
भारतीय लेखा मानक - 01 के अनुसार, एक इकाई को वह जानकारी प्रदान करनी होती है जो वित्तीय विवरणी में कहीं और प्रस्तुत नहीं की गई है, परंतु उनमें से किसी की भी समझ के लिए प्रासंगिक है। इसमें आगे कहा गया है कि एक इकाई को भविष्य के बारे में अपनी धारणाओं और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमान अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोतों के बारे में जानकारी का प्रकटीकरण करना होगा, जिसके परिणामस्वरूप वहन राशि में महत्वपूर्ण समायोजन अगले वित्तीय वर्ष के भीतर संपत्तियों और देनदारियों का हो सकता है। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अधिसूचना संख्या 5/2017-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून 2017 के माध्यम से उन वस्तुओं का विवरण अधिसूचित किया, जिनके संबंध में अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी की अनुमति नहीं दी जाएगी, जहां क्रेडिट ऐसी वस्तुओं की आउटपुट आपूर्ति पर कर की दर से अधिक होने के कारण इनपुट पर कर की दर जमा हो गई है। उपरोक्त सूची में 'कोयला' का नाम नहीं था। अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट को सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 54(3) के प्रावधानों के अनुसार रिफ़ंड के रूप में अनुमति दी जा सकती है, जहां इनपुट पर कर की दर आउटपुट आपूर्ति पर कर की दर से अधिक होने के कारण क्रेडिट जमा हो गया है, सिवाय इसके कि जहां माल हो या सेवाओं को परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है । इसके अलावा, इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग के लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं है ।	बही-खातों में इनपुट टैक्स क्रेडिट-जीएसटी (आईटीसी - जीएसटी) को प्रतिलब्धि के रूप आगे ले जाना आंतरिक और बाहरी दोनों कारकों जैसे कोयला मूल्य संशोधन, भविष्य में मात्रा में वृद्धि, कोयले पर जीएसटी दर में परिवर्तन, मुआवजा सेस पर भविष्यगत निर्णय, रॉयल्टी पर मुकदमेबाजी, अन्य व्यावसायिक कारकों, विविधीकरण तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटस ऑफ इंडिया की विशेषज्ञ सलाहकार समिति के मत में विहित यथोचित कालक्रम पर निर्भर है। आईटीसी - जीएसटी संचय की वर्तमान प्रवृत्ति में ह्रास की प्रवृत्ति दृष्टिगत हुई है तथा भविष्य में और अधिक कम होने की प्रत्याशा है। इसके अलावा, जीएसटी को भारत में वर्ष 2017 में लागू किया गया है और उद्योग के समग्र विस्तार एवं चल रहे व्यापार अवधारणा को ध्यान में रखते हुए, उद्योग के दृष्टिकोण से भविष्य में पर्याप्त समय बचा है। इसलिए, उक्त मामले में तर्कसंगत निर्णय लेने के लिए यथोचित कालक्रम व्यतीत होना वर्तमान में शेष है। उक्त मामले में, नियम 89 (5) इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के मामले में आईटीसी के वांछित प्रतिपूर्ति की गणना का सूत्र निर्धारित करता है। जीएसटी के सूत्रपात से लेकर जुलाई 2022 तक रिफ़ंड केवल इनपुट वस्तुओं पर आईटीसी के लिए उपलब्ध था। हालाँकि, अधिसूचना संख्या 14/2022 द्वारा इनपुट सेवाओं को सम्मिलित करने हेतु इसका संशोधन किया गया। इसके अलावा, यह भी अधिसूचित किया गया है कि कोयला उद्योग अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी के लिए अयोग्य होगा, जहां क्रेडिट अधिसूचना संख्या 09/2022 के माध्यम से इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण जमा हुआ है। ऐसे परिदृश्य में, कोयला उद्योग के लिए किसी भी रिफ़ंड की संभावना बहुत कम है।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अधिसूचना संख्या 09/2017-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 13 जुलाई 2022 के माध्यम से उपरोक्त अधिसूचना संख्या 5/2017-केंद्रीय कर (दर) में संशोधन किया और कोयला डाला, जिस पर कोई अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी की अनुमति दी जानी थी ।

सीसीएल ने इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए वसूली योग्य राशि ₹ 1,455.57 करोड़ दिखाई है, जिसमें से ₹ 1,273.94 करोड़ जुलाई 2022 की अधिसूचना से पहले की अवधि से संबंधित है और शेष ₹ 181.64 करोड़ जुलाई 2022 की अधिसूचना के बाद की अवधि से संबंधित है, जिस पर सीसीएल है। रिफ़ंड का दावा करने के लिए पात्र नहीं हैं।

आउटपुट यानी कोयले की बिक्री पर जीएसटी की दर 5 प्रतिशत है जबकि इनपुट पर 18 प्रतिशत कर लगता है, जिसके परिणामस्वरूप इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए प्राप्य राशि जमा हो जाती है। सीसीएल ने वर्ष 2018-19 के लिए 61.96 करोड़ रुपये के रिफ़ंड के लिए आवेदन किया है. हालाँकि, सहायक चालान/दस्तावेजों की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए कर अधिकारियों द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया है और उचित दस्तावेजों के साथ नया दावा प्रस्तुत करने की भी सलाह दी गई है। सीसीएल द्वारा रिफ़ंड के लिए कोई और दावा दायर नहीं किया गया। हालाँकि, इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग के लिए जीएसटी अधिनियम के तहत कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है, यह ध्यान देने योग्य है कि इनपुट और आउटपुट टैक्स की दर में महत्वपूर्ण अंतर के कारण, सीसीएल पिछले वर्षों के टैक्स क्रेडिट को समायोजित करने में असमर्थ है और टैक्स क्रेडिट है समय के साथ बढ़ रहा है. इसके अलावा, सीसीएल द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफ़ंड/संचय का मामला उच्च अधिकारियों के साथ नहीं उठाया गया है। हालाँकि, इसे नियंत्रक कंपनी कोल इंडिया ने उच्च अधिकारियों के समक्ष उठाया है।

न तो सीसीएल और न ही सांविधिक लेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में इनपुट टैक्स क्रेडिट को आगे ले जाने के लिए उपर्युक्त तथ्यों और उनके स्पष्टीकरणों को प्रकट किया है तथा वित्तीय विवरणी/लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में उपर्युक्त तथ्यों को प्रकट किया गया है, जो भारतीय लेखा मानक-01 का उल्लंघन है। वैसे तथ्यों को प्रकट न करने से जो वित्तीय विवरणी के उपयोगकर्ताओं के सुविज्ञ निर्णय के लिए अभिन्न हैं के परिणामस्वरूप प्रकटीकरण आवश्यकताओं में त्रुटि आयी है।

उक्त घटना के प्रकटीकरण के संबंध में, निम्नलिखित ध्यान देने योग्य हैं; भारतीय लेखा मानक-1 'वित्तीय विवरणी की प्रस्तुति' का उद्देश्य सामान्य-उद्देश्य वित्तीय विवरणी की प्रस्तुति के लिए आधार निर्धारित करना है ताकि पिछली अवधि में इकाई की वित्तीय विवरणी तथा अन्य इकाइयों की वित्तीय विवरणी के साथ तुलनात्मकता सुनिश्चित की जा सके। यह वित्तीय विवरणी की प्रस्तुति के लिए समग्र आवश्यकताओं, उनकी संरचना के दिशानिर्देश और उनकी सामग्री के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। अतः, भारतीय लेखा मानक-1 वित्तीय विवरणी की तैयारी और प्रस्तुति के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं स्थापित करता है।

इसके अलावा, भारतीय लेखा मानक-1 की धारा 48 में निर्दिष्ट करती है कि यह मानक कभी-कभी वित्तीय विवरणी में प्रस्तुत वस्तुओं को शामिल करते हुए व्यापक अर्थ में 'प्रकटीकरण' शब्द का उपयोग करता है। अन्य भारतीय लेखा मानक द्वारा भी प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है। जब तक इस मानक या किसी अन्य भारतीय लेखा मानक में इसके विपरीत निर्दिष्ट न किया जाए, ऐसे प्रकटीकरण वित्तीय विवरणी में किए जा सकते हैं।

इसके अलावा, "भारतीय लेखा मानक के अनुसार वित्तीय विवरणी की तैयारी और प्रस्तुति के लिए रूपरेखा, इसके खंड 44 से 45 में कहा गया है कि सूचना/संवाद पर समयबद्धता, लाभ और लागत के बीच संतुलन, गुणात्मक विशेषताओं के बीच संतुलन जैसी बाधाएं हैं।(अर्थात अत्यधिक प्रकटीकरण)।

उपरोक्त मामले में, यह अग्रेत्तर यह प्रस्तुत किया गया है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को आगे ले जाने के मामले में विशिष्ट प्रकटीकरण करने के लिए लागू भारतीय लेखा मानक के तहत कोई विशिष्ट आवश्यकता नहीं है। इसलिए, यही घटना वित्तीय विवरण में शामिल किए जाने वाले अन्य स्वैच्छिक प्रकटीकरण के अंतर्गत आती है। चूंकि, उक्त विषय वस्तु में अन्य प्रासंगिक जानकारी पहले से ही बाजार में है यानी उद्योग की जानकारी, वैधानिक प्रावधान और अन्य प्लेटफॉर्म, उक्त मामले में कोई भी विशिष्ट चर्चा वित्तीय विवरणी में नहीं की गई है। फिर भी, जैसा कि कैग की लेखा-परीक्षा टीम द्वारा इसका विशेष अवलोकन किया गया है, भविष्य के वित्तीय विवरणी में उक्त का अनुपालन किया जाएगा।

ए. 1.2. स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन: ₹ 3,639.59 करोड़ (नोट 21)

भारतीय लेखा मानक – 01 के अनुसार, एक इकाई को वह जानकारी प्रदान करनी होती है जो वित्तीय विवरणी में कहीं और प्रस्तुत नहीं की गई है, लेकिन उनमें से किसी की भी समझ के लिए प्रासंगिक है। इसके अलावा, इसमें कहा गया है कि जब कोई इकाई भारतीय लेखा मानक की आवश्यकताओं से हटती है तो उसे यह प्रकट करना होता है कि उसने लागू भारतीय लेखा मानक का अनुपालन किया है, सिवाय इसके कि वह सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए किसी विशेष आवश्यकता से हट गई है ।

भारतीय लागत लेखाकार संस्थान (आईसीएमएआई) ने 2017 में एकरूपता, यथोचित सटीकता के साथ ओवरबर्डन हटाने की लागत (ओबीआर) निर्धारित करने, सिद्धांतों में संगतता लाने के लिए लागत लेखा मानक-23 (सीएएस-23) जारी किया। सीएएस-23 ओबीआर मूल्यांकन के विभिन्न प्रमुख घटकों को परिभाषित करते समय एडवांस स्ट्रिपिंग की कार्यप्रणाली को भी परिभाषित करता है ।

साथ ही, भारतीय लेखा मानक -16 में कहा गया है कि स्ट्रिपिंग गतिविधि को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए और अपेक्षित उपयोगी जीवनावधि के आधार पर व्यवस्थित मूल्यह्रास या परिशोधन किया जाना चाहिए।

स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन से संबंधित कंपनी की लेखांकन नीति यह निर्धारित करती है कि एक मिलियन टन प्रति वर्ष और उससे अधिक की निर्धारित क्षमता वाली खदानों में, खदानों को राजस्वित करने के उपरांत स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्तियों और अनुपात भिन्नता खाते का समायोजन करते हुए स्ट्रिपिंग की लागत प्रत्येक खदान पर तकनीकी रूप से मूल्यांकित औसत स्ट्रिपिंग अनुपात (ओबी: कोयला) के आधार चार्ज पर की जाती है। तुलन-पत्र में स्ट्रिपिंग एक्टिविटी एसेट तथा अनुपात भिन्नता के निबल शेष को गैर-वर्तमान प्रावधान/(अन्य गैर-चालू संपत्ति जैसा भी मामला हो) के तहत स्ट्रिपिंग एक्टिविटी एडजस्टमेंट प्रदर्शित किया गया है ।

कंपनी द्वारा अपनाई गई ओबीआर पर उपरोक्त नीति भारतीय लेखा मानक -16 (परिशिष्ट बी) के प्रावधानों के अनुपालन में नहीं है। इसके अलावा, सीसीएल की परियोजनाओं ने एडवांस स्ट्रिपिंग की गणना करते समय विभिन्न तरीकों को अपनाया, जो सीएएस-23 के प्रावधानों का अपालन है ।

सीसीएल ने भारतीय लेखा मानक -16 के साथ-साथ सीएएस-23 के प्रावधानों के संदर्भ में उपरोक्त लेखांकन नीति की कभी समीक्षा नहीं की थी। साथ ही, ओबीआर मूल्यांकन की वर्तमान प्रणाली को जारी रखने का स्पष्टीकरण सीएएस-23 और भारतीय लेखा मानक -16 के विचलन में अथवा प्रावधान में है और उन खातों में उक्त का प्रकटीकरण नहीं किया गया है जो भारतीय लेखा मानक -01 का अपालन है।

भारतीय लेखा मानक 1 वित्तीय विवरणी की प्रस्तुति के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं स्थापित करता है। यह सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए वित्तीय विवरणी की टिप्पणी में प्रकटीकरण के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को भी निर्दिष्ट करता है।

भारतीय लेखा मानक 1 का पैरा 20 प्रकटीकरण आवश्यकता से संबंधित है जब कोई इकाई भारतीय लेखा मानक की आवश्यकता से बाहर निकलती है यानी जब प्रबंधन यह निष्कर्ष निकालता है कि, भारतीय लेखा मानक में आवश्यकता का अनुपालन इतना भ्रामक होगा कि यह फ्रेमवर्क में निर्धारित वित्तीय विवरणी के उद्देश्य के विरूद्ध होगा।

जहां तक सीएएस (अर्थात लागत लेखा मानक) 23 के अपालन का संबंध में है, कृपया भारतीय लेखा मानक-1 के पैरा 20 का संदर्भ लिया जाए, जिसमें विशेष रूप से यह कहा गया है कि लागत लेखा मानक के बजाय भारतीय लेखा मानक की आवश्यकता का अनुपालन न किए जाने का प्रकटीकरण किया जाना अपेक्षित है। इसके अलावा, वित्तीय विवरण तैयार करने में सीएएस की कोई प्रयोज्यता नहीं है और इसकी अंतर्निहित प्रकृति के कारण, लागत विवरण/लागत लेखांकन रिकॉर्ड तैयार करने में सीएएस का अनुपालन किया जाना है।

भारतीय लेखा मानक 16 के परिशिष्ट बी के प्रावधानों के संबंध में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि सतही खदान के उत्पादन में स्ट्रिपिंग लागत के लेखांकन से संबंधित है तथा दायित्व के रूप में अनुपात भिन्नता को छोड़कर केवल परिसंपत्ति के निर्माण का निर्धारण करता है अर्थात केवल अनुकूल खनन परिस्थिति। उक्त मामले में सभी प्रासंगिक जानकारी संबंधित लेखांकन नीति यानी स्ट्रिपिंग गतिविधि व्यय/समायोजन में उपयुक्त रूप से तथा उचित रूप से प्रकट की गई है। इस प्रकार, उक्त विषय वस्तु में लागू भारतीय लेखांकन मानक-16 से कोई अपालन या विचलन नहीं है।

ए.2. नोट -38 - वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट्स

भारतीय लेखा मानक - 01 के अनुसार, एक इकाई को वह जानकारी प्रदान करनी होती है जो वित्तीय विवरणी में कहीं और प्रस्तुत नहीं की गई है, परंतु उनमें से किसी की भी समझ के लिए प्रासंगिक है। इसमें आगे कहा गया है कि एक इकाई को भविष्य के बारे में अपनी धारणाओं और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमान अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोतों के बारे में जानकारी का प्रकटीकरण करना होगा, जिसके परिणामस्वरूप वहन राशि में महत्वपूर्ण समायोजन अगले वित्तीय वर्ष के भीतर संपत्तियों और देनदारियों का हो सकता है।

झारखंड सरकार द्वारा 61.44 हेक्टेयर भूमि को झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल) को हस्तांतरित करने के लिए जनवरी 2022 में 216.55 करोड़ रुपये की मांग की गई है। जेसीआरएल के प्रबंधन ने तर्क दिया (जुलाई 2022) कि उठाई गई मांग कृषि भूमि के स्थान पर व्यावसायिक भूमि कीउच्च दर पर आधारित थी। हालांकि, इस मुद्दे पर राज्य सरकार और कोयला मंत्रालय के विभिन्न स्तरों पर चर्चा की गई है। हालांकि, मार्च 2023 तक अनसुलझा रहा। भूमि के मूल्य निर्धारण के संबंध में मामले का समाधान होने पर भूमि का कब्ज़ा प्राप्त करने के लिए झारखंड सरकार को भुगतान किया जाएगा। हालाँकि, मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणी में इस मुद्दे का प्रकट नहीं किया गया है । वित्तीय विवरणी में इस मुद्दे का प्रकट न करना भारतीय लेखा मानक -01 का उल्लंघन है।

जेसीआरएल की अनुमोदित डीपीआर में, परियोजना निष्पादन एजेंसी के भूमि सहायता शुल्क सहित भूमि के लिए 281.62 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। झारखंड सरकार की दर को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त राशि का निर्धारण किया गया है। अधिकारियों ने राशि की गणना करते समय ग्रामीण कृषि दर के बजाय वाणिज्य दर पर विचार किया है, जिसके परिणामस्वरूप असामान्य रूप से अधिक राशि की गणना हुई है। इसके अलावा, राज्य प्राधिकारियों द्वारा मांग में संशोधन को पहले ही स्वीकार कर लिया गया है और राज्य प्राधिकारियों द्वारा भुगतान के लिए इस मामले क अनुशीलन नहीं किया गया है।

भारतीय लेखा मानक -37 के प्रावधानों के पारा 28, पारा 86 के अनुसार, प्रमुख आकस्मिक दायित्व के तहत प्रकटीकरण के संबंध में शर्तें भी पूरी नहीं हुई हैं।

भारतीय लेखा मानक-1 वित्तीय विवरणी की तैयारी और प्रस्तुति के लिए न्यूनतम आवश्यकता स्थापित करता है। लागू भारतीय लेखा मानक के तहत ऐसे मामलों में प्रकटीकरण करने के लिए कोई विशिष्ट आवश्यकता नहीं है। वही घटना वित्तीय विवरणी में शामिल किए जाने वाले अन्य स्वैच्छिक लेख के अंतर्गत आती है। फिर भी, जैसा कि कैग की लेखा-परीक्षा टीम द्वारा इसका विशेष अवलोकन किया गया है, भविष्य के वित्तीय विवरणी में उक्त का अनुपालन किया जाएगा।

अनुलग्नक -V

सीईओ और सीएफओ प्रमाणन

दिनांक: 27/04/2023

प्रति,
निदेशक मंडल,
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

वित्तीय कार्यों के लिए उत्तरदायी; हम,पी.एम.प्रसाद, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, रांची एवं के.आर.वासुदेवन, निदेशक (वित्त),सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, रांची;यह प्रमाणित करते हैं कि:

(क) हमने सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अनुरूप 31 मार्च,2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखांकन नीतियों तथा उक्त पर अतिरिक्त नोट के साथ-साथ 31 मार्च,2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणी के साथ-साथ कंपनी के वित्तीय विवरणी की समीक्षा की है।

i. इन विवरणों में भौतिक रूप से कोई असत्य विवरण नहीं है या किसी भी भौतिक तथ्य को छोड़ दिया गया है या ऐसे विवरण समाहित हैं जो भ्रामक हो सकते हैं;

ii. उक्तविवरण संयुक्त रूप से कंपनी के मामलों का सत्य एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तथा मौजूदा लेखांकन मानकों यानी भारतीय लेखा मानक, लागू विधियों तथा विनियमों के अनुपालन में किसी प्रकार का भौतिक विगम है।

(ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और ज्ञान के अनुसार, 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार का कपटपूर्ण, अवैध या कंपनी की आचार संहिता के विरुद्ध लेनदेन दर्ज नहीं किया गया है।

(ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण संस्थापित करने तथा अनुरक्षण की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और उक्त आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन या संचालन में कमियों को, यदि कोई हो, तो,लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति के समक्ष प्रकट किया है, जिनसे वह अवगत हैं तथा उक्त कमियों को दूर करने हेतु उन्होंने जिस सोपान का चयन किया है या करने का प्रस्ताव रखा है।

(घ) हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को संकेत दिया है कि:

i. संदर्भाधीन वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है;

ii. वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।

iii. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग परआंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंधनया किसी कार्मिक का किसी महत्वपूर्ण वंचना में संलिप्तता हमारी जानकारी में नहीं आयी है।

ह/-
(पवन कुमार मिश्रा)
निदेशक (वित्त)
DIN-(09665365)

ह/-
(पी.एम प्रसाद)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
DIN- 08073913

अनुलग्नक – VI

अध्याय XII के अनुसरण में नियम-5 प्रबंधकीय कार्मिकों के नियुक्ति एवं पारिश्रमिक नियम, 2014 के अंतर्गत सूचना

वर्ष 2022-23 के दौरान 1.02 करोड ₹ (एक करोड़ दो लाख रुपये) या उससे अधिक पारिश्रमिक पाने वाले कर्मचारियों की सूची

क्रम	नाम	विवरण	वर्ष के दौरान पारिश्रमिक (रु)	नियोजन का प्रकार स्थायी/अस्थायी	योग्यता	अनुभव (वर्षों में)
	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

वैसे कर्मचारी, जिन्होंने आलोच्य वर्ष (2022-23) के किसी भाग में (8.50 लाख पचास हजार ₹) प्रतिमाह की दर से कम पारिश्रमिक प्राप्त नहीं किया

क्रम	नाम	विवरण	वर्ष के दौरान पारिश्रमिक (रु)	नियोजन का प्रकार स्थायी/अस्थायी	योग्यता	अनुभव (वर्षों में)
	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

अनुलग्नक -VII

कंपनी अधिनियम, 2013की धारा 134(3एम) के तहत जिसे कंपनी (लेखा) नियम 2014 की उप-कंडिका 3(ए) के नियम 8 के साथ पढ़ा जाए

ऊर्जा संरक्षण

I. वर्ष 2022-23 में ऊर्जा संरक्षण पर उठाए गए कदम या प्रभाव;

(अ) ऊर्जा संरक्षण हेतु व्यवहृत उपाय :

(क) कैपेसिटर बैंक की स्थापना:

i. लोड बिंदुओं पर कैपेसिटर बैंक के लगने से पावर फैक्टर में सुधार हुआ है तथापि विद्त की उच्चतम मांग में कमी आई है|

ii. भूमिगत खदान स्थित समस्त वेंटिलेशन पंखों के साथ कैपेसिटर बैंक के प्रयोग से पावर फैक्टर में सुधार हुआ है

iii. 20 सेट 7,360 केवीएआर कैपेसिटर बैंक लगाने के लिए आपूर्ति-आदेश निर्गत किया गया है। इसकी स्थापना से पावर फैक्टर में सुधार होगा, जिससे विद्त उपभोग में कमी आएगी वर्ष 2022-2023 के दौरान पीएफ सुधार के लिए 6,500 केवीएआर कैपेसिटर बैंक स्थापित किए गए।

(ख) पंपिंग प्रणाली में ऊर्जा संरक्षण के उपाय:

i. पंपिंग चरणों को कम करना, पाइप के व्यास में वृद्धि, पर्याप्त एनपीएसएच (नेट पॉजिटिव सक्शन हेड) सुनिश्चित करना तथा पंपिंग के मध्यवर्ती चरण को समाप्त करना|

ii. उक्त प्रयोजन निमित्त उपयुक्त क्षमता युक्त पंप तथा उचित व्यास के पाइप की खरीद की गयी है|

iii. पंप आदि के दक्षतम बिन्द पर उनके परिचालन हेतु दाब मापक, प्रवाह मीटर आदि जैसे मूल उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है |

(ग) मोटर तथा ट्रांसफॉर्मर आदि में ऊर्जा संरक्षण के उपाय:

i. उपकरणों के लोड और रेटिंग के यथोचित चयन से मोटरों तथा ट्रांसफार्मरों पर समुचित भार|

ii. विद्त आपूर्ति की गुणवत्ता तथा विद्त प्रवाह की दक्षता में सुधार|

iii. पावर फैक्टर में सुधार तथा ऊर्जाक्षम मोटर व ट्रांसफार्मर आदि के प्रतिस्थापनद्वारा।

iv. उक्त उद्देश्य निमित्त समुचित क्षमता के ऊर्जाक्षम मोटर तथा ट्रांसफॉर्मर आदि का क्रय किया गया है|

(घ) पारंपरिक लाइटों का एलईडी लाइटों से प्रतिस्थापन:

i. वित्त वर्ष 2022-23 में विभिन्न रेटिंग की 16301 एलईडी लाइटों का क्रय आदेश दिया गया। 5863 सुपर पंखों के लिए क्रय आदेश दिया गया। 539 ऊर्जा दक्ष एसी के लिए आदेश दिया गया। 226 ऑटो टाइमर के लिए क्रय आदेश दिया गया। 60 ऊर्जाक्षम वॉटर हीटर का आदेश किया गया। 7360 केवीआर की क्षमता वाले 20 कैपेसिटर बैंक के लिए क्रय-आदेश दिया गया। सीसीएल मुख्यालय के लिए 16 इलेक्ट्रिक वाहन, पिपरवार क्षेत्र के लिए 06 इलेक्ट्रिक वाहन किराए पर लेने का आदेश किया गया है|

ii. वित्त वर्ष 2022-23 में, 8*300 वाट एलईडी फिटिंग के साथ 190 लाइटिंग टावरों की खरीद की गई है। उक्त टावर सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में लगाए गए/जा रहे हैं|

(ङ) ऊर्जाक्षम विद्त मशीनों/उपकरणों (5-तारा रेटिंग) द्वारा पुरानी-जीर्ण विद्त मशीनों का प्रतिस्थापन.

(ब) प्रभाव

उपरोक्त उपायों अंगीकरण से :

(क) वर्ष-दर-वर्ष विशिष्ट ऊर्जा खपत को कम किया जा रहा है

(ख) डीवीसी द्वारा विद्त आपूर्ति के प्राप्ति स्थल पर पावर फैक्टर में सुधार हुआ है। समस्त विद्त प्राप्ति स्थलों पर पावर फैक्टर 0.90 से ऊपर बनाए रखा जा रहा है। इससे क्षेत्र में कर्मरत विद्त मशीनों की जीवनावधि बढ़ी है तथा सुचारू संचालन में सुधार हुआ है|

(ग) पावर फैक्टर में वृद्धि, ऊर्जाक्षम उपकरणों/उपकरणों के समुचित उपयोग से विद्त बिल में कमी आई है|

II. कंपनी द्वारा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए व्यवहृत उपाय:

मार्च'22 तक रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट की कुल स्थापित क्षमता (MWp में) = 1.25 MWp

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सौर ऊर्जा उत्पादन विवरण

क्र.सं.	विवरण	
1.	रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र की कुल स्थापित	शून्य
2.	लैंड माउंटेड सौर ऊर्जा परियोजना पुरस्कृत	20 MW (˜ Rs. 142 Crores)
3.	कुल सौर ऊर्जा संयंत्र जिनके लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट अनुमोदित है	19.77 MW
4.	रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र से उत्पन्न सौर ऊर्जा (किलोवॉटघंटे)	˜ 8,20,000 किलोवॉटघंटे

III. ऊर्जा संरक्षी उपकरणों पर पूंजी निवेश;

वित्त वर्ष 2022-23 में ऊर्जा संरक्षी उपकरणों पर कुल पूंजीनिवेश लगभग 7.00 करोड़ रुपये है।

अनुलग्नक -VIII

कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 134 (3एम) के अंतर्गत सुचना जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के तहत उप-कंडिका 3(बी) के नियम 8के साथ पढ़ा जाये

समावेशन (एब्जार्बशन) के संबंध में विवरण को प्रदर्शित करने वाला फॉर्म

अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी)

1.	विशिष्ट क्षेत्र जहाँ कंपनी द्वारा अनुसंधान एवं विकास कार्य किया गया	कंपनी के पास अनुसंधान एवं विकास कार्य हेतु अपनी कोई व्यवस्था नहीं है।
2.	उक्त अनुसंधान एवं विकास कार्यों के फलस्वरूप प्राप्त लाभ	लागू नहीं
3.	भावी कार्य योजाना	लागू नहीं
4.	अनुसंधान एवं विकास पर खर्च	
	क. पूँजी	शून्य
	ख. आवर्ती	शून्य
	ग. योग	शून्य

कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में कुल आर एंड डी खर्च —

अनुलग्नक –IX

कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 134 (3एम) के अंतर्गत सुचना जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के तहत उप-कंडिका 3(सी) के नियम 8 के साथ पढ़ा जाये

विदेशी विनिमय आय एवं व्यय

i.	निर्यात से संबंधित गतिविधियाँ, निर्यात बढ़ाने, उत्पादों के लिए नए निर्यात बाजार, सेवाओं तथा निर्यात योजनाओं का विकास।	कंपनी निर्यात व्यवसाय में शामिल नहीं है
ii.	अर्जित/उपयोगित कुल विदेशी विनिमय	

(रु करोड़ में)

क्रम	विवरण	2022-23	2021-22
क.	उपयोग हो चुकी विदेशी विनिमय (मुद्रा)		
	1. ब्याज	0.00	0.00
	2. एजेंसी कमीशन	0.00	0.00
	3. यात्रा/प्रशिक्षण व्यय	0.00	0.01
	योग	**0.00**	**0.01**

अर्जित विदेशी विनिमय : कंपनी द्वारा ऐसी कोई आय अर्जित नहीं की गई है

अनुलग्नक – X

1 अप्रैल, 2022 को आरंभ होने वाले वित्तीय वर्ष हेतु सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक प्रतिवेदन। (वित्त वर्ष 2022-23)

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ने सतत विकास के लिए सीएसआर को एक रणनीतिक उपकरण के रूप में अपनाया है। नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा के क्रियान्वित होने के पहले से ही सीसीएल अपनी परियोजना स्थलों की 8 किलोमीटर की परिधि के भीतर सामुदायिक विकास नाम से सामाजिक विकास का कार्य कर रहा है।

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड कंपनी की सीएसआर नीति के आधार पर सीएसआर गतिविधियां कार्यान्वित कर रहा है। सितंबर 2021 तक, सीआईएल द्वारा सीआईएल की सीएसआर नीति समय-समय पर सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों पर लागू होती थीं का अनुसरण सीसीएल में किया जाता था। सीआईएल की संशोधित सीएसआर नीति को सीसीएल बोर्ड द्वारा 28.10.2020 अंगीकृत गया। सीआईएल की संशोधित सीएसआर नीति 08.04.2021 को सीसीएल द्वारा अपनाई गई थी। इसके बाद, बोर्ड स्तरीय सतत विकास एवं सीएसआर समिति के माध्यम से सीसीएल बोर्ड के समक्ष 'सीसीएल सीएसआर नीति' प्रस्तुत की गई तथा सीसीएल बोर्ड द्वारा सीसीएल सीएसआर नीति को अनुमोदन प्रदान किया गया। 11.11.2021 को क्षेत्रों को सीसीएल सीएसआर नीति से अवगत कराया गया।

सीएसआर निधियों का आवंटन तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी के औसत निवल लाभ का 2% या पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के कोयला उत्पादन का 2.00 रुपये प्रति टन, जो भी अधिक हो, के आधार पर किया जाता है।

यह नीति किसी विशेष वर्ष में अव्ययित या अतिरिक्त सीएसआर राशियों के लिए प्रावधान/दिशानिर्देश निर्धारित करती है, जो कि संविधि के अनुसार होगी, जिसका अर्थ है कि यदि सीसीएल एक वर्ष के लिए अनिवार्य सीएसआर लक्ष्य से अधिक राशि खर्च करता है, तो यह राशि आगामी वर्षों में निर्धारित की जा सकती है। इसी प्रकार, यदि सीसीएल किसी वित्तीय वर्ष में अनिवार्य सीएसआर राशियों को खर्च करने में विफल रहता है, और यदि यह चालू परियोजनाओं से संबंधित है तो इसे अव्ययित सीएसआर खाते में जमा किया जाएगाया अन्यथा इसे अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट निधियों में जमा किया जाएगा।

सीसीएल सीएसआर नीति के अनुसार आबंटित सीएसआर निधियों का लगभग 80% परियोजना स्थलों/खानों/क्षेत्र मुख्यालय/कंपनी मुख्यालय के 25 किलोमीटर के दायरे में खर्च किया जाना अपेक्षित है जबकि शेष 20% झारखंड राज्य के भीतर खर्च किया जा सकता है।

सीएसआर कार्यकलापों को कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII. में उल्लिखित विषयगत क्षेत्रों में और डीपीई या एमओसी या सरकार के लागू अधिनियम/नियम/आदेश/दिशानिर्देशों के निदेशों के अनुसार शुरू किया जा सकता है। 2018 के बाद से, डीपीई ने प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारित विशिष्ट विषयों पर व्यय के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। डीपीई द्वारा तय विषय में व्यय लगभग 60% होना चाहिए और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

सीएसआर नीति में निम्नलिखित डीओपी के अनुसार सीएसआर परियोजनाओं के अनुमोदन की परिकल्पना की गई है:

प्राधिकरी	डीओपी
निदेशक मंडल	एसडी और सीएसआर समिति की सिफारिश पर ₹1.00 करोड़ से अधिक मूल्य की परियोजनाएं।
अ ध्य क्ष - स ह - प्र बं ध निदेशक	₹40 लाख से सीएसआर उप-समिति की सिफारिश पर 1.00 करोड़ रुपये मूल्य की परियोजनाएं।
निदेशक (कार्मिक)	सीएसआर उप-समिति की सिफारिश पर मुख्यालय की सभी परियोजनाओं का मूल्य ₹40.00 लाख और 5.00 लाख से ₹ 40.00 लाख रुपये से अधिक मूल्य के क्षेत्रों की परियोजनाएं।
क्षेत्र के महाप्रबंधक	क्षेत्र स्तरीय सीएसआर उपसमिति की अनुशंसा पर ₹ 5 लाख रुपये तक की परियोजनाएं।

सीएसआर नीति में सीएसआर परियोजनाओं का चयन, योजना निर्माण, कार्यान्वयन, निगरानी, प्रभाव मूल्यांकन तथा प्रलेखन हेतु मौजूदा दिशा-निर्देशों की परिकल्पना की गई है।

2. सीएसआर समिति की संरचना

क्रं	निदेशक के नाम	निदेशक के पदनाम/ स्वरूप	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान भाग लिए सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या
1	श्री रमेश कुमार सोनी	अध्यक्ष अप्रशासकिय अंशकालिक निदेशक	7	7
2	श्री विनय रंजन	सदस्य , 05.08.2021 से निदेशक (का. एवं औ. सं), सीआईएल	7	7
3	श्री पवन कुमार मिश्रा	सदस्य, निदेशक (वित्त), सीसीएल	6	6
4	श्री हर्ष नाथ मिश्र	सदस्य, निदेशक (कार्मिक)	4	4

* श्री पवन कुमार मिश्रा और श्री हर्ष नाथ मिश्र को क्रमशः 10.06.2022 और 24.08.2022 से कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

3. सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति, बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का प्रकटीकरण कंपनी की वेबसाइट में नीचे दर्शाये गए वेब-लिंक पर किया जाता है।

वेब लिंक: https://www.centralcoalfields.in/sutbs/sdcsr.php

4. (नैगमिक सामाजिक दायित्व नीति) कंपनी नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन वेब-लिंक का विवरण प्रदान करें, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें) :

वित्त वर्ष 2022-23 में संचालित 4 सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन का कार्यकारी सारांश निम्नलिखित है:

प्रभाव आकलन रिपोर्ट का वेबलिंक:

https://www.centralcoalfields.in/sutbs/pdf/18_05_2023_impact_assessment_study.pdf

5. (क) धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ: 23,13,54,33,333.00 रुपये

(ख) धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत: 462708666.70* रुपये

(ग) विगत वित्तीय वर्षों के सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष:17892584.71 रुपये

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन हेतु आवश्यक राशि : शून्य

(ङ) वित्तीय वर्ष हेतु कुल सीएसआर दायित्व [(ख) + (ग) - (घ)] : 48,06,01,251.41 रुपये

6. (क) सीएसआर परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि (चालू परियोजना तथा इस के अलावा दोनों): 34,71,52,852.80 रुपये

(ख) प्रशासनिक उपरिव्यय में व्यय की गई राशि:13375392.00 रुपये

(ग) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो: 696200.00 रुपये

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि [(ए)+(बी)+(सी)] : 361224444.80** रुपये

(ङ) वित्तीय वर्ष हेतु व्यय या अव्ययित सीएसआर राशि:

* लेखांकन उद्देश्य के लिए ₹ 462800000/- तक पूर्णांकित किया गया।

** एफएस के लेखा नोट के नोट 29 का संदर्भ लिया जा सकता है।

वित्तीय वर्ष हेतु व्यय की गई कुल राशि (₹ में)	अव्ययित राशि (रुपये में)				
	धारा135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि।		धारा135(5) के द्वितीय प्रतिबंध के अनुसार अनुसूची vii के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि को अंतरित राशि।		
	राशि	अंतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तिथि
361224444.80	121468139.91*	28.04.2023	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

*अव्ययित सीएसआर खाते में जमा राशि में विगत वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष तथा जमा की जाने वाली अनिवार्य राशि के अलावा एक अतिरिक्त राशि सम्मिलित है क्योंकि अप्रयुक्त राशि की गणना गैर-लेखापरीक्षित सीएसआर व्यय आंकड़ों के आधार पर की गई है।

(f) सेट-ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो: शून्य

क्र. सं.	विशिष्ट	राशि (₹ में)
(1)	**(2)**	**(3)**
(i)	धारा 135(5) की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	462708666.70
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	361224444.80
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	0.00
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	17892584.71
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में निर्धारित करने के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	0.00

7. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित नैगमिक सामाजिक दायित्व राशि का विवरण:

क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) की उप-धारा (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित राशि (रुपये में)	धारा 135 की उप-धारा (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी निधि में स्थानांतरित राशि, यदि कोई हो।		आने वाले वित्तीय वर्षों में खर्च की जाने वाली शेष राशि। (रुपये में)	कमी, यदि कोई हो
					राशि (₹ में)	अंतरण की तिथि.		
1	2019-20	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य
2	2020-21	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य
3	2021-22	152966397.04	115541995.09	37424401.95	लागू नहीं	लागू नहीं	115541995.09	शून्य
	कुल	**152966397.04**	**115541995.09**	**37424401.95**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**115541995.09**	**शून्य**

8. क्या वित्तीय वर्ष में व्यय की गई नैगमिक सामाजिक दायित्व राशि के माध्यम से कोई पूंजीगत संपत्ति बनाई गई है या अर्जित की गई है: हां

यदि हां, तो सृजित/अधिग्रहीत पूंजीगत संपत्तियों की संख्या दर्ज करें: 118

वित्तीय वर्ष में खर्च की गई नैगमिक सामाजिक दायित्व राशि बनाई गई संपत्तियों का विवरण **अनुबंध ए** के रूप में संलग्न है।

9. यदि कंपनी धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो इसका कारण स्पष्ट करें।

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के पास निम्नलिखित कारणों से 10.16 करोड़ रुपये का कम व्यय हुआ है:

1. राइट्स (RITES) द्वारा झारखंड में 200 रेलवे स्टेशनों के पास शौचालय निर्माण की सीएसआर परियोजना में काफी देरी हुई है।वित्त वर्ष 2022-23 में लगभग 13.00 करोड़ रुपये का व्यय होने की उम्मीद थी, हालांकि मेसर्स राइट्स(RITES) और रेलवे द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन में अत्यधिक देरी के कारण, वित्त वर्ष 2022-23 एमओयू के अनुसार परियोजना के सापेक्ष उनके पास पहले से जमा की गई अग्रिम राशि से अधिक कोई अन्य व्यय नहीं किया जा सका ।
2. एम्स (AIIMS) की दो उच्च उपयोगिता की अनुसंधान परियोजनाओं के निष्पादन में विलंब हुआ है।
3. कार्यान्वयन एजेंसियों/जिलों द्वारा कार्यान्वित कई सीएसआर परियोजनाओं का उपयोगिता प्रमाण-पत्र सीएसआर विभाग द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई के बाद भी प्रत्याशित रूप से प्राप्त नहीं हुआ है।
4. कुछ क्षेत्र स्तरीय परियोजनाएं बोलीकर्ताओं द्वारा संविदा की शर्तों को स्वीकार न किए जाने, ठेकों को रद्द किए जाने तथा पुन: निविदा करने, स्थल और अन्य मुद्दों के कारण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यान्वित नहीं की जा सकीं जो सीसीएल के नियंत्रण से बाहर थे।

ह/-	ह/-	ह/-
(मुख्य कार्यकारी या प्रबंध निदेशक निदेशक)	(सीएसआर समिति के अध्यक्ष)	[अधिनियम की धारा 380 की उपधारा (1) के अंतर्गत निर्दिष्ट व्यक्ति)

अनुलग्नक-ए

वित्तीय वर्ष 2022-23 में नैगमिक सामाजिक दायित्व की राशि से सृजित सम्पत्तियों का विवरण

क्र. स.	संपत्ति का संक्षिप्त विवरण) [संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित]	संपत्ति का पिन कोड	निर्माण की तारीख	खर्च की गई सीएसआर राशि	इकाई/प्राधिकरण/लाभार्थी के पंजीकृत स्वामी का विवरण		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
1	2	3	4	5	6		
1	रिचार्जपिट के साथ 02 (दो) सौर ऊर्जा संचालित गहरे बोरवेल का निर्माण	825321	30.07.2022	2112339.80	लागू नहीं	पंचायत	कुमरंग कला और कुमरंग खुर्द गांव, चतरा जिला
2	सोलर पैनल और संबद्ध कार्यों के साथ 3 बोरवेल की ड्रिलिंग	829101	05.10.2022	1293457.40	लागू नहीं	पंचायत	हसीर और बासकुंडरा, चतरा जिला
3	सैनिटरी नैपकिन विक्रय मशीन	829101	13.04.2022	107051.87	लागू नहीं	स्कूल प्रबंधन समिति	किशान मजदूर हाई स्कूल, गिद्दी सी, अरगडा, श्रमिक उच्च विद्यालय, गिद्दी ए, चिल्ड्रन पैराडाइज, सिरका, अरगड़ा, विवेकानंद मिडिल स्कूल, रेलिगरा, अरगड़ा
4	स्कूलों में समन्वित डेस्क बेंच का प्रावधान	829101	20.06.2022	346439.98	लागू नहीं	स्कूल प्रबंधन समिति	किशन मजदूर हाई स्कूल, गिद्दी सी, अरगडा, श्रमिक उच्च विद्यालय, गिद्दी ए, चिल्ड्रन पैराडाइज, सिरका, अरगड़ा, विवेकानंद मिडिल स्कूल, रेलिगरा, अरगड़ा
5	स्कूलों में फ़र्निचर का प्रावधान	829101	20.06.2022	29489.97	लागू नहीं	स्कूल प्रबंधन समिति	किशन मजदूर हाई स्कूल, गिद्दी सी, अरगडा, श्रमिक उच्च विद्यालय, गिद्दी ए
6	डब्ल्यूडी कॉलोनी, संडे बाजार में कम्युनिटी हॉल का निर्माण	829104	2022-23	1120288.00	लागू नहीं	वार्ड सदस्य	बोकारो

क्र. स.	संपत्ति का संक्षिप्त विवरण) [संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित]	संपत्ति का पिन कोड	निर्माण की तारीख	खर्च की गई सीएसआर राशि	इकाई/प्राधिकरण/लाभार्थी के पंजीकृत स्वामी का विवरण		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
1	2	3	4	5	6		
7	रविदास टोला, जरीडीह पश्चिम पंचायत में पाइप लाइन कनेक्शन और पानी की टंकी के साथ डीप बोरिंग	829114	2022-23	326155.00	लागू नहीं	पंचायत	जरीडीह पश्चिम पंचायत, बोकारो
8	चिल्ड्रन पैराडाइज स्कूल, कुरपानिया में छात्रों के लिए पेयजल आपूर्ति के लिए पानी की टंकी और पाइपलाइन के साथ डीप बोरिंग	829104	2022-23	450199.00	लागू नहीं	स्कूल प्रबंधन समिति	चिल्ड्रन पैराडाइज स्कूल, कुरपानिया
9	कोनार नदी, माँ बनारसो मंदिर के पास डीप बोरिंग।	829104	2022-23	389636.00	लागू नहीं	पंचायत	बोकारो जिला
10	जरीडीह बस्ती, दिहवा के तालाब में घाट का निर्माण।	829104	2022-23	257503.00	लागू नहीं	पंचायत	दिहवा, बोकारो
11	बालू बंकर सिंगारबेड़ा, धोरी के तालाब में घाट का निर्माण।	829104	2022-23	542505.00	लागू नहीं	पंचायत	बालू बंकर, सिंगारबेड़ा, बोकारो
12	कुरपनिया में ग्रामीण खिलाड़ियों के लिए मल्टी जिम की स्थापना	829101	2022-23	145800.00	लागू नहीं	पंचायत	कुरपनिया, बोकारो
13	सरस्वती शिशु मंदिर, जरीडीह बाजार, जरीडीह पूर्वी पंचायत में हैंडवॉश यूनिट का निर्माण।	829114	2022-23	92168.00	लागू नहीं	स्कूल प्रबंधन समिति	सरस्वती शिशु मंदिर, जरीडीह बाजार, जरीडीह पूर्वी पंचायत
14	मेन रोड से समशान घाट, बेरमस साउथ पंचायत में वेलकमगेट और पीसीसी रोड का निर्माण।	829104	2022-23	323261.00	लागू नहीं	पंचायत	बेरमस साउथ पंचायत, बोकारो
15	बोकरो एवं करगली क्षेत्र के पास के 10 स्कूलों में किशोर स्कूली लड़कियों के लिए सेनेटरी पैड इंसीनरेटर की स्थापना।	829104	2022-23	96780.00	लागू नहीं	स्कूल प्रबंधन समिति	बोकारो जिला

क्र. स.	संपत्ति का संक्षिप्त विवरण) [संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित]	संपत्ति का पिन कोड	निर्माण की तारीख	खर्च की गई सीएसआर राशि	इकाई/प्राधिकरण/लाभार्थी के पंजीकृत स्वामी का विवरण		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
1	2	3	4	5	6		
16	रोजगार सृजन के लिए जरीडीह बाजार और बैदकारो के महिला समूह के लिए प्रत्येक को 2 सेनेटरी वेंडिंग मशीनों का वितरण	829114	2022-23	808000.00	लागू नहीं	एसएचजी	जरीडीह बाजार और बैदकरो, बोकारो
17	स्वरोजगार सृजन के लिए ग्रामीण महिलाओं के लिए 30 सिलाई मशीनों का प्रावधान	829104	2022-23	179460.00	लागू नहीं	एसएचजी	बोकारो जिला
18	कदमाडीह बस्ती के शमशान में छप्पर (शेड) का निर्माण	829114	2022-23	308777.00	लागू नहीं	पंचायत	कदमाडीह, बोकारो
19	भैरो मंदिर, कुरपनिया, के पिकनिक स्पॉट के निकट 06 सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना	829104	2022-23	247854.00	लागू नहीं	पंचायत	कुरपनिया, बोकारो
20	सुभाष महतो क्रिकेट टूर्नामेंट ग्राउंड, जरीडीह बस्ती, जरीडीह पश्चिम पंचायत में कवर्ड स्टेज का निर्माण।	829114	2022-23	246612.00	लागू नहीं	पंचायत	जरीडीह पश्चिम पंचायत, बोकारो
21	सनडे बाजार फुटबॉल ग्राउंड में खिलाड़ियों के लिए 01 स्पोर्ट्स रूम (लगभग 15*12 फीट) का निर्माण।	829104	2022-23	233537.00	लागू नहीं	पंचायत	बोकारो
22	सरकारी मध्य विद्यालय, जरीडीह बस्ती, जरीडीह पश्चिमी पंचायत में 02 शौचालयों का निर्माण	829114	2022-23	56697.00	लागू नहीं	स्कूल प्रबंधन समिति	जरीडीह बस्ती, जरीडीह पश्चिमी पंचायत
23	बरई पंचायत में तालाब का निर्माण	829104	2022-23	259425.00	लागू नहीं	पंचायत	बरई पंचायत, बोकारो

क्र. स.	संपत्ति का संक्षिप्त विवरण) [संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित]	संपत्ति का पिन कोड	निर्माण की तारीख	खर्च की गई सीएसआर राशि	इकाई/प्राधिकरण/लाभार्थी के पंजीकृत स्वामी का विवरण		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
1	2	3	4	5	6		
24	सीएसआर के तहत कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए स्थायी सेटअप बनाने के लिए कंप्यूटर टेबल और कुर्सियों के साथ 10 कंप्यूटर सिस्टम खरीदकर कौशल विकास केंद्र, गांधी नगर (बी एंड के क्षेत्र) के बुनियादी ढांचे का उन्नयन	829104	2022-23	130770.00	लागू नहीं	कौशल विकास केंद्र, गांधीनगर	बोकारो
25	बरका-सयाल क्षेत्र की सीएसआर योजना 2021-22 के तहत हुरुमगढ़ में सामुदायिक शौचालय का निर्माण	829125	08.09.2022	601895.86	लागू नहीं	मुखिया, भुरकुंडा पंचायत, रामगढ़-829135	हुरुमगढ़, रामगढ़
26	सीआईसी बस्ती में 02 हैण्डपम्प उपलब्ध कराना	829102	03.08.2022	130874.05	लागू नहीं	वार्ड पार्षद 24	बरकाकाना, रामगढ़
27	हेहल में 3 हैंडपंप की स्थापना	829102	03.08.2022	215234.02	लागू नहीं	वार्ड पार्षद 19	हेहल, बरकाकाना, रामगढ़
28	आर्य बाल विद्यालय, उच्च विद्यालय में 04 कमरों सहित सीढ़ियों का निर्माण।	829102	26.11.2022	1546610.78	लागू नहीं	स्कूल प्रबंधन समिति	आर्य बाल विद्यालय, उच्च विद्यालय, रामगढ़
29	राजकीय मध्य विद्यालय, हेहल में शौचालय का निर्माण कार्य	829102	02.09.2022	227388.52	लागू नहीं	स्कूल प्रबंधन समिति	राजकीय मध्य विद्यालय, हेहल, रामगढ़
30	घुटवा (वार्ड-21) में पेयजल के लिए सौर ऊर्जा से संचालित समरसिबल पंपसेट, पंप हाउस, रिचार्ज पिट आदि से गहरे बोरवेल का निर्माण	829102	04.07.2022	547423.33	लागू नहीं	वार्ड पार्षद 21	घुटवा, रामगढ़
31	चैनगड़ा में पीने के पानी के लिए सौर ऊर्जा संचालित समरसिबल पंप सेट, पंप हाउस, रिचार्ज पिट आदि के साथ गहरे बोरवेल का निर्माण	829102	04.07.2022	550499.02	लागू नहीं	वार्ड पार्षद 19	चैनगड़ा, रामगढ़

क्र. स.	संपत्ति का संक्षिप्त विवरण) [संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित]	संपत्ति का पिन कोड	निर्माण की तारीख	खर्च की गई सीएसआर राशि	इकाई/प्राधिकरण/लाभार्थी के पंजीकृत स्वामी का विवरण		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
1	2	3	4	5	6		
32	घुटुवा (वार्ड-20) में पेयजल के लिए सौर ऊर्जा संचालित समरसिबल पंप सेट, पंप हाउस, रिचार्ज पिट आदि से गहरे बोरवेल का निर्माण	829102	16.03.2023	484476.73	लागू नहीं	वार्ड पार्षद 20	चैनगड़ा, रामगढ़
33	छोटकाकाना में कूप का निर्माण।	829102	02.09.2022	389892.72	लागू नहीं	वार्ड सदस्य	छोटकाकाना, रामगढ़
34	हेहल में एक कूप का निर्माण।	829102	2022-23	381804.12	लागू नहीं	पंचायत	हेहल, रामगढ़
35	बिनोद बिहारी स्कूल पिचरी में डीप बोरिंग	825102	31.03.2023	267412.00	लागू नहीं	विद्यालय प्रबंधन	बिनोद बिहारी स्कूल पिचरी, बोकारो
36	सिंह टांड़ ढोरी बस्ती में तालाब की खुदाई	825102	2022-23	67240.00	लागू नहीं	वार्ड आयुक्त	ढोरी, बोकारो
37	सीएसआर के तहत सीसीएल सहायता प्राप्त स्कूल और अन्य शैक्षणिक संस्थान को डेस्क बेंच प्रदान करना।	825102	14.01.2023	1629901.00	लागू नहीं	विद्यालय प्रबंधन समिति	बोकारो
38	पहाड़ी रोड पर तारमी पंचायत भवन से चिरुडीह में पानी की टंकी तक पोल के साथ स्ट्रीट लाइट लगाई गई।	825102	31.03.2023	1997138.00	लागू नहीं	मुखिया तरमी और तुरियो	तारमी तथा तुरियो पंचायत, बोकारो
39	ढोरी क्षेत्र में 3 सिंचाई कुआं बनवाए गए	825102	2022-23	200660.00	लागू नहीं	पंचायत	पिछरी, तरमी और गुंजरडीह
40	दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर और अन्य सहायता सामग्री की खरीद	825102	26.02.2023	183600.00	लागू नहीं	लाभार्थियों	बोकारो
41	गायत्री पीठ छपरी, पिचरी एवं सामुदायिक भवन पिचरी का निर्माण एवं नवीनीकरण	825102	2022-23	1003154.23	लागू नहीं	पंचायत	पिचरी, बोकारो
42	फुटबॉल मैदान के पास सामुदायिक शौचालय का निर्माण	825301	31.03.2023	10261.00	लागू नहीं	पंचायत, पिंडरा	पिंडरा, हजारीबाग

क्र. स.	संपत्ति का संक्षिप्त विवरण) [संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित]	संपत्ति का पिन कोड	निर्माण की तारीख	खर्च की गई सीएसआर राशि	इकाई/प्राधिकरण/लाभार्थी के पंजीकृत स्वामी का विवरण		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
1	2	3	4	5	6		
43	सीसीएल के सीएसआर के तहत विहार समाज कल्याण संस्थान (विस्कासन) तथा आदर्श वृद्धाश्रम, नगड़ी, रांची को मेडिकल इमरजेंसी और अन्य परिचालन कार्यों के लिए बहुउद्देश्यीय वाहन (मारुति एर्टिगा वीएक्सआई) की खरीद के लिए योगदान	834006	2022-23	1113547.00	लागू नहीं	विहार समाज कल्याण संस्थान (विस्कासन)	नगड़ी, रांची
44	स्नेहाराम चैरिटेबल ट्रस्ट को एक (1)हेमेटोलॉजी एनालाइजर और भारत माता अस्पताल, मुरी को एक (1) एम्बुलेंस" की खरीद के लिए वित्तीय सहायता	835101	2022-23	1744722.00	SRN-T85301836	स्नेहाराम चैरिटेबल ट्रस्ट	मूरी राँची
45	हटिया और रांची रेलवे स्टेशनों पर बॉटल क्रशिंग मशीन की स्थापना	834003 & 834001	2022-23	962620.94	लागू नहीं	भारतीय रेलवे	हटिया और रांची रेलवे स्टेशन
46	श्री औरोबिंदो आश्रम, डोरंडा, राँची में सबमर्सिबल पंप सहित नलकूप तथा सड़क का निर्माण	834002	10.01.2023	767800.00		श्री औरोबिंदो आश्रम,	डोरंडा राँची
47	बोकारो में दुर्गम क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सीसीएल के सीएसआर के तहत बोकारो जिले में एएनएम के लिए 50 इलेक्ट्रिक स्कूटर का प्रावधान	827001	22.03.2023	3955178.70	लागू नहीं	जिला प्रशासन, बोकारो	जिला प्रशासन, बोकारो
48	नगड़ि, रांची में आदर्श वृद्धाश्रम के लिए किर्लोस्कर मॉडल जनरेटर सेट की खरीद के लिए अग्रिम	834006	17.08.2022	299000.00	लागू नहीं	आदर्श वृद्धाश्रम नगड़ि, रांची	नगड़ि, रांची
49	गढ़वा जिले में 50 नलकूपों की ड्रिलिंग तथा हैंडपंप और सोकपिट की स्थापना	822114	06.03.2023	2846016.00	लागू नहीं	जिला प्रशासन, गढ़वा	गढ़वा

क्र. स.	संपत्ति का संक्षिप्त विवरण) [संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित]	संपत्ति का पिन कोड	निर्माण की तारीख	खर्च की गई सीएसआर राशि	इकाई/प्राधिकरण/लाभार्थी के पंजीकृत स्वामी का विवरण		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
1	2	3	4	5	6		
50	सीसीएल की सीएसआर योजना के तहत पालामू जिले में 20 हैंडपंपों की स्थापना	828102	17.03.2023	2076000.00	लागू नहीं	जिला प्रशासन, पलामू	पलामू
51	रामगढ़ चिकित्सा उपकरण	829103	31.03.2023	3750000.00	लागू नहीं	जिला प्रशासन, रामगढ़	रामगढ़
52	रामगढ़ चिकित्सा उपकरण	829103	31.03.2023	4710000.00	लागू नहीं	जिला प्रशासन, रामगढ़	रामगढ़
53	केन्द्रीय विद्यालय भुरकुंडा के निर्माण हेतु वन विभाग से भूमि क्रय हेतु जिला प्रशासन रामगढ़ को अंशदान	829113	25.10.2022	4504075.00	लागू नहीं	केन्द्रीय विद्यालय, भुरकुंडा	भुरकुंडा, रामगढ़
54	सीसीएल के सीएसआर के तहत समाज के वंचित वर्गों से संबंधित 50 सिलाई उद्यमियों के लिए झारखंड के रामगढ़ के चितरपुर सिलाई क्लस्टर में सौर पीवी की तैनाती के लिए पी पी पी मॉडल का समर्थन करें	825101	06.03.2023	875000.00	लागू नहीं	चितरपुर सिलाई क्लस्टर	चितरपुर, रामगढ़
55	दिव्यांगजनों के लिए कृत्रिम उपकरणों का प्रावधान	825401	14.09.2022	420000.00	लागू नहीं	लाभार्थियों	चतरा
56	चतरा जिला प्रशासन को एम्बुलेंस की व्यवस्था	825401	29.03.2023	10512571.24	लागू नहीं	जिला प्रशासन चतरा	चतरा
57	होप एंड एनिमल ट्रस्ट के माध्यम से 24x7 पशु एम्बुलेंस और इसके संचालन का प्रावधान	834001	2022-23	936000.00	लागू नहीं	होप एंड एनिमल ट्रस्ट	रांची

क्र. स.	संपत्ति का संक्षिप्त विवरण) [संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित]	संपत्ति का पिन कोड	निर्माण की तारीख	खर्च की गई सीएसआर राशि	इकाई/प्राधिकरण/लाभार्थी के पंजीकृत स्वामी का विवरण		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
1	2	3	4	5	6		
58	सीसीएल के सीएसआर के तहत आयुषमती एजुकेशन एंड सोशल सोसाइटी के माध्यम से रांची और सीसीएल के परिचालन क्षेत्रों में ट्री एम्बुलेंस की मदद से संक्रमित पेड़ों का इलाज करना	835303	28.02.2023	898600.00	लागू नहीं	राम कृष्ण धर्मार्थ फाउंडेशन	रांची
59	सीसीएल, कथारा क्षेत्र की सीएसआर योजना 21-22 के तहत पीने के पानी के लिए ओचो गांव, सियारी के पास गहरे बोर वेल का निर्माण।	829116	12.03.2023	440078.40	लागू नहीं	मुखिया, सियारी	सियारी पंचायत, बोकारो
60	सीसीएल, कथारा क्षेत्र की सीएसआर योजना 21-22 के तहत कथारा क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थानों में पीने के पानी के लिए सौर ऊर्जा संचालित समर्सिबल पंपसेट, पंप हाउस, रिचार्ज पिट आदि के साथ गहरे बोरवेल का निर्माण।	829111	30.03.2023	3085910.70	लागू नहीं	मुखिया, गोमिया और पलिहारी गुरुडीह	गोमिया और पलिहारी गुरुडीह पंचायत, बोकारो
61	सीसीएल, कथारा क्षेत्र की सीएसआर योजना 21-22 के तहत नया बस्ती के पास गहरे बोरवेल का निर्माण।	829107	11.11.2022	560808.43	लागू नहीं	मुखिया, अर्मो	अरमो पंचायत, बोकारो
62	सीसीएल सीएसआर योजना 21-22 के तहत कथारा क्षेत्र के . बोडिया बस्ती के पास तालाब का नवीनीकरण " ।	829104	10.12.2022	485048.52	लागू नहीं	मुखिया, बोडिया उट्टारी	बोडिया उत्तरी पंचायत, बोकारो
63	एम.डी.आई.एस.आर.अंसारी उच्च विद्यालय, जे हिर्के में बाउंड्री वाल की उचाई बढ़ाई गई, कांटेदार तार की बाड़ और 2 शौचालयों का निर्माण	829121	01.11.2022	776125.85	लागू नहीं	मुखिया, झिरकी	झिरकी पंचायत, बोकारो

क्र. स.	संपत्ति का संक्षिप्त विवरण) [संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित]	संपत्ति का पिन कोड	निर्माण की तारीख	खर्च की गई सीएसआर राशि	इकाई/प्राधिकरण/लाभार्थी के पंजीकृत स्वामी का विवरण		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
1	2	3	4	5	6		
64	सीसीएल, कथारा क्षेत्र की सीएसआर योजना 20-21 के तहत उच्च विद्यालय, होसिर में 4 कमरों और सीढ़ियों का निर्माण	829111	31.03.2023	2778615.61	लागू नहीं	मुखिया, होसिर	होसिर पंचायत, बोकारो
65	सीसीएल, कथारा क्षेत्र की सीएसआर योजना 21-22 के अंतर्गत जारंगडीह बाजार के निकट सामुदायिक शौचालय का निर्माण।	829113	15.02.2023	872992.49	लागू नहीं	मुखिया, जारंगडीह उट्टारी	जारंगडीह उत्तरी, बोकारो
66	सीसीएल, कथारा क्षेत्र की सीएसआर स्कीम 21-22 के अंतर्गत बोडियाबस्ती में पाइपलाइन के माध्यम से जल आपूर्ति का प्रावधान।	829104	09.12.2022	868865.78	लागू नहीं	मुखिया, बोडिया उट्टारी	बोडिया उत्तरी पंचायत, बोकारो
67	वाटर प्यूरिफायर (आरओ) मशीन ब्लॉक कार्यालय, एसडीओ कार्यालय और अन्य प्रमुख स्थानों के पास	829111	31.03.2022	599200.00	लागू नहीं	गोमिया ब्लॉक कार्यालय और केजीबीवी, गोमिया और सरहचिया	गोमिया और सरहचिया, बोकारो
68	सीसीएल, कथारा क्षेत्र की सीएसआर योजना 21-22 के तहत "पडारिया गांव में कूप का निर्माण"	829111	31.03.2023	620771.99	लागू नहीं	मुखिया, गोमिया	गोमिया पंचायत, बोकारो
69	कुजू क्षेत्र के पास विभिन्न गांवों में समररसिबल पंपसेट और मोटर के साथ गहरे बोरिंग का निर्माण	825316	2022-23	169000.00	लागू नहीं	पुंडीमुखिया	पुंडी पंचायत रामगढ़
70	कुजू के विकलांग लोगों के लिए ई-रिस्कशॉ का वितरण	829122	2022-23	100000.00	लागू नहीं	मुखिया और शिक्षक	रामगढ़
71	रबोध के भुइंया टोलावी गांव में सौर ऊर्जा से संचालित गहरे बोरवेल की सुविधा	829109	2022-23	638000.00	लागू नहीं	विद्यालय प्रधानाचार्य	रबोध पंचायत, रामगढ़
72	समुजवाला शिशु मंदिर में लड़के और लड़कियों के लिए शौचालय का निर्माण	829122	2022-23	193000.00	लागू नहीं	विद्यालय प्रधानाचार्य	समुजवाला शिशु मंदिर रामगढ़

क्र. स.	संपत्ति का संक्षिप्त विवरण) [संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित]	संपत्ति का पिन कोड	निर्माण की तारीख	खर्च की गई सीएसआर राशि	इकाई/प्राधिकरण/लाभार्थी के पंजीकृत स्वामी का विवरण		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
1	2	3	4	5	6		
73	राजकीय महाविद्यालय में शौचालय और गहरे बोरिंग का निर्माण	829134	2022-23	190000.00	लागू नहीं	स्कूल प्रबंधन समिति	राजकीय महाविद्यालय, रामगढ़
74	श्रमिक विद्यालय, तोपा में शौचालय का निर्माण	829109	2022-23	682000.00	लागू नहीं	मुखिया रबोध	रबोध पंचायत, रामगढ़
75	नारायणपुर गांव में कुएं का निर्माण कर्मा दक्षिणी , बारोदोहरान और बरमासिया	829117	2022-23	244000.00	लागू नहीं	पंचायत	पंचायतभवन, मायापुर, खलारी रांची, 829210
76	कोंका गांव में भोला गंझू घर के पास लगा हैंडपंप	829210	16.01.2023	74962.87	लागू नहीं	मुखिया (मायापुर),	पंचायतभवन, मायापुर, खलारी रांची, 829210
77	विनोद भुइयां के घर के पास लगा हैंडपंप	829210	16.01.2023	74962.87	लागू नहीं	मुखिया (लपरा),	पंचायतभवन, लापरा, खलारी रांची, 829210
78	नारायण ढौडा गांव में लगा हैंडपंप	829210	14.03.2023	70411.13	लागू नहीं	मुखिया (खलारी),	पंचायतभवन, खलारी रांची, 829210
79	संतोष गंझू के घर के पास हैंडपंप	829210	03.01.2023	108674.73	लागू नहीं	मुखिया (तुमांग),	पंचायतभवन, तुमांग, खलारी रांची, 829210
80	खलारी बस स्टॉप पर रेस्ट शेल्टर	829210	23.01.2023	290405.80	लागू नहीं	मुखिया (खलारी),	पंचायत भवन, खलारी रांची, 829210
81	चूड़ी (पू) में सौर ऊर्जा से संचालित गहरे बोरवेल का निर्माण	829210	22.10.2022	1179056.50	लागू नहीं	मुखिया (चूरी),(पू)	पंचायतभवन, चूरी, खलारी रांची, 829210
82	पूर्णाडीह में सौर ऊर्जा से संचालित गहरे बोरवेल का निर्माण	825321	22.10.2022	1198180.73	लागू नहीं	मुखिया (बेंती),	पंचायत भवन, बेंती, टंडवा चतरा, 825321
83	एतवा मुंडा के आवास के निकट सौर ऊर्जा से संचालित गहरे बोरवेल का निर्माण	829210	30.11.2022	834511.06	लागू नहीं	मुखिया (हुटाप),	पंचायत भवन, हुताप, खलारी रांची, 829210
84	राजू कुमार के आवास के निकट सौर ऊर्जा से संचालित गहरे बोरवेल का निर्माण	829210	30.11.2022	1181408.37	लागू नहीं	मुखिया (विश्रामपुर),	पंचायत भवन, बिश्रामपुर, खलारी रांची, 829210

क्र. स.	संपत्ति का संक्षिप्त विवरण) [संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित]	संपत्ति का पिन कोड	निर्माण की तारीख	खर्च की गई सीएसआर राशि	इकाई/प्राधिकरण/लाभार्थी के पंजीकृत स्वामी का विवरण		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
1	2	3	4	5	6		
85	शोभा कश्यप के आवास के निकट सौर ऊर्जा से संचालित गहरे बोरवेल का निर्माण	829210	11.05.2022	1196374.35	लागू नहीं	मुखिया (बुकबुका),	पंचायतभवन, बुकबुका, खलारी रांची, 829210
86	त्रिवेणि यादव के आवास के निकट सौर ऊर्जा से संचालित गहरे बोरवेल का निर्माण	829210	29.12.2022	1199713.02	लागू नहीं	मुखिया (बुकबुका),	पंचायत भवन, बुकबुका, खलारी रांची, 829210
87	नई मुंडटोली में सौर ऊर्जा से संचालित गहरे बोरवेल का निर्माण	829210	25.02.2023	1185988.99	लागू नहीं	मुखिया (चूरि) (सी)	पंचायत भवन, चूरि(सी), खलारी रांची, 829210
88	खलारी में सौर मास्ट लाइट	829210	27.09.2022	580357.10	लागू नहीं	मुखिया, संबंधित पंचायत	खलारी, राँची
89	स्कूलों के लिए वाटरपुरीफायर	829210	31.03.2023	1668644.00	लागू नहीं	स्कूल प्रबंधन समिति	खलारी, राँची
90	सार्वजनिक स्थानों पर वाटर प्यूरिफायर	829210	31.03.2023	300355.92	लागू नहीं	स्कूल प्रबंधन समिति	खलारी, राँची
91	शिव मंदिर के पास कूप का निर्माण	829210	30.01.2023	378079.53	लागू नहीं	मुखिया (चूरि) (सी)	पंचायतभवन, चूरि(सी), खलारी रांची, 829210
92	हुटपमोड़ के पास कूप	829210	02.04.2023	400811.08	लागू नहीं	मुखिया (खलारी),	पंचायतभवन, खलारी रांची, 829210
93	बी-टाइप के पास कूप	829210	21.03.2023	464303.85	लागू नहीं	मुखिया (तुमांग),	पंचायत भवन, तुमांग, खलारी रांची, 829210
94	बंधन गंझू के आवास के पास कूप का निर्माण	829210	02.08.2023	329241.58	लागू नहीं	मुखिया (लापरा),	पंचायत भवन, लापरा, खलारी रांची, 829210
95	महाप्रबंधक इकाई पिपरवार क्षेत्र के अंतर्गत सीएसआर गतिविधि 21-22 के तहत ग्राम हाफुआ में बुंडू दहरपोंड की मरम्मत एवं गहरीकरण।	825321	05.09.2022	369913.41	लागू नहीं	मुखिया, किचटो पंचायत	किचटो पंचायत, चतरा

क्र. स.	संपत्ति का संक्षिप्त विवरण) [संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित]	संपत्ति का पिन कोड	निर्माण की तारीख	खर्च की गई सीएसआर राशि	इकाई/प्राधिकरण/लाभार्थी के पंजीकृत स्वामी का विवरण		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
1	2	3	4	5	6		
96	महाप्रबंधक इकाई पिपरवार क्षेत्र के अंतर्गत सीएसआर गतिविधि 21-22 के तहत बघेरात ग्राम हफुआ में तालाब की मरम्मत एवं गहरीकरण। (एनआईटी-5325-39 दिनांक 13.01.2022)	825321	05.10.2022	274000.00	लागू नहीं	मुखिया, किचटो पंचायत	किचटो पंचायत, चतरा
97	चिरैयाटांड़ में सरना स्थल के चारों ओर दीवार का निर्माण	825401	20.10.2022	1055321.00	लागू नहीं	ग्राम पंचायत	चिरैयाटांड़ , चतरा
98	ग्राम- सिदालु, पंचायत बहेरा में सामुदायिक भवन का निर्माण	825321	30.09.2022	1298643.26	लागू नहीं	ग्राम पंचायत	बहेरा, चतरा
99	गांव- कारो, पंचायत बहेरा में सामुदायिक भवन का निर्माण	825321	20.09.2022	854002.81	लागू नहीं	ग्राम पंचायत	करो, चतरा
100	गांव-बहेरा, पंचायत बहेरा में समरसिबल पंप के साथ 3 की संख्या में गहरे बोरवे का निर्माण	825321	10.05.2022	1705130.22	लागू नहीं	ग्राम पंचायत	बहेरा, चतरा
101	ग्राम चिरैयाटांड़ की सड़क के दोनों ओर जल निकासी व्यवस्था का निर्माण	825321	22.04.2022	657492.16	लागू नहीं	मुखिया, किचटो पंचायत	किचटो पंचायत
102	बचरा उत्तरी पंचायत के हेमनदाग के करमाली टोला में तालाब का निर्माण और उसका सौंदर्यीकरण	829201	10.05.2022	856169.19	लागू नहीं	ग्राम पंचायत	बचरा उत्तरी पंचायत, चतरा के हेमनडाग का करमाली टोला
103	बेंती पंचायत के बेंती गांव की पीसीसी सड़क का निर्माण	825321	15.10.2022	7955355.70	लागू नहीं	ग्राम पंचायत	बेंती, चतरा
104	बाचरा मध्य विद्यालय गांव- बचरा उत्तरी के लिए वाटर फिल्टर की व्यवस्था	825321	11.12.2022	40504.23	लागू नहीं	स्कूल प्रबंधन समिति	बचरा उत्तरी चतरा

क्र. स.	संपत्ति का संक्षिप्त विवरण) [संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित]	संपत्ति का पिन कोड	निर्माण की तारीख	खर्च की गई सीएसआर राशि	इकाई/प्राधिकरण/लाभार्थी के पंजीकृत स्वामी का विवरण		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
1	2	3	4	5	6		
105	गांव-बचरा उत्तरी में बचरा उत्तरी विद्यालय (10 +2) के लिए पानी फिल्टर प्रदान करना	825321	11.12.2022	40504.23	लागू नहीं	स्कूल प्रबंधन समिति	बचरा उच्च विद्यालय (10 +2) गांव - बचरा उत्तरी में
106	गांव-बचरा उत्तरी में बचरा बस्ती मध्य विद्यालय (10 +2) के लिए पानी फिल्टर प्रदान करना	825321	11.12.2022	40504.23	लागू नहीं	स्कूल प्रबंधन समिति	बचरा बस्ती मध्य विद्यालय (10 +2) गांव-बचरा उत्तरी में
107	गांव-बचरा उत्तर में बाल विकास विद्यालय के लिए पानी का फिल्टर प्रदान करना	825321	11.12.2022	40504.23	लागू नहीं	स्कूल प्रबंधन समिति	बाल विकास विद्यालय गांव-बचरा उत्तर
108	गांव-बचरा उत्तर में मौलाना आजाद विद्यालय के लिए पानी का फिल्टर प्रदान करना	825321	11.12.2022	40504.23	लागू नहीं	स्कूल प्रबंधन समिति	मौलाना आजाद विद्यालय, गांव-बचरा उत्तर
109	गांव-बचरा दक्षिण में बाचरा हाई स्कूल के लिए पानी का फिल्टर प्रदान करना	825321	11.12.2022	40504.23	लागू नहीं	स्कूल प्रबंधन समिति	बाचरा हाई स्कूल, गांव-बचरा दक्षिण में
110	गांव-न्यू मंगरदाहा में न्यू मॉडर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए वाटर फिल्टर प्रदान करना	825401	11.12.2022	40504.23	लागू नहीं	स्कूल प्रबंधन समिति	गांव-न्यू मंगरदाहा में न्यू मॉडर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल
111	चिरैयाटांड़ में देवी मंडप के परिसर में कुआं खोदना	825401	05.10.2022	969109.70	लागू नहीं	चिरैयाटांड़	चिरैयाटांड़ में देवी मंडप
112	वात्सल्य धाम (अनाथालय सह बाल गृह) में 02 कंप्यूटर और 01 एलईडी टीवी 54 इंच प्रदान करना	825401	01.10.2022	140450.00	लागू नहीं	वात्सल्य धाम	वात्सल्य धाम (अनाथालय सह बाल गृह), छत्तर मांडू, रामगढ़
113	रजरप्पा कमान क्षेत्र के दिव्यांगों को ट्राई साइकिल का वितरण	825101	01.09.2022	15107.72	लागू नहीं	लाभार्थियों	रामगढ़

क्र. स.	संपत्ति का संक्षिप्त विवरण) [संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित]	संपत्ति का पिन कोड	निर्माण की तारीख	खर्च की गई सीएसआर राशि	इकाई/प्राधिकरण/लाभार्थी के पंजीकृत स्वामी का विवरण		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
1	2	3	4	5	6		
114	एकल महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को मूढ़ी (पफ राइस) बनाने की मशीन, ब्रांडिंग और पैकेजिंग सामग्री प्रदान करना	829110	15.04.2023	190700.00	लागू नहीं	एसएचजी	रजरप्पा, रामगढ़
115	स्वयं सहायता समूह को मसाला बनाने की मशीन, ब्रांडिंग और पैकेजिंग सामग्री प्रदान करना	829110	15.04.2023	299140.00	लागू नहीं	एसएचजी	रजरप्पा, रामगढ़
116	कमान क्षेत्र के पंचायत में जिम की स्थापना	829110	2022-23	498315.00	लागू नहीं	ग्राम पंचायत	रजरप्पा, रामगढ़
117	रजरप्पा मंदिर में फिक्स्ड टाइप 18 मीटर ऊंचाई वाली हाई मास्ट लाइट की स्थापना	829110	2022-23	350000.00	लागू नहीं	रजरप्पा मंदिर समिति	रजरप्पा, रामगढ़
118	कमान क्षेत्र में एक विकलांग बच्चे और किशोर को कृत्रिम अंग प्रदान करना	829110	10.04.2023	455475.00	लागू नहीं	लाभार्थियों	रजरप्पा, रामगढ़

अनुलग्नक – XI

फॉर्म क्रमांक एओसी- 2

(कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 8 (2)और अधिनियम की धारा 134 की उप-धारा (3)के धारा (एच) के अनुसरण में)

कंपनी के करार/अनुबंधों के विवरणों के प्रकटीकरण के प्रपत्र, जो कंपनी द्वारा संबंधित पार्टियों के साथ डाले गए हैं, जिनका सन्दर्भ कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग 188 के उप-धारा (1) में है जिसमे तीसरे प्रावधान के अंतर्गत कुछ निष्पक्ष लेन-देन शामिल है।

वर्ष 2022-23 के वित्तीय वर्ष के दौरान सीसीएल के सभी लेन-देन की प्रविष्टी पार्टियों के साथ निष्पक्ष आधार पर सीआईएल एवं अन्य अनुषंगियों की सलाह पर की गई है।

अनुलग्नक – XII

अनुषंगियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यम कंपनियों की वर्ष 2022-23 की वितीय प्रदर्शन एवं प्रस्थिति पर रिपोर्ट

(कंपनी अधिनियम, 2013की धारा 134(3)(क्यू) के अनुसरण में, कंपनीज (एकाउंट्स) नियम, 2014के नियम 8(1)के साथ पढ़ा जाए,)

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, मेसर्स इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जे. सी.आर.एल.), एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। इसका गठन कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत किया गया है।

प्रोमोटर के नाम	शेयरधारिता पैटर्न
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	64%
मेसर्स इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	26%
झारखंड सरकार	10%

कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 500 करोड़ रूपए है।

जेसीआरएल का प्रदर्शन निम्नानुसार है:

1. झारखंड सेंट्रल रेलवे को 31.08.2015 में सम्मिलित किया गया है। तदनुसार, निम्नलिखित परियोजना जेसीआरएल को सौंपा गया।
   - शिवपुर-कठोटिया नई बीजी विद्तीकरण रेल लाइन परियोजना- 49.085 किमी (1799.64 करोड़ रुपये)।

   जेसीआरएल ने 28 मार्च 2016 को इरकॉन के साथ परियोजना निष्पादन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।रेलवे बोर्ड ने संयुक्त उद्यम जेसीआरएल के माध्यम से शुरू की जाने वाली शिवपुर-कठौटिया नई लाइन परियोजना के हस्तांतरण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।कठौतिया (चेनेज 0.00) से शिवपुर (चेनेज 49.085) तक की कुल लंबाई 49.085 किलोमीटर है।रेल मंत्रालय ने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी दे दी है।रेल मंत्रालय ने 13 जून 2018 को 49.085 किमी की चार्जेबल दूरी पर 60% के बढ़े हुए माइलेज को 5 साल की अवधि के लिए मंजूरी दी है।

   जेसीआरएल और पु. म. रेलवे के बीच 04-12-2018 को रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एमओईएफ द्वारा 19 जून 2019 को स्टेज- I वानिकी मंजूरी दी गई है।वन भूमि के व्यपवर्तन की प्रक्रिया अग्रिम चरण में है क्योंकि सीए, एनपीवी और वन्य जीवन योजना की राशि जेसीआरएल द्वारा राज्य सरकार को जमा कर दी गई है।वन विभाग से कार्य करने की अनुमति सितम्बर 2021 में प्राप्त की गयी है। सभी सरकारी और निजी भूमि जेसीआरएल को सौंप दी गई है। इस कार्य को 10 पैकेजों के माध्यम से निष्पादित करने की योजना बनाई गई है। अब तक छह पैकेज प्रदान किए गए हैं और स्थल पर कार्य की प्रगति नीचे दी गई है।

पैकेज – I

क्र. सं.	गतिविधि	इकाई	स्कोप	पूर्ण किया	शेष	भौतिक % पूर्ण	टिप्पणियां
1	भूमि भरने का कार्य	लाख घन मी.	35.00	32.18	2.82	91.94	कार्य प्रगति पर है।
2	भूमि कटाई का कार्य	लाख घन मी.	10.37	9.16	1.21	88.33	कार्य प्रगति पर है।
3	कंबल	लाख घन मी.	37,402.25	-	37,402.25	-	कार्य प्रगति पर है।
4	आरयूबी/एलएचएस	संख्या	08	03	05	37.50	कार्य प्रगति पर है।
5	छोटे पुल	संख्या	10	08	02	80.00	कार्य प्रगति पर है।
6	वन्य जीवन का अवलोकन	संख्या	02	0	02	0	कार्य प्रगति पर है।

पैकेज – II

क्र. सं.	गतिविधि	इकाई	स्कोप	पूर्ण किया	शेष	भौतिक % पूर्ण	टिप्पणियां
1	भूमि भरने का कार्य	लाख घन मी.	16.23	1.13	15.10	6.96	कार्य प्रगति पर है।
2	भूमि कटाई का कार्य	लाख घन मी.	17.15	0.10	17.50	0.58	कार्य प्रगति पर है।
3	कंबल	लाख घन मी.	41,585.750	0	41,585.750	0	
4	आरयूबी/एलएचएस	संख्या	10	0	10	0	
5	छोटे पुल	संख्या	28	0	28	0	
6	वन्य जीवन का अवलोकन	संख्या	04	0	04	0	

पैकेज – III

क्र. सं.	गतिविधि	इकाई	स्कोप	पूर्ण किया	शेष	भौतिक % पूर्ण
1	भूमि भरने का कार्य	लाख घन मी.	34.70	0	34.70	0
2	भूमि कटाई का कार्य	लाख घन मी.	17.99	0	17.99	0
3	कंबल	लाख घन मी.	10,200.00	0	10,200.00	0
4	आरयूबी/एलएचएस	संख्या	02	0	02	0
5	छोटे पुल	संख्या	06	0	06	0
6	वन्य जीवन का अवलोकन	संख्या	01	0	01	0

पैकेज – IV

क्र. सं.	गतिविधि	इकाई	स्कोप	पूर्ण किया	शेष	भौतिक % पूर्ण	टिप्पणियां
1	भूमि भरने का कार्य	लाख घन मी.	49.50	8.11	41.30	17	कार्य प्रगति पर है।
2	भूमि कटाई का कार्य	लाख घन मी.	0	0	0	-	
3	कंबल	लाख घन मी.	18,519.00	0	18,519.00	0	
4	आरयूबी/एलएचएस	संख्या	05	0	05	0	
5	छोटे पुल	संख्या	04	0	04	0	तीन पुलों पर कार्य प्रगति पर है
6	वन्य जीवन का अवलोकन	संख्या	0	0	0	-	

पैकेज – V

क्र. सं.	गतिविधि	आरेखण की स्थिति	स्थल पर भौतिक प्रगति	टिप्पणियां
1	मेजर ब्रिज नंबर 13 (1x30.5 मीटर) कम्पोजिट गर्डर	अनुमोदित	कार्य प्रगति पर है। ए 1 और ए 2 के लिए राफ्ट फ़ाउंडेशन कार्य पूरा हो गया है। ए2 में पहली लिफ्ट की ढलाई पूरी हो चुकी है	o A1 पर सुदृढीकरण बाइंडिंग कार्य प्रगति पर है o साइट पर बार बेंडिंग के लिए केवल एक टीम उपलब्ध है o सुदृढीकरण सलाखों को जमीन पर रखा जाता है। o मजदूर पीपीई किट का उपयोग नहीं कर रहे हैं।
2	मेजर ब्रिज नंबर 17 (4x30.5 मीटर) कम्पोजिट गर्डर	अनुमोदित	o कार्य प्रगति पर है o A1 में PCC पूरा हुआ o A2 में नींव की खुदाई का कार्य प्रगति पर है, लगभग 1.5 मीटर शेष है ।	o साइट पर स्टील उपलब्ध नहीं है। o पीसीसी पर क्योरिंग ठीक से नहीं किया गया है
3	मेजर ब्रिज नंबर 20 (2x30.5 मीटर) कम्पोजिट गर्डर	अनुमोदित	o कार्य प्रगति पर है o ए 2 पर सुदृढीकरण बाइंडिंग प्रगति पर है। o पिलिंग का काम प्रगति पर है, अब तक ए 1 और पी 1 के लिए संचालित किए जाने वाले कुल 44 में से 17 ढेर निकाले गए हैं	o पिलिंग के लिए केवल एक सेटअप उपलब्ध है, जो निरीक्षण के समय टूट गया था। एक और सेटअप विकसित करने की आवश्यकता है। o बैचिंग प्लांट के टूटने के कारण कंक्रीटिंग का काम रुका हुआ है
4	मेजर ब्रिज नंबर 23 (3x30.5 मीटर) कम्पोजिट गर्डर	अनुमोदित	इस साइट पर कोई गतिविधि शुरू नहीं की गई है	एजेंसी के पास पिलिंग के लिए केवल एक सेटअप उपलब्ध है, जिसके कारण इस पुल पर काम शुरू नहीं किया गया है।
5	Road Over Bridges (06 संख्या.) (Br. No. 1,6,8,9,69, & 70)	अनुमोदित	किसी भी पुल पर काम शुरू नहीं किया गया है	

पैकेज – VI

क्र. सं.	गतिविधि	आरेखण की स्थिति	स्थल पर भौतिक प्रगति	टिप्पणियां
1	मेजर ब्रिज नंबर 91 (1x30.5 मीटर) खुला वेब गर्डर	अनुमोदित	o कार्य प्रगति पर है o ए1 पर कार्य पूर्ण हुआ। o ए 2 पर काम शुरू नहीं किया जा सका क्योंकि इस स्थान से एक सड़क गुजर रही है और इसे मोड़ने की आवश्यकता है। o आवश्यक गर्डर हिसार में आरडीएसओ द्वारा अनुमोदित फर्म द्वारा निर्मित किया जा रहा है।	o सड़क को जल्द से जल्द डायवर्ट किया जाना चाहिए। o ए2 को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना चाहिए

क्र. सं.	गतिविधि	आरेखण की स्थिति	स्थल पर भौतिक प्रगति	टिप्पणियां
2	मेजर ब्रिज नंबर 106 (2x30.5 मीटर) कम्पोजिट गर्डर	अनुमोदित	o कार्य प्रगति पर है o ए1 पर कार्य पूर्ण हुआ। o ए 2 पर काम शुरू नहीं किया जा सका क्योंकि इस स्थान से एक सड़क गुजर रही है और इसे मोड़ने की आवश्यकता है। o आवश्यक गर्डर हिसार में आरडीएसओ द्वारा अनुमोदित फर्म द्वारा निर्मित किया जा रहा है।	o क्योरिंग ठीक से नहीं किया गया है। o काम को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना चाहिए।
3	मेजर ब्रिज नंबर 103 (4x30.5 मीटर) कम्पोजिट गर्डर	ए1 और ए2 के लिए ड्राइंग को मंजूरी दी जाएगी	P1 और P3 के लिए पाइल कैप तक ढलाई का काम पूरा हो गया	चित्रों को प्राथमिकता के आधार पर अनुमोदित किया जाना है और कार्य को तुरंत शुरू किया जाना है
4	मेजर ब्रिज नंबर 79 (2x30.5 मीटर) कम्पोजिट गर्डर	अनुमोदित	o A1 और P2 खुले आधार हैं। o एब्यूटमेंट कैप के लिए ए 1 में सुदृढीकरण बाइंडिंग कार्य प्रगति पर है। o पी 1 पर कास्टिंग प्रगति पर है।	o A2 के लिए पिलिंग का काम शुरू किया जाना चाहिए o क्योरिंग नियमित रूप से किया जाना चाहिए
5	मेजर ब्रिज नंबर 76 (1x30.5 मीटर) कम्पोजिट गर्डर	अनुमोदित	o कार्य प्रगति पर है o कुल 40 ढेरों में से तीन ढेरों को बाहर निकाल दिया गया है।	o कार्य में तेजी लाने की आवश्यकता है
6	सड़क उपरि पुल (06 संख्या) (बीआर नंबर 1,6,8,9,69, और 70)	अननुमोदित	किसी भी पुल पर काम शुरू नहीं किया गया है	

2. परियोजना वित्तपोषण:

स्वीकृत डीपीआर के अनुसार जेसीआरएल की अनुमानित परियोजना लागत 1799.64 करोड़ रुपये है, जिसमें संबंधित मंत्रालयों और झारखंड सरकार के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार इक्विटी और ऋण के बीच 30:70 के अनुपात में प्रस्तावित निधि व्यवस्था है। 70% ऋण के प्रति योगदान 1260 करोड़ रुपये आता है।

सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, मैसर्स इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के खंड 10 के अनुसार "इस समझौता ज्ञापन के तहत रेलवे लाइन का निर्माण कार्य भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण/वन मंजूरी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही किया जाएगा। और वित्तीय समापन हासिल कर लिया गया है। सर्वेक्षण और संरेखण के बाद किसी भी गलियारे में निर्माण कार्य चरणों में किया जा सकता है।

1260 करोड़ रुपये के ऋण कोष के लिए कंपनी के वित्तीय समापन के मामले में प्रमुख मील का पत्थर 05.05.2022 को हासिल किया गया था, जिसमें 125.12 करोड़ रुपये का पहला संवितरण 31.03.2023 को प्राप्त हुआ था।

क्र. सं.	बैंक का नाम	सावधि ऋण सुविधा स्वीकृत [₹करोड़ में]	मूल्य निर्धारण	वित्तीय समापन के लिए प्रस्तावित सीमाएं [₹ करोड़ में]
1	पंजाब नेशनल बैंक **[लीड बैंक]**	500.00	7.75% प्रति वर्ष जोड़ 0.20% अग्रिम शुल्क	**420.00**
2	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	500.00	7.75% प्रति वर्ष जोड़ 0.20% अग्रिम शुल्क	**400.00**
3	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	300.00	7.75% प्रति वर्ष जोड़ 0.20% अग्रिम शुल्क	**240.00**
4	यूको बैंक	250.00	7.75% प्रति वर्ष जोड़ 0.20% अग्रिम शुल्क	**200.00**
	कुल	**1550.00**		**1260.00**

3. भूमि अधिग्रहण की स्थिति:

भूमि के प्रकार	अधिग्रहण (हे)	अधिग्रहित/सौंपा गया (हेक्टेयर)	अभी तक अधिग्रहित/सौंपा जाना बाकी है (हेक्टेयर)	टिप्पणियां
वन	368.72	285.27	गैर-मजरुआ जंगल-झरी भूमि का 83.45 हेक्टेयर	वन विभाग द्वारा दिनांक 14.09.2021 को 285.27 हेक्टेयर वन भूमि के लिए एक वर्ष के लिए कार्य अनुमति जारी की गई थी जिसे 21.10.2022 को एक वर्ष के लिए अर्थात 20.10.2023 तक बढ़ा दिया गया है। शेष 83.45 हेक्टेयर जीएमजेजे भूमि पर कार्य करने की अनुमति राजस्व विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।
सरकारी/महाप्रबंधक	20.34	20.34	0	सभी सरकारी भूमि रेलवे को हस्तांतरित की गई।
निजी	151.00	151.00	0	
कुल	540.06	443.818	83.45	

4. वित्तीय स्थिति:

वर्ष 2021 -22 के दौरान, कंपनी की अधिकृत पूंजी ₹ 500.0 करोड़ थी।

अंशधारक का नाम	31 मार्च, 2023 तक		31 मार्च, 2022 तक	
	शेयरों की संख्या (प्रति 10रू का अंकित मूल्य)	कुल शेयरों का%	शेयरों की संख्या (प्रति 10 रू का अंकित मूल्य)	कुल शेयरों का%
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	6,46,31,232	64.00	6,46,31,232	73.67
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	2,62,56,438	26.00	1,30,00,000	14.82
झारखंड सरकार	1,00,98,630	10.00	1,00,98,630	11.51
कुल	**10,09,86,300**	**100.00**	**8,77,29,862**	**100.00**

(क) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान झारखंड सरकार ने 29.06.2022 को जेसीआरएल को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 13.50 करोड़ रुपये जमा किए हैं।

(ख) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आरसीओएन इंटरनेशनल लिमिटेड ने 01.08.2022 को जेसीआरएल को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 64.11 करोड़ रुपये जमा किए हैं।

(ग) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी की चुकता और सब्सक्राइब की गई शेयर पूंजी को 87.72 लाख रुपये से बढ़ाकर 100.98 लाख रुपये कर दिया गया है, जिसमें 13256438 नंबर के शेयरों को 10/- रुपये प्रति शेयर पर निजी प्लेसमेंट के माध्यम से मैसर्स इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को 13,25,64,380 रुपये कर दिया गया है।

2. सारांशित तुलन पत्र :

विवरण	31.03.2023 को (रुपये लाख में)	31.03.2022 को (रुपये लाख में)
इक्विटी और देनदारियां		
इक्विटी शेयर पूंजी	10,098.63	8,772.99
इक्विटी स्वरुप में पूर्ण साधन	43,351.36	35,589.96
अन्य इक्विटी	1,054.74	514.39
कंपनी के इक्विटी धारकों पर आरोप्य इक्विटी	54,504.73	44,877.34
गैर-नियंत्रित ब्याज	—	—
कुल इक्विटी (ए)	**54,504.73**	**44,877.34**
गैर मौजूदा देनदारियों		
(क) वित्तीय देयताएं		
i. उधार	12,512.00	—
ii. व्यापार देय	—	—
iii. अन्य वित्तीय देयताएं	—	—
(ख) प्रावधान	—	—
(ग) अन्य गैर-वर्तमान देयताएं	0.83	—
उप-कुल गैर-वर्तमान देयताएं (बी)	**12,512.83**	**—**
वर्तमान देनदारियां		
(क) वित्तीय देयताएं		
i. उधार	2.96	—
ii. व्यापार देय		
सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	—	—
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	1.07	239.15
iii. अन्य वित्तीय देयताएं	37.98	6.25
(ख) अन्य वर्तमान देयताएं	66.70	4.79
प्रावधानों	—	—
वर्तमान कर देयताएं (निबल)	—	20.29
उप-कुल-वर्तमान देयताएं (सी)	**108.71**	**270.48**
कुल-इक्विटी और देयताएं (ए+बी+सी)	**67,126.27**	**45,147.82**
परिसंपत्ति		
गैर वर्तमान परिसंपत्ति		
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	13.02	2.55
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर है	42,953.64	26,090.19
(ग) अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्ति	—	—
(घ) अमूर्त परिसंपत्ति	0.40	—
(ङ) विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्ति	—	—

(च) निवेश परिसंपत्ति	—	—
(छ) वित्तीय परिसंपत्ति	5399	
(ज) आस्थगित कर आस्तियां (निबल)	—	0.10
(झ) अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	2849.97	613.49
उप-कुल गैर-वर्तमान परिसंपत्ति	**51216.03**	**26,706.33**
वर्तमान परिसम्पत्तियाँ		
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ	13257.28	18,383.34
सूची	—	—
अन्य वर्तमान देयताएं	2630.18	58.15
वर्तमान कर परिसम्पत्तियाँ (निबल)	22.78	—
उप-कुल वर्तमान परिसम्पत्तियाँ	**15,910.24**	**18,441.49**
कुल परिसम्पत्तियाँ	**67,126.27**	**45,147.82**

3. 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के दौरान पूंजी ढांचा इस प्रकार है:
निर्गत, अभिदत्त तथा प्रदत शेयर पूंजी

अंशधारकगण	शेयर की संख्या	दर	राशि (रूपए में)
सीसीएल	6,46,31,232	₹ 10/-प्रति शेयर	64,63,12,320/-
इरकॉन	2,62,56,438	₹ 10/-प्रति शेयर	26,25,64,380/-
झारखंड सरकार	1,00,98,630	₹ 10/-प्रति शेयर	10,09,86,300/-
कुल प्रदत इक्विटी शेयर पूंजी			**1,00,98,63,000/-**

1. जेसीआरएल ने, 31.03.2022 को समाप्त वर्ष में अर्जित 201.75 लाख के निबल लाभ के मुकाबले 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹ 540.35 लाख का निबल लाभ अर्जित किया है।

अनुलग्नक XIII

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण प्रतिवेदन

समीक्षा

इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य प्रबंधन के परिपेक्ष्य को कोयला क्षेत्र तथा कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की सहायक कंपनी सीसीएल को बाहर लाने के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी के रणनीति, संचालन, वित्तीय प्रदर्शन, सामग्री विकास, जोखिम व अवसर तथा आंतरिक नियंत्रण से अवगत कराना है। इसे कंपनी के वित्तीय विवरणी के साथ पढ़ा जाय, इसके अतिरिक्त अनुसूचियों, नोट्स तथा अन्य जानकारियों को वार्षिक प्रतिवेदन तथा वार्षिक लेखा 2022-23 में दूसरी जगह शामिल किया गया है । कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं का अनुपालन करते हुए भारतीय लेखा मानकों ('भारतीय लेखा मानक') के अनुसार कंपनी के वित्तीय विवरणी को तैयार किया गया हैं।

वैश्विक अर्थव्यवस्था

एक अनुमान के तहत वर्ष 2023 की तुलना में वैश्विक सकल विकास उत्पाद (जीडीपी) का दर 3.4% से घटकर वर्ष 2022 में 2.8% होने की सम्भावना है । रूस-यूक्रेन के बीच जारी युद्ध तथा सेंट्रल बैंकों के बढ़ते दरों से आर्थिक गतिविधियों पर महंगाई का असर पड़ रहा है। इस संघर्ष के नतीजे स्पष्ट रूप से व्यापार – सम्बन्धी तथा ऊर्जा के स्रोतों की बढ़ती कीमतों पर दिखाई दे रहे है, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर वैश्विक ऊर्जा संकट पैदा हुई साथ ही विकास के पथ से भी विचलित होना पड़ा । इसका प्रभाव समस्त पृथ्वी पर पड़ा, परन्तु इनमें सबसे अधिक नुकसान यूरोप को हुआ । जैसे ही यूरोप ने अभूतपूर्व ऊर्जा संकट का सामना किया, दुनिया भर में लोगों को ऊर्जा के लिए आत्मनिर्भरता के महत्व का एहसास हुआ और इसके परिणामस्वरूप, समस्त देशों ने अपने जलवायु - लक्ष्यों को आगे बढ़ाया।

हालाँकि, वर्तमान में सकारात्मक विकास हुआ है जो एक अच्छी खबर है। एक अनुमान के तहत यह बताया गया की वर्ष 2024 में वैश्विक आर्थिक विकास की मंदी में सुधार होगा, जो एक सुखद संकेत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा विश्व आर्थिक दृष्टिकोण से अप्रैल 2023 के संस्करण में विकास दर वर्ष 2022 में 3.4 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2023 में 2.8% होने की सम्भावना है तथा वर्ष 2024 में 3.0% पर स्थिर रहने का अनुमान है ।

भारतीय अर्थव्यवस्था

वर्ष 2022 में, जब दुनिया भर के देश लगातार मुद्रास्फीति एवं बढ़ते ब्याज दर के बीच अपने आर्थिक विकास पथ को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे, वहीँ भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील देशों के मध्य सबसे सबसे तीव्र गति से निरंतर बढ़ती रही । वित्त वर्ष 2013 में घरेलू नेतृत्व वाली वृद्धि के कारण भारत ने 6.8% (स्रोत: आईएमएफ विश्व आर्थिक आउटलुक अनुमान, अप्रैल 2023) की जीडीपी वृद्धि दर्ज करके एक उज्ज्वल स्थान प्राप्त किया है । जीडीपी से जुड़े होने के कारण बिजली की मांग बढ़ रही है, जो वित्त वर्ष 2013 में ~10% के वृद्धि के साथ (132 बीयू) हो गई । वित्तीय वर्ष 2023 के प्रथम तिमाही में तीव्र गति से आर्थिक गतिविधियों के पुनरुद्धार के कारण बिजली की मांग में अचानक वृद्धि हुई । वर्ष 2022 के अप्रैल माह में 216 गीगावॉट के सर्वाधिक मांग के रिकॉर्ड के कारण बिजली के आपूर्ति पर दबाव पड़ा। बिजली संकट ने थर्मल पावर पर हमारी निर्भरता को सामने ला दिया है, जिससे पश्चात थर्मल पॉवर पर कंपनियों की रुचि पुनः देखी जा सकती है । कई सार्वजनिक उपक्रम तथा निजी कंपनियों ने स्ट्रेस्ड थर्मल संपत्तियों को अधिग्रहण किया है ।

क. उद्योग संरचना और विकास

i) कोयला- ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत:

हमारे देश के प्रमुख स्वदेशी ऊर्जा श्रोतों में से अभी भी कोयला प्रथम स्थान पर स्थित है। देश की ऊर्जा सुरक्षा और इसकी समृद्धि कोयले से जुड़ी हुई है, जो प्रचुर, किफायती और निर्भर ईंधन में उपयोग की जाने वाली एक कुशल और प्रभावी सामग्री है। कोयले पर हमारी निर्भरता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत में स्थापित कुल बिजली की क्षमता का लगभग 55% अभी भी कोयले पर ही आधारित है। भारत के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 80% उत्पादन सीआईएल द्वारा किया जाता है तथा यह अकेले ही अपने 40% योगदान के साथ प्राथमिक वाणिज्यिक ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करता है। चूंकि, भारत ने आगामी वर्षों में अपनी बिजली के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें कोयले की भागीदारी अति- महत्वपूर्ण मानी जा रही है। "भारत में कोयले की मांग: 2030 और उससे आगे" पर ड्राफ्ट नीति आयोग रिपोर्ट (नवंबर'21) के अनुसार, भारत में बिजली उत्पादन में कोयले की मांग यथास्थिति रहेगी एवं निकट भविष्य में भी यह निरंतर बढ़ती रहेगी । प्रतिशत के संदर्भ में, कुल ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा शामिल होने के कारण ऊर्जा मिश्रण में कोयले की भागेदारी जो वर्तमान स्थिति में 72% है, घटकर 2030 तक 52%, 2035 तक 43% तथा 2040 तक 34% हो जाने की संभावना है। उपलब्धता की दृष्टि से, कोयला भारत में उपलब्ध सबसे प्रचुर जीवाश्म ईंधन है। दिनांक 01.04.22 तक भारत में कोयले के भूवैज्ञानिक संसाधन की मात्रा 362 बिलियन टन से अधिक हैं। उत्पादन की वर्तमान स्थिति के

अनुसार, मांग की पूर्ति हेतु हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कोयले का भंडार उपलब्ध हैं।

देश की सम्पूर्ण आबादी को अच्छी, सस्ती एवं निरंतर बिजली उपलब्ध कराना ही भारत सरकार का लक्ष्य है। हालाँकि, पिछले कुछ वर्षों में गैर-कोयला स्रोतों, विशेष रूप से नवीकरणीय स्रोतों का अनुपात बढ़ा है, इसके बावजूद निकट भविष्य में भी कोयले को ही भारत में बिजली उत्पादन का एक प्रमुख ईंधन स्रोत माना जा रहा है । वर्तमान तिथि में भारत, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है, जिसने वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगभग 893.08 मिलियन टन (मिलियन टन) कोयले का उत्पादन किया है । भारत के कोयला क्षेत्र में कोल इंडिया लिमिटेड तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अपने सात पूर्ण- स्वामित्व वाले कोयला उत्पादक सहायक कंपनियों तथा एक खदान योजना और कंसल्टेंसी कंपनी के साथ, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान लगभग 703.21 मीट्रिक टन के कुल उत्पादन के साथ कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने खुद को विश्व की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी के स्थान पर आपना नाम दर्ज कराया है, जो देश में उत्पादित कुल कोयले का लगभग 78% है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) एवं उसकी सहायक कंपनियों का उत्पादन जहाँ 622.63 मिलियन टन था, वही वित्तीय वर्ष 2022-23 में 12.94% की वृद्धि के साथ 703.21 मिलियन टन हो गया, जो एक सकारात्मक संकेत है।

कोयला, आज भी भारत में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है, जो घरेलू ऊर्जा की आवश्कताओं को पूरा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है तथा भविष्य में भी कोयला हमारे देश की ऊर्जा- आपूर्ति का मुख्य आधार बना रहेगा। कोयला, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तेजी लाने का सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है। भारत की कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का 40% कोयले से ही पूरा किया जाता है। भारत, पूरे विश्व में दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है तथा कोयला भंडार के मामले में हमारा देश दुनिया में चौथे स्थान पर स्थित है, जो पर्याप्त कोयला उपलब्ध कराने के साथ-साथ औद्योगिक विकास की आवशयकताओं को पूरा करने पर ध्यान देता है। देश के कोयला खनन व्यवसाय की वृद्धि 2023-24 तक प्रतिस्थापन योग्य कोयला आयात को समाप्त करने के सरकार के निर्णय से प्रेरित है। इसके अतिरिक्त, नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर देने के बावजूद, देश में कोयले की मांग वर्ष 2030 तक 1.3-1.5 बिलियन टन के बीच रहने की सम्भावना है।

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने 2025-26 तक सीआईएल खदानों से एक बिलियन टन कोयला उत्पादन की लक्ष्य प्राप्ति के शुभ अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित करने की परिकल्पना की है। सीआईएल ने कोयला उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए हैं।

- माइन डेवलपर – सह - ऑपरेटर मोड द्वारा संचालित की जाने वाली लगभग 160 एमटीपीए (मिलियन टन प्रति वर्ष) की क्षमता वाली 15 परियोजनाओं को चिन्हित किया गया ।
- पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) 2006 के खंड 7(ii) के तहत विशेष छूट के माध्यम से पर्यावरणीय मंजूरी के अंतर्गत कोयले की क्षमता में वृद्धि करना ।
- सीआईएल ने 'फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी' परियोजनाओं के तहत मशीनीकृत कोयला परिवहन एवं लोडिंग प्रणाली को उन्नत करने हेतु कदम उठाए हैं।

ii) सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड- कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी ।

01.04.2022 तक सीसीएल कमान क्षेत्र के सीआईएल ब्लॉकों में भूवैज्ञानिक कोयला भंडार

(मि. टन में)

	प्रमाणित	सूचित	अनुमानित	कुल
कुल कोयला भंडार	17325.25	4991.95	390.82	22708.02

भारत में अनुमानित 361.411 बिलियन टन कोयले के भूवैज्ञानिक संसाधनों में से, सीसीएल कमान क्षेत्र के सीआईएल ब्लॉक में दिनांक 01.04.2022 तक 22.708 बिलियन टन कोयले का भंडार है, जो भारत में कुल रिजर्व का 6.28% है।

iii) कोयले की मांग:

वर्ष 2023-24 में कोयले की मांग निम्न सारणी में सूचित है।

खंडवार ब्यौरा निम्नलिखित हैः

(मि. टन में)

प्रक्षेत्र	2023-24
स्टील (कोकिंग)	अनुबंध के अनुसार
विद्त (यु)	99.63
विद्त (स्वपयोगी)	1.77
उर्वरक	0.21
सीमेंट	0.10
स्टील सीपीपी तथा सीपीएसयू	1.42
अन्य	2.95
कुल	**106.08**

iv) कोयला प्रेषण

वर्ष 2022-23 के दौरान प्रक्षेत्रवार कोयले का प्रेषण 75.49 मिलियन टन रहा है:

(आंकड़े मिलियन टन में)

प्रक्षेत्र	2016-17 वास्तविक	2017-18 वास्तविक	2018-19 वास्तविक	2019-20 वास्तविक	2020-21 वास्तविक	2021-22 वास्तविक	2022-23 वास्तविक
विद्त	45.55	49.589	52.378	53.134	52.896	59.17	64.56
स्टील (स्टील सीपीपी सहित)	2.639	2.027	1.600	1.961	1.236	1.477	1.76
उर्वरक	0.221	0.148	0.087	0.143	0.13	0.115	0.11
अन्य*	12.165	17.080	14.611	12.883	11.006	11.28	9.06
कुल	**60.575**	**68.844**	**68.677**	**68.121**	**65.268**	**72.04**	**75.49**

* अन्य के अंतर्गत ई- नीलामी, पूर्व गैर- उपभोगता, स्पंज आयरन तथा राज्य एजेंसियां शामिल है ।

v) कोयले की उपलब्धता

वर्तमान खदानों से वर्ष 2022-23 के दौरान सीसीएल द्वारा वास्तविक कोयला उत्पादन, वर्ष 2023-24 के लिए ड्राफ्ट एएपी के अनुसार मौजूदा खदानों, पूर्ण परियोजनाएं, चालू परियोजनाओं एवं भावी परियोजना ओं से बजटीय उत्पादन का ब्यौरा निम्नलिखित है :

(आंकड़े मिलियन टन में)

समूह	2017-18 वास्तविक	2018-19 वास्तविक	2019-20 वास्तविक	2020-21 वास्तविक	2021-22 वास्तविक	2022-23 वास्तविक	2023-24 (एएपी)
वर्तमान खदान	0.302	0.367	0.4789	0.18	0.146	0.13	0.10
पूर्ण परियोजनाएं	40.450	42.107	36.0946	31.89	11.269	13.42	15.85
चालू परियोजनाएं	22.653	26.247	30.315	30.52	57.436	62.54	68.05
आगामी परियोजनाऐं	-	-	-	-	-	0	0
कुल	**63.405**	**68.72**	**66.889**	**62.59**	**68.850**	**76.09**	**84.00**

* नोट: समूहवार उत्पादन स्थिति में बदलाव आ सकता है यदि कोई चालू परियोजना पूर्ण परियोजना में तथा भावी परियोजना चालू परियोजना में परिणत हो जाती है ।

vi) उत्पादकता:

सीसीएल में प्रति व्यक्ति उत्पादन की स्थिति निम्नांकित है :

(आंकड़े मिलियन टन में)

	2016-17 वास्तविक	2017-18 वास्तविक	2018-19 वास्तविक	2019-20 वास्तविक	2020-21 वास्तविक	2021-22 वास्तविक	2022-23 वास्तविक
भूमिगत	0.294	0.194	0.214	0.54	0.44	1.17	2.13
खुली खदान	9.808	9.372	9.740	10.06	9.57	10.16	10.68
समग्र	**7.235**	**7.195**	**8.093**	**8.49**	**8.39**	**9.37**	**10.22**

vii) ताकत एवं कमजोरियां, अवसर एवं खतरे

ताकत	कमजोरी
➢ आकूत कोयला भंडार तथा वृहत उत्पादन की संभावना। कोयला भंडार में गैर-कोकिंग कोल (बिजली संयंत्रों में प्रयुक्त) के साथ-साथ कोकिंग कोल (इस्पात संयंत्रों में प्रयुक्त) भी शामिल है। ➢ प्रायः सभी कोल ब्लॉकों में आधारभूत संरचना की उपलब्धता: चूँकि, सीसीएल के समस्त कोयला क्षेत्रों में काफी अच्छी रेल व सड़क नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध है इसलिए लोगों और मशीनरी के सुचारू परिवहन के साथ-साथ परियोजनाओं की योजना और कार्यान्वयन का काम आसानी से हो जाता है। यह रेल और सड़क नेटवर्क कोयले की आवाजाही को तीव्र गति से उपभोक्ताओं तक पहुंचता है। ➢ अनुभवी कुशल श्रमशक्ति की पर्याप्त उपलब्धता : सीसीएल 45 वर्षों से अधिक समय से कोयला खनन के व्यवसाय में है। दिनांक 31.03.2023 को श्रमशक्ति की कुल संख्या 34975 है, जिसमें कुशल एचईएमएम ऑपरेटर के साथ-साथ विभिन्न विभागों और ट्रेडों की श्रमशक्ति की संख्या सम्मिलित है, जो अपने कार्य में निपुण हैं। ➢ सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग: खनन क्षेत्रों की सुदूरता तथा विश्वसनीय नेटवर्क बुनियादी की अनुपस्थिति के कारण प्रारंभिक दिनों में आईटी पहल का कार्यान्वयन व संचालन हमारे लिए एक चुनौती था । हालाँकि, पिछले 10 वर्षों के दौरान, कई महत्वपूर्ण पहल ली गई हैं तथा दिनांक 31.03.2023 तक समस्त क्षेत्रों को मोबाइल कनेक्टिविटी और केंद्रीकृत इंटरनेट लीज्ड लाइन की सेवाओं से लैस किया गया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के पास दो प्रमुख प्रतिष्ठित सेवा प्रदाताओं से प्राप्त अपना वैन (वाइड एरिया नेटवर्क) है, जो कनेक्टिविटी में अधिकता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त ईआरपी और ई-ऑफिस में काम करने के लिए सभी उपयोगकर्ताओं को स्ट्रक्चर्ड लैन (लोकल एरिया नेटवर्क) की सुविधा प्रदान की गयी, जिससे सूचना के आदान-प्रदान के साथ डेटा-आधारित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में तेजी आई । ➢ कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने की संख्या बहुत कम है : चूँकि, सीसीएल के कर्मचारियों को दिया जाने वाला वेतन/ मजदूरी कोयला खनन उद्योग के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए, सीसीएल में कर्मचारियों के नौकरी परित्यागकों की संख्या अत्यंत कम है। वित्त वर्ष 2007-08 से अधिकारियों के लिए शुरू किए गए प्रदर्शन संबद्ध भुगतान तथा कर्मचारियों के लिए वेतन समझौता ने सीसीएल के कार्मिकों का मनोबल बढ़ाया है। ➢ विकास तथा वित्तीय प्रदर्शन का मजबूत एवं सिलसिलेवार ट्रैक-रिकॉर्ड।	➢ खोज किये गए अधिकांश नए कोल ब्लॉक वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसके लिए वन मंजूरी, एफआरए तथा वाइल्ड लाइफ आदि जैसी वैधानिक मंजूरी की आवश्यकता होगी। यह मंजूरी जटिल प्रक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त होती हैं साथ ही इनमें काफी समय भी लगता है। ➢ सीसीएल के कमान क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व काफी अधिक होने के कारण परियोजनाओं के प्रारंभ होने में विलंभ होती है इसलिए in क्षेत्रों में बेहतर आर एंड आर गतिविधियों की आवश्यकता होती है । ➢ गैर- मजरुआ जेजे भूमि, फॉर्म-एच, सीएस/आरएस, संदिग्ध स्वामित्व, ओवरलैपिंग आदि जैसे विभिन्न मुद्दों के कारण सीसीएल में भूमि – अर्जन का कार्य काफी मुश्किल है। इन सभी मुद्दों के कारण परियोजनाओं के प्रारंभ होने में देरी होती है। ➢ पुराने तरह के कामकाज, आग और घटाव, अत्यधिक गड्ढे में उपलब्ध कोयला, अनेक प्रकार के सीम आदि के कारण भू-खनन की प्रक्रियाओं में कठिनाईयां होती हैं । ➢ चूँकि, भारत में खदानों की प्रकृति बहाव से सम्बंधित है इसलिए अन्य देशों की तुलना में यहाँ के कोयले की गुणवत्ता अपेक्षाकृत कम है। ➢ कर्मचारियों द्वारा वेतन वृद्धि की निरंतर बढ़ती मांग से कोयले की लागत में वृद्धि होगी जिसका प्रभाव कंपनी के लाभ पर पड़ेगा ।

ताकत	कमजोरी
➢ कोयले की मांग भारत में दिन-ब-दिन तेजी से बढ़ती जा रही है और यह उम्मीद है कि भविष्य में कोयले की मांग-आपूर्ति का अंतर बढ़ने की संभावना है और इस प्रकार बाजार में अवसर दिन-ब-दिन बढ़ते और विस्तारित होते जा रहे हैं। ➢ उत्पादन प्रक्रियाओ की आउटसोर्सिंग: सीसीएल ओबीआर हटाने और कोयला उत्पादन की आउटसोर्सिंग का भी सहारा ले सकता है, जिसमें विभागीय क्षमता का पहले से ही उपयोग किया जा रहा है या विभागीय उपकरणों की तैनाती किफायती नहीं है। यहां तक कि सीमांत जमा और थिन सीम ऑपरेशन आउटसोर्सिंग के माध्यम से विभागीय ससाधनों की तुलना में बहुत सस्ती कीमत पर किए जा सकते हैं। ➢ आकार बदलने, धोने या तरल और गैस में रूपांतरण के माध्यम से अपने उत्पादों के मूल्यवर्धन के अवसर: धुले हुए कोकिंग कोल की कीमत खनन किए गए कोकिंग कोल की कीमत से तीन-चार गुना अधिक है । परियोजनाओं की उपलब्ध क्षमता से अधिक मूल्य अंतर का लाभ उठाने के लिए कंपनी की विभिन्न वाशरीज़ इस पर काम करती हैं। ➢ कोयले से तरल तथा कोयले से गैस बनाने वाले प्रौद्योगिकियों को अपनाकर कोयले से कम कार्बन छोड़ने वाले कोयले के वैकल्पिक उपयोग को बढ़ावा देने की व्यापक प्रक्रिया जारी है । ➢ चूंकि तेजी से विकसित हो रही नवीकरणीय ऊर्जा को कोयला क्षेत्र के लिए खतरा माना जा रहा है, इसलिए इसे (सौर में विविधीकरण) को एक अवसर के रूप में उल्लेख करना उचित नहीं होगा। अतः इस वाक्य को पुनः इस प्रकार लिखा जा सकता है - 'सीसीएल के पास पुनरुद्धार भूमि का एक विशाल क्षेत्र उपलब्ध है जिनका उपयोग इको-पार्क, पर्यटन, औद्योगिक/व्यावसायिक केंद्र, पंप हाइड्रो, सौर-ऊर्जा आदि जैसे विभिन्न व्यावसायिक कार्यों (निबल की शून्य लक्ष्य प्राप्ति) हेतु किया जा सकता है ।	➢ जलवायु परिवर्तन के विषय पर जीवाश्म ईंधन के उपयोग को नियंत्रण लाने के लिए पेरिस समझौते और ग्लासगो में आयोजित COP26 का अनुपालन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का दबाव है, जिनका लक्ष्य जीवाश्म ईंधन के उपयोग को वर्ष 2070 तक शून्य करना है । ➢ ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से विश्वव्यापी अनुसंधान के परिणामस्वरूप सस्ते और हरित ऊर्जा स्रोतों के रूप में हाइड्रोजन ईंधन, परमाणु संलयन, भू-तापीय ऊर्जा आदि जैसी विघटनकारी प्रौद्योगिकियों का विकास हो सकता है जिसके फलस्वरूप कोयले की मांग में तेजी से गिरावट आ सकती है। ➢ अक्षय ऊर्जा: अक्षय ऊर्जा ससाधनों (सौर, हाइडल विंड आदि) का तेजी से विस्तार खनन उद्योग के लिए एक खतरा है। ➢ भारत में कोयले में कैप्टिव खनन की अनुमति अब प्राप्त हो चुकी है, साथ ही कई निजी कंपनियों को कोयला ब्लॉक आवर्टित किए जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप आने वाले समय में मांग कम हो सकती है। ➢ आगामी निजी कंपनियां बेहतर वेतन, भत्तों व अन्य सुविधाओ के माध्यम से कंपनी के अत्यधिक कुशल कर्मचारियों को नियुक्त कर सकती हैं।

ख. कार्य निष्पादन

वर्ष 2021-22 के वास्तविक आंकडे की तुलना मे वर्ष 2022-23 के दौरान आपकी कंपनी द्वारा उत्पादन एवं उत्पादकता के क्षेत्र में निम्नलिखित उपलब्धियां है:

विवरण	2022-23		2021-22	विगत वर्ष पर प्रतिशत वृद्धि
	लक्ष्य	वास्तविक	वास्तविक	
उत्पादन				
खुली खदान से (मि.ट.)	75.130	75.224	68.091	10.477
भूमिगत खदान से (मि.ट.)	0.870	0.863	0.755	14.240
कुल (मि.ट.)	**76.000**	**76.087**	**68.846**	**10.518**
ओबीआर (क्यू.मी.)	**126.000**	**106.581**	**100.066**	**6.511**
धुली कोयला (कोकिंग) (मि.ट.)				
उत्पादन(मि.ट.)	0.965	0.722	0.400	80.386
प्रेषण (मि.ट.)	0.965	0.709	0.528	34.281
धुली कोयला (नन-कोकिंग) (मि.ट.)				
उत्पादन (मि.ट.)	5.700	3.665	4.267	-14.113
प्रेषण (मि.ट.)	5.700	3.691	4.213	-12.398
परिष्कृत कोयला पॉवर (कोकिंग)				
उत्पादन(मि.ट.)	1.377	0.732	0.625	17.150
प्रेषण (मि.ट.)	1.377	0.798	0.755	5.721
उत्पादकता (ओएमएस- टीई)				
खुली खदान	11.72	10.68	10.16	
भूमिगत खदान	0.84	2.13	1.17	
समग्र	**10.20**	**10.22**	**9.37**	

वर्ष 2022-23 के दौरान कच्चे कोयले का कुल उठाव 75.02 मि. टन है। विगत वर्ष की तुलना में खंडवार कोयले का उठाव इस प्रकार है।

(आंकड़े मिलियन टन में)

साधन	2022-23	2021-22	विगत वर्ष पर वृद्धि
रेल	43.92	48.92	-10.22%
रोड	25.74	17.38	48.16%
वाशरी फीड	5.36	5.51	-2.72%
कुल निकासी	**75.02**	**71.81**	**4.48%**

विभिन्न वाशरियों में कच्चे कोयले की फीड खपत के कारण (कोकिंग+ नॉन कोकिंग)
सभी आंकड़े लाख टन में

वाशरी	2021-22		2022-23		कारण
कोकिंग	प्राप्त कच्चा कोयला	कच्चे कोयले की खपत	प्राप्त कच्चा कोयला	कच्चे कोयले की खपत	
कथारा, (3.0 मि. टन)	3.67	5.32	4.58	2.91	कथारा वाशरी की स्थापना वर्ष 1969 में हुई और यह वाशरी 54 वर्ष पुरानी है। कथारा खुली खदान परियोजना से सम्बंधित खदानों में सीटीओ की अनुपलब्धता के कारण जून'22 के अंत से नवंबर'22 के अंतिम सप्ताह तक उत्पादन बंद कर दिया गया था। अब सीटीओ की मंजूरी के बाद उत्पादन में तेजी आई है तथा वित्त वर्ष 2023-24 में लक्ष्य पूरा होने की उम्मीद है।
स्वांग (0.75 मि. टन)	1.93	1.93	2.12	2.01	वाशरी की स्थापना 1970 में हुई और यह 53 वर्ष पुरानी है। कथारा खुली खदान परियोजना से सम्बन्धी खदानों में सीटीओ की अनुपलब्धता के कारण उत्पादन प्रभावित हुआ। वर्तमान स्थिति में सीटीओ की मंजूरी के पश्चात उत्पादन में वृद्धि हुई है जिससे वित्त वर्ष 2023-24 में लक्ष्य पूरा होने की सम्भावना है।
रजरप्पा (3.0 मि. टन)	8.82	0.00	4.62	2.33	वाशरी 1987 में चालू की गई और यह वाशरी 36 वर्ष पुरानी है। परिष्कृत कोयले के खिलाफ इस्पात क्षेत्र द्वारा उठाई गई गुणवत्ता संबंधी प्रश्नों के कारण फरवरी 2021 से रजरप्पा वाशरी का संचालन बंद कर दिया गया था। जिग्स को बदलने तथा साइक्लोन सर्किट व थिकनर के पुनरुद्धार हेतु प्रमुख नवीनीकरण का कार्य किया गया है। दिनांक 12 अगस्त 2022 से रजरप्पा वाशरी के ट्रायल (जांच) की प्रक्रिया जारी है तत्पश्चात पीजीटी का भी काम प्रगति पर है। जिससे प्रारंभिक समस्याएं दूर हो रही है।
केदला (2.6 मि. टन)	4.68	4.87	9.36	9.32	वाशरी 1997 में प्रारंभ की गयी थी और यह वाशरी 26 वर्ष पुरानी है। केदला वाशरी ने पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कच्चे कोल फ़ीड एवं परिष्कृत कोयले के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि प्राप्त की है। हालाँकि, तक किये गए लक्ष्य के अनुकूल अभी भी वॉशरी को कच्चे कोयले की आपूर्ति कम हो रही है।
कुल	**19.10**	**12.12**	**20.71**	**16.584**	कुल मिलाकर खपत कम है क्योंकि सभी वाशरी अपने तकनीकी जीवन (यानी 18 वर्ष) को पार कर चुके हैं और सीसीएल में वाशरी की औसत आयु लगभग 45 वर्ष है।

गैर-कोकिंग	प्राप्त कच्चा कोयला	कच्चे कोयले की खपत	प्राप्त कच्चा कोयला	कच्चे कोयले की खपत	
पिपरवार (6.5 मि. टन)	44.0	43.01	36.18	37.01	वाशरी को 1997 में चालू किया गया था और यह 26 साल परानी है। वित्त वर्ष 2022-23 में कच्चे कोयले की कम आपूर्ति। वित्त वर्ष 2021-22 में, बिजली क्षेत्र की वजह से कम खपत, एमओईएफ दिनांक 21.05.2020 की राजपत्र अधिसूचना के बाद 34% राख से 500 किलोमीटर से अधिक की दूरी के साथ कोयले के परिवहन में छूट के लिए वाश्ड पावर कोयला लेने के लिए अनिच्छुक है।
कुल	**44.0**	**43.01**	**36.18**	**37.01**	

(ग) दृष्टिकोण

2023-24 में कोल इंडिया 780 मिलियन टन कोयला उत्पादन हासिल करने के लिए प्रयासरत है, जिसमें सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड 84 मीट्रिक टन कोयले का योगदान देगा । आपकी कंपनी की प्रमुख परियोजनाए जैसे मगध ईपीआर ओसीपी (51 मि. ट. प्रति वर्ष), आम्रपाली ईपीआर ओसीपी (25 मि. ट. प्रति वर्ष), अशोक इपीआर ओसीपी (20 मि. ट. प्रति वर्ष), संघमित्रा ओसीपी (20 मि.ट. प्रति वर्ष), चन्द्रगप्त ओसीपी (15 मि.ट. प्रति वर्ष), कारो ईपीआर ओसीपी (11 मि. ट. प्रति वर्ष), रोहिणी करकट्टा ओसीपी (10 मि.ट. प्रति वर्ष), कोनार ईपीआर ओसीपी (8 मि. ट. प्रति वर्ष), उत्तरी उरीमारी ओसीपी (7.5 मि.ट. प्रति वर्ष), पुंडी आरओ ओसीपी (5 मि.ट. प्रति वर्ष) एवं कोटरे बसंतपुर पचमो ओसीपी (5 मि.ट. प्रति वर्ष) से भी निकट भविष्य में महत्वपू र्ण योगदान की उम्मीद है।

(घ) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनका उपयोग

कंपनी ने अपने आकार और व्यवसाय की प्रकृति के अनरूप आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और प्रक्रियाएं स्थापित की हैं। सांविधिक आवश्यकता के साथ-साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को पूरा करने की दिशा में चार्टर्ड /लागत लेखाकारों की बाहरी लेखा परीक्षा फर्मों द्वारा "लेन-देन लेखा परीक्षा" की एक प्रणाली पूरे वर्ष चल रही है। आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यों के लिए संगठन के संचालन के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए, सीआईएल द्वारा तैयार और विनियमित अच्छी तरह से परिभाषित है ।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को मजबूत करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए और सांविधिक प्रावधान को पूरा करने के लिए, बाहरी ऑडिट फर्मों द्वारा वार्षिक आधार पर स्टोर / पुर्जों का भौतिक सत्यापन किया जाता है।

सीएजी की निरीक्षण रिपोर्ट आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने के हमारे उपायों का हिस्सा है। सीएजी की टिप्पणियों का नियमित आधार पर जवाब दिया जाता है। जब भी आवश्यक समझा जाता है, उपचारात्मक उपाय करने के लिए टिप्पणियों का अच्छी तरह से ध्यान रखा जाता है।

(ङ) संचालन कार्य निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा

मुख्य प्रतिवेदन में समाहित।

(च) मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध में भौतिक विकास, जिसमें नियुक्त कर्मचारियों की संख्या भी सम्मिलित है

मुख्य प्रतिवेदन में समाहित।

(छ) पर्यावरण संरक्षण, प्रौद्योगिकी संरक्षण, नवीकरणीय उर्जा विकास, विदेशी मुद्रा विनियम संरक्षण

मुख्य प्रतिवेदन में समाहित।

(ज) नैगमिक सामाजिक दायित्व

मुख्य प्रतिवेदन में समाहित।

(झ) गोइग कंसर्न

वित्तीय वक्तव्यों की निर्माण में गोइग कंसर्न का पूर्वानमान बुनियादी सिद्धांत है । गोइंग कंसर्न पूर्वानमान के अतंर्गत, एक इकाई को समान्यतः प्रत्याशित भविष्य मे व्यवसाय में बने रहने की क्षमता को देखा जाता है , जिसमे न तो तरलीकरण की इच्छा या आवश्यकता, व्यापार बंद करना या विधि या परिनियमों के अनुसार लेनदारों से सुरक्षा की मांग करना है ।

उपर्युक्त उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, कंपनी ने कोयले की अनुमानित मात्रा के उत्पादन और उसके प्रेषण के लिए अवसंरचना निवश योजना भी तैयार की है ।

प्रबंधन ने प्रदर्शन को प्रभावित करने पर प्रत्याशित प्रभाव को निर्धारित करने के लिए कई परिदृश्यों का आकलन किया है । गोइंग कंसर्न मूल्यांकन के एक अंश के रूप में, प्रबंधन ने समसामयिक घटनाओं एवं परिस्थितियों सहित कोविड 19 महामारी के प्रभाव का आकलन किया है तथा उन महत्वपूर्ण पूर्वानुमानों पर ध्यान दिया है जो कि ऐतिहासिक परिपाटी में संभावित बदलाव या असंगत है या संवेदनशील है । कंपनी के गोइंग कंसर्न के रूप में परिचालित रहने की क्षमता पर विषयक निर्णय यथोचित पूर्वानुमानों तथा कंपनी की आन्तरिक एव संदर्भों को बदलते परिदृश्य अनुसार प्रबंधन द्वारा विकसित तार्किक धारणा पर आधारित है ।

ऐतिहासिक वित्तीय परिणामों और वर्तमान आर्थिक और बाजार की परिस्थितियों और संकेतकों के आधार पर, यह स्पष्ट होता है कि सीसीएल का परिचालन भविष्य में लाभदायक बना रहेगा तथा संगठन के गोइग कंसर्न पर कोई प्रभाव दृष्टिगत नहीं होता है।

(ञ) सचेतक विवरण

प्रबधन परिचर्चा और विश्लेषण तथा निदशकीय प्रतिवेदन में नियत कंपनी का उद्देश्य, प्रक्षेपण एवं प्राक्कलन, प्रत्याशा और भविष्य कथन आदि विवरण "लागू नियमों और विनियमों के अनसार अग्रिम एवं प्रगतिशील विवरणी हैं। यहा प्रदत्त अग्रिम विवरणी जोखिम और अनिश्चितता के अध्याधीन है जिसके कारण वास्तविक भौतिक परिणाम अग्रिम विवरणी में प्रदत्त विवरण से भिन्न हो सकते है । यहा व्यक्त या निहित परिणाम आर्थिक परिदृश्य पर निर्भर करते हैं तथा वास्तविक परिणाम से भिन्न हो सकते हैं।"

₹ वित्तीय विवरण

दिनांक 31.03.2023 को परिसंपत्तियों तथा देयताओं का स्टैंडअलोन विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण		31.03.2023 को (अंकेक्षित)	31.03.2022 को (अंकेक्षित)
ए.	**इक्विटी एवं देयताएं**			
1.	शेयरधारक का निधि			
	(क)	इक्विटी शेयर पूंजी	940.00	940.00
	(ख)	अन्य इक्विटी	9,377.49	7,471.98
	(ग)	शेयर वारंट के बदले प्राप्त धनराशि	—	—
	उप-कुल शेयरधारक का निधि		**10,317.49**	**8,411.98**
2	शेयर अनुप्रयोग धन का लंबित आवंटन		—	—
3	गैर नियंत्रण ब्याज		—	—
4	गैर चालू देयताएं			
	(क)	वित्तीय देयताएं	232.21	124.13
	(ख)	आस्थगित कर देयता (निबल)	—	—
	(ग)	अन्य गैर-चालू देयता	452.98	497.13
	(घ)	प्रावधान	5334.98	5,118.65
	उप-कुल गैर-चालू देयताएं		**6,020.17**	**5,739.91**
5	चालू देयताएं			
	(क)	वित्तीय देयताएं	2,529.74	2,609.57
	(ख)	आस्थगित कर देयता (निबल)	—	—
	(ग)	अन्य गैर-चालू देयता	4,466.99	3,116.14
	(घ)	प्रावधान	2,174.46	833.75
	उप-कुल चालू देयताएं		**9,171.19**	**6,559.46**
	कुल-इक्विटी एवं देयताएं -		**25,508.85**	**20,711.35**
बी.	**परिसंपत्तियां**			
1	गैर चालू परिसंपत्तियां			
	(क)	स्थाई परिसंपत्ति	8,070.06	7,232.06
	(ख)	समेकन सदभाव	—	—
	(ग)	आस्थगित कर परिसंपत्ति (निबल)	504.96	679.47
	(घ)	वित्तीय परिसंपत्ति	1,993.62	1,719.10
	(ड.)	अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपत्ति	3,056.25	2,287.17
	उप-कुल चालू परिसंपत्ति		**13,624.89**	**11,917.80**

2	चालू परिसंपत्तियां			
	(क)	वित्तीय परिसंपत्तियां	7,263.85	4,390.16
	(ख)	भंडार सूची	1,144.30	1,031.34
	(ग)	अन्य चालू परिसंपत्तियां	3,408.40	3,217.69
	(घ)	चालू कर परिसंपत्तियां (निबल)	67.41	154.36
	उप-कुल - **चालू परिसंपत्ति**		**11,883.96**	**8,793.55**
	कुल - परिसंपत्ति		**25,508.85**	**20,711.35**

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

निदेशक मंडल के लिए एवं उसकी ओर से

कृते एसपीएएन एन्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या 302192E)

ह/-
(पी एम प्रसाद)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08073913

ह/-
(पवन कुमार मिश्रा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन- 09665365

ह/-
सीए. के. चक्रवर्ती
पार्टनर
सदस्यता सं 015363

ह/-
(राजेन्द्र सिंह)
महाप्रबंधक (वित्त)

ह/-
(अमरेश प्रधान)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं F11264

स्थान : रांची
दिनांक : 27 अप्रैल, 2023

दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलोन परिणामों का विवरण

(₹ करोड़ में शेयर तथा ईपीएस को छोडकर)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			वर्ष के अंत तक	
		31.03.2023	31.03.2022	31.12.2022	31.03.2023	31.03.2022
		अन-अंकेक्षित	अन-अंकेक्षित	अन-अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित
1	**संचालन से आय**					
	सकल विक्रय	6,401.67	6,122.32	5,563.81	22,720.19	18,585.25
	घटाव - अन्य लेवी	2,136.06	2,024.94	1,856.21	7,493.98	6,233.12
	(1) **निबल विक्रय/संचालन से आय (लेवी का निबल)**	4,265.61	4,097.38	3,707.60	15,226.21	12,352.13
	(2) अन्य संचालित आय	316.77	316.55	286.38	1,152.99	1,134.29
	संचालन से कुल आय(निबल) (क +ख)	4,582.38	4,413.93	3,993.98	16,379.20	13,486.42
2	**व्यय**					
	(क) उपयोग किए गए सामान का लागत	335.78	311.38	285.72	1,170.83	855.15
	(ख) तैयार वस्तुओं की भंडार सूची में परिवर्तन, उन्नति कार्य एवं स्टॉक इन ट्रेड	(470.53)	(350.94)	(24.52)	(81.81)	278.86
	(ग) कर्मचारी लाभ व्यय	2,557.75	1,384.81	1,588.01	7,222.70	5,476.09
	(घ) मूल्यह्रास/परिशोधन/हानि	213.98	180.00	170.06	682.96	647.55
	(ङ) बिजली और ईंधन व्यय	72.89	68.29	68.04	265.88	261.55
	(च) सीएसआर व्यय	28.30	24.89	10.75	43.39	53.14
	(छ) मरम्मत	90.82	130.97	59.12	243.10	273.20
	(ज) ठेका व्यय	477.64	544.74	482.48	1944.87	1867.10
	(झ) अन्य व्यय	325.80	392.48	297.97	1,050.25	1,202.29
	(ञ) प्रावधान/बट्टे खाते डालना	284.03	3.17	-	284.03	3.44
	(ट) स्ट्रीपिंग गतिविधि समायोजन	(7.36)	585.02	320.22	652.18	725.21
	कुल व्यय (क से ट तक)	**3,909.10**	**3,274.81**	**3,257.85**	**13,478.38**	**11,643.58**
3	**अन्य आय, वित्तीय लागत और असाधारण मद के पहले संचालन से लाभ/हानि (1-2)**	**673.28**	**1,139.12**	**736.13**	**2,900.82**	**1,842.84**
4	अन्य आय	356.09	154.46	225.99	918.23	333.66
5	**वित्तीय लागत और असाधारण मद के पहले सामान्य क्रियाकलापों से लाभ/(हानि) (3+4)**	**1,029.37**	**1,293.58**	**962.12**	**3,819.05**	**2,176.50**

दिनांक 31.03.2023 को समाप्त हुए वर्ष के स्टैंडअलोन परिणामों का विवरण (जारी...)

(₹ करोड़ में शेयर तथा ईपीएस को छोडकर)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			वर्ष के अंत तक	
		31.3.2023	31.3.2022	31.12.2022	31.3.2023	31.3.2022
		अन-अंकेक्षित	अन-अंकेक्षित	अन-अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित
6	वित्तीय व्यय	16.09	21.83	19.36	75.44	81.77
7	वित्तीय लागत के बाद किन्तु असाधारण मद के पहले सामान्य क्रियाकलापों से लाभ/(हानि) (5-6)	1,013.28	1,271.75	942.76	3,743.61	2,094.74
8	असाधारण मद	—	—	—	—	—
9	कर से पहले सामान्य क्रियाकलापों से लाभ/(हानि) (7-8)	1,013.28	1,271.75	942.76	3,743.61	2,094.73
10	कर व्यय	289.82	244.21	254.96	991.94	397.81
11	वर्ष में निबल लाभ/(हानि) (9-10) [ए]	723.46	1,027.54	687.80	2,751.67	1,696.92
12	असाधारण मद (कर व्यय का निबल)	—	—	—	—	—
13	सहयोगियों एवं अल्पसंख्यक हितों का निबल लाभ/(हानि) कर के पश्चात परन्तु लाभ/(हानि) के हिस्से के पूर्व (11 + 12)	723.46	1,027.54	687.80	2,751.67	1,696.92
14	सहयोगियों के लाभ/(हानि) का हिस्सा	—	—	—	—	—
15	अल्पसंख्यक हित	—	—	—	—	—
16	वर्ष के लिए निबल लाभ / (हानि) (13+14+15)	723.46	1,027.54	687.80	2,751.67	1,696.92
17	अन्य विस्तृत आय/(हानि) (निबल कर) [बी]	84.08	(48.81)	34.90	177.59	(51.39)
18	कुल विस्तृत आय/(हानि) /[ए+बी]	807.54	978.73	722.70	2,929.26	1,645.53
19	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (शेयरों का अंकित मूल्य रू 1000/- प्रति)	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00
20	प्रत्येक शेयर पर आय (ईपीएस) (प्रत्येक शेयर का फेस वैल्यु ₹ 1000/-) (वार्षिक नहीं किया गया))					
	(1) बेसिक (₹)	769.64	1093.13	731.70	2927.31	1805.23
	(2) डायलुटेड (₹)	769.64	1,093.13	731.70	2,927.31	1,805.23

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

कृते एसपीएएन एन्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या 302192E)

निदेशक मंडल के लिए एवं उसकी ओर से

ह/-
(पी एम प्रसाद)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08073913

ह/-
(पवन कुमार मिश्रा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन- 09665365

ह/-
सीए. के. चक्रवर्ती
पार्टनर
सदस्यता सं 015363

ह/-
(राजेन्द्र सिंह)
महाप्रबंधक (वित्त)

ह/-
(अमरेश प्रधान)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं F11264

स्थान : रांची
दिनांक : 27 अप्रैल, 2023

31 मार्च, 2023 तक स्टैंडअलोन तुलन पत्र

(₹ करोड़ में)

	टिप्पणियां	31.03.2023 को	31.03.2022 को
परिसंपत्तियां			
गैर-चालू परिसंपत्तियां			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	6,045.80	5,737.61
(ख) कार्यशील पूंजी	4	1,313.51	900.83
(ग) गवेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ	5	683.95	573.69
(घ) अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति	6.1	26.80	8.66
(ड.) विकास के तहत अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति	6.2	—	11.27
(च) निवेश संपत्ति		—	—
(छ) वित्तीय परिसंपत्तिया			
(i) निवेश	7	345.53	345.53
(ii) ऋण	8	5.10	2.06
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	1,642.99	1,371.51
(ज) आस्थगित कर संपत्ति (निबल)		504.96	679.47
(झ) अन्य गैर.चालू परिसंपत्तिया	10	3,056.25	2,287.17
कुल गैर-चालू परिसंपत्ति (ए)		**13,624.89**	**11,917.80**
चालू परिसंपत्ति			
(क) भंडार पूंजी	12	1,144.30	1,031.34
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) निवेश	7	718.59	64.72
(ii) व्यापार प्राप्य	13	3,001.17	2,149.65
(iii) नकद और नकद समकक्ष	14	850.64	664.91
(iv) अन्य बैंक शेष	15	2,533.87	1,413.04
(v) ऋण	8	0.71	—
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	158.87	97.84
(ग) चालू कर परिसंपत्तियां (निबल)		67.41	154.36
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	11	3.408.40	3,217.69
कुल चालू परिसंपत्तियां (बी)		**11,883.96**	**8,793.55**
कुल परिसंपत्तियां (ए+बी)		**25,508.85**	**20,711.35**

31 मार्च, 2023 तक स्टैंडअलोन तुलन पत्र (जारी...)

			टिप्पणियाँ	31.03.2023 को	31.03.2022 को
गैर-चालू परिसंपत्तियां					
इक्विटी					
(क)	इक्विटी शेयर पूंजी		16	940.00	940.00
(ख)	अन्य इक्विटी		17	9,377.49	7,471.98
कंपनी के इक्विटी धारकों को आरोप्य इक्विटी				10,317.49	8,411.98
गैर-अनियंत्रित ब्याज				—	—
कुल इक्विटी (अ)				**10,317.49**	**8,411.98**
देयताएं					
गैर-चालू देयताएं					
(क)	वित्तीय देयताएं				
	(i)	उधारी	18	—	—
	(ii)	पट्टे की देयताएं		—	—
	(iii)	अन्य वित्तीय देयताएं	20	232.21	124.13
(ख)	प्रावधान		21	5,334.98	5,118.65
(ग)	अन्य गैर-चालू देयताएं		22	452.98	497.13
कुल गैर-चालू देयताएं (ब)				**6,020.17**	**5,739.91**
चालू देयताएं					
(क)	वित्तीय देयताएं				
	(i)	उधारी	18	—	—
	(ii)	पट्टे की देयताएं			
	(iii)	व्यापार देयताएं	19	—	—
	सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल बकाया देय			9.88	6.98
	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावे अन्य ऋण दाताओं का कुल बकाया देय			1,305.23	1,554.27
	(iv)	अन्य वित्तीय देयताएं	20	1,215.63	1,048.32
(ख)	अन्य गैर-चालू देयताएं		23	4,466.99	3,116.14
(ग)	प्रावधान		21	2,174.46	833.75
(घ)	चालू कर देयताएं (निबल)			—	—
	कुल गैर-चालू देयताएं (स)			**9,171.19**	**6,559.46**
	कुल इक्विटी एवं देयताएं (अ+ब+स)			**25,508.85**	**20,711.35**
महत्वपूर्ण लेखा नीति			2		
वित्तीय विवरण पर अतिरिक्त टिप्पणियां			38		
उपरोक्त टिप्पणियां वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग है।					

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

कृते एसपीएएन एन्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या 302192E)

निदेशक मंडल के लिए एवं उसकी ओर से

ह/-
(पी एम प्रसाद)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08073913

ह/-
(पवन कुमार मिश्रा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन- 09665365

ह/-
सीए. के. चक्रवर्ती
पार्टनर
सदस्यता सं 015363

ह/-
(राजेन्द्र सिंह)
महाप्रबंधक (वित्त)

ह/-
(अमरेश प्रधान)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं F11264

स्थान : रांची
दिनांक : 27 अप्रैल, 2023

लाभ एवं हानि का स्टैंडअलोन विवरण
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

				टिप्पणियाँ	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
संचालन से राजस्व				**24**		
ए.	बिक्री (लेवियों का निबल)				15,226.21	12,352.13
बी.	अन्य संचालन से राजस्व (लेवियों का निबल)				1,152.99	1,134.29
	(I)	**संचालन से राजस्व (ए+बी)**			**16,379.20**	**13,486.42**
	(II)	**अन्य आय**		25	918.23	333.66
	(III)	**कुल आय (I+II)**			**17,297.43**	**13,820.08**
	(IV)	**व्यय**				
		उपयोग किये गए सामग्री की लागत		26	1,170.83	855.15
		तैयार माल के भंडार/ कार्य प्रगति में परिवर्तन एवं बिक्री के लिए स्टॉक एवं स्टॉक व्यापार में		27	(81.81)	278.86
		कर्मचारी लाभ व्यय		28	7,222.70	5,476.09
		बिजली का खर्च			265.88	261.55
		कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व पर व्यय		29	43.39	53.14
		मरम्मती		30	243.10	273.20
		संविदात्मक व्यय		31	1,944.87	1,867.10
		वित्तीय लागत		32	75.44	81.77
		मूल्यह्रास/परिशोधन/ हानि			682.96	647.55
		प्रावधान		33	92.13	3.41
		बट्टे खाते डालना		34	191.90	0.03
		स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन			652.18	725.21
		अन्य व्यय		35	1,050.25	1,202.29
	कुल व्यय (IV)				**13,553.82**	**11,725.35**
	(V)	**असाधारण मदों एवं कर से पहले लाभ (III-IV)**			**3,743.61**	**2,094.73**
	(VI)	असाधारण मद			—	—
	(VII)	**कर से पहले लाभ (V-VI)**			**3,743.61**	**2,094.73**
	(VIII) (VIII)	कर व्यय		36		
		चालू कर			817.43	403.14
		स्थगित कर			174.51	(5.33)
	(IX)	**वर्ष में चालू संचालन से प्राप्त लाभ (VII-VIII)**			**2,751.67**	**1,696.92**
	(X)	स्थगित संचालन प्राप्त लाभ			—	—
	(XI)	स्थगित संचालन का कर व्यय			—	—
	(XII)	स्थगित संचालन से प्राप्त लाभ(कर के बाद) (X-XI)			—	—
	(XIII)	संयुक्त उद्यम सम्बद्ध लाभ/(हानि)में हिस्सा			—	—
	(XIV)	**वर्ष में लाभ (IX+XII+XIII)**			**2,751.67**	**1,696.92**
	अन्य विस्तृत आय			37		
	ए.	(i)	मद जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं होंगे		237.32	(68.68)
		(ii)	लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं होने वाले मदों से संबंधित आयकर		59.73	(17.29)

				टिप्पणियाँ	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
	बी.	(i)	मद जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत होंगे		—	—
		(ii)	लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत होने वाले मदों से संबंधित आयकर		—	—
	(XV)	**कुल अन्य विस्तृत आय**			**177.59**	**(51.39)**
	(XVI)	**वर्ष के लिए कुल विस्तृत आय (XIV+XV) (वर्ष के लिए लाभ / (हानि) और अन्य विस्तृत आय)**			**2,929.26**	**1,645.53**
		आरोपित लाभ:				
		कंपनी के स्वामी को			2,751.67	1,696.92
		गैर -नियंत्रित ब्याज को			—	—
					2,751.67	**1,696.92**
		अन्य आरोपित विस्तृत आय:				
		कंपनी के स्वामी को			177.59	(51.39)
		गैर -नियंत्रित ब्याज को			—	—
					177.59	**(51.39)**
		कुल आरोपित विस्तृत आय:			—	—
		कंपनी के स्वामी को			2929.26	1645.53
		गैर -नियंत्रित ब्याज को			—	—
	(XVII)	**प्रति इक्विटी शेयर पर उपार्जन (चलित संचालन के लिए):**				
		(1)	बेसिक (₹)		2,927.31	1,805.23
		(2)	डायलूटेड (₹)		2,927.31	1,805.23
	(XVIII)	**प्रति इक्विटी शेयर पर उपार्जन (स्थगित संचालन के लिए):**				
		(1)	बेसिक (₹)		—	—
		(2)	डायलूटेड (₹)		—	—
	(XIX)	**प्रति इक्विटी शेयर पर उपार्जन(स्थगित एवं चलित संचालन के लिए):**				
		(1)	बेसिक (₹)		2,927.31	1,805.23
		(2)	डायलूटेड (₹)		2,927.31	1,805.23
महत्वपूर्ण लेखा नीति				2		
वित्तीय विवरण पर अतिरिक्त टिप्पणियां				38		
उपरोक्त टिप्पणियां वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग है।						

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

निदेशक मंडल के लिए एवं उसकी ओर से

कृते एसपीएएन एन्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या 302192E)

ह/-
(पी एम प्रसाद)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08073913

ह/-
(पवन कुमार मिश्रा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन- 09665365

ह/-
सीए. के. चक्रवर्ती
पार्टनर
सदस्यता सं 015363

ह/-
(राजेन्द्र सिंह)
महाप्रबंधक (वित्त)

ह/-
(अमरेश प्रधान)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं F11264

स्थान : रांची
दिनांक : 27 अप्रैल, 2023

स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह विवरण (अप्रत्यक्ष विधि)

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

		31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
संचालित गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
कर पूर्व लाभ		**3,743.61**	**2,094.73**
समायोजन:			
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय		682.96	647.55
ब्याज और लाभांश आय		(254.90)	(102.95)
वित्तीय लागत		75.44	81.77
स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री पर (लाभ)\हानि		0.02	(0.15)
व्यापार प्राप्तियों के लिए भत्ता		92.13	-
अन्य प्रावधान		_	3.41
वर्ष के दौरान वापस लिखित देयतायें		(352.32)	(125.02)
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन		652.18	725.21
चालू/गैर चालू परिसंपत्ति एवं देयताओं से पहले परिचालन लाभ		**4,639.12**	**3,324.55**
समायोजन:			
व्यापर प्राप्य (कुल प्रावधान)		(851.52)	1,252.88
भंडार सूची		(112.96)	257.33
ऋण एवं अग्रिम तथा अन्य वित्तीय परिसंपत्ति		(698.01)	(321.78)
व्यापार देय		(246.14)	200.43
वित्तीय एवं अन्य देयतायें		2,980.73	(278.50)
संचालन गतिविधियों से उत्पन्न नकदी		**5,711.22**	**4,434.91**
भुगतान किया गया आयकर/प्रतिदाय		(790.21)	(388.53)
संचालन गतिविधियों से निबल नकदी प्रवाह	**(अ)**	**4,921.01**	**4,046.38**
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का क्रय		(1,917.35)	(1,948.90)
गवेषण और मूल्यांकन परिसंपत्ति में परिशिष्ट		(110.26)	(73.90)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों से बिक्री आय		(2.37)	(0.64)
बैंक जमा पर प्राप्ति/(निवेश		(1,282.66)	(540.82)
म्यूच्यूअल फण्ड, शेयर्स इत्यादि पर प्राप्ति/(निवेश)		(645.46)	(64.61)
सहायक कंपनी में निवेश		-	(280.90)
निवेश से ब्याज		226.58	74.84

		31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज एवं लाभांश आय		19.90	8.85
निवेश गतिविधियों से प्राप्त निबल राशि	**(ब)**	**(3,711.62)**	**(2,826.08)**
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
उधार में वापसी/ वृद्धि		—	—
वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ब्याज एवं वित्तीय लागत		—	_
इक्विटी शेयरों पर लाभांश		(1,023.66)	(782.08)
इक्विटी शेयरों के लाभांश पर कर		—	—
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निबल नकदी	**(स)**	**(1,023.66)**	**(782.08)**
नकद एवं बैंक शेष में निबल वृद्धि/(कमी) (अ+ब+स)		**185.73**	**438.22**
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समतुल्य		**664.91**	**226.69**
वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य		**850.64**	**664.91**

(कोष्ठ में सभी आंकड़े बहिर्वाह का प्रतिनिधित्व करते हैं।)

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

निदेशक मंडल के लिए एवं उसकी ओर से

कृते एसपीएएन एन्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या 302192E)

ह/-
(पी एम प्रसाद)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08073913

ह/-
(पवन कुमार मिश्रा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन- 09665365

ह/-
सीए. के. चक्रवर्ती
पार्टनर
सदस्यता सं 015363

ह/-
(राजेन्द्र सिंह)
महाप्रबंधक (वित्त)

ह/-
(अमरेश प्रधान)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं F11264

स्थान : रांची
दिनांक : 27 अप्रैल, 2023

दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण - स्टैंडअलोन

(₹ करोड़ में)

क . इक्विटी शेयर पूंजी

31.03.2023 को

विवरण	01.04.2022 पर शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	01.04.2021 को पुनर्कथित शेष राशि	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2023 पर शेष
₹1000/ - प्रत्येक के 9400000 इक्विटी शेयर	940.00	—	940.00	—	940.00

31.03.2022 को

विवरण	01.04.2021 पर शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	01.04.2020 को पुनर्कथित शेष राशि	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2022 पर शेष
₹1000/ - प्रत्येक के 9400000 इक्विटी शेयर	940.00	—	940.00	—	940.00

ख . अन्य इक्विटी

31.03.2023 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	शेयर आवेदन राशि की लंबित आवंटन	सामान्य संचय निधि	प्रतिधारित उपार्जन	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (कर का निबल) - (ओसीआई)	कुल
01.04.2022 पर शेष	—	2,392.00	5,305.45	(225.47)	7,471.98
लेखांकन नीति में परिवर्तन पूर्व अवधि त्रुटियां	—	—	—	—	—
01.04.2022 पर पुनर्लिखित शेष	—	2,392.00	5,305.45	(225.47)	7,471.98
कुल व्यापक लाभ	—	—	2,751.67	177.59	2,929.26
अंतरिम लाभांश	—	—	(600.66)	—	(600.66)
अंतिम लाभांश	—	—	(423.00)	—	(423.00)
वर्ष के दौरान अनुवृद्धि	—	—	—	—	—
वर्ष के दौरान समायोजन	—	0.09	—	—	0.09
सामान्य रिजर्व से / को हस्तांतरण	—	137.58	(137.58)	—	—
शेयरों की वापसी खरीद	—	—	—	—	—
वापसी खरीद पर कर	—	—	—	—	—
जारी बोनस शेयर	—	—	—	—	—
31.03.2023 पर शेष	—	**2,529.40**	**6,895.88**	**(47.88)**	**9,377.58**
31.03.2022 को					
01.04.2021 को शेष	—	2,307.15	4,475.46	(174.08)	6,608.53
लेखा निति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटि	—	—	—	—	—
01.04.2021 पर पुनर्लिखित शेष	**—**	**2,307.15**	**4,475.46**	**(174.08)**	**6,608.53**
कुल विस्तृत लाभ	—	—	1,696.92	(51.39)	1,645.53
अंतरिम लाभांश	—	—	**(404.20)**	—	**(404.20)**
अंतिम लाभांश	—	—	**(377.88)**	—	**(377.88)**
वर्ष के दौरान अनुवृद्धि	—	—	—	—	—
वर्ष के दौरान समायोजन	—	—	—	—	—
सामान्य रिजर्व से / को हस्तांतरण	—	84.85	(84.85)	—	—
कारपोरेट लाभांश कर		—	—	—	—
शेयरों की वापसी खरीद	—	—	—	—	—
वापसी खरीद पर कर	—	—	—	—	—
जारी बोनस शेयर	—	—	—	—	—
31.03.2022 पर शेष	—	**2,392.00**	**5,305.45**	**(225.47)**	**7,471.98**

महत्वपूर्ण लेखा-नीतियाँ

वित्तीय विवरण की तैयारी का आधार

नोट 1: कोरपोरेट जानकारी

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, एक मिनीरत्न लोक उपक्रम है जो कि कोल इंडिया लिमिटेड एक सरकारी उपक्रम का शत प्रतिशत अनुषंगी है इसका पंजीकृत कार्यालय दरभंगा हाउस, राँची, झारखंड - 834029 है।

यह कंपनी मुख्यतः कोयले के खनन एवं उत्पादन तथा कोल वाशरियों के संचालन से जुड़ी हुई है। इसके मुख्य ग्राहक पावर तथा स्टील क्षेत्र हैं। अन्य क्षेत्रों के ग्राहक में सीमेंट, फर्टिलाइजर, ईंट-भट्टा इत्यादि शामिल हैं।

सीसीएल का इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड तथा झारखंड सरकार के साथ एक संयुक्त उद्यम है जिसका नाम झारखंड सेन्ट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल) है। जेसीआरएल का मुख्य उद्देश्य चिन्हित रेल कोरीडोर परियोजना को तैयार करना, संचालित करना एवं रख-रखाव करना है, जो कि झारखंड राज्य में खानों से कोयले की निकासी के महत्वपूर्ण है, जिसे भार ढुलाई तथा यात्री दोनों सेवाओं के लिए एवं जरूरी रेल आधारभूत संरचना के विकास हेतु, जिसमें सभी संबद्ध सेवाओं इत्यादि के साथ रेलवे लाइनों का निर्माण शामिल है, के लिए उपयोग किया जाएगा।

नोट : 2 महत्वपूर्ण लेखा-नीतियाँ

2.1 वित्तीय विवरण तैयार करने के आधार

i. कम्पनी के वित्तीय विवरण को भारत में लागू लेखा सिद्धांतों, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित ("अधिनियम") भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, के अनुसार किया गया है।

ii. स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किया गया है, सिवाय इनके

- कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं को अंकित मूल्य के आधार पर मापा गया है (वित्तीय साधन पर लेखा नीति पारा सं 2.15 को देखें);
- परिभाषित लाभ योजनाएं - योजना परिसंपत्तियों को अंकित मूल्य के आधार पर मापा गया;
- लागत पर सामान सूची या एनआरवी जो कोई भी कम हो (पारा सं 2.21 में लेखा नीति को देखें)।

2.1.1 राशियों का पूर्णांक

इन वित्तीय विवरणों में राशियों को, जबतक कि अन्यथा निर्देशित किया गया है, करोड़ ₹ में दशमलव के दो अंकों तक पूर्णांक किया गया है।

2.2 संघटन का आधार

2.2.1 अनुषंगियाँ

सभी अनुषंगियाँ एक तत्व हैं जिसपर कम्पनी का नियंत्रण होता है। कम्पनी एक तत्व/हस्ती को नियंत्रित करती है, जब कम्पनी को तत्व के साथ शामिल होने के कारण विभिन्न प्रकार के रिटर्नों पर अधिकार प्राप्त होता है तथा तत्वों के संगत गतिविधियों को निर्देशित करने की शक्ति के कारण इन रिटर्नों को प्रभावित करने की योग्यता होती है। कम्पनी के अंतर्गत अपने नियंत्रण के हस्तांतरण की तारीख से ही अनुषंगियां पूर्ण रूप से समेकित हो जाती हैं।

कम्पनी के द्वारा व्यापार संयोजन के लिए लेखा करने हेतु, लेखा की अधिग्रहण विधि का उपयोग किया जाता है।

परिसम्पत्तियों, देयताओं, इक्विटी, कैश फ्लो, आय एवं व्यय जैसे मदों को क्रमवार जोड़ते हुए कम्पनी अपने स्वामित्व एवं अनुषंगियों के वित्तीय विवरणों को समाहित करती है। अंतर कम्पनी कार्य सम्पादन, शेष एवं कम्पनियों के बीच लेन-देन के उपर अप्राप्य प्राप्ति को नहीं रखा जाता है। समूह की कंपनियों के बीच अप्राप्त हानियों को भी समाप्त कर दिया जाता है जब तक कि लेन-देन हस्तांतरित परिसंपत्ति की हानि का प्रमाण प्रदान नहीं करता है। समान प्रकार की परिस्थितियों में एक जैसे कार्य-सम्पादन एवं घटनाओं के लिए सीआईएल के द्वारा अपनाये गये लेखा-नीतियों को ही सामान्य तौर पर सीसीएल के द्वारा उपयोग किया जाता है। सीआईएल के घटक कंपनी के महत्वपूर्ण विचलनों के संदर्भ में, सीआईएल समेकित लेखा-नीतियों के अनुसार समरूपता सुनिश्चित करने हेतु समूह सदस्य वित्तीय विवरण के लिए उपयुक्त समायोजन किया जाता है।

अनुषंगियों के इक्विटी एवं परिणामों में गैर-चालू ब्याजों को अलग से, लाभ एवं हानि के समेकित विवरण, इक्विटी एवं तुलन पत्र के परिवर्तनों के समेकित विवरणों को क्रमशः दिखलाया जाता है।

2.2.2 सहयोगियाँ

सहयोगियां वे सभी तत्व हैं जिनपर समूह का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है परन्तु कोई नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं होता है। यह सामान्यतः उस प्रकार का होता है जहां समूह के पास 20 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत के बीच में वोटिंग अधिकार होता है।

वैसे निवेश या उसके अंश को जिसे विक्रय के लिए वर्गीकृत किया गया है तथा जिसे भारतीय लेखा मानक 105 के अनुसार लेखाकृत किया जाता है, को छोड़कर, प्रारंभ में ही लागत के रूप में लेकर सहयोगियों में निवेश का लेखाकरण इक्विटी विधि के द्वारा की जाती है।

सहयोगी अपने निबल निवेश का परिशोधन वास्तुनिष्ठ प्रमाण के आधार पर करती है।

2.2.3 संयुक्त व्यवस्था

संयुक्त व्यवस्था वह है जहां समूह के द्वारा एक या एक से अधिक पार्टियों के साथ संयुक्त नियंत्रण होता है।

संयुक्त नियंत्रण व्यवस्था के नियंत्रण का अनुबंधात्मक सहमति साझेदारी है जो कि सिर्फ मौजूद होता है जब प्रासंगिक गतिविधियों के बारे में निर्णय लेने के लिए नियंत्रण साझा करने वाली पार्टियों के एकमत सहमति की जरूरत होती है।

संयुक्त व्यवस्था की वर्गीकरण या तो संयुक्त संचालन या संयुक्त उद्यम के रूप में होता है। वर्गीकरण, प्रत्येक निवेशक के अनुबंधात्मक अधिकार एवं दायित्वों पर निर्भर करता है न कि संयुक्त व्यवस्था के कानूनी ढांचे पर।

2.2.4 संयुक्त संचालन

संयुक्त संचालन वह संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत समूह के पास व्यवस्था से संबंधित दायित्वों के लिए परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का अधिकार प्राप्त होता है।

समूह, संयुक्त संचालन में परिसम्पत्तियों, दायित्वों, राजस्व एवं व्यय तथा संयुक्त रूप से रखे हुए अथवा व्यय किये गये परिसम्पत्तियों, दायित्वों, राजस्व एवं व्ययों में अपने हिस्से के सीधे अधिकार का संज्ञान लेता है।

2.2.5 संयुक्त उद्यम

संयुक्त उद्यम वह संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत समूह के पास व्यवस्थाओं के निबल परिसम्पत्तियों का अधिकार प्राप्त होता है।

संयुक्त उद्यम में ब्याज का लेखाकरण स्टैण्डअलॉन तुलन पत्र में प्रारंभिक तौर पर लागत के रूप में लिये जाने के बाद इक्विटी विधि के द्वारा किया जाता है।

वैसे निवेश या उसके अंश को जिसे विक्रय के लिए वर्गीकृत किया गया है तथा जिसे भारतीय लेखा मानक 105 के अनुसार लेखाकृत किया जाता है, को छोड़कर, प्रारंभ में ही लागत के रूप में लेकर संयुक्त उद्यम में निवेश का लेखाकरण इक्विटी विधि के द्वारा की जाती है।

संयुक्त उद्यम अपने निबल निवेश का परिशोधन वास्तुनिष्ठ प्रमाण के आधार पर करती है।

2.2.6 इक्विटी विधि

लेखांकन की इक्विटी पद्धति के तहत निवेशों को प्रारंभ में लागत पर मान्यता प्राप्त होता है और बाद में अधिग्रहण के लाभ या हानि में निवेशक के नुकसान के ग्रुप के शेयर को और निवेशक की अन्य व्यापक आय का समूह का हिस्सा का अन्य व्यापक आमदनी पहचानने के लिए समायोजित किया जाता है। सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों से प्राप्त या प्राप्त करने वाले लाभांश को निवेश की मात्रा में कमी के रूप में स्वीकारा जाता है।

जब इक्विटी अकाउन्ट निवेश में होनेवाले घाटे का समूह का हिस्सा तत्व के हितों के बराबर या उससे अधिक है, किसी भी अन्य असुरक्षित दीर्घकालीक प्राप्तीयों सहित, समूह आगे के नुकसान को नहीं पहचानता है जबतक कि अन्य तत्व के बदले इसमें दायित्वों का खर्च नहीं होता है या इसके लिए भुगतान नहीं किया जाता है।

समूह एवं उसके सहयोगियों और संयुक्त उपक्रमों के बीच होनेवाले लेन-देन पर अप्रत्याशित लाभ इन संस्थाओं में समूह के हित की सीमा तक समाप्त हो जाते हैं। अनावृत हानियां भी समाप्त हो जाती हैं जबतक कि लेन-देन स्थानांतरित परिसंपत्ति के विकृति का प्रमाण नहीं देता। इक्विटी खातेदार निवेशक की लेखा-नीतियों को बदल दिया गया है जहां कहीं भी समूह द्वारा अपनाई गई नीतियों के अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

2.2.7 मालिकाना हक में परिवर्तन

कंपनी गैर नियंत्रित हितों के साथ लेन-देन करती है जो कि कंपनी की इक्विटी मालिकों को लेन-देन के रूप में नियंत्रण के नुकसान में नहीं होती है। स्वामित्व के हित में परिवर्तन सहायक एवं गैर नियंत्रण हितों के वहन राशियों की मात्रा के बीच एक समायोजन में सहायक होता है जो कंपनियों में उनके संबद्ध हितों को दर्शाता है। गैर नियंत्रित हितों के समायोजन की राशि तथा भुगतान या प्राप्त किये जाने के अंकित मूल्य के बीच किसी भी अंतर को इक्विटी के तहत मान्यता प्राप्त होता है।

जब कंपनी, नियंत्रण खोने, संयुक्त नियंत्रण अथवा महत्वपूर्ण प्रभाव के कारण, निवेश के लिए इक्विटी लेखा को समेकित करना छोड़ देती है, तब तत्व में कोई भी धारण की हुई हित को इसके अंकित मूल्य पर पुनः मापा जाता है और वहन राशि में परिवर्तन को लाभ या हानि में माना जाता है। यह अंकित मूल्य एक सहयोगी, संयुक्त उद्यम या वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में धारित हित के लिए बाद के लेखांकन के प्रयोजनों के लिए प्रारंभिक वहन राशि बन जाता है। इसके अतिरिक्त, कोई भी राशि जिसे उस तत्व के संबंध में अन्य विस्तृत आय में पहले लिया गया है, को इस प्रकार लेखाकृत किया जाता है, मानो कि कंपनी ने संबद्ध परिसंपत्तियों देयताओं को सीधे निपटा दिया है। इसका मतलब यह हो सकता है कि अन्य विस्तृत आय में पहले से माने गए राशियों को लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत कर दिया जाता है।

यदि एक संयुक्त उद्यम या सहयोगी में स्वामित्व हितों को कम कर दिया जाता है परन्तु संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव को रखा जाता है, तब अन्य विस्तृत आय में पहले से माने गए राशियों के सिर्फ आनुपातिक हिस्से को लाभ या हानि, जहा उपयुक्त हो, में पुनः वर्गीकृत किया जाता है।

2.3 मौजूदा एवं गैर-मौजूदा वर्गीकरण

कंपनी मौजूद वर्गीकरण के आधार पर तुलन-पत्र में परिसम्पत्तियों एवं देयताओं को प्रस्तुत करती है। एक परिसम्पत्ति को मौजूद समझा जाता है जबः

(क) सामान्य संचालन चक्र में इसे प्राप्त करने का अनुमान, या इसे बेचने अथवा उपभोग करने की प्रवृति है;

(ख) परिसम्पत्ति को मुख्यतः व्यापार के प्रयोजन के लिए रखा जाता है;

(ग) रिपोर्टिंग अवधि के बाद 12 महीने के अंदर परिसम्पत्ति की उगाही करने का अनुमान है;

(घ) परिसम्पत्ति नगद या नगद समतुल्य होता है (भारतीय लेखा मानक 7 से परिभाषित) जब तक रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए परिसम्पत्ति को विनिमय होने या देयता के निपटारे में उपयोग करने से वंचित नहीं रखा जाता है। अन्य सभी परिसम्पत्तियों को गैर-मौजूद के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

कंपनी एक देयता को मौजूद श्रेणी में रखती है जबः

(क) इसके सामान्य संचालन चक्र में इसे प्राप्त करने का अनुमान है;

(ख) देयता को मुख्यतः व्यापार के प्रयोजन के लिए रखा जाता है;

(ग) रिपोर्टिंग अवधि के बाद 12 महीने के अंदर देयता की उगाही करने का अनुमान है;

(घ) रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए देयता के निपटारे की आस्थगित करने का बिना शर्त अधिकार है। प्रतिकूल पार्टी के विकल्प पर, यदि देयता की शर्तों के फलस्वरूप इक्विटी साधनों के जारी करने के द्वारा इसका निपटारा हो सकता है तो वह इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करता है।

अन्य सभी देयताएं को गैर-मौजूदा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2.4 राजस्व की प्राप्ति

ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व

ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व को तब पहचाना जाता है जब माल या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को ऐसी राशि पर हस्तांतरित किया जाता है जो उस प्रतिफल को दर्शाता है जिसके लिए कंपनी को उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले में हकदार होने की उम्मीद है। कंपनी ने आम तौर पर निष्कर्ष निकाला है कि यह अपने राजस्व व्यवस्था में प्रमुख है क्योंकि यह सामान या सेवाओं को ग्राहक को स्थानांतरित करने से पहले नियंत्रित करता है।

भारतीय लेखा मानक 115 में सिद्धांतों को निम्नलिखित पाँच चरणों का उपयोग करके लागू किया जाता हैः

चरण 1 : अनुबंध की पहचान करना

ग्राहक के साथ अनुबंध के लिए कंपनी का खाता केवल तभी होता है जब निम्नलिखित सभी मानदंडों को पूरा किया जाता हैः

(1) अनुबंध के पक्षकारों ने अनुबंध को मंजूरी दे दी है और अपने संबंधित दायित्वों को निभाने के लिए प्रतिबद्ध हैं;

(2) कंपनी हस्तांतरित किए जाने वाले सामान या सेवाओं के बारे में प्रत्येक पार्टी के अधिकारों की पहचान कर सकती है;

(3) कंपनी को हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के लिए भुगतान की शर्तों की पहचान कर सकती है;

(4) अनुबंध में वाणिज्यिक पदार्थ है (यानी, कंपनी के भविष्य के नकदी प्रवाह का जोखिम, समय या राशि अपेक्षित है अनुबंध के परिणामस्वरूप बदलने के लिए); तथा

(5) यह संभावना है कि कंपनी उस विचार को एकत्र करेगी जिसके लिए वह माल के बदले में हकदार होगा या ऐसी सेवाएँ जो ग्राहक को हस्तांतरित की जाएंगी। जिस राशि पर कंपनी का हक होगा, उस पर विचार किया जाएगा यदि अनुबंध परिवर्तनीय है तो अनुबंध में बताई गई कीमत से कम हो सकता है क्योंकि कंपनी ग्राहक को कीमत रियायत, छूट, धनवापसी, क्रेडिट या प्रोत्साहन, प्रदर्शन बोनस, एक जैसे वस्तु के हकदार को पेश कर सकती है।

अनुबंधों का संयोजन

कंपनी दो या अधिक अनुबंधों को एक ही समय में या एक ही ग्राहक (या ग्राहक के संबंधित पक्षों) के साथ मिलाती है ग्राहक) और अनुबंध के लिए एक एकल अनुबंध के रूप में माना जाता है यदि निम्न मानदंडों में से एक या एक से अधिक पूर्ण होंः

(1) अनुबंधों को एक एकल वाणिज्यिक उद्देश्य के साथ एक पैकेज के रूप में निबटाया जाता है

(2) एक अनुबंध में भुगतान की जाने वाली राशि की मात्रा दूसरे की कीमत या प्रदर्शन पर निर्भर करती है; या

(3) अनुबंध में दिए गए सामान या सेवाएं (या प्रत्येक अनुबंध में वादा किए गए कुछ सामान या सेवाएं) एक एकल प्रदर्शन दायित्व हैं।

अनुबंध संशोधन

निम्नलिखित दोनों शर्तों के मौजूद होने पर एक अलग अनुबंध के रूप में एक अनुबंध संशोधन के लिए कंपनी खाता खोलती हैः

(1) अनुबंधित वस्तुओं का दायरा बढ़े हुए माल और सेवाओं के अलावा अलग-अलग होने के कारण बढ़ता है एवं

(2) अनुबंध की कीमत उस प्रतिफल की मात्रा से बढ़ जाती है जो कंपनी की स्टैंड-अलोन बेचने की कीमतों को दर्शाती है विशेष अनुबंध के परिस्थितियों को दर्शाने के लिए उस मूल्य पर अतिरिक्त वादा किए गए सामान या सेवाएं और किसी भी उचित समायोजन हो।

चरण 2 : प्रदर्शन दायित्वों की पहचान

अनुबंध की स्थापना के समय, कंपनी ग्राहक के साथ अनुबंध में दिए गए सामान या सेवाओं का आकलन करती है और एक प्रदर्शन दायित्व के रूप में पहचान प्रत्येक ग्राहक को हस्तांतरित करने का वादा करती हैः

(1) एक वस्तु या सेवा (या वस्तुओं या सेवाओं का एक बंडल) जो अलग है; या

(2) अलग-अलग वस्तुओं या सेवाओं की एक श्रृंखला जो काफी हद तक समान हैं और जिनके ग्राहक को हस्तांतरण के समान प्रतिमान हैं।

चरण 3: लेन-देन मूल्य का निर्धारण

कंपनी लेन-देन कीमत निर्धारित करने के लिए अनुबंध शर्तों और प्रथागत व्यवसाय प्रथाओं पर विचार करती है। लेन-देन की कीमत उस प्रतिफल की राशि है जिसके लिए कंपनी का किसी ग्राहक को वादा किए गए माल या सेवाएँ के हस्तांतरण के बदले में तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशियों को छोड़कर हकदार होने की उम्मीद है। एक ग्राहक के साथ एक अनुबंध के वादा में निश्चित मात्रा, चर राशि या दोनों शामिल हो सकते हैं।

लेनदेन मूल्य निर्धारित करते समय, कंपनी निम्नलिखित में से सभी के प्रभावों पर विचार करती है:

- चर प्रतिफल;
- चर प्रतिफल के विवश अनुमान;
- महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक का अस्तित्व;
- गैर-नकद प्रतिफल;
- ग्राहक को देय प्रतिफल

छूट, रिफंड, क्रेडिट, मूल्य रियायतें, प्रोत्साहन, प्रदर्शन, बोनस, या अन्य समान मद के कारण विचार की मात्रा भिन्न हो सकती है। वादा किया गया प्रतिफल भी भिन्न हो सकता है यदि कंपनी की प्रतिपूर्ति के लिए पात्रता भविष्य की वृत्तांत की घटना या गैर-घटना पर आकस्मिक है।

कुछ अनुबंधों में, दंड निर्दिष्ट हैं। ऐसे मामलों में, अनुबंध के सार के अनुसार दंड का हिसाब लगाया जाता है। जहां लेनदेन के मूल्य के निर्धारण में जुर्माना निहित है, यह चर प्रतिफल का हिस्सा है।

कंपनी लेनदेन मूल्य में केवल कुछ हद तक अनुमानित चर प्रतिफल के कुछ या सभी को शामिल करती है जब यह अत्यधिक संभावना है कि मान्यता प्राप्त संचयी राजस्व की मात्रा में एक महत्वपूर्ण उलटफेर नहीं होगा जब चर प्रतिफल के साथ जुड़े अनिश्चितता का बाद में हल होगा।

अनुबंध की स्थापना के समय, अगर कंपनी यह अपेक्षा करती है कि एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक के प्रभावों के लिए प्रतिफल की राशि को समायोजित नहीं करती है, कि जब वह किसी ग्राहक को एक वादा किया गया सामान या सेवा स्थानांतरित करता है और ग्राहक उस सामान के लिए भुगतान करता है, तो उसके बीच की अवधि सेवा एक वर्ष या उससे कम की होगी।

यदि कंपनी ग्राहक से प्रतिफल प्राप्त करती है और ग्राहक को उस प्रतिफल के कुछ या सभी को वापस करने की अपेक्षा करती है, तो कंपनी धनवापसी दायित्व को पहचानती है। एक वापसी दायित्व को प्राप्त प्रतिफल (या प्राप्य) की मात्रा पर मापन की जाती है, जिसके लिए कंपनी को हकदार होने की उम्मीद नहीं है (यानी लेन-देन मूल्य में शामिल नहीं की गई राशि)। वापसी दायित्व (और लेन-देन की कीमत में इसी परिवर्तन, इसलिए, अनुबंध देयता) को परिस्थितियों में बदलाव के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अदयतन किया जाता है।

अनुबंध की स्थापना के बाद, लेन-देन की कीमत विभिन्न कारणों से बदल सकती है, जिसमें अनिश्चित घटनाओं के समाधान या परिस्थितियों में अन्य परिवर्तन शामिल हैं जो उस प्रतिफल की राशि को बदलते हैं, जिसके लिए कंपनी को वादा किए गए सामान या सेवाओं के बदले में हकदार होने की उम्मीद है।

चरण 4: लेन-देन मूल्य का आवंटन

लेन-देन का मूल्य आवंटित करते समय कंपनी का उद्देश्य यह है की प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व (या अलग-अलग सामान या सेवा) को लेन-देन मूल्य आवंटित उस राशि पर करें, जिसमें प्रतिफल सम्मिलित हो, तथा जिसके लिए कंपनी ग्राहक को वादा किए गए सामान या सेवाओं को स्थानांतरित करने के बदले में हकदार होने की उम्मीद करती है।

एक सापेक्ष स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्य के आधार पर प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व के लिए लेन-देन की कीमत आवंटित करने के लिए, कंपनी अनुबंध में प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व के आधार पर अलग-अलग सामान या सेवा की स्थापना के समय स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्य निर्धारित करती है और लेन-देन मूल्य आवंटित उन स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्यों के अनुपात में करती है।

चरण 5: राजस्व पहचानना

कंपनी राजस्व को तब पहचानती है जब (या के रूप में) कंपनी एक ग्राहक को एक सामान या सेवा का वादा करके एक प्रदर्शन दायित्व को संतुष्ट करती है। एक सामान या सेवा तब हस्तांतरित की जाती है जब (या के रूप में) ग्राहक उस सामान या सेवा का नियंत्रण प्राप्त करता है।

कंपनी समय के साथ एक सामान या सेवा का नियंत्रण स्थानांतरित करती है और इसलिए, एक प्रदर्शन दायित्व को संतुष्ट करती है और समय के साथ राजस्व को पहचानती है, यदि निम्न मानदंडों में से एक को पूरा किया जाता है:

(1) ग्राहक कंपनी के प्रदर्शन द्वारा प्रदान किए गए लाभों को समकालिक रूप से प्राप्त करता और उनका उपभोग करता है, कंपनी प्रदर्शन अनुसार करती है;

(2) कंपनी का प्रदर्शन ऐसी परिसंपत्ति बनाता या बढ़ाता है जिसे ग्राहक संपत्ति के बनाने या बढ़ने के दौरान नियंत्रित करता है:

(3) कंपनी का प्रदर्शन एक वैकल्पिक उपयोग के साथ संपत्ति नहीं बनाता है और कंपनी के पास आज तक के प्रदर्शन के भुगतान को लागू करने के लिए योग्य अधिकार है।

समय के साथ संतुष्ट प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व के लिए, कंपनी उस प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में प्रगति को मापकर समय के साथ राजस्व को पहचानती है।

कंपनी समय के साथ संतुष्ट प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व के लिए प्रगति को मापने का एक ही तरीका लागू करती है और कंपनी उस पद्धति

को समान प्रदर्शन दायित्वों और समान परिस्थितियों में लगातार लागू करती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी समय के साथ संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति का पुनःमापन करती है।

कंपनी अनुबंध के तहत वादा किए गए शेष माल या सेवाओं के सापेक्ष स्थानंतरित की गई वस्तुओं या सेवाओं के ग्राहक को मूल्य के प्रत्यक्ष माप के आधार पर राजस्व पहचानने के लिए उत्पादन तरीके को लागू करती है। उत्पादन विधियों में, आज तक पूर्ण किए गए प्रदर्शन के सर्वेक्षण, प्राप्त परिणामों के मूल्यांकन, प्राप्त पड़ाव, बीते समय और उत्पादित या प्रदत्त इकाइयों का इस्तेमाल करती हैं।

जैसे वक्त के साथ हालात बदलते हैं, कंपनी प्रदर्शन दायित्व के परिणाम में किसी भी बदलाव को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रगति के अपने उपाय को अपडेट करती है। कंपनी की प्रगति के माप में इस तरह के बदलावों को भारतीय लेखा मानक 8, लेखांकन नीतियों, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन के अनुसार लेखांकन अनुमान में परिवर्तन के रूप में माना जाता है।

कंपनी समय के साथ संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व के लिए राजस्व को तभी पहचानती है, जब कंपनी यथोचित रूप से प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि के दिशा में अपनी प्रगति को माप सकती है। जब (या के रूप में) एक प्रदर्शन दायित्व संतुष्ट हो जाता है, तो कंपनी लेन-देन मूल्य की राशि को राजस्व के रूप में पहचानती है (जो कि चर दायित्व के अनुमानों को शामिल नहीं करता है जो उस प्रदर्शन दायित्व के लिए आवंटित होता है।

यदि एक प्रदर्शन दायित्व समय के साथ संतुष्ट नहीं है, तो कंपनी एक समय में प्रदर्शन दायित्व को संतुष्ट करती है। उस समय को निर्धारित करने के लिए, जिस पर एक ग्राहक एक वादा किया हुआ माल या सेवा का नियंत्रण प्राप्त करता है और कंपनी एक प्रदर्शन दायित्व को संतुष्ट करती है, कंपनी नियंत्रण हस्तांतरण के संकेतकों पर विचार करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं पर इन तक सीमित नहीं हैं:

(1) कंपनी के पास माल या सेवा के लिए भुगतान का वर्तमान अधिकार है:

(2) ग्राहक के पास माल या सेवा के लिए कानूनी शीर्षक है:

(3) कंपनी ने माल या सेवा के भौतिक अधिकार को स्थानांतरित कर दिया है:

(4) ग्राहक के पास माल या सेवा के स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और पारितोषिक हैं:

(5) ग्राहक ने माल या सेवा को स्वीकार कर लिया है।

जब किसी अनुबंध के लिए पार्टी ने प्रदर्शन किया है, तो कंपनी के प्रदर्शन और ग्राहक के भुगतान के बीच के रिश्ते के आधार पर अनुबंध पत्रक को अनुबंध परिसंपत्ति या अनुबंध देयता के रूप में प्रस्तुत करती है। कंपनी अशर्त अधिकार प्रतिफल को प्राप्य के रूप में प्रस्तुत करती है।

संविदा परिसंपत्ति

ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के बदले में प्रतिफल करने के अधिकार को एक संविदा परिसंपत्ति कहते हैं। यदि कंपनी ग्राहक पर प्रतिफल करने से पहले या भुगतान देय होने से पहले किसी वस्तु या सेवाओं को किसी ग्राहक को हस्तांतरित करती है, तो अर्जित प्रतिफल के लिए सशर्त संविदा परिसंपत्ति में अभिज्ञात की जाती है।

व्यापार प्राप्य

प्रतिफल के परिमाण पर कंपनी के अधिकार का प्रतिनिधित्व एक प्राप्य करता है जो अशर्त है (यानी, प्रतिफल के भुगतान से पहले केवल समय बीतने की आवश्यकता है)।

संविदा देयताएं

एक संविदा दायित्व एक ग्राहक को माल या सेवाओं को स्थानांतरित करने का दायित्व है जिसके लिए कंपनी को ग्राहक से प्रतिफल (या प्रतिफल की राशि देय है) प्राप्त हुआ है। यदि कोई ग्राहक, कंपनी के द्वारा वस्तुओं या सेवाओं को स्थानांतरित करने से पहले, प्रतिफल का भुगतान करता है, तो ग्राहक पर विचार करता है, तो एक संविदा देयता को तब माना जाता है जब भुगतान या देय की जाती है (जो भी पहले हो)। संविदा देनदारियों को राजस्व के रूप में तब माना जाता है जब कंपनी संविदा के तहत प्रदर्शन करती है।

ब्याज

प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करते हुए ब्याज आय को मान्यता दी जाती है।

लाभांश

निवेशों से प्राप्त लाभांश आय की मान्यता दी जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होता है।

अन्य दावे

अन्य दावों 'ग्राहकों से देरी से प्राप्त राशि पर ब्याज सहित' को लेखाकृत किया जाता है, जब वसूली की प्राप्ति की निश्चितता है तथा इसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है।

2.5 सरकार से अनुदान

सरकारी अनुदान तब तक नहीं लिखे जाते हैं जबतक कि कंपनी द्वारा अनुदान से संबंधित शर्तों के अनुपालन तथा अनुदान प्राप्त कर ली जाएगी, इस बात का पर्याप्त आश्वासन हो।

सरकारी अनुदानों को, उन अवधियों के लिए, जिसमें कंपनी उसे व्यय के तौर पर लेती है एवं उससे संबद्ध लागत के लिए ही

अनुदान से ही क्षतिपूर्ति किया जाना है, लाभ एवं हानि के विवरण में व्यवस्थित आधार पर लिखा जाता है।

परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान/सहायता को तुलन पत्र में अनुदान को अस्थगित आम तौर पर प्रस्तुत किया जाता है तथा लाभ एवं हानि के विवरण में परिसंपत्तियों के उपयोगी आयु के व्यवस्थित आधार पर लिखा जाता है।

आय से संबंधित अनुदान अर्थात परिसंपत्ति के अलावा अनुदान को लाभ या हानि विवरण के अंश के तौर पर 'अन्य आय' सामान्य मद के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाता है।

एक सरकारी अनुदान पूर्ण रूप से हो चुके व्ययों अथवा हानियों या कंपनी की तात्कालिक वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से, जिसका भविष्य में कोई लागत न हो, के लिए क्षतिपूर्ति के तौर पर प्राप्य बन जाता है, तथा इसे उस अवधि के लिए लाभ या हानि मद में दिखलाया जाता है जिसमें वह प्राप्य बन जाता है।

सरकारी अनुदान या प्रमोटरों के योगदान के प्रवृति के रूप में सीधे मद में लिखा जाता है जो कि शेयरधारक निधि का अंश होता है।

2.6 पट्टे

अगर अनुबंध विचार के बदले में किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार समय अवधि के लिए देता है तो अनुबंध एक पट्टा है, या इसमें पट्टा शामिल है।

2.5.1 पट्टेदार के रूप में कंपनी

तिथि के आरंभ में, जिनकी अवधि 12 महीने या उससे कम की है हो या अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की हो उन सभी पट्टों को छोड़, सारे पट्टों के लिए पट्टेदार लागत पर एक संपत्ति की उपयोग पर अधिकार को मान्यता देगा एवं पट्टे भुगतान के वर्तमान मूल्य पर एक पट्टा देयता को मान्यता दी जाएगी जो उस तिथि में भुगतान नहीं किये गए हैं।

इसके बाद, संपत्ति के उपयोग का अधिकार को लागत मॉडल का उपयोग करके मापा जाता है, जहाँ पट्टा देयता का मापन ब्याज में प्रतिबिंबित करने के लिए राशि रखाव को बढ़ाकर मापा जाता है, एवं किए गए पट्टे भुगतान को प्रतिबिंबित करने के लिए राशि रखाव को घटाकर एवं राशि रखाव को पुनःमापन कर किसी पट्टे के संशोधनों या पुनर्मूल्यांकन को प्रतिबिंबित किया जाता है।

वित्त प्रभारों को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागतों में मान्यता दी जाती हैए जब तक कि लागतों को अन्य लागू मानकों को लागू करने वाली किसी अन्य परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में शामिल नहीं किया जाता है।

संपत्ति के उपयोगी जीवन पर उपयोग के अधिकार का मूल्यह्रास किया जाता हैए यदि पट्टा पट्टे की अवधि के अंत तक संपत्ति के स्वामित्व को पट्टेदार को हस्तांतरित करता है या यदि उपयोग के अधिकार की संपत्ति की लागत दर्शाती है कि पट्टेदार खरीद विकल्प का प्रयोग करेंगे। अन्यथाए पट्टेदार उपयोग करने हेतु अधिकार की संपत्ति का मूल्यह्रास प्रारंभ तिथि से उपयोग के अधिकार की संपत्ति के उपयोगी जीवन के अंत तक या पट्टे की अवधि के अंत तक करेगा।

2.5.2 पट्टादाता के रूप में कंपनी

परिचालन पट्टे या एक वित्त पट्टे के रूप में सभी पट्टे।

एक पट्टे को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत तब किया जाता है यदि यह अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए आकस्मिक सभी जोखिमों तथा प्रतिफल को स्थानांतरित करता है। एक पट्टे को एक संचालन पट्टे के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है जब यह सम्पत्तियों के स्वामित्व पर अंतर्निहित सभी जोखिमों और प्रतिफल को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित नहीं करता है।

संचालन पट्टे - संचालन पट्टे से भुगतान को एक सीधी आधार पर आय के रूप में पहचाना जाता है जब तक कि एक और व्यवस्थित आधार प्रतिरूप का अधिक प्रतिनिधि न हो जिसमें अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोग से लाभ कम हो।

वित्त पट्टे - एक वित्त पट्टे के तहत रखी गई संपत्ति को शुरू में इसकी तुलन पत्र में मान्यता दी जाती है और पट्टे में शुद्ध निवेश को मापने के लिए पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके पट्टे में शुद्ध निवेश के बराबर राशि के रूप में प्राप्य के रूप में उन्हें प्रस्तुत किया जाता है।

2.7 विक्रय के लिए रखा गया गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ

कंपनी गैर-चालू (एवम/(अथवा परिव्यक्त समूह) का विक्रय के लिए रखती है यदि उनके भारित राशि की वसुली मुख्य रूप से विक्रय के द्वारा होगी न कि लगातार उपयोग की वजह से। विक्रय पुरा करने के लिए जरूरी कदम को यह निर्दिष्ट करना चाहिए कि विक्रय में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने या विक्रय करने की निर्णय की वापस लेने की बिलकुल संभावना नहीं है। प्रबंधन को वर्गीकरण की तारीख से एक साल के अंदर अनुर्लिग्न विक्रय के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।

इन सब उद्देश्यों के लिए, विषय लेन-देन में अन्य गैर-मौजूदा परिसम्पत्तियों के लिए गैर-मौजूदा परिसम्पत्तियों के साथ विनिमय शामिल होता है, जब विनिमय में वाणिज्यिक पहलु होता है। विषय वर्गीकरण के लिए आयोजित मानदंडों को केवल तब ही माना जाता है जब परिसम्पत्तियों या निपटान समुह अपने वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए सामान्य और परंपरागत हैं, इसको बिक्री के उपलब्ध होता है, केवल ऐसी शर्तों के लिए जो ऐसी संपत्ति या निपटान समूहों को बिक्री के लिए सामान्य और परंपरागत है, इसको बिक्री अत्यधिक संभावित है, और यह वास्तव में बेचा जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। कंपनी परिसंपत्ति या निपटान समुह की बिक्री को बेहद संभव मानती है, जब:

- उपयुक्त स्तर की प्रबंधक, परिसंपत्ति (या निपटान समुह) को बेचने के लिए प्रतिबद्ध है;
- खरीददार का पता लगाने या योजना पूरी करने के लिए एक सक्रिय कार्यक्रम शुरू किया गया है,

- संपत्ति (निपटान समूह) का, सक्रिय रूप से अपने मौजूदा उचित मूल्य के संबंध में उचित मूल्य वाली कीमत पर बिक्री के लिए, विपणन किया जा रहा है,
- वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर पूरी बिक्री के रूप में मान्यता के लिए बिक्री के योग्य होने की उम्मीद है, एवं
- योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यों का संकेत मिलता है कि यह संभावना नहीं है कि योजना में वे सब महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे या योजना को वापस ले लिया जाएगा।

2.8 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पी.पी.ई)

भूमि एतिहासिक लागत पर की जाती है। ऐतिहासिक लागत में वे सब व्यय भी शामिल है जिन्हें, संबंधित विस्थापित व्यक्तियों के लिए किए गए रोजगार के बदले भूमि के अधिग्रहण, पुनर्वास खर्च, पुनर्स्थापन लागत एवं क्षतिपूर्ति के लिए प्रत्यक्ष रूप से श्रेय दिया जाता है।

मान्यता के बाद, अन्य सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की एक वास्तु को, लागत प्रतिमान के तहत किसी भी संचित अवमूल्यन किसी भी संचित हानि को अपने लागत से घटाकर आगे लिया जाता है। संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों की एक मद में शामिल है:

(1) इसकी खरीद मूल्य, व्यापार छूट और छूट की कटौती के बाद आयात शुल्क तथा गैर-वापसी योग्य सहित।

(2) कोई लागत जिसे परिसंपत्ति की स्थल तक लाने का सीधा श्रेय हो तथा प्रबंधन के उद्देश्य से कार्य करने में सक्षम होने के जरूरी शर्त

(3) वस्तु को नष्ट करने एवं निकालने तथा उस स्थल को, जहां पर वह स्थित पुनर्स्थापित करने की लागत का प्रारंभिक अनुमान, वह जिसके लिए एक इकाई या तो तब उठती है जब वस्तु अधिग्रहित हो जाता है या किसी विशेष अवधि के दौरान वस्तु का उपयोग करने के फलस्वरूप उस अवधि के दौरान सामान-सूची बनाने के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए।

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के एक वस्तु का प्रत्येक भाग, जिसकी लागत, वस्तु के कुल लागत की तुलना में महत्वपूर्ण है, का अवमूल्यन अलग से होता है। यद्यपि पी पी ई के एक वस्तु के महत्वपूर्ण भाग (भागों), जिनका उपयोगी जीवन एवं मूल्यह्रास विधि एक समान होता है, को मूल्यह्रास विधि एक समान होता है, को मूल्यह्रास शुल्क निर्धारित करने के लिए एक साथ समुहीकृत किया जाता है।

''मरम्मत एवं रख-रखाव'' के वर्णित दिन-प्रतिदिन की सर्विसिंग की लागत उस अवधि में लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त होती है जिसे उस अवधि में खर्च किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की एक मद की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण जगहों को बदलने के बाद की लागत वस्तु की वहन राशि में पहचाने जाते हैं, अगर यह संभव है कि वस्तु के साथ जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी के पास आएंगे, और वस्तु की लागत मजबूती से मापा जा सकता है। प्रतिस्थापित किए जाने वाले उन हिस्सों ले जाने वाली मात्रा का नीचे दिए गए विरूपण नीति के अनुसार अस्वीकृत कर दिया जाता है।

परिसम्पत्तियों के उपयोग से भविष्य में किसी भी आर्थिक लाभ की आशा नहीं होने तथा निपटान पर संपत्ति, सयंत्र या उपकरण को अमान्य मन जाता है। संपत्ति, सयंत्र और उपकरणों के किसी भी एक मद में होने वाली लाभ-हानि को लाभ-हानि की श्रेणी में रखा जाता है।

जब वृहत निरीक्षण किया जाता है तो उसको लागत को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के वस्तु की मात्रा में प्रतिस्थापन के रूप में पहचाना जाता है यदि यह संभावित है कि वस्तु के साथ जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी के पास आएंगे और वस्तु की लागत मजबूती से मापा जा सकता है। पिछली निरीक्षण (भौतिक भागों से अलग) की लागत का कोई शेष हो जाने वाली राशि को अवनित कर दिया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरणों के मूल्य ह्रास को, लगान मुक्त भूमि को छोड़कर, परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन के उपर निधि रेखा के आधार पर लागत प्रतिमान के अनुसार निम्नलिखित तौर पर प्रदान की जाती है:

अन्य भूमि (पट्टा भूमि सहित)	:	परियोजना की आयु या पट्टा अवधि जो भी कम हो
भवनें	:	3-60 वर्ष
सड़कें	:	3-10 वर्ष
दूर-संचार	:	3-9 वर्ष
रेलवे साइडिंग	:	15 वर्ष
सयंत्र एवं उपकरण	:	5-30 वर्ष
कंप्यूटर एवं लैपटॉप	:	3 वर्ष
कार्यालय उपकरण	:	3-6 वर्ष
फर्नीचर एवं फिक्सचर	:	10 वर्ष
वाहन	:	8-10 वर्ष

तकनीकि मूल्यांकन के आधार पर, प्रबंधन का मानना है कि उपर दिए गए उपयोगी जीवन अवधि उस सर्वोत्तम अवधि को चित्रित करता है जिसपर प्रबंधन को परिसंपत्ति उपयोग करने का अनुमान है। अतएव परिसम्पत्तियों के उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम, 2013 के शेड्यूल के भाग - सी के तहत निर्धारित उपयोगी जीवन से भिन्न हो सकते हैं।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिसम्पत्तियों की अनुमति उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों का अवशिष्ट मूल्य परिसंपत्ति के मूल लागत का 5 प्रतिशत माना जाता है सिवाय परिसम्पत्तियों की कुछ

सामान को छोड़कर जैसे कोयला टन/घुमावदार रस्सियां, ढुलाई रस्सियां, भराई पम्प एवं सुरक्षा लैप इत्यादि, जिसके लिए तकनीकि रूप से अनुमानित उपयोगी जीवन का निर्धारण शुन्य अवशिष्ट मूल्य के साथ एक साल का किया गया है।

वर्ष के दौरान जोड़े/निकाले गए परिसम्पत्तियों पर मूल्य ह्रास को जोड़/निपटान महीने के संदर्भ में यथानुपात आधार पर प्रदान किया गया है।

''अन्य भूमि'' के मूल्य में कोल बियरींग एरिया (अधिग्रहण एव निकाल); सी वी सी अधिनियम, 1957 भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1989 भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार या पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आरएफसीटीएलएएआर) अधिनियम, 2013, सरकारी भूमि आदि का दीर्घकालीन हस्तांतरण, जो परियोजना की शेष जीवन के आधार पर परिशोधित होता है और पट्टे की भूमि के मामले में इस तरह के परिशोधन को पट्टे की अवधि या परियोजना के शेष जीवन पर, जो भी कम हो, पर आधारित होता है।

पूरी तरह अवशिष्ट परिसंपत्ति को, जिनकी सक्रिय उपयोग समाप्त है, संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के तहत अपने अवशिष्ट मूल्य पर अलग से सर्वेक्षण की हुई परिसंपत्ति के रूप में दिखलाया जाता है तथा उन्हें हानि के लिए परीक्षण किया जाता है।

कंपनी द्वारा कुछ परिसम्पत्तियों के निर्माण/विकास के लिए किए गए पूंजीगत व्यय, जो उत्पादन वस्तु आपूर्ति या कंपनी के किसी मौजूद परिसम्पत्तियों तक पहुंच के लिए आवश्यक होते हैं, को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के तहत सक्षम परिसम्पत्तियों के रूप में चिन्हित किया जाता है।

भारतीय लेखा मानक में ट्रांजीशन

पिछली जीएएपी के अनुसार मापी गई, भारतीय लेखा मानक में संक्रमण की तिथि पर वित्तीय विवरणों में पहचाने जाने वाले लागत प्रतिमान (अपने सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के लिए) के अनुसार वहन मूल्य को जारी रखने की कंपनी ने चुना है।

2.9 खान बंदीकरण, स्थल पुनर्स्थापन एवं सेवामुक्तिकरण दायित्व

भूमि सुधार एवं संरचनाओं के सेवा से मुक्ति संबंधी दायित्व कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सतह एवं भूमिगत दोनों खानों पर खर्च करना शामिल है। कंपनी, आवश्यक कार्यों को पूरा करने के लिए भविष्य की नकदी खर्च भी राशि एवं समय की विस्तृत गणना तथा तकनीकि आकलन के आधार पर खान बंदीकरण, स्थल पुनर्स्थापन एवं सेवा-नियुक्तिकरण के लिए दायित्व का अनुमान लगाती है। खान बंदीकरण व्यय स्वीकृत खान बंदीकरण योजना के अनुसार प्रदान की जाती है। व्ययों के अनुसार मुद्रास्फीति के लिए बढ़ाए जाते हैं, और फिर एक छूट दर पर छुट दी जाती है जो कि मुद्रा के समय मूल्य के मौजूदा बाजार मूल्यांकन और जोखिमों को दर्शाती है, जैसे कि प्रावधान की राशि दायित्व के निपटारे के लिए जरूरी अनुमानित व्यय के मौजूदा मूल्य को दर्शाती है। कंपनी अंतिम भूमि सुधार एवं खान बंदीकरण के लिए दायित्व से संबंधित परिसंपत्ति का आंकड़ा रखती है/रिकार्ड करती है। दायित्व एवं उससे संबंधित परिसम्पत्तियों को देयता अवधि में मान्यता प्राप्त होता है। दायित्व एवं उससे संबंधित परिसम्पत्तियों को देयता अवधि में मान्यता प्राप्त होता है। खदान बंदीकरण योजना के अनुसार कुल पुनर्स्थापन लागत (सीएमपीडीआईएल के द्वारा अनुमानित) को दर्शाने वाली परिसंपत्ति को पीपीई (संयंत्र, उपकरण) में एक अलग वस्तु के रूप में पहचाना जाना है और यह शेष परियोजना/खान जीवन पर परिशोधित होता है।

प्रावधान का मूल्य छुट के प्रभाव के रूप में धीरे-धीरे समय पर बदला जाता है और इससे उत्पन्न व्यय की वित्तीय व्ययों के रूप में लिया जाता है।

इसके अलावा, अनुमोदित खान बंदीकरण योजना के अनुसार इस उद्देश्य के लिए एक विशेष एस्क्रो निधि खाता का रख-रखाव किया जाता है।

कुल खदान बंदीकरण दायित्वों का हिस्सा बनने वाले वर्ष दर वर्ष के आधार पर किए जाने वाले प्रगतिशील खदान बंदीकरण व्ययों को प्रारंभिक रूप में एस्क्रो खाते से प्राप्य के रूप में पहचाना जाता है और उसके बाद उस वर्ष में दायित्व के साथ समायोजित।

2.10 गवेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्ति

गवेषण और मूल्यांकन परिसम्पत्तियों में पूँजीगत लागत शामिल होती है, जो कि कोयला और संबंधित संसाधनों की खोज के कारण होती है, जो तकनीकि व्यवहार्यता के निर्धारण तथा एक ऐसे संसाधन के वाणिज्यिक व्यवहार्यता क मूल्यांकन के लिए लंबित होती है जिसमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- गवेषण के अधिकारों का अधिग्रहण;
- ऐतिहासिक गवेषण आंकड़ा का शोध तथा विश्लेषण;
- भौगोलिक-रासायनिक तथा भौगोलिक-शारीरिक अध्ययन के माध्यम से गवेषण के आंकड़े एकत्रित करना;
- खोजी वेधन, खाई-खुदाई एवं नमूना;
- संसाधनों की मात्रा एवं श्रेणी का निर्धारण और जांच;
- परिवहन एवं आवश्यक आधारभूत संरचनाओं का पर्यवेक्षण;
- बाजार एवं वित्त अध्ययन का आयोजन

उपर्युक्त में कर्मचारी पारिश्रमिक, सामग्री लागत तथा उपयोग की जानेवाली ईंधन, ठेकेदारों का भुगतान आदि शामिल है।

चूंकि अमूर्त घटक भविष्य के शोषण से खर्च किये जाने और पुनर्नवीनी की जानेवाली समग्र अपेक्षित मौखिक लागत का एक तुच्छ/अप्रभेद्य भाग का प्रतिनिधित्व करता है, इन लागतों को अन्य पूंजीगत गवेषण लागतों के साथ गवेषण तथा मूल्यांकन परिसंपत्ति के रूप में दर्ज किया जाता है।

गवेषण एवं मूल्यांकन लागत परियोजना-दर-परियोजना के आधार पर तकनीकि व्यवहार्यता तथा परियोजना की व्यवसायिक व्यवहार्यता के लंबित निर्धारण तथा गैर-मौजूदा परिसम्पत्तियों के तहत एक अलग पंक्ति वस्तु के रूप में प्रकट किये जाते हैं। बाद में वे संचित हानि/प्रावधान को लागत में से कम करके मापे जाते हैं।

एक बार प्रमाणित होने के बाद कि भंडार का निर्धारण एवं

खान/परियोजनाओं का विकास मंजूर है, गवेषण एवं मूल्यांकन परिसम्पत्तियों को प्रगति में पूंजीगत कार्य के तहत ''विकास'' में स्थानांतरित की जाती है। यद्यपि, यदि प्रमाणित किये गये भंडार का निर्धारण नहीं किया जाता है, तो गवेषण और मूल्यांकन परिसंपत्ति को अस्वीकृत कर दिया जाता है।

2.11 विकास व्यय

जब प्रमाणित भंडार का निर्धारण किया जाता है तथा खानों/परियोजनाओं के विकास को मंजूर किया जाता है, पूंजीकृत गवेषण एवं मूल्यांकन लागत को परिसंपत्ति के निर्माण के रूप में पहचाना जाता है और ''विकास'' मद के तहत प्रगति में पूंजीगत कार्य के एक घटक के रूप में प्रकट किया जाता है। इसके बाद के सभी विकास व्यय का भी पूंजीकरण किया गया है। विकास के चरण के दौरान निकाले जाने वाले कोयले की बिक्री से प्राप्त शुद्ध आय का पूंजीकरण किया गया है।

व्यवसायिक संचालन

परियोजना/खानों को राजस्व में लाया जाता है: जब टिकाउ आधार पर उत्पादन देने के लिए एक परियोजना/खदान की व्यवसायिक तैयारी या तो परियोजना रिपोर्ट में बताई गई शर्तों के आधार पर या निम्न मापदंडों के आधार पर स्थापित की जाती है:

(1) जिस वर्ष में अनुमोदित परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार, परियोजना के लिए निर्धारित क्षमता का 25 प्रतिशत भौतिक उत्पादन प्राप्त करता है, उस वर्ष के तुरंत बाद के वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से, या

(2) कोयले को छूने के 2 साल, या

(3) वित्तीय वर्ष के शुरूआत से जिसमें उत्पादन का मूल्य कुल खर्च से अधिक है जो भी घटना पहले घटित होती है;

राजस्व में लाये जाने पर, पूंजीगत कार्य के तहत परिसंपत्ति को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के एक घटक के रूप में ''अन्य खनन बुनियादी ढ़ांचे'' नामकरण के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। अन्य खनन आधारभूत संरचना को वर्ष से परिशोधित किया जाता है। जब खदान 20 वर्षों में राजस्व में लाया जाता है या परियोजना के कामकाजी जीवन से, जो भी कम हो।

2.12 अमूर्त परिसंपत्तियां

अलग से अधिगृहित अमूर्त परिसम्पत्तियों को प्रारंभिक मान्यता लागत पर मापा जाता है। एक व्यापार संयोजन में हासिल की जानेवाली अमूर्त परिसंपत्ति की लागत अधिग्रहण की तारीख पर उसका उचित मूल्य है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त परिसंपत्तियां किसी भी संक्षिप्त परिशोधन (उनके उपयोगी जीवन के उपर सीधी रेखा के आधार पर की गई गणना) और संचित हानि के नुकसानों पर खर्च की जाती है, यदि कोई हो।

आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त संपत्तियां, पूंजीगत विकास लागत को छोड़कर, पूंजीकृत नहीं किये जाते हैं। इसके बजाय, संबंधित व्यय को उस अवधि में लाभ या हानि तथा अन्य व्यापक आय के विवरण में पहचाना जाता है जिसमें व्यय किया गया है। अमूर्त परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन को परिमित या अनिश्चित काल के रूप में मूल्यांकन किया जाता है। अमूर्त संपत्ति में विकृति होने के संकेत मिलने पर, परिमित जीवन के साथ अमूर्त परिसंपत्ति उनके उपयोगी आर्थिक जीवन से परिशोधित होती है एवं हानि के लिए मूल्यांकन की जाती है। परिशोधन अवधि एवं परिमित उपयोगी जीवन के साथ एक अमूर्त परिसंपत्ति के लिए परिशोधन विधि की कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन या परिसंपत्ति में अंकित भविष्य के आर्थिक लाभों के उपभोग के अपेक्षित पैटर्न में परिवर्तन को परिशोधन अवधि या विधि, जो भी उपर्युक्त हो, को संसोधन के लिए माना जाता है, और लेखा के अनुमानों में परिवर्तन के रूप में लिया जाता है। परिमित जीवन के साथ अमूर्त परिसंपत्ति पर परिशोधन व्यय को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दिया जाता है।

एक अनिश्चित उपयोगी जीवन के साथ एक अमूर्त परिसंपत्ति को परिशोधित नहीं किया जाता है बल्कि प्रत्येक रिपोर्टिंग की तारीख पर हानि के लिए इसकी जांच की जाती है।

एक अमूर्त परिसंपत्ति की मान्यता रद्द होने से उत्पन्न लाभ या हानि को शुद्ध निपटान प्राप्ति एवं परिसंपत्ति की वहन राशि के अंतर के रूप में मापा जाता है तथा लाभ और हानि के विवरण में इसे मान्यता प्राप्त होता है।

बिक्री के लिए पहचाने जाने वाले या बाहर की एजेंसियों को बेचने के लिए प्रस्तावित ब्लॉकों के लिए गवेषण तथा मूल्यांकन परिसंपत्तियां (अर्थात सीआइएल के लिए अनिर्धारित ब्लॉक) को यद्यपि अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है और हानि के लिए परीक्षण किया गया है।

अनुसंधान और विकास को व्यय होते ही व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.13 परिसम्पत्तियों की हानि (वित्तीय परिसम्पत्तियों के अलावा)

कंपनी अनेक रिपोर्टिंग के अंत में आंकलन करती है कि यदि किसी परिसंपत्ति में विकृति आने का संकेत है। ऐसे किसी संकेत के मौजूद होने पर कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। एक परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि, परिसंपत्ति या उपयोग में मौजूद नगद उत्पन्न करने वाले यूनिट के मूल्य एवं निपटारा लागत कम करने के उपरांत इसके अंकित मूल्य से अधिक होता है और इसका निर्धारण व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए किया जाता है, जबतक कि परिसंपत्ति नगदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती जो कि काफी हद तक अन्य परिसंपत्ति या परिसम्पत्तियों के समूह से स्वतंत्र होती है, उस स्थिति में नगद उत्पन्न करनेवाली इकाई के लिए वसूली योग्य राशि निर्धारित की जाती है जिसके लिए परिसंपत्ति संबंधित है। कंपनी व्यक्तिगत खानों को हानि के परीक्षण के उद्देश्य के लिए अलग नगदी उत्पन्न करने वाली इकाइयों के रूप में मानती है।

अगर किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि को उसकी वहन राशि से कम होने का अनुमान लगाया गया है तो परिसंपत्ति की वहन राशि इसके वसूली योग्य राशि से कम हो जाती है और इससे हुए हानि को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.14 निवेश संपत्ति

वैसी संपत्ति (भूमि या भवन या किसी भवन का हिस्सा या दोनों) जिसे किराया या पूंजी की वृद्धि या दोनों के लिए रखा गया है, बजाय माल या सेवाओं के उत्पादन या आपूर्ति या प्रशासनिक उद्देश्यों के

लिए उपयोग करने अथवा व्यापार के साधारण क्रम में बिक्री के लिए, को निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

निवेश संपत्ति की शुरूआत अपनी लागत पर होती है जिसमें संबंधित लेन-देन लागत तथा जहां कहीं भी लागू उधार लागत शामिल होता है।

निवेश गुणों में अवमूल्यन उसके अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करते हुए होता है।

2.15 वित्तीय साधन

वित्तीय साधन एक ऐसा अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति और किसी अन्य इकाई के वित्तीय देयता या इक्विटी साधन को उत्पन्न करता है।

2.15.1 वित्तीय परिसम्पत्तियाँ

2.15.1 प्रारंभिक मान्यता एवं मापन

वैसे सभी वित्तीय परिसम्पत्तियाँ को, जिनको लाभ हानि विवरण के माध्यम से अंकित मूल्य में नहीं दर्ज किया गया है तथा वित्तीय परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण के कारण उत्पन्न लेन-देन लागत के संबंध में, प्रारंभिक रूप से अंकित मूल्य पर मान्यता दिया जाता है। खरीदारी या वित्तीय परिसम्पत्तियों की बिक्री, जो बाजार में मौजूद नियमन या प्रथा के द्वारा स्थापित किए गए समय सीमा के अंदर परिसम्पत्तियों के देनदारी के लिए जरूरी होता है, को व्यापार तिथि पर मान्यता प्राप्त होता है, यानि जिस तारीख पर कम्पनी परिसम्पत्ति की खरीदारी या बिक्री के लिए प्रतिबद्ध होती है।

2.15.2 बाद के मापन

बाद के मापन के उद्देश्यों के लिए वित्तीय परिसम्पत्तियों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

- परिशोधित लागत पर ऋण साधन।
- अन्य व्यापक आय (एफ भी टी ओ सी आई) के माध्यम से अंकित मूल्य पर ऋण साधन।
- लाभ एवं हानि (एफ भी टी पी एल) के माध्यम से अंकित मूल्य पर ऋण साधन, व्युत्पन्न एवं इक्विटी साधन।
- अन्य व्यापक आय (एफ भी टी ओ सी आई) के माध्यम से अंकित मूल्य पर मापे गए इक्विटी साधन।

2.15.2.1 परिशोधित लागत पर ऋण साधन

ऋण साधन को परिशोधित लागत पर मापा जाता है यदि निम्न स्थितियां पूरी होती है:

(1) परिसम्पत्ति को एक व्यापार प्रतिमान के अंदर रखी जाती है जिसका उद्देश्य संविदागत नकदी को प्रवाह एकत्रित करने के लिए परिसम्पत्ति रखना है, एवं

(2) परिसम्पत्ति के अनुबंध संबंधी शर्तें निर्दिष्ट तिथियों में नगदी प्रवाह को उत्पन्न करते हैं जो कि बकाया मूलधन राशि पर सिर्फ मूलधन एवं ब्याज (एस पी पी आई) का भुगतान होता है।

प्रारंभिक माप के बाद ऐसी वित्तीय परिसम्पत्तियों को प्रभावी ब्याज दर (ई आई आर) पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर प्रीमियम या कटौती तथा फीस या लागत जो कि ई आई आर का अभिन्न अंग होता है। ई आई आर परिशोधन को लाभ या हानि में वित्तीय आय के रूप में शामिल किया गया है। विकृति के कारण उत्पन्न हानियों को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

2.15.2.2 एफवीटीओसीआई पर ऋण साधन

ऋण साधन को एफभीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि निम्न दोनों मानदंड पूरे हो जाते हैं:

(1) व्यापार प्रतिमान का उद्देश्य दोनों संविदागत नगदी प्रवाह को एकत्र करके तथा वित्तीय परिसम्पत्तियों को बेचकर हासिल किया जाता है, एवं

(2) परिसम्पत्ति के नगदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करते हैं।

एफभीटीओसीआई श्रेणी में शामिल ऋण साधनों को शुरूआत में ही तथा साथ ही साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को उचित मूल्य पर मापा जाता है। उचित मूल्य चलन को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में लिया जाता है। यद्यपि कम्पनी, ब्याज आय, विकृति हानि एवं उत्क्रमण तथा विदेशी विनिमय से संबंधित लाभ या हानि को, लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता देती है। परिसम्पत्ति की मान्यता रद्द होने पर ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचेय लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ/हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। एफभीटीओसीआई ऋण साधन रखने पर ईआईआर पद्धति का उपयोग करते हुए ब्याज आय के रूप में अर्जित ब्याज को दर्ज किया जाता है।

2.15.2.3 एफवीटीपीएल पर ऋण साधन

एफभीटीपीएल ऋण साधनों के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है। किसी भी ऋण साधन, जो वर्गीकृत किए गए मानदंडों को परिशोधित लागत या एफभीटीओसीआई के रूप पूरा नहीं करता है, को एफभीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अलावा, कम्पनी एक ऋण साधन नामित करने का चुनाव कर सकती है, जो अन्यथा एफभीटीपीएल के अनुसार परिशोधित लागत या एफभीटीओसीआई मानदंडों को पूरा करती है। यद्यपि ऐसे चुनाव की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब कोई माप या मान्यता असंगतता को कम कर देता है या समाप्त कर देता है (जिसे "बेमेल लेखा" कहा जाता है)। कम्पनी ने किसी भी ऋण साधन को एफभीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया है।

एफभीटीपीएल श्रेणी में शामिल ऋण साधनों को उचित मूल्य पर मापा जाता है, जिसमें लाभ एवं हानि में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तन मौजूद होते हैं।

2.15.2.4 सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम में इक्विटी निवेश

भारतीय लेखा मानक 101 (भारतीय लेखा मानक का पहली बार अंगीकरण) पारगमन की तिथि पर पिछले जीएएपी के अनुसार इन निवेशों की वहन राशि को स्वीकृत लागत के रूप में माना जाता है। इसके बाद सहायक, सहयोगी एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश को लागत पर मापा जाता है।

समेकित वित्तीय विवरण के संदर्भ में, सहयोगी एवं संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेशों का लेखाकरण भारतीय लेखा मानक 28 के पारा 10 में वर्णीत इक्विटी विधि के अनुसार किया जाता है।

2.15.2.5 अन्य इक्विटी निवेश

भारतीय लेखा मानक 109 के दायरे में अन्य सभी इक्विटी निवेशों को लाभ या हानि के माध्यम से अंकित मूल्य पर मापा जाता है।

अन्य सभी इक्विटी साधनों के लिए, कंपनी अंकित मूल्य में व्यापक आय के बाद के बदलाव में प्रस्तुत करने के लिए अटल चुनाव कर सकती है। कम्पनी इस तरह के चुनाव साधन-दर-साधन के आधार पर करती है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया जाता है और यह अपरिवर्तनीय होता है।

अगर कम्पनी एफभीटीओसीआई पर आधारित इक्विटी साधन को वर्गीकृत करने का फैसला करती है, तो लाभांशों को छोड़कर, साधन पर सभी अंकित मूल्यों में परिवर्तनों को ओसीआई में लिया जाता है। इन राशियों का ओसीआई से लाभ एवं हानि में किसी भी प्रकार का पुनर्वृति नहीं होता है, निवेशों के बिक्री पर भी नहीं। यद्यपि कम्पनी इक्विटी के तहत संचयित लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकती है।

एफभीटीपीएल श्रेणी के अंदर शामिल इक्विटी साधनों को लाभ एवं हानि में लिये गये सभी परिवर्तनों के साथ अंकित मूल्य पर मापा जाता है।

2.15.2.6 अस्वीकृति

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के एक समूह का हिस्सा) की मान्यता को मुख्यतः समाप्त (अर्थात, कम्पनी के समेकित तुलन पत्र से हटाई गई) किया जाता है जब:

- परिसंपत्ति से नगद प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार की समय सीमा समाप्त हो गई है, या
- कम्पनी ने परिसंपत्ति से नगद प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है या "पास-थ्रू" व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्ष को बिना भौतिक देरी के पूरी तरह से प्राप्त नगदी प्रवाह का भुगतान करने के लिए एक दायित्व को ग्रहण किया है: और या तो (ए) कम्पनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों एवं पुरस्कारों को काफी हद तक स्थानांतरित कर दिया है, या (बी) कम्पनी ने न तो स्थानांतरण किया है और न ही परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को संभाल कर रखा है, बल्कि परिसंपत्ति पर नियंत्रण को स्थानांतरित कर दिया है।

जब कंपनी परिसंपत्ति से नगदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है या पास-थ्रू व्यवस्था में प्रवेश किया है, तो यह मूल्यांकन करता है कि क्या और किस हद तक इसने स्वामित्व के जोखिमों एवं पुरस्कारों को संभाल कर रखा है। जब यह न तो स्थानांतरित हो गया है और न ही परिसंपत्ति के सभी जोखिमों एवं पुरस्कारों को बनाए रखा है, न ही परिसंपत्ति का स्थानांतरण किया है, कम्पनी अपने निरंतर सहभागिता की सीमा तक स्थानांतरित परिसंपत्ति को मान्यता देता रहता है। उस मामले में, कम्पनी एक संबद्ध दायित्व को भी मान्यता देती है। स्थानांतरित किये गये परिसंपत्ति एवं संबद्ध देयता को इस आधार पर मापा जाता है कि वह कम्पनी के द्वारा रखे गये अधिकारों एवं दायित्वों को दर्शाता है। स्थानांतरित परिसंपत्ति पर गारंटी का आकार लेने वाली सतत् भागीदारी को, संपत्ति के मूल वहन राशि एवं कम्पनी के द्वारा विचाराधीन अधिकतम चुकाने की राशि, में से न्यूनतम पर मापा जाता है।

2.15.2.7 वित्तीय परिसम्पत्तियों की विकृति/हानि (उचित मूल्य के अलावा)

भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार, कम्पनी अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) प्रतिमान को मापने और निम्नलिखित वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं खुले हुए क्रेडिट जोखिम पर हानि के नुकसान की पहचान करती है:

(1) वित्तीय परिसंपत्तियां जो कि ऋण साधन है, और परिशोधित लागत पर मापे जाते हैं जैसे कि ऋण, ऋण प्रतिभूतियां, जमा, व्यापार प्राप्य एवं बैंक शेष।

(2) वित्तीय परिसंपत्तियां जो कि ऋण साधन है और एफभीटीओसीआई पर मापी जाती है

(3) भारतीय लेखा मानक 116 के तहत प्राप्य पट्टे

(4) व्यापार प्राप्तियां या नगद या किसी अन्य वित्तीय परिसंपत्ति, जो कि भारतीय लेखा मानक 115 के सीमा के अंदर हुए लेन-देनों के कारण उत्पन्न होता है, को प्राप्त करने के लिए कोई संविदात्मक अधिकार।

निम्नलिखित पर विकृति हानि भत्ता के मान्यता के लिए कम्पनी "सरलीकृत दृष्टिकोण को अनुसरण करती है:

- व्यापार प्राप्य या संविदा राजस्व प्राप्य: तथा
- भारतीय लेखा मानक 116 के सीमा के अंदर हुए लेन-देन के कारण उत्पन्न सभी पट्टे प्राप्तियां

सरलीकृत दृष्टिकोण की अनुप्रयोग के लिए कम्पनी को क्रेडिट जोखिम में होने वाले परिवर्तनों को पता लगाने की जरूरत नहीं होती है। बल्कि इसे प्रारंभिक मान्यता से शुरू प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर जीवन भर के इसीएल के आधार पर विकृति हानि भत्ता को मान्यता देती है।

2.15.3 वित्तीय देनदारियाँ

2.15.2.1 प्रारंभिक मान्यता एवं मापन

कम्पनी की वित्तीय देनदारियों में व्यापार एवं अन्य देनदारियां, बैंक ओवरड्राफ्ट सहित ऋण एवं उधार शामिल है।

सभी वित्तीय देनदारियों को प्रारंभिक रूप में अंकित मूल्य पर लिया जाता है और, ऋण और उधार तथा देनदारियों के मामले में, प्रत्यक्ष तौर पर आरोपित लेन-देन लागतों का निबल राशि।

2.15.3.2 बाद के मापन

वित्तीय देनदारियों का माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जो कि नीचे वर्णित है:

2.15.3.3 लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियाँ

लाभ या हानि के माध्यम से अंकित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों में लाभ या हानि के माध्यम से अंकित मूल्य के रूप में प्रारंभिक मान्यता पर नामित व्यापारिक एवं वित्तीय देनदारियों के लिए वित्तीय देयताएं शामिल होते हैं। वित्तीय देयताओं को व्यापार के लिए रखे जाने के तौर पर वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। इस श्रेणी में कम्पनी द्वारा दर्ज वैसे व्युत्पन्न वित्तीय साधनों को भी शामिल किया गया है जिन्हें भारतीय लेखा मानक 109 के द्वारा परिभाषित हेज संबंध में हेजिंग साधन के तौर पर नामित नहीं किया गया है। अलग-अलग एमबेडेड डेरीवेटिव्स को भी ट्रेडिंग के

लिए वर्गीकृत किया जाता है, जबतक उन्हें प्रभावी हेजिंग साधन के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है।
व्यापार के लिए रखे गये देनदारियों पर लाभ या हानि को लाभ-हानि में लिया जाता है।

लाभ या हानि के माध्यम से अंकित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता के रूप में नामित वित्तीय देनदारियों को इस प्रकार मान्यता की प्रारंभिक तारीख पर नामित किया जाता है, यदि भारतीय लेखा मानक 109 में दिये गये मानदंडों की संतुष्टि होती है। एफभीटीपीएल के रूप में नामित देनदारियों के रूप में, ओसीआई में स्वयं के क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन के कारण उचित मूल्य लाभ/हानि को मान्यता दी जाती है। ये लाभ/हानि बाद में लाभ एवं हानि में हस्तांतरित किये जाते हैं। यद्यपि कम्पनी इक्विटी के तहत संचित लाभ या हानि को हस्तांतरित कर सकती है। ऐसे दायित्व के अंकित मूल्य में अन्य सभी परिवर्तन लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दिए जाते हैं। कंपनी ने लाभ या हानि के माध्यम से अंकित मूल्य के रूप में किसी वित्तीय देयता को निर्दिष्ट नहीं किया है।

2.15.3.4 परिशोधित लागत पर वित्तीय देनदारियाँ

प्रारंभिक मान्यता के बाद, इन्हें प्रभावी ब्याज दर विधि के द्वारा बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लाभ या हानियों को तभी लाभ या हानि में मान्यता दिया जाता है जब देनदारियों को प्रभावी ब्याज दर परिशोधन विधि के माध्यम से साथ ही साथ असंबद्ध किया जाता है। परिशोधित लागत की गणना, कोई भी कटौती या अधिग्रहण पर प्रीमियम एवं फीस या लागत, जो कि प्रभावी ब्याज दर के अभिन्न अंग होते हैं, को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को वित्तीय लागत के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में शामिल किया जाता है। सामान्यतः यह श्रेणी उधार लेने की स्थिति पर लागू होती है।

2.15.3.5 अस्वीकृति

एक वित्तीय देयता की मान्यता को समाप्त किया जाता है जब देनदारियों के अन्तर्गत दायित्व का निर्वाह किया जाता है या रद्द या समाप्त किया जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को एक ही ऋणदाता से काफी भिन्न शब्दों पर बदल दिया जाता है, या मौजूदा दायित्व की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो इस तरह के विनिमय या संशोधन को मूल उत्तरदायित्व की मान्यता और नई देनदारी की मान्यता के रूप में माना जाता है। वित्तीय देयताओ (या वित्तीय देनदारी का हिस्सा) के वहन राशि जो कि समाप्त हो चुके हैं या दूसरी पार्टी को हस्तांतरित किए गए हैं एवं कोई भी गैर नगद परिसंपत्ति हस्तांतरित किया गया या माने गए देयताओं के बीच के अंतर को लाभ या हानि में मान्यता दिया जाएगा।

2.15.4 वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण

कम्पनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देनदारियों का वर्गीकरण निर्धारित करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए कोई पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है जो इक्विटी साधन एवं वित्तीय देनदारियां हैं। वैसे वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए जो ऋण साधन हैं, पुनर्वर्गीकरण तभी किया जाता है यदि उन परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यापार प्रतिमान में कोई बदलाव किया गया हो। व्यापारिक प्रतिमान में होनेवाले बदलाव के लिए विलक्षण होने की संभावना है। कम्पनी के वरिष्ठ प्रबंधन, व्यापार के प्रतिमान में परिवर्तन को बाहरी या आंतरिक परिवर्तन के परिणाम के रूप में निर्धारित करता है जो कम्पनी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे परिवर्तन बाह्य पक्षों के लिए स्पष्ट होता है। व्यवसाय प्रतिमान में बदलाव तब होता है जब कम्पनी या तो शुरू होती है या किसी गतिविधि को पूरा करने के लिए समाप्त होती है जो कि उसके संचालन के लिए महत्वपूर्ण होती है। यदि कम्पनी वित्तीय परिसंपत्तियों को पुनर्वर्गीकृत करती है तो यह पुनर्वर्गीकरण की तारीख से पुनः परिष्करण पर लागू होता है जो व्यापार प्रतिमान में बदलाव के तुरंत बाद अगली रिपोर्टिंग अवधि का पहला दिन होता है। कम्पनी पहले से किसी भी मान्यता प्राप्त लाभ, हानि (विकृति के कारण लाभ या हानि सहित) या ब्याज को पुनर्लिखित नहीं करती है।

निम्नलिखित तालिका में विभिन्न पुनर्वर्गीकरणों को एवं उनके लेखाकरण के तरीकों को दिखलाया गया है।

मूल वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखा उपचार
परिशोधित लागत	एफभीटीपीएल	अंकित मूल्य को पुनर्वर्गीकरण तारीख पर मापा जाता है। पिछले परिशोधित लागत एवं अंकित मूल्य के बीच के अंतर को लाभ एवं हानि में लिया जाता है।
एफभीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण की तारीख पर अंकित मूल्य नई समेकित वहन राशि बन जाती है। ईआईआर की गणना नई समेकित वहन राशि के आधार पर की जाती है।
परिशोधित लागत	एफभीटीओसीआई	अंकित मूल्य को पुनर्वर्गीकरण तारीख पर मापा जाता है। पिछले परिशोधित लागत एवं अंकित मूल्य के बीच के अंतर को लाभ एवं हानि में लिया जाता है। पुनर्वर्गीकरण के कारण ईआईआर में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
एफभीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण की तारीख पर अंकित मूल्य नई समेकित वहन राशि बन जाती है। यद्यपि ओसीआई में संचयी लाभ या हानि को अंकित मूल्य के विरूद्ध समायोजित किया जाता है। बाद में, परिसंपत्ति को इस प्रकार मापा जाता है मानो कि यह परिशोधित लागत पर हमेशा मापा गया था।
एफभीटीपीएल	एफभीटीओसीआई	पुनर्वर्गीकरण की तारीख पर अंकित मूल्य नई समेकित वहन राशि बन जाती है। अन्य कोई समायोजन की जरूरत नहीं है।
एफभीटीओसीआई	एफभीटीपीएल	परिसंपत्तियों को निरंतर अंकित मूल्य पर मापा जाता है। ओसीआई में लिये गये पहले से संचयी लाभ या हानि को पुनर्वर्गीकरण की तारीख पर लाभ या हानि में वर्गीकृत किया जाता है।

2.15.5 वित्तीय साधनों का प्रति संतुलन

वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देनदारियों को प्रति संतुलित कर दिया जाता है तथा समेकित तुलन पत्र में निबल राशि की सूचना दी जाती है यदि, वर्तमान में मान्यता प्राप्त राशियों को प्रति संतुलित करने के लिए कानूनी अधिकार होता है तथा परिसंपत्तियों को प्राप्त करने एवं देयदारियों का निपटारा एक साथ करने के लिए, निबल आधार पर निपटारा करने का इरादा हो।

2.15.6 नकद एवं नकद समतुल्य

तुलन पत्र में नकद एवं नकद समतुल्य में बैंकों में नकदी एवं हाथ पर राशि और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा शामिल होते हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के निरर्थक जोखिम के अधीन होते हैं। नकदी प्रवाह के समेकित बयान के उद्देश्य से, नकदी और नकदी समकक्षों में नकदी और अल्पकालिक जमा शामिल होते हैं, जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है, बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट का निबल शामिल हैं, क्योंकि उन्हें कंपनी के नकदी प्रबंधन का एक अभिन्न अंग माना जाता है।

2.16 उधार लेने की लागत

उधार लेने की लागत व्यय के रूप में खर्च कर दी जाती है इस अपवाद के साथ, जहां वे योग्य संपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए प्रत्यक्ष रूप से श्रेय दे रहे हैं अर्थात, जो परिसंपत्तियां इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लेते हैं, उस मामले में उस परिसंपत्ति के लागत में हिस्से के रूप में, योग्य परिसंपत्ति के अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने की तारीख तक पूंजीकृत होते हैं।

2.17 कर आरोपन

आयकर व्यय वर्तमान में देय तथा स्थगित कर के योग को दर्शाता है।

वर्तमान कर एक निश्चित अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर नुकसान) के संबंध में आयकर देय (वसूली) की राशि है। लाभ या हानि के विवरण एवं अन्य व्यापक आय में दर्ज होने के अनुसार योग्य लाभ, (आयकर से पहले लाभ) से अलग होता है क्योंकि इसमें आय या व्यय की वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जो कि अन्य वर्षों में कर योग्य या घटाया जा सकता है और फिर इसमें उन वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जो कभी भी कर योग्य या घटाने लायक नहीं होते हैं। मौजूदा कर के लिए कम्पनी की देनदारी उन करों का उपयोग करके गणना की गई है जिसे अधिनियमित किया गया है या रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वास्तविक रूप से अधिनियमित किया गया है।

अस्थगित कर देनदारियों को आम तौर पर सभी कर योग्य अस्थाई अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है। अस्थगित कर परिसंपत्ति आम तौर पर सभी कटौती योग्य अस्थाई अंतर के लिए उस सीमा तक मान्यता प्राप्त होती है जहां संभावित है कि कर योग्य मुनाफा उपलब्ध होगा, जिसके साथ उन घटाने योग्य अस्थाई अंतरों का उपयोग किया जा सकता है। ऐसी परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है यदि अस्थाई अंतर सदभावना से या प्रारंभिक मान्यता (व्यापार संयोजन के अलावा) से अन्य परिसंपत्तियों या देनदारियों के लेन-देन से उत्पन्न होता है जो न तो कर योग्य लाभ और न ही लेखा लाभ को प्रभावित करता है।

अस्थगित कर देनदारियों को अनुषंगियों एवं सहयोगी कम्पनियों में निवेश से संबंधित कर-योग्य अस्थाई अंतर के लिए लिया जाता है सिवाय उस स्थिति में जहां कम्पनी अस्थाई अंतर के उत्क्रमण को नियंत्रित करने में सक्षम है तथा यह संभव है कि अस्थाई अंतर निकट भविष्य में बदल नहीं जाएगा। अस्थगित कर परिसंपत्तियां इस प्रकार के निवेशों एवं हितों से संबद्ध कटौती योग्य अस्थाई अंतरों से उत्पन्न होनेवाले अस्थगित कर परिसंपत्ति को सिर्फ उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जहां यह संभव है कि अस्थाई अंतरों के लाभ को उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ मौजूद होगा।

अस्थगित कर परिसंपत्तियों की अग्रेषित राशि की प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है और इस सीमा तक कम की जाती है कि यह संभावित नहीं है कि संपत्ति सभी या हिस्से को पुनर्प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कर योग्य मुनाफा उपलब्ध होगा। अमान्य स्थगित कर परिसंपत्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में पुनर्मुल्यांकन किया जाता है और इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित हो गया है कि अस्थगित कर परिसंपत्ति के सभी या हिस्से को पुनर्प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

अस्थगित कर परिसंपत्ति एवं देनदारियों को कर की दर से मापा जाता है जो कि उस अवधि में लागू होने की उम्मीद की जाती है, जिसमें देयता का निपटारा होता है या परिसंपत्ति की प्राप्ति होती है, कर दर (और कर कानून) के आधार पर लागू किया जाता है जिसे अधिनियमित किया गया है या रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वास्तविक रूप से अधिनियमित किया गया है।

अस्थगित कर देनदारियों एवं परिसंपत्तियों का माप, कर परिणामों को दर्शाता है जो कि कम्पनी की उम्मीद के अनुसार चलता है ताकि कम्पनी के परिसंपत्ति एवं देयताओं के वहन राशि का वसूली या निपटारा हो जाए।

वर्तमान और अस्थगति कर को लाभ या हानि में पहचाना जाता है सिवाय, जब वे अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में पहचाने गये वस्तुओं से संबंधित होते हैं, जिस मामले में वर्तमान और अस्थगित कर भी अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त होते हैं। जब मौजूदा कर या अस्थगित कर एक व्यापार संयोजन के लिए प्रारंभिक लेखा से उत्पन्न होता है तब कर प्रभाव को व्यापार संयोजन के लिए लेखांकन में शामिल किया जाता है।

2.18 कर्मचारी लाभ

2.18.1 लघु-अवधि के लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ कर्मचारी लाभ (समाप्ति लाभों के अलावा) हैं जिसके वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत के बारह महीने से पहले पूरी तरह से निपटाए जाने की उम्मीद है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं।

सभी अल्प-कालिक कर्मचारी लाभ उस अवधि में पहचाने जाते हैं जिसमें वे खर्च किये गये हैं।

2.18.2 रोजगारोंपरांत लाभ तथा अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

2.18.2.1 परिभाषित योगदान योजनाएँ

एक परिभाषित योगदान योजना रोजगारोपरांत लाभ योजना है जिसके तहत कंपनी एक सांविधिक निकाय द्वारा रखी गयी निधि में निश्चित योगदान का भुगतान करती है और कम्पनी के पास कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होगा या अधिक मात्रा में भुगतान करने के लिए। परिभाषित योगदान योजनाओं में योगदान के लिए दायित्वों को कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं के अवधि के दौरान लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

2.18.2.2 परिभाषित लाभ योजना

परिभाषित लाभ योजना एक परिभाषित योगदान योजना के अलावा रोजगारोंपरांत लाभ योजना है। परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कम्पनी की शुद्ध दायित्वों को भविष्य लाभ की राशि का आंकलन करके गणना की जाती है, जो कि कर्मचारियों ने अपनी सेवा के बदले वर्तमान एवं पूर्व की अवधि में अर्जित किया है। लाभ के वर्तमान मूल्य की गणना के लिए इसे कटौती पश्चात योजना परिसंपत्तियों के अंकित मूल्य से घटा दिया जाता है, यदि कोई हो। छूट की दर रिपोर्टिंग तिथि पर भारत सरकार प्रतिभूति के प्रचलित बाजार देय पर आधारित होती है जिनकी, कम्पनी के दायित्वों के अवधियों की सीमितीकरण द्वारा प्राप्त, परिपक्वता तिथियां होती हैं तथा वे उसी मुद्रा में नामित होते हैं जिसमें लाभों को भुगतान करने का अनुमान है।

वास्तविक मूल्यांकन के प्रयोग में, कटौती दर के बारे में अनुमानों को बनाने, परिसंपत्तियों पर अनुमानित प्राप्ति दर, भविष्य की वेतन वृद्धियां, मरणशीलता दर इत्यादि शामिल होते हैं। इन सब योजनाओं के दीर्घकालीन स्वभाव के कारण इस प्रकार के अनुमानों में अनिश्चितता रहती है। प्रत्येक तुलन पत्र पर गणना बीमांकित के द्वारा प्रक्षेपित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग करते हुए की जाती है। जब गणना परिणाम कम्पनी के हित में होती है तो मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति को योजना में भविष्य योगदानों में कटौती या योजना से प्राप्त कोई भविष्य वापसी धन के रूप में मौजूद आर्थिक लाभों के वर्तमान मूल्य तक परिसंपत्ति को सीमित किया जाता है। कम्पनी को आर्थिक लाभ तब मिलता है जब यह योजना के जीवन काल के दौरान प्राप्त करने योग्य हो या, योजना देनदारियों के निपटारे पर।

परिभाषित निबल लाभ देयता का पुनर्मापन जिसमें योजना परिसंपत्तियों (ब्याज छोड़कर) पर प्राप्ति एवं परिसंपत्तियों की सीमांकन के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, वैसे वास्तविक लाभ तथा हानि शामिल होते हैं जिन्हें तैयार किया जाता है, को अन्य विस्तृत व्यापक आय में तुरंत मान्यता दिया जाता है। कम्पनी अवधि के लिए परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) के निबल राशि पर प्राप्त होनेवाली निबल ब्याज व्यय (आय) का निर्धारण परिभाषित लाभ दायित्व में मापने के लिए उपयोग किये जानेवाले कटौती दर का इस्तेमाल करती है। परिभाषित लाभ योजना से संबंधित निबल ब्याज व्यय एवं अन्य व्ययों की लाभ एवं हानि में मान्यता प्राप्त होता है।

जब योजना के लाभ में सुधार होता है तब बढ़े हुए लाभ के हिस्से - कर्मचारियों के पूर्व में सेवा के द्वारा, को लाभ-हानि विवरण में शीध्र लिया जाता है।

2.18.3 अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ अल्पकालिक कर्मचारी लाभ, रोजगार के बाद के लाभ और समाप्ति लाभों के अलावा अन्य सभी कर्मचारी लाभ हैं।

अन्य लंबी अवधि के कर्मचारी लाभों में वे मद शामिल हैं जिन्हें वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत के बारह महीने से पहले पूरी तरह से निपटाने की उम्मीद नहीं है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के लिए, निम्नलिखित राशियों का कुल योग लाभ या हानि के विवरण में पहचाना जाता है:

(1) सेवा लागत

(2) शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज

(3) शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) के पुन: माप

2.19 विदेशी मुद्रा

कम्पनी की रिपोर्ट की मुद्रा एवं उसके संचालन के लिए कार्यात्मक मुद्रा भारतीय मुद्रों में है (भारतीय मुद्रा) जो कि आर्थिक वातावरण का मुख्य मुद्रा है जिसमें कम्पनी संचालित होती है।

विदेशी मुद्राओं में लेन-देन को, लेन देन तारीख में प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करके कम्पनी की सूचित मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में नामित मौद्रिक परिसंपत्ति एवं देनदारी, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दरों पर अनुवादित होती है। मौद्रिक परिसम्पत्तियों एवं देनदारियों के निपटारे पर या मुद्रा की परिसंपत्तियों और देनदारियों के उन दरों से अलग होने पर अंतर जो उस अवधि या पिछले वित्तीय विवरणों में प्रारंभिक मान्यता पर अनुवादित किए गए थे, अवधि में लाभ या हानि के बयान में लिये जाते हैं जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

लेन-देन की तारीख को प्रचलित विनिमय की दरों पर विदेशी मुद्रा में निहित गैर-मौद्रिक वस्तुओं का मूल्यांकन किया जाता है।

2.20 स्ट्रीपिंग गतिविधि व्यय/समायोजन

खुली खदान के संबंध में, कोयले की प्राप्ति एवं इसके निष्कर्षण के लिए खान की बेकार पदार्थों (ओवरबर्डेन), जो कि कोल सीम के उपरी सतह पर मिट्टी एवं चट्टान का बना होता है, को हटाना जरूरी होता है। इस ओवरबर्डेन को हटाने की गतिविधि को "स्ट्रीपिंग" कहा जाता है। खुली खदानों के संदर्भ में, कंपनी को इस तरह की व्ययों का वहन, खान के पूरी जीवन की अवधि तक करना पड़ता है।

अतः, एक नीति के तहत, एक मिलियन प्रति वर्ष एवं उससे ज्यादा के रेटेड क्षमता वाले खानों में, स्ट्रीपिंग की लागत को खानों को

राजस्व में लाने के बाद स्ट्रीपिंग गतिविधि परिसंपत्ति एवं अनुपात-विचलन लेखा के लिए जरूरी समायोजन के साथ, प्रत्येक खान पर तकनीकि रूप से आकलित औसत स्ट्रीपिंग अनुपात (कोयला: ओबी) पर चार्ज किया जाता है।

स्ट्रीपिंग गतिविधि परिसंपत्ति एवं अनुपात-विचलन के निबल शेषों के तुलन पत्र में गैर-मौजूद परिसंपत्ति/गैर-मौजूद प्रावधानों के मद के तहत, जैसा भी केस हो, स्ट्रीपंग गतिविधि समायोजन के रूप में तुलन-पत्र में दिखलाया जाता है।

ओबीआर लेखा के लिए अनुपात की गणना हेतु रिकार्ड के अनुसार दर्ज ओबीआर की मात्रा को महत्व दिया जाता है, जहाँ दर्ज की गई मात्रा एवं मापी हुई मात्रा के बीच विचलन, दो स्वीकार्य विकल्प सीमाओं में से न्यूनतम के अंदर होता है जिससे नीचे लिखे तालिका में दिखाया गया है।-

खान के ओबीआर का वार्षिक मात्र	विचलन की स्वीकार्य सीमा (%)
1 मिलियन क्यू. मी. से कम	+/- 5%
1 एवं 5 मिलियन क्यू. मी. के बीच	+/- 3%
5 मिलियन से अधिक	+/- 2%

यद्यपि, जहां, पर विचलन उपरोक्त स्वीकार्य सीमा से अधिक है, मापी गई मात्रा को महत्व दिया जाता है।

रेटेड क्षमता 1 मिलियन टन से कम वाली खानों के संदर्भ में, उपरोक्त नीति नहीं अपनाई जाती है एवं वर्ष के दौरान स्ट्रीपिंग गतिविधियों पर खर्च हुई वास्तविक लागत को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकारा जाता है।

2.21 संपत्ति सूची

2.21.1 कोयले का स्टॉक

कोयले/कोक के संपत्ति-सूची को लागत के न्यूनतम पर एवं शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य पर लिखा जाता है। संपत्ति-सूची की गणना प्रथम आवक और प्रथम निर्गत विधि के द्वारा किया जाता है। निबल प्राप्ति योग्य मूल्य, समाप्ति के सभी अनुमानित लागतों एवं विक्रय करने के लिए जरूरी लागतों को घटाते हुए, प्राप्त अनुमानित संपत्ति-सूची विक्रय मूल्य को वर्णीत करती है।

कोयले के दर्ज भंडार को लेखा में स्वीकारा जाता है जहाँ दर्ज भंडार तथा 15 प्रतिशत तक मापी गई भंडार के बीच विचलन एवं उन केसों में जहाँ विचलन 5 प्रतिशत से ज्यादा है, मापे गए भंडार को स्वीकारा जाता है। इस प्रकार के भंडार का मूल्यांकन, निबल प्राप्ति योग्य मूल्य या लागत, दोनों जो कम हो, के आधार पर किया जाता है। कोक को कोयले के भंडार का अंश के रूप में समझा जाता है।

कोयले तथा कोक-फाइन्स को लागत या निबल प्राप्ति योग्य मूल्य में से न्यूनतम पर मूल्यांकित किया जाता है तथा इन्हें कोयले के भंडार के अंश के रूप में समझा जाता है।

स्लरी (कोकिंग/अर्द्ध कोकिंग), मिडलिंग (वाशरी के) तथा उप-उत्पादनों को निबल प्राप्ति योग्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है और इन्हें कोयले के भंडार के अंश के रूप में समझा जाता है।

2.21.2 भण्डार एवं कलपुर्जे

केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय स्टोर्स में मौजूद स्टोर्स में एवं स्पेयर पार्ट्स के भंडार को मूल्यकृत स्टोर्स खाता बही में अनिवार्य शेषों के रूप में समझा जाता है तथा इन्हें भारित औसत विधि के आधार पर गणना किए गए लागत के रूप में मूल्यांकन किया जाता है। कोलरियों/उप-स्टोर्स/ड्रीलिंग कैंपों/उपभोग केन्द्रों के संपत्ति-सूची को वर्ष के अंत में सिर्फ व्यक्तिगत रूप से जांचे हुए स्टोर्स के अनुसार, समझा जाता है तथा उन्हें लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

ठीक नहीं करने योग्य, बिगड़े हुए एवं पुराने पड़ चुके स्टोर्स के लिए 100 प्रतिशत के दर से प्रावधान किया है तथा 5 वर्षों से नहीं निकाले गए वैसे स्टोर्स एवं स्पेयर्स के लिए 50 प्रतिशत की दर से प्रावधान किया है।

2.21.3 अन्य संपत्ति-सूची

वर्कशॉप कार्यो जिनमें प्रगति में कार्य शामिल होते हैं, को लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। प्रेस कार्यो के भंडार (प्रगति में कार्य शामिल) एवं प्रिंटिंग प्रेस में स्टेशनरी तथा केन्द्रीय अस्पताल में दवाओं को लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।.

यद्यपि, स्टेशनरी के भंडार (प्रिंटींग प्रेस में पड़े हुए के अलाव), ईंटों, बालु, दवा (केन्द्रीय अस्पताल को छोड़ कर), एयरक्राफ्ट स्पेयर्स एवं स्क्रैप को संपत्ति-सूची में नहीं स्वीकारा जाता है। इस सोच के साथ कि उनके मूल्य उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं |

2.22 प्रावधान, आकस्मिक देयता एवं आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

प्रावधानों को मान्यता तब दी जाती है जब कंपनी के पास, बीते हुए घटनाओं के कारण वर्तमान देनदारियां/देयताएं (कानुनी या रचनात्मक) होती है, और यह संभावित है कि आर्थिक लाभों की बाह्य प्रवाह दायित्व के निपटारे के लिए जरूरी होगी तथा दायित्व के राशि का एक विश्वसनीय आकलन बनाया जा सकेगा। जहाँ रुपये का समय-मूल्य वस्तु है, प्रावधानों को, दायित्व के निपटारे के लिए अनुमानित व्यय की वर्तमान मूल्य पर लिखा जाता है।

सभी प्रावधानों को प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख पर समीक्षा किया जाता है एवं मौजूदा बेहतरीन आकलन को प्रतिबिम्बित करने के लिए, समायोजित किया जाता है।

जहाँ यह संभावित नहीं है कि आर्थिक लाभों को, बाह्य प्रवाह की आवश्यकता होगी, या राशि का विश्वसनीय तरीके से आकलन नहीं किया जा सकेगा, दायित्व को आकस्मिक देयता के रूप में दिखलाया जाता है, जबतक कि आर्थिक लाभों के बाह्य प्रवाह की संभावना दूर नहीं है। संभावित दायित्वों, जिनका अस्तित्व, कंपनी के पूर्ण नियंत्रण में नहीं रहने वाले एक या अधिक भावी अनिश्चित घटनाओं के होने या न होने के द्वारा ही सिर्फ सुनिश्चित होगी, को भी आकस्मिक देयताओं के रूप में प्रकट किया जाता है जबतक कि आर्थिक लाभों के बाह्य प्रवाह की संभावना दूर है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में नहीं लिया जाता

है। यद्यपि, जब आय की वसुली एकदम से निश्चित है, तब संबद्ध परिसंपत्ति आकस्मिक परिसंपत्ति आकस्मिक परिसंपत्ति नहीं होता है और इसकी स्वीकार्यता उपयुक्त है।

2.23 प्रति शेयर कमाई/आय

मूल्य आय प्रतिशेयर की गणना, कर के बाद निबल लाभ की अवधि के दौरान बकाये इक्विटी शेयरों के भारित औसत संख्या के द्वारा भाग दे कर की जाती है। मिश्रित आय प्रति शेयर की गणना, प्रतिशेयर मूल आय की प्राप्ति के लिए स्वीकार्य गये इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा कर के बाद लाभ को भाग देकर की जाती है तथा इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या के द्वारा भी, जिसे कि सभी मिश्रित भावी इक्विटी शेयरों के रूपांतरण के पश्चात निर्गत किया जा सकता था।

2.24 निर्णय, आकलन तथा मान्यताएँ

भारतीय लेखा मानक के अनुरूप वित्तिय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को आकलनों, निर्णय एवं मान्यताओं का निर्माण करना होता है जो कि लेखा नीतियों के अनुप्रयोग तथा परिसंपत्तियों एवं देयता की दर्ज राशि, वित्तिय विवरण की तारीख पर आकस्मिक परिसंपत्तियों एवं देयताओं का प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व की राशि एवं व्यय को प्रभावित करता है। इन वित्तिय विवरणों में लेखा नीतियों के अनुप्रयोग जिसमें जटिल एवं विषयात्मक निर्णय शामिल हैं, तथा मान्यताओं के उपयोग को प्रदर्शित किया जाता है। लेखा आकलन समय के साथ परिवर्तित हो सकता है। वास्तविक परिणाम एवं आकलित परिणामों में अंतर हो सकता है। आकलन एवं जुड़े हुए मान्यताओं की समीक्षा एक सतत आधार पर की जाती है। लेखा आकलन में पुनरीक्षण, को आकलन पुनरीक्षण के अवधि में मान्यता दी जाती है तथा, अगर वस्तु है, तो उनके प्रभावों को वित्तिय विवरणों के टिप्पणियों में प्रदर्शित किया जाता है।

2.24.1 निर्णय

कंपनी के लेखा नीतियों को लागू करने के पद्धति में, प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णयों का निर्माण किया है, जो समेकित विÿीय विघटनों में लिए गए राशियों पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव रखती है।

2.24.1.1 लेखा-नीतियों का प्रतिपादन

लेखा-नीतियों को इस प्रकार प्रतिपादित किया जाता है कि वि. वि. में लेन-देन संबंधी सार्थक एवं विश्वसनीय सूचना अन्य घटनाओं एवं शर्तों जिसमें वे लागू होते हैं, परिणाम स्वरूप प्रदर्शित हों। इन नीतियों को लागू करने को जरूरत नहीं जब उनके लागु करने का प्रभाव मायने न रखता हो।

लेन-देन के संबंध में विशेष रूप से लागु होने वाली भारतीय लेखा मानक, अन्य घटना या शर्त की अनुपस्थिति में, प्रबंधन ने अपने निर्णय को विकसित करने में एवं लेखा-नीति लागू करने के लिए उपयोग किया है जिसके परिणाम स्वरूप निम्न सूचनाएं मिलती है यानि:

(1) उपयोग कर्त्ता के आर्थिक निर्णय-निर्माण आवश्यकताओं की सार्थकता तथा

(2) इस वर्ष में विश्वसनीय की वित्तीय विवरण:

- (i) विश्वास करने योग्य वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन एवं तत्व के नगद प्रवाहों को विश्वसनीय तरीके से प्रदर्शित करती है;
- (ii) लेन-देनों, अन्य घटनाओं एवं शर्तों के आर्थिक पहुलओं को दर्शाती है, न कि सिर्फ कानूनी स्वरूप को;
- (iii) उदासी न होते हैं, यानि किसी प्रकार के पक्षपात से मुक्त;
- (iv) विवेकपूर्ण है, तथा
- (v) सतत आधार पर सभी प्रकार के वस्तुगत पहलुओं में परिपूर्ण है

निर्णय-निर्माण के संबंध में प्रबंधन, निम्नलिखित स्रोतों को अवनतिक्रम में निर्दिष्ट करती है और उनके लागू करने की योग्यता पर विचार करती है:

(1) समान एवं संबद्ध विषयों को साथ व्यवहार करने के भारतीय लेखा मानक की आवश्यकताएं; तथा

(2) परिभाषाएं, मानदंड मान्यता तथा मवर्क में परिसंपत्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय के लिए मापीकरण अवधारणा।

निर्णय निर्माण में प्रबंधन अंतराष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड के सबसे हाल के उदघोषणाओं पर विचार करती है तथा उनके अनुपस्थिति में अन्य दूसरे स्टैण्डर्ड-सेटिंग संस्थाओं का जो समान अवधारणा ढांचे का उपयोग, लेखा मानकों, अन्य लेखा पत्रिका एवं स्वीकृत औद्योगिक अभ्यासों को विकसित करने के लिए करती है, उस सीमा तक जहां ये उपरोक्त सारांश में स्रोतों के साथ प्रतिकूल नहीं होती है।

कंपनी खनन क्षेत्र में संचालित होती है (एक ऐसा क्षेत्र जहाँ गवेषण , मूल्यांकन, विकास उत्पादन चरण विभिन्न स्थलाकृतिक एवं भूखनन इलाकों पर आधारित है, जो दशकों से चल रहे पट्टे अवधि में फैला हुआ है और लगातार बदलाव की संभावना है, जिसकी लेखा नीतियां, अनुसंधान समितियों द्वारा समर्थित विशिष्ट उद्योग पद्धतियों एवं पिछले कई दशकों में इसके लगातार अनुप्रयोगों के कारण तथा विभिन्न नियामकों द्वारा अनुमोदन के आधार पर विकसित हुई है। कुछ विशेष क्षेत्रों में विशिष्ट लेखांकन साहित्य, मार्गदर्शन एवं मानकों की अनुपस्थिति में, जो विकास की प्रक्रिया में हैं। कंपनी लेखांकन साहित्य के विकास के साथ-साथ लेखा-नीतियों को विकसित करने का प्रयास करती है और इसमें किसी भी विकास को भारतीय लेखा मानक 8 में विशेष तौर पर रखे गये प्रावधानों के अनुसार परिदृश्यात्मकता के लिए लेखाकृत की जाएगी।

वित्तिय विवरणों को लेखा की एक्रूअल आधार को उपयोग करते हुए एक सतत प्रयास के तहत तैयार की जाती है।

2.24.1.2 भौतिकता

भारतीय लेखा मानक उन वस्तुओं पर लागु होता है जो सामग्री है। प्रबंधन यह तय करने के लिए निर्णय का उपयोग करता है कि यदि अलग-अलग वस्तुएं या वस्तु के समुहों वित्तिय विवरण में सामग्री के रूप में है या नहीं। भौतिकता का निर्धारण वस्तु के परिमाण एवं प्रकृति या दोनों के संदर्भ में किया जाता है। निर्णायक कारक यह है कि क्या वित्तिय चूक या गलत विवरण या अस्पष्ट करना उन आर्थिक फैसलों पर अलग-अलग या सामुहिक से प्रभाव डाल सकते हैं, जिन्हें उपयोगकर्त्ताओं ने वित्तिय विवरणों के आधार पर लिया है। प्रबंधन भारतीय लेखा मानक की अनुपालन आवश्यकताओं की निर्धारित करने के लिए भौतिकता के फैसले का भी उपयोग करता है। आगे, एक, तत्व की, कानून द्वारा जरूरी होने की स्थिति में, निराकार वस्तुओं को अलग से प्रस्तुत करने के लिए, आवश्यकता भी हो सकती है।

02.04.2019 से लागु संबंधित मौजूदा वर्ष में पाई गई पूर्व अवधि के त्रुटियों/चूक को वर्तमान वर्ष के दौरान सारहीन माना जाता और समायोजित किया जाता है, अगर कंपनी के अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार ऐसी सभी त्रुटियां एवं चूक परिचालन से कुल राजस्व (वैधानिक रूप से लगान का निबल) के 1% से अधिक नहीं हैं।

2.24.1.3 संचालित पट्टा

कंपनी ने पट्टा समझौते में प्रवेश किया है। समझौते के नियम एवं शर्तो के मूल्यांकन के आधार पर, जैसे कि वे पट्टे अवधि जो परिसंपत्ति के अंकित मूल्य तथा वाणिजिक संपत्ति के आर्थिक जीवन का वृहत भाग न हो, कंपनी ने तय किया है कि वह इन संपत्तियों के स्वामित्व के सभी महत्वपूर्ण जोखिमों एवं पुरस्कारों को तथा निविदाओं के लिए लेखा को, संचालित पटटों के रूप में अपने पास रखती है।

2.24.2 अनुमान एवं मान्यताएं

रिपोर्टिंग तिथि पर भविष्य तथा अनुमान अनिश्चितता के अन्य मुख्य स्रोतों से संबंधित मुख्य मान्यताएं, जिनके पास अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्तियों एवं देनदारियों की मात्रा में सामग्री समायोजन करने का महत्वपूर्ण जोखिम है, नीचे वर्णित है। समेकित वित्तीय वक्तव्यों की तैयार करते समय कंपनी ने मौजूद पारामीटर पर अपी मान्यताओं एवं अनुमानों को आधारित किया था। भविष्य की घटनाओं के बारे में मौजुदा हालात एवं घटनाएं, यद्यपि, बाजार में बदलावों या उत्पन्न होनेवाली वैसी परिस्थितियां जो कि कंपनी के नियंत्रण के बारे है, के कारण बदल सकती है। इस प्रकार के परिवर्तन घटित होने की स्थिति में मान्यताओं में प्रदर्शित होते हैं।

2.24.2.1 गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

हानि/विकृति के संकेत दिखलाई पड़ते हैं, यदि किसी परिसंपत्ति या नगदी उत्पन्न करने वाली ईकाई का वहन मूल्य इसके वसूली योग्य राशि से अधिक होता है, जो कि निपटारे की लागत कम करके इसके अंकित मूल्य तथा उपयोगी मूल्य से अधिक है। कंपनी प्रत्येक खानों को एक अलग नगदी उत्पन्न करने वाली ईकाईयों के रूप में समझती है, हानि/विकृति की जांच उपयोग मे मूल्य की गणना डी सी एफ प्रतिमान पर आधारित होती है। नगदी प्रवाह अगले 5 वर्षों के लिए बजट से प्राप्त होता है तथा इसमें, पुर्नगठन गतिविधियां जिसपर कंपनी अभी तक प्रतिबद्ध नहीं है या वैसे महत्वपूर्ण भविष्य की निवेश जो जाँच किए जा रहे सी जी यू के परिसंपत्तिप्रदर्शन में वृद्धि करेगी, शामिल नहीं होते हैं। वसूली योग्य राशि डी सी एफ प्रतिमान के साथ-साथ अपेक्षित भावी नगदी प्रवाह एवं इन्टरपोलुद्दान प्रयोजनों के लिए उपयोग की गई विकास दर के लिए उपयोग की गई छूट के प्रति संवेदनशील है। ये सभी अनुमान अन्य खनन बुनियादी ढांचे के सबसे अधिक सार्थक है। विभिन्न सी जी यू के लिए वसूली योग्य राशि की निर्धारण के लिए उपयोग की जानेवाली मुख्य मान्यताएं प्रदर्शित की जाती है तथा उन्हें आगे संबंधित टिप्पणियों में समझाया गया है।

2.24.2.2 कर

अस्थगित कर परिसंपत्तियों को अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस हद तक मान्यता प्राप्त है जहां यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरूद्ध हानियों को उपयोग किया जा सकता है। भावी कर नियोजन रणनीतियों के साथ-साथ संभावित समय-निर्धारण एवं भविष्य के कर योग्य लाभों के स्तर के आधार पर अस्थगित कर संपत्ति की राशि को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय आवश्यक है। करों पर अधिक जानकारी को नोट - 38 में दिखलाया गया है।

2.24.2.3 परिभाषित लाभ योजनाएँ

परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना तथा अन्य रोजगारोपरान्त चिकित्सा लाभों की लागत एवं दायित्व के वर्तमान मूल्य को बीमांकिक मूल्यांकन के द्वारा निर्धारित किया जाता है। एक बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न मान्यताएं शामिल होते हैं जो भविष्य में वास्तविक विकास से अलग हो सकती है। इनमें, छुट दर, भविष्य वेतन वृद्धि एवं मृत्यु दर का निर्धारण शामिल होता है।.

परिभाषित लाभ दायित्व के मूल्यांकन तथा इसके दीर्घकालीन प्रकृति में शामिल जटिलताओं के कारण, यह इन मान्यताओं में परिवर्तन के प्रति अति-संवेदनशील होता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग की तारीख पर सभी मान्यताओं की समीक्षा की जाती है। सबसे अधिक परिवर्तन होने वाला प्राचलिक, छुट दर है। भारत में संचालित की जाने वाली योजनाओं के लिए उपयुक्त, छुट दर का निर्धारण करने में, प्रबंधन रोजगारोपरांत लाभ दायित्व के मुद्राओं के अनुरूप मुद्रा में सरकारी बॉन्ड की ब्याज दरों पर विचार करता है।.

मृत्यु दर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध देश के मृत्यु-दर तालिका पर आधारित होता है। यह मृत्यु-दर तालिका, जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के जवाब में सिर्फ उस अंतराल पर परिवर्तन की प्रवृति रखता है।

2.24.2.4 वित्तीय साधनों का उचित मूल्य मापन

जब तुलन-पत्र में दर्ज वित्तीय परिसंपत्ति तथा वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य को सक्रिय बाजारों में उद्त कीमतों के आधार पर मापा नहीं जा सकता है, तो उनके उचित मूल्य को डी सी एफ प्रतिभाग सहिज मूल्य निर्धारण तकनीकों का उपयोग करके मापा जाता है। जहां तक संभव हो, इन प्रतिमानों को देखे जाने योग्य बाजारों से लिया जाता है, लेकिन जहां यह संभव नहीं है, उचित मूल्यों की स्थापित कर्ज के लिए निर्णय के एक अंश की आवश्यकता पड़ती है। निर्णय में नगदी की जोखिम, क्रेडिट जोखिम तथा अस्थिरता जैसे महत्व वाले इनपुट शामिल होते हैं। इन कारकों के बारे में मान्यताओं में परिवर्तन, वित्तीय साधनों के दर्ज अंकित मूल्य को प्रभावित कर सकता है।

2.24.2.5 विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्ति

कंपनी परियोजना के लिए विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्ति को लेखा नीति के अनुसार पूंजीकृत करती है। लागत का प्रारंभिक पूंजीकरण प्रबंधन के निर्णय पर आधारित है कि तकनीकि एवं आर्थिक व्यवहार्यता की पुष्टि की जाती है, आमतौर पर तब जब एक परियोजना प्रतिवेदन केन्द्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थाएं लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) के द्वारा तैयार की जाती है।

2.23.2.6 खान बंदीकरण, स्थल पुनर्स्थापन एवं सेवामुक्तिकरण दायित्व

खान बंदीकरण, स्थल पुनर्स्थापन पन एवं सेवामुक्तिकरण दायित्व के लिए प्रावधान के अंकित मूल्य के निर्धारण हेतु, मान्यताओं एवं आंकलनों को छुट दरों, स्थल पुनर्स्थापन की अनुमानित लागत तथा विघटन और निराकरण की उम्मीद की लागत के संबंध में बनाया जाता है। कंपनी परियोजना/खान के जीवन को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर डी सी एफ पद्धति का उपयोग करते हुए प्रावधान का आकलन करती है।

- कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट अनुसार अनुमानित लागत प्रति हेक्टेयर।
- छुट दर (कर के पहले), जो ₹ के समय-मूल्य का मौजूदा बाजार निर्धारण तथा देयता से संबंधित विशिष्ट जोखिमों को प्रदर्शित करता है।

2.25 प्रयुक्त संक्षेपण:

ए.	सीजीयू	नगद उत्पन्न करने वाली ईकाई	एल.	ईसीएल	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
बी.	डीसीएफ	कटौती पश्चात नगद प्रवाह	एम.	बीसीसीएल	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
सी.	एफभीटीओसीआई	अन्य विस्तृत आय के माध्यम से उचित मूल्य	एन.	सीसीएल	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
डी.	एफभीटीपीएल	लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य	ओ.	एसइसीएल	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
इ.	जीएएपी	आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांत	पी.	एमसीएल	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
एफ.	आईएनडी एएस	भारतीय लेखा मानक	क्यू.	एनसीएल	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
जी.	ओसीआई	अन्य व्यापक आय	आर.	डब्ल्यूसीएल	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
एच.	पीएण्डएल	लाभ एवं हानि	एस.	सीएमपीडीआ-ईएल	सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीट्युट लिमिटेड
आइ.	पीपीई	संपत्ति,संयंत्र तथा उपकरण	टी.	एनइसी	नार्थ ईस्टर्न कोल्फ़ील्ड्स
जे.	एसपीपीआई	मूलधन एवं ब्याज का मात्र भुगतान	यू.	आईआईसीएम्	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ कोल् मैने-जमेंट
के.	एसपीपीआई	प्रभावी ब्याज दर	वी.	सीआईएल	कोल इंडिया लिमिटेड

31 मार्च, 2023 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट- 3: संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

₹ करोड़ में

विवरण	पूर्व स्वामित्व भूमि	अन्य भूमि	भूमि उद्धार/ वापसी लागत	भवन, जल आपूर्ति, सड़क एवं कल्वर्ट	सयंत्र एवं उपकरण	दूरसंचार	रेलवे साइडिंग	रेल लाइन / रेल कॉरिडोर	फर्नीचर एवं फिक्स्चर	कार्यालय उपस्कर	वाहन	एयर क्राफ्ट	अन्य खनन आधारभूत संरचना	सर्वेद ऑफ परिसंपत्ति	योग
सकल वहन राशि:															
1 अप्रैल, 2021 को	17.49	1,669.89	472.49	320.17	1,749.00	5.74	487.51	2,572.29	17.71	69.85	16.16	—	359.26	80.58	7,838.14
जोड़	—	62.57	26.82	233.63	269.41	0.22	156.36	63.69	3.54	10.67	12.68	—	24.48	7.30	871.37
विलोपन/समायोजन	—	—	(9.42)	(0.05)	(93.75)	(0.33)	(0.29)	—	2.10	(5.63)	0.12	—	1.83	(1.29)	(106.71)
31 मार्च, 2022 को	**17.49**	**1,732.46**	**489.89**	**553.75**	**1,924.66**	**5.63**	**643.58**	**2,635.98**	**23.35**	**74.89**	**28.96**	**—**	**385.57**	**86.59**	**8,602.80**
1 अप्रैल, 2022 को	17.49	1,732.46	489.89	553.75	1,924.66	5.63	643.58	2,635.98	23.35	74.89	28.96	—	385.57	86.59	8,602.80
जोड़	—	329.15	72.42	54.42	178.21	1.04	92.88	346.25	6.75	17.92	5.86	—	62.61	11.93	1,179.44
विलोपन/समायोजन	(0.08)	0.08	(102.31)	(5.26)	(137.69)	0.10	(63.00)	—	0.08	(15.15)	(0.01)	—	—	(2.64)	(324.88)
31 मार्च, 2023 को	**17.41**	**2,061.69**	**460.00**	**602.91**	**1,965.18**	**6.77**	**673.46**	**2,982.23**	**30.18**	**78.66**	**34.81**	**—**	**448.18**	**95.88**	**9,457.36**
संचित मूल्यह्रास एवं हानि															
1 अप्रैल, 2021 को	—	346.36	240.65	70.01	983.32	1.87	96.60	266.41	8.78	40.70	8.10	—	208.35	34.99	2,306.14
वर्ष के लिए शुल्क	—	156.47	31.49	21.91	150.88	0.78	33.16	177.28	2.02	11.21	2.68	—	53.55	—	641.43
हानि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.30	(10.53)	(1.23)
विलोपन/समायोजन	—	(0.07)	(1.23)	0.68	(78.84)	0.07	0.34	—	1.56	(5.50)	0.13	—	2.21	(0.50)	(81.15)
31 मार्च, 2022 को	**—**	**502.76**	**270.91**	**92.60**	**1,055.36**	**2.72**	**130.10**	**443.69**	**12.36**	**46.41**	**10.91**	**—**	**273.41**	**23.96**	**2,865.19**
1 अप्रैल, 2022 को	—	502.76	270.91	92.60	1,055.36	2.72	130.10	**443.69**	**12.36**	**46.41**	**10.91**	—	**273.41**	**23.96**	**2,865.19**
वर्ष के लिए शुल्क	—	132.35	49.97	36.71	158.52	0.75	44.88	188.97	1.87	12.14	3.45	—	44.54	—	674.15
हानि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.93	(0.99)	2.94
विलोपन/समायोजन	—	—	—	(0.80)	(114.10)	0.04	(12.58)	—	(0.46)	(6.63)	—	—	4.10	(0.29)	(130.72)
31 मार्च, 2023 को	**—**	**635.11**	**320.88**	**128.51**	**1,099.78**	**3.51**	**162.40**	**632.66**	**13.77**	**51.92**	**14.36**	**—**	**325.98**	**22.68**	**3,411.56**
निबल वहन राशि															
31 मार्च, 2023 को	**17.41**	**1,426.58**	**139.12**	**474.40**	**865.40**	**3.26**	**511.06**	**2,349.57**	**16.41**	**26.74**	**20.45**	—	**122.20**	**73.20**	**6,045.80**
31 मार्च, 2022 को	**17.49**	**1,229.70**	**218.98**	**461.15**	**869.30**	**2.91**	**513.48**	**2,192.29**	**10.99**	**28.48**	**18.05**	—	**112.16**	**62.63**	**5,737.61**

1. उन अचल संपत्तियों के स्वत्व विलेख जो कंपनी के नाम पर नहीं हैं

संपत्ति की वस्तु का विवरण	सकल वहन मूल्य	के नाम पर किए गए स्वत्व विलेख	क्या स्वत्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक है या प्रमोटर*/ निदेशक का रिश्तेदार# है या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारित है	कंपनी के नाम नहीं होने का कारण
अन्य भूमि	2,061.69	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	–	कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1973 के अनुसरण में अधिग्रहित भूमि, के संबंधित भूमि के लिए अलग से स्वत्व विलेख की आवश्यकता नहीं है। अधिग्रहित भूमि के लिए अन्य सभी स्वत्व विलेख पर अधिकार है एवं पूर्व स्वामित्व भूमि के कुछ मामलों को छोड़कर कंपनी के पक्ष में उत्परिवर्तित हैं, जहां कानूनी औपचारिकताएं लंबित हैं।

31 मार्च 2023 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ
नोट - 3: संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (जारी ...)

2. अन्य भूमि में कोयला आधारित क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 और अन्य अधिनियमों के तहत अधिग्रहित भूमि शामिल है।

3. महत्वपूर्ण लेखा नीति के अनुछेद सं. 2.8. में उल्लेख अनुसार, मूल्यह्रास अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर प्रदान किया जाता है, जिसकी समीक्षा प्रत्येक वर्ष के अंत में अधिकार प्राप्त समिति द्वारा की जाती है। मूल्य के विभिन्न उपयोगी जीवन वाले कोई महत्वपूर्ण घटक नहीं हैं, इसलिए घटक लेखांकन को माना नहीं गया है।

4. सर्वेक्षण की गई आस्तियों के संबंध में ₹ 0.99 करोड़ की हानि वापस ले ली गयी है (वि. व. ₹10.53 करोड़ वापस लिया गया)।

5. पट्टा समझौतों के संदर्भ में, कंपनी ने अपने ग्राहकों को कंपनी की कुछ संपत्तियों पर अधिकार लेने एवं उपयोग करने का अधिकार दिया है, जिसका सकल मूल्य ₹ 7.90 करोड़ एवं शून्य रुपये की डब्ल्यूडीवी है।

6. कुल मूल्यह्रास राशि 674.15 करोड़ रुपये (वि. व. ₹ 641.43 करोड़) में अन्य खनन बुनियादी ढांचे से संबंधित ₹44.54 करोड़ (वि.व. 53.55 करोड़ रुपये) एवं 49.97 करोड़ रुपये (वि. व. 31.49 करोड़ रुपये) भूमि सुधार / स्थल बहाली लागत के लिए परिशोधन शामिल है।

7. सीआईएल बोर्ड ने अपनी 491वीं बोर्ड बैठक में कोयले की निकासी की सुविधा के लिए तोरी शिवपुर रेल लाइन परियोजना के संबंध में रुपये 3587.37 करोड़ की संशोधित परियोजना लागत को मंजूरी दी, जिसके लिए ₹ 3384.00 करोड़ पूर्व मध्य रेलवे के पास जमा कर दिया गया है। ईसी रेलवे ने ₹ 2982.23 करोड़ का व्यय किया है जिसे रेल लाइन/रेल कॉरिडोर के रूप में मान्यता दी गई है एवं ₹ 401.77 करोड़ की शेष राशि को नोट 10 में पूंजी अग्रिम के रूप में दिखाया गया है। कंपनी को उक्त परियोजना के विरुद्ध सीसीडीएसी से आज तक 595.82 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है।

8. ₹ 778.62 करोड़ का भूमि मुआवजा राशि, अन्य भूमि के रूप में दिखाया गया है, जो समाधान के अधीन है (वित्तीय विवरण के नोट-38 का अनुछेद 7.9)।

9. अवधि के दौरान प्रभारित मूल्यह्रास में विकास चरण में खानों के लिए वर्ष के दौरान पूंजीकृत मूल्यह्रास ₹ 4.07 (विगत वर्ष ₹ शून्य) शामिल हैं।

31 मार्च 2023 को स्टैण्डअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 4 : कैपिटल डब्ल्यूआईपी

(₹ करोड़ में)

विवरण	बिल्डिंग (जल आपूर्ति, सड़को, एवं पुलियों सहित)	सयंत्र एवं उपकरण	रेलवे साइडिंग	विकास	अन्य	कुल
सकल वहन राशि :						
1 अप्रैल, 2021 को	250.31	48.89	272.33	351.27	—	922.80
जोड़	44.38	183.39	25.14	12.68	—	265.59
पूंजीकरण/विलोपन	(218.59)	(11.32)	(19.33)	(20.04)	—	(269.28)
31 मार्च, 2022 को	**76.10**	**220.96**	**278.14**	**343.91**	—	**919.11**
1 अप्रैल, 2022 को	76.10	220.96	278.14	343.91	—	919.11
जोड़	121.92	185.34	198.65	88.68	—	594.59
पूंजीकरण/विलोपन	(36.22)	(41.24)	(72.11)	(34.17)	—	(184.74)
31 मार्च, 2023 को	**161.80**	**365.06**	**404.68**	**397.42**	—	**1,328.96**
संचित मूल्यह्रास एवं हानि						
1 अप्रैल, 2021 को	0.63	1.46	—	13.45	—	15.54
वर्ष के लिए शुल्क	**0.44**	0.03	—	0.44	—	0.91
हानि	—	—	—	4.15	—	4.15
विलोपन/समायोजन	0.23	(0.09)	—	(2.46)	—	(2.32)
31 मार्च, 2022 का	**1.30**	**1.40**	**—**	**15.58**	**—**	**18.28**
1 अप्रैल, 2022 को	1.30	1.40	—	15.58	—	18.28
वर्ष के लिए शुल्क	—	—	—	—	—	—
हानि	0.19	0.02	—	3.71	—	3.92
विलोपन/समायोजन	**(1.43)**	(1.36)	—	(3.96)	—	(6.75)
31 मार्च, 2023 को	**0.06**	**0.06**	**—**	**15.33**	**—**	**15.45**
निबल वहन राशि						
31 मार्च, 2023 को	**161.74**	**365.00**	**404.68**	**382.09**	**—**	**1,313.51**
31 मार्च, 2022 को	**74.80**	**219.56**	**278.14**	**328.33**	**—**	**900.83**

नोट 4 : कैपिटल डब्ल्यूआईपी (जारी...)

(₹ करोड़ में)

1. वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पूंजीगत कार्य-प्रगति (सीडब्ल्यूआईपी)

(क) पूंजीगत कार्य प्रगति के लिए काल प्रभावन सूचि :

	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक	कुल
परियोजनाएं प्रगति पर:					
भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों एवं पुलियों सहित)	129.28	27.16	2.58	2.78	161.80
संयंत्र एवं उपकरण	186.06	165.05	7.19	6.76	365.06
रेलवे साइडिंग	148.71	21.43	74.59	159.95	404.68
अन्य खनन अवसंरचना/विकास	89.10	279.43	12.20	16.69	397.42
अन्य	—	—	—	—	—
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं :					
परियोजना के नाम	—	—	—	—	—
कुल	**553.15**	**493.07**	**96.56**	**186.18**	**1,328.96**

(ख) अतिदेय पूंजी-कार्य प्रगति पर

	में पूर्ण करना है			
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
परियोजनाएं प्रगति पर हैं:				
निर्माण (**जल आपूर्ति, सड़क और पुलिया सहित**)				
उत्तर उरीमारी ओसी बिरसा परियोजना - एनडीसी और जेकेईपीएल (जेवी)-2444 दिनांक 21.03.18 , में 04 डी- टाइप आवास तथा 12 सी-टाइप आवास का निर्माण	3.64	—	—	—
बिरसा में 16 **एमक्यू टाइप आवास तथा** 16 **बी टाइप आवास का निर्माण ।**	1.24	—	—	—
बो. एवं के. में भवन निर्माण	0.28	—	—	—
संयंत्र और उपकरण		—	—	—
डब्ल्यू/बी निर्माणाधीन मशीन संख्या 9038 से 9040	0.67	—	—	—
निर्माणाधीन डब्ल्यू/बी - अशोका मेटैलिक्स	1.35	—	—	—
कोनार वाशरी	5.00	—	—	—
वॉटर स्प्रिंकलर	0.11	—	—	—
रेलवे साइडिंग				
रेलवे साइडिंग - राइट्स लिमिटेड .-332/02.11.13332/02.11.13M/S RITES LTD	191.31	—	—	—
अन्य खनन अवसंरचना/विकास				
गोविंदपुर फेज-2 में कोनार नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	—	2.34	—	—
गोविंदपुर ओसीपी में मोंटिको नाला का डायवर्जन	—	1.90	—	—
बीआरओ रोड में टो वॉल और कच्ची नाली उपलब्ध कराना	—	0.13	—	—
विस्तार अभियांत्रिकी सर्वेक्षण/मार्ग संरेखण सर्वेक्षण	—	0.10	—	—
कुल	**203.60**	**4.47**	**—**	**—**

नोट 4 : कैपिटल डब्ल्यूआईपी (जारी...)

2. वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कैपिटल वर्क-इन-प्रोग्रेस (सीडब्ल्यूआईपी)

(क) पूंजीगत कार्य प्रगति के लिए काल प्रभावन सूचि:

	सीडब्ल्यूआईपी में कितनी अवधि के लिए राशि है				
	1 वर्ष / एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजनाएं प्रगति पर हैं:					
निर्माण (जल आपूर्ति, सड़क और पुलिया सहित)	43.42	20.92	6.52	5.24	76.10
संयंत्र और उपकरण	184.16	17.04	17.10	2.66	220.96
रेलवे साइडिंग	27.66	104.71	79.24	66.53	278.14
अन्य खनन अवसंरचना/विकास	14.21	282.07	34.11	13.52	343.91
निर्माणाधीन रेल कॉरिडोर					
अन्य	—	—	—	—	—
परियोजनाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया					
परियोजना का नाम	—	—	—	—	—
कुल	**269.45**	**424.74**	**136.97**	**87.95**	**919.11**

(ख) अतिदेय पूंजी-कार्य प्रगति पर

	पूरा किया जाना है			
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
परियोजनाएं प्रगति पर हैं:				
निर्माण (जल आपूर्ति, सड़क और पुलिया सहित)				
बिरसा में तालाब की खुदाई	0.03	—	—	—
बिरसा में 16 एमक्यू टाइप क्वाटर और 16 बी टाइप क्वाटर का निर्माण।	1.23	—	—	—
बिरसा परियोजना में 04 डी-टाइप क्वाटर और 12 सी-टाइप क्वाटर का निर्माण	3.12	—	—	—
पुनर्वास क्षेत्र के लिए प्राथमिक विद्यालय भवन का निर्माण	0.07	—	—	—
पुनर्वास क्षेत्र में 3.15 कि.मी मार्ग का निर्माण	2.01	—	—	—
केएसपी में सिंगल स्टोरी डी टाइप क्वार्टर का निर्माण		—	0.08	—
सीएमडबल्यूओ जलापूर्ति योजना निर्माणाधीन		—	—	0.01
फैक्ट्री एवं खदानों का निर्माण		—	—	0.05
फैक्ट्री एवं खदानों का निर्माण		—	—	0.01
भवन निर्माणाधीन		—	—	0.25
डब्ल्यू/एस बिल्डिंग प्रथम श्रेणी यूसी		—	—	0.01
नए डब्ल्यूटीपी/एसटीपी/पीईटी के निर्माण और उसके उन्नयन के लिए मेकॉन को भुगतान		—	—	0.20
कथारा मोड़ से कथारा तक मुख्य सड़क का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण	0.81	—	—	—
आम्रपाली में पीओ कार्यालय का निर्माण	1.35	—	—	—
प्री-फैब बिल्डिंग का निर्माण	12.01	—	—	—
डीएवी स्कूल का विस्तार		—	—	0.94
निर्माण (जल आपूर्ति, सड़क और पुलिया सहित)	0.08	—	—	—

नोट 4 : कैपिटल डब्ल्यूआईपी (जारी...)

	पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष /एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
संयंत्र और उपकरण				
सीएमपीडीआईएल द्वारा प्रदान की गई योजना और डिजाइन सेवा				0.18
कोनार ओसीपी (8MTY) के लिए सीएचपी के एनआईटी हेतु सीएमपीडी-आईएल द्वारा प्रदान की गई एनआईटी सेवाएं				0.11
कोनार ओसीपी (8एमटीवाई) के लिए सीएचपी के सीएमपीडीआईएल एनआईटी द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुसंधान एवं विकास सेवाएं				0.14
कोनार ओसीपी (8एमटीवाई) के लिए सीएचपी के एनआईटी के लिए सीएमपीडीआईएल द्वारा प्रदान की गई अनुसंधान एवं विकास सेवाएं				0.12
कोनार वाशरी की स्थापना के लिए एकीकृत बोली दस्तावेज तैयार करना				0.05
कोनार वाशरी के लिए 58वें अभियांत्रिकी दिवस पर सीएमपीडीआईएल द्वारा प्रदान की गई अनुसंधान एवं विकास सेवाएं				0.12
कोनार वाशरी के लिए सीएमपीडीआईएल रांची द्वारा प्रदान की जाने वाली पी एंड डी सेवाओं के लिए शुल्क		—	—	0.24
डब्ल्यू/बी मशीन संख्या 9025 से 9044 तक निर्माणाधीन है	3.34	—	—	—
रेलवे साइडिंग			—	
करगली रेलवे साइडिंग की सीमा दीवार का विस्तार	—	0.11	—	
रेलवे साइडिंग	—	—	—	74.44
अन्य खनन अवसंरचना/विकास				
सयाल मोड़ भुरकुंडा से पोटंगा तक सौंदा सयाल उरीमारी, गिद्दी वाशरी सौंदा, सौंदा डी से सी/सौंदा और के.के. खदान से सयाल से खदान तक मौजूदा सड़क का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण।	3.85	—	—	—
उत्तर उरीमारी परियोजना से साइट कार्यालय तक पहुंच मार्ग	0.18	—	—	—
एकेके ओसीपी में 05 गहरे बोरवेल का निर्माण	—	0.08	—	—
एमडीआर-079 पर पुनः संरेखित डायवर्जन पर बायपास रोड का निर्माण	—	0.10	—	—
आरडी में विकास कार्य	—	—	—	2.71
गोविंदपुर फेज-2 में कोनार नदी पर उचे पुल का निर्माण	2.34	—	—	—
गोविंदपुर ओसीपी में मोंटिको नाला का डायवर्जन	1.90	—	—	—
राइट्स लिमिटेड द्वारा सड़क का निर्माण।	31.69	—	—	—
एनबीसीसी लिमिटेड द्वारा सड़क का निर्माण।	274.40	—	—	—
केदला वाशरी	0.33	—	—	—
अन्य खनन अवसंरचना/विकास	2.98	—	—	—
कुल	**341.72**	**0.29**	**0.08**	**79.58**

नोट 5: गवेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	गवेषण एवं मूल्यांकन लागत
वहन राशि :	
1 अप्रैल, 2021 को	500.90
जोड़	100.90
विलोपन/समायोजन	(27.65)
31 मार्च, 2022 को	**574.15**
1 अप्रैल, 2022 को	574.15
जोड़	123.19
विलोपन/समायोजन	(11.38)
31 मार्च, 2023 को	**685.96**
संचित मूल्यह्रास एवं हानि	
1 अप्रैल, 2021 को	**1.11**
वर्ष के लिए शुल्क	—
हानि	–
विलोपन/समायोजन	(0.65)
31 मार्च, 2022 को	**0.46**
1 अप्रैल, 2022 को	**0.46**
वर्ष के लिए शुल्क	—
हानि	1.55
विलोपन/समायोजन	–
31 मार्च, 2023 को	**2.01**
निबल वहन राशि	—
31 मार्च, 2023 को	**683.95**
31 मार्च, 2022 को	**573.69**

(क) वित्त वर्ष 2022-23 के लिए गवेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों के लिए एजिंग शेड्यूल

	गवेषण और मूल्यांकन में कितनी अवधि के लिए राशि				
	1 वर्ष / एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
ई एंड ई परियोजनाएं प्रगति पर हैं	214.26	149.01	72.30	248.84	684.41
ई एंड ई परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	—	—	—	—	—
परियोजना का नाम	0	0	0.76	0.79	1.55
कुल	**214.26**	**149.01**	**73.06**	**249.63**	**685.96**

(ख) अतिदेय गवेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां

	पूरा होने के लिए			
	1 वर्ष /एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
ई एंड ई परियोजनाएं प्रगति पर हैं				
कुल	—	—	—	—

नोट 5: गवेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्ति (जारी...)

2. (क) वित्त वर्ष 2022-23 के लिए गवेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों के लिए एजिंग शेड्यूल

(₹ करोड़ में)

	गवेषण के लिए राशि एवं मूल्यांकन की अवधि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक	कुल
गवेषण एवं मूल्यांकन परियोजना प्रगति पर:	223.00	39.94	40.25	269.18	572.37
अस्थायी रूप से निलंबित गवेषण एवं मूल्यांकन परियोजनाएं:	—	—	1.78	—	1.78
परियोजना के नाम					
कुल	**223.00**	**39.94**	**42.03**	**269.18**	**574.15**

3. अतिदेय गवेषण एवं मूल्यांकन परीसंपत्ति

	अवधि में पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक
गवेषण एवं मूल्यांकन परियोजना प्रगति पर:				
कारो वाशरी के लिए सीएमपीडीआईएल पूंजीगत व्यय	—	0.55	—	—
कोनार वाशरी के लिए सीएमपीडीआईएल पूंजीगत व्यय	—	0.93	—	—
कोनार सब स्टेशन के लिए सीएमपीडीआईएल पूंजीगत व्यय	—	0.26	—	—
नई करगली वाशरी के लिए सीएमपीडीआईएल द्वारा अप्रैल, 2018 के दौरान परियोजना नियोजन के लिए किया गया अनुसंधान एवं विकास कार्य	—	0.05	—	—
कुल	**0**	**1.78**	—	—

नोट 6.1: अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	कम्प्युटर सॉफ्ट-वेयर	विक्रय हेतु कोल ब्लॉक	अन्य	कुल
वहन राशि:				
1 अप्रैल, 2021 को	12.30	7.28	—	19.58
जोड	0.02	—	—	0.02
विलोपन/समायोजन	—	—	—	—
31 मार्च, 2022 को	**12.32**	**7.28**	—	**19.60**
1 अप्रैल, 2022 को	12.32	7.28	—	19.60
जोड़	22.61	—	—	22.61
विलोपन/समायोजन	—	—	—	—
31 मार्च, 2023 को	**34.93**	**7.28**	—	**42.21**
संचित मूल्यह्रास एवं हानि				
1 अप्रैल, 2021 को	8.65	—	—	8.65
वर्ष के लिए शुल्क	2.29	—	—	2.29
हानि	—	—	—	—
विलोपन/समायोजन	—	—	—	—
31 मार्च, 2022 को	**10.94**	—	—	**10.94**
1 अप्रैल, 2022 को	10.94	—	—	10.94
वर्ष के लिए शुल्क	4.47	—	—	4.47
हानि	—	—	—	—
विलोपन/समायोजन	—	—	—	—
31 मार्च, 2023 को	**15.41**	—	—	**15.41**
निबल अग्रणीत राशि				
31 मार्च, 2023 को	**19.52**	**7.28**	—	**26.80**
31 मार्च, 2022 को	**1.38**	**7.28**	—	**8.66**

1. विक्रय हेतु कोयला ब्लॉक खानों के प्रारंभिक विकास पर किए गए व्यय को दर्शाते हैं जिसे प्राधिकरण द्वारा ऐसे ब्लॉक के विक्रय से वसुला जाएगा।

नोट 6.2: विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	कम्प्युटर सॉफ्टवेयर		कुल	
वहन राशि:				
1 अप्रैल, 2021 को	—	—	—	—
जोड	11.27			11.27
विलोपन/समायोजन	—	—	—	—
31 मार्च, 2022 को	11.27			11.27
1 अप्रैल, 2022 को	—	—	—	—
जोड़	11.27	—	—	11.27
विलोपन/समायोजन	(11.27)			(11.27)
31 मार्च, 2023 को	—	—	—	—
संचित प्रावधान एवं हानि				
1 अप्रैल, 2021 को	—	—	—	—
वर्ष के लिए शुल्क	—	—	—	—
हानि	—	—	—	—
विलोपन/समायोजन	—	—	—	—
31 मार्च, 2022 को	—	—	—	—
1 अप्रैल, 2022 को	—	—	—	—
वर्ष के लिए शुल्क	—	—	—	—
हानि	—	—	—	—
विलोपन/समायोजन	—	—	—	—
31 मार्च, 2023 को	—	—	—	—
निबल अग्रणीत राशि				
31 मार्च, 2023 को	—	—	—	—
31 मार्च, 2022 को	11.27	—	—	11.27

नोट 7 : निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	धारित शेयरों की संख्या	31.03.2023 को	31.03.2022 को
गैर चालू			
को-ओपरेटिवे (सहकारी) शेयरों में निवेश (अउद्धृत)			
सुरक्षित बॉन्ड में निवेश (उद्धृत)		–	–
शेयरों में निवेश			
अनुषंगी कंपनी - जेसीआरएल में इक्विटी शेयर्स	6,46,31,232 (6,46,31,232)	64.63	64.63
अन्य निवेश			
शेयर अनुप्रयोग राशि		—	—
जेसीआरएल को ब्याज मुक्त ऋण		280.90	280.90
कुल		**345.53**	**345.53**
उद्धत निवेशों का निबल राशि:		—	—
उद्धत निवेशों का बाजार मूल्यः		—	—
अनुद्धत निवेशों का निबल राशिः		345.53	345.53
निवेश के मूल्य में निबल हानिः:		—	—

नोट 7 : निवेश (जारी...)

(₹ करोड़ में)

विवरण	एनएवी / अंकित मुल्य प्रति युनिट (₹ में) 31.03.2023 को	31.03.2023 को	31.03.2023 को	31.03.2022 को
चालू				
म्यूचुअल फंड निवेश				
यूटीआई लिक्विड नकद प्लान	—	—	—	—
एसबीआई अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड	5,158.4197	4,897.0747	647.83	64.66
एसबीआई म्यूचुअल फंड- लिक्विड	3,523.3030	3,333.0896	4.47	0.02
केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड- लिक्विड	2,696.7127	2,549.7953	17.68	0.01
यूनियन म्यूचुअल फंड- लिक्विड	2,169.4479	2,050.9509	10.12	0.01
बीएनपी परिबास लिक्विड फण्ड	2,595.4687	2,452.9344	38.89	0.02
अन्य निवेश				
8.5% कर मुक्त विशेष बांडस (पूर्णतः भुगतान) (व्यापार प्राप्तियों के प्रतिभूतिकरण पर)			—	—
अंतर-कॉर्पोरेट जमा में निवेश			—	—
कुल			**718.59**	**64.72**
उद्धत निवेश का संकलित मूल्यः			—	—
उद्धत निवेश का बाजार मूल्य			—	—
अनुद्धत निवेशों की संकलित मूल्यः			718.59	64.72
निवेश मूल्यों में हानि की संकलित मूल्यः			—	—

वर्ष के दौरान खरीदे गए एवं बेचे गए म्यूचुअल फंड का विवरण

(रू. करोड़ में)

विवरण	प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान कुल खरीदी		वर्ष के दौरान विमाच्य		अंतिम शेष	
	इकाइयों की संख्या	राशि	इकाइयों की संख्या	राशि	इकाइयों की संख्या	राशि	इकाइयों की संख्या	राशि
एसबीआई अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड	1,32,036.45	64.66	38,09,330.08	1,900.00	26,85,496.34	1,335.370	12,55,870.19	647.83
एसबीआई म्यूचुअल फंड - लिक्विड	47.70	0.02	21,56,277.21	741.47	21,43,634.41	745.53	12,690.50	4.47
केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड -लिक्विड	41.29	0.01	99,779.58	26.33	34,247.27	8.94	65,573.60	17.68
यूनियन म्यूचुअल फंड - लिक्विड	66.11	0.01	67,617.92	14.40	21,061.56	4.44	46,622.47	10.12
बीएनपी पारिबास लिक्विड फंड	72.58	0.02	2,67,590.14	67.80	1,19,384.11	30.16	1,48,278.61	38.49
कुल	**1,32,264.13**	**64.720**	**64,00,594.93**	**2,750.00**	**50,03,823.69**	**2,124.44**	**15,29,035.37**	**718.59**

कंपनी लिक्विड योजना (ग्रोथ ऑप्शन) एवं अल्ट्रा शॉर्ट-टर्म निधि (ग्रोथ ऑप्शन) में निवेश करती है।

नोट 8: ऋण

(₹ करोड़ में)

	31.03.2023 को	31.03.2022 को
गैर चालू		
संबंधित पार्टियों को ऋण		
— सुरक्षित, सुविचारित	—	—
— असुरक्षित, सुविचारित	—	—
— संदेहास्पद	—	—
घटावः संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	—	—
	—	—
संबंधित पार्टियों को छोड़कर अन्य को ऋण		
कॉरपोरेट और कर्मचारियों को ऋण		
— सुरक्षित, सुविचारित	5.10	2.06
— असुरक्षित, सुविचारित	—	—
— ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ	—	—
— क्षीण ऋण	—	—
	5.10	2.06
घटावः संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	—	—
	5.10	2.06

संबंधित पक्षों को गैर- चालू ऋणों का विवरण	31.03.2023		31.03.2022	
उधारकर्ता का प्रकार	बकाया सकल राशि	कुल सकल ऋण का %	बकाया सकल राशि	कुल सकल ऋण का %
निदेशक	—	—	—	—
प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति	—	—	—	—
संबंधित पक्ष	—	—	—	—
कुल	—	—	—	—

नोट 8: ऋण (जारी...)

(₹ करोड़ में)

	31.03.2023 को	31.03.2022 को
चालू		
संबंधित पार्टियों को ऋण		
— सुरक्षित, सुविचारित	—	—
— असुरक्षित, सुविचारित	—	—
— ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ	—	—
— क्षीण ऋण	—	—
	—	—
घटावः संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	—	—
	—	—
संबंधित पार्टियों के अलावा अन्य को ऋण		
कॉर्पोरेट एवं कर्मचारियों के लिए ऋण		
— सुरक्षित, सुविचारित	0.71	—
— असुरक्षित, सुविचारित	—	—
— क्षीण ऋण	—	—
	0.71	—
घटावः संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	—	—
	0.71	—

संबंधित पार्टियों को गैर-चालू ऋणों का विवरण	31.03.2023		31.03.2022	
उधारकर्ता का प्रकार	**बकाया सकल राशि**	**कुल सकल ऋण का %**	**बकाया सकल राशि**	**कुल सकल ऋण का %**
निदेशक	—	—	—	—
प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति	—	—	—	—
संबंधित पक्ष	—	—	—	—
कुल	**—**	**—**	**—**	**—**

1. निदेशकों से बकाया राशि के लिए - नोट 38(6)(d) देखें।
2. कर्मचारियों को ऋण सेवा की शर्तों पर सुरक्षित किया जाता है।

नोट 9 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
गैर चालू				
12 महीने से अधिक परिपक्वता वाली बैंक जमा राशि		—		—
स्थानांतरण और पुनर्वास निधि योजना के तहत बैंक के साथ जमा		—		—
खान बंदीकरण योजना के तहत बैंक में जमा		1,526.83		1,365.00
प्रतिभूति जमा	116.24		6.59	
घटाव : संदिग्ध जमा के लिए भत्ता	0.08	116.16	0.08	6.51
अन्य जमा एवं प्राप्य	—		—	
घटाएं : संदिग्ध जमा एवं प्राप्य राशियों के लिए भत्ता	—	—	—	—
कुल		**1,642.99**		**1,371.51**
चालू				
होल्डिंग कंपनी के साथ चालू खाता (आरएसओ सहित)		—		—
उपार्जित ब्याज		28.61		28.60
दावे और अन्य प्राप्य*	144.55		83.53	
घटावः संदेहास्पद दावों के लिए भत्ता	14.29	130.26	15.29	69.24
कुल		**158.87**		**97.84**

1. खान बंदीकरण योजना के अंतर्गत बैंक में जमा राशि

प्रारंभिक दिनांक पर एक्क्रो खाता में शेष (चालू/गैर चालू)	1,365.00	1,250.53
जोड़: वर्ष के दौरान जमा की गई राशि	105.06	106.52
जोड़: वर्ष के दौरान आकलित ब्याज	62.27	43.25
घटाव: वर्ष के दौरान निकाला गया राशि	5.50	35.30
अंतिम दिनांक पर एक्क्रो खाते (चालू/गैर चालू) में शेष	1,526.83	1,365.00

2. *चूंकि दिनांक 01.03.2011 की प्रभावी तिथि से कोयला एक्साइज के अंतर्गत आ गया था, रॉयल्टी और एस.ई.डी. को "अन्य कर" के रूप में मान कर लेन-देन मूल्य से बाहर रखा गया था। सेन्ट्रल एक्साइज इन्टेलिजेंस (डी.जी.सी.ई.आई.), नई दिल्ली के महानिदेशालय द्वारा जारी किए गए समन के परिणामस्वरूप, सीआईएल, होल्डिंग कंपनी, जिसने इस मुद्दे का प्रतिनिधित्व किया, को लेन-देन मूल्य में वादित रॉयल्टी और एस.ई.डी. शामिल करने और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान करने की सलाह दी जबतक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 9 सदस्यीय बेंच में लंबित मामले का निपटारा नहीं हो जाता। तदनुसार, मार्च 2011 से फरवरी 2013 के अवधि के दौरान वादित कोयले के प्रेषण और वाशरी में कच्चे कोयले की खपत के लिए ₹ 85.14 करोड़ का भुगतान किया गया है और इसके परिणामस्वरूप उक्त अवधि के दौरान ₹ 79.95 करोड़ का पूरक बिल एकत्र किया गया है, जिसमें से नकद बिक्री ग्राहकों से ₹ 3.96 करोड़ की शेष राशि "अन्य प्राप्ति" मद के अंतर्गत दर्शाया गया है। ₹ 3.96 करोड़ में से, ग्राहकों ने कोलकाता और झारखंड के माननीय उच्च न्यायालयों से ₹ 2.56 करोड़ के लिए स्थगन आदेश लिया है और ₹ 1.40 करोड़ के शेष के विरूद्ध ₹ 1.38 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
3. निदेशकों से बकाया के लिए - नोट 38(6)(डी) देखें।

नोट 10 : अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
(i) अग्रिम पूंजी	2,065.10		1,536.85	
घटाव : संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता	-	2,065.10	0.08	1,536.77
(ii) **पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम**				
(ए) अन्य जमा एवं अग्रिम	-		-	
घटाव : संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता	-	-	-	-
(बी) प्रगतिशील खान बंदीकरण पर व्यय		991.15		750.40
(सी) संबंधित पार्टियों को अग्रिम		-		-
कुल		**3,056.25**		**2,287.17**

विवरण	अंतिम शेष		किसी भी समय के दौरान अधिकतम बकाया राशि	
	चालू वर्ष (₹ करोड़ में)	पिछला वर्ष (₹ करोड़ में)	चालू वर्ष (₹ करोड़ में)	पिछला वर्ष (₹ करोड़ में)
कंपनियों का बकाया जिनमें कंपनी के निदेशक/सदस्य भी हैं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पार्टियों का बकाया, जिसमें कंपनी के निदेशक निहितार्थ हैं।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1. पूंजीगत अग्रिम में मुख्य रूप से टोरी-शिवपुर रेल लाइन के निर्माण हेतु पू.के. रेलवे को दिए गए ₹ 401.77 करोड़. (विगत वर्ष ₹ 348.02 करोड़) तथा जीएमजेजे भूमि के मद में राज्य सरकार को दिये गए ₹ 1212.15 करोड़ शामिल है ।

नोट 11 : अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

		31.03.2023 को		31.03.2022 को	
(ए)	वैधानिक बकायों का अग्रिम भुगतान	540.65		270.94	
	घटावः संदेहास्पद अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	540.65	0.89	270.05
(बी)	अन्य अग्रिम और जमा	1,344.58		1,604.60	
	घटावः अन्य जमा और अग्रिम के लिए भत्ता	19.45	1,325.13	21.24	1,583.36
(सी)	प्रगतिशील खान बंदीकरण पर किया गया व्यय		87.05		95.77
(डी)	प्राप्य इनपुट टैक्स क्रेडिट		1,455.57		1,268.51
	कुल		**3,408.40**		**3,217.69**

विवरण	अंतिम शेष		किसी भी समय के दौरान अधिकतम बकाया राशि	
	पिछला वर्ष (₹करोड में)	चालू वर्ष (₹करोड में)	पिछला वर्ष (₹करोड में)	चालू वर्ष (₹करोड में)
कंपनियों का बकाया जिनमें कंपनी के निदेशक सदस्य भी हैं (कम्पनियाँ के नाम सहित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पार्टियों का बकाया, जिसमें कंपनी के निदेशक निहितार्थ हैं।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1. निदेशकों का बकाया - नोट 38(6)(डी) देखें।

नोट 12: भंडार सूचियां

(₹ करोड़ में)

		31.03.2023 को	31.03.2022 को
(ए)	कोयले का भंडार	965.24	881.21
	विकासाधीन कोयला	—	—
		965.24	**881.21**
(बी)	सामान एवं कलपुर्जों का भंडार (लागत पर)	174.70	144.46
	जोड़ः पारगमन पर भंडार	—	—
	सामान एवं कलपुर्जों का निबल भंडार (लागत पर)	**174.70**	**144.46**
(सी)	केंद्रीय अस्पताल में दवा का भंडार	1.66	0.75
(डी)	कार्यशाला कार्य और प्रेस कार्य	2.70	4.92
	कुल	**1,144.30**	**1,031.34**

.

नोट 12 का अनुलग्नक

तालिका - ए

अवधि की समाप्ति तक वित्तीय विवरणी में शामिल कच्चे कोयले का अंतिम शेष भंडार के साथ खाता भंडार के साथ मिलान

(मात्रा लाख टन में) (मूल्य ₹ करोड़ में)

विवरण			कुल भण्डार		गैर विक्रय योग्य/ मिश्रित भण्डार		विक्रय योग्य भण्डार	
			मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1.	(क)	01.04.2022 को प्रारंभिक भण्डार	76.43	589.11	1.21	—	75.22	589.11
	(ख)	प्रारंभिक भण्डार में समायोजन			—	—		
2.		वर्ष में उत्पादन	760.87	—	—	—	760.87	—
3.		उप-योग (1+2)	837.30	589.11	1.21	—	836.09	589.11
4.		वर्ष में प्रेषण						
	(क)	बाहरी प्रेषण	696.69	19,305.72	—	—	696.69	19,305.72
	(ख)	वापसी को दिया गया कोयला	53.55	573.40	—	—	53.60	573.40
	(ग)	निजी खपत	—	—	—	—	—	—
		योग (क)	**750.24**	**19,879.12**	—	—	**750.24**	**19,879.12**
5.		प्राप्त भंडार	87.06	758.80	1.21	—	85.85	758.80
6.		मापित भण्डार	86.22	751.75	1.18	—	85.04	751.75
7.		अन्तर (5—6)	0.84	7.05	0.03	—	0.81	7.05
8.		अन्तर का विवरण:						
	(क)	5%के अन्दर अतिरिक्त	0.21	1.80	—	—	0.21	1.80
	(ख)	5%के अन्दर कमी	1.05	8.85	0.03	—	1.02	8.85
	(ग)	5%से परे अतिरक्त	—	—	—	—	—	—
	(घ)	5% से परे कमी	—	—	—	—	—	—
9.		खाते में लिखा गया अंतिम भण्डार (6—8 क+8 ख)	87.06	758.80	1.21	—	85.85	758.80

नोट 12 का अनुलग्नक (जारी...)

तालिका - बी
कोयला/कोक के अंतिम शेष भण्डार का सार

(मात्रा लाख टन में) (मूल्य ₹ करोड़ में)

विवरण		कच्चा कोयला		धुला हुआ/डिसाल्ट कोयला				अन्य उत्पादन		कुल	
				कोकिंग		नन-कोकिंग					
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
प्रारंभिक भंडार (अंकेक्षित)		76.43	589.11	0.18	8.86	0.55	5.81	15.53	277.43	92.69	881.21
घटाव: गैर बिक्री योग्य कोयला/ मिश्रित कोयला		1.21	–	–	–	–	–	–	–	1.21	–
समायोजित प्रारंभिक भण्डार (विक्रय योग्य)		75.22	589.11	0.18	8.86	0.55	5.81	15.53	277.43	91.48	881.21
उत्पादन		760.87	–	7.21	–	36.65	–	8.23	–	812.96	–
प्रेषण											
(क)	बाहरी प्रेषण	696.64	19,305.72	7.09	610.13	36.91	1,618.97	12.29	830.90	752.93	22,365.72
(ख)	वाशरी को दिया गया कोयला	53.60	573.40	–	–	–	–	–	–	53.60	573.40
(ग)	निजी खपत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
इति भण्डार		85.85	758.80	0.30	7.30	0.29	2.81	11.47	196.33	97.91	965.24
घटाव: कमी		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
इति भण्डार (लिया गया)		85.85	758.80	0.30	7.30	0.29	2.81	11.47	196.33	97.91	965.24

1. अन्य उत्पादों के प्रेषण के मूल्य में नॉन कोकिंग स्लरी एवं रिजेक्ट्स का मूल्य शामिल है, लेकिन प्रेषण की मात्रा में नॉन कोकिंग स्लरी 36271 एमटी (वि.व. 12047 एमटी) एवं रेजेक्ट्स (कोकिंग एवं नन कोकिंग) 145127 एम् टी(वि. व 102739 एम् टी) शामिल नहीं है।

2. 31.03.2023 को नन कोकिंग स्लरी, कोकिंग एवं नन कोकिंग रिजेक्ट्स का स्टॉक शेष क्रमशः 195868 मि. ट. (वि. व 231247 मि. ट.) एवं 6541688 मि. ट. (वि. व 6511890 मि. ट.) है, जिसका मूल्य तैयार बाजार की उपलब्धता के अभाव में शून्य पर है। बिक्री को वसूली योग्य आधार पर मान्यता दी जाती है।

3. कोयले के स्टॉक शेष को वॉल्यूमेट्रिक रूप से मापा जाता है एवं पहचाने गए रूपांतरण कारक को लागू करके वजन (टन) में परिवर्तित किया जाता है। गणितीय रूप से निर्धारित रूपांतरण कारक को लागू करके वॉल्यूमेट्रिक माप की अंतर्निहित सन्निकटन त्रुटि और वजन में उसके बाद के रूपांतरण का ख्याल रखने के लिए, बुक स्टॉक एवं भौतिक स्टॉक के बीच (+/-) 5% के अंतर को वर्षों से लगातार पालन किया जा रहा कंपनी की लेखा नीति के अनुसार अनदेखा किया जाता है और 0.81 लाख टन मूल्य के बुक स्टॉक (बिक्री योग्य) की निबल कमी ₹ 7.05 करोड़ को लेखा पुस्तकों में समायोजित नहीं किया गया है।

4. कच्चे कोयले के भंडार में 21014 टन कोयला सम्मिलित है जो वर्ष 2010 से उरीमारी खुली खदान परियोजना में पड़ा हुआ है। इसका मूल्य 4.32 करोड़ रुपये है। यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है तथा इसका मूल्यांकन पुराने सीपीटी पर किया गया है।

नोट 13 : व्यापार प्राप्य

(₹ करोड़ में)

	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
अच्छा समझा गया सुरक्षित	—		—	
अच्छा समझा गया असुरक्षित	3,001.17		2,149.65	
ऋण में हानि	380.39		288.26	
	3,381.56		2,437.91	
घटाव: खराब एवं संदेहात्मक ऋण के लिए प्रावधान	380.39	3,001.17	288.26	2,149.65
योग		**3,001.17**		**2,149.65**

1. व्यापार प्राप्य काल प्रभावन सूचि 31.03.2023

विवरण	निम्नलिखित अवधियों के लिए लेन-देन की तारीख से बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने 1 साल	1-2 साल	2-3 साल	3 साल से अधिक	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना गया	1.844.84	236.64	832.95	3.27	83.47	3,001.17
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - ऋण बाधित	—	—	—	—	—	—
(iii) विवादित व्यापार प्राप्य- अच्छा माना गया	—	—	—	—	—	—
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - ऋण बाधित	—	—	—	—	380.39	380.39
कुल	1.844.84	236.64	832.95	3.27	463.86	3,381.56
बिल न किये गए देय	—	—	—	—	—	—
ख़राब एवं संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	—	—	—	—	380.39	380.39
अपेक्षित ऋण हानि (हानि भत्ता प्रावधान) -%	—	—	—	—	82.01%	11.25%

व्यापार प्राप्य काल प्रभावन सूचि 31.03.2022

विवरण	निम्नलिखित अवधियों के लिए लेन-देन की तारीख से बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने 1 साल	1-2 साल	2-3 साल	3 साल से अधिक	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना गया	892.16	351.17	793.56	215.78	(102.02)	2,149.65
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - ऋण बाधित	—	—	—	—	—	—
(iii) विवादित व्यापार प्राप्य- अच्छा माना गया	—	—	—	—	—	—
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - ऋण बाधित	—	—	—	—	288.26	288.26
कुल	892.16	351.17	793.56	214.78	186.24	2,437.91
बिल न किये गए देय	—	—	—	—	—	—
ख़राब एवं संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	—	—	—	—	288.26	288.26
अपेक्षित ऋण हानि (हानि भत्ता प्रावधान) -%	—	—	—	—	154.78%	11.82%

नोट 13 : व्यापार प्राप्य (जारी...)

(₹ करोड़ में)

2. व्यापार प्राप्य के विरूद्ध प्रावधान का संचलन

विवरण	राशि	
	खराब एवं संदेहात्मक ऋण	कोयला गुणवत्ता भेद
01.04.2022 को प्रारंभिक शेष	288.26	531.99
जोड़: वर्ष के दौरान किए गए	92.13	125.87
शेष प्रावधान	380.39	657.86
घटाव: वापस लिए गए प्रावधान	—	480.34
31.03.2023 को व्यापार प्राप्य के विरूद्ध शेष प्रावधान	**380.39**	**177.52**

3. उपरोक्त व्यापार प्राप्तियां, कोयले की गुणवत्ता भिन्नता का निबल ₹ 177.52 करोड़ (₹ 531.99 करोड़) है

4. निदेशकों का बकाया - नोट 38(6)(डी) देखें।

नोट 14 : नकद एवं नकद तुल्य

(₹ करोड़ में)

		31.03.2023 को	31.03.2022 को
(क)	बैंकों के साथ शेष		
	जमा खाता में	12.31	0.39
	चालू खाते में		
	— ब्याज सहित (सीएलडी)	640.54	67.25
	— गैर ब्याज सहित	97.61	597.25
	नगद ऋण खाते में	—	—
(ख)	भारत के बाहर के बैंक बचत	—	—
(ग)	प्राथमिक डीलरों के साथ आईसीडी	100.00	—
(घ)	हस्तगत चेक, ड्राफ्ट्स एवं स्टैम्प्स	0.01	0.01
(ड.)	हस्तगत नकद	—	—
(च)	भारत के बाहर का हस्तगत नकद	—	—
(च)	अन्य (ई-प्रोक्योरमेंट खाता/GeM खाता/अग्रिम शेष)	0.17	0.01
उप-कुल नकद एवं नकद समान		**850.64**	**664.91**
(छ)	बैंक ओवरड्राफ्ट्स	—	—
कुल नकद एवं नकद तुल्य (निबल बैंक ओवरड्राफ्ट्स)		**850.64**	**664.91**

नोट:

1 नकद एवं नकद समकक्ष में हाथ में और बैंक में नकद, स्वीप खाते एवं तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता वाले बैंकों के साथ सावधि जमा शामिल हैं।

2 मार्जिन राशि या सिक्युरिटी के विरूद्ध उधार, गारंटी, अन्य प्रतिबद्धताओं के विरूद्ध में बैंकों के साथ शेष राशि शून्य है।

3 हस्तगत नकद शेष राशि प्रबंधन द्वारा प्रमाणित नकद सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार है।

4 दो अदालती मुकदमों (मेसर्स नव शक्ति फ्यूल्स बनाम सीसीएल एवं इत्यादि) के मामले में खातां सं. - 0404002100045433 में जमा के विरूद्ध, सीसीएल द्वारा जारी की गई ₹ 0.39 करोड़ की बैंक गारंटी को सुरक्षित रखा गया है।

5 नकद और नकद समतुल्य में ग्राहकों से कंपोजिट उपयोगकर्ता शुल्क के रूप में एकत्र किए गए रुपये 441.45 करोड़ शामिल हैं।

6 प्राथमिक डीलरों के साथ आईसीडी 7 से 15 दिनों के बीच मूल अवधि के साथ प्राथमिक डीलरों द्वारा स्वीकार किए गए अंतर-कॉर्पोरेट जमा हैं। विवरण निम्नानुसार है-

(₹ in Crore)

प्राथमिक डीलर		
आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज	100.00	—
कुल	100.00	—

7. कंपनी संशोधन अधिनियम, 2017 के तहत सीएसआर नीति के अनुसार सीएसआर अव्ययित खाते के तहत 11.92 करोड़ रुपये जमा खाते में शामिल हैं।

नोट 15 : अन्य बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

	31.03.2023 को	31.03.2022 को
बैंकों के साथ शेष		
जमा खाता	2,493.81	1,374.33
जमा खाता (विशिष्ट उद्देश्यों के लिए)*	40.60	38.71
खान बंदीकरण योजना	—	—
स्थानांतरण एवं पुनर्वासन निधि स्कीम	—	—
शेयर के पुनःखरीद के लिए एस्क्रो खाता	—	—
अदत्त लाभांश खाता	—	—
लाभांश खाता	—	—
योग	**2,533.87**	**1,413.04**

अन्य बैंक बैलेंस में विशिष्ट उद्देश्यों के लिए जमा एवं बैंक जमा शामिल हैं जिन्हें रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 महीनों के अंदर नकद में प्राप्त होने की उम्मीद है।

*** विशिष्ट प्रयोजनों के लिए जमाराशियां न्यायालय के आदेश के अनुसार ग्रहणाधिकार/चिह्नित के तहत रखी गई बैंक जमाराशियां और अन्य विशिष्ट उद्देश्यों के लिए जमाराशियाँ हैं।, जिसमें शामिल है:—**

i) माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता के आदेशानुसार 7.41 करोड़ रू ग्राहक के दावे के विरूद्ध जमा किया गया है जिसमें अन्य वर्तमान देयता (नोट: 20) के साथ तदनरूपी देयता के ₹ 2.99 करोड़ का ब्याज शामिल है।

ii) नवम्बर 2006 से अप्रैल 2008 की अवधि के दौरान पार्टियों पर चार्ज किए गए 20 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता के अनुसार ₹ 32.65 करोड़ जमा किए गए हैं।

नोट 16 : इक्विटी शेयर कैपिटल

(₹ करोड़ में)

	31.03.2023 को	31.03.2022 को
अधिकृत		
₹ 1000/- प्रत्येक के 1,10,00,000 इक्विटी शेयर ₹ 1000/- प्रत्येक के 1,10,00,000 इक्विटी शेयर)	1,100.00	1,100.00
निर्गत अभिदत्त एवं प्रदत्त		
₹ 1000/- प्रत्येक के 94,00,000 इक्विटी शेयर (₹ 1000/- प्रत्येक के 94,00,000 इक्विटी शेयर)	940.00	940.00
	940.00	**940.00**

1. उपरोक्त में से 9399997 शेयर्स, नियंत्रक कंपनी कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा रखे गए हैं तथा शेष 3 शेयर इसके नामित द्वारा रखे गए हैं।
2. 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का कम्पनी में शेयर

शेयरधारक का नाम	शेयरों की सं. (प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 1000/-)	कुल शेयरों का प्रतिशत	अवधि के दौरान % परिवर्तन
कोल इण्डिया लिमिटेड	9399997 (9399997)	100 (100)	—

3. रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत एवं अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का समाधान:

विवरण	शेयर की संख्या	राशि
01.04.2021 को शेष	94,00,000	940.00
वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान परिवर्तन	—	—
31.03.2022 को शेष राशि	94,00,000	940.00
वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान परिवर्तन	—	—
31.03.2023 को शेष	94,00,000	940.00

4. कंपनी के पास इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है जिसका अंकित मूल्य 1000/- ₹ प्रति शेयर है। इक्विटी शेयरधारक समय समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने और शेयरधारकों की बैठक में शेयर होल्डिंग के समानुपात में वोटिंग अधिकार के हकदार हैं।

नोट 17: अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	सामान्य संचय	प्रतिधारित कमाई	ओसीआई	कुल
01.04.2021 को शेष	2,307.15	4,475.46	(174.08)	6,608.53
लेखा नीति में परिवर्तन तथा पूर्व अवधि त्रुटि (निबल कर)	—	—	—	—
01.04.2021 को शेष	2,307.15	4,475.46	(174.08)	6,608.53
वर्ष के दौरान वृद्धि	—	—	—	—
वर्ष के दौरान समायोजन	—	—	—	—
वर्ष के दौरान कुल लाभ	—	1,696.92	—	1,696.92
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (कर का शुद्ध)	—	—	(51.39)	(51.39)
विनियोग				
हस्तांतरित/सामान्य संचय से	84.85	(84.85)	—	—
अंतरिम लाभ	—	(404.20)	—	(404.20)
अंतिम लाभ	—	(377.88)	—	(377.88)
निगम लाभांश कर	—	—	—	—
31.03.2022 को शेष	**2,392.00**	**5,305.45**	**(225.47)**	**7,471.98**
01.04.2022 को शेष	2,392.00	5,305.45	(225.47)	7,471.98
वर्ष के दौरान वृद्धि	—	—	—	—
वर्ष के दौरान समायोजन	—	(0.09)	—	(0.09)
लेखा नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटि	—	—	—	—
वर्ष के दौरान कुल लाभ	—	2,751.67		2,751.67
परिभाषित लाभ योजना की प्रतिपूर्ति (निबल कर)	—	—	177.59	177.59
विनियोग :				
हस्तांतरित/सामान्य संचय से	137.58	(137.58)	—	—
अंतरिम लाभ	—	(600.66)	—	(600.66)
अंतिम लाभ	—	(423.00)	—	(423.00)
निगम लाभांश कर	—	—	—	—
इक्विटी शेयरों का वापसी खरीद	—	—	—	—
वापसी खरीद पर कर	—	—	—	—
31.03.2023 को शेष	**2,529.58**	**6,895.79**	**(47.88)**	**9,377.49**

लाभांश के रूप में वितरण के लिए केवल प्रतिधारित आय और सामान्य आरक्षित उपलब्ध हैं।

नोट 18 : उधार

(₹ करोड़ में)

	31.03.2023 को	31.03.2022 को
गैर-चालू		
सावधी ऋण	—	—
अन्य ऋण	—	—
कुल	—	—
वर्गीकरण		
सुरक्षित	—	—
असुरक्षित	—	—
चालू		
मांग पर चुकाए जाने वाले ऋण		
बैंको से		
— बैंक ओवरड्राफ्ट	—	—
— बैंकों से अन्य उधार	—	—
अन्य पार्टियों से	—	—
लंबी अवधि के उधार की वर्तमान परिपक्वता		
कुल	—	—
वर्गीकरण		
सुरक्षित	—	—
असुरक्षित	—	—

निदेशकों एवं अन्य के द्वारा गारंटीकृत ऋण

ऋण का वर्गीकरण	राशि (करोड़ ₹ में)	गारंटी की प्रकृति
लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं

नोट 19 : व्यापार देयताएं

(₹ करोड़ में)

	31.03.2023 को	31.03.2022 को
चालू		
माइक्रो, स्मॉल तथा मीडियम इन्टरप्राइजेज के लिए	9.88	6.98
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा	1,305.23	1,554.27
कुल	**1,315.11**	**1,561.25**
वर्गीकरण		
सुरक्षित	—	—
असुरक्षित	1,315.11	1,561.25

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के व्यापार देयताएं

वर्ष के अंत में अप्रदत्त एवं न देने लायक मूल एवं ब्याज राशि	शून्य	शून्य
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन अधिनियम, 2006 के धारा 16 के अनुसार कम्पनी द्वारा ब्याज को देय राशि के साथ वर्ष के नियुक्त तिथि के बाहर दिया गया राशि।	शून्य	शून्य
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को बिना जोड़े देय वर्ष में बकाया ब्याज (भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन से परे)	शून्य	शून्य
वर्ष के अंत तक अर्जित पर अदत्त ब्याज	शून्य	शून्य
आगामी वर्षों में बकाया एवं देय, जब तक कि उपरोक्त तारीख के रूप में ब्याज की राशि वास्तव में छोटे उद्यमों को भुगतान नहीं की जाती	शून्य	शून्य

व्यापार प्राप्य काल प्रभावन सूचि 31.03.2023

विवरण	लेन-देन की तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक	
(i) (एमएसएमई)	9.88	—	—	—	9.88
(ii) अन्य	1,043.68	103.98	32.06	49.80	1229.52
(iii) विवादित देय राशियां - एमएसएमई	—	—	—	—	—
(iv) विवादित देय राशियां - अन्य	—	—	—	75.71	75.71
(v) बिल न किए गए बकाया	—	—	—	—	—
कुल	**1,053.56**	**103.98**	**32.06**	**125.51**	**1,315.11**

नोट 19 : व्यापार देयताएं (जारी...)

31.03.2023 को व्यापार देय एजिंग शैड्यूल

विवरण	लेन-देन की तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक	
(i) (एमएसएमई)	6.98	-	-	-	6.98
(ii) अन्य	1,339.86	21.70	57.46	53.59	1,472.61
(iii) विवादित देय राशियां - एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवादित देय राशियां - अन्य	-	-	-	81.66	81.66
(v) बिना बिल की बकाया राशि	-	-	-	-	-
कुल	**1,346.84**	**21.70**	**57.46**	**135.25**	**1,561.25**

नोट 20 : अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

	31.03.2023 को	31.03.2022 को
गैर चालू		
प्रतिभूति जमा	232.21	124.13
अन्य		
कुल	**232.21**	**124.13**
चालू		
होल्डिंग कंपनी के साथ चालू खाता	-	-
होल्डिंग कंपनी	12.47	57.66
आईआईसीएम	0.21	0.21
अप्रदत लाभांश	—	—
प्रतिभूति जमा राशि	147.91	231.59
अग्रिम राशि	266.37	56.84
पूंजीगत व्यय के लिए देय	197.02	177.69
कर्मचारी लाभ के लिए दायित्व	500.49	473.74
अन्य	90.16	50.59
कुल	**1215.63**	**1048.32**

1. ऊपर दिए गए अन्य कार्यों में अप्रयुक्त सीएसआर व्यय शामिल हैं (अनुलग्नक नोट – 29 देखें (सीएसआर व्यय)
2. निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष को भुगतान के लिए कोई राशि देय नहीं है।

वर्गीकरण के लिए नोट 38(2) देखें।

नोट 21 : प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	31.03.2023 को	31.03.2022 को
गैर चालू		
कर्मचारी लाभ		
ग्रेच्युटी	64.80	610.99
अवकाश नकदीकरण	467.86	283.02
सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	192.89	214.36
अन्य कर्मचारी लाभ	40.69	40.79
	766.24	1,149.16
अन्य प्रावधान		
स्थल पुनःस्थापन/खान बंदीकरण	929.15	982.09
स्ट्रीपिंग गतिविधि समायोजन	3,639.59	2,987.40
अन्य	—	—
कुल	**5,334.98**	**5,118.65**
चालू		
कर्मचारी लाभ		
ग्रेच्युटी	207.82	197.13
अवकाश नकदीकरण	49.77	29.56
सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	28.27	25.09
एक्स-ग्रेसिया	258.44	250.70
निष्पादन संबंधी वेतन	268.29	178.07
अन्य कर्मचारी लाभ	1,361.87	153.20
	2,174.46	**833.75**
अन्य प्रावधान		
अन्य	—	—
कुल	**2,174.46**	**833.75**

टिप्पणी :

1. स्थल पुनःस्थापन/खान बंदीकरण/भूमि का पुनर्ग्रहण का मिलान :

01.04.2022/01.04.2021 को स्थल बहाली परिसम्पत्ति का सकल मूल्य	489.89	472.49
जोडें: प्रावधानों के खोलने पर प्रभारित (पंजीकृत सहित) तक 01.04.2021/01.04.2020	492.20	451.68
जोड़ें: वर्तमान वर्ष के लिए प्रावधानों के खोलने पर प्रभारित (पूंजीकृत सहित)	75.44	81.77
कम: वर्ष के दौरान वापस लिया गया खान बंदीकरण प्रावधान	128.38	23.85
31.03.2023 /31.03.2022 को खान बंदीकरण प्रावधान	**929.15**	**982.09**

2. गैर कार्यकारियों के एक्सग्रेसिया के लिए अनुपात तौर पर 2021-22 के लिए दिया गया ₹ 76500/- का प्रावधान किया गया है।.
3. खान बंदीकरण योजना के संबंध में, भारत सरकार के कोयला मंत्रालय से प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार, कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी सीएमपीडीआईएल के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर खाते में खान बंदीकरण की लागत का प्रावधान किया जाता है। सीएमपीडीआईएल द्वारा प्रत्येक खान की ऐसी देयताओं की अनुमानित लागत पर / 8% (यानि जी-सेक दर) की दर से छूट दी गई है और उक्त को ही खान बंदीकरण देयता तक पहुंचने के लिए प्रथम वर्ष को ही प्रावधान को बनाने में इसे पूंजीकृत किया जाता है। तदनतर, आगामी वर्षों में देय छूट को कम कर, 31.03.2023 के उक्त प्रावधान पर पहुंचा गया है। ₹ 1526.83 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 1365.00 करोड़) के खान बंदीकरण प्रावधान के विरूद्ध, ₹ 471.05 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 408.78 करोड़) एकाउन्ट में जमा है, जिसमें ₹ 929.15 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 982.09 करोड़) ब्याज सहित है।
4. कर्मचारीयों के लिए राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते (एनसीडब्ल्यूए-XI) को अंतिम रूप दिए जाने तक, वेतन और पारिश्रमिक के सभी तत्वों में वृद्धि के कुल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, 01.07.2021 से 31.03.2023 तक की अवधि हेतु प्रति कर्मचारी रु. 19,100/- की दर से रु. 1344.58 करोड़ का अनुमानित प्रावधान को मान्यता दी गई है।

5 आकस्मिक मूल्यांकन में, कर्मचारियों के मामले में 6.25% की वेतन मुद्रास्फीति पर विचार किया गया है, जो वार्षिक वेतन वृद्धि, मुद्रास्फीति, पदोन्नति, एनसीडब्ल्यूए समझौतों तथा भारतीय लेखा स्टैंडर्स 19 में अपेक्षित जैसे प्रासंगिक कारकों पर विचार करते हुए एक दीर्घकालिक धारणा है।

नोट 22 : अन्य गैर-चालू देयताएं

(₹ करोड़ में)

	31.03.2023 को	31.03.2022 को
स्थानांतरण एवं पुनःस्थापन निधि	—	—
आस्थगित आय*	452.59	496.58
अन्य	0.39	0.55
कुल	**452.98**	**497.13**

विलम्बित आय में अवशोषित सरकारी अनुदान शामिल हैं जैसे (ए) रेल लाइन/रेल जेड कॉरिडोर के निर्माण से संबंधित 595.82 करोड़ रुपये की मूल राशि (बी) एनके क्षेत्र में सड़क के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण से संबंधित 4.29 करोड़ रुपये की मूल राशि और (सी) चरही क्षेत्र में सड़क के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण से संबंधित 9.23 करोड़ रुपये की मूल राशि।

विलम्बित आय को परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। रेल गलियारे का उपयोगी जीवन काल 15 वर्ष है और सड़क के मामले में यह 10 वर्ष है। परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन को ध्यान में रखते हुए वर्ष के दौरान लाभ और हानि के विवरण में 43.99 करोड़ रुपये की राशि को आय के रूप में मान्यता दी गई है।

नोट 23 : अन्य चालू देयताएं

(₹ करोड़ में)

	31.03.2023 को	31.03.2022 को
वैधानिक देय	1,403.37	1,044.70
ग्राहकों/अन्य से अग्रिम	3,063.62	2,071.44
अन्य देयताएं	—	—
कुल	**4,466.99**	**3,116.14**

नोट 24 : संचालन से आय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
क. कोयले की बिक्री		22,720.19		18,585.25
घटावः वैधानिक लेवी		7,493.98		6,233.12
कोयले की बिक्री (निबल)(क)		**15,226.21**		**12,352.13**
ख. अन्य संचालित आय				
लोडिंग एवं यातायात शुल्क	735.04		761.90	
घटाव : वैधानिक लेवी	35.00	700.04	36.28	725.62
निकासी सुविधा शुल्क	475.60		429.10	
घटाव : वैधानिक लेवी	22.65	452.95	20.43	408.67
अन्य संचालित आय (निबल)(ख)		**1,152.99**		**1,134.29**
संचालन से आय (क+ख)		**16.379.20**		**13,486.42**

1. विसमूहित राजस्व सूचना के लिए नोट-38 के अंक 6 (15) में उल्लेख लिया गया है।
2. ₹ 354.47 करोड़ (वि.व. 9.17 करोड़ रुपए प्रत्याहीत) के रेफरी/थर्ड पार्टी सैम्पलर से प्रतीक्षित परिणामों के लिए कोयले की गुणवत्ता में भिन्नता के लिए अनुमानित प्रावधान(निबल विपर्यय) से कोयले की बिक्री कम कर दी गई है।

नोट 25 : अन्य आय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज आय'	226.59	93.99
लाभांश आय	—	0.01
अन्य गैर संचालित आय		
परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ	0.02	0.15
विदेशी मुद्रा के लेन-देन से प्राप्ति	—	—
म्यूचुअल फंड की बिक्री पर लाभ	19.90	8.85
लीज लगान	0.38	0.19
वापस लिया गया देयता/प्रावधान*	352.32	125.02
उचित मूल्य परिवर्तन (निबल)	8.41	0.11
विविध आय	310.61	105.35
कुल	**918.23**	**333.66**

1 ब्याज आय में आयकर रिफंड पर ब्याज शून्य रुपये शामिल है (रुपये शून्य प्रतिवर्ष) ।

2 वापस लिखी गई देनदारी में निम्नलिखित के लिए वापस लिखी गई अतिरिक्त देनदारी शामिल है-

(₹ करोड़ में)

वर्णन		
प्रदर्शन से संबंधित भुगतान -पीआरपी	5.80	42.93
खदान बंद करने का प्रावधान- एमसीपी	90.57	7.19
वेतन और मजदूरी	3.48	28.89
संविदात्मक और स्टोर देयता	208.44	37.02
अन्य (सांविधिक शुल्क शामिल हैं)	44.03	8.99
कुल	**352.32**	**125.02**

3. विविध आय में शामिल हैं

टोरी-शिवपुर रेल कॉरिडोर से बढ़ा हुआ माइलेज	70.20	—
साइडिंग उपभोक्ता शुल्क	26.57	11.97
बैंक गारंटी भुनाई गई	34.46	3.76
एसडी/ईएमडी की जब्ती	62.21	4.42
स्क्रैप बिक्री	16.50	2.34
आपूर्तिकर्ताओं से जुर्माना/एलडी वसूला गया	14.02	26.12
अन्य	86.65	56.74
कुल	**310.61**	**105.35**

4. कंपनी ने टोरी-शिवपुर रेल कॉरिडोर से 70.20 करोड़ रुपये की आय को बढ़े हुए माइलेज के रूप में मान्यता दी है।

नोट 26 : उपयोग किये गए सामग्री की लागत

(₹ करोड़ में)

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
विस्फोटक	441.13	263.94
लकड़ी	0.09	-
तेल एवं ल्युब्रिकेन्ट्स	543.21	416.63
एचईएमएम् कलपुर्जे	141.44	130.15
अन्य उपयोग हेतु भंडार एवं कलपुर्जे	44.96	44.43
कुल	**1,170.83**	**855.15**

नोट 27: तैयार सामान, प्रगतिशील कार्य एवं व्यापार में भंडार की संपत्ति सूचियों में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

		31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
ए.	**कोयले की संपत्ति सूची में परिवर्तन**		
	कोयले का प्रारंभिक भंडार	881.21	1,163.03
	कोयले का शेष भंडार	965.24	881.21
		(84.03)	**281.82**
बी.	**कार्यशाला में निर्मित सामान, प्रगतिशील कार्य एवं प्रेस कार्यों की संपत्ति सूची में परिवर्तन**		
	कार्यशाला में निर्मित सामान, प्रगतिशील कार्य एवं प्रेस कार्यों का प्रारंभिक भंडार	4.92	1.96
	कार्यशाला में निर्मित सामान, प्रगतिशील कार्य एवं प्रेस कार्यों का शेष भंडार	2.70	4.92
		2.22	**(2.96)**
व्यापार में भंडार की संपत्ति सूची में परिवर्तन (ए + बी) {कमी/(अभिवृद्धि)}		**(81.81)**	**278.86**

नोट 28 : कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन एवं मजदूरी (भत्ता एवं बोनस इत्यादि सहित)	5,557.91	4,247.07
पीएफ एवं अन्य निधि में योगदान	1,370.31	1,022.67
कर्मचारी कल्याण व्यय	294.48	206.35
कुल	**7,222.70**	**5,476.09**

1. कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते (एनसीडब्ल्यूए-XI) को अंतिम रूप दिए जाने तक, वेतन और पारिश्रमिक के सभी तत्वों में वृद्धि के कुल प्रभाव पर विचार करते हुए, वर्ष के दौरान 1221.28 करोड़ रुपये के अनुमानित प्रावधान को मान्यता दी गई है। वित्तीय विवरणों के लिए फुट नोट-4 नोट-21 का संदर्भ लिया जा सकता है।

नोट 29 : कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व व्यय	43.39	53.14
कुल	**43.39**	**53.14**

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा तैयार किये गए सीएसआर नीति में कंपनी अधिनियम, 2013 और अन्य प्रासंगिक सूचनाओं की विशेषताएं शामिल हैं। सीएसआर के लिए निधि, तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के लिए औसत शुद्ध लाभ का 2% या विगत वर्ष के कोयला उत्पादन का ₹ 2.00 प्रति टन, जो भी अधिक है, ₹ 46.28 करोड़ होता है। (विगत वर्ष ₹ 50.25 करोड़)

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान चल रही परियोजनाओं से संबंधित अव्ययित सीएसआर 15.30 करोड़ रुपये थी। जबकि उक्त मामले में खोले गए अनस्पेंटेड सीएसआर बैंक खाते में अनदेखी के कारण 18.19 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर कर दी गयी. इसलिए, 2.89 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि (यानी 18.19 करोड़ रुपये कम 15.30 करोड़ रुपये) को अव्ययित सीएसआर बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप पिछले वित्तीय वर्ष में 2.89 करोड़ रुपये के अतिरिक्त सीएसआर व्यय का लेखांकन और रिपोर्टिंग 50.25 करोड़ रुपये के स्थान पर 53.14 करोड़ रुपये हो गया है। वित्त वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट (वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या-105) में 50.25 करोड़ रुपये की राशि को 2% अनिवार्य सीएसआर व्यय के रूप में भी बताया गया है।

चूँकि, कंपनी अधिनियम की धारा-135(5) के प्रावधान के तहत खर्च की जाने वाली न्यूनतम आवश्यक राशि से अधिक की किसी भी राशि को अगले वित्तीय वर्ष में समायोजित किया जा सकता है, तदनुसार, चालू वित्तीय वर्ष के लिए सीएसआर खर्चों को घटा दिया गया है। 2.89 करोड़ रुपये की उक्त अतिरिक्त राशि को प्रकृति में सारहीन होने के कारण समायोजित करने के बाद 46.28 करोड़ रुपये के स्थान पर 43.39 करोड़ रुपये का हिसाब लगाया गया और रिपोर्ट किया गया।

क. सीएसआर व्यय का गतिविधिवार विवरण (अतिरिक्त खर्च सहित):

भूख, गरीबी एवं कुपोषण का उन्मूलन	0.31	0.05
शिक्षा को बढ़ावा देना, विशेष शिक्षा एवं रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल सहित	8.09	3.45
पर्यावरणीय स्थिरता	0.60	0.63
सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों का लाभ	—	—
ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	5.11	3.84
विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में योगदान	—	—
ग्रामीण विकास परियोजनाएं	2.56	0.40
स्लम क्षेत्र का विकास	—	—
पेय जल	4.75	3.16
स्वास्थ सेवा	9.20	11.37
स्वच्छता	0.74	0.64
निःशक्तजनों का कल्याण	0.10	0.09
वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण	0.14	0.23
अन्य	1.63	0.95
कुल	**33.23**	**24.81**
जोड़ें: पिछले वित्तीय वर्ष में खर्च की गई अतिरिक्त राशि का उपयोग वर्तमान अवधि में किया गया	—	10.14
कुल योग	**33.23**	**34.95**

गतिविधिवार खर्च किए गए सीएसआर व्यय के ब्योरे के साथ अभिज्ञात सीएसआर व्यय का मिलान

गतिविधि अनुसार व्यय की गयी सीएसआर राशि	33.93	34.95
घटावः किया गया अतिरिक्त सीएसआर व्यय	—	—
जोड़: चालू परियोजना के अलावा अन्य पर अव्ययित सीएसआर राशि	—	—
जोड़ें: चालू परियोजना पर अव्ययित सीएसआर राशि	10.16	18.19
वर्ष के दौरान अभिज्ञात सीएसआर व्यय	**43.39**	**53.14**

नोट 29 : कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व व्यय (जारी ...)

ख. सीआरएस व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण			नगद में	नकद में भुगतान बाकी	कुल
(ए)	वर्ष के दौरान व्यय करने के लिए आवश्यक राशि				43.39
(बी)	वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली बोर्ड द्वारा अनुमोदित राशि				43.39
(सी)	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशिः				
	(i)	किसी भी संपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	4.17	2.34	6.51
	(ii)	उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्य पर	23.69	3.03	26.72
कुल			**27.86**	**5.37**	**33.23**

ग. चालू परियोजना के अलावा अव्ययित राशि [धारा 135(5)]

(₹ करोड़ में)

	प्रारंभिक राशि	अनुसूचि VII के निर्दिष्ट निधि में 6 महीने के अंदर जमा राशि	वर्ष के दौरान व्यय के लिए आवश्यक राशि	वर्ष के दौरान व्ययित राशि	समापन राशि
चालू परियोजना के अलावा अव्ययित राशि	—	—	—	—	—

घ. व्ययित अतिरिक्त राशि [धारा 135(5)]

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	प्रारंभिक राशि	वर्ष के दौरान व्यय के लिए आवश्यक राशि	वर्ष के दौरान व्ययित राशि	समापन राशि

ङ. चालू परियोजना [धारा 135(6)]

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	प्रारंभिक राशि		वर्ष के दौरान व्यय के लिए आवश्यक राशि	वर्ष के दौरान व्यय के लिए आवश्यक राशि		समापन राशि	
	कंपनी के पास	अलग सीए-सआर अव्ययित खाते में		कंपनी के बैंक खाता से	अलग सीए-सआर अव्ययित खाते से	कंपनी के पास	अलग सीए-सआर अव्ययित खाते में
2021-22	—	18.19	50.25	34.95	7.04	—	11.15
2022-23	—	—	43.39	33.23	—	—	10.16

च. सीएसआर व्यय देयता के लिए प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	प्रारंभिक राशि	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान समायोजन	समापन राशि
सीएसआर व्यय की देयता के लिए प्रावधान (व्यापार देयता में शामिल - नोट संख्या 20)	25.47	5.37	4.35	26.49

नोट 30: मरम्मतें

(₹ करोड़ में)

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
भवन	146.06	125.12
सयंत्र एवं मशीनरी	95.98	143.64
अन्य	1.06	4.44
कुल	**243.10**	**273.20**

नोट 31 : संविदात्मक व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
परिवहन शुल्क	467.02	522.47
वैगन लदायी	40.66	46.41
सयंत्र एवं उपकरणों का किराया	1,319.68	1,208.18
अन्य संविदात्मक काय	117.68	90.04
कुल	**1,944.87**	**1,867.10**

नोट 32 : वित्तीय लागत

(₹ करोड़ में)

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
उधार	—	—
छूट पर रियायत	75.44	81.77
अन्य	—	—
कुल	**75.44**	**81.77**

नोट 33 : प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
भत्ता/ इसके लिए किया गया प्रावधान		
संदेहात्मक ऋण	92.13	—
संदेहात्मक अग्रिम एवं दावे	—	—
भंडार एवं कल पुर्जे	—	3.41
अन्य	—	—
कुल	**92.13**	**3.41**

नोट:

सीसीएल मेसर्स सेल और आरआईएनएल को वॉश्ड मीडियम कोकिंग कोल (डब्ल्यूएमसीसी) की आपूर्ति सीसीएल और सेल/आरआईएनएल के बीच दर्ज किए गए एमओयू (समझौता ज्ञापन) में पारस्परिक रूप से सहमत कीमत पर करता था, जिस पर सीसीएल और सेल (स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड) / आरआईएनएल (राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जिसे विजाग स्टील के नाम से भी जाना जाता है) के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। निष्पादित किए गए एसे अंतिम एमओयू वित्त वर्ष 2016-17 के लिए यानी 31.03.2017 तक वैध था और वित्त वर्ष 2016-17 के लिए लागू सहमत मूल्य ₹ 5,780/- प्रति टन था।

सीआईएल (कोल इंडिया लिमिटेड) के निर्देश के अनुसार, सीसीएल ने सरकार की नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) द्वारा परिकल्पित आयात समानता के सिद्धांत पर विचार करते हुए डब्ल्यूएमसीसी की कीमत अधिसूचित की। वित्तीय वर्ष 2017-18 की Q1 और Q2 के लिए WMCC के लिए अधिसूचित मूल्य ₹ 9,000/- प्रति टन, वित्तीय वर्ष 2017-18 की Q3 के लिए ₹ 8,146/- प्रति टन और वित्तीय वर्ष 2017-18 की Q4 और वित्तीय वर्ष 2018-19 की Q1 और Q2 के लिए प्रति टन 8,315/- रुपये अधिसूचित मूल्य था। । हालाँकि, SAIL और RINL दोनों ने उक्त मामले में अपनी चिंताओं को उठाया था, यानी सहमत मूल्य तंत्र के विपरीत एकतरफा मूल्य संशोधन। इसके बाद कई बार विचार-विमर्श समेत पत्रों का आदान-प्रदान हो चुका है, लेकिन उक्त मामले में कोई आम सहमति नहीं बन पाई है।

तथापि, उक्त मामले में कई दौर के अनुनय के बाद दिनांक 28.07.2018 से पारस्परिक रूप से सहमत तदर्थ मूल्य ₹ 6,500/- प्रति टन लागू किया गया है और एक स्वतंत्र एजेंसी की सिफारिश पर आयात समता मूल्य तंत्र पर मूल्य निर्धारण को लागू करने पर सहमति व्यक्त की गई है। 01.04.2017 से 27.07.2018 की अवधि के दौरान, सीसीएल ने लागू अधिसूचित मूल्य के अनुसार चालान बढ़ाना जारी रखा, जबकि, सेल / आरआईएनएल ने वित्त वर्ष 2016-17 के अंतिम सहमत मूल्य के अनुसार दावे का निपटान जारी रखा।

01.04.2017 से 27.07.2018 तक अधिसूचित मूल्य और निपटाए गए भुगतान के बीच का अंतर ₹ 324.72 करोड़ है, जिसके खिलाफ ₹ 232.59 करोड़ का प्रावधान पहले से ही मौजूद है। तदनुसार, कंपनी ने ₹92.13 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

नोट 34 : बट्टे खाते में डाले गए (पूर्व प्रावधानों का निबल)

(₹ करोड़ में)

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
संदेहात्मक ऋण	191.90	—
घटावःपहले दिए गए	—	—
	191.90	—
संदेहात्मक अग्रिम	—	0.03
घटावःपहले दिए गए	—	—
	—	0.03
कुल	**191.90**	**0.03**

नोट:

सीसीएल, मेसर्स सेल और आरआईएनएल को वॉश्ड मीडियम कोकिंग कोल (डब्ल्यूएमसीसी) की आपूर्ति सीसीएल और सेल/आरआईएनएल के बीच दर्ज किए गए एमओयू (समझौता ज्ञापन) में पारस्परिक रूप से सहमत मूल्य पर करता था, जिस पर सीसीएल और सेल (स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड)/आरआईएनएल (राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जिसे विजाग स्टील भी कहा जाता है) के प्रतिनिधियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए थे। ऐसा निष्पादित अंतिम एमओयू वित्त वर्ष 2016-17 के लिए यानी 31.03.2017 तक वैध था और वित्त वर्ष 2016-17 के लिए लागू सहमत मूल्य 5,780/- रुपये प्रति टन था।

सीआईएल (कोल इंडिया लिमिटेड) के निर्देश के अनुसार, सीसीएल ने सरकार की नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) द्वारा परिकल्पित आयात समानता के सिद्धांत पर विचार करते हुए 14/01/2017 से डब्ल्यूएमसीसी की कीमत 11,500 रुपये प्रति टन अधिसूचित की। क्योंकि सहमत समझौता ज्ञापन 31.03.2017 तक वैध था, इसलिए सेल और आरआईएनएल दोनों ने एकतरफा संशोधित मूल्य मामले में अपनी चिंताओं को व्यक्त किया।

इसके बाद विचार-विमर्श समेत कई पत्रों का आदान-प्रदान हो चुका है, लेकिन उक्त मामले में कोई आम सहमति नहीं बन पाई है। SAIL और CCL के अधिकारियों के बीच हाल ही में हुई एक संयुक्त बैठक में, नई मूल्य निर्धारण पद्धति पर फिर से विचार करने पर सहमति हुई है, जो उक्त मामले में CCL द्वारा उठाए गए एकतरफा WMCC दावे को वापस लेने के अधीन है। चूंकि सहमत एमओयू नियमों और शर्तों के कारण 14.01.2017 से 31.03.2017 की अवधि के लिए उक्त वित्तीय परिसंपत्ति (यानी व्यापार प्राप्य) की वसूली की कोई उचित उम्मीद नहीं है, इसलिए, ₹ 191.90 करोड़ की राशि का प्रतिनिधित्व एकतरफा डब्लूएमसीसी मूल्य संशोधन दावा, जिसे पहले 'परिचालन से राजस्व' के रूप में मान्यता दी गई थी, को अशोध्य ऋण के रूप में मान्यता दी गई है और इसे अपूरणीय के रूप में बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

नोट 35 : अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
यात्रा व्यय	57.18	17.92
प्रशिक्षण व्यय	9.03	13.24
इन्टरनेट	16.72	15.43
विज्ञापन एवं प्रकाशन	2.20	1.89
ढुलाई शुल्क	—	—
डेमरेज	31.85	39.29
सुरक्षा व्यय	278.48	315.98
सीआईएल का सेवा शुल्क	152.07	137.70
सीएमपीडीआइ के लिए कंसल्टेंसी चार्ज	76.45	93.59
कानूनी व्यय	2.16	1.61
परामर्श शुल्क	0.53	1.88
अंडर लोडिंग शुल्क	81.84	150.73
परिसंपत्ति की बिक्री/त्याग/सर्वे ऑफ पर हानि	0.04	-
अंकेक्षक का पारिश्रमिक एवं व्यय		
अंकेक्षण शुल्क के लिए	0.29	0.29
कर सम्बन्धी मामलों के लिए	—	—
अन्य सेवाओं के लिए	0.30	0.40
व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए	0.09	0.11
आंतरिक एवं अन्य अंकेक्षण व्यय	3.27	3.30
पुनर्वास शुल्क	44.99	43.12
लीज रेंट और किराया शुल्क	72.08	73.06
दरें एवं कर	21.42	151.68
बीमा	0.80	0.94
विनिमय दर विचरण पर हानि	—	—
अन्य बचाव / सुरक्षा खर्च	1.14	2.10
साइडिंग रख-रखाव शुल्क	25.09	18.55
अनुसंधान एवं विकास व्यय	—	0.20
पर्यावरण एवं वृक्षारोपण व्यय	19.38	9.94
दान, पुरस्कार और अनुदान	0.07	—
शेयरों के पुनःखरीद पर व्यय	—	—
विविध व्यय	152.78	110.34
कुल	**1,050.25**	**1,202.29**

1. कोयला मंत्रालय के निर्देशानुसार ₹ 44.99 करोड़ रुपये (वि. व. 43.12 करोड़ रुपये) के पुनर्वास शुल्क को 6 रूपए प्रति टन कोयला लदान के आधार पर डेबिट किया जाता है।
2. विभिन्न सेवाओं जैसे खरीद, विपणन, कॉर्पोरेट सेवा आदि प्रदान करने के लिए उत्पादित कोयले पर सीआईएल से प्राप्त विकलन ज्ञाप के आधार पर सीआईएल, होल्डिंग कंपनी द्वारा लगाया गया ₹ 152.18 करोड़ (वि.व. 137.70 करोड़ रुपये)सेवा शुल्क @ ₹ 20 प्रति टन (वि.व. 10 रुपये प्रति टन)।

नोट 36 : कर व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्तमान वर्ष	817.43	403.14
आस्थगित कर	174.51	(5.33)
पूर्व के वर्ष	—	—
कुल	**991.94**	**397.81**

कर व्यय और लेखा लाभ का भारतीय घरेलू कर दर से गुणा उपरान्त मिलान

कर से पूर्व लाभ	**3,743.61**	**2,094.73**
कंपनी की घरेलू कर दर का उपयोग कर	942.19	527.20
कर का प्रभाव:		
कर छूट प्राप्त आय	—	—
कर उद्देश्यों के लिए अतिरिक्त खर्च की अनुमति	—	—
गैर-कटौती योग्य कर व्यय	(124.76)	(124.06)
पिछले वर्ष के लिए समायोजन	—	—
आस्थगित कर देयता आस्थगित कर	174.51	(5.33)
लाभ और हानि विवरण में रिपोर्ट किए गए आयकर व्यय	**991.94**	**397.81**
प्रभावी आयकर दर	**26.50%**	**18.99%**

आस्थगित कर परिसंपत्तियां/(देयताएं)

आस्थगित कर देयताएं:		
संदिग्ध अग्रिमों, दावों और ऋणों के लिए प्रावधान	148.93	215.65
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	431.26.	501.37
अन्य (कर योग्य हानियों सहित)	145.35	131.88
कुल आस्थगित कर संपत्ति (ए)	**725.54**	**848.90**

आस्थगित कर देयता :		
अचल संपत्तियों से संबंधित	220.58	169.43
अन्य	—	—
कुल आस्थगित कर देयता (बी)	**220.58**	**169.43**
निबल (सी = ए-बी)	**504.96**	**679.47**
परिभाषित लाभ योजना की प्रतिपूर्ति (डी)	—	—
निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां/(आस्थगित कर देयता) (सी+डी)	**504.96**	**679.47**

नोट 37 : अन्य विस्तृत आय

(₹ करोड़ में)

		31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
(ए)	**लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं होने वाले मद**		
	परिभाषित लाभ योजनाओं का पून:मापन	237.32	(68.68)
	कुल (ए)	**237.32**	**(68.68)**
(बी)	**लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं होने वाले आयकर सम्बंधित मद**		
	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुन:मापन	59.73	(17.29)
	कुल (बी)	**59.73**	**(17.29)**
	कुल (सी = ए - बी)	**177.59**	**(51.39)**

परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनर्मापन पर आयकर में चालू कर में 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ (59.73) करोड़ (31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ (17.29) करोड़ एवं /या आस्थगित कर 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ (शून्य) करोड़ (31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ (शून्य) करोड़, शामिल है।

नोट 38: वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (स्टैंडअलोन)

1. उचित मूल्य मापन

(1) श्रेणी अनुसार वित्तीय साधन

(₹ करोड़ में)

	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
	एफवीटीपी-एल	परिशोधन लागत	एफवीटीपी-एल	परिशोधन लागत
वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
निवेश* :	—	—	—	—
अधिमान शेयर				
– इक्विटी अंग	—	—	—	—
– ऋण अंग	—	—	—	—
म्युचुवल फंड/आईसीडी	818.59	—	64.72	—
अन्य निवेश	—	—	—	—
ऋण	—	5.81	—	2.06
जमा एवं प्राप्य	—	1801.86	—	1469.35
व्यापार प्राप्य	—	3001.17	—	2149.65
नकद एवं नकद समतुल्य	—	850.64	—	664.91
अन्य बैंक शेष	—	2533.87	—	1413.04
वित्तीय देयता				
उधार	—	—	—	—
व्यापार देय	—	1,315.11	—	1561.25
प्रतिभूति जमा एवं अग्रिम राशि	—	646.49	—	412.56
अन्य देयताएं	—	800.35	—	759.89

* ऊपर शामिल नहीं, अनुषंगी पर इक्विटी शेयरों में निवेश को लागत पर मापा जाता है जो 31.03.2023 पर ₹345.53 करोड़ है (31.03.2022 पर ₹ 345.53 करोड़)।

(2) उचित मूल्य पदक्रम

कंपनी वित्तीय उपकरणों के उचित मूल्यों को निर्धारित करने के लिए निर्णय और अनुमानों का उपयोग करती है जिन्हें (क) उचित मूल्य पर पहचाना और मापा जाता है। (ख)परिशोधन लागत पर मापा जाता है और जिसके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्यों का खुलासा किया जाता है। उचित मूल्य निर्धारित करने में उपयोग किए गए इनपुट की विश्वसनीयता इंगित करने हेतु, कंपनी ने अपने वित्तीय उपकरणों को लेखांकन मानक के अंतर्गत निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

उचित मूल्य पर मापा वित्तीय सम्पतियाँ एवं देयतायें	31 मार्च, 2023		31 मार्च, 2022	
	लेवल 1	लेवल 3	लेवल 1	लेवल 3
एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्ती				
निवेश :				
म्यूच्यूअल फंड/आईसीडी	—	—	—	—
वित्तीय देयता				
अन्य कोइ मद	—	—	—	—

परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्ती एवं देयता जिसके लिए उचित मूल्यों को 31 मार्च, 2023 को दिखलाया गया है।	31 मार्च, 2023		31 मार्च, 2022	
	लेवल 1	लेवल 3	लेवल 1	लेवल 3
वित्तीय परिसंपत्ती				
निवेश				
अधिमान शेयर				
– इक्विटी अंग	—	—	—	—
– ऋण अंग	—	—	—	—
म्यूच्यूअल फंड/आईसीडी	818.59	—	64.72	—
अन्य निवेश	—	345.53	—	345.53
ऋण	—	5.81	—	2.06
जमा एवं प्राप्य	—	1,801.86	—	1,469.35
व्यापार प्राप्य	—	3,001.17	—	2,149.65
नकद एवं नकद समनुल्य	—	850.64	—	664.91
अन्य बैंक शेष	—	2,533.87	—	1,413.04
वित्तीय देयताएं				
उधार	—	—	—	—
व्यापार प्राप्य	—	1,315.11	—	1,561.25
प्रतिभूति जमा एवं बयाना धन	—	646.49	—	412.56
अन्य देयता	—	800.35	—	759.89

प्रत्येक स्तर का एक संक्षिप्त विवरण दिया गया है।

चरण 1: चरण 1 अनुक्रम में उद्धत मूल्यों को उपयोग करते हुए मापी गई वित्तीय साधन शामिल हैं इसमें वैसे म्युचुवल फंड शामिल हैं जिनका मूल्यांकन अंतिम निबल परिसंपत्ती मूल्य का उपयोग करते हुए नियत तिथि पर किया गया है।

चरण 2: वित्तीय साधनों जिनका सक्रिय बाजार में व्यापार नहीं किया गया है, के अंकित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन तकनीक द्वारा किया गया है जो देखे जाने योग्य बाजार आंकड़ों के उपयोग को बढ़ाता है तथा तत्व विशिष्ट आंकलनों पर कम निर्भर रहता है। यदि साधनों के उचित मूल्य के लिए सभी महत्वपूर्ण आंकडे देखे जाने योग्य हैं, तब साधन को लेवल 2 में शामिल किया जाता है।

चरण 3: यदि 1 या 1 से अधिक महत्वपूर्ण आंकड़े देखे जाने योग्य बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं है तब साधन को लेवल 3 में शामिल किया जाता है। यह लेवल 3 में शामिल अक्रमित इक्विटी प्रतिभूतियां, प्राथमिक शेयर उधारी, प्रतिभूति जमा एवं अन्य शामिल देयताएं के संबंध में लागू हैं।

(3) उचित मूल्य के निर्धारण में उपयोग किए जानेवाले मूल्यांकन तकनीक

वित्तीय साधनों के मूल्य को निर्धारण के लिए प्रयोग किए जानेवाले मूल्यांकन तकनीकों में म्युचुवल फंड साधनों के उचित बाजार मूल्यों (एनएवी) का उपयोग शामिल है।

(4) महत्वपूर्ण अनावश्यक निविष्टों का उपयोग कर उचित मूल्य मापन।

वर्तमान में महत्वपूर्ण अनावश्यक निविष्ट का उपयोग कर उचित मूल्य मापन नहीं है।

(5) अमूर्त लागत पर मापित वित्तिय संपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य

- अल्पकालिक प्रकृति के कारण व्यापार प्राप्य राशि, अल्पकालिक जमा, नकद और नकद समकक्ष, व्यापार देय राशि को उनके उचित मूल्यों के समान माना जाता है।
- कंपनी का मानना है कि सुरक्षा जमा में एक महत्वपूर्ण वित्तीय घटक शामिल नहीं है। सुरक्षा जमा कंपनी के प्रदर्शन के साथ मेल खाता है एवं अनुबंध के लिए वित्त के प्रावधान के अलावा अन्य कारणों से राशि को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक चरण के भुगतान के एक निर्दिष्ट प्रतिशत को रोकने का उद्देश्य, ठेकेदार द्वारा अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पर्याप्त रूप से पूरा करने में विफलता से कंपनी के हितों की रक्षा करना है। तदनुसार, सुरक्षा जमा की लेनदेन लागत को प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य के रूप में माना जाता है और बाद में परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

महत्वपूर्ण अनुमान: वित्तीय साधनों का उचित मूल्य जो एक सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया जाता है, मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। कंपनी अपने निर्णय का उपयोग एक विधि का चयन करने के लिए करती है और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उपयुक्त धारणा बनाती है।

2. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य और नीतियां

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताएं में व्यापार और अन्य देयताएं शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन को वित्तपोषित करना एवं इसके संचालन का समर्थन करने के लिए गारंटी प्रदान करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय संपत्तियों में ऋण, व्यापार एवं अन्य प्राप्य, और नकद और नकद समकक्ष शामिल हैं जो सीधे इसके संचालन से प्राप्त होते हैं।

कंपनी बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम के संपर्क में है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों के प्रबंधन की देखरेख करते हैं। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन को एक जोखिम समिति द्वारा समर्थित किया जाता है जो अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी के लिए वित्तीय जोखिमों और उपयुक्त वित्तीय जोखिम प्रशासन ढांचे पर सलाह देती है। जोखिम समिति निदेशक मंडल को आश्वासन देती है कि कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियां उपयुक्त नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा नियंत्रित होती हैं और वित्तीय जोखिमों की पहचान, मापन और प्रबंधन कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुसार किया जाता है। निदेशक मंडल इन जोखिमों में से प्रत्येक के प्रबंधन के लिए नीतियों की समीक्षा करता है और उनसे सहमत होता है, जिनका सारांश नीचे दिया गया है।

यह नोट जोखिम के उन स्रोतों की व्याख्या करता है जिनसे प्रतिष्ठान उजागर होता है और प्रतिष्ठान वित्तीय विवरणों में जोखिम और बचाव लेखांकन के प्रभाव का प्रबंधन कैसे करता है।

जोखिम	अनावरण का कारण	मापन	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकद एवं नकद समतुल्य, व्यापार प्राप्य, वित्तीय परिसंपत्ति को परिशोधित लागत पर मापा जाता है	एजिंग विश्लेषण/क्रेडिट रेटिंग	सार्वजनिक उद्यमों का विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), बैंक की क्रेडिट सीमा और जमा अन्य प्रतिभूतियां का विविधीकरण
तरलता जोखिम	उधार एवं अन्य दायित्व	आवधिक नकदी प्रवाह	प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों और उधार लेने की सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम-विदेशी मुद्रा	भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन, मान्यता प्राप्त वित्तीय संपत्ति और देनदारियों को भारतीय रूपए में संप्रदाय नहीं किया गया	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित रूप से देखी और समीक्षा की जाती है।
बाजार जोखिम-ब्याज दर	नकद और नकद समकक्ष, बैंक जमा और म्युचुअल फंड	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	सार्वजनिक उद्यमों का विभाग (डीपीई दिशानिर्देश) का वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित निगरानी और समीक्षा

निदेशक मंडल द्वारा कंपनी की जोखिम प्रबंधन, भारत सरकार द्वारा जारी डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। बोर्ड समग्र जोखिम प्रबंधन के साथ-साथ अतिरिक्त तरलता के निवेश को कवर करने वाली नीतियों के लिए लिखित सिद्धांत प्रदान करता है।

1. ऋण जोखिम :

ऋण जोखिम प्रबंध :

प्राप्तियां मुख्य रूप से कोयले की बिक्री से होती हैं। कोयला की बिक्री को मोटे तौर पर ईंधन आपूर्ति समझौतों (एफएसए) और ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

मैक्रो - आर्थिक जानकारी (जैसे नियामक परिवर्तन) को ईंधन आपूर्ति समझौतों (एफएसए) और ई-नीलामी शर्तों के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है।

ईंधन आपूर्ति समझौताएं (एफएसए)

जैसा कि विचारा गया तथा एनसीडीपी के शर्तों के अनुसार, हम अपने ग्राहकों या राज्य के द्वारा नामित एजेन्सियों के साथ कानूनी रूप से बाध्य ईंधन आपूर्ति समझौता (एफएसए) करते हैं जो कि इस फलस्वरूप ग्राहकों के साथ उपयुक्त वितरण समझौता में तब्दील होता है। हमारे एफएसए वृहत रूप से इन श्रेणियों में बाँटे जा सकते हैं:

- o पावर युटिलिटी क्षेत्र में ग्राहकों के साथ एफएसए, जिसमें स्टेट पावर युटिलिटी, प्राइवेट पावर युटिलिटी (पीपीयू) तथा स्वतंत्र पावर उत्पादक (आइपीपी) शामिल हैं
- o नॉन-पावर उद्योगों में ग्राहकों के साथ एफएसए (कैप्टिव पावर प्लांट सहित "सीपीपी")
- o राज्य द्वारा नामित एजेन्सियों के साथ एफएसए

ई-नीलामी योजना

कोयले का ई-नीलामी योजना को वैसे ग्राहकों के लिए कोयला मुहैया कराने के लिए लाया गया है जो विभिन्न कारणों के कारण एनसीडीपी के तहत मौजूद संस्थागत तरीकों के द्वारा अपने कोयले की आवश्यकता को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं थे, उदाहरण के लिए, एनसीडीपी के तहत उनके सामान्य आवश्यकता के पूरे आवंटन के जगह कम आवंटन, उनके कोयला आवश्यकता का समयावधि तथा कोयले की सीमित आवश्यकता जिसके लिए दीर्घावधि जुड़ाव की आवश्यकता नहीं है। ई-नीलामी के तहत दी जानेवाली कोयले की मात्रा की समीक्षा समय-समय पर कोल मंत्रालय के द्वारा की जाती है।

अनुमानित क्रेडिट हानि : कम्पनी, आजीवन अनुमानित क्रेडिट हानियों (सरलीकृत पहुंच) के द्वारा संदेहात्मक/क्रेडिट विकृत परिसंपत्तियों के लिए अनुमानित क्रेडिट जोखिम हानि के लिए प्रावधान करती है।

सरलीकृत दृष्टिकोण के तहत व्यापार प्राप्तियों के लिए अपेक्षित ऋण हानि

31.03.2023 को

(₹ करोड़ में)

काल प्रभावन	2 महीनों से बकाया	6 महीनों से बकाया	1 साल से बकाया	2 साल से बकाया	3 साल से बकाया	3 साल से अधिक बकाया	कुल
सकल अग्रणित राशि	860.79	1055.96	286.48	836.99	9.01	509.84	3,559.07
अनुमानित हानि दर (%)	4.14	3.43	17.40	0.48	63.82	100*	15.68
अनुमानित ऋण हानि प्रावधान - संदेहात्मक ऋण	—	—	—	—	—	380.39	380.39
- ग्रेड विचरण	35.65	36.26	49.84	4.04	5.75	45.98	177.52

31-03-2022 को

(₹ करोड़ में)

काल प्रभावन	2 महीनों से बकाया	6 महीनों से बकाया	1 साल से बकाया	2 साल से बकाया	3 साल से बकाया	3 साल से अधिक बकाया	कुल
सकल अग्रणित राशि	474.62	416.39	352.96	963.37	274.31	515.23	2996.88
अनुमानित हानि दर (%)	(0.14)	(0.11)	0.51	15.25	21.7	100*	27.62
अनुमानित ऋण हानि प्रावधान - संदेहात्मक ऋण	—	—	—	—	—	288.26	288.26
- ग्रेड विचरण	(0.68)	(0.46)	1.80	142.80	59.53	329.00	531.99

* अग्रिम के साथ ग्राहकों के खिलाफ प्रावधान शामिल है

हानि भत्ता प्रावधान का पुनःमिलान - व्यापर प्राप्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	खराब एवं संदेहात्मक ऋण	गुणवत्ता विचरण
01.04.2022 को हानि के लिए प्रावधान	288.26	531.99
हानि के लिए प्रावधान में बदलाव - वर्ष के दौरान	92.13	(354.47)
31.03.2023 में हानि के लिए प्रावधान	380.39	177.52

वित्तीय परिसंपत्तियाँ के महत्वपूर्ण आंकलन एवं निर्णय दुर्बलता

ऊपर दर्शाई गई वित्तीय संपत्तियों के लिए हानि प्रावधान को अपेक्षित हानि दरों एवं डिफॉल्ट के जोखिम के बारे में मान्यताओं पर आधारित किया गया है। कंपनी के इतिहास के आधार पर, मौजूदा बाजार की स्थितियों के साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में दूरदर्शी अनुमानों के अनुसार कंपनी हानि की गणना के लिए, इन मान्यताओं के मद्देनजर एवं इनपुट का चयन करने का निर्णय करती है।

2. तरलता जोखिम

विवेकपूर्ण तरलता जोखिम प्रबंधन से तात्पर्य है कि देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त ऋण और पर्याप्त ऋण सुविधाओं के माध्यम से पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना। अंतर्निहित व्यवसायों की गतिशील प्रकृति के कारण, कंपनी कोष प्रतिबद्ध ऋण के उपलब्धता को बनाए रखने के द्वारा वित्त पोषण में नम्यता बनाए रखती है।

प्रबंधन कंपनी की तरलता स्थिति (पूर्व उधार लेने की सुविधाओं सहित) और अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर नकदी और नकद समकक्षों के पूर्वानुमान की निगरानी करता है। यह आमतौर पर कंपनी द्वारा निर्धारित अभ्यास और सीमाओं के अनुसार स्थानीय स्तर पर किया जाता है। . कोयला, स्टोर और स्पेयर पार्ट्स के स्टॉक के विरुद्ध प्रभार लगाकर बैंक ऋण को सुरक्षित किया गया है और बैंकों के कंसोर्टियम के भीतर सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा ऋण बुक किए गए हैं। सीआईएल हेतु उपलब्ध कुल कार्यशील पूंजी ऋण की सीमा रु. 430.00 करोड़ है, जिसमें से भुगतान हेतु राशि की सीमा रु. 140.00 करोड़ तथा गैर-भुगतान हेतु राशि की सीमा रु. 290.00 करोड़ है । इसके अलावा, रू. 5000.00 करोड़ की कंसोर्टियम के बाहर गैर-निधि आधारित सीमा एचईएमएम का आयात सुविधा के लिए स्थापित किया गया था। कोल इंडिया लिमिटेड आकस्मिक रूप से सहायक कंपनियों द्वारा उपयोग की जाती इस तरह की सुविधा तक उत्तरदायी है।

3. बाजार जोखिम

(1) विदेशी मुद्रा जाखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम भविष्य के वाणिज्यिक लेन-देन और मान्यता प्राप्त संपत्तियों या देनदारियों से उत्पन्न होता है जो एक मुद्रा में संप्रदाय होते हैं, यह कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा (₹) नहीं है। कंपनी विदेशी मुद्रा लेन-देन से उत्पन्न विदेशी मुद्रा जोखिम के संपर्क में है। विदेशी संचालन के संबंध में विदेशी मुद्रा जोखिम को महत्वहीन माना जाता है। कंपनी आयात भी करती है एवं जोखिम का नियमित अनुवर्ती द्वारा प्रबंधित किया जाता है। कंपनी की एक नीति है जिसे विदेशी मुद्रा जोखिम के महत्वपूर्ण होने पर लागू किया जाता है।

(2) कैश फ्लो एवं उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम

कम्पनी का मुख्य ब्याज दर जोखिम बैंक जमा के ब्याज दर परिवर्तन के फलस्वरूप आता है, जो कि कम्पनी को कैश फ्लो ब्याज दर जोखिम की ओर ले जाता है। जमा राशियों को स्थाई दर के आधार पर रख-रखाव करना, कम्पनी की नीति है।

कम्पनी, जोखिम का प्रबंधन, डिपार्टमेन्ट ऑफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज (डीपीई) के दिशानिर्देशों, बैंक जमा क्रेडिट लिमिट तथा अन्य प्रतिभूतियों के विविधताकरण के अनुसार करता है।

पूंजी प्रबंधन

सरकारी स्वामीत्व होने के कारण कम्पनी अपने पूंजी का प्रबंधन, वित्त मंत्रालय के अधीन निवेश एवं लोक परिसंपत्तियां प्रबंधन विभाग की दिशानिर्देश के अनुसार करता है।

कम्पनी का पूंजीगत ढांचा इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023	31.03.2022
इक्विटी शेयर कैपिटल	940.00	940.00
लंबी अवधि ऋण	—	—

3. कर्मचारी लाभ: मान्यता और मापन (भारतीय लेखा मानक - 19)

3.1 परिभाषित लाभ योजनाए:

(1) ग्रेच्युटी

कंपनी में पात्र कार्मिकों के लिए नियोजन उपरांत परिभाषित लाभ योजना ("प्रतिभूति योजना") का लाभ प्रदान करती है। प्रतिभूति योजना पूरी तरह से भारतीय जीवन बीमा निगम के ट्रस्ट के माध्यम से वित्त पोषित है, जिसमें नियोक्ता का योगदान मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते का 2.01% है। उपदान संदाय अधिनियम, 1972 एवं यथा संशोधित प्रावधानों पर विचार करते हुए कंपनी से अलग होने के समय प्रत्येक कर्मचारी जिसने 5 वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा की है, सेवा के प्रत्येक सम्पूरित वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन के बराबर की प्रतिभूति राशि प्राप्त करने का हकदार है (एक महीने में 15 दिन/26 दिन* अंतिम आहरित वेतन और महंगाई भत्ता* सेवा के पूर्ण वर्ष) जिसकी सीमा अधिकतम ₹ 0.20 करोड़ रुपये होगी। ग्रेच्युटी योजना के संबंध में बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है, जिसमें से योजना संपत्ति का उचित मूल्य कम है। परिभाषित लाभ दायित्व की गणना प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक द्वारा की जाती है। अनुभव समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले पुनः माप लाभ और हानियों को उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिसमें वे सीधे अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में होते हैं।

(2) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ - कार्यकारी (सीपीआरएमएसई)

कंपनी में सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना लागू है जिसे सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों (सीपीआरएमएसई) के अधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति उपरांत अंशदायी चिकित्सा योजना के रूप में जाना जाता है, जिसे कंपनी के अस्पताल/पैनल में सम्मिलित अस्पतालों या आउट पेशेंट/डोर्मेट्री में अधिकारियों व उनके पति या पत्नी को कॉमन कोल कैडर योजना अंतर्गत सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति उपरांत या चिकित्सीय आधार पर सेवानिवृत्ति या समय-समय पर निर्मित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के उपरांत चिकित्सीय सेवाएँ प्रदान की जातीं है। सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों की सेवाओं से इस्तीफा देने वाले अधिकारियों को सदस्यता नहीं दी जाती है। निर्दिष्ट बीमारियों के मामले में बिना किसी ऊपरी सीमा के, संयुक्त रूप से या अलग-अलग साथ में लिए गए सेवानिवृत्त अधिकारियों और पति या पत्नी के लिए पूरे जीवन के दौरान प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि 25 लाख रुपये है। इस योजना को केवल इस उद्देश्य के लिए समूह स्तर पर सीआईएल द्वारा बनाए गए ट्रस्ट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है, जिसमें नियोक्ता का योगदान प्रति माह मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 2% है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर योजना के लिए देयता की पहचान की जाती है।

3.2 परिभाषित अंशदान योजनाएं

i) भविष्य निधि और पेंशन

कंपनी पात्र कर्मचारी के वेतन का एक निश्चित प्रतिशत पूर्व निर्धारित दर पर भविष्य निधि एवं पेंशन कोष में भुगतान करती है अर्थात भविष्य निधि एवं पेंशन कोष के लिए मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता का क्रमशः 12% और 7% कोयला खान भविष्य निधि (सीएमपीएफ) नामक एक अलग ट्रस्ट को भुगतान करती है। 31.03.2022 को समाप्त अवधि के दौरान फंड के लिए योगदान 622.98 करोड़ रुपये (598.39 करोड़ रुपये) लाभ और हानि के विवरण (नोट 28) में दिया गया है।

ii) सेवानिवृत्ति उपरांत अंशदायी चिकित्सा योजना(सीपीआरएमएसई-एनई)

वेतन समझौते के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के एक अंश के रूप में, कंपनी गैर-अधिकारियों (सीपीआरएमएसई-एनई) के लिए सेवानिवृत्ति उपरांत अंशदायी चिकित्सा योजना प्रदान कर रही है, जिसमें कंपनी द्वारा निश्चित राशि का योगदान किया जा रहा है तथा इसे प्रभारित व्यय के रूप में लाभ और हानि विवरण सूचित किया गया है।

iii) सीआईएल कार्यकारी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (एनपीएस)

कंपनी अपने अधिकारियों को सेवानिवृत्ति उपरांत अंशदायी पेंशन योजना प्रदान करती है जिसे "सीआईएल अधिकारी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना-2007" (एनपीएस) के रूप में जाना जाता है। एनपीएस को एकमात्र उक्त उद्देश्य से गठित समूह स्तर पर अलग ट्रस्ट के माध्यम से प्रशासित किया जा रहा है। कंपनी का बाध्यता है कि अधिकारी के भविष्य निधि, प्रतिभूति, सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ-अधिकारी यानी सीपीआरएमएसई या किसी अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के लिए नियोक्ता के योगदान को घटाकर कंपनी का अंशदान अधिकारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 30% से अधिक न हो। मूल और महंगाई भत्ते के 6.99% के वर्तमान नियोक्ता योगदान को लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित किया जा रहा है।

3.3 अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

i) अवकाश नकदीकरण

कंपनी के कर्मचारियों को 30 दिनों की कुल अर्जित छुट्टी (ईएल) और 20 दिनों के आधे भुगतान की छुट्टी (एचपीएल) का लाभ प्रदान करती है, जो हर साल जनवरी और जुलाई के पहले दिन अर्ध-वार्षिक आधार पर अर्जित और जमा किया जाता है। सेवा के दौरान, 75%ईएल जमा शेष राशि प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार भुनाई जा सकती है, जो अधिकतम 60 दिनों के ईएल नकदीकरण की सीमा के अधीन है। संचित एचपीएल को सेवा की अवधि के दौरान नकदीकरण की अनुमति नहीं है। सेवानिवृत्ति पर, ईएल और एचपीएल को एक साथ नकदीकरण के लिए माना जाता है, जो एचपीएल के कम्यूटेशन के बिना 300 दिनों की समग्र सीमा के अधीन है। इसलिए, अर्जित छुट्टी के लिए देनदारियों को सेवा के दौरान और साथ ही कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद निपटाने की उम्मीद है। इसलिए उन्हें अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में किए जाने वाले अपेक्षित भविष्य के भुगतान के वर्तमान मूल्य के रूप में मापा जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार प्रतिफल का उपयोग करके लाभों को छूट दी जाती है, जिसमें संबंधित दायित्व की शर्तों के अनुसार शर्तें होती हैं। यह योजना पूरी तरह से भारतीय जीवन बीमा निगम के ट्रस्ट के माध्यम से वित्त पोषित है।

ii) जीवन सुरक्षा योजना (एलसीएस)

वेतन समझौते के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के एक हिस्से के रूप में, कंपनी के पास जमा लिंक बीमा योजना, 1976 के तहत जीवन बीमा योजना है, जिसे श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है, जिसे "कोल इंडिया लिमिटेड की लाइफ कवर योजना" (एलसीएस) के रूप में जाना जाता है। योजना के तहत 01.10.2017 से 1,25,000 रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है। योजना के तहत देयता प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कंपनी द्वारा वहन की जाती है।

iii) सेटलमेंट भत्ता

वेतन समझौते के हिस्से के रूप में, एनसीडब्ल्यूए के तहत शासित सभी गैर-कार्यकारी कैडर कर्मचारियों को 31.10.2010 को या उसके बाद सेवानिवृत्ति भत्ते के रूप में 12000/- रुपये की एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है। योजना के लिए देयता को प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है।

iv) ग्रुप व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (जीपीएआईएस)

कंपनी ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से अधिकारियों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना "कोल इंडिया एक्जीक्यूटिव्स ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम" (जीपीएआईएस) बीमा लिया है। जीपीएआईएस दुनिया भर में 24 घंटे के आधार पर सभी प्रकार की दुर्घटनाओं को कवर करता है। योजना का प्रीमियम कंपनी द्वारा वहन किया जाता है।

v) छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी)

वेतन समझौते के एक हिस्से के रूप में, गैर-अधिकारी कर्मचारी 4 साल के ब्लॉक में एक बार अपने गृह नगर और "भारत भ्रमण" के लिए यात्रा सहायता के हकदार हैं। गृहनगर और "भारत भ्रमण" का दौरा करने के लिए क्रमशः 8000/- और 12000/- रुपये की एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है। योजना के लिए देयता को प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है।

vi) खान दुर्घटना लाभ अनुसार आश्रितों को मुआवजा

वेतन समझौते के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के एक भाग के रूप में, कंपनी, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 के तहत संदत्त लाभ प्रदान करती है। एक घातक खदान दुर्घटना के मामले में कर्मचारी के परिजनों को 15 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है जो 7.11.2019 से प्रभावी है। लाभ की अपेक्षित लागत को तब पहचाना जाता है जब एक घटना होता है जो योजना के तहत देय लाभ का कारण बनता है।

vii) परिभाषित लाभ योजनाओं, परिभाषित योगदान योजनाओं और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाओं की वित्तीय स्थिति, जिनका मूल्यांकन बीमांकिक आधार पर किया जाता है, निम्नानुसार हैं:

निधिक	अनिधिक
o ग्रेच्युटी o अवकाश नकदीकरण o चिकित्सा लाभ o भविष्य निधि o पेंशन योजनायें	o लाइफ कवर स्कीम o सेटलमेंट भत्ता o सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा o छुट्टी यात्रा रियायत o आश्रित को खान दुर्घटना लाभ का क्षतिपूति

viii) दिनांक 31.03.2023 को बीमांकिक के द्वारा मूल्यांकन के आधार पर कुल देयता की राशि ₹4156.18 करोड़ हैं जिसका विवरण नीचे वर्णित है।

(₹ करोड़ में.)

विवरण	01.04.2022 को प्रारंभिक वास्तविक देयता	वर्ष के दौरान वृद्धि विधिगत देयता/समायोजन	31.03.2023 को अंतिम वास्तविक देयता
ग्रेच्युटी	2,796.73	(81.48)	2,715.25
अवकाश	527.83	257.69	785.52
अधिकारियों का सेटलमेंट भत्ता	11.84	(1.28)	10.56
कर्मचारियों का सेटलमेंट भत्ता	12.22	(0.42)	11.8
एलटीसी	34.42	1.22	35.64
अधिकारियों का चिकित्सा लाभ	225.94	9.92	235.86
कर्मचारियों का चिकित्सा लाभ	371.63	(10.08)	361.55
कुल	**3,980.61**	**175.57**	**4,156.18**

3.4 बीमांकिक प्रमाण पत्र के अनुसार प्रकटीकरण

ग्रेच्युटी (निधिक) के लिए कर्मचारी लाभ तथा अवकाश नकदीकरण (निधिक) एवं पीआरएमबी (निधिक) के वास्तविक प्रमाण पत्र के अनुसार प्रकटीकरण निम्नलिखित है

3.4.1 31.03.2023 को ग्रेच्युटी देयता का बीमांकिक मूल्यांकन भारतीय लेखा मानक 19 (2015) के अनुसार प्रमाण पत्र

तालिका 1

31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निर्धारित लाभ लागत का प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में.)

ए	लाभ एवं हानि	31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि	31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि
1	वर्तमान सेवा लागत	135.70	64.03
2	विगत सेवा लागत-योजना संशोधन	—	—
3	कटौती लागत/(ऋण)	—	—
4	निपटान लागत/(ऋण)	—	—
5	सेवा लागत	135.05	64.03
6	निबल परिभाषित लाभ देयता/(संपत्ति) पर निबल ब्याज	57.61	39.97
7	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान-अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	—	—
8	**लाभ एवं हानि में मान्यता प्राप्त लागत**	193.31	103.99
बी	**अन्य विस्तृत आय (ओसीआई)**		
1	डीबीओ अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ) / हानि	99.67	(75.04)
2	डीबीओ धारणा परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ) / हानि	10.51	(99.82)
3	अवधि के दौरान होने वाली बीमांकिक (लाभ)/ हानि	110.18	(174.86)
4	योजना संपत्ति पर वापसी (अधिक)/छूट दर से कम	(6.39)	(23.85)
5	ओसीआई में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	103.79	(198.71)
सी	**परिभाषित लाभ लागत**		
1	सेवा लागत	135.70	64.03
2	निबल परिभाषित लाभ देयता पर निबल ब्याज /(परिसंपत्ति)	57.61	39.97
3	ओसीआई में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	103.79	(198.71)
4	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान-अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	—	—
5	**परिभाषित लाभ लागत**	297.10	(94.71)
डी	**अनुमान के रूप में**	**31 मार्च 2022**	**31 मार्च 2023**
1	छूट की दर	6.85%	6.80%
2	वेतन वृद्धि की दर	कार्यकारी 9% गैर-कार्यकारी 6.25%	कार्यकारी 9% गैर-कार्यकारी 6.25%

तालिका 2

31 मार्च 2023 को निबल तुलन पत्र की स्थिति

(₹ करोड़ में.)

ए	निबल तुलन पत्र स्थिति का विकास	31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि	31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि
1	परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ)	(2796.73)	(2715.25)
2	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (ऍफ़विए)	1,988.60	2,442.63
3	वित्त पोषित स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]	(808.12)	(272.62)
4	परिसम्पति अंतश्छद का प्रभाव	—	—
5	निबल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	(808.12)	(272.62)
बी	**निबल तुलन पत्र स्थिति का मिलान**		
1	आपकी पूर्व अवधि के अंत में निबल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	(1,171.11)	808.12
2	सेवा लागत	(135.70)	(64.03)
3	निबल परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) पर निबल ब्याज	(57.61)	(39.97)
4	ओसीआई में मान्यता प्राप्त राशि	(103.79)	198.71
5	नियोक्ता योगदान	471.07	440.79
6	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	18.01	-
7	अधिग्रहण ऋण/(लागत)	-	-
8	विनिवेश	-	-
9	समाप्ति लाभ की लागत	-	-
10	वर्तमान अवधि के अंत में निबल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	(808.12)	(272.62)
सी	**अनुमान के रूप में**	**31 मार्च 2022**	**31 मार्च 2023**
1	छूट दर	6.80%	7.30%
2	वेतन वृद्धि की दर कार्यकारी अधिकारी	कार्यकारी 9% गैर कार्यकारी 6.25%	कार्यकारी 9% गैर कार्यकारी 6.25%

तालिका 3

31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में लाभ दायित्वों और संपत्तियों में परिवर्तन

(₹ करोड़ में.)

ए	परिभाषित लाभ दायित्वों (डीबीओ) में परिवर्तन	31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि	31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि
1	पूर्व अवधि के अंत में डीबीओ	2,757.22	2,796.73
2	वर्तमान सेवा लागत	135.70	64.03
3	डीबीओ पर ब्याज लागत	175.78	184.89
4	कटौती (ऋण)/लागत	—	—
5	निपटान (ऋण)/लागत	—	—
6	पिछली सेवा कास्ट-योजना संशोधन	—	—
7	अधिग्रहण (ऋण)/लागत	—	—
8	बीमांकिक (लाभ)/हानि- अनुभव	99.67	(75.04)
9	बीमांकिक (लाभ)/हानि-जनसांख्यिकीय अनुमान	—	—
10	बीमांकिक (लाभ)/हानि- वित्तीय अनुमान	10.50	(99.82)

11	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किए गए लाभ	(189.01)	-
12	योजना संपत्तियों से भुगतान किए गए लाभ	(193.14)	(155.54)
13	**वर्तमान अवधि के अंत में डीबीओ**	2,796.73	2715.25
बी	**परिसम्पतियों के उचित मूल्य में परिवर्तन**		
1	पूर्व अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य	1586.11	1,988.60
2	अधिग्रहण समायोजन	—	—
3	योजना संपत्ति पर ब्याज आय	118.17	144.92
4	नियोक्ता योगदान	471.07	440.799
5	छूट दर से अधिक/(कम) योजना संपत्ति पर वापसी	6.39	23.85
6	भुगतान किया गया लाभ	(193.14)	(155.54)
7	**वर्तमान अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य**	1988.60	2442.63

तालिका 4

अतिरिक्त प्रकटीकरण सूचना

(₹ करोड़ में.)

ए	**समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपेक्षित लाभ भुगतान**			
1	मार्च 31, 2024			215.27
2	मार्च 31, 2025			222.08
3	मार्च 31, 2026			255.51
4	मार्च 31, 2027			304.84
5	मार्च 31, 2028			297.00
6	मार्च, 2029 से मार्च 31, 2033			1,502.44
7	10 साल से परे			2572.73
बी	**31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अपेक्षित नियोक्ता योगदान**			54.73
सी	**परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि**			8 years
डी	**31 मार्च 2023 को उपार्जित लाभ दायित्व**			2116.55
ई	**31 मार्च 2023 तक योजना की संपत्ति की जानकारी**			प्रतिशत
1	भारत सरकार की प्रतिभूतियां (केंद्रीय एवं राज्य)			0.00%
2	उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड (पब्लिक सेक्टर के बॉन्ड सहित)			0.00%
3	सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर			0.00%
4	संपत्ति			0.00%
5	नकद (विशेष जमा सहित)			0.00%
6	बीमा की योजनाएं- पारंपरिक उत्पाद			100.00%
7	बीमा की योजनाएं-यूलिप उत्पाद			0.00%
8	अन्य			0.00%
	कुल			100.00%
एफ	**31 मार्च 2023 तक वर्तमान एवं गैर-वर्तमान देयता ब्रेकअप**			
				कुल
1	चालू देयताएं			207.82
2	गैर-चालू संपत्ति/(देयता)			2,507.43
3	**31 मार्च 2023 तक देयताएं**			2,715.25

नोट: यह रिपोर्ट योजना संपत्तियों के संबंध में बुनियादी जानकारी प्रदान करती है। भारतीय लेखा मानक19 के अनुछेद 142, 143 में निर्दिष्ट योजना

परिसंपत्ति प्रकटीकरण के संबंध में कंपनी द्वारा अतिरिक्त आदान की आवश्यकता हो सकती है।

तालिका 5

संवेदनशीलता विश्लेषण

	31 मार्च 2023 तक आधार अनुमानों पर डीबीओ	**2,715.25**
	इन धारणाओं को रिपोर्ट के परिशिष्ट सी में संक्षेपित किया गया है	
ए	**31 मार्च 2023 तक छूट दर**	**7.30%**
1	छूट दर में 0.5% बढ़ोतरी से डीबीओ पर असर	(93.42)
	प्रतिशत प्रभाव	-3%
2	छूट दर में 0.5% की कमी से डीबीओ पर असर	99.82
	प्रतिशत प्रभाव	4%
बी	**31 मार्च 2023 तक वेतन वृद्धि दर**	कार्यकारी 9% गैर कार्यकारी 6.25%
1	छूट दर में 0.5% की बढ़ोतरी से डीबीओ पर असर	34.74
	प्रतिशत प्रभाव	1%
2	छूट दर में 0.5% की कमी से डीबीओ पर असर	(36.46)
	प्रतिशत प्रभाव	-1%

सदस्यता जानकारी का सारांश

नीचे योजना के सक्रिय सदस्यों का सारांश दिया गया है:

	कार्यकारीगण	**31 मार्च 2022**	**31 मार्च 2023**
1	कर्मचारियों की संख्या	2,257	2,244
2	कुल मासिक वेतन (रु)	30.08	31.09
3	कुल वार्षिक वेतन (रु)	360.92	374.32
4	औसत वार्षिक वेतन (रु)	0.16	0.17
5	औसत प्राप्त आयु (वर्ष)	42.39	41.85
6	औसत पिछली सेवा (वर्ष)	15.57	14.62
	गैर कार्यकारीगण		
1	कर्मचारियों की संख्या	33,403	32,482
2	कुल मासिक वेतन (रु)	222.38	230.56
3	कुल वार्षिक वेतन (रु)	2,688.57	2.766.75
4	औसत वार्षिक वेतन (रु)	0.08	0.09
5	औसत प्राप्त आयु (वर्ष)	45.34	45.52
6	औसत पिछली सेवा (वर्ष)	20.74	20.85
	नोट: कार्यकारी अधिकारियों में केएमपी अधिकारी शामिल हैं		

धारणाएँ

31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2023 की गणना के लिए नियोजित बीमांकिक अनुमान (भौगोलिक और वित्तीय) इस प्रकार हैं:

	मान्यताओं	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023
	छूट दर	6.80%	7.30%
	वेतन वृद्धि दर	कार्यकारी 9% गैर कार्यकारी 6.25%	कार्यकारी 9% गैर कार्यकारी 6.25%
	निकासी दर	0.30%	0.30%
	मृत्यु दर	भारतीय आश्वषित लाइव्स मृत्यु दर (2006-08) अंतिम	भारतीय आश्वषित लाइव्स मृत्यु दर (2006-08) अंतिम

नमूना मृत्यु दर

आयु	दरें	आयु	दरें
20	0.000888	45	0.002874
25	0.000984	50	0.004946
30	0.001056	55	0.007888
35	0.001282	60	0.011534
40	0.001803	65	0.017009

3.4.2. 31.03.2023 को अवकाश नकदीकरण लाभ (ईएल/एचपीएल) का बीमांकिक मूल्यांकन भारतीय लेखा मानक 19 (2015) के अनुसार प्रमाण पत्र

तालिका 1

31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित लाभ लागत का प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में.)

ए	लाभ एवं हानि	31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि	31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि
1	वर्तमान सेवा लागत	88.13	139.19
2	पिछली सेवा लागत-योजना संशोधन	—	—
3	कटौती लागत/(ऋण)	—	—
4	निपटान लागत/(ऋण)	—	—
5	सेवा लागत	88.13	139.19
6	निबल परिभाषित लाभ देयता/(संपत्ति) पर निबल ब्याज	21.90	17.18
7	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान-अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	21.89	16.87
8	**लाभ एवं हानि में मान्यता प्राप्त लागत**	131.91	325.06
बी	**अन्य विस्तृत आय (ओसीआई)**		
1	डीबीओ अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ) / हानि	17.32	211.74
2	डीबीओ धारणा परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ) / हानि	2.56	(39.26)
3	अवधि के दौरान होने वाली बीमांकिक (लाभ)/ हानि	19.88	172.48
4	छूट दर से (अधिक)/कम योजना संपत्ति पर वापसी	2.00	(3.79)
5	ओसीआई में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	—	—
सी	**परिभाषित लाभ लागत**		
1	सेवा लागत	88.13	139.19

2	निबल परिभाषित लाभ देयता पर निबल ब्याज /(परिसंपत्ति)	21.90	17.18
3	ओसीआई में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	—	—
4	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान-अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	21.89	168.70
5	**परिभाषित लाभ लागत**	**131.91**	**325.06**
डी	**अनुमान के रूप में**	**31 मार्च 2022**	**31 मार्च 2023**
1	छूट की दर	6.80%	6.80%
2	वेतन वृद्धि की दर	कार्यकारी 9% गैर कार्यकारी 6.25%	कार्यकारी 9% गैर कार्यकारी 6.25%

तालिका 2
31 मार्च 2023 तक निबल तुलन पत्र की स्थिति

(₹ करोड़ में.)

ए	निबल तुलन पत्र स्थिति का विकास	31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि	31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि
1	परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ)	(527.83)	(785.52)
2	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (ऍफ़विए)	215.25	267.88
3	वित्त पोषित स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]	(312.58)	(517.64)
4	परिसम्पति अंतश्छद का प्रभाव	—	—
5	निबल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	(312.58)	(517.64)
बी	**निबल तुलन पत्र स्थिति का मिलान**		
1	आपकी पूर्व अवधि के अंत में निबल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	(458.65)	(312.58)
2	सेवा लागत	(88.13)	(139.19)
3	निबल परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) पर निबल ब्याज	(21.90)	(17.18)
4	ओसीआई में मान्यता प्राप्त राशि	(21.89)	(168.70)
5	नियोक्ता योगदान	140.00	120.00
6	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	137.97	—
7	अधिग्रहण ऋण/(लागत)	—	—
8	विनिवेश	—	—
9	समाप्ति लाभ की लागत	—	—
10	वर्तमान अवधि के अंत में निबल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	(312.58)	(517.64)
सी	**अनुमान के रूप में**	**31 मार्च 2022**	**31 मार्च 2023**
1	छूट दर 6.85% 6.80%	6.80%	7.30%
2	वेतन वृद्धि की दर कार्यकारी अधिकारी	कार्यकारी 9% गैर कार्यकारी 6.25%	कार्यकारी 9% गैर कार्यकारी 6.25%

तालिका 3

31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में लाभ दायित्वों एवं परिसंपत्तियों में परिवर्तन

(₹ करोड़ में.)

ए	परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन (डीबीओ)	31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि	31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि
1	पूर्व अवधि के अंत में डीबीओ	586.71	527.83
2	वर्तमान सेवा लागत	88.13	139.19
3	डीबीओ पर ब्याज लागत	33.33	32.94
4	कटौती लागत/(ऋण)	—	—
5	निपटान लागत/(ऋण)	—	—
6	पिछली सेवा लागत-योजना संशोधन	—	—
7	अधिग्रहण (ऋण)/लागत	—	—
8	बीमांकिक (लाभ)/हानि- अनुभव	17.32	211.74
9	बीमांकिक (लाभ)/हानि-जनसांख्यिकीय अनुमान	—	—
10	बीमांकिक (लाभ)/हानि- वित्तीय अनुमान	2.56	(39.26)
11	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किए गए लाभ	(137.97)	—
12	योजना संपत्तियों से भुगतान किए गए लाभ	(62.24)	(86.92)
13	**वर्तमान अवधि के अंत में डीबीओ**	527.83	785.52
बी	**परिसम्पतियों के उचित मूल्य में परिवर्तन**		
1	पूर्व अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य	128.06	215.25
2	अधिग्रहण समायोजन	—	—
3	योजना संपत्ति पर ब्याज आय	11.44	15.76
4	नियोक्ता योगदान	140.00	120.00
5	छूट दर से अधिक/(कम) योजना संपत्ति पर वापसी	(2.00)	3.79
6	भुगतान किया गया लाभ	(62.24)	(86.92)
7	**वर्तमान अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य**	215.25	267.88

तालिका 4

अतिरिक्त प्रकटीकरण सूचना

(₹ करोड़ में.)

ए	समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपेक्षित लाभ भुगतान	
1	मार्च 31, 2024	51.56
2	मार्च 31, 2025	59.57
3	मार्च 31, 2026	64.53
4	मार्च 31, 2027	74.02
5	मार्च 31, 2028	69.57
6	मार्च, 2029 से मार्च 31, 2033	361.05
7	10 साल से परे	1,356.88

बी	**31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अपेक्षित नियोक्ता योगदान**	141.13
सी	**परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि**	10 वर्ष
डी	**31 मार्च 2023 को उपार्जित लाभ दायित्व**	453.12
ई	**31 मार्च 2023 तक योजना संपत्ति की जानकारी**	प्रतिशत
1	भारत सरकार की प्रतिभूतियां (केंद्रीय और राज्य)	0.00%
2	उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड (पब्लिक सेक्टर बॉन्ड सहित)	0.00%
3	सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	0.00%
4	संपत्ति	0.00%
5	नकद (विशेष जमा सहित)	0.00%
6	बीमा की योजनाएं- पारंपरिक उत्पाद	100.00%
7	बीमा की योजनाएं-यूलिप उत्पाद	0.00%
8	अन्य	0.00%
	कुल	100.00%
एफ	**31 मार्च 2023 तक वर्तमान और गैर-वर्तमान देयता की ब्रेकअप**	
		कुल
1	वर्तमान देयता	49.77
2	गैर-वर्तमान संपत्ति/(देयता)	735.75
3	**31 मार्च 2023 को देयता**	785.52

नोट: यह रिपोर्ट योजना संपत्तियों के संबंध में बुनियादी जानकारी प्रदान करती है। भारतीय लेखा मानक 19 के अनुच्छेद 142, 143 में निर्दिष्ट योजना परिसंपत्ति प्रकटीकरण के संबंध में कंपनी द्वारा अतिरिक्त आदान की आवश्यकता हो सकती है।

तालिका 5

संवेदनशीलता विश्लेषण

	31 मार्च 2023 तक आधार अनुमानों पर डीबीओ	**785.52**
	इन धारणाओं को रिपोर्ट के परिशिष्ट सी में संक्षेपित किया गया है	
ए	**31 मार्च 2023 तक छूट दर**	**7.30%**
1	छूट दर में 0.5% बढ़ोतरी से डीबीओ पर असर	(35.99)
	प्रतिशत प्रभाव	-5%
2	छूट दर में 0.5% की कमी से डीबीओ पर असर	39.26
	प्रतिशत प्रभाव	5%
बी	**31 मार्च 2023 तक वेतन वृद्धि दर**	कार्यकारी 9% गैर कार्यकारी 6.25%
1	छूट दर में 0.5% की बढ़ोतरी से डीबीओ पर असर	39.11
	प्रतिशत प्रभाव	5%
2	छूट दर में 0.5% की कमी से डीबीओ पर असर	(36.20)
	प्रतिशत प्रभाव	-5%

सदस्यता जानकारी का सारांश

नीचे योजना के सक्रिय सदस्यों का सारांश दिया गया है:

	कार्यकारीगण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023
1	कर्मचारियों की संख्या	2257	2244
2	कुल मासिक वेतन (रु)	30.08	31.19
3	कुल वार्षिक वेतन (रु)	360.92	374.32
4	औसत वार्षिक वेतन (रु)	0.16	0.17
5	औसत प्राप्त आयु (वर्ष)	42.39	41.85
6	कुल सीमित अवकाश शेष (दिन)	182986	259485
7	कुल सीमित अर्ध वेतन अवकाश शेष (दिन)	60513.50	131018
	गैर कार्यकारीगण		
1	कर्मचारियों की संख्या	33403	32482
2	कुल मासिक वेतन (रु)	222.38	230.56
3	कुल वार्षिक वेतन (रु)	2,668.57	2,766.75
4	औसत वार्षिक वेतन (रु)	0.08	0.09
5	औसत प्राप्त आयु (वर्ष)	45.34	45.52
6	कुल सीमित अवकाश शेष (दिन)	1664156	2073342
7	कुल सीमित अर्ध वेतन अवकाश शेष (दिन)	—	—
	नोट: कार्यकारी अधिकारियों में केएमपी अधिकारी शामिल हैं		

धारणाएँ

31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2023 की गणना के लिए नियोजित बीमांकिक अनुमान (भौगोलिक और वित्तीय) इस प्रकार हैं:

	मान्यताओं	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023
	छूट दर	6.80%	7.30%
	वेतन वृद्धि दर	कार्यकारी 9% गैर कार्यकारी 6.25%	कार्यकारी 9% गैर कार्यकारी 6.25%
	निकासी दर	0.30%	0.30%
	मृत्यु दर	भारतीय आश्वषित लाइव्स मृत्यु दर (2006-08) अंतिम	भारतीय आश्वषित लाइव्स मृत्यु दर (2006-08) अंतिम

प्रतिरूप मृत्यु दर

आयु	दरें	आयु	दरें
20	0.000888	45	0.002874
25	0.000984	50	0.004946
30	0.001056	55	0.007888
35	0.001282	60	0.011534
40	0.001803	65	0.017009

3.4.3 31.03.2023 को पीआरएमबी का बीमांकिक मूल्यांकन भारतीय लेखा मानक 19 (2015) के अनुसार प्रमाण पत्र

तालिका 1

31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निर्धारित लाभ लागत का प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में.)

ए	(लाभ)/हानि	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
1	वर्तमान सेवा लागत	13.49	15.41
2	पिछली सेवा लागत-योजना संशोधन	278.93	—
3	कटौती लागत/(ऋण)	—	—
4	निपटान लागत/(ऋण)	—	—
5	सेवा लागत	292.42	14.41
6	निबल परिभाषित लाभ देयता/(संपत्ति) पर निबल ब्याज	19.06	15.94
7	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान-अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	—	—
8	**लाभ एवं हानि में मान्यता प्राप्त लागत**	311.48	30.35

बी	अन्य विस्तृत आय (ओसीआई)	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
1	डीबीओ अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ) / हानि	(50.08)	(0.13)
2	डीबीओ धारणा परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ) / हानि	32.57	(36.91)
3	अवधि के दौरान होने वाली बीमांकिक (लाभ)/ हानि	(17.51)	(37.04)
4	छूट दर से (अधिक)/कम योजना संपत्ति पर वापसी	(17.59)	(1.58)
5	ओसीआई में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	(35.11)	(38.62)

सी	परिभाषित लाभ लागत	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
1	सेवा लागत	292.42	14.41
2	निबल परिभाषित लाभ देयता पर निबल ब्याज /(परिसंपत्ति)	19.06	15.94
3	ओसीआई में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	(35.11)	(38.62)
4	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान-अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	—	—
5	**परिभाषित लाभ लागत**	276.38	(8.26)

डी	अनुमान के रूप में	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
1	छूट की दर	6.85%	6.80%
2	चिकित्सा मुद्रास्फीति दर	अनुपलब्ध	

तालिका 2

निबल तुलन पत्र की स्थिति का विकास

(₹ करोड़ में.)

ए	लाभ एवं हानि	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
1	परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ)	(597.57)	(597.42)
2	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (ऍफ़विए)	358.13	376.27
3	वित्त पोषित स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]	(239.44)	(221.15)
4	परिसम्पति अंतश्छद का प्रभाव	—	—
5	निबल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	(239.44)	(221.15)
बी	**निबल तुलन पत्र स्थिति का मिलान**	**31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष**	**31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष**
1	आपकी पूर्व अवधि के अंत में निबल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	(175.09)	(239.44)
2	सेवा लागत	(292.42)	(14.41)
3	निबल परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) पर निबल ब्याज	(19.06)	(15.94)
4	ओसीआई में मान्यता प्राप्त राशि	35.11	38.61
5	नियोक्ता योगदान	212.02	10.02
6	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	—	—
7	अधिग्रहण ऋण/(लागत)	—	—
8	विनिवेश	—	—
9	समाप्ति लाभ की लागत	—	—
10	वर्तमान अवधि के अंत में निबल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	(239.44)	(221.15)
सी	**अनुमान के रूप में**	**31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष**	**31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष**
1	छूट की दर	6.80%	7.30%
2	चिकित्सा मुद्रास्फीति दर	कार्यकारी 9% गैर कार्यकारी 6.25%	0.00%

तालिका 3

31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में लाभ दायित्वों एवं परिसंपत्तियों में परिवर्तन

(₹ करोड़ में.)

ए	परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन (डीबीओ)	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
1	पूर्व अवधि के अंत में डीबीओ	298.65	597.57
2	वर्तमान सेवा लागत	13.49	14.41
3	डीबीओ पर ब्याज लागत	34.43	40.04
4	कटौती लागत/(ऋण)	—	—
5	निपटान लागत/(ऋण)	—	—
6	पिछली सेवा लागत-योजना संशोधन	278.93	—
7	अधिग्रहण (ऋण)/लागत	—	—

8	बीमांकिक (लाभ)/हानि- अनुभव	(50.08)	(0.13)
9	बीमांकिक (लाभ)/हानि-जनसांख्यिकीय अनुमान	28.85	—
10	बीमांकिक (लाभ)/हानि- वित्तीय अनुमान	3.72	(36.91)
11	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किए गए लाभ	—	—
12	योजना संपत्तियों से भुगतान किए गए लाभ	(10.42)	(17.56)
13	**वर्तमान अवधि के अंत में डीबीओ**	**597.57**	**597.42**
बी	**परिसम्पतियों के उचित मूल्य में परिवर्तन**		
1	पूर्व अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य	123.56	358.13
2	अधिग्रहण समायोजन	—	—
3	योजना संपत्ति पर ब्याज आय	15.37	24.10
4	नियोक्ता योगदान	212.02	10.02
5	छूट दर से अधिक/(कम) योजना संपत्ति पर वापसी	17.59	1.58
6	भुगतान किया गया लाभ	(10.42)	(17.56)
7	**वर्तमान अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य**	**358.13**	**376.27**

तालिका 4

अतिरिक्त प्रकटीकरण सूचना

ए	**समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपेक्षित लाभ भुगतान**	
1	मार्च 31, 2024	29.28
2	मार्च 31, 2025	31.91
3	मार्च 31, 2026	34.61
4	मार्च 31, 2027	37.39
5	मार्च 31, 2028	40.17
6	मार्च, 2029 से मार्च 31, 2033	235.98
7	10 साल से परे	1,337.36
बी	**परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि**	12 years
सी	**31 मार्च 2023 को उपार्जित लाभ दायित्व**	597.42

तालिका 5

संवेदनशीलता विश्लेषण

	31 मार्च 2023 तक आधार अनुमानों पर डीबीओ	**597.57**
	इन धारणाओं को रिपोर्ट के परिशिष्ट सी में संक्षेपित किया गया है	
ए	**31 मार्च 2023 तक छूट दर**	**7.30%**
1	छूट दर में 0.5% बढ़ोतरी से डीबीओ पर असर	(33.47)
	प्रतिशत प्रभाव	-6.00%
2	छूट दर में 0.5% की कमी से डीबीओ पर असर	36.91
	प्रतिशत प्रभाव	6.00%

नीचे योजना के सक्रिय सदस्यों का सारांश दिया गया है:

	कार्यकारीगण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023
1	कर्मचारियों की संख्या (सक्रिय)	2257	2244
2	कर्मचारियों की संख्या (निष्क्रिय)	2251	2474
3	औसत प्राप्त आयु (वर्ष)- सक्रिय	42.39	41.85
4	औसत प्राप्त आयु (वर्ष) - निष्क्रिय	69.00	68.76
5	औसत पिछली सेवा (वर्ष)- सक्रिय	15.57	14.62
	गैर कार्यकारीगण		
1	कर्मचारियों की संख्या (सक्रिय)	33403	32482
2	कर्मचारियों की संख्या (निष्क्रिय)	5147	5899
3	औसत प्राप्त आयु (वर्ष)- सक्रिय	45.34	45.52
4	औसत प्राप्त आयु (वर्ष) - निष्क्रिय	68.00	66.64
5	औसत पिछली सेवा (वर्ष)- सक्रिय	20.74	20.85

धारणाएँ

धारणाएँ	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023
छूट की दर	6.80%	7.30%
चिकित्सा मुद्रास्फीति दर	अनुपलब्ध	0.00%
मृत्यु दर - सेवा में	भारतीय आश्वषित लाइव्स मृत्यु दर (2006-08) अंतिम	भारतीय आश्वषित लाइव्स मृत्यु दर (2006-08) अंतिम
मृत्यु दर - सेवानिवृत्ति के बाद	भारतीय अनुपलब्ध व्यक्तिगत वार्षिकीदार की मृत्यु तालिका (2012-15)	भारतीय अनुपलब्ध व्यक्तिगत वार्षिकीदार की मृत्यु तालिका (2012-15)
औसत चिकित्सा लागत (रु)	कार्यकारी कर्मचारी: अधिवास लाभ-₹ 36,000 प्रति वर्ष। अस्पताल में भर्ती लाभ- ₹ 35,000 प्रति वर्ष। गैर-कार्यकारी कर्मचारी: अधिवास लाभ + अस्पताल में भर्ती लाभ संयुक्त- ₹ 18,000 प्रति वर्ष।	कार्यकारी कर्मचारी: अधिवास लाभ-₹ 36,000 प्रति वर्ष। अस्पताल में भर्ती लाभ- ₹ 35,000 प्रति वर्ष। गैर-कार्यकारी कर्मचारी: अधिवास लाभ + अस्पताल में भर्ती लाभ संयुक्त- ₹ 18,000 प्रति वर्ष।
जीवनसाथी की उम्र का अंतर	जीवनसाथी सदस्य से 5 वर्ष छोटा है	जीवनसाथी सदस्य से 5 वर्ष छोटा है
निकासी दर	0.30%	0.30%

प्रतिरूप मृत्यु दर: भारतीय बीमित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम तालिका

आयु	दरें	आयु	दरें
20	0.000888	45	0.002874
25	0.000984	50	0.004946
30	0.001056	55	0.007888
35	0.001282	60	0.011534
40	0.001803	65	0.017009

प्रतिरूप मृत्यु दर: भारतीय व्यक्तिगत वार्षिकीदार की मृत्यु तालिका (2012-15)

आयु	दरें
60	0.006349
65	0.010070
70	0.016393
75	0.027379
80	0.046730

4. **अनभिज्ञ मद**

(1) **आकस्मिक देयताएं**

I. **कंपनी के विरूद्ध दावा जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है**

(₹ करोड़ में.)

क्रं.	विवरण	केन्द्र सरकार/ एजेंसियाँ	राज्य सरकार तथा अन्य इकाईयां/ एजेंसियाँ और अन्य स्थानीय अधिकारी	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	अन्य	कुल
1	01.04.2022 को प्रारंभिक शेष	2,149.01	17,976.32	—	542.07	20,667.40
2	वर्ष के दौरान वृद्धि	73.03	318.32	—	0.34	391.69
3	वर्ष के दौरान किये गए दावा का निपटान					
	1. प्रारंभिक शेष से	2.46	14,112.85	—	4.81	14,120.12
	2. वर्ष के दौरान योग से	—	0.27	—	—	0.27
	3. वर्ष के दौरान कुल दावों का निपटान (क+ख)	2.46	14,113.12	—	4.81	14,120.39
4	31.03.2023 को अंतिम शेष	2,219.58	4,181.52	—	537.60	6,938.70

पर्यावरण स्वीकृति सीमा से ज्यादा कोयले के तथाकथित उत्पादन पर मांग :

कॉमन कॉज़ बनाम यूओआई तथा अन्य (डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 114/2014) के मामलों पर भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए, झारखंड के जिला खनन अधिकारियों ने 42 परियोजनाओं को उपलब्ध पर्यावरणीय मंजूरी सीमा से अधिक उत्पादन जैसे आरोप तथा उक्त के उल्लंघन हेतु मुआवजे की मांग को लेकर डिमांड नोटिस जारी किए हैं। उक्त मामले में वर्तमान तिथि तक मांग की गयी कुल राशि 13,568.50 करोड़ रुपये है जो (विगत वर्ष 13568.50 करोड़) थी । कंपनी ने एमएमडीआर (अर्थात खान व खनिज विकास विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत उपरोक्त मांगों के विरुद्ध माननीय कोयला न्यायाधिकरण, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की है। पुनरीक्षण प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 16.01.2018 को निर्गत अपने अंतरिम आदेश के माध्यम से पुनरीक्षण आवेदन को स्वीकार किया है तथा अगले आदेश तक मांग आदेशों के निष्पादन पर रोक लगा दी है।

उपरोक्त मामले को नियम का उल्लंघन मानते हुए जिला खनन अधिकारी (डीएमओ), बोकारो, झारखंड ने दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) से सम्बंधित मामले में एक इसी प्रकार की मांग नोटिस जारी की है। हालाँकि, पुनरीक्षण प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने आदेश दिनांक 21/12/2021 के तहत डीएमओ द्वारा पारित मुआवजे की मांग के आदेश को रद्द कर दिया है। पुनरीक्षण प्राधिकारी ने देखा है कि उचित प्रक्रिया, उचित मुआवजा निर्धारण पद्धति तथा प्राप्त हुए अवसर के बाद भी कोई उचित तथ्यात्मक जांच नहीं हुई है ।

उक्त प्राधिकरण ने आगे यह भी कहा कि तथ्यात्मक स्थिति, कानूनी मुद्दों की जांच करने तथा उक्त मामले में किसी भी निर्णय तक पहुंचने से पहले सुनवाई को उचित अवसर प्रदान किये जाने की आवश्यकता है जिसके लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित करनी होगी।

उक्त मामले से सम्बद्ध घटनाक्रम पर विचार करते हुए, कंपनी ने यह मूल्यांकन किया कि उसके विरुद्ध डीएमओ द्वारा जारी मुआवजे की मांग- नोटिस मान्य नहीं है । इसके अतिरिक्त, निपटान में संसाधनों के बहिर्प्रवाह की संभावना बहुत कम है तदनुसार, इसे रिपोर्टिंग के दौरान आकस्मिक दायित्व में नहीं रखा जाता है।

आकस्मिक देयता की प्रकृति वार विवरण नीचे दिया गया है :

(₹ करोड़ में.)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2022	31.03.2023
1	**केन्द्र सरकार:**		
	आयकर	1,050.02	1,113.14
	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	153.83	154.28
	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	941.66	941.66
	सेवा कर	3.51	10.50
	अन्य	—	—
	उप - कुल	**2,149.01**	**2,219.58**
2	**राज्य सरकार एवं स्थानीय अधिकारी:**		
	अधिशुल्क	2,365.64	2,363.24
	पर्यावरण मंजूरी / होल्डिंग टैक्स	13,568.50	—
	बिक्री कर/वैट	1,452.84	1,282.91
	प्रवेश कर	25.00	25.00
	बिजली शुल्क	88.96	58.54
	एमएडीए	475.37	420.73
	अन्य (पर्यावरण मुआवजा)	—	31.10
	उप - कुल	**17,976.32**	**4,181.52**
3	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम		
	मध्यस्थता कार्यवाही	—	—
	मुकदमेबाजी के तहत कंपनी के खिलाफ मुकदमा	—	—
	अन्य	—	—
	उप- कुल	—	—
	अन्य:		
4	विविध	542.07	537.60
	उप- कुल	**542.07**	**537.60**
	कुल	**20,667.40**	**6,938.70**

II. **गारंटी**

31.03.2023 को जारी बैंक गारंटी: ₹ 476.36 करोड़ (विगत वर्ष 433.11 करोड़ रुपये)।

III. **साख पत्र**

31.03.2023 को बकाया साख पत्र: शून्य (विगत वर्ष शून्य करोड़ रुपये)।

(2) प्रतिबद्धताएं

पूंजी खाते पर निष्पादित होने वाली शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि और 31.03.2023 को प्रदान नहीं की गई: ₹ 5,035.68 करोड़ (विगत वर्ष 3,881.83 करोड़ रुपये)।

31.03.2022 को अन्य प्रतिबद्धताएं: ₹ 4,737.89 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 9,783.74 करोड़)

5. समूह सूचना

नाम	मुख्य गतिविधियाँ	निगमन का देश	इक्विटी ब्याज%	
			31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
कोल इंडिया लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी)	कोयले का खनन एवं उत्पाद	भारत	100 %	100 %
झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (अनुषंगी कंपनी)	झारखंड में रेलवे आधारभूत संरचना का विकास	भारत	64 %	73.67 %

6. अन्य सूचनाएं

(1) प्रावधान

भारतीय लेखा मानक-37 के अनुसार, कर्मचारी लाभ से असंबंधित विभिन्न प्रावधानों की स्थिति, 31.03.2023 को किये गए बीमांकिक रूप से मूल्यांकन, नीचे दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

प्रावधान	01.04.2022 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान जोड़	प्रतिलेखन/समायोजन/ वर्ष के दौरान किया गया भुगतान	रियायत पर छूट	31.03.2023 को अंतिम शेष
नोट 3: संपत्ती, संयंत्र एवं उपकरण:					
परिसंपत्ति पर हानि	62.26	3.93	(0.99)	—	65.50
नोट 4: प्रगति पर पूंजी कार्य:					
सीडब्ल्यूआईपी के खिलाफ:	18.28	3.92	(6.75)	—	15.45
नोट 5: गवेषण एवं मूल्यांकन संपत्ती:					
प्रावधान एवं हानि:	0.46	1.55	—	—	2.01
नोट 8: ऋण					
अन्य ऋण:	—	—	—	—	—
नोट 9: अन्य वित्तीय संपत्ती :					
अन्य जमा एंव प्राप्य उपयोगिताओं के लिए	—	—	—	—	—
सुरक्षा जमा अनुषंगियों के साथ चालू खाता	—	—	—	—	—
दावे एवं अन्य प्राप्य	14.37	—	—	—	14.37
नोट 10: अन्य गैर चालू परिसंपत्ति					
अग्रिम पूंजी	0.08	—	(0.08)	—	0.00
नोट 11: अन्य चालू परिसंपत्ति					
राजस्व के लिए अग्रिम वैधानिक बकाया के	0.89	—	(0.89)	—	—
लिए अग्रिम भुगतान अन्य अग्रिम एवं जमा	21.24	—	(1.79)	—	19.45
नोट 13: व्यापार प्राप्य					
खराब एवं संदेहात्मक ऋणों के प्रावधानः	288.26	92.13	—	—	380.39
नोट 21:- गैर-वर्तमान और वर्तमान प्रावधान:					
एक्स- ग्रेसिया	250.70	258.44	(250.70)	—	258.44
प्रदर्शन संबंधित पारिश्रमिक	178.07	155.55	(65.33)	—	268.29
राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता XI के प्रावधान	—	—	—	—	—
अधिकारी पारिश्रमिक संशोधन के प्रावधान	123.30	1221.28	—	—	1344.58
अन्य	—	—	—	—	—
स्थल बहाली/खान बंदीकरण	982.09	—	(128.38)	75.44	929.15

(2) खंड रिपोर्टिंग

कंपनी मुख्य रूप से कोयले के उत्पादन और बिक्री के एकल खंड के कारोबार में लगी हुई है। ब्याज और अन्य आय से होने वाली आय कुल राजस्व के 10% से कम है, इसलिए इसके लिए कोई अलग खंड मान्यता प्राप्त नहीं है।

(3) प्रति शेयर आय

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	इक्विटी अंशधारकों को आरोप्य कर पश्चात निबल लाभ	2,751.67	1,696.92
(ii)	बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	94 लाख	94 लाख
(iii)	रुपये में प्रति शेयर बेसिक एवं डायलूटेड आय (अंकित मूल्य ₹1000/ - प्रति शेयर)	2,927.31	1,805.23

(4) संबद्ध पार्टी प्रकटीकरण

पोस्ट-एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट फंड:

i. एलआईसीआई के समूह ग्रेच्युटी नकद संचय योजना।

ii. एलआईसीआई के साथ नई समूह ग्रेच्युटी नकद संचय योजना (01.04.2014 के बाद शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए)।

iii. एलआईसीआई के नई समूह छुट्टी नकदीकरण योजना।

iv. कोयला खान भविष्य निधि (सीएमपीएफ)।

v. कार्यकारी ट्रस्ट के लिए अंशदायी सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा योजना

vi. सीआईएल कार्यकारी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना-2007

ए. संबंधित पक्षों की सूची

(i) होल्डिंग कंपनी

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)

(ii) सहयोगी कंपनियां

1. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल)
2. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल)
3. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)
4. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसइसीएल)
5. नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)
6. महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)
7. सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीट्युट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल)

(iii) अनुषंगी कंपनी

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल)

संबंधित पक्षों से लेन-देन

(₹ करोड़ में)

संबंधित पक्षों के नाम	संबंधित पक्षों को ऋण	संबंधित पक्षों से ऋण	शीर्ष शुल्क	पुनर्वास शुल्क	लीज किराया आय	निधि पर ब्याज	आईआईसीएम शुल्क	अन्य / निवेश	चालू खाता शेष (देय/प्राप्य)	बकाया शेष (देय / प्राप्य)
कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)	—	—	179.57	45.02	—	—	—	342.77	(12.47)	—
सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीट्युट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल)	—	—	—	—	—	—	—	227.60	—	146.43
आईआईसीएम् शुल्क	—	—	—	—	—	—	7.62	—	—	1.24
झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल)	—	—	—	—	0.03	—	—	—	—	—

(iv) * मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

नाम	पदनाम	इस तिथि से
श्री मल्लिकार्जुन प्रसाद पोलावरापु	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	01.09.2020
श्री राम बाबू प्रसाद	निदेशक (तकनीकी / संचालन)	15.05.2022
श्री एस.के. गोमस्ता	निदेशक (तकनीकी / यो. परी.)	01.11.2021से 25.10.2022
श्री बी. साईराम	निदेशक (तकनीकी / यो. परी.)	26.10.2022
श्री के.आर. वासुदेवन	निदेशक (वित्त)	01.07.2021 से 09.06.2022
श्री पवन कुमार मिश्रा	निदेशक (वित्त)	10.06.2022
श्री हर्ष नाथ मिश्रा	निदेशक (कार्मिक)	24.08.2022
सुश्री संतोष, उप. महानिदेशक, कोयला मंत्रालय	सरकार के नामित निदेशक	03.01.2022 से 21.02.2023
श्री अजितेष कुमार	सरकार के नामित निदेशक	22.02.2023
श्री बिनय रंजन	सरकार के नामित निदेशक	05.08.2021
श्री रमेश कुमार सोनी	स्वतंत्र निदेशक	01.11.2021
श्री रवि प्रकाश	कंपनी सचिव	13.07.2017 से 30.08.2022
श्री अमरेश प्रधान	कंपनी सचिव	31.08.2022

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अ.प्र.नि., पूर्णकालिक निदेशकों और कंपनी सचिव का पारिश्रमिक	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	**अल्पकालिक कर्मचारी लाभ**		
	सकल वेतन	2.63	1.49
	चिकित्सा लाभ	—	—
	पूर्वकाक्षित अन्य लाभ	—	—
ii)	**रोजगार उपरांत लाभ**		
	पीएफ एवं अन्य निधियों में योगदान	0.17	0.12
	ग्रैच्युइटी का बीमांकिक मूल्यांकन	0.53	0.12
	अवकाश नकदीकरण का बीमांकिक मूल्यांकन	1.34	0.48
	एनपीएस में योगदान	0.09	0.07
iii)	**सेवा समाप्ति/सेवानिवृत्ति लाभ**	0.00	0.79
	कुल	**4.76**	**3.07**

टिप्पणी: उपरोक्त के अलावा, पूर्णकालिक निदेशकों को सेवा शर्तों के अनुसार 2000 रुपये प्रति माह के भुगतान पर 1000 किलोमीटर की सीमा तक निजी यात्रा के लिए कंपनी की कारों का उपयोग करने की अनुमति दी गई है।

स्वतंत्र निदेशकगणों को भुगतान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्वतंत्र निदेशकगणों को भुगतान	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	सिटींग शुल्क	0.09	0.21

31.03.2023 को मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के पास अधिशेष

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
i)	देय राशि	—	—
ii)	प्राप्य राशि	—	—

(5) हाल के लेखांकन घोषणाएं

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत मौजूदा मानकों समय-समय पर जारी में नए मानक या संशोधन को अधिसूचित करता है। 31 मार्च, 2023 को, एमसीए के माध्यम से कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2023 में संशोधन किया, जो 1 अप्रैल, 2022 से लागू है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और इसके वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।:

- भारतीय मानक लेखा 1 - वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति - इस संशोधन के तहत कंपनियों को अपनी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के बजाय अपनी सामग्री लेखांकन नीतियों का खुलासा करने की आवश्यकता थी। कम्पनी ने इस संशोधन से अपने वित्तीय विवरणी पर किसी प्रकार का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं की है ।
- भारतीय मानक लेखा 8 - लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन एवं त्रुटियां - इस संशोधन ने 'लेखा अनुमान' की एक परिभाषा पेश की है तथा भारतीय मानक लेखा 8 में संशोधन कर कंपनियों को लेखांकन अनुमानों में हुए परिवर्तन से लेखांकन नीतियों में हुए परिवर्तन को अलग करने में मदद प्रदान किया है। कम्पनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और यह पाया की इसके कम्पनी के समेकित वित्तीय विवरणों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
- भारतीय मानक लेखा 12 - आयकर - इस संशोधन ने प्रारंभिक मान्यता छूट के दायरे को सीमित कर दिया है ताकि यह समान और अस्थायी अंतर वाले लेन-देन पर लागू न हो । कम्पनी ने इस संशोधन से अपने वित्तीय विवरणी पर किसी प्रकार का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं की है

(6) अनुषंगी कंपनियों की ओर से कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा क्रय सामग्री

मौजूदा पद्धति के अनुसार, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अनुषंगी कंपनियों के लिए क्रय सामग्री की गणना उस अनुषंगी कंपनी के लेखा में सीधे तौर पर किया जाता है।

(7) बीमा एवं बढ़ोतरी दावा

बीमा तथा बढ़ोतरी दावों को प्रवेश/अंतिम निपटारे के आधार पर लेखाकृत किया जाता है।

(8) लेखा में किया गया प्रावधान

धीमी-चलन/स्थिर/पुराने भंडारों, प्राप्य दावे, भविष्यों, संदेहात्मक ऋण इत्यादि के विरूद्ध किए गए प्रावधानों को संभावित हानियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझा जाता है।

(9) चालू परिसंपत्ति, ऋण एवं अग्रिम इत्यादि

प्रबंधन के राय में, स्थायी-परिसम्पत्तियों के अलावा दूसरी परिसम्पत्तियों तथा गैर-मौजूदा निवेशकों में, व्यवसाय के साधारण प्रक्रिया द्वारा प्राप्त वसूली पर एक मान होता है जो कि कम से कम उस राशि के बराबर होता है जिसपर वे लिखे गए हैं।

(10) चालू देयताएं

जहाँ वास्तविक देयताएं, मापे नहीं जा सकते वहां अनुमानित देयता दिए गए हैं।

(11) शेष पुष्टिकरण

नगद एंव बैंक बैलेंस, निश्चित श्रेणी एवं अग्रिमों, दीर्घकालीन देयताएं तथा मौजूदा देयताओं के लिए शेष पुष्टिकरण/समन्वय किया जाता है।

(12) महत्वपूर्ण लेखांकन नीति

कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीति (टिप्पणी -2) का मसौदा तैयार किया गया है (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के अंतर्गत, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (इंड ए ए स) के अनुसार किया गया है।

(13) लीज

i) पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को लीज एग्रीमेंट के तहत कंपनी की 15.50 एकड़ जमीन के इस्तेमाल का अधिकार दिया गया है। परिसंपत्ति की सकल वहन राशि की लागत 7.90 करोड़ ₹ (वि.व. 7.90 करोड़ रुपये) और उस पर प्रगतिशील मूल्यह्रास 7.90 करोड़ (वि. व. ₹ 7.90 करोड़) रुपये है और अवलिखित मूल्य शून्य ₹ (वि. व. शून्य ₹) है। लीज की शेष अवधि के लिए कुल प्राप्य भावी न्यूनतम लीज भुगतान ₹ 2.58 करोड़ है। प्राप्य भावी लीज भुगतानों का विवरण इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
(I)	एक वर्ष तक	0.21	0.19
(II)	एक साल से ज्यादा पर पांच साल से कम	0.86	0.77
(III)	पांच सालों से ज्यादा एवं लीज के अवधि तक	1.51	1.83
	कुल	**2.58**	**2.79**

ii) लीज समझौते के तहत ईआईपीएल को कंपनी की भूमि पर कब्जा करने और उसका इस्तेमाल करने का अधिकार दिया गया है। परिसंपत्ति की सकल वहन राशि की लागत 4,968 ₹ (वि.व. 4,968 रुपये) और उस पर प्रगतिशील मूल्यह्रास 4,968 (वि. व. ₹ 4,968) रुपये है और अवलिखित मूल्य शून्य ₹ (वि. व. शून्य ₹) है। लीज की शेष अवधि के लिए कुल प्राप्य भावी न्यूनतम लीज भुगतान ₹ 0.90 लाख है। प्राप्य भावी लीज भुगतानों का विवरण इस प्रकार है:

(14) खंड रिपोर्टिंग

भारतीय लेखा मानक 108 'परिचालन खंड' के प्रावधानों के अनुसार, जिसके तहत संसाधनों को आवंटित करने और उनके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए बोर्ड द्वारा उपयोग की जाने वाली आंतरिक रिपोर्ट के आधार पर खंड सुचना को प्रस्तुत करने के लिए परिचालन खंड का उपयोग किया जाता है। भारतीय लेखा मानक 108 के अर्थ में, बोर्ड एक मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता का समूह है।

बोर्ड ने महत्वपूर्ण उत्पाद की पेशकश की संभावना से एक व्यवसाय पर विचार किया एवं फैसला लिया है कि वर्तमान में, कोयला की बिक्री के लिए एकल रिपोर्ट ही योग्य खंड है। वित्तीय प्रदर्शन एवं परिसंपत्तियों की जानकारी लाभ एवं हानि और बैलेंस शीट के समेकित विवरण के रूप में प्रस्तुत की गयी है।

गंतव्य के अनुसार राजस्व इस प्रकार है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	भारत	अन्य देश
राजस्व (निबल)	15,226.21	शून्य

ग्राहक अनुसार राजस्व इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

10% से अधिक राजस्व (निबल) वाले ग्राहक के नाम	राशि	देश
ग्राहक- 1	2,236.34	भारत
ग्राहक- 2	1,511.43	
अन्य	11,678.44	
कुल राजस्व (निबल)	**15,226.21**	

स्थान अनुसार चालू परिसंपत्तियां इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	भारत	अन्य देश
चालू परिसम्पत्तियां	11,883.25	शून्य

(15) असंकलित राजस्व सूचना

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
माल या सेवा के प्रकार		
- कोयला	15,226.21	12,352.13
- अन्य	—	—
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल राजस्व	**15,226.21**	**12,352.13**
ग्राहकों के प्रकार		
- बिजली क्षेत्र	9,658.51	8,444.78
- गैर-बिजली क्षेत्र	5,567.70	3,907.35
- अन्य या सेवाएं (सीएमपीडीआईएल)	—	—
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल राजस्व	**15,226.21**	**12,352.13**
संविदा के प्रकार		
- एफएसए	11,522.80	10,053.58
- ई-नीलामी	3,703.41	2,298.55
- अन्य	—	—
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल राजस्व	**15,226.21**	**12,352.13**
माल या सेवाओं का समय		
- एक समय में स्थानांतरित माल	15,226.21	12,352.13
- समय के दौरान स्थानांतरित माल	—	—
- एक समय में स्थानांतरित सेवाएं	—	—
- समय के दौरान हस्तांतरित सेवाएं	—	—
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल राजस्व	**15,226.21**	**12,352.13**

(16) अनुपात

अनुपात	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
चालू अनुपात	1.30	1.34
इन्वेंट्री पण्यावर्त अनुपात	11.49	9.36
प्राप्य पण्यावर्त अनुपात	5.32	5.51
व्यापार देय पण्यावर्त अनुपात	2.19	1.87
निवल पूँजी पण्यावर्त अनुपात	1.63	1.56
निवल लाभ अनुपात (%)	18.07	13.74
नियोजित पूंजी पर वापसी	0.22	0.15
इक्विटी पर वापसी (आरओई)	0.29	0.21
निवेश पर वापसी (आरओई)		
(क) असूचीबद्ध सहायक कंपनियों में इक्विटी निवेश पर आरओआई	-	-
(ख) म्युचुअल फंड पर आरओआई	0.07	0.28
(ग) जमाओं पर आरओआई (बैंकों, वित्तीय संस्थानों सहित आईसीडी सहित)	0.06	0.04

वर्तमान अनुपात: वर्तमान अनुपात तरलता अनुपात है जो वर्तमान संसाधनों को अपने अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने के लिए मापन करता है। चालू अनुपात की गणना चालू परिसंपत्तियों को चालू देनदारियों से भाग देकर की गई है।

इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात: इन्वेंटरी टर्नओवर एक वित्तीय अनुपात है जो दर्शाता है कि किसी निश्चित अवधि के दौरान कितनी बार इन्वेंट्री बेची गई है। इन्वेंटरी टर्नओवर की गणना बेची गई वस्तुओं की विभाजित लागत / इन्वेंटरी के औसत मूल्य द्वारा की जाती है। जहां, बेचे गए माल की लागत = (कुल व्यय - वित्त लागत - बट्टे खाते में डालना- प्रावधान - कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय- स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन) होती है।

प्राप्य टर्नओवर अनुपात: प्राप्य टर्नओवर अनुपात एक लेखा उपाय है जिसका उपयोग कंपनी के प्राप्य खातों, या ग्राहकों द्वारा बकाया धन को इकट्ठा करने में प्रभावशीलता को मापने के लिए किया जाता है। खाता प्राप्य टर्नओवर = सकल क्रेडिट बिक्री / औसत व्यापार प्राप्य।

व्यापार देयता टर्नओवर अनुपात: व्यापार देयता टर्नओवर दर्शाता है कि एक कंपनी कितनी बार अपने खातों को एक अवधि के दौरान देयता का भुगतान करती है। व्यापार देयता टर्नओवर अनुपात = कुल खरीद / औसत व्यापार देय)।

निबल पूंजी टर्नओवर: निबल पूंजी टर्नओवर वह उपाय है जो व्यवसाय में नियोजित पूंजी के उपयोग के संबंध में संगठन की दक्षता को दर्शाता है और इसकी गणना स्टॉकहोल्डर की इक्विटी (शेयर कैपिटल + अन्य इक्विटी) की कुल राशि से विभाजित कुल वार्षिक कारोबार के अनुपात के रूप में की गई है।)

निबल लाभ अनुपात: शुद्ध बिक्री के प्रतिशत के रूप में शुद्ध लाभ।

नियोजित पूंजी पर वापसी: ब्याज और पाठ से पहले की कमाई (ईबीआईटी) / नियोजित पूंजी जहां नियोजित पूंजी कुल संपत्ति-वर्तमान देनदारियां है।

इक्विटी पर रिटर्न अनुपात: इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) औसत शेयरधारक की इक्विटी द्वारा शुद्ध आय को विभाजित करके गणना की गई वित्तीय प्रदर्शन का एक उपाय है। जहां शुद्ध आय अवधि के लिए कर पश्चात लाभ है, औसत शेयरधारक की इक्विटी = (ओपनिंग इक्विटी + क्लोजिंग इक्विटी)/2

निवेश पर प्रतिलाभ: निवेश पर प्रतिलाभ (आरओआई) एक वित्तीय अनुपात है जिसका उपयोग कंपनी द्वारा उसकी निवेश लागत के संबंध में प्राप्त लाभ की गणना के लिए किया जाता है। जितना अधिक अनुपात, उतना अधिक लाभ अर्जित किया गया।

I. इक्विटी निवेश पर आरओआई असूचीबद्ध अनुषंगियों: अंशदान की इक्विटी में लाभांश/औसत निवेश।

II. म्यूचुअल फंड पर आरओआई = लाभांश + पूंजीगत लाभ + उचित मूल्य लाभ (हानि) / औसत निवेश।

III. जमा पर आरओआई (बैंक के साथ, आईसीडी सहित एफडी) = ब्याज आय / औसत निवेश।

7. सामान्य

7.1 कर अधिकारियों से कर की वसूली/समायोजन को नकद आधार पर लेखाकृत किया जाता है। आयकर, रॉयल्टी, सेस, विक्रय कर, प्रवेश कर इत्यादि के लिए अतिरिक्त माँग को अंतिम आदेश के प्राप्ति के बाद लेखाकृत किया जाता है अन्यथा इसे छोड़कर भारतीय लेखा मानक- 37 में मान्यता नहीं दी जाती है।

7.2 (क) ईआईपीएल द्वारा स्व-निर्माण एवं संचालन (बीओओ) के तर्ज पर, रजरप्पा और गिद्दी कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र के पूंजीकरण मूल्यांकन पर लम्बे समय से लंबित विवाद चला आ रहा है एवं अपीलीय ट्रायब्युनल के द्वारा विधिवत पुष्टिकृत झारखंड राज्य विद्त नियामक कमीशन की दिनांक 31.07.2009 के आदेश के विरूद्ध कंपनी द्वारा उच्चतम न्यायालय में दायर किए गए 2009 के सिविल अपील संख्या 7403 के तहत विवाद अभी लंबित है।

(ख) (ख) उक्त अपील में पारित माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 14.09.12 और 23.11.12 के अंतरिम आदेशों के अनुसरण में, कंपनी पर वित्त वर्ष 2012-13 में 31/03/2008 तक समाप्त होने वाली अवधि के लिए 94.33 करोड़ रुपये की देयता थी और उचित कटौती करने के बाद ईआईपीएल को 83.03 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया था। पुनः माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार 20.11.13 तथा 10.01.14 को क्रमशः रु. 75 करोड़ एवं रु. 25 करोड़ तर्द्र भुगतान के रूप में दिया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार अप्रैल, 2008 सं मार्च, 2014 तक की पुररीक्षित देय राशि की गणना जेएसइआरसी के द्वारा मार्च, 08 तक के पुनरीक्षित शुल्क के निर्धारण के लिए अपनायी गई पद्धति के आधार पर किया गया था। तदनुसार, वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान ऊपर बताए अनुसार ₹94.33 करोड़ के अलावा ₹23.25 करोड़ की अतिरिक्त राशि प्रदान की गई। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2014-15 और वित्त वर्ष 2015-16 के लिए प्रदान की गई अतिरिक्त देनदारी क्रमशः3.26 करोड़ रुपये और 0.26 करोड़ रुपये है।

(i)	मार्च'08 तक की अवधि के लिए अंतरीय शुल्क- जिसके संबंध में 2012-13 के वित्तीय विवरण में देयता का प्रावधान किया गया है।	₹ 94.33 करोड़
(ii)	अप्रैल'08 से मार्च'14 तक के लिए अंतरीय शुल्क जिसके संबंध में वर्ष 2013-14 में देयता का प्रावधान किया गया है।	₹ 23.25 करोड़
(iii)	ऊर्जा शुल्क समझी गयी के संबंध में रखी पुरानी राशि	₹ 31.36 करोड़
(iv)	वर्ष 2014-15 के लिए अंतरीय शुल्क	₹ 3.26 करोड़
(v)	वर्ष 2015-16 के लिए अंतरीय शुल्क (ए/सी - रजरप्पा क्षेत्र)	₹ 0.26 करोड़
	Total	**₹ 152.46 करोड़**
(vi)	घटाव: तदर्थ भुगतान (माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार)	₹ 183.03 करोड़
(vii)	निबल शेष राषि (नोट - 9 में 'अन्य प्राप्य' मद में दिखाया गया है)	₹ 30.57 करोड़

तथापि, ईआईपीएल ने दिनांक 17092012 को कुल 30263 करोड़ रुपए की मांग प्रस्तुत की है जिसमें विलंबित भुगतान पर ब्याज के रूप में 13420 करोड़ रुपए शामिल हैं जो पीपीए के अधिकार क्षेत्र से बाहर है क्योंकि उक्त पीपीए में विलंबित भुगतान पर कभी सहमति नहीं हुई थी। विलंबित भुगतान को छोड़कर ईआईपीएल की कुल मांग 168.43 करोड़ रुपये है, जबकि, कंपनी ने पहले ही 183.03 करोड़ रुपये का तदर्थ भुगतान जारी कर दिया है, जैसा कि ऊपर बताया गया है। यह मामला अभी भी माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है।

(3) ईआईपीएल के साथ किए गए बिजली खरीद समझौता के धारा 1.18.3 के अनुसार, संबंधित पावर प्लांट के शुरू होने के 1 साल के समाप्त होने की तिथि से, ईंधन लागत में परिवर्तन के कारण शुल्क के ईंधन अवयवों की वृद्धि/कमी का निर्धारण किया जाएगा। पीपीए के धारा 1.14 के अनुसार रिजेक्ट्स का प्रारंभिक शुल्क ₹ 90 प्रति टन था।

तदनुसार, पीपीए के धारा 1.18.3 के अनुसार गमना की गई थी एवं वर्ष 2013-14 के लिए वित्तीय विवरण में, ईंधन की लागत में बढ़ोतरी के कारण किए गए पुनरीक्षीत शुल्क पर देय अतिरिक्त शुल्क के साथ, रिजेक्ट्स के मूल्य में पुनरीक्षण के कारण प्राप्य होने योग्य अतिरिक्त राजस्व को निबल छूट पश्चात मान्यता दी गई थी तथा ईआईपीएल के लिए पूरक बिल भी प्रस्तुत किया गया था।

बाद में, वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान विक्रय एवं विपणन विभाग के सीसीएल स्टैण्डीय समिति के सिफारिश के आधार पर

रिजेक्ट्स के मूल्य को पुनरीक्षित किया गया था तथा उसे ईआईपीएल के निदेशक (संचालन) को दिनांक 17.11.2014 के पत्रांक GM(E&M)/DLF/14/ 3530-36 के माध्यम से सूचित किया गया था। पत्र के अनुसार जुलाई 2000 से दिसंबर, 2011 की अवधि के 01.01.2012 के पहले लागू युएचवी सिस्टम की प्राइसिंग के तहत न्यूनतम ग्रेड वाले जेड ग्रेड स्लैक कोल को डीएलएफ लिमिटेड से चार्ज किया जाएगा। उपरोक्त पत्र के निर्गत होने के पश्चात, विक्रय बिल तथा पावर शुल्क संशोधित किया गया है।

31.03.2016 को रिजेक्ट्स की आपूर्ति के बदले ईआईपीएल से प्राप्त होने योग्य राशि का मूल्य, बढ़े हुए शुल्क के समायोजन के पश्चात, ₹ 38.69 करोड़ है। इसके अलावा वर्ष 2016-17 में 1.64 करोड़ रुपये का प्रावधान बनाया गया था, जिससे कुल प्रावधान ₹ 40.33 करोड़ हो गए हैं। उसके भुगतान नहीं होने के कारण, निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

दिनांक 8 फरवरी, 1993 के पावर खरीद समझौता के धारा 2.6 के अनुसार समझौते के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में, उसे मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सीआईएल तथा इआईपीएल को एक दूसरे के साथ स्वीकार्य मध्यस्थ के पास एक मात्र मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। उत्पन्न स्थिति यह है कि समझौते में शामिल दोनों पार्टियों मध्यस्थ के नियुक्ति के लिए एक मत नहीं हो पाते हैं, जिसके बाद याचिकाकर्ता (सीसीएल) के पास मध्यस्थता एवं समझौता अधिनियम, 1996 के सेक्शन 11(6) के तहत दी गई शक्तियों के पालन में मध्यस्थ के नियुक्ति हेतु माननीय उच्च न्यायालय के पास जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। मध्यस्थता आवेदन 7 अप्रैल, 2016 को दायर की गई है। इस मामले की वर्तमान वस्तु स्थिति यह है कि वर्ष 2017-18 में समझौता दावे के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विज्ञ मध्यस्थ की नियुक्ति की है और उक्त मामला विज्ञ मध्यस्थ के समक्ष लंबित है।

7.3 अवधि के दौरान चोरी हुए सामानों की कीमत ₹ 0.25 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 0.25 करोड़) रूपए है।

7.4 झारखंड राज्य में रेलवे अवसंरचना कार्यों के विकास, वित्तपोषण और कार्यान्वयन के लिए सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल), इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) और झारखंड सरकार (जीओजे) के बीच दिनांक 07.05.2015 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत 31.08.2015 को "झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड" (जेसीआरएल) नामक एक सहायक कंपनी को 5.00 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी के साथ शामिल किया गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 500.00 करोड़ रुपये कर दिया गया है। समझौता ज्ञापन के अनुसार, सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार का प्रतिबद्ध इक्विटी शेयर होल्डिंग पैटर्न क्रमशः 64%, 26% और 10% है। बैलेंस शीट की तारीख तक, जेसीआरएल ने कंपनी को ₹ 64.63 करोड़, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को ₹ 26.26 करोड़ और झारखंड सरकार को ₹ 10.10 करोड़ के शेयर आवंटित किए हैं और इस प्रकार 31.03.2023 को जेसीआरएल की प्रदत्त पूंजी ₹ 100.99 करोड़ है।

सीसीएल ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के अनुपालन के लिए अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अलावा समेकित वित्तीय विवरण भी तैयार किया है।

31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए जेसीआरएल ने ₹ 8.13 करोड़ [PY ₹ 3.03 करोड़] का कर पूर्व लाभ अर्जित किया है।

7.5 स्टोर लेखा परीक्षकों द्वारा उचित अंतराल पर स्टोर और स्पेयर की सूची का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। मार्च-2022 के लिए सत्यापन पूरा हो चुका है।

7.6 क) कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के तहत कोयला ब्लॉक कोटरे बसंतपुर और पंचमो कोयला ब्लॉक के आवंटन के लिए कोल इंडिया लिमिटेड और भारत के राष्ट्रपति के साथ किए गए समझौते के परिणामस्वरूप, और खदानों के संचालन और वाणिज्यिक उपयोग के लिए सीसीएल को बाद में आवंटन, कंपनी (सीसीएल) ने अग्रिम शुल्क का 75% यानि ₹ 30.97 करोड़ और निश्चित राशि ₹ 9.91 करोड़ सुरक्षा जमा के रूप में जमा कर दी है तथा ₹ 286.14 करोड़ की राशि बैंक गारंटी (प्रदर्शन सुरक्षा) नामांकित प्राधिकारी के नामित बैंक खाते में जमा कर दी गई है। नोट-5 में ₹ 40.88 करोड़ (अग्रिम शुल्क ₹ 30.97 करोड़ और सुरक्षा जमा ₹ 9.91 करोड़) एक्सप्लोरेशन इवैल्यूएशन एसेट्स के अंतर्गत दिखाई दे रहा है। चूंकि तीसरी किस्त के भुगतान के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों की शर्तें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, इसलिए शेष राशि ₹ 10.33 करोड़ को पूंजीगत प्रतिबद्धता के तहत दिखाया गया है।

B) अन्य बैंक गारंटी:

क्र सं	के पक्ष में	परियोजना एवं क्षेत्र	राशि (करोड़ में)
(i)	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की दिनांक 14.03.2017 की अधिसूचना के अनुपालन में सदस्य सचिव, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सिलेक्टेड (चयनित) ढोरी जीओएम, ढोरी क्षेत्र	140.9
(ii)	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की दिनांक 14.03.2017 की अधिसूचना के अनुपालन में सदस्य सचिव, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	कारो ओसीपी, बो एवं क क्षेत्र	4.87
(iii)	सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति उपकेंद्र, चतरा जेबीवीएनएल लोड स्वीकृति आदेश संख्या 1957/ईएसई (एस) हजारीबाग दिनांक 22.11.2019 एवं 1955/ईएसई (एस) हजारीबाग दिनांक 22.11.2019 को विद्युत अधीक्षक अभियंत्रण विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, विभाग हज़ारीबाग द्वारा जारी किया गया।	आम्रपाली ओसीपी, आम्रपाली एवं चन्द्रगुप्त क्षेत्र	0.54
(iv)	सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति उपकेंद्र, चतरा जेबीवीएनएल लोड स्वीकृति आदेश संख्या 2259/ईएसई डाल्टनगंज दिनांक 28.11.2019 को विद्युत अधीक्षक अभियंत्रण विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, विभाग डाल्टनगंज द्वारा जारी किया गया।	मगध ओसीपी, मगध एवं संघमित्रा क्षेत्र	0.27
(v)	सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा निवारण योजना एवं प्राकृतिक एवं सामुदायिक संसाधन संवर्धन योजना के क्रियान्वयन के विरूद्ध	कथारा ओसीपी, कथारा क्षेत्र	20.33

7.7 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206 (सी) के अंतर्गत आयकर विभाग की मांग के विरुद्ध रु.106.56 करोड़ रुपये की राशि के लिए, विभाग ने कंपनी के बैंक खाते को जोड़कर रु.71.79 करोड़ एकत्र किए हैं और कंपनी द्वारा शेष राशि 34.77 करोड़ जमा किया गया है। बदले में कंपनी ने ग्राहकों से तुलन पत्र की तारीख तक रु.77.53 करोड़ रुपये वसूले हैं एवं रु.27.99 करोड़ रुपये की शेष राशि वसूली की प्रक्रिया में है।

इसके बाद, सीआईटी (ए) द्वारा मामले का निपटारा किया गया और उक्त आदेश के खिलाफ सीसीएल ने आईटीएटी के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी क्योंकि सीआईटी (ए) द्वारा जारी आदेश प्रकृति में गैर-भाषी था। आईटीएटी ने 23.01.2023 के अपने आदेश में सीसीएल के पक्ष में फैसला दिया और सीसीएल द्वारा उठाए गए सभी आधारों को अनुमति दी।

7.8 सीसीएल, मेसर्स सेल और आरआईएनएल को सीसीएल और सेल/आरआईएनएल के बीच दर्ज किए गए एमओयू (समझौता ज्ञापन) में पारस्परिक रूप से सहमत मूल्य पर वॉश्ड मीडियम कोकिंग कोल (डब्ल्यूएमसीसी) की आपूर्ति करता था, जिस पर सीसीएल और सेल (स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड)/आरआईएनएल (राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जिसे विजाग स्टील भी कहा जाता है) के प्रतिनिधियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए थे। निष्पादित किया गया अंतिम समझौता ज्ञापन वित्त वर्ष 2016-17 के लिए अर्थात 31.03.2017 तक वैध था और वित्त वर्ष 2016-17 के लिए लागू सहमत मूल्य 5,780 रुपये प्रति टन था। सीआईएल (कोल इंडिया लिमिटेड) के निर्देश के अनुसार, सीसीएल ने सरकार की नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) द्वारा परिकल्पित आयात समता के सिद्धांत पर विचार करते हुए डब्ल्यूएमसीसी के मूल्य को अधिसूचित किया। हालाँकि, SAIL और RINL दोनों ने उक्त मामले में अपनी चिंताओं को उठाया था अर्थात सहमत मूल्य तंत्र के विपरीत एकतरफा मूल्य संशोधन। इसके बाद, इन पक्षों (सीसीएल, सेल और आरआईएनएल) के बीच चर्चा सहित कई पत्रों का आदान-प्रदान किया गया है, लेकिन उक्त मामले में कोई सहमति नहीं बन पाई है।हालाँकि, उक्त मामले में कई दौर के अनुनय के बाद 28/07/2018 से 6,500/- रुपये प्रति टन की दर से पारस्परिक रूप से सहमत ad-hoc (तदर्थ) मूल्य लागू किया गया है और एक स्वतंत्र एजेंसी की सिफारिश पर आयात समता मूल्य तंत्र पर मूल्य निर्धारण लागू करने पर सहमति व्यक्त की गई है। हालाँकि उक्त मामले में आज तक कोई ठोस प्रगति नहीं हो सकी है।

7.9 सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार ने अपने पत्र संख्या. 5/Sa.Bhu (CCL) Ramgarh- 303/2012-519 (5)/Ra. दिनांक 07.02.2020 द्वारा अध्यक्ष को कोल इंडिया लिमिटेड ने सीसीएल के कमान क्षेत्र अंतर्गत 36179.30 एकड़ सरकारी भूमि के विरूद्ध 26218.15 करोड़ रुपये की मांग की है। मांग में पट्टा अवधि के लिए भूमि की पट्टा बंदोबस्ती के रूप में किराया, उपकर और सलामी शामिल है।

सीसीएल द्वारा भूमि का अधिग्रहण केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सीबीए (ए-डी) अधिनियम, 1957 की धारा 9(1) के तहत किया जाता है और सीबीए (ए एंड डी) अधिनियम, 1957 की धारा 12 के तहत भौतिक कब्जा लिया जाता है जो सभी भारों से मुक्त है। तदनुसार, सीसीएल राज्य सरकार द्वारा उठाई गई मांग से सहमत नहीं था। हालांकि, कंपनी कोयला धारित क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 में धारा 13(5) के प्रावधानों के अनुसार, सरकारी जमीन के खिलाफ झारखण्ड सरकार को वर्तमान ग्रामीण कृषि सर्कल दर पर भूमि मुआवजे का भुगतान करने के लिए सहमत है। 5,392.75 एकड़ सरकारी भूमि के लिए वर्तमान

ग्रामीण कृषि दर के आधार पर भूमि मुआवजे के लिए अस्थायी दायित्व 778.62 करोड़ रुपये आता है और सीसीएल ने 1448.86 करोड़ रुपये का तदर्थ भुगतान कर दिया है। जिला अधिकारियों द्वारा सत्यापन के मध्यधीन 778.62 करोड़ रुपये की संभावित देयता, को पीपीई के तहत अन्य भूमि के रूप में पूंजीकृत किया गया है (वित्तीय विवरणों के नोट -3 को देखें) I).

7.10 7.10 रेलीगढ़ा खुली खदान के संबंध में सीटीओ और सीटीई की स्वीकृति लंबित होने के कारण, लाईयो-झारखंड ओसी ओबीआर लेखांकन को संशोधित स्ट्रिपिंग अनुपात के अनुसार नहीं माना गया है, और चूंकि केदला ओपन कास्ट परियोजना में कोई उत्पादन नहीं हुआ है, इसलिए ओबीआर लेखांकन नहीं किया गया है।

प्रबंधन द्वारा 2022-23 को देय खानों के स्ट्रिपिंग अनुपात में संशोधन शुरू किया गया है और इस तरह के संशोधन का तकनीकी मूल्यांकन प्रक्रियाधीन है।

7.11 कंपनी द्वारा 0 से 3 किमी की लीड रेंज के लिए लगाए जाने वाले भूतल परिवहन शुल्क पर एनटीपीसी के कुछ संयंत्रों ने विवाद किया है। सीसीएल विवाद के समाधान के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के माध्यम से एएमआरसीडी में भेज दिया गया है। कोल इंडिया ने अपने पत्र संख्या सीआईएल/एमएंडएस/22-23/389 दिनांक 10.10.2022 के माध्यम से एएमआरसीडी बैठक को शीघ्र निर्धारित करने के लिए कोयला मंत्रालय के समक्ष मुद्दा उठाया है। चूंकि मामला एएमआरसीडी के पास लंबित है, इसलिए 1.94 करोड़ रुपये की विवादित राशि के लिए किसी प्रावधान पर विचार नहीं किया गया है।

7.12 सीसीएल ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अंतरिम लाभांश के रूप में 600.66 करोड़ रुपये का भुगतान किया है (पीवाई 2021-22 अंतरिम लाभांश के रूप में 404.20 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अंतिम लाभांश के रूप में 423.00 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है)। निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 423.00 करोड़ रुपये के अंतिम लाभांश का प्रस्ताव/अनुशंसा की, जिसे वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन पर वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान मालिकों को वितरण के रूप में मान्यता दी जाएगी। प्रति शेयर लाभांश की राशि अंतरिम लाभांश के रूप में 639/- रुपये और प्रस्तावित अंतिम लाभांश के रूप में 450/- रुपये है, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रति शेयर कुल 1089/- रुपये (प्रति शेयर अंतरिम लाभांश की राशि 430/- रुपये और अंतिम लाभांश के रूप में 450/- रुपये प्रति शेयर, कुल 880/- प्रति शेयर)।

अन्य

i. जहां आवश्यक समझे गए हैं, पिछले वर्ष के आंकड़े को फिर से व्यवस्थित और पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

ii. नोट नंबर 3 से 38 में पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक में हैं।

iii. टिप्पणी-1 और 2 क्रमशः कॉर्पोरेट सूचना और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 31 मार्च, 2022 तक तुलन पत्र के भाग 3 से 23 तक के हिस्से हैं एवं उस तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि के विवरण का टिप्पणी 24 से 37 के हिस्से हैं। टिप्पणी- 38 वित्तीय विवरणों में अतिरिक्त टिप्पणियों का प्रतिनिधित्व करता है।

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

कृते **एसपीएएन एन्ड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या 302192E)

ह/-
(सीए. के. चक्रवर्ती)
पार्टनर
सदस्यता सं 015363

निदेशक मंडल के लिए एवं उसकी ओर से

ह/-
(पी एम प्रसाद)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08073913

ह/-
(पवन कुमार मिश्रा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन- 09665365

ह/-
(राजेन्द्र सिंह)
महाप्रबंधक (वित्त)

ह/-
(अमरेश प्रधान)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं F11264

स्थान: रांची
दिनांक: 27 अप्रैल, 2023

सांविधिक लेखा-परीक्षक प्रतिवेदन पर प्रबंधन का उत्तर
वित्त वर्ष 2022-23 (स्टैंडअलोन)

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
प्रति, सदस्यगण सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	
भारतीय लेखा मानक के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लेखांकन पर प्रतिवेदन अभिमत भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार के लेखा पृच्छा के आधार पर, यह पुनरीक्षित लेखा प्रतिवेदन (कंपनी अधिनियम,2013 के 143(5) के तहत अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताएँ प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'ए' के परिच्छेद 1, भाग-1, क्रम संख्या -I, अतिरिक्त निर्देश पर प्रतिवेदन, भाग- II, क्रम स. 02 तथा 03) का निर्माण 27 अप्रैल 2023 के पूर्व प्रतिवेदन के बदले में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अवलोकन के आलोक में अनुपालन हेतु तैयार किया जा रहा है। हमने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (इसमें इसके पश्चात "नियंत्रक कंपनी") एवं इसकी अनुषंगी की संलग्न स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी का अंकेक्षण किया है जिसमें 31 मार्च, 2023 तक का तुलन-पत्र, लाभ तथा हानि विवरणी (अन्य व्यापक आय सहित), विवेच्य वर्ष के अंत तक नगदी-प्रवाह विवरणी और इक्विटी परिवर्तन विवरणी, तथा महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश तथा अन्य विवरणात्मक सूचनाओं सहित भारतीय लेखा मानक के स्टैंडअलोन विवरणी पर नोट सम्मिलित है (आगे "वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित) जिसमें उक्त तिथि पर समाप्त वर्ष का वार्षिक रिटर्न जिसे कंपनी ने कथारा, ढोरी, गिरिडीह, बोकारो एवं करगली, उत्तरी कर्णपुरा, पिपरवार, मगध एवं संघमित्रा, आम्रपाली एवं चंद्रगुप्त, रजहरा, चरही क्षेत्रों का अंकेक्षण शाखा/क्षेत्रीय अंकेक्षकों द्वारा किया गया है एवं शेष पांच (5) हमारे द्वारा अंकेक्षित किया गए हैं। हमारे मत में व हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमे प्रदत्त स्पष्टीकरण अनुसार, उपरोक्त स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी में दी गयी जानकारी अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुरूप अपेक्षित है एवं सामान्य रूप से भारत में स्वीकृत अंकेक्षण सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष तक कंपनी की स्टैंडअलोन लाभ/हानि, स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह और उक्त तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष में इक्विटी परिवर्तन की स्टैंडअलोन दशा पर सत्य व उचित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। **अभिमत का आधार** हमारा अंकेक्षण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा परीक्षण मानक (एसएएस) के अनुरूप है। उक्त मानकों के अनुसार हमारे प्रतिवेदन के वित्तीय विवरण अनुभाग में स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के अंतर्गत अंकेक्षक की जिम्मेदारियों में हमारी जिम्मेदारियां वर्णित है। आईसीएआई आचार संहिता के अनुसार हम स्वतंत्र निकाय हैं, एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं नियमों के अनुसार स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के अंकेक्षण की आवश्यकताअनुसार हमने एक आचार संहिता के अनुरूप अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को निर्वहन किया है। हमारा मानना है कि जो अंकेक्षण साक्ष्य हमें प्राप्त हुए है वो अभिमत-आधार हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।	

<table>
<tr><th>लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन</th><th>प्रबंधन का उत्तर</th></tr>
<tr><td>मामलों की प्रमुखता
निम्नलिखित मामलों पर हम ध्यान आकर्षित कराते हैं:
(क) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां (नोट संख्या 11), अन्य गैर-चालू संपत्ति (नोट संख्या 10), व्यापार देय (नोट संख्या 19), अन्य वित्तीय देनदारियां (नोट संख्या 20) एवं अन्य वर्तमान देनदारियां (नोट संख्या 23) पुष्टि के अधीन हैं।
इस मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।</td><td>पार्टियों को व्यापर प्राप्ति, व्यापार के भुगतान और अग्रिमों के सम्बन्ध में बैलेंस पुष्टिकरण पत्र जारी किये गए हैं। प्रमुख संड्री देनदारों के साथ के शेष का नियमित अंतराल पर सामंजस्य स्थापित किया जाता है और दोनों पक्षों द्वारा संयुक्त सामंजस्य बयां पर भी हस्ताक्षर किये जाते हैं।</td></tr>
<tr><td>(ख) जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट के तहत 1,455.57 करोड़ रुपये की संचित राशि उल्टे शुल्क संरचना के संदर्भ का एक मामला है। इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के तहत भुगतान हेतु माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 13.09.2021 के निर्णय अनुसार, राशि की वसूली/समायोजनीयता अनिश्चित है। कृपया नोट-11 देखें: अन्य चालू परिसंपत्तियाँ</td><td>कोई टिप्पणी नहीं।</td></tr>
<tr><td>(ग) इस मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
वित्तीय वर्ष 2022-23 की अपलिखित देयता राशि 352.32 करोड़ रुपये है। कृपया नोट 25 देखें: अन्य आय
इस मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।</td><td>इसे वित्तीय विवरण के नोट-25 में पूरी तरह से प्रस्तुत किया गया है।</td></tr>
<tr><td>मुख्य अंकेक्षण मामले
हमारे प्रोफेशनल निर्णयानुसार, मुख्य अंकेक्षण मामलों के अंतर्गत वैसे मामले है, जो वर्तमान अवधि के समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के हमारे अंकेक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहे। हमारे अंकेक्षण में, इन मामलों पर समग्र विचार स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के संदर्भ में किया गया है, एवं उस प्रकार हमारी अभिमत निर्मित हुई, इनपर हम अलग अभिमत नहीं प्रदान करते हैं। हमने निम्नलिखित मामलों का निर्धारण मुख्य अंकेक्षण मामलों के रूप में किया है, जो हमारी प्रतिवेदन में सम्मिलित है।
<table>
<tr><th>क्र.</th><th>अंकेक्षण के प्रमुख मामले</th><th>अंकेक्षक की प्रतिक्रिया</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>स्ट्रिपिंग गतिविधि व्यय/ समायोजन
खुली खदानों में खनन के लिए कोयले तक की पहुंचकर उसके निष्कर्षण हेतु खदान अपशिष्ट ("अधिभार") हटाया जाना आवश्यक होता है, जिसमें कोयला सीम के उपर मिट्टी और चट्टान होती है। अपशिष्ट हटाने की इस गतिविधि को 'स्ट्रिपिंग' के रूप में जाना जाता है। खुली खदानों में, कंपनी को खदान के जीवनकाल तक (तकनीकी अनुमान) इस प्रकार का व्यय करना पड़ता है।
अतः नीतिगत दृष्टिगत में, एक मिलियन टन प्रति वर्श की क्षमता या उससे अधिक क्षमता वाले प्रत्येक खदान में, खदानों को राजस्वित करने के पश्चात स्ट्रिपिंग गतिविधि आस्तियों एवं अनुपात-प्रसरण लेखा के समायोजन के साथ तकनीकी मूल्यांकन के औसत अनुपात (ओबी-कोयले) के अनुसार स्ट्रिपिंग लागत चार्ज की जाती है।</td><td>मुख्य अंकेक्षण प्रविधि:
हमने निम्नलिखित मूल प्रविधि का अनुपालन किया:
(1) स्ट्रिपिंग समायोजन कार्य के आंकड़ों को लेकर वर्षपर्यत कुल व्यय को कोयला उत्पादन एवं अधिभार के मध्य आवटन की जांच की। अनुपात की गणना में विचार किए गए व्यय की सटीकता एवं व्यय की पूर्णता के बारे में सुनिश्चित किया गया।
(2) वर्ष के दौरान अनुपात प्रसरण की सही गणना निष्कर्षित ओबी की मात्रा तथा अधिभार हेतु आवंटित राशि के आधार पर की गयी है।
(3) विश्लेषणात्मक प्रक्रियोओं का पालन किया तथा व्ययों के तर्क हेतु विभिन्न गतिविधि सामंजस्य गणना पर विचार किए गए विवरणें का परीक्षण किया गया।</td></tr>
</table></td><td>कोई टिप्पणी नहीं।</td></tr>
</table>

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन			प्रबंधन का उत्तर
	तुलन पत्र की तिथि अनुसार स्ट्रिपिंग गतिविधि आस्तियों का निबल शेष एवं अनुपात प्रसरण को स्ट्रिपिंग एक्टिविटी एडजस्टमेंट के रूप में गैर-चालू प्रावधान/अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियों के मद यथास्थिति दिखाया जाता है। अभिलेख के अनुसार अधिभार की सूचि मात्रा को ओबीआर अंकेक्षण हेतु अनुपात की गणना करने में प्रयोग किया जाता है यदि सूचित मात्रा और मापि मात्रा के मध्य विचलन स्वीकृत सीमा के भीतर है। यदि, विचलन स्वीकृत सीमा से अधिक है, वहां मापित मात्रा को मान लिया जाता है। स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के नोट 21 देखें	स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के लिए लगाया गया लेखांकन नीति एंव प्रबंधन के निर्णय उचित पाए गए है। **अंकेक्षण निष्कर्ष**: हमारे प्रक्रियाओं ने किसी भी भौतिक अपवाद की पहचान नहीं की।	कोई टिप्पणी नहीं।
2.	**भारतीय लेखा मानक 115 'ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व'** स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक में राजस्व प्राप्ति की सटीकता के संबंध में वित्तीय विवरण और कोयला गुणवत्ता विचलन के समायोजन में महत्वपूर्ण प्राक्कलन समाहित हैं। किसी अनुबंध विशेष में कंपनी द्वारा प्राप्त राजस्व संबंधित ग्राहक से विक्रय समझौते/ ई-नीलामी में आवंटन पर आश्रित है। कोयला ग्रेड विमेल/ स्लिपेज के कारण हस्तांतरित लेनदेन मूल्य का अनुवर्ती समायोजन किया जाता है। अनुबंध की कीमत में भिन्नता यदि अनुबंध के लिए पार्टियों के बीच पारस्परिक रूप से तय नहीं की जाती है, तो उन्हें तीसरे पक्ष के परीक्षण के लिए प्रेषित किया जाता है और कंपनी इस तरह के विवाद के राजस्व मान्यता लंबित निपटान के लिए आवश्यक समायोजन का अनुमान लगाती है। राजस्व में इस तरह के समायोजन ऐतिहासिक प्रवृत्ति के बाद अनुमानित आधार पर किए जाते हैं। भारतीय लेखा मानक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के नोट 24 को देखें	**मुख्य अंकेक्षण प्रविधि**: हमने कंपनी की राजस्व प्राप्ति और प्रक्रिया में अनुमानित समायोजन की उपयुक्तता के संबंध में भारतीय लेखा मानक 115 के प्रावधानों की प्रयुक्ति का प्राक्कलन किया है। हमने लेनदेन का चयन सैंपल बेसिस पर किया है और अनुबंध की शर्तों के अनुसार ग्रेड विमेल/ स्लिपेज से संबंधित अनुबंधों की पहचान हेतु जांच, प्रदर्शन दायित्व संतुष्टि का मूल्यांकन, लेनदेन मूल्य में भिन्नता के कारण राजस्व के समायोजन की जांच की है। प्राक्कलन के आधार को स्थापित करने और क्या इस प्रकार के प्राक्कलन कंपनी की लेखांकन नीति के अनुरूप हैं की जांच करने हेतु हमने परीक्षण किया है। **अंकेक्षण निष्कर्ष**: हमारे प्रक्रियाओं ने किसी भी भौतिक अपवाद की पहचान नहीं की।	

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के अलावा अन्य सूचनाएं तथा उस पर अंकेक्षक का प्रतिवेदन कंपनी के प्रबंधन और निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में शामिल जानकारी, बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक सहित बोर्ड की रिपोर्ट, व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन और शेयरधारक की जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें भारतीय लेखा मानक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है। स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी पर हमारा अभिमत अन्य जानकारियों को कवर नहीं करता है और हम उक्त पर अश्वाषित निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं। स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के हमारे अंकेक्षण से सम्बद्ध, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारियों को पढ़ना है और, यह सुविचार करना है कि क्या स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के साथ अन्य सूचनाओं में मटेरियल असंगतता है या अंकेक्षण दौरान प्राप्त जानकारी या अन्य किसी भी प्रकार से मटेरियल अशुद्धि ज्ञात होती है। **स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के लिए प्रबंधन की जवाबदेही** कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134(5) की आवश्यकताओं के अनुरूप स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों के निर्माण एवं प्रस्तुति के लिए कंपनी का निदेशकीय मंडल जवाबदेह हैं, जो अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत अंकेक्षण मानक एवं उसके अंतर्गत नियम सहित भारत में स्वीकृत सामान्य लेखा पद्धतियों के अनुसार अन्य विस्तृत आय सहित कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह और इक्विटी में बदलाव पर सत्य एवं समुचित दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसके अधीन धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की पहचान एवं रोकथाम के लिए अधिनियम के प्रावधानानुसार उचित लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव एवं आस्तियों की सुरक्षा हेतु जवाबदेह हैं; समुपयुक्त अंकेक्षण नीतियों का चयन और कार्यान्वयन समुचित एवं विवेकशील निर्णय और प्राकक्लन तथा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का कार्यान्वयन एवं रख-रखाव, जो लेखा अभिलेखों की सटीकता व सम्पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु प्रभावकारी रूप से कार्य कर रहे थे, स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक विवरणी के निर्माण एवं प्रस्तुति हेतु सत्य व उचित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं व धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न मटेरियल अशुद्धियों से मुक्त हैं, जो पूर्व से ही कार्यान्वित हैं। स्टैंडअलोन भारतीय लेखा वित्तीय विवरणी के निर्माण में, प्रबंधन कार्यशील संस्थाओं की क्षमता के प्राकक्लन हेतु जवाबदेह हैं और यदि लागु हो तो, कार्यशील संस्थाओं के सम्बद्ध मामलों का अनावरण प्रबंधन की इच्छानुसार समूह का विलयन या जब तक सञ्चालन की समाप्ति नहीं हो जाती है, तब तक कार्यशील संस्था के आधार पर अंकेक्षण किया जाये, या कोई सार्थक विकल्प मौजूद न हो। निदेशकीय मंडल की जिम्मेदारी है की कंपनी की वित्तीय सुचना प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करें।	

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणी के अंकेक्षण हेतु लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी हमारा उद्देश्य इस बारे उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के रूप में समग्र रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली मटेरियल अशुद्धियों से मुक्त है, और अंकेक्षक प्रतिवदेन जारी करें जिसमें हमारा अभिमत भी शामिल हो। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखा मानकों के अनुसार अंकेक्षण से सदैव मटेरियल अशुद्धि का पता चलेगा, यदि हो तो। व्यक्तिगत या समग्र रूप से, अशुद्धियों, त्रुटि या धोखाधड़ी से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें वास्तविक माना जा सकता है, इन स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणियों के आधार पर उक्त अशुद्धियों उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय में यथोचित प्रभाव डाल सकती है। लेखा मानक अनुसार अंकेक्षण के भागीदार के रूप में, हम प्रोफेशनल निर्णय लेते हैं तथा पूरी अंकेक्षण प्रक्रिया के दौरान प्रोफेशनल संशय से कार्य करते हैं। हम: - स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक की वित्तीय विवरणियों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण उत्पन्न मटेरियल अशुद्धियों के जोखिमों की पहचान और उनका आकलन, उन जोखिमों के अध्याधीन अंकेक्षण प्रक्रियाओं का डिजाइन और कार्यान्वयन, एवं वैसे अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित मालूम हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप उत्पन्न मटेरियल अशुद्धियों की जानकारी नहीं होना, त्रुटि के कारण उत्पन्न अशुद्धियों से ज्यादा जोखिमपूर्ण है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर भूल, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का लंघन हो सकती है। - अंकेक्षण प्रक्रियाओं को डिजाइन करने हेतु प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की परिस्थितिनुकूल समण्। अधिनियम की धारा 143(3) (i) के तहत, हम इस विषय पर अपना अभिमत व्यक्त करने के लिए भी जवाबदेह है कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली तथा इस प्रकार के प्रभावकारी नियंत्रण कार्यान्वयन है। - प्रयोग में लायी गई अंकेक्षण नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए अंकेक्षण प्राक्कलन एवं सम्बद्ध प्रकटीकरण की तार्किकता का मूल्यांकन। - प्रबंधन द्वारा उपयोगित कार्यशील संस्था आधृत अंकेक्षण की उपयुक्तता पर निष्कर्ष एवं, प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य के आधार पर, क्या किसी घटना या वस्तुस्थिति से सम्बद्ध कोई मटेरियल अनिश्चितता विधमान है जो कंपनी द्वारा कार्यशील संस्था को चलने में रखने में महती संदेह उत्पन्न करता है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालें की कोई मटेरियल अनिस्चतता विधमान है तोह हमसे यह अपेक्षित है की हम अपने अंकेक्षण से भारतीय लेखा मानक की वित्तीय विवरणियों में सम्बद्ध प्रकटीकरण की ओर ध्यान आकर्षित करें या, यदि वैसे प्रकटीकरण अपर्याप्त है, तो हम अपनी अभिमत में परिवर्तन करें।	

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
हमारे निष्कर्ष अंकेक्षण प्रतिवेदन की तारिख तक प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य के आधार पर है। स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी की समग्र प्रस्तुति, स्वरूप एवं विषय-सूची का मूल्यांकन, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल हो, और क्या स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी में अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं की प्रस्तुति की इस प्रकार करते हैं जो उचित हो। मटेरियलिटी, स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी में अशुद्धि का एक परिमाण है, जो व्यक्तिगत या समग्र रूप में, स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी का किसी सुविज्ञ उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय क्षमता को प्रभावित करने में सक्षम हो। हम (i) अपने अंकेक्षण की सीमा का नियोजन एवं अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन तथा (ii) स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी में अभिज्ञात अशुद्धियों के प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं। अंकेक्षण के दौरान, अन्य मामलों के साथ-साथ हम अंकेक्षण की अवधि एवं महत्वपूर्ण अंकेक्षण निष्कर्ष एवं योजनाबद्ध स्कोप सहित आंतरिक नियंत्रण में अन्य किसी प्रकार की महत्वपूर्ण अपूर्णता होन पर हम प्रशासन-प्रभारी के साथ संवाद स्थापित करते है। हम प्रशासन प्रभारी को स्वयं की स्वतंत्रता से सम्बद्ध प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं के अनुपालन पर एक वक्तव्य प्रदान करते हैं, तथा समस्त संबंधों एवं अन्य मामलों पर संवाद करते हैं, जिन्हें तार्किक आधार पर हमारी स्वतंत्रता, एवं जहां लागू हो, संरक्षण से संबंधित माना जा सकता है। शासन-प्रभारी को संप्रेषित मामलों से, हम वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के अंकेक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मामलों का निर्धारण करते हैं और वे प्रमुख अंकेक्षण मुद्दे हैं। जब तक विधि या विनियमन इसके सार्वजनिक प्रकटीकरण पर निर्षध नहीं करता है या अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, जब हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी प्रतिवेदन में उक्त मुद्दे को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के सम्प्रेषण से आम जनता की यथोचित अपेक्षा से यह अधिक होगा और इसके विपरीत परिणाम हो सकते हैं, तब हम अपने अंकेक्षण प्रतिवेदन में इन मामलों का विवरण देते है। **अन्य मामले**	
(क) जैसा कि स्टैंडअलोन इंडस्ट्रीज में वित्तीय विवरणों में माना गया है, हमने कंपनी के वित्तीय वक्तव्यों के रूप में स्टैंडअलोन इंड एएस में शामिल 10 (दस) शाखाओं/क्षेत्रों के वित्तीय विवरणों/ सूचनाओं का अंकेक्षण नहीं किया है, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च 2023 को 7826.26 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति एवं उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए 14052.60 करोड़ रुपए के कुल राजस्व को दर्शाते हैं। इन शाखाओं/क्षेत्रों के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं का अंकेक्षण शाखा/क्षेत्र लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है, जिनकी संशोधित रिपोर्ट हमें दी गई है, और हमारी राय में अब तक यह इन शाखाओं/क्षेत्रों के संबंध में शामिल राशियों, खुलासों से संबंधित है, और पूरी तरह से ऐसी शाखा/क्षेत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।	कोई टिप्पणी नहीं।

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
(ख) **हमें इनपर पूर्ण विश्वास है:**	
i. खान बंदीकरण के व्यय हेतु प्रावधान के उद्देश्य से सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) द्वारा तैयार की गयी खान बंदीकरण योजना जिसे सीसीएल के प्रबंधन द्वारा अनुमोदित किया गया है ।	कोई टिप्पणी नहीं।
ii. प्रबंधन का मूल्यांकन/अनुमान, चाहे वो तकनीकी अथवा अचल परिसंपत्तियों की हानि हेतु प्रावधान हो।	कोई टिप्पणी नहीं।
(ग) कंपनी में अंतर्निहित व्यावसायिक लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए कोलनेट से सैप - ईआरपी में स्थानांतरण होता है। नई प्रणाली के अंतर्गत माइग्रेशन की संपूर्ण प्रक्रिया प्रवाह एक समयबद्ध कार्यक्रम के भीतर सत्यापन जांच सहित माइग्रेशन ऑडिट के तहत होना चाहिए।	कंपनी माइग्रेशन ऑडिट करने की प्रक्रिया में है।
(घ) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के अनुसार ग्राहकों से अग्रिम राशि 3063.62 करोड़ रुपये (नोट 23) है। हालाँकि, उन अग्रिमों के विरुद्ध व्यापार प्राप्य (नोट 13) के अंतर्गत कुछ शेष भी बकाया हैं जिनके समाधान की आवश्यकता है। उपरोक्त "अन्य मामलों" से सम्बद्ध हमारे अभिमत में संशोधन नहीं है।	शेष राशि की स्वत निकासी, विकास के चरण में है और इसके शीघ्र ही प्रचालन में आ जाने की आशा है।
अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन 1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के आलोक में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निर्गत निर्देश-अतिरिक्त निर्देश अनुसार अंकेक्षण पर विवरण, उनपर कार्यान्वयन एवं कंपनी की लेखा एवं स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणी पर इसके प्रभाव, को हम "**अनुलग्नक-ए**" में प्रदान करते हैं। 2. अधिनियम की धारा-143(11) के आलोक में, भारत सरकार वारा जनहित में जारी कंपनी (अंकेक्षीय प्रतिवेदन) आदेश, 2020 ("आदेश") के अनुसार, आदेश के अनुछेद 3 एवं 4 में निर्दिष्ट ब्यौरे, हम "**अनुलग्रक-बी**" में प्रदान करते हैं। 3. जैसा की अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार आवश्यक है, हम प्रतिवेदित करते है कि: (क) हमने समस्त जानकारियों व स्पष्टीकरण की मांग की है और प्राप्त किया है, जोकि हमारी जानकारी और विश्वास के सर्वोत्तम है, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के रूप में उपरोक्त भारतीय लेखा मानक के हमारे लेखा परीक्षण के लिए आवश्यक थे, इसे उपरोक्त "मामलों की प्रमुखता" के साथ पढ़ा जाए। (ख) हमारे अभिमत में, स्टैंडअलोन भारतीय एएस वित्तीय विवरणी के निर्माण में विधिक आवश्कतानुसार बही-खातों का अभिलेख रखा गया है जो अन्य अंकेक्षक के प्रतिवेदन में एवं इन बही-खातों के अभिलेखों के परीक्षण में अब तक दृष्टिगत हुआ है। (ग) अधिनियम की धारा 143(8) के तहत शाखा /क्षेत्रीय अंकेक्षकों द्वारा क्षेत्रों का संशोधित अंकेक्षण प्रतिवेदन हमे प्रेषित किया गया है एवं हमने उनका समुचित उपयोग इस प्रतिवेदन के निर्माण में किया है।	

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
(घ) शाखा/क्षेत्रीय अंकेक्षकों द्वारा अंकेक्षित शाखा/ क्षेत्र के वित्तीय विवरण सहित इस प्रतिवेदन का तुलन पत्र, अन्य विस्तृत आय सहित लाभ एवं हानि, नकदी प्रवाह विवरणी एवं इक्विटी में बदलाव की विवरणी, बही-खातों के सदृश्य है।	
(ङ) हमारी राय में, हमारे पास ऐसा कोई अवलोकन नहीं है जिसका कंपनी के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।	
(च) हमारे अभिमत में, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के रूप में उपरोक्त भारतीय लेखा मानक अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों एवं साथ जारी किया गया प्रासंगिक नियमे का अनुपालन करते हैं:	
(छ) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसरण में, निदेशकों के अयोग्य ठहराने हेतु, अधिनियम की सेक्शन 164 (2), सरकारी कंपनी के लिए लागू नहीं है।	
(ज) हमारे पास खातों के रखरखाव और उससे जुड़े मामलों से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।	
(झ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता व इस प्रकार के नियंत्रणों के संचालन प्रभावशीलता के सम्बन्ध में "**अनुलग्नक-सी**" में हमारी प्रतिवेदन देखें। हमारी प्रतिवेदन वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक असम्बद्ध राय व्यक्त करती है।	
(ञ) अन्य मामलों के सम्बन्ध में अंकेक्षक की प्रतिवेदन में कंपनी (अंकेक्षण व अंकेक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार संशोधन के रूप में हमारे अभिमत में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी अनुसार, एवं प्रदत्त स्पष्टीकरण के अनुसार:	
i. कंपनी की स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के अतिरिक्त नोट-38 के अंतर्गत लंबित मुकदमों की जानकारी दी है, और इनका प्रभाव, यदि हो तो, उक्त पर तब दिया जायेगा जब उस पर फैसला आएगा।	
ii. कंपनी ने पूर्वाभासी भौतिक नुकसान हेतु, यदि हो तो, दीर्घकालिक संविदाओं पर विनियमित विधि या अंकेक्षण मानकों के तहत आवश्यक प्रावधान किए है एवं कंपनी के पास कोई डेरीवेटिव संविदा नहीं थे।	
iii. प्रबंधन से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के अनुसार, ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।	
iv. (क) प्रबंधन का अभ्यावेदन है कि, उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या निकाय, जिसमें विदेशी निकाय ("मध्यस्थ") शामिल हैं को, या किसी अन्य व्यक्ति या निकाय में कोई निधि अग्रिम या ऋण या निवेश (या तो ऋण पर ली गई	

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
धनराशि से या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या किसी प्रकार की निधि से) नहीं किया गया है , लिखित रूप में या चाहे अन्य रूप में दर्ज किया गया हो, कि मध्यस्थ, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से चिह्नित किसी अन्य व्यक्ति या निकाय में उधार या निवेश करेगा जो किसी भी प्रकार से अंतिम लाभार्थी की ओर से सुरक्षा, कोई गारंटी या समरूप लाभ प्रदान करेगा।	
(ख) प्रबंधन का अभ्यावेदन है कि, उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार कंपनी को किसी व्यक्ति, निकाय अथवा विदेशी निकाय ("फंडिंग पार्टियां"),से कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या नहीं , कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी अन्य व्यक्ति या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी, जो किसी भी तरीके से फंडिंग पार्टी की ओर से ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा प्रदान करेगी ।	
(ग) परिस्थिति में उचित और उपयुक्त माने गए ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे यह विश्वास हो कि नियम 11(सी) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत प्रतिनिधित्व, जैसा कि ऊपर दिए गए (ए) और (बी) के अधीन, कोई भी महत्वपूर्ण गलत विवरण है।	
v. (क) पिछले वर्ष में प्रस्तावित, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया अंतिम लाभांश, अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है।	
(ख) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुपालन में है।	
(ग) कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव दिया है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। प्रस्तावित लाभांश की राशि अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है।	

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
vi. लेखा सॉफ्टवेयर का उपयोग करके बही-खातों को बनाए रखने के लिए कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान, जिसमें ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित करें) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है, 1 अप्रैल 2023 से कंपनी पर लागू है,और तदनुसार, कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 (जी) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।	
कृते **एसपीएएन एण्ड एसोसिएट्स** चार्टर्ड अकाउंटेंट (फर्म पंजीकरण संख्या 302192E) ह/- **(सीए. के. चक्रवर्ती)** पार्टनर (सदस्यता सं 015363) यूडीआईएन: 23015363BGYQYR3589 स्थान: रांची दिनांक: 13.06.2023	

अनुलग्नक "ए" जो 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र अंकेक्षकीय प्रतिवेदन में "अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन" के अनुछेद 1 में निर्दिष्ट है, हम प्रतिवेदित करते हैं कि :

वर्ष 2022-23 के लिए मेसर्स सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देशों पर प्रतिवेदन

भाग-I

	लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
1.	क्या कंपनी के पास आईटी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की व्यवस्था है?यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली से बाहर लेनदेन के प्रसंस्करण की सत्यनिष्ठा के साथ-साथ वित्तीय पहलुओं पर प्रभाव, यदि हो, घोषित करें। **सैप प्रणाली के माध्यम से लेखा संबंधी समस्त लेनदेन को संसाधित करने हेतु प्रणाली स्थापित है। सैप प्रणाली के कुछ मॉड्यूल पूर्णरूपेण क्रियान्वित किए जाने शेष हैं। प्रदर्शन इन्सेंटिव, अंतिम स्टॉक मूल्यांकन तथा ओबीआर का लेखांकन अन्य आईटी प्रणाली द्वारा किया जाता हैतथा अंतिम परिणाम को मुख्य लेखांकन प्रणाली में डाला जाता है।**	कोई टिप्पणी नहीं।
2.	क्या कंपनी के ऋण अदायगी असमर्थता के कारण किसी मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन/ऋण पर बट्ट/ ऋण/ ब्याज आदि कंपनी द्वारा किया गया है ?यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव को वर्णित किया जाये। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है) **हमें प्राप्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार विचलन सम्बन्धी ऐसा कोई भी मामला नहीं है।**	कोई टिप्पणी नहीं।
3.	केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि का नियम एवं शर्तों के अनुसार सदुपयोग/हिसाब किया गया या नहीं ? विचलन के मालों की सूची प्रदान करें। **हमें प्राप्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार विचलन सम्बन्धी ऐसा कोई भी मामला नहीं है।**	कोई टिप्पणी नहीं।

भाग -II

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
मेसर्स सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के संबंध में वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत अतिरिक्त निर्देशों पर प्रतिवेदन।	
1. क्या कोयले के स्टॉक का मापन पीत पुस्तक के आधार पर किया गया था? मानचित्र को ध्यान क्या भौतिक स्टॉक माप प्रतिवेदन सभी मामलों में समरूप मानचित्र सहित है? वर्ष के दौरान बनाई गई नई संचय, यदि कोई हो तो क्या सक्षम पदाधिकारी का अनुमोदन लिया गया है? **हमें प्राप्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, कोयले के स्टॉक का मापन पीत पुस्तक के आधार पर किया जाता है। भौतिक स्टॉक का मापन सीआईएल की वार्षिक कोयला स्टॉक मापन के दिशानिर्देशानुसार, माप रिपोर्ट के साथ संलग्न समोच्च मानचित्र को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।** **इसके अलावा, किसी भी नए हीप के निर्माण से पहले सक्षम पदाधिकारी का अनुमोदन लिया जाता है।** **आगे, किसी भी नए संचय के निर्माण से पहले सक्षम पदाधिकारी का अनुमोदन लिया जाता है।**	कोई टिप्पणी नहीं।
2. यदि किसी भी क्षेत्र की विलय/पुनः संरचना के समय कम्पनी ने परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन का अभ्यास किया गया था। यदि ऐसा है तो क्या संबंधित सहायक कम्पनी ने अपेक्षित प्रक्रिया का पालन किया है? **हमें दी गयी जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, गिरिडीह क्षेत्र का विलय वित्त वर्ष 2022-23 में ढोरी क्षेत्र के साथ कर दिया गया है तथा परिसंपत्ति तथा आस्तियों का भौतिक सत्यापन क्षेत्र द्वारा किया गया था।**	कोई टिप्पणी नहीं।
3. यदि कंपनी द्वारा प्रत्येक खान के लिए अलग एस्क्रो खातों का रख-रखाव किया गया है। खाते की निधि की उपयोगिता की भी जांच करें। **हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार**, 66 **खदानों के लिए एस्क्रो अकाउंट को बनाए रखा गया है और वर्ष के दौरान, कंपनी को कोयला नियंत्रक कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात खदान की गतिविधियों के लिए 5.50 करोड़ रुपये (वि.व- 35.30 करोड़) प्राप्त हुए हैं। पिंद्रा खुली खान तथा दक्षिणी तापिन खुली खदान के संबंध में, स्वीकृत पीआर एंड एमसीपी की अनुपलब्धता के कारण एस्क्रो खाता नहीं खोला गया है।**	कोई टिप्पणी नहीं।

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
4. क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय/राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवैध खनन हेतु लगाए गए जुर्माने के प्रभाव पर विधिवत विचार किया गया है तथा क्या लेखांकित किया गया है? **भारत सरकार के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में, झारखण्ड के कुछ जिला खनन पदाधिकारियों द्वारा ₹ 13568.50 करोड़ (वि. व 13568.50 करोड़ रु) की मांग, 42 खानों में पर्यावरण मंजूरी सीमा से अधिक खनन के एवज में की गई थी। उक्त मांग के खिलाफ, सीसीएल ने माननीय कोयला न्यायाधिकरण, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, एमएमडीआर अधिनियम के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की है। पुनरीक्षण प्राधिकारी ने दिनांक 16.01.2018 के अपने अंतरिम आदेश द्वारा मांग के निष्पादन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।** **पुनरीक्षण प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश को ध्यान में रखते हुए इसी तरह के मांग नोटिस में दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) को अपने दिनांक 21/12/2021 के आदेश के तहत, उक्त मांग को न तो ऋण के रूप में स्वीकार किया गया है और न ही इसे स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण की आकस्मिक देयता में शामिल किया गया है। नोट 38 के तहत उक्त मामले का खुलासा किया गया है।**	कोई टिप्पणी नहीं।
5. क्या कोलनेट पोर्टल से सैप (SAP) में डाटा की स्थानांतरण की प्रक्रिया के संबंध में कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/प्रमाणन किया गया है। **प्राप्त सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कोल नेट पोर्टल से सैप (SAP) में डाटा के स्थानांतरण की प्रक्रिया के संबंध में स्वतंत्र मूल्यांकन/प्रमाणन अभी किया जाना शेष है।**	कंपनी द्वारा माइग्रेशन लेखा-परीक्षण प्रक्रियाधीन है।

"अनुलग्नक-बी" जो 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी में स्वतंत्र अंकेक्षीय प्रतिवेदन में 'अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन' के अनुछेद 2 में निर्दिस्ट है, हम प्रतिवेदित करते हैं की:

	लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
(i)	(क) अ. हमारे ऑडिट के दौरान, यह देखा गया कि कंपनी ने आम तौर पर संपत्ति संयंत्र और उपकरण का पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है। ब. क्षेत्र ने अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित अभिलेख बनाए रखा है। (ख) हमें प्रदत्त जानकारी के अनुसार, प्रबंधन ने सर्वेयेड ऑफ परिसम्पत्तियों के अलावे अचल संपत्ति का भौतिक सत्यापन किया है जिनका मूल्य 1.00 लाख ₹ एवं अधिक है, और विगत तीन वर्षों के दौरान किये गए परिवर्धन के मामले में मूल्य के बावजूद प्रत्येक परिसंपत्ति का भौतिक सत्यापन उचित अन्तराल पर किया गया है। जैसा कि हमें सूचित किया गया है, इस तरह के सत्यापन पर किसी प्रकार की भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गई है। (ग) हमें प्रदत्त जानकारी और स्पष्टीकरण अनुसार, राष्ट्रीयकरण पूर्व अवधि में कोयला खदान (राष्ट्रीयकरण अधिनियम), 1973 के तहत पूर्ववर्ती कोयला कंपनियों से हस्तांतरित भूमि को कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड में सांविधिक आदेश सं जीएसआर/345 ई दिनांकित 9 जुलाई 1973, नई दिल्ली द्वारा किया गया। भूमि एवं राजस्व विभाग एंव सीसीएल की वेबसाइट पर डीड उपलब्ध है। कोल बियरिंग क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(1) के साथ एस. ओ. सीसीएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। भूमि विस्थापितों को भूमि के एवज में अंतिम मुवाअजे के भुगतान के पश्चात भूमि की मूल प्रति भूमि एवं राजस्व विभाग में रखा गया है। शेष मामलों में, शीर्षक विलेख सीसीएल के संबंधित विभाग के पास रखे जाते हैं। पिपरवार, आम्रपाली चंद्रगुप्त, कुजू, मगध संघमित्रा, राजहरा और उत्तरी कर्णपुरा क्षेत्रों के शाखा लेखा परीक्षक ने भौतिक सत्यापन में बताया कि आगे के सत्यापन के लिए उन्हें भूमि के स्वामित्व विलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। बरकाकाना सीआरएस की अचल संपत्ति के मालिकाना हक के दस्तावेज भी आगे के सत्यापन के लिए हमारे समक्ष पेश नहीं किए गए हैं।	

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन		प्रबंधन का उत्तर
	(घ) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और जैसा कि हमारे द्वारा देखा गया है, कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (संपत्ति के उपयोग के अधिकार सहित) या दोनों की अमूर्त संपत्ति का कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है। (ङ) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 के 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।	
(ii)	(क) कंपनी की नीतियों के अनुसार, अंतर-क्षेत्र माप दल द्वारा प्रत्येक खदानों में विभिन्न स्थानों के समोच्च मानचित्र के संदर्भ में वॉल्यूमेट्रिक माप के माध्यम से कोयला, कोक, आदि का भौतिक सत्यापन किया गया है। अंतर-क्षेत्र माप दल ने उसके संबंध में रिपोर्ट दी है। कंपनी इस संबंध में अंकेक्षण नीति का निरन्तर अनुसरण कर रही है यदि बुक स्टॉक और मापा स्टॉक के बीच +/- 5% तक भिन्नता है, तो बुक स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक के मूल्यांकन के लिए माना जाता है, यदि कोई निर्धारित सीमा के भीतर विचलन, यदि कोई हो, तो उसे नजरअंदाज किया जाता है। भंडार एवं पुर्जों के भौतिक सत्यापन के संबंध में, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भंडार लेखा परीक्षक की नियुक्ति नहीं की गई थी। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भंडार एवं पुर्जों का भौतिक सत्यापन भंडार लेखा परीक्षक द्वारा कार्डेक्स बैलेंस को ध्यान में रखते हुए किया गया है। हालाँकि, प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बुक स्टॉक (एसएपी) के साथ भंडार एवं पुर्जों के भौतिक शेष का मिलान प्रक्रियाधीन है। (ख) वर्ष के किसी भी समय किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थानों से कंपनी को कोई नई कार्यशील पूंजी सीमा मंजूर नहीं की गई है।	
(iii)	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पार्टियों को कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम, सुरक्षित या असुरक्षित, निम्नलिखित के अलावा प्रदान नहीं किया है। (क) होल्डिंग कंपनी के साथ एक चालू खाता बनाए रखना। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त ऋण/अग्रिम आदि कंपनी के हितों के प्रतिकूल नहीं हैं।	

	लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
(iv)	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपने द्वारा प्रदान किए गए ऋण और निवेश और गारंटी और सुरक्षा के संबंध में अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।	
(v)	कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों और धारा 73 से 76 के प्रावधानों या कंपनी अधिनियम के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार कोई जमा स्वीकार नहीं किया है। हालांकि, कंपनी का विचार है कि व्यवसाय के उद्देश्य से प्राप्त राशि जैसे बकाया राशि, जमा राशि, सुरक्षा जमा और ग्राहकों / अन्य से अग्रिम जमा के रूप में, ये जमा कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम 2014 के दायरे में नहीं आते हैं ।	
(vi)	हमने केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत कंपनी द्वारा बनाए गए लागत रिकॉर्ड की व्यापक रूप से समीक्षा की है और हमारी राय है कि प्रथम दृष्टया निर्धारित खाते एवं रिकॉर्ड बनाए एवं रखे गए हैं। हालांकि, हमने सटीकता या पूर्णता निर्धारित करने के लिए लागत रिकॉर्ड की विस्तृत जांच नहीं की है। जैसा कि हमें सूचित किया गया है, हमारे ऑडिट की तारीख तक वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लागत ऑडिट नहीं किया गया है।	
(vii)	(क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेख के हमारे परीक्षण के आधार पर कंपनी द्वारा उपयुक्त प्राधिकारियों के समक्ष निर्विवाद वैधानिक देयताएं सहित बही खाते में वस्तु एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कार्मिक राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, विक्रय कर, सीमा शुल्क, सेवा कर, मूल्य वर्धित कर, उप कर, पेंशन फंड, प्रफेशनल कर, एमएमडीआर, रॉयल्टी, तथा अन्य भौतिक वैधानिक देयताओं से सम्बद्ध देयताएँ कंपनी द्वारा नियमित रूप से जमा की गई है। हमें प्रदान की गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वस्तु एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कार्मिक राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, विक्रय कर, सीमा शुल्क, सेवा कर, मूल्य वर्धित कर, उप कर, पेंशन फंड, प्रफेशनल कर, एमएमडीआर, रॉयल्टी, तथा अन्य भौतिक वैधानिक देयताओं के संबंध में देय कोई भी निर्विवाद राशि बकाया राशि 31 मार्च 2023 को देय तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी। (ख) उप-खंड (ए) में संदर्भित वैधानिक बकाया जो किसी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है, इसमें शामिल राशि और जिस फोरम में यह विवाद लंबित है, उसका उल्लेख "परिशिष्ट-1" है।	
(viii)	हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर अधि-नियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण के तहत कर अधिका-रियों द्वारा किसी भी लेन-देन की पहचान या रिपोर्ट नहीं की गई है, जिसे वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पण या प्रकट करने की आवश्यकता है।	

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन		प्रबंधन का उत्तर
(ix)	(क) कंपनी ने किसी भी ऋण या अन्य उधारों की अदायगी या उस पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं की है। (ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है। (ग) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, जिस उद्देश्य के लिए वर्ष के दौरान ऋण प्राप्त किया गया था, उसके लिए सावधि ऋण का आवेदन नहीं किया गया था। (घ) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने अल्पकालिक आधार पर कोई निधि नहीं जुटाया है जिसका उपयोग दीर्घकालिक आधार में किया गया है। (ङ) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई धन नहीं लिया है। (च) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनी में रखी प्रतिभूतियों की गिरवी पर वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है।	
(x)	(क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा जांचे गए बही-खातों और अभिलेखों के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या अगला सार्वजनिक पेशकश (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया। तदनुसार, आदेश का अनुछेद 3 (x) अनुछेद (ए) लागू नहीं होता है। (ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा जांचे गए बहि एवं अभिलेखों के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह से, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3 (x) पैरा (बी) लागू नहीं होता है।	

	लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
(xi)	(क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई भौतिक धोखाधड़ी और कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किसी भी धोखाधड़ी को नोटिस या रिपोर्ट नहीं किया गया है। (ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत लेखापरीक्षकों द्वारा कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित प्रपत्र एडीटी -4 में केंद्र सरकार के समक्ष कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। (ग) व्हिसल ब्लोअर नीति (18.10.2019 को आयोजित अपने 478वें बोर्ड में सीआईएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित) के अनुसार, सीसीएल के पास व्हिसल ब्लोअर शिकायतों को उचित और समयबद्ध तरीके से हल करने के लिए एक प्रणाली है, हालांकि, हमें प्रदान की गई जानकारी के अनुसार कंपनी को कोई व्हिसलब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।	
(xii)	(क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का अनुछेद 3(xii) लागू नहीं होता है।	
(xiii)	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन जहां लागू है कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं और ऐसे लेनदेन के विवरण का खुलासा लागू लेखा मानकों द्वारा अपेक्षित वित्तीय विवरणों मेंकिया गया है।	
(xiv)	(क) हमारी राय में, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है; (ख) हाँ, हमारे द्वारा लेखापरीक्षा की अवधि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार किया गया था;	
(xv)	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर-नकद लेनदेन में नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का अनुछेद 3(xv) लागू नहीं होता है।	
(xvi)	(क) कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-Iए के तहत पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश का खंड 3 (xvi) लागू नहीं है। (ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई गैर-बैंकिंग या आवास वित्त गतिविधियों का संचालन नहीं किया है।	

	लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
	(ग) यह कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों में परिभाषित बुनियादी निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है। (घ) कंपनी एक बुनियादी निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है और न ही इसमें एक से अधिक सीआईसी हैं।	
(xvii)	हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को वित्तीय वर्ष में और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं हुई है।	
(xviii)	हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान किसी सांविधिक लेखा परीक्षकों ने इस्तीफा नहीं दिया है।	
(xix)	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी राय में,तथा वित्तीय अनुपात के आधार पर,वित्तीय संपत्तियों की वसूली की अवधि बढ़ने और अपेक्षित तिथियां और वित्तीय देनदारियों का भुगतान,वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि के अनुसार कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद नहीं है कि कंपनी बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने पर बैलेंस शीट की तारीख में मौजूदा अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है;	
(xx)	(क) चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य के संबंध में, कंपनी के पास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे नियम के साथ; में निर्दिष्ट निधि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के अनुपालन में हस्तांतरित करने के लिए आवश्यक अव्ययित राशि का कोई शेष नहीं था। (ख) चल रही परियोजनाओं के संबंध में, कंपनी उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (6) के प्रावधान के अनुपालन में अव्ययित सीएसआर राशि को एक विशेष खाते में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में है।.	
(xxi)	हम स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के तहत रिपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए यह खंड लागू नहीं है।	

कृते **एसपीएएन एण्ड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या 302192E)

ह/-
(सीए. के. चक्रवर्ती)
पार्टनर
(सदस्यता सं – 015363)
यूडीआईएन: 23015363BGYQYR3589

स्थान: रांची
दिनांक: 13.06.2023

'अनुलग्नक-सी' जो 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी स्वतंत्र अंकेक्षीय प्रतिवेदन में 'अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन' के अनुछेद 3(जी) में निर्दिस्ट है, हम प्रतिवेदित करते हैं की:

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के सेक्शन 143 के सब सेक्शन 3 के अन्तर्गत धारा (i) अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
हमने 31 मार्च 2023 तक "सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड"("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट को उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के ऑडिट के साथ किया है। **आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी** इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आइसीएआइ) द्वारा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु निर्गत वित्तीय प्रतिवेदन में अंकेक्षण मार्गदर्शन टिप्पणी में निर्दिष्ट आंतरिक नियंत्रण अनुसार आवश्यक अवयवों पर आधारित कंपनी द्वारा प्रतिस्थापित वित्तीय नियंत्रण का निर्माण एवं रख-रखाव, कंपनी प्रबंधन, की जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों मे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का प्ररूप, कार्यान्वयन और रख-रखाव शामिल है, जो अपने व्यवसाय के व्यवस्थित अऔर कुशल संचालन की सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रहे थे, जिसमें कंपनी की नीतियों का अनुपालन, आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की पहचान एवं रोकथाम और लेखा अभिलेख की सटीकता व पूर्णता तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आवश्यक वित्तीय जानकारी का ससमय निर्माण। **अंकेक्षक की जिम्मेदारी** हमारे अंकेक्षण के आधार पर कंपनी की वित्तीय सूचनाओं के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणें पर अभिमत प्रदान करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने अपना अंकेक्षण आईसीएआई के आंतरिक अंकेक्षण हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग (मार्गदर्शन रिपोर्टिंग) और अंकेक्षण मानकों के आधार पर किया है, एवं जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत माना गया है, जो आंतरिक अंकेक्षण नियंत्रण पर लागू होते है, तथा वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए जाने एवं कायम रखने तथा यदि इन नियंत्रणें को सभी भौतिक विषयों के संदर्भ में प्रभावी तरीके से संचालित किया गया, के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु अंकेक्षण किया जाये। हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनके संचालन की प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारे लेखा परीक्षण में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना,	

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
मटेरियल कमजोरी के जोखिम का आकलन और आकलन जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण व मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं, लेखा परीक्षक के फैसले पर निर्भर करती है, जिसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के सामग्री के अशुद्ध वर्णन के जोखिम का आकलन शामिल है, जो चाहे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो। हम विश्वास करते हैं हमारे द्वारा प्राप्त ऑडिट साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त, उचित है।	
वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणी की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल करना है, जो (1) अभिलेख के रख-रखाव से संबंधित है, विवरणात्मक रूप में, कंपनी की परिसम्पत्तियों के सटीक एवं उचित लेन-देन और निपटान को दर्शाते है, (2) उचित आश्वासन देते है कि लेन-देन स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों अनुरूप स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणी के निर्माण करने के लए आवश्यक है और कंपनी प्रबंधन और निदेशकों की अनुज्ञप्ति के पश्चात कंपनी की प्राप्तियां और व्यय किये जा रहे है और (3) कंपनी की संपत्ति का अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की ससमय पहचान और रोकथाम पर उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसके कारण कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर मेटेरियल प्रभाव हो सकता है। **वित्तीय प्रतिवदेन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अन्तर्निहित परिसीमाएँ** वित्तीय प्रतिवदेन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अन्तर्निहित परिसीमा के कारण, त्रुटि या धोखाधड़ी से मेटेरियल अशुद्धियों, मिलीभगत या नियंत्रण पर अनुचित प्रबंधकीय लंघन किया जाप सकता है और इनका पता भी नहीं लगाया जा सकता, साथ ही, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की किसी भी भविष्यवाणी के अनुमान का मूल्यांकन जोखिम यह है कि बदलते परिदृश्य/नीति/प्रक्रिया अनुपालन की दशा के कारण वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में अपकर्षण हो सकता है। **अभिमत** हमारे अभिमत में, कंपनी के पास, सभी मटेरियल परिप्रेक्ष्य में, वित्तीय आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2023 को प्रभावकारी रूप से कार्य कर रहे थे, जो इंस्टीट्युट ऑफ चार्टेड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय विवरण के आंतरिक वित्तीय विवरण के अंकेक्षण हेतु जारी दिशानिर्देशो के अनुरूप कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मानदंड पर निर्मित की गयी है।	

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
हालाँकि, इसमें और अधिक सुधार करने की आवश्यकता है (i) सैप (ईआरपी) के माध्यम से पीस रेटेड श्रमिकों को वेतन का भुगतान। (ii) एमएसएमई अधिनियम, 2006 के अनुपालन हेतु सैप में एमएसएमई विक्रेता की मैपिंग। (iii) असुरक्षित नेटवर्क/कनेक्शन से सैप (ईआरपी) में एक्सेस पर रोक लगाना। उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय योग्य नहीं है।	
कृते **एसपीएएन एण्ड एसोसिएट्स** चार्टर्ड अकाउंटेंट (फर्म पंजीकरण संख्या 302192E) ह/- **(सीए. के. चक्रवर्ती)** पार्टनर (सदस्यता सं – 015363) यूडीआईएन: 23015363BGYQYR3589 स्थान: रांची दिनांक: 13.06.2023	

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं की रिपोर्ट" के अनुच्छेद 2 में अनुलग्नक - "बी" के खंड vii में उल्लेखीत परिशिष्ट-"1"

31.03.2023 को विवादित वैधानिक दायित्वों का विवरण

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

कर के प्रकार	मामलों की संख्या	न्यायालय का नाम	अवधि	विवादित राशि	विरोध के तहत भुगतान
रॉयल्टी मामले	62	प्रमाण पत्र कार्यालय -धनबाद, राँची, बोकारो, हज़ारीबाग़/ डीएमओ/ डीडी (एम)	84-85, 86-87, 90-91 to 95-96, 98-99 to 04-05, 06-07, 08-09, to 20-21	848.75	9.76
रॉयल्टी मामले	7	डिप्टी कमिशनर - हज़ारीबाग़, रामगढ	95-96, 96-97, 08-09, 14-15, 16-17, 18-19, 19-20	4.92	1.71
रॉयल्टी मामले	4	कमिशनर - हजारीबाग	05-06, 08-09	4.72	1.26
रॉयल्टी मामले	33	उच्च न्यायालय, झारखंड	87-88, 98-99, 91-92, 92-93, 93-94, 96-97, 98-99, 02-03, 05-06, 06-07 to 20-21	1,457.44	18.73
रॉयल्टी मामले	4	सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली	91-92, 99-00, 08-09	47.40	14.12
	110			**2,363.24**	**45.58**
बिक्री कर मामले	224	जेसीसीटी (ए), हजारीबाग	89-90, 90-91,93-94 to 05-06, 07-08, 08-09, 10-11 to 17-18	622.85	72.05
बिक्री कर मामले	93	जेसीसीटी (ए), राँची	85-86, 90-91 to 07-08, 09-10 to 16-17	42.15	24.06
बिक्री कर मामले	49	सीसीटी/डीसीसीटी, राँची	88-89, 89-90, 92-93, 93-94, 94-95, 96-97, 97-98, 99-00 to 01-02, 03-04, 05-06 to 11-12,12-13, 13-14 to 15-16, 17-18	86.03	27.75
बिक्री कर मामले	160	सीसीटी/डीसीसीटी, हजारीबाग / रामगढ	90-91, 92-93 to 94-95, 96-97, 98-99 to 17-18	229.39	90.68
बिक्री कर मामले	142	ट्रिब्यूनल, राँची	90-91 to 16-17	298.61	92.59
बिक्री कर मामले	1	उच्च न्यायालय, झारखंड	11-12	3.87	3.87
MADA	1	उच्च न्यायालय, झारखंड	2005-06 to 2022-23	416.78	76.73
	670			**1,699.69**	**387.73**
विद्त शुल्क मामले	38	डीसीसीटी	03-04 to 18-19	16.95	10.57
विद्त शुल्क मामले	234	जेसीसीटी (ए), हजारीबाग	1992-93 to 2017-18	28.93	15.78
विद्त शुल्क मामले	9	सीसीटी, राँची	06-07 to 11-12, 14-15 to 17-18	6.07	2.75
विद्त शुल्क मामले	22	ट्रिब्यूनल, राँची	1993-94 to 1997-98, 2004-05 to 10-11, 14-15 to 17-18	3.41	2.02
विद्त शुल्क मामले	8	उच्च न्यायालय, झारखंड	97-98 to 04-05	3.18	1.22
	311			**58.54**	**32.34**
प्रवेश शुल्क मामले	1	सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली	2007-08	25.00	0.00
सेवा कर एवं एक्साइज मामले	15	कमिशनर, राँची	14-15, 15-16, 16-17, 17-18	44.62	0.61
सेवा कर एवं एक्साइज मामले	19	सीइएसटीएटी, कोलकाता	10-11 to 12-13, 2015-16	120.15	3.01
	34			**164.78**	**3.62**
CLEAN ENERGY CESS	1	उच्च न्यायालय, झारखंड	17-18	941.66	0.00
आयकर मामले	1	डीसीआईटी, राँची	04-05	1.94	1.94
आयकर मामले	5	सीआईटी(ए), राँची	15-16, 17-18 to 20-21	618.55	189.01
आयकर मामले	11	आईटीएटी	06-07 to 16-17	492.65	463.65
	17			**1,113.14**	**654.60**
			कुल	**6,366.05**	**1,123.87**

दिनांक 31.03.2023 को परिसंपत्तियां एवं देयता का समेकित विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 को (अंकेक्षित)	31.03.2022 को (अंकेक्षित)
ए.	**इक्विटी एवं देयता**		
1.	**शेयरधारक का निधि**		
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	940.00	940.00
	(ख) अन्य इक्विटी	9,384.15	7,475.78
	(ग) शेयर वारंट के बदले प्राप्त धनराशि	—	—
	उप कुल शेयरधारक का निधि	**10,324.15**	**8,415.78**
2	**शेयर अनुप्रयोग धन का लंबित आवंटन**	—	—
3	**गैर नियंत्रण ब्याज**	192.87	99.45
4	**गैर चालू देयता**		
	(क) वित्तीय देयता	357.33	124.13
	(ख) आस्थगित कर देयता (निबल)	—	—
	(ग) अन्य गैर-चालू देयता	452.98	497.13
	(घ) प्रावधान	5,334.98	5,118.65
	उप-कुल गैर-चालू देयता	**6,145.29**	**5,739.91**
5	**चालू देयताएं**		
	(क) वित्तीय देयता	2,530.16	2,612.02
	(ख) आस्थगित कर देयता (निबल)	—	—
	(ग) अन्य वर्तमान देयताएं	4,467.66	3,116.19
	(घ) प्रावधान	2,174.46	833.75
	उप-कुल चालू देयता	**9,172.28**	**6,561.96**
	कुल इक्विटी एवं देयता	**25,834.59**	**20,817.10**
बी.	**परिसंपत्तियां**		
1	**गैर चालू परिसंपत्ति**		
	(क) स्थाई परिसंपत्ति	8,499.74	7,493.00
	(ख) समेकन सदभाव	—	—
	(ग) आस्थगित कर परिसंपत्ति (निबल)	504.95	679.47
	(घ) वित्तीय परिसंपत्ति	1,702.09	1,373.57
	(ड.) अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपत्ति	3,084.75	2,293.31
	उप-कुल - गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	**13,791.53**	**11,839.35**

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 को (अंकेक्षित)	31.03.2022 को (अंकेक्षित)
2	**चालू परिसंपत्ति**		
	(क) वित्तीय परिसंपत्तियां	7,396.42	4,573.98
	(ख) भंडार सूची	1,144.30	1,031.34
	(ग) अन्य चालू परिसंपत्ति	3,434.70	3,218.27
	(घ) अन्य कर परिसंपत्ति (निबल)	67.64	154.16
	उप-कुल चालू परिसंपत्तियां	**12,043.06**	**8,977.75**
	कुल परिसंपत्तियां	25,834.59	20,817.10

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

निदेशक मंडल के लिए एवं उसकी ओर से

ह/-
(पी एम प्रसाद)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08073913

ह/-
(पवन कुमार मिश्रा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन- 09665365

कृते **एसपीएएन एन्ड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या 302192E)

ह/-
(सीए. के. चक्रवर्ती)
पार्टनर
सदस्यता सं 015363

ह/-
(राजेन्द्र सिंह)
महाप्रबंधक (वित्त)

ह/-
(अमरेश प्रधान)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं F11264

स्थान: रांची
दिनांक: 27 अप्रैल, 2023

दिनांक 31.03.2023 को परिसंपत्ती एवं देयता का समेकित परिणामों का विवरण

(₹ करोड़ में शेयर तथा ईपीएस को छोड़कर)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			वर्ष के अंत तक	
		31.03.2023	31.03.2022	31.12.2022	31.03.2023	31.03.2022
		अन-अंकेक्षित			अंकेक्षित	
1	**संचालन से आय**					
	सकल विक्रय	6,401.67	6,122.32	5,563.81	22,720.19	18,585.25
	घटाव - अन्य लेवी	2,136.06	2,024.94	1,856.21	7,493.98	6,233.12
	(क) निबल विक्रय/संचालन से आय (लेवी का निबल)	**4,265.61**	**4,097.38**	**3,707.60**	**15,226.21**	**12,352.13**
	(ख) अन्य संचालित आय	316.77	316.55	286.38	1,152.99	1,134.29
	संचालन से कुल आय (निबल) (क +ख)	**4,582.38**	**4,413.93**	**3,993.98**	**16,379.20**	**13,486.42**
2	**व्यय**					
	(क) उपयोग किए गए सामान का लागत	335.78	311.38	285.72	1,170.83	855.15
	(ख) तैयार वस्तुओं की भंडार सूची में परिवर्तन, उन्नति कार्य एवं स्टॉक इन ट्रेड	(470.53)	(350.94)	(24.52)	(81.81)	278.86
	(ग) कर्मचारी लाभ व्यय	2,557.75	1,384.81	1,588.01	7,222.70	5,476.09
	(घ) मूल्यह्रास/परिशोधन/हानि	214.00	180.00	170.08	682.98	647.55
	(ङ) बिजली और ईंधन व्यय	72.89	68.29	68.04	265.88	261.55
	(च) सीएसआर व्यय	28.30	24.89	10.75	43.39	53.14
	(छ) मरम्मत	90.84	131.02	59.14	243.12	273.25
	(ज) ठेका व्यय	477.64	544.74	482.48	1,944.87	1,867.10
	(झ) अन्य व्यय	325.86	392.50	297.99	1,050.31	1,202.35
	(ञ) प्रावधान/बट्टे खाते डालना	284.03	3.17	—	284.03	3.44
	(ट) स्ट्रीपिंग गतिविधि समायोजन	(7.36)	585.02	320.22	652.18	725.21
	कुल व्यय (क से ट तक)	**3,909.20**	**3,274.88**	**3,257.91**	**13,478.48**	**11,643.69**
3	अन्य आय, वित्तीय लागत और असाधारण मद के पहले संचालन से लाभ/हानि (1-2)	673.18	1,139.05	736.07	2,900.72	1,842.73
4	अन्य आय	364.32	156.23	228.31	926.46	336.80
5	वित्तीय लागत और असाधारण मद के पहले सामान्य क्रियाकलापों से लाभ/(हानि) (3+4)	1,037.50	1,295.28	964.38	3,827.18	2,179.53
6	वित्तीय व्यय	16.09	21.83	19.36	75.44	81.77
7	वित्तीय लागत के बाद किन्तु असाधारण मद के पहले लाभ/हानि (5-6)	1,021.41	1,273.45	945.02	3,751.74	2,097.76
8	असाधारण मद	—	—	—	—	—
9	कर से पहले सामान्य क्रियाकलापों से लाभ/हानि (7-8)	1,021.41	1,273.45	945.02	3,751.74	2,097.76
10	कर व्यय	292.54	244.78	255.71	994.66	398.82

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			वर्ष के अंत तक	
		31.03.2023	31.03.2022	31.12.2022	31.03.2023	31.03.2022
		अन-अंकेक्षित			अंकेक्षित	
11	वर्ष में निबल लाभ/हानि (9-10) [ए]	728.87	1,028.67	689.31	2,757.08	1,698.94
12	असाधारण मद (कर व्यय का निबल)	—	—	—		—
13	सहयोगियों एवं अल्पसंख्यक हितों का निबल लाभ/(हानि) कर के पश्चात परन्तु लाभ/(हानि) के हिस्से के पूर्व (11+12)	728.87	1,028.67	689.31	2,757.08	1,698.94
14	सहयोगियों के लाभ/(हानि) का हिस्सा	—	—	—		—
15	अल्पसंख्यक हित	—	—	—		—
16	वर्ष के लिए निबल लाभ/(हानि) (13+14+15)	728.87	1,028.67	689.31	2,757.08	1,698.94
17	अन्य विस्तृत आय/(हानि) (निबल कर) [बी]	84.08	(48.81)	34.90	177.59	(51.39)
18	कुल विस्तृत आय/(हानि) [ए+बी]	812.95	979.86	724.21	2,934.67	1,647.55
19	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (शेयरों का अंकित मूल्य ₹ 1000/- प्रति)	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00
20	प्रत्येक शेयर पर आय (ईपीएस) (प्रत्येक शेयर का फेस वैल्यु ₹ 1000/-) (वार्षिक नहीं किया गया)					
	(क) बेसिक (₹)	774.75	1,094.28	731.70	2,931.00	1,806.82
	(ख) डायलुटेड (₹)	774.75	1,094.28	731.70	2,931.00	1,806.82

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

कृते **एसपीएएन एन्ड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या 302192E)

ह/-
(सीए. के. चक्रवर्ती)
पार्टनर
सदस्यता सं 015363

निदेशक मंडल के लिए एवं उसकी ओर से

ह/-
(पी एम प्रसाद)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08073913

ह/-
(पवन कुमार मिश्रा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन- 09665365

ह/-
(राजेन्द्र सिंह)
महाप्रबंधक (वित्त)

ह/-
(अमरेश प्रधान)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं F11264

स्थान: रांची
दिनांक: 27 अप्रैल, 2023

31 मार्च, 2023 को समेकित तुलन पत्र

(₹ करोड़ में)

	टिप्पणिया	31.03.2023 को	31.03.2022 को
परिसंपत्तियाँ			
गैर - चालू परिसंपत्तियाँ			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	6,045.93	5,737.64
(ख) कार्यशील पूंजी	4	1,743.05	1,161.74
(ग) अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ	5	683.95	573.69
(घ) अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति	6.1	26.81	8.66
(ड.) विकास के तहत अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति	6.2	—	11.27
(च) निवेश संपत्ति		—	—
(छ) वित्तीय परिसंपत्तिया			
(i) निवेश	7	—	—
(ii) ऋण	8	5.10	2.06
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	1,696.99	1,371.51
(ज) आस्थगित कर संपत्ति (निबल)		504.95	679.47
(झ) अन्य गैर.चालू परिसंपत्तिया	10	3,084.75	2,293.31
कुल गैर-चालू परिसंपत्ति (ए)		**13,791.53**	**11,839.35**
चालू परिसंपत्ति			
(क) भंडार पूंजी	12	1,144.30	1,031.34
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) निवेश	7	718.59	64.72
(ii) व्यापार प्राप्य	13	3,001.17	2,149.65
(iii) नकद और नकद समकक्ष	14	980.44	747.32
(iv) अन्य बैंक शेष	15	2,533.87	1,513.04
(v) ऋण	8	0.71	—
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	161.64	99.25
(ग) चालू कर परिसंपत्तियां (निबल)		67.64	154.16
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	11	3,434.70	3,218.27
कुल चालू परिसंपत्तियां (बी)		**12,043.06**	**8,977.75**
कुल परिसंपत्तियां (ए+बी)		**25,834.59**	**20,817.10**

31 मार्च, 2023 को समेकित तुलन पत्र(जारी...)

(₹ करोड़ में)

	टिप्पणियाँ	31.03.2023 को	31.03.2022 को
इक्विटी और देयताएं			
इक्विटी			
(ए) इक्विटी शेयर पूंजी	16	940.00	940.00
(बी) अन्य इक्विटी	17	9,384.15	7,475.78
कंपनी के इक्विटी धारकों को आरोग्य इक्विटी		10,324.15	8,415.78
गैर-अनियंत्रित ब्याज		192.87	99.45
कुल इक्विटी (ए)		**10,517.02**	**8,515.23**
देयताएं			
गैर-चालू देयताएं			
(ए) वित्तीय देयताएं			
(i) उधारी	18	125.12	—
(ii) पट्टा देयताएं		—	—
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	20	232.21	124.13
(बी) प्रावधान	21	5,334.98	5,118.65
(सी) अन्य गैर-चालू देयताएं	22	452.98	497.13
कुल गैर-चालू देयताएं (बी)		**6,145.29**	**5,739.91**
चालू देयताएं			
(ए) वित्तीय देयताएं			
(i) उधारी	18	0.03	—
(ii) पट्टा देयताएं			
(iii) व्यापार देयताएं	19		
सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल बकाया देय		9.88	6.98
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावे अन्य ऋण दाताओं का कुल बकाया देय		1,305.24	1,556.66
(iv) अन्य वित्तीय देयताएं	20	1,215.01	1,048.38
(बी) अन्य गैर-चालू देयताएं	23	4,467.66	3,116.19
(सी) प्रावधान	21	2,174.46	833.75
(डी) चालू कर देयताएं (निबल)		—	—
कुल गैर-चालू देयताएं (सी)		**9,172.28**	**6,561.96**
कुल इक्विटी एवं देयताएं (ए+बी+सी)		**25,834.59**	**20,817.10**
महत्वपूर्ण लेखा नीति	2		
वित्तीय विवरण पर अतिरिक्त नोट्स टिप्पणियां	38		

उपरोक्त टिप्पणियां वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग है।

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

कृते **एसपीएएन एन्ड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या 302192E)

ह/-
(सीए. के. चक्रवर्ती)
पार्टनर
सदस्यता सं 015363

निदेशक मंडल के लिए एवं उसकी ओर से

ह/-
(पी एम प्रसाद)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08073913

ह/-
(पवन कुमार मिश्रा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन- 09665365

ह/-
(राजेन्द्र सिंह)
महाप्रबंधक (वित्त)

ह/-
(अमरेश प्रधान)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं F11264

स्थान: रांची
दिनांक: 27 अप्रैल, 2023

लाभ एवं हानि का समेकित तुलन विवरण
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

		टिप्पणियाँ	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
संचालन से राजस्व		**24**		
ए.	बिक्री (लेवियों का निबल)		15,226.21	12,352.13
बी.	अन्य संचालन से राजस्व (लेवियों का निबल)		1,152.99	1,134.29
(I)	**संचालन से राजस्व (ए+बी)**		**16,379.20**	**13,486.42**
(II)	**अन्य आय**	25	926.46	336.80
(III)	**कुल आय** (I+II)		**17,305.66**	**13,823.22**
(IV)	**व्यय**			
	उपयोग किये गए सामग्री की लागत	26	1,170.83	855.15
	तैयार माल के भंडार/कार्य प्रगति परिवर्तन एवं बिक्री के लिए स्टॉक एवं स्टॉक व्यापार में	27	(81.81)	278.86
	कर्मचारी लाभ व्यय	28	7,222.70	5,476.09
	बिजली का खर्च		265.88	261.55
	कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व पर व्यय	29	43.39	53.14
	मरम्मती	30	243.12	273.25
	संविदात्मक व्यय	31	1,944.87	1,867.10
	वित्तीय लागत	32	75.44	81.77
	मूल्यह्रास/परिशोधन/हानि		682.98	647.55
	प्रावधान	33	92.13	3.41
	बट्टे खाते डालना	34	191.90	0.03
	स्ट्रिप्पिंग गतिविधि समायोजन		652.18	725.21
	अन्य व्यय	35	1,050.31	1,202.35
	कुल व्यय (IV)		**13,553.92**	**11,725.46**
(V)	**असाधारण मदों एवं कर से पहले लाभ** (III-IV)		3,751.74	2,097.76
(VI)	असाधारण मद		—	—
(VII)	**कर से पहले लाभ** (V-VI)		**3,751.74**	**2,097.76**
(VIII)	कर व्यय	36		
	चालू कर		820.14	404.15
	स्थगित कर		174.52	(5.33)
(IX)	**वर्ष में चालू संचालन से प्राप्त लाभ (VII-VIII)**		**2,757.08**	**1,698.94**
(X)	स्थगित संचालन से प्राप्त लाभ		—	—
(XI)	स्थगित संचालन का कर व्यय		—	—
(XII)	स्थगित संचालन से प्राप्त लाभ(कर के बाद) (X-XI)		—	—
(XIII)	संयुक्त उद्यम सम्बद्ध के लाभध/(हानि)में हिस्सा		—	—
(XIV)	**वर्ष में लाभ (IX+XII+XIII)**		**2,757.08**	**1,698.94**
अन्य विस्तृत आय		37		
ए	(i) मद जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं होंगे		237.32	(68.68)
	(ii) लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं होने वाले मदों से संबंधित आयकर		59.72	(17.29)
बी	(i) मद जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत होंगे		—	—

		टिप्पणियाँ	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
	(ii) लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत होने वाले मदों से संबंधित आयकर		—	—
(XV)	**कुल अन्य विस्तृत आय**		**177.59**	**(51.39)**
(XVI)	**वर्ष के लिए कुल विस्तृत आय (XIV+XV)** **(वर्ष के लिए लाभकारी लाभ / (हानि) और अन्य विस्तृत आय)**		**2,934.67**	**1,647.55**
	आरोपित लाभ :			
	कंपनी के स्वामी को		2,755.14	1,698.41
	गैर -नियंत्रित ब्याज को		1.94	0.53
			2,757.08	**1,698.94**
	अन्य आरोपित विस्तृत आय:			
	कंपनी के स्वामी को		177.59	(51.39)
	गैर -नियंत्रित ब्याज का		—	—
			177.59	**(51.39)**
	कुल आरोपित विस्तृत आय:			
	कंपनी के स्वामी को		2,932.73	1,647.02
	गैर -नियंत्रित ब्याज का		1.94	0.53
(XVII)	**प्रति इक्विटी शेयर पर उपार्जन (चलित संचालन के लिए)**) :			
	(1) बेसिक (₹)		2,931.00	1,806.82
	(2) डायलूटेड (₹)		2,931.00	1,806.82
(XVIII)	**प्रति इक्विटी शेयर पर उपार्जन(स्थगित संचालन के लिए)** :			
	(1) बेसिक (₹)		—	—
	(2) डायलूटेड (₹)		—	—
(XIX)	**प्रति इक्विटी शेयर पर उपार्जन(स्थगित एवं चलित संचालन के लिए)**:			
	(1) बेसिक (₹)		2,931.00	1,806.82
	(2) डायलूटेड (₹)		2,931.00	1,806.82
महत्वपूर्ण लेखा नीति		2		
वित्तीय विवरण पर अतिरिक्त नोट्स टिप्पणियां		38		
उपरोक्त टिप्पणियां वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग है।				

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

कृते **एसपीएएन एन्ड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या 302192E)
ह/-
(सीए. के. चक्रवर्ती)
पार्टनर
सदस्यता सं 015363

निदेशक मंडल के लिए एवं उसकी ओर से

ह/-
(पी एम प्रसाद)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08073913

ह/-
(पवन कुमार मिश्रा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन- 09665365

ह/-
(राजेन्द्र सिंह)
महाप्रबंधक (वित्त)

ह/-
(अमरेश प्रधान)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं F11264

स्थान: रांची
दिनांक: 27 अप्रैल, 2023

नकदी प्रवाह का समेकित विवरण (अप्रत्यक्ष विधि)
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़)

		31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
संचालित गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
कर पूर्व लाभ		**3,751.74**	**2,097.76**
समायोजन के लिए :			
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय		682.98	647.55
ब्याज और लाभांश आय		(263.16)	(106.09)
वित्तीय लागत		75.44	81.77
स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री पर (लाभ)\ हानि		0.02	(0.15)
व्यापार प्राप्य के लिए भत्ता		92.13	—
अन्य प्रावधान		—	3.41
वर्ष के दौरान वापस लिखित देयतायें		(352.32)	(125.02)
स्ट्रिप्पिंग गतिविधि समायोजन		652.18	725.21
चालू/गैर चालू परिसंपत्ति एवं देयताओं से पहले परिचालन लाभ		**4,639.01**	**3,324.44**
समायोजन के लिए :			
व्यापार प्राप्य (निबल प्रावधान)		(851.52)	1,252.88
भंडार सूची		(112.96)	257.33
ऋण एवं अग्रिम तथा अन्य वित्तीय परिसंपत्ति		(723.73)	(458.77)
व्यापार देय		(248.52)	202.82
वित्तीय एवं अन्य देयताएं		3,072.26	(258.40)
संचालन से उत्पन्न नगद		**5,774.54**	**4,320.30**
आयकर का भुगतान / वापसी		(793.35)	(389.30)
संचालन गतिविधियों से निबल नकदी प्रवाह	**(ए)**	**4,981.19**	**3,931.00**
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का क्रय		(2,108.19)	(1,963.09)
अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्ति में परिशिष्ट		(110.26)	(73.90)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों से बिक्री आय		(2.37)	(0.64)
बैंक जमा पर में प्राप्ति/(निवेश)		(1,236.66)	(640.82)
म्यूच्यूअल फण्ड, शेयर्स इत्यादि पर प्राप्ति/(निवेश)		(645.46)	(64.61)
सहायक कंपनी में निवेश		—	—
निवेश से ब्याज		233.48	76.57
ब्याज एवं लाभांश आय		19.90	8.85
निवेश गतिविधियों से प्राप्त निबल राशि	**(बी)**	**(3,849.56)**	**(2,657.64)**

नकदी प्रवाह का समेकित विवरण (अप्रत्यक्ष विधि)
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (जारी...)

(₹ करोड़)

		31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
वापसी/उधार में वृद्धि		125.15	—
वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ब्याज एवं वित्तीय लागत		—	—
इक्विटी शेयरों पर लाभांश		(1,023.66)	(782.08)
इक्विटी शेयरों के लाभांश पर कर		—	—
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निबल नकदी	**(सी)**	**(898. 51)**	**(782.08)**
नकद एवं बैंक शेष में निबल वृद्धि/(कमी) (ए+बी+सी)		**233.12**	**491.28**
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समतुल्य		**747.32**	**256.04**
वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य		**980.44**	**747.32**

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

निदेशक मंडल के लिए एवं उसकी ओर से

कृते **एसपीएएन एन्ड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या 302192E)

ह/-
(पी एम प्रसाद)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08073913

ह/-
(पवन कुमार मिश्रा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन- 09665365

ह/-
(सीए. के. चक्रवर्ती)
पार्टनर
सदस्यता सं 015363

ह/-
(राजेन्द्र सिंह)
महाप्रबंधक (वित्त)

ह/-
(अमरेश प्रधान)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं F11264

स्थान: रांची
दिनांक: 27 अप्रैल, 2023

दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण - समेकित

1. इक्विटी शेयर पूंजी

31.03.2023 को

(₹ करोड़)

विवरण	01.04.2022 पर शेष	पूर्व अवधि त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	01.04.2021 पर पुनर्लिखित शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	01.04.2023 पर शेष
₹1000/- प्रत्येक के 9400000 इक्विटी शेयर	940.00	—	940.00	—	940.00

31.03.2022 को

विवरण	01.04.2021 पर शेष	पूर्व अवधि त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	01.04.2020 को पुनर्लिखित शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2022 को शेष
₹1000 /- प्रत्येक के 9400000 इक्विटी शेयर	940.00	—	940.00	—	940.00

2. अन्य इक्विटी

31.03.2023 को

(₹ करोड़)

विवरण	शेयर आवेदन राशि आवंटन लंबित	सामान्य संचय निधि	प्रतिधारित उपार्जन	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्निधारण (टैक्स के बाद)	इक्विटी के लिए जिम्मेदार इक्विटी शेयरहोल्डर	गैर नियंत्रित ब्याज	कुल
01.04.2022 पर शेष	—	2,392.00	5,309.25	(225.47)	7,475.78	99.45	7,575.23
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटियां	—	—	—	—	—	—	—
01.04.2022 पर पुनर्लिखित शेष	—	**2,392.00**	**5,309.25**	**(225.47)**	**7,475.78**	**99.45**	**7,575.23**
कुल व्यापक लाभ	—	—	2,755.14	177.59	2,932.73	1.94	2,934.67
अंतरिम लाभांश	—	—	(600.66)	—	(600.66)	—	(600.66)
अंतिम लाभांश	—	—	(423.00)	—	(423.00)	—	(423.00)
वर्ष के दौरान अनुवृद्धि	—	—	—	—	—	90.87	90.87
वर्ष के दौरान समायोजन	—	—	(0.70)	—	(0.70)	0.61	(0.09)
सामान्य रिजर्व से/को हस्तांतरण	—	137.58	(137.58)	—	—	—	—
शेयरों की वापसी खरीद	—	—	—	—	—	—	—
वापसी खरीद पर कर	—	—	—	—	—	—	—
बोनस शेयरों का निर्गम	—	—	—	—	—	—	—
31.03.2023 पर शेष	—	**2,529.58**	**6,902.45**	**(47.88)**	**9,384.15**	**192.87**	**9,577.02**

31.03.2022 को

(₹ करोड़)

विवरण	शेयर आवेदन राशि आवंटन लंबित	सामान्य संचय निधि	प्रतिधारित उपार्जन	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्निधारण (टैक्स के बाद)	इक्विटी शेयर-धारक लिए जिम्मेदार इक्विटी	गैर नियंत्रित ब्याज	कुल
01.04.2021 पर शेष	—	2,307.15	4,477.77	(174.08)	6,610.84	23.92	6,634.76
लेखा निति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटि	—	—	—	—	—	—	—
01.04.2021 पर पुनर्लिखित शेष	**—**	**2,307.15**	**4,477.77**	**(174.08)**	**6,610.84**	**23.92**	**6,634.76**
कुल व्यापक लाभ	—	—	1,698.41	(51.39)	1,647.02	0.53	1,645.55
अंतरिम लाभांश	—	—	(404.20)	—	(404.20)	—	(404.20)
अंतिम लाभांश	—	—	(377.88)	—	(377.88)	—	(377.88)
वर्ष के दौरान अनुवृद्धि	—	—	—	—	—	75.00	75.00
वर्ष के दौरान समायोजन	—	84.85	(84.85)	—	—	—	—
सामान्य रिजर्व से/को हस्तांतरण	—	—	—	—	—	—	—
निगम लाभांश कर	—	—	—	—	—	—	—
शेयरों की वापसी खरीद	—	—	—	—	—	—	—
वापसी खरीद पर कर	—	—	—	—	—	—	—
बोनस शेयरों का निर्गम	—	—	—	—	—	—	—
31.03.2022 पर शेष	—	**2,392.00**	**5,309.25**	**(225.47)**	**7,475.78**	**99.45**	**7,575.23**

महत्वपूर्ण लेखा-नीतियाँ

वित्तीय विवरणों पर टिप्पिणियाँ

नोट 1:निगम सूचना

सेन्ट्रल कोलफीक्ड्स लिमिटेड, एक मिनीरत्न लोक उपक्रम है जो कि कोल इंडिया लिमिटेड एक सरकारी उपक्रम का शत प्रतिशत अनुषंगी है इसका पंजीकृत कार्यालय दरभंगा हाउस, राँची, झारखंड - 834029 है।

यह कंपनी मुख्यतः कोयले के खनन एवं उत्पादन तथा कोल वाशरियों के संचालन से जुड़ी हुई है। इसके मुख्य ग्राहक पावर तथा स्टील क्षेत्र हैं। अन्य क्षेत्रों के ग्राहक में सीमेंट, फर्टिलाइजर, ईंट-भट्टा इत्यादि शामिल हैं।

सीसीएल का इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड तथा झारखंड सरकार के साथ एक संयुक्त उद्यम है जिसका नाम झारखंड सेन्ट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल) है। जेसीआरएल का मुख्य उद्देश्य चिन्हित रेल कोरीडोर परियोजना को तैयार करना, संचालित करना एवं रख-रखाव करना है, जो कि झारखंड राज्य में खानों से कोयले की निकासी के महत्वपूर्ण है, जिसे भार ढुलाई तथा यात्री दोनों सेवाओं के लिए एवं जरूरी रेल आधारभूत संरचना के विकास हेतु, जिसमें सभी संबंद्ध सेवाओं इत्यादि के साथ रेलवे लाइनों का निर्माण शामिल है, के लिए उपयोग किया जाएगा।

नोट 2: महत्वपूर्ण लेखा-नीतियाँ

2.1 वित्तीय विवरण तैयार करने के आधार

i. कम्पनी के वित्तीय विवरण को भारत में लागू लेखा सिद्धांतों, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित ("अधिनियम") भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, के अनुसार किया गया है।

ii. समेकित वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किया गया है, सिवाय इनके:
   - कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं को अंकित मूल्य के आधार पर मापा गया है (वित्तीय साधन पर लेखा नीति पारा सं 2.15 को देखें);
   - परिभाषित लाभ योजनाएं - योजना परिसंपत्तियों को अंकित मूल्य के आधार पर मापा गया;
   - लागत पर सामान सूची या एनआरवी जो कोई भी कम हो (पारा सं 2. 21 में लेखा नीति को देखें) ।

2.1.1 राशियों का पूर्णांक

इन वित्तीय विवरणों में राशियों कोए जबतक कि अन्यथा निर्देशित किया गया हैए करोड़ ₹ में दशमलव के दो अंकों तक पूर्णांक किया गया है।

2.2 संघटन का आधार

2.2.1 अनुषंगियाँ

सभी अनुषंगियाँ एक तत्व हैं जिसपर कम्पनी का नियंत्रण होता है। कम्पनी एक तत्व/हस्ती को नियंत्रित करती है, जब कम्पनी को तत्व के साथ शामिल होने के कारण विभिन्न प्रकार के रिटर्नों पर अधिकार प्राप्त होता है तथा तत्वों के संगत गतिविधियों को निर्देशित करने की शक्ति के कारण इन रिटर्नों को प्रभावित करने की योग्यता होती है। कम्पनी के अंतर्गत अपने नियंत्रण के हस्तांतरण की तारीख से ही अनुषंगियां पूर्ण रूप से समेकित हो जाती हैं।

कम्पनी के द्वारा व्यापार संयोजन के लिए लेखा करने हेतु, लेखा की अधिग्रहण विधि का उपयोग किया जाता है।

परिसम्पत्तियों, देयताओं, इक्विटी, कैश फ्लो, आय एवं व्यय जैसे मदों को क्रमवार जोड़ते हुए कम्पनी अपने स्वामित्व एवं अनुषंगियों के वित्तीय विवरणों को समाहित करती है। अंतर कम्पनी कार्य सम्पादन, शेष एवं कम्पनियों के बीच लेन-देन के उपर अप्राप्य प्राप्ति को नहीं रखा जाता है। समूह की कंपनियों के बीच अप्राप्त हानियों को भी समाप्त कर दिया जाता है जब तक कि लेन-देन हस्तांतरित परिसंपत्ति की हानि का प्रमाण प्रदान नहीं करता है। समान प्रकार की परिस्थितियों में एक जैसे कार्य-सम्पादन एवं घटनाओं के लिए सीआईएल के द्वारा अपनाये गये लेखा-नीतियों को ही सामान्य तौर पर सीसीएल के द्वारा उपयोग किया जाता है। सीआईएल के घटक कंपनी के महत्वपूर्ण विचलनों के संदर्भ में, सीआईएल समेकित लेखा-नीतियों के अनुसार समरूपता सुनिश्चित करने हेतु समूह सदस्य वित्तीय विवरण के लिए उपयुक्त समायोजन किया जाता है।

अनुषंगियों के इक्विटी एवं परिणामों में गैर-चालू ब्याजों को अलग से, लाभ एवं हानि के समेकित विवरण, इक्विटी एवं तुलन पत्र के परिवर्तनों के समेकित विवरणों को क्रमशः दिखलाया जाता है।

2.2.2 सहयोगियाँ

सहयोगियां वे सभी तत्व हैं जिनपर समूह का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है परन्तु कोई नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं होता है।

यह सामान्यतः उस प्रकार का होता है जहां समूह के पास 20 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत के बीच में वोटिंग अधिकार होता है।

वैसे निवेश या उसके अंश को जिसे विक्रय के लिए वर्गीकृत किया गया है तथा जिसे भारतीय लेखा मानक 105 के अनुसार लेखाकृत किया जाता है, को छोड़कर, प्रारंभ में ही लागत के रूप में लेकर सहयोगियों में निवेश का लेखाकरण इक्विटी विधि के द्वारा की जाती है।

सहयोगी अपने निबल निवेश का परिशोधन वास्तुनिष्ठ प्रमाण के आधार पर करती है।

2.2.3 संयुक्त व्यवस्था

संयुक्त व्यवस्था वह है जहां समूह के द्वारा एक या एक से अधिक पार्टियों के साथ संयुक्त नियंत्रण होता है।

संयुक्त नियंत्रण व्यवस्था के नियंत्रण का अनुबंधात्मक सहमति साझेदारी है जो कि सिर्फ मौजूद होता है जब प्रासंगिक गतिविधियों के बारे में निर्णय लेने के लिए नियंत्रण साझा करने वाली पार्टियों के एकमत सहमति की जरूरत होती है।

संयुक्त व्यवस्था की वर्गीकरण या तो संयुक्त संचालन या संयुक्त उद्यम के रूप में होता है। वर्गीकरण, प्रत्येक निवेशक के अनुबंधात्मक अधिकार एवं दायित्वों पर निर्भर करता है न कि संयुक्त व्यवस्था के कानूनी ढांचे पर।

2.2.4 संयुक्त संचालन

संयुक्त संचालन वह संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत समूह के पास व्यवस्था से संबंधित दायित्वों के लिए परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का अधिकार प्राप्त होता है।

समूह, संयुक्त संचालन में परिसम्पत्तियों, दायित्वों, राजस्व एवं व्यय तथा संयुक्त रूप से रखे हुए अथवा व्यय किये गये परिसम्पत्तियों, दायित्वों, राजस्व एवं व्ययों में अपने हिस्से के सीधे अधिकार का संज्ञान लेता है।

2.2.5 संयुक्त उद्यम

संयुक्त उद्यम वह संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत समूह के पास व्यवस्थाओं के निबल परिसम्पत्तियों का अधिकार प्राप्त होता है।

संयुक्त उद्यम में ब्याज का लेखाकरण स्टैण्डअलॉन तुलन पत्र में प्रारंभिक तौर पर लागत के रूप में लिये जाने के बाद इक्विटी विधि के द्वारा किया जाता है।

वैसे निवेश या उसके अंश को जिसे विक्रय के लिए वर्गीकृत किया गया है तथा जिसे भारतीय लेखा मानक 105 के अनुसार लेखाकृत किया जाता है, को छोड़कर, प्रारंभ में ही लागत के रूप में लेकर संयुक्त उद्यम में निवेश का लेखाकरण इक्विटी विधि के द्वारा की जाती है।

संयुक्त उद्यम अपने निबल निवेश का परिशोधन वास्तुनिष्ठ प्रमाण के आधार पर करती है।

2.2.6 इक्विटी विधि

लेखांकन की इक्विटी पद्धति के तहत निवेशों को प्रारंभ में लागत पर मान्यता प्राप्त होता है और बाद में अधिग्रहण के लाभ या हानि में निवेशक के नुकसान के ग्रुप के शेयर को और निवेशक की अन्य व्यापक आय का समूह का हिस्सा का अन्य व्यापक आमदनी पहचानने के लिए समायोजित किया जाता है। सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों से प्राप्त या प्राप्त करने वाले लाभांश को निवेश की मात्रा में कमी के रूप में स्वीकारा जाता है।

जब इक्विटी अकाउन्ट निवेश में होनेवाले घाटे का समूह का हिस्सा तत्व के हितों के बराबर या उससे अधिक है, किसी भी अन्य असुरक्षित दीर्घकालीक प्राप्तीयों सहित, समूह आगे के नुकसान को नहीं पहचानता है जबतक कि अन्य तत्व के बदले इसमें दायित्वों का खर्च नहीं होता है या इसके लिए भुगतान नहीं किया जाता है।

समूह एवं उसके सहयोगियों और संयुक्त उपक्रमों के बीच होनेवाले लेन-देन पर अप्रत्याशित लाभ इन संस्थाओं में समूह के हित की सीमा तक समाप्त हो जाते हैं। अनावृत हानियां भी समाप्त हो जाती हैं जबतक कि लेन-देन स्थानांतरित परिसंपत्ति के विकृति का प्रमाण नहीं देता। इक्विटी खातेदार निवेशक की लेखा-नीतियों को बदल दिया गया है जहां कहीं भी समूह द्वारा अपनाई गई नीतियों के अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

2.2.7 मालिकाना हक में परिवर्तन

कंपनी गैर नियंत्रित हितों के साथ लेन-देन करती है जो कि कंपनी की इक्विटी मालिकों को लेन-देन के रूप में नियंत्रण के नुकसान में नहीं होती है। स्वामित्व के हित में परिवर्तन सहायक एवं गैर नियंत्रण हितों के वहन राशियों की मात्रा के बीच एक समायोजन में सहायक होता है जो कंपनियों में उनके संबद्ध हितों को दर्शाता है। गैर नियंत्रित हितों के समायोजन की राशि तथा भुगतान या प्राप्त किये जाने के अंकित मूल्य के बीच किसी भी अंतर को इक्विटी के तहत मान्यता प्राप्त होता है।

जब कंपनी, नियंत्रण खोने, संयुक्त नियंत्रण अथवा महत्वपूर्ण प्रभाव के कारण, निवेश के लिए इक्विटी लेखा को समेकित करना छोड़ देती है, तब तत्व में कोई भी धारण की हुई हित को इसके अंकित मूल्य पर पुनः मापा जाता है और वहन राशि में परिवर्तन को लाभ या हानि में माना जाता है। यह अंकित मूल्य एक सहयोगी, संयुक्त उद्यम या वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में धारित हित के लिए बाद के लेखांकन के प्रयोजनों के लिए प्रारंभिक वहन राशि बन जाता है। इसके अतिरिक्त, कोई भी राशि जिसे उस तत्व के संबंध में अन्य विस्तृत आय में पहले लिया गया है, को इस प्रकार लेखाकृत किया जाता है, मानो कि कंपनी ने संबद्ध परिसंपत्तियों देयताओं को सीधे निपटा दिया है। इसका मतलब यह हो सकता है कि अन्य विस्तृत आय में पहले से माने गए राशियों को लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत कर दिया जाता है।

यदि एक संयुक्त उद्यम या सहयोगी में स्वामित्व हितों को कम कर दिया जाता है परन्तु संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव को रखा जाता है, तब अन्य विस्तृत आय में पहले से माने गए राशियों के सिर्फ आनुपातिक हिस्से को लाभ या हानि, जहा उपयुक्त हो, में पुनः वर्गीकृत किया जाता है।

2.3 मौजूदा एवं गैर-मौजूदा वर्गीकरण

कंपनी मौजूद वर्गीकरण के आधार पर तुलन-पत्र में परिसम्पत्तियों एवं देयताओं को प्रस्तुत करती है। एक परिसम्पत्ति को मौजूद समझा जाता है जबः :

(क) सामान्य संचालन चक्र में इसे प्राप्त करने का अनुमान, या इसे बेचने अथवा उपभोग करने की प्रवृति है;

(ख) परिसम्पत्ति को मुख्यतः व्यापार के प्रयोजन के लिए रखा जाता है;

(ग) रिपोर्टिंग अवधि के बाद 12 महीने के अंदर परिसम्पत्ति की उगाही करने का अनुमान है;

(घ) परिसम्पत्ति नगद या नगद समतुल्य होता है (भारतीय लेखा मानक 7 से परिभाषित) जब तक रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए परिसम्पत्ति को विनिमय होने या देयता के निपटारे में उपयोग करने से वंचित नहीं रखा जाता है। अन्य सभी परिसम्पत्तियों को गैर-मौजूद के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

कंपनी एक देयता को मौजूद श्रेणी में रखती है जबः

(क) इसके सामान्य संचालन चक्र में इसे प्राप्त करने का अनुमान है;

(ख) देयता को मुख्यतः व्यापार के प्रयोजन के लिए रखा जाता है;

(ग) रिपोर्टिंग अवधि के बाद 12 महीने के अंदर देयता की उगाही करने का अनुमान है;

(घ) रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए देयता के निपटारे की आस्थगित करने का बिना शर्त अधिकार है। प्रतिकूल पार्टी के विकल्प पर, यदि देयता की शर्तों के फलस्वरूप इक्विटी साधनों के जारी करने के द्वारा इसका निपटारा हो सकता है तो वह इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करता है।

अन्य सभी देयताएं को गैर-मौजूदा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2.4 राजस्व मान्यता

ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व

ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व को तब पहचाना जाता है जब माल या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को ऐसी राशि पर हस्तांतरित किया जाता है जो उस प्रतिफल को दर्शाता है जिसके लिए कंपनी को उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले में हकदार होने की उम्मीद है। कंपनी ने आम तौर पर निष्कर्ष निकाला है कि यह अपने राजस्व व्यवस्था में प्रमुख है क्योंकि यह सामान या सेवाओं को ग्राहक को स्थानांतरित करने से पहले नियंत्रित करता है।

भारतीय लेखा मानक 115 में सिद्धांतों को निम्नलिखित पाँच चरणों का उपयोग करके लागू किया जाता हैः

चरण 1 : अनुबंध की पहचान करना

ग्राहक के साथ अनुबंध के लिए कंपनी का खाता केवल तभी होता है जब निम्नलिखित सभी मानदंडों को पूरा किया जाता हैः

क) अनुबंध के पक्षकारों ने अनुबंध को मंजूरी दे दी है और अपने संबंधित दायित्वों को निभाने के लिए प्रतिबद्ध हैं;

ख) कंपनी हस्तांतरित किए जाने वाले सामान या सेवाओं के बारे में प्रत्येक पार्टी के अधिकारों की पहचान कर सकती है;

ग) कंपनी को हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के लिए भुगतान की शर्तों की पहचान कर सकती है;

घ) अनुबंध में वाणिज्यिक पदार्थ है (यानी, कंपनी के भविष्य के नकदी प्रवाह का जोखिम, समय या राशि अपेक्षित है अनुबंध के परिणामस्वरूप बदलने के लिए); तथा

ड.) यह संभावना है कि कंपनी उस विचार को एकत्र करेगी जिसके लिए वह माल के बदले में हकदार होगा या ऐसी सेवाएँ जो ग्राहक को हस्तांतरित की जाएंगी। जिस राशि पर कंपनी का हक होगा, उस पर विचार किया जाएगा यदि अनुबंध परिवर्तनीय है तो अनुबंध में बताई गई कीमत से कम हो सकता है क्योंकि कंपनी ग्राहक को कीमत रियायत, छूट, धनवापसी, क्रेडिट या प्रोत्साहन, प्रदर्शन बोनस, एक जैसे वस्तु के हकदार को पेश कर सकती है।

अनुबंधों का संयोजन

कंपनी दो या अधिक अनुबंधों को एक ही समय में या एक ही ग्राहक (या ग्राहक के संबंधित पक्षों) के साथ मिलाती है ग्राहक) और अनुबंध के लिए एक एकल अनुबंध के रूप में माना जाता है यदि निम्न मानदंडों में से एक या एक से अधिक पूर्ण होंः

क) अनुबंधों को एक एकल वाणिज्यिक उद्देश्य के साथ एक पैकेज के रूप में निबटाया जाता है;

ख) एक अनुबंध में भुगतान की जाने वाली राशि की मात्रा दूसरे की कीमत या प्रदर्शन पर निर्भर करती है; या

ग) अनुबंध में दिए गए सामान या सेवाएं (या प्रत्येक अनुबंध में वादा किए गए कुछ सामान या सेवाएं) एक एकल प्रदर्शन दायित्व हैं।

अनुबंध संशोधन

निम्नलिखित दोनों शर्तों के मौजूद होने पर एक अलग अनुबंध के रूप में एक अनुबंध संशोधन के लिए कंपनी खाता खोलती हैः

क) अनुबंधित वस्तुओं का दायरा बढ़े हुए माल और सेवाओं के अलावा अलग-अलग होने के कारण बढ़ता है एवं

ख) अनुबंध की कीमत उस प्रतिफल की मात्रा से बढ़ जाती है जो कंपनी की स्टैंड-अलोन बेचने की कीमतों को दर्शाती है विशेष अनुबंध के परिस्थितियों को दर्शाने के लिए उस मूल्य पर अतिरिक्त वादा किए गए सामान या सेवाएं और किसी भी उचित समायोजन हो।

चरण 2: प्रदर्शन दायित्वों की पहचान

अनुबंध की स्थापना के समय, कंपनी ग्राहक के साथ अनुबंध में दिए गए सामान या सेवाओं का आकलन करती है और एक प्रदर्शन दायित्व के रूप में पहचान प्रत्येक ग्राहक को हस्तांतरित

करने का वादा करती है:

क) एक वस्तु या सेवा (या वस्तुओं या सेवाओं का एक बंडल) जो अलग है; या

ख) अलग-अलग वस्तुओं या सेवाओं की एक श्रृंखला जो काफी हद तक समान हैं और जिनके ग्राहक को हस्तांतरण के समान प्रतिमान हैं।

चरण 3: लेन-देन मूल्य का निर्धारण

कंपनी लेन-देन कीमत निर्धारित करने के लिए अनुबंध शर्तों और प्रथागत व्यवसाय प्रथाओं पर विचार करती है। लेन-देन की कीमत उस प्रतिफल की राशि है जिसके लिए कंपनी का किसी ग्राहक को वादा किए गए माल या सेवाएँ के हस्तांतरण के बदले में तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशियों को छोड़कर हकदार होने की उम्मीद है। एक ग्राहक के साथ एक अनुबंध के वादा में निश्चित मात्रा, चर राशि या दोनों शामिल हो सकते हैं।

लेनदेन मूल्य निर्धारित करते समय, कंपनी निम्नलिखित में से सभी के प्रभावों पर विचार करती है:

- चर प्रतिफल;
- चर प्रतिफल के विवश अनुमान;
- महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक का अस्तित्व;
- गैर-नकद प्रतिफल;
- ग्राहक को देय प्रतिफल.

छूट, रिफंड, क्रेडिट, मूल्य रियायतें, प्रोत्साहन, प्रदर्शन, बोनस, या अन्य समान मद के कारण विचार की मात्रा भिन्न हो सकती है। वादा किया गया प्रतिफल भी भिन्न हो सकता है यदि कंपनी की प्रतिपूर्ति के लिए पात्रता भविष्य की वृत्तांत की घटना या गैर-घटना पर आकस्मिक है।

कुछ अनुबंधों में, दंड निर्दिष्ट हैं। ऐसे मामलों में, अनुबंध के सार के अनुसार दंड का हिसाब लगाया जाता है। जहां लेनदेन के मूल्य के निर्धारण में जुर्माना निहित है, यह चर प्रतिफल का हिस्सा है।

कंपनी लेनदेन मूल्य में केवल कुछ हद तक अनुमानित चर प्रतिफल के कुछ या सभी को शामिल करती है जब यह अत्यधिक संभावना है कि मान्यता प्राप्त संचयी राजस्व की मात्रा में एक महत्वपूर्ण उलटफेर नहीं होगा जब चर प्रतिफल के साथ जुड़े अनिश्चितता का बाद में हल होगा।

अनुबंध की स्थापना के समय, अगर कंपनी यह अपेक्षा करती है कि एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक के प्रभावों के लिए प्रतिफल की राशि को समायोजित नहीं करती है, कि जब वह किसी ग्राहक को एक वादा किया गया सामान या सेवा स्थानांतरित करता है और ग्राहक उस सामान के लिए भुगतान करता है, तो उसके बीच की अवधि सेवा एक वर्ष या उससे कम की होगी।

यदि कंपनी ग्राहक से प्रतिफल प्राप्त करती है और ग्राहक को उस प्रतिफल के कुछ या सभी को वापस करने की अपेक्षा करती है, तो कंपनी धनवापसी दायित्व को पहचानती है। एक वापसी दायित्व को प्राप्त प्रतिफल (या प्राप्य) की मात्रा पर मापन की जाती है, जिसके लिए कंपनी को हकदार होने की उम्मीद नहीं है (यानी लेन-देन मूल्य में शामिल नहीं की गई राशि)। वापसी दायित्व (और लेन-देन की कीमत में इसी परिवर्तन, इसलिए, अनुबंध देयता) को परिस्थितियों में बदलाव के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अदयतन किया जाता है।

अनुबंध की स्थापना के बाद, लेन-देन की कीमत विभिन्न कारणों से बदल सकती है, जिसमें अनिश्चित घटनाओं के समाधान या परिस्थितियों में अन्य परिवर्तन शामिल हैं जो उस प्रतिफल की राशि को बदलते हैं, जिसके लिए कंपनी को वादा किए गए सामान या सेवाओं के बदले में हकदार होने की उम्मीद है।

चरण 4: लेन-देन मूल्य का आवंटन

लेन-देन का मूल्य आवंटित करते समय कंपनी का उद्देश्य यह है की प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व (या अलग-अलग सामान या सेवा) को लेन-देन मूल्य आवंटित उस राशि पर करें, जिसमें प्रतिफल सम्मिलित हो, तथा जिसके लिए कंपनी ग्राहक को वादा किए गए सामान या सेवाओं को स्थानांतरित करने के बदले में हकदार होने की उम्मीद करती है।

एक सापेक्ष स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्य के आधार पर प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व के लिए लेन-देन की कीमत आवंटित करने के लिए, कंपनी अनुबंध में प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व के आधार पर अलग-अलग सामान या सेवा की स्थापना के समय स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्य निर्धारित करती है और लेन-देन मूल्य आवंटित उन स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्यों के अनुपात में करती है।

चरण 5: राजस्व पहचानना

कंपनी राजस्व को तब पहचानती है जब (या के रूप में) कंपनी एक ग्राहक को एक सामान या सेवा का वादा करके एक प्रदर्शन दायित्व को संतुष्ट करती है। एक सामान या सेवा तब हस्तांतरित की जाती है जब (या के रूप में) ग्राहक उस सामान या सेवा का नियंत्रण प्राप्त करता है।

कंपनी समय के साथ एक सामान या सेवा का नियंत्रण स्थानांतरित करती है और इसलिए, एक प्रदर्शन दायित्व को संतुष्ट करती है और समय के साथ राजस्व को पहचानती है, यदि निम्न मानदंडों में से एक को पूरा किया जाता है:

क) ग्राहक कंपनी के प्रदर्शन द्वारा प्रदान किए गए लाभों को समकालिक रूप से प्राप्त करता और उनका उपभोग करता है, कंपनी प्रदर्शन अनुसार करती है;

ख) कंपनी का प्रदर्शन ऐसी परिसंपत्ति बनाता या बढ़ाता है जिसे ग्राहक संपत्ति के बनाने या बढ़ने के दौरान नियंत्रित करता है:

ग) कंपनी का प्रदर्शन एक वैकल्पिक उपयोग के साथ संपत्ति नहीं बनाता है और कंपनी के पास आज तक के प्रदर्शन के भुगतान को लागू करने के लिए योग्य अधिकार है।

समय के साथ संतुष्ट प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व के लिए, कंपनी उस प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में प्रगति को मापकर समय के साथ राजस्व को पहचानती है|

कंपनी समय के साथ संतुष्ट प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व के लिए प्रगति को मापने का एक ही तरीका लागू करती है और कंपनी उस पद्धति को समान प्रदर्शन दायित्वों और समान परिस्थितियों में लगातार लागू करती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी समय के साथ संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति का पुनःमापन करती है।

कंपनी अनुबंध के तहत वादा किए गए शेष माल या सेवाओं के सापेक्ष स्थानंतरित की गई वस्तुओं या सेवाओं के ग्राहक को मूल्य के प्रत्यक्ष माप के आधार पर राजस्व पहचानने के लिए उत्पादन तरीके को लागू करती है। उत्पादन विधियों में, आज तक पूर्ण किए गए प्रदर्शन के सर्वेक्षण, प्राप्त परिणामों के मूल्यांकन, प्राप्त पड़ाव, बीते समय और उत्पादित या प्रदत्त इकाइयों का इस्तेमाल करती हैं।

जैसे वक्त के साथ हालात बदलते हैं, कंपनी प्रदर्शन दायित्व के परिणाम में किसी भी बदलाव को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रगति के अपने उपाय को अपडेट करती है। कंपनी की प्रगति के माप में इस तरह के बदलावों को भारतीय लेखा मानक 8, लेखांकन नीतियों, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन के अनुसार लेखांकन अनुमान में परिवर्तन के रूप में माना जाता है।

कंपनी समय के साथ संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व के लिए राजस्व को तभी पहचानती है, जब कंपनी यथोचित रूप से प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि के दिशा में अपनी प्रगति को माप सकती है। जब (या के रूप में) एक प्रदर्शन दायित्व संतुष्ट हो जाता है, तो कंपनी लेन-देन मूल्य की राशि को राजस्व के रूप में पहचानती है (जो कि चर दायित्व के अनुमानों को शामिल नहीं करता है जो उस प्रदर्शन दायित्व के लिए आवंटित होता है।

यदि एक प्रदर्शन दायित्व समय के साथ संतुष्ट नहीं है, तो कंपनी एक समय में प्रदर्शन दायित्व को संतुष्ट करती है। उस समय को निर्धारित करने के लिए, जिस पर एक ग्राहक एक वादा किया हुआ माल या सेवा का नियंत्रण प्राप्त करता है और कंपनी एक प्रदर्शन दायित्व को संतुष्ट करती है, कंपनी नियंत्रण हस्तांतरण के संकेतकों पर विचार करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं पर इन तक सीमित नहीं हैं:

क) कंपनी के पास माल या सेवा के लिए भुगतान का वर्तमान अधिकार है:

ख) ग्राहक के पास माल या सेवा के लिए कानूनी शीर्षक है:

ग) कंपनी ने माल या सेवा के भौतिक अधिकार को स्थानांतरित कर दिया है:

घ) ग्राहक के पास माल या सेवा के स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और पारितोषिक हैं:

ड.) ग्राहक ने माल या सेवा को स्वीकार कर लिया है।

जब किसी अनुबंध के लिए पार्टी ने प्रदर्शन किया है, तो कंपनी के प्रदर्शन और ग्राहक के भुगतान के बीच के रिश्ते के आधार पर अनुबंध पत्रक को अनुबंध परिसंपत्ति या अनुबंध देयता के रूप में प्रस्तुत करती है। कंपनी अशर्त अधिकार प्रतिफल को प्राप्य के रूप में प्रस्तुत करती है।

संविदा परिसंपत्ति

ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के बदले में प्रतिफल करने के अधिकार को एक संविदा परिसंपत्ति कहते हैं। यदि कंपनी ग्राहक पर प्रतिफल करने से पहले या भुगतान देय होने से पहले किसी वस्तु या सेवाओं को किसी ग्राहक को हस्तांतरित करती है, तो अर्जित प्रतिफल के लिए सशर्त संविदा परिसंपत्ति में अभिज्ञात की जाती है।

व्यापार प्राप्य

प्रतिफल के परिमाण पर कंपनी के अधिकार का प्रतिनिधित्व एक प्राप्य करता है जो अशर्त है (यानी, प्रतिफल के भुगतान से पहले केवल समय बीतने की आवश्यकता है)।

संविदा देयताएं

एक संविदा दायित्व एक ग्राहक को माल या सेवाओं को स्थानांतरित करने का दायित्व है जिसके लिए कंपनी को ग्राहक से प्रतिफल (या प्रतिफल की राशि देय है) प्राप्त हुआ है। यदि कोई ग्राहक, कंपनी के द्वारा वस्तुओं या सेवाओं को स्थानांतरित करने से पहले, प्रतिफल का भुगतान करता है, तो ग्राहक पर विचार करता है, तो एक संविदा देयता को तब माना जाता है जब भुगतान या देय की जाती है (जो भी पहले हो)। संविदा देनदारियों को राजस्व के रूप में तब माना जाता है जब कंपनी संविदा के तहत प्रदर्शन करती है।

ब्याज

प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करते हुए ब्याज आय को मान्यता दी जाती है।

लाभांश

निवेशों से प्राप्त लाभांश आय की मान्यता दी जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होता है।

अन्य दावे

अन्य दावों 'ग्राहकों से देरी से प्राप्त राशि पर ब्याज सहित' को लेखाकृत किया जाता है, जब वसूली की प्राप्ति की निश्चितता है तथा इसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है।

2.5 सरकार से अनुदान

सरकारी अनुदान तब तक नहीं लिखे जाते हैं जबतक कि कंपनी द्वारा अनुदान से संबंधित शर्तों के अनुपालन तथा अनुदान प्राप्त कर ली जाएगी, इस बात का पर्याप्त आश्वासन हो।

सरकारी अनुदानों को, उन अवधियों के लिए, जिसमें कंपनी उसे व्यय के तौर पर लेती है एवं उससे संबद्ध लागत के लिए ही

अनुदान से ही क्षतिपूर्ति किया जाना है, लाभ एवं हानि के विवरण में व्यवस्थित आधार पर लिखा जाता है।

परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान/सहायता को तुलन पत्र में अनुदान को अस्थगित आम तौर पर प्रस्तुत किया जाता है तथा लाभ एवं हानि के विवरण में परिसंपत्तियों के उपयोगी आयु के व्यवस्थित आधार पर लिखा जाता है।

आय से संबंधित अनुदान अर्थात परिसंपत्ति के अलावा अनुदान को लाभ या हानि विवरण के अंश के तौर पर 'अन्य आय' सामान्य मद के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाता है।

एक सरकारी अनुदान पूर्ण रूप से हो चुके व्ययों अथवा हानियों या कंपनी की तात्कालिक वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से, जिसका भविष्य में कोई लागत न हो, के लिए क्षतिपूर्ति के तौर पर प्राप्य बन जाता है, तथा इसे उस अवधि के लिए लाभ या हानि मद में दिखलाया जाता है जिसमें वह प्राप्य बन जाता है।

सरकारी अनुदान या प्रमोटरों के योगदान के प्रवृति के रूप में सीधे मद में लिखा जाता है जो कि शेयरधारक निधि का अंश होता है।

2.6 पट्टे

अगर अनुबंध विचार के बदले में किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार समय अवधि के लिए देता है तो अनुबंध एक पट्टा है, या इसमें पट्टा शामिल है।

2.6.1 पट्टेदार के रूप में कंपनी

तिथि के आरंभ में, जिनकी अवधि 12 महीने या उससे कम की है हो या अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की हो उन सभी पट्टों को छोड़, सारे पट्टों के लिए पट्टेदार लागत पर एक संपत्ति की उपयोग पर अधिकार को मान्यता देगा एवं पट्टे भुगतान के वर्तमान मूल्य पर एक पट्टा देयता को मान्यता दी जाएगी जो उस तिथि में भुगतान नहीं किये गए हैं।

इसके बाद, संपत्ति के उपयोग का अधिकार को लागत मॉडल का उपयोग करके मापा जाता है, जहाँ पट्टा देयता का मापन ब्याज में प्रतिबिंबित करने के लिए राशि रखाव को बढ़ाकर मापा जाता है, एवं किए गए पट्टे भुगतान को प्रतिबिंबित करने के लिए राशि रखाव को घटाकर एवं राशि रखाव को पुनःमापन कर किसी पट्टे के संशोधनों या पुनर्मूल्यांकन को प्रतिबिंबित किया जाता है।

वित्त प्रभारों को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागतों में मान्यता दी जाती हैए जब तक कि लागतों को अन्य लागू मानकों को लागू करने वाली किसी अन्य परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में शामिल नहीं किया जाता है।

संपत्ति के उपयोगी जीवन पर उपयोग के अधिकार का मूल्यह्रास किया जाता हैए यदि पट्टा पट्टे की अवधि के अंत तक संपत्ति के स्वामित्व को पट्टेदार को हस्तांतरित करता है या यदि उपयोग के अधिकार की संपत्ति की लागत दर्शाती है कि पट्टेदार खरीद विकल्प का प्रयोग करेंगे। अन्यथाए पट्टेदार उपयोग करने हेतु अधिकार की संपत्ति का मूल्यह्रास प्रारंभ तिथि से उपयोग के अधिकार की संपत्ति के उपयोगी जीवन के अंत तक या पट्टे की अवधि के अंत तक करेगा।

2.6.2 पट्टादाता के रूप में कंपनी

परिचालन पट्टे या एक वित्त पट्टे के रूप में सभी पट्टे।

एक पट्टे को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत तब किया जाता है यदि यह अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए आकस्मिक सभी जोखिमों तथा प्रतिफल को स्थानांतरित करता है। एक पट्टे को एक संचालन पट्टे के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है जब यह सम्पतियों के स्वामित्व पर अंतर्निहित सभी जोखिमों और प्रतिफल को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित नहीं करता है।

संचालन पट्टे - संचालन पट्टे से भुगतान को एक सीधी आधार पर आय के रूप में पहचाना जाता है जब तक कि एक और व्यवस्थित आधार प्रतिरूप का अधिक प्रतिनिधि न हो जिसमें अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोग से लाभ कम हो।

वित्त पट्टे - एक वित्त पट्टे के तहत रखी गई संपत्ति को शुरू में इसकी तुलन पत्र में मान्यता दी जाती है और पट्टे में शुद्ध निवेश को मापने के लिए पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके पट्टे में शुद्ध निवेश के बराबर राशि के रूप में प्राप्य के रूप में उन्हें प्रस्तुत किया जाता है।

2.7 विक्रय के लिए रखा गया गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ

कंपनी गैर-चालू (एवम/(अथवा परिव्यक्त समूह) का विक्रय के लिए रखती है यदि उनके भारित राशि की वसुली मुख्य रूप से विक्रय के द्वारा होगी न कि लगातार उपयोग की वजह से। विक्रय पुरा करने के लिए जरूरी कदम को यह निर्दिष्ट करना चाहिए कि विक्रय में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने या विक्रय करने की निर्णय की वापस लेने की बिलकुल संभावना नहीं है। प्रबंधन को वर्गीकरण की तारीख से एक साल के अंदर अनुर्लिग्न विक्रय के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।

इन सब उद्देश्यों के लिए, विषय लेन-देन में अन्य गैर-मौजूदा परिसम्पत्तियों के लिए गैर-मौजूदा परिसम्पत्तियों के साथ विनिमय शामिल होता है, जब विनिमय में वाणिज्यिक पहलु होता है। विषय वर्गीकरण के लिए आयोजित मानदंडों को केवल तब ही माना जाता है जब परिसम्पत्तियों या निपटान समुह अपने वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए सामान्य और परंपरागत हैं, इसको बिक्री के उपलब्ध होता है, केवल ऐसी शर्तों के लिए जो ऐसी संपत्ति या निपटान समूहों को बिक्री के लिए सामान्य और परंपरागत है, इसको बिक्री अत्यधिक संभावित है, और यह वास्तव में बेचा जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। कंपनी परिसंपत्ति या निपटान समुह की बिक्री को बेहद संभव मानती है, जब:

- उपयुक्त स्तर की प्रबंधक, परिसंपत्ति (या निपटान समुह) को बेचने के लिए प्रतिबद्ध है;
- खरीददार का पता लगाने या योजना पूरी करने के लिए एक सक्रिय कार्यक्रम शुरू किया गया है,
- संपत्ति (निपटान समूह) का, सक्रिय रूप से अपने मौजूदा उचित मूल्य के संबंध में उचित मूल्य वाली कीमत पर बिक्री के लिए, विपणन किया जा रहा है,

- वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर पूरी बिक्री के रूप में मान्यता के लिए बिक्री के योग्य होने की उम्मीद है, एवं
- योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यों का संकेत मिलता है कि यह संभावना नहीं है कि योजना में वे सब महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे या योजना को वापस ले लिया जाएगा।.

2.8 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पी.पी.ई)

भूमि एतिहासिक लागत पर की जाती है। ऐतिहासिक लागत में वे सब व्यय भी शामिल है जिन्हें, संबंधित विस्थापित व्यक्तियों के लिए किए गए रोजगार के बदले भूमि के अधिग्रहण, पुनर्वास खर्च, पुनर्स्थापन लागत एवं क्षतिपूर्ति के लिए प्रत्यक्ष रूप से श्रेय दिया जाता है।

मान्यता के बाद, अन्य सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की एक वास्तु को, लागत प्रतिमान के तहत किसी भी संचित अवमूल्यन किसी भी संचित हानि को अपने लागत से घटाकर आगे लिया जाता है। संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों की एक मद में शामिल है:

(क) इसकी खरीद मूल्य, व्यापार छूट और छूट की कटौती के बाद आयात शुल्क तथा गैर-वापसी योग्य सहित।

(ख) कोई लागत जिसे परिसंपत्ति की स्थल तक लाने का सीधा श्रेय हो तथा प्रबंधन के उद्देश्य से कार्य करने में सक्षम होने के जरूरी शर्त

(ग) वस्तु को नष्ट करने एवं निकालने तथा उस स्थल को, जहां पर वह स्थित पुनर्स्थापित करने की लागत का प्रारंभिक अनुमान, वह जिसके लिए एक इकाई या तो तब उठती है जब वस्तु अधिग्रहित हो जाता है या किसी विशेष अवधि के दौरान वस्तु का उपयोग करने के फलस्वरूप उस अवधि के दौरान सामान-सूची बनाने के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए।

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के एक वस्तु का प्रत्येक भाग, जिसकी लागत, वस्तु के कुल लागत की तुलना में महत्वपूर्ण है, का अवमूल्यन अलग से होता है। यद्यपि पी पी ई के एक वस्तु के महत्वपूर्ण भाग (भागों), जिनका उपयोगी जीवन एवं मूल्यह्रास विधि एक समान होता है, को मूल्यह्रास विधि एक समान होता है, को मूल्यह्रास शुल्क निर्धारित करने के लिए एक साथ समुहीकृत किया जाता है।

"मरम्मत एवं रख-रखाव" के वर्णित दिन-प्रतिदिन की सर्विसिंग की लागत उस अवधि में लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त होती है जिसे उस अवधि में खर्च किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की एक मद की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण जगहों को बदलने के बाद की लागत वस्तु की वहन राशि में पहचाने जाते हैं, अगर यह संभव है कि वस्तु के साथ जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी के पास आएंगे, और वस्तु की लागत मजबूती से मापा जा सकता है। प्रतिस्थापित किए जाने वाले उन हिस्सों ले जाने वाली मात्रा का नीचे दिए गए विरूपण नीति के अनुसार अस्वीकृत कर दिया जाता है।

जब वृहत निरीक्षण किया जाता है तो उसको लागत को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के वस्तु की मात्रा में प्रतिस्थापन के रूप में पहचाना जाता है यदि यह संभावित है कि वस्तु के साथ जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी के पास आएंगे और वस्तु की लागत मजबूती से मापा जा सकता है। पिछली निरीक्षण (भौतिक भागों से अलग) की लागत का कोई शेष हो जाने वाली राशि को अवनित कर दिया जाता है।

परिसम्पत्तियों के उपयोग से भविष्य में किसी भी आर्थिक लाभ की आशा नहीं होने तथा निपटान पर संपत्ति, सयंत्र या उपकरण को अमान्य मन जाता है। संपत्ति, सयंत्र और उपकरणों के किसी भी एक मद में होने वाली लाभ-हानि को लाभ-हानि की श्रेणी में रखा जाता है।

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरणों के मूल्य ह्रास को, लगान मुक्त भूमि को छोड़कर, परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन के उपर निधि रेखा के आधार पर लागत प्रतिमान के अनुसार निम्नलिखित तौर पर प्रदान की जाती है:

अन्य भूमि (पट्टा भूमि सहित)	:	परियोजना की आयु या पट्टा अवधि जो भी कम हो
भवनें	:	3-60 वर्ष
सड़कें	:	3-10 वर्ष
दूर-संचार	:	3-9 वर्ष
रेलवे साइडिंग	:	15 वर्ष
सयंत्र एवं उपकरण	:	5-30 वर्ष
कंप्यूटर एवं लैपटॉप	:	3 वर्ष
कार्यालय उपकरण	:	3-6 वर्ष
फर्नीचर एवं फिक्सचर	:	10 वर्ष
वाहन	:	8-10 वर्ष

तकनीकि मूल्यांकन के आधार पर, प्रबंधन का मानना है कि उपर दिए गए उपयोगी जीवन अवधि उस सर्वोत्तम अवधि को चित्रित करता है जिसपर प्रबंधन को परिसंपत्ति उपयोग करने का अनुमान है। अतएव परिसम्पत्तियों के उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम, 2013 के शेड्यूल के भाग - सी के तहत निर्धारित उपयोगी जीवन से भिन्न हो सकते हैं।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिसम्पत्तियों की अनुमति उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों का अवशिष्ट मूल्य परिसंपत्ति के मूल लागत का 5 प्रतिशत माना जाता है सिवाय परिसम्पत्तियों की कुछ सामान को छोड़कर जैसे कोयला टन/घुमावदार रस्सियां, ढुलाई रस्सियां, भराई पम्प एवं सुरक्षा लैप इत्यादि, जिसके लिए तकनीकि रूप से अनुमानित उपयोगी जीवन का निर्धारण शुन्य अवशिष्ट मूल्य के साथ एक साल का किया गया है।

वर्ष के दौरान जोड़े/निकाले गए परिसम्पत्तियों पर मूल्य ह्रास को जोड़/निपटान महीने के संदर्भ में यथानुपात आधार पर प्रदान किया गया है।

"अन्य भूमि" के मूल्य में कोल बियरींग एरिया (अधिग्रहण एव निकाल); सी वी सी अधिनियम, 1957 भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार या पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आरएफसीटीएलएएआर) अधिनियम, 2013, सरकारी भूमि आदि का दीर्घकालीन हस्तांतरण, जो परियोजना की शेष जीवन के आधार पर परिशोधित होता है और पट्टे की भूमि के मामले में इस तरह के परिशोधन को पट्टे की अवधि या परियोजना के शेष जीवन पर, जो भी कम हो, पर आधारित होता है।

पूरी तरह अवशिष्ट परिसंपत्ति को, जिनकी सक्रिय उपयोग समाप्त है, संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के तहत अपने अवशिष्ट मूल्य पर अलग से सर्वेक्षण की हुई परिसंपत्ति के रूप में दिखलाया जाता है तथा उन्हें हानि के लिए परीक्षण किया जाता है।

कंपनी द्वारा कुछ परिसम्पत्तियों के निर्माण/विकास के लिए किए गए पूंजीगत व्यय, जो उत्पादन वस्तु आपूर्ति या कंपनी के किसी मौजूद परिसम्पत्तियों तक पहुंच के लिए आवश्यक होते हैं, को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के तहत सक्षम परिसम्पत्तियों के रूप में चिन्हित किया जाता है।

भारतीय लेखा मानक में ट्रांजीशन

पिछली जीएएपी के अनुसार मापी गई, भारतीय लेखा मानक में संक्रमण की तिथि पर वित्तीय विवरणों में पहचाने जाने वाले लागत प्रतिमान (अपने सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के लिए) के अनुसार वहन मूल्य को जारी रखने की कंपनी ने चुना है।

2.9 खान बंदीकरण, स्थल पुनर्स्थापन एवं सेवामुक्तिकरण दायित्व

भूमि सुधार एवं संरचनाओं के सेवा से मुक्ति संबंधी दायित्व कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सतह एवं भूमिगत दोनों खानों पर खर्च करना शामिल है। कंपनी, आवश्यक कार्यों को पूरा करने के लिए भविष्य की नकदी खर्च भी राशि एवं समय की विस्तृत गणना तथा तकनीकि आकलन के आधार पर खान बंदीकरण, स्थल पुनर्स्थापन एवं सेवा-नियुक्तिकरण के लिए दायित्व का अनुमान लगाती है। खान बंदीकरण व्यय स्वीकृत खान बंदीकरण योजना के अनुसार प्रदान की जाती है। व्ययों के अनुसार मुद्रास्फीति के लिए बढ़ाए जाते हैं, और फिर एक छूट दर पर छुट दी जाती है जो कि मुद्रा के समय मूल्य के मौजूदा बाजार मूल्यांकन और जोखिमों को दर्शाती है, जैसे कि प्रावधान की राशि दायित्व के निपटारे के लिए जरूरी अनुमानित व्यय के मौजूदा मूल्य को दर्शाती है। कंपनी अंतिम भूमि सुधार एवं खान बंदीकरण के लिए दायित्व से संबंधित परिसंपत्ति का आंकड़ा रखती है/रिकार्ड करती है। दायित्व एवं उससे संबंधित परिसम्पत्तियों को देयता अवधि में मान्यता प्राप्त होता है। दायित्व एवं उससे संबंधित परिसम्पत्तियों को देयता अवधि में मान्यता प्राप्त होता है। खदान बंदीकरण योजना के अनुसार कुल पुनर्स्थापन लागत (सीएमपीडीआईएल के द्वारा अनुमानित) को दर्शाने वाली परिसंपत्ति को पीपीई (संयंत्र, उपकरण) में एक अलग वस्तु के रूप में पहचाना जाना है और यह शेष परियोजना/खान जीवन पर परिशोधित होता है।

प्रावधान का मूल्य छुट के प्रभाव के रूप में धीरे-धीरे समय पर बदला जाता है और इससे उत्पन्न व्यय की वित्तीय व्ययों के रूप में लिया जाता है।

इसके अलावा, अनुमोदित खान बंदीकरण योजना के अनुसार इस उद्देश्य के लिए एक विशेष एस्क्रो निधि खाता का रख-रखाव किया जाता है।

कुल खदान बंदीकरण दायित्वों का हिस्सा बनने वाले वर्ष दर वर्ष के आधार पर किए जाने वाले प्रगतिशील खदान बंदीकरण व्ययों को प्रारंभिक रूप में एस्क्रो खाते से प्राप्य के रूप में पहचाना जाता है और उसके बाद उस वर्ष में दायित्व के साथ समायोजित।

2.10 अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्ति

अन्वेषण और मूल्यांकन परिसम्पत्तियों में पूँजीगत लागत शामिल होती है, जो कि कोयला और संबंधित संसाधनों की खोज के कारण होती है, जो तकनीकि व्यवहार्यता के निर्धारण तथा एक ऐसे संसाधन के वाणिज्यिक व्यवहार्यता क मूल्यांकन के लिए लंबित होती है जिसमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- अन्वेषण के अधिकारों का अधिग्रहण
- ऐतिहासिक अन्वेषण आंकड़ा का शोध तथा विश्लेषण
- भौगोलिक-रासायनिक तथा भौगोलिक-शारीरिक अध्ययन के माध्यम से अन्वेषण के आंकड़े एकत्रित करना
- खोजी वेधन, खाई-खुदाई एवं नमूना
- संसाधनों की मात्रा एवं श्रेणी का निर्धारण और जांच
- परिवहन एवं आवश्यक आधारभूत संरचनाओं का पर्यवेक्षण
- बाजार एवं वित्त अध्ययन का आयोजन

उपर्युक्त में कर्मचारी पारिश्रमिक, सामग्री लागत तथा उपयोग की जानेवाली ईंधन, ठेकेदारों का भुगतान आदि शामिल है।

चूंकि अमूर्त घटक भविष्य के शोषण से खर्च किये जाने और पुनर्नवीनी की जानेवाली समग्र अपेक्षित मौखिक लागत का एक तुच्छ/अप्रभेद्य भाग का प्रतिनिधित्व करता है, इन लागतों को अन्य पूंजीगत अन्वेषण लागतों के साथ अन्वेषण तथा मूल्यांकन परिसंपत्ति के रूप में दर्ज किया जाता है।

अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत परियोजना-दर-परियोजना के आधार पर तकनीकि व्यवहार्यता तथा परियोजना की व्यवसायिक व्यवहार्यता के लंबित निर्धारण तथा गैर-मौजूदा परिसम्पत्तियों के तहत एक अलग पंक्ति वस्तु के रूप में प्रकट किये जाते हैं। बाद में वे संचित हानि/प्रावधान को लागत में से कम करके मापे जाते हैं।

एक बार प्रमाणित होने के बाद कि भंडार का निर्धारण एवं खान/परियोजनाओं का विकास मंजूर है, अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसम्पत्तियों को प्रगति में पूंजीगत कार्य के तहत "विकास" में स्थानांतरित की जाती है। यद्यपि, यदि प्रमाणित किये गये भंडार का निर्धारण नहीं किया जाता है, तो अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्ति को अस्वीकृत कर दिया जाता है।

2.11 विकास व्यय

जब प्रमाणित भंडार का निर्धारण किया जाता है तथा खानों/परियोजनाओं के विकास को मंजूर किया जाता है, पूंजीकृत अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत को परिसंपत्ति के निर्माण के रूप में पहचाना जाता है और "विकास" मद के तहत प्रगति में पूंजीगत कार्य के एक घटक के रूप में प्रकट किया जाता है। इसके बाद के सभी विकास व्यय का भी पूंजीकरण किया गया है। विकास के चरण के दौरान निकाले जाने वाले कोयले की बिक्री से प्राप्त शुद्ध आय का पूंजीकरण किया गया है।

व्यवसायिक संचालन

परियोजना/खानों को राजस्व में लाया जाता है: जब टिकाउ आधार पर उत्पादन देने के लिए एक परियोजना/खदान की व्यवसायिक तैयारी या तो परियोजना रिपोर्ट में बताई गई शर्तों के आधार पर या निम्न मापदंडों के आधार पर स्थापित की जाती है:

(क) जिस वर्ष में अनुमोदित परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार, परियोजना के लिए निर्धारित क्षमता का 25 प्रतिशत भौतिक उत्पादन प्राप्त करता है, उस वर्ष के तुरंत बाद के वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से, या

(ख) कोयले को छूने के 2 साल, या

(ग) वित्तीय वर्ष के शुरूआत से जिसमें उत्पादन का मूल्य कुल खर्च से अधिक है जो भी घटना पहले घटित होती है;

राजस्व में लाये जाने पर, पूंजीगत कार्य के तहत परिसंपत्ति को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के एक घटक के रूप में "अन्य खनन बुनियादी ढ़ांचे" नामकरण के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। अन्य खनन आधारभूत संरचना को वर्ष से परिशोधित किया जाता है। जब खदान 20 वर्षों में राजस्व में लाया जाता है या परियोजना के कामकाजी जीवन से, जो भी कम हो।

2.12 अमूर्त परिसंपत्तियां

अलग से अधिगृहित अमूर्त परिसम्पत्तियों को प्रारंभिक मान्यता लागत पर मापा जाता है। एक व्यापार संयोजन में हासिल की जानेवाली अमूर्त परिसंपत्ति की लागत अधिग्रहण की तारीख पर उसका उचित मूल्य है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त परिसंपत्तियां किसी भी संक्षिप्त परिशोधन (उनके उपयोगी जीवन के उपर सीधी रेखा के आधार पर की गई गणना) और संचित हानि के नुकसानों पर खर्च की जाती है, यदि कोई हो।

आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त संपत्तियां, पूंजीगत विकास लागत को छोड़कर, पूंजीकृत नहीं किये जाते हैं। इसके बजाय, संबंधित व्यय को उस अवधि में लाभ या हानि तथा अन्य व्यापक आय के विवरण में पहचाना जाता है जिसमें व्यय किया गया है। अमूर्त परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन को परिमित या अनिश्चित काल के रूप में मूल्यांकन किया जाता है। अमूर्त संपत्ति में विकृति होने के संकेत मिलने पर, परिमित जीवन के साथ अमूर्त परिसंपत्ति उनके उपयोगी आर्थिक जीवन से परिशोधित होती है एवं हानि के लिए मूल्यांकन की जाती है। परिशोधन अवधि एवं परिमित उपयोगी जीवन के साथ एक अमूर्त परिसंपत्ति के लिए परिशोधन विधि की कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन या परिसंपत्ति में अंकित भविष्य के आर्थिक लाभों के उपभोग के अपेक्षित पैटर्न में परिवर्तन को परिशोधन अवधि या विधि, जो भी उपर्युक्त हो, को संसोधन के लिए माना जाता है, और लेखा के अनुमानों में परिवर्तन के रूप में लिया जाता है। परिमित जीवन के साथ अमूर्त परिसंपत्ति पर परिशोधन व्यय को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दिया जाता है।

एक अनिश्चित उपयोगी जीवन के साथ एक अमूर्त परिसंपत्ति को परिशोधित नहीं किया जाता है बल्कि प्रत्येक रिपोर्टिंग की तारीख पर हानि के लिए इसकी जांच की जाती है।

एक अमूर्त परिसंपत्ति की मान्यता रद्द होने से उत्पन्न लाभ या हानि को शुद्ध निपटान प्राप्ति एवं परिसंपत्ति की वहन राशि के अंतर के रूप में मापा जाता है तथा लाभ और हानि के विवरण में इसे मान्यता प्राप्त होता है।

बिक्री के लिए पहचाने जाने वाले या बाहर की एजेंसियों को बेचने के लिए प्रस्तावित ब्लॉकों के लिए अन्वेषण तथा मूल्यांकन परिसंपत्तियां (अर्थात सीआइएल के लिए अनिर्धारित ब्लॉक) को यद्यपि अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है और हानि के लिए परीक्षण किया गया है।

अनुसंधान और विकास को व्यय होते ही व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.13 परिसम्पत्तियों की हानि (वित्तीय परिसम्पत्तियों के अलावा)

कंपनी अनेक रिपोर्टिंग के अंत में आंकलन करती है कि यदि किसी परिसंपत्ति में विकृति आने का संकेत है। ऐसे किसी संकेत के मौजूद होने पर कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। एक परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि, परिसंपत्ति या उपयोग में मौजूद नगद उत्पन्न करने वाले यूनिट के मूल्य एवं निपटारा लागत कम करने के उपरांत इसके अंकित मूल्य से अधिक होता है और इसका निर्धारण व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए किया जाता है, जबतक कि परिसंपत्ति नगदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती जो कि काफी हद तक अन्य परिसंपत्ति या परिसम्पत्तियों के समूह से स्वतंत्र होती है, उस स्थिति में नगद उत्पन्न करनेवाली इकाई के लिए वसूली योग्य राशि निर्धारित की जाती है जिसके लिए परिसंपत्ति संबंधित है। कंपनी व्यक्तिगत खानों को हानि के परीक्षण के उद्देश्य के लिए अलग नगदी उत्पन्न करने वाली इकाइयों के रूप में मानती है।

अगर किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि को उसकी वहन राशि से कम होने का अनुमान लगाया गया है तो परिसंपत्ति की वहन राशि इसके वसूली योग्य राशि से कम हो जाती है और इससे हुए हानि को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.14 निवेश संपत्ति

वैसी संपत्ति (भूमि या भवन या किसी भवन का हिस्सा या दोनों) जिसे किराया या पूंजी की वृद्धि या दोनों के लिए रखा गया है, बजाय माल या सेवाओं के उत्पादन या आपूर्ति या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने अथवा व्यापार के साधारण क्रम में बिक्री के लिए, को निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

निवेश संपत्ति की शुरूआत अपनी लागत पर होती है जिसमें संबंधित लेन-देन लागत तथा जहां कहीं भी लागू उधार लागत शामिल होता है।

निवेश गुणों में अवमूल्यन उसके अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करते हुए होता है।

2.15 वित्तीय साधन

एक वित्तीय साधन वह अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय संपत्ति और दूसरी इकाई की वित्तीय देयता या इक्विटी साधन को जन्म देता है।

2.15.1 वित्तीय परिसम्पत्तियाँ

2.15.1.1 प्रारंभिक मान्यता एवं मापन

वैसे सभी वित्तीय परिसम्पत्तियाँ को, जिनको लाभ हानि विवरण के माध्यम से अंकित मूल्य में नहीं दर्ज किया गया है तथा वित्तीय परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण के कारण उत्पन्न लेन-देन लागत के संबंध में, प्रारंभिक रूप से अंकित मूल्य पर मान्यता दिया जाता है। खरीदारी या वित्तीय परिसम्पत्तियों की बिक्री, जो बाजार में मौजूद नियमन या प्रथा के द्वारा स्थापित किए गए समय सीमा के अंदर परिसम्पत्तियों के देनदारी के लिए जरूरी होता है, को व्यापार तिथि पर मान्यता प्राप्त होता है, यानि जिस तारीख पर कम्पनी परिसम्पत्ति की खरीदारी या बिक्री के लिए प्रतिबद्ध होती है।

2.15.2 बाद के मापन

बाद के मापन के उद्देश्यों के लिए वित्तीय परिसम्पत्तियों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

- परिशोधित लागत पर ऋण साधन।
- अन्य व्यापक आय (एफ भी टी ओ सी आई) के माध्यम से अंकित मूल्य पर ऋण साधन।
- लाभ एवं हानि (एफ भी टी पी एल) के माध्यम से अंकित मूल्य पर ऋण साधन, व्युत्पन्न एवं इक्विटी साधन।
- अन्य व्यापक आय (एफ भी टी ओ सी आई) के माध्यम से अंकित मूल्य पर मापे गए इक्विटी साधन।

2.15.2.1 परिशोधित लागत पर ऋण साधन

ऋण साधन को परिशोधित लागत पर मापा जाता है यदि निम्न स्थितियां पूरी होती है:

(क) परिसम्पत्ति को एक व्यापार प्रतिमान के अंदर रखी जाती है जिसका उद्देश्य संविदागत नकदी को प्रवाह एकत्रित करने के लिए परिसम्पत्ति रखना है, एवं

(ख) परिसम्पत्ति के अनुबंध संबंधी शर्तें निर्दिष्ट तिथियों में नगदी प्रवाह को उत्पन्न करते हैं जो कि बकाया मूलधन राशि पर सिर्फ मूलधन एवं ब्याज (एस पी पी आई) का भुगतान होता है।

प्रारंभिक माप के बाद ऐसी वित्तीय परिसम्पत्तियों को प्रभावी ब्याज दर (ई आई आर) पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर प्रीमियम या कटौती तथा फीस या लागत जो कि ई आई आर का अभिन्न अंग होता है। ई आई आर परिशोधन को लाभ या हानि में वित्तीय आय के रूप में शामिल किया गया है। विकृति के कारण उत्पन्न हानियों को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

2.15.2.2 एफभीटीओसीआई पर ऋण साधन

ऋण साधन को एफभीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि निम्न दोनों मानदंड पूरे हो जाते हैं:

(क) व्यापार प्रतिमान का उद्देश्य दोनों संविदागत नगदी प्रवाह को एकत्र करके तथा वित्तीय परिसम्पत्तियों को बेचकर हासिल किया जाता है, एवं

(ख) परिसम्पत्ति के नगदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करते हैं।

एफभीटीओसीआई श्रेणी में शामिल ऋण साधनों को शुरूआत में ही तथा साथ ही साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को उचित मूल्य पर मापा जाता है। उचित मूल्य चलन को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में लिया जाता है। यद्यपि कम्पनी, ब्याज आय, विकृति हानि एवं उत्क्रमण तथा विदेशी विनिमय से संबंधित लाभ या हानि को, लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता देती है। परिसम्पत्ति की मान्यता रद्द होने पर ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचेय लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ/हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। एफभीटीओसीआई ऋण साधन रखने पर ईआईआर पद्धति का उपयोग करते हुए ब्याज आय के रूप में अर्जित ब्याज को दर्ज किया जाता है।

2.15.2.3 एफभीटीपीएल पर ऋण साधन

एफभीटीपीएल ऋण साधनों के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है। किसी भी ऋण साधन, जो वर्गीकृत किए गए मानदंडों को परिशोधित लागत या एफभीटीओसीआई के रूप पूरा नहीं करता है, को एफभीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अलावा, कम्पनी एक ऋण साधन नामित करने का चुनाव कर सकती है, जो अन्यथा एफभीटीपीएल के अनुसार परिशोधित लागत या एफभीटीओसीआई मानदंडों को पूरा करती है। यद्यपि ऐसे चुनाव की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब कोई माप या मान्यता असंगतता को कम कर देता है या समाप्त कर देता है (जिसे "बेमेल लेखा" कहा जाता है)। कम्पनी ने किसी भी ऋण साधन को एफभीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया है।

एफभीटीपीएल श्रेणी में शामिल ऋण साधनों को उचित मूल्य पर मापा जाता है, जिसमें लाभ एवं हानि में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तन मौजूद होते हैं।

2.15.2.4 सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम में इक्विटी निवेश

भारतीय लेखा मानक 101 (भारतीय लेखा मानक का पहली बार अंगीकरण) पारगमन की तिथि पर पिछले जीएएपी के अनुसार इन निवेशों की वहन राशि को स्वीकृत लागत के रूप में माना जाता है। इसके बाद सहायक, सहयोगी एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश को लागत पर मापा जाता है।

समेकित वित्तीय विवरण के संदर्भ में, सहयोगी एवं संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेशों का लेखाकरण भारतीय लेखा मानक 28 के पारा 10 में वर्णित इक्विटी विधि के अनुसार किया जाता है।

2.15.2.5 अन्य इक्विटी निवेश

भारतीय लेखा मानक 109 के दायरे में अन्य सभी इक्विटी निवेशों को लाभ या हानि के माध्यम से अंकित मूल्य पर मापा जाता है।

अन्य सभी इक्विटी साधनों के लिए, कंपनी अंकित मूल्य में व्यापक आय के बाद के बदलाव में प्रस्तुत करने के लिए अटल चुनाव कर सकती है। कम्पनी इस तरह के चुनाव साधन-दर-साधन के आधार पर करती है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया जाता है और यह अपरिवर्तनीय होता है।

अगर कम्पनी एफभीटीओसीआई पर आधारित इक्विटी साधन को वर्गीकृत करने का फैसला करती है, तो लाभांशों को छोड़कर, साधन पर सभी अंकित मूल्यों में परिवर्तनों को ओसीआई में लिया जाता है। इन राशियों का ओसीआई से लाभ एवं हानि में किसी भी प्रकार का पुनर्वृति नहीं होता है, निवेशों के बिक्री पर भी नहीं। यद्यपि कम्पनी इक्विटी के तहत संचयित लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकती है।

एफभीटीपीएल श्रेणी के अंदर शामिल इक्विटी साधनों को लाभ एवं हानि में लिये गये सभी परिवर्तनों के साथ अंकित मूल्य पर मापा जाता है।

2.15.2.6 अस्वीकृति

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के एक समूह का हिस्सा) की मान्यता को मुख्यतः समाप्त (अर्थात, कम्पनी के समेकित तुलन पत्र से हटाई गई) किया जाता है जब:

- परिसंपत्ति से नगद प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार की समय सीमा समाप्त हो गई है, या
- कम्पनी ने परिसंपत्ति से नगद प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है या "पास-थ्रू" व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्ष को बिना भौतिक देरी के पूरी तरह से प्राप्त नगदी प्रवाह का भुगतान करने के लिए एक दायित्व को ग्रहण किया है: और या तो (ए) कम्पनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों एवं पुरस्कारों को काफी हद तक स्थानांतरित कर दिया है, या (बी) कम्पनी ने न तो स्थानांतरण किया है और न ही परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को संभाल कर रखा है, बल्कि परिसंपत्ति पर नियंत्रण को स्थानांतरित कर दिया है।

जब कंपनी परिसंपत्ति से नगदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है या पास-थ्रू व्यवस्था में प्रवेश किया है, तो यह मूल्यांकन करता है कि क्या और किस हद तक इसने स्वामित्व के जोखिमों एवं पुरस्कारों को संभाल कर रखा है। जब यह न तो स्थानांतरित हो गया है और न ही परिसंपत्ति के सभी जोखिमों एवं पुरस्कारों को बनाए रखा है, न ही परिसंपत्ति का स्थानांतरण किया है, कम्पनी अपने निरंतर सहभागिता की सीमा तक स्थानांतरित परिसंपत्ति को मान्यता देता रहता है। उस मामले में, कम्पनी एक संबद्ध दायित्व को भी मान्यता देती है। स्थानांतरित किये गये परिसंपत्ति एवं संबद्ध देयता को इस आधार पर मापा जाता है कि वह कम्पनी के द्वारा रखे गये अधिकारों एवं दायित्वों को दर्शाता है। स्थानांतरित परिसंपत्ति पर गारंटी का आकार लेने वाली सतत् भागीदारी को, संपत्ति के मूल वहन राशि एवं कम्पनी के द्वारा विचाराधीन अधिकतम चुकाने की राशि, में से न्यूनतम पर मापा जाता है।

2.15.2.7 वित्तीय परिसम्पत्तियों की विकृति/हानि (उचित मूल्य के अलावा)

भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार, कम्पनी अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) प्रतिमान को मापने और निम्नलिखित वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं खुले हुए क्रेडिट जोखिम पर हानि के नुकसान की पहचान करती है:

(क) वित्तीय परिसंपत्तियां जो कि ऋण साधन है, और परिशोधित लागत पर मापे जाते हैं जैसे कि ऋण, ऋण प्रतिभूतियां, जमा, व्यापार प्राप्य एवं बैंक शेष।

(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां जो कि ऋण साधन है और एफभीटीओसीआई पर मापी जाती है

(ग) भारतीय लेखा मानक 116 के तहत प्राप्य पट्टे

(घ) व्यापार प्राप्तियां या नगद या किसी अन्य वित्तीय परिसंपत्ति, जो कि भारतीय लेखा मानक 115 के सीमा के अंदर हुए लेन-देनों के कारण उत्पन्न होता है, को प्राप्त करने के लिए कोई संविदात्मक अधिकार।

निम्नलिखित पर विकृति हानि भत्ता के मान्यता के लिए कम्पनी "सरलीकृत दृष्टिकोण को अनुसरण करती है:

- व्यापार प्राप्य या संविदा राजस्व प्राप्य: तथा
- भारतीय लेखा मानक 116 के सीमा के अंदर हुए लेन-देन के कारण उत्पन्न सभी पट्टे प्राप्तियां

सरलीकृत दृष्टिकोण की अनुप्रयोग के लिए कम्पनी को क्रेडिट जोखिम में होने वाले परिवर्तनों को पता लगाने की जरूरत नहीं होती है। बल्कि इसे प्रारंभिक मान्यता से शुरू प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर जीवन भर के इसीएल के आधार पर विकृति हानि भत्ता को मान्यता देती है।

2.15.3 वित्तीय देनदारियाँ

2.15.3.1 प्रारंभिक मान्यता एवं मापन

कम्पनी की वित्तीय देनदारियों में व्यापार एवं अन्य देनदारियां, बैंक ओवरड्राफ्ट सहित ऋण एवं उधार शामिल है।

सभी वित्तीय देनदारियों को प्रारंभिक रूप में अंकित मूल्य पर लिया जाता है और, ऋण और उधार तथा देनदारियों के मामले में, प्रत्यक्ष तौर पर आरोपित लेन-देन लागतों का निबल राशि।

2.15.3.2 बाद के मापन

वित्तीय देनदारियों का माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जो कि नीचे वर्णित है:

2.15.3.3 लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियाँ

लाभ या हानि के माध्यम से अंकित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों में लाभ या हानि के माध्यम से अंकित मूल्य के रूप में प्रारंभिक मान्यता पर नामित व्यापारिक एवं वित्तीय देनदारियों के लिए वित्तीय देयताएं शामिल होते हैं। वित्तीय देयताओं को व्यापार के लिए रखे जाने के तौर पर वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। इस श्रेणी में कम्पनी द्वारा दर्ज वैसे व्युत्पन्न वित्तीय साधनों को भी शामिल किया गया है जिन्हें भारतीय लेखा मानक 109 के द्वारा परिभाषित हेज संबंध में हेजिंग साधन के तौर पर नामित नहीं

किया गया है। अलग-अलग एमबेडेड डेरीवेटिव्स को भी ट्रेडिंग के लिए वर्गीकृत किया जाता है, जबतक उन्हें प्रभावी हेजिंग साधन के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है।

व्यापार के लिए रखे गये देनदारियों पर लाभ या हानि को लाभ-हानि में लिया जाता है।

लाभ या हानि के माध्यम से अंकित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता के रूप में नामित वित्तीय देनदारियों को इस प्रकार मान्यता की प्रारंभिक तारीख पर नामित किया जाता है, यदि भारतीय लेखा मानक 109 में दिये गये मानदंडों की संतुष्टि होती है। एफभीटीपीएल के रूप में नामित देनदारियों के रूप में, ओसीआई में स्वयं के क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन के कारण उचित मूल्य लाभ/हानि को मान्यता दी जाती है। ये लाभ/हानि बाद में लाभ एवं हानि में हस्तांतरित किये जाते हैं। यद्यपि कम्पनी इक्विटी के तहत संचित लाभ या हानि को हस्तांतरित कर सकती है। ऐसे दायित्व के अंकित मूल्य में अन्य सभी परिवर्तन लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दिए जाते हैं। कंपनी ने लाभ या हानि के माध्यम से अंकित मूल्य के रूप में किसी वित्तीय देयता को निर्दिष्ट नहीं किया है।

2.15.3.4 परिशोधित लागत पर वित्तीय देनदारियाँ

प्रारंभिक मान्यता के बाद, इन्हें प्रभावी ब्याज दर विधि के द्वारा बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लाभ या हानियों को तभी लाभ या हानि में मान्यता दिया जाता है जब देनदारियों को प्रभावी ब्याज दर परिशोधन विधि के माध्यम से साथ ही साथ असंबद्ध किया जाता है। परिशोधित लागत की गणना, कोई भी कटौती या अधिग्रहण पर प्रीमियम एवं फीस या लागत, जो कि प्रभावी ब्याज दर के अभिन्न अंग होते हैं, को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को वित्तीय लागत के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में शामिल किया जाता है। सामान्यतः यह श्रेणी उधार लेने की स्थिति पर लागू होती है।

2.15.3.5 अस्वीकृति

एक वित्तीय देयता की मान्यता को समाप्त किया जाता है जब देनदारियों के अन्तर्गत दायित्व का निर्वाह किया जाता है या रद्द या समाप्त किया जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को एक ही ऋणदाता से काफी भिन्न शब्दों पर बदल दिया जाता है, या मौजूदा दायित्व की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो इस तरह के विनिमय या संशोधन को मूल उत्तरदायित्व की मान्यता और नई देनदारी की मान्यता के रूप में माना जाता है। वित्तीय देयताओ (या वित्तीय देनदारी का हिस्सा) के वहन राशि जो कि समाप्त हो चुके हैं या दूसरी पार्टी को हस्तांतरित किए गए हैं एवं कोई भी गैर नगद परिसंपत्ति हस्तांतरित किया गया या माने गए देयताओं के बीच के अंतर को लाभ या हानि में मान्यता दिया जाएगा।

2.15.4 वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण

कम्पनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देनदारियों का वर्गीकरण निर्धारित करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए कोई पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है जो इक्विटी साधन एवं वित्तीय देनदारियां हैं। वैसे वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए जो ऋण साधन हैं, पुनर्वर्गीकरण तभी किया जाता है यदि उन परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यापार प्रतिमान में कोई बदलाव किया गया हो। व्यापारिक प्रतिमान में होनेवाले बदलाव के लिए विलक्षण होने की संभावना है। कम्पनी के वरिष्ठ प्रबंधन, व्यापार के प्रतिमान में परिवर्तन को बाहरी या आंतरिक परिवर्तन के परिणाम के रूप में निर्धारित करता है जो कम्पनी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे परिवर्तन बाह्य पक्षों के लिए स्पष्ट होता है। व्यवसाय प्रतिमान में बदलाव तब होता है जब कम्पनी या तो शुरू होती है या किसी गतिविधि को पूरा करने के लिए समाप्त होती है जो कि उसके संचालन के लिए महत्वपूर्ण होती है। यदि कम्पनी वित्तीय परिसंपत्तियों को पुनर्वर्गीकृत करती है तो यह पुनर्वर्गीकरण की तारीख से पुनः परिष्करण पर लागू होता है जो व्यापार प्रतिमान में बदलाव के तुरंत बाद अगली रिपोर्टिंग अवधि का पहला दिन होता है। कम्पनी पहले से किसी भी मान्यता प्राप्त लाभ, हानि (विकृति के कारण लाभ या हानि सहित) या ब्याज को पुनर्लिखित नहीं करती है।

निम्नलिखित तालिका में विभिन्न पुनर्वर्गीकरणों को एवं उनके लेखाकरण के तरीकों को दिखलाया गया है।

मूल वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखा उपचार
परिशोधित लागत	एफभीटीपीएल	अंकित मूल्य को पुनर्वर्गीकरण तारीख पर मापा जाता है। पिछले परिशोधित लागत एवं अंकित मूल्य के बीच के अंतर को लाभ एवं हानि में लिया जाता है।
एफभीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण की तारीख पर अंकित मूल्य नई समेकित वहन राशि बन जाती है। ईआईआर की गणना नई समेकित वहन राशि के आधार पर की जाती है।
परिशोधित लागत	एफभीटीओसीआई	अंकित मूल्य को पुनर्वर्गीकरण तारीख पर मापा जाता है। पिछले परिशोधित लागत एवं अंकित मूल्य के बीच के अंतर को लाभ एवं हानि में लिया जाता है। पुनर्वर्गीकरण के कारण ईआईआर में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
एफभीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण की तारीख पर अंकित मूल्य नई समेकित वहन राशि बन जाती है। यद्यपि ओसीआई में संचयी लाभ या हानि को अंकित मूल्य के विरूद्ध समायोजित किया जाता है। बाद में, परिसंपत्ति को इस प्रकार मापा जाता है मानो कि यह परिशोधित लागत पर हमेशा मापा गया था।
एफभीटीपीएल	एफभीटीओसीआई	पुनर्वर्गीकरण की तारीख पर अंकित मूल्य नई समेकित वहन राशि बन जाती है। अन्य कोई समा-योजन की जरूरत नहीं है।
एफभीटीओसीआई	एफभीटीपीएल	परिसंपत्तियों को निरंतर अंकित मूल्य पर मापा जाता है। ओसीआई में लिये गये पहले से संचयी लाभ या हानि को पुर्नवर्गीकरण की तारीख पर लाभ या हानि में वर्गीकृत किया जाता है।

2.15.5 वित्तीय साधनों का प्रति संतुलन

वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देनदारियों को प्रति संतुलित कर दिया जाता है तथा समेकित तुलन पत्र में निबल राशि की सूचना दी जाती है यदि, वर्तमान में मान्यता प्राप्त राशियों को प्रति संतुलित करने के लिए कानूनी अधिकार होता है तथा परिसंपत्तियों को प्राप्त करने एवं देयदारियों का निपटारा एक साथ करने के लिए, निबल आधार पर निपटारा करने का इरादा हो।

2.15.6 नकद एवं नकद समतुल्य

तुलन पत्र में नकद एवं नकद समतुल्य में बैंकों में नकदी एवं हाथ पर राशि और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा शामिल होते हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के निरर्थक जोखिम के अधीन होते हैं। नकदी प्रवाह के समेकित बयान के उद्देश्य से, नकदी और नकदी समकक्षों में नकदी और अल्पकालिक जमा शामिल होते हैं, जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है, बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट का निबल शामिल हैं, क्योंकि उन्हें कंपनी के नकदी प्रबंधन का एक अभिन्न अंग माना जाता है।

2.16 उधार लेने की लागत

उधार लेने की लागत व्यय के रूप में खर्च कर दी जाती है इस अपवाद के साथ, जहां वे योग्य संपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए प्रत्यक्ष रूप से श्रेय दे रहे हैं अर्थात, जो परिसंपत्तियां इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लेते हैं, उस मामले में उस परिसंपत्ति के लागत में हिस्से के रूप में, योग्य परिसंपत्ति के अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने की तारीख तक पूंजीकृत होते हैं।

2.17 कर आरोपन

आयकर व्यय वर्तमान में देय तथा स्थगित कर के योग को दर्शाता है।

वर्तमान कर एक निश्चित अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर नुकसान) के संबंध में आयकर देय (वसूली) की राशि है। लाभ या हानि के विवरण एवं अन्य व्यापक आय में दर्ज होने के अनुसार योग्य लाभ, (आयकर से पहले लाभ) से अलग होता है क्योंकि इसमें आय या व्यय की वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जो कि अन्य वर्षों में कर योग्य या घटाया जा सकता है और फिर इसमें उन वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जो कभी भी कर योग्य या घटाने लायक नहीं होते हैं। मौजूदा कर के लिए कम्पनी की देनदारी उन करों का उपयोग करके गणना की गई है जिसे अधिनियमित किया गया है या रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वास्तविक रूप से अधिनियमित किया गया है।

अस्थगित कर देनदारियों को आम तौर पर सभी कर योग्य अस्थाई अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है। अस्थगित कर परिसंपत्ति आम तौर पर सभी कटौती योग्य अस्थाई अंतर के लिए उस सीमा तक मान्यता प्राप्त होती है जहां संभावित है कि कर योग्य मुनाफा उपलब्ध होगा, जिसके साथ उन घटाने योग्य अस्थाई अंतरों का उपयोग किया जा सकता है। ऐसी परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है यदि अस्थाई अंतर सद्भावना से या प्रारंभिक मान्यता (व्यापार संयोजन के अलावा) से अन्य परिसंपत्तियों या देनदारियों के लेन-देन से उत्पन्न होता है जो न तो कर योग्य लाभ और न ही लेखा लाभ को प्रभावित करता है।

अस्थगित कर देनदारियों को अनुषंगियों एवं सहयोगी कम्पनियों में निवेश से संबंधित कर-योग्य अस्थाई अंतर के लिए लिया जाता है सिवाय उस स्थिति में जहां कम्पनी अस्थाई अंतर के उत्क्रमण को नियंत्रित करने में सक्षम है तथा यह संभव है कि अस्थाई अंतर निकट भविष्य में बदल नहीं जाएगा। अस्थगित कर परिसंपत्तियां इस प्रकार के निवेशों एवं हितों से संबद्ध कटौती योग्य अस्थाई अंतरों से उत्पन्न होनेवाले अस्थगित कर परिसंपत्ति को सिर्फ उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जहां यह संभव है कि अस्थाई अंतरों के लाभ को उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ मौजूद होगा।

अस्थगित कर परिसंपत्तियों की अग्रेषित राशि की प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है और इस सीमा तक कम की जाती है कि यह संभावित नहीं है कि संपत्ति सभी या हिस्से को पुनर्प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कर योग्य मुनाफा उपलब्ध होगा। अमान्य स्थगित कर परिसंपत्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में पुनर्मुल्यांकन किया जाता है और इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित हो गया है कि अस्थगित कर परिसंपत्ति के सभी या हिस्से को पुनर्प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

अस्थगित कर परिसंपत्ति एवं देनदारियों को कर की दर से मापा जाता है जो कि उस अवधि में लागू होने की उम्मीद की जाती है, जिसमें देयता का निपटारा होता है या परिसंपत्ति की प्राप्ति होती है, कर दर (और कर कानून) के आधार पर लागू किया जाता है जिसे अधिनियमित किया गया है या रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वास्तविक रूप से अधिनियमित किया गया है।

अस्थगित कर देनदारियों एवं परिसंपत्तियों का माप, कर परिणामों को दर्शाता है जो कि कम्पनी की उम्मीद के अनुसार चलता है ताकि कम्पनी के परिसंपत्ति एवं देयताओं के वहन राशि का वसूली या निपटारा हो जाए।

वर्तमान और अस्थगति कर को लाभ या हानि में पहचाना जाता है सिवाय, जब वे अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में पहचाने गये वस्तुओं से संबंधित होते हैं, जिस मामले में वर्तमान और अस्थगित कर भी अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त होते हैं। जब मौजूदा कर या अस्थगित कर एक व्यापार संयोजन के लिए प्रारंभिक लेखा से उत्पन्न होता है तब कर प्रभाव को व्यापार संयोजन के लिए लेखांकन में शामिल किया जाता है।

2.18 कर्मचारी लाभ

2.18.1 लघु-अवधि के लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ कर्मचारी लाभ (समाप्ति लाभों के अलावा) हैं जिसके वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत के बारह महीने से पहले पूरी तरह से निपटाए जाने की उम्मीद है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं।

सभी अल्प-कालिक कर्मचारी लाभ उस अवधि में पहचाने जाते हैं जिसमें वे खर्च किये गये हैं।

2.18.2 रोजगारोंपरांत लाभ तथा अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

2.18.2.1 परिभाषित योगदान योजनाएँ

एक परिभाषित योगदान योजना रोजगारोपरांत लाभ योजना है जिसके तहत कंपनी एक सांविधिक निकाय द्वारा रखी गयी निधि में निश्चित योगदान का भुगतान करती है और कम्पनी के पास कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होगा या अधिक मात्रा में भुगतान करने के लिए। परिभाषित योगदान योजनाओं में योगदान के लिए दायित्वों को कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं के अवधि के दौरान लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

2.18.2.2 परिभाषित लाभ योजना

परिभाषित लाभ योजना एक परिभाषित योगदान योजना के अलावा रोजगारोंपरांत लाभ योजना है। परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कम्पनी की शुद्ध दायित्वों को भविष्य लाभ की राशि का आंकलन करके गणना की जाती है, जो कि कर्मचारियों ने अपनी सेवा के बदले वर्तमान एवं पूर्व की अवधि में अर्जित किया है। लाभ के वर्तमान मूल्य की गणना के लिए इसे कटौती पश्चात योजना परिसंपत्तियों के अंकित मूल्य से घटा दिया जाता है, यदि कोई हो। छूट की दर रिपोर्टिंग तिथि पर भारत सरकार प्रतिभूति के प्रचलित बाजार देय पर आधारित होती है जिनकी, कम्पनी के दायित्वों के अवधियों की सीमितीकरण द्वारा प्राप्त, परिपक्वता तिथियां होती हैं तथा वे उसी मुद्रा में नामित होते हैं जिसमें लाभों को भुगतान करने का अनुमान है।

वास्तविक मूल्यांकन के प्रयोग में, कटौती दर के बारे में अनुमानों को बनाने, परिसंपत्तियों पर अनुमानित प्राप्ति दर, भविष्य की वेतन वृद्धियां, मरणशीलता दर इत्यादि शामिल होते हैं। इन सब योजनाओं के दीर्घकालीन स्वभाव के कारण इस प्रकार के अनुमानों में अनिश्चितता रहती है। प्रत्येक तुलन पत्र पर गणना बीमांकित के द्वारा प्रक्षेपित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग करते हुए की जाती है। जब गणना परिणाम कम्पनी के हित में होती है तो मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति को योजना में भविष्य योगदानों में कटौती या योजना से प्राप्त कोई भविष्य वापसी धन के रूप में मौजूद आर्थिक लाभों के वर्तमान मूल्य तक परिसंपत्ति को सीमित किया जाता है। कम्पनी को आर्थिक लाभ तब मिलता है जब यह योजना के जीवन काल के दौरान प्राप्त करने योग्य हो या, योजना देनदारियों के निपटारे पर।

परिभाषित निबल लाभ देयता का पुनर्मापन जिसमें योजना परिसंपत्तियों (ब्याज छोड़कर) पर प्राप्ति एवं परिसंपत्तियों की सीमांकन के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, वैसे वास्तविक लाभ तथा हानि शामिल होते हैं जिन्हें तैयार किया जाता है, को अन्य विस्तृत व्यापक आय में तुरंत मान्यता दिया जाता है। कम्पनी अवधि के लिए परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) के निबल राशि पर प्राप्त होनेवाली निबल ब्याज व्यय (आय) का निर्धारण परिभाषित लाभ दायित्व में मापने के लिए उपयोग किये जानेवाले कटौती दर का इस्तेमाल करती है। परिभाषित लाभ योजना से संबंधित निबल ब्याज व्यय एवं अन्य व्ययों की लाभ एवं हानि में मान्यता प्राप्त होता है।

जब योजना के लाभ में सुधार होता है तब बढ़े हुए लाभ के हिस्से - कर्मचारियों के पूर्व में सेवा के द्वारा, को लाभ-हानि विवरण में शीघ्र लिया जाता है।

2.18.3 अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ अल्पकालिक कर्मचारी लाभ, रोजगार के बाद के लाभ और समाप्ति लाभों के अलावा अन्य सभी कर्मचारी लाभ हैं।

अन्य लंबी अवधि के कर्मचारी लाभों में वे मद शामिल हैं जिन्हें वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत के बारह महीने से पहले पूरी तरह से निपटाने की उम्मीद नहीं है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के लिए, निम्नलिखित राशियों का कुल योग लाभ या हानि के विवरण में पहचाना जाता है:

(क) सेवा लागत

(ख) शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज

(ग) शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) के पुन: माप

2.19 विदेशी मुद्रा

कम्पनी की रिपोर्ट की मुद्रा एवं उसके संचालन के लिए कार्यात्मक मुद्रा भारतीय मुद्रों में है (भारतीय मुद्रा) जो कि आर्थिक वातावरण का मुख्य मुद्रा है जिसमें कम्पनी संचालित होती है।

विदेशी मुद्राओं में लेन-देन को, लेन देन तारीख में प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करके कम्पनी की सूचित मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में नामित मौद्रिक परिसंपत्ति एवं देनदारी, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दरों पर अनुवादित होती है। मौद्रिक परिसम्पत्तियों एवं देनदारियों के निपटारे पर या मुद्रा की परिसंपत्तियों और देनदारियों के उन दरों से अलग होने पर अंतर जो उस अवधि या पिछले वित्तीय विवरणों में प्रारंभिक मान्यता पर अनुवादित किए गए थे, अवधि में लाभ या हानि के बयान में लिये जाते हैं जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

लेन-देन की तारीख को प्रचलित विनिमय की दरों पर विदेशी मुद्रा में निहित गैर-मौद्रिक वस्तुओं का मूल्यांकन किया जाता है।

2.20 स्ट्रीपिंग गतिविधि व्यय/समायोजन

खुली खदान के संबंध में, कोयले की प्राप्ति एवं इसके निष्कर्षण के लिए खान की बेकार पदार्थों (ओवरबर्डेन), जो कि कोल सीम के उपरी सतह पर मिट्टी एवं चट्टान का बना होता है, को हटाना जरूरी होता है। इस ओवरबर्डेन को हटाने की गतिविधि को

"स्ट्रीपिंग" कहा जाता है। खुली खदानों के संदर्भ में, कंपनी को इस तरह की व्ययों का वहन, खान के पूरी जीवन की अवधि तक करना पड़ता है।

अतः, एक नीति के तहत, एक मिलियन प्रति वर्ष एवं उससे ज्यादा के रेटेड क्षमता वाले खानों में, स्ट्रीपिंग की लागत को खानों को राजस्व में लाने के बाद स्ट्रीपिंग गतिविधि परिसंपत्ति एवं अनुपात-विचलन लेखा के लिए जरूरी समायोजन के साथ, प्रत्येक खान पर तकनीकि रूप से आकलित औसत स्ट्रीपिंग अनुपात (कोयला: ओबी) पर चार्ज किया जाता है।

स्ट्रीपिंग गतिविधि परिसंपत्ति एवं अनुपात-विचलन के निबल शेषों के तुलन पत्र में गैर-मौजूद परिसंपत्ति/गैर-मौजूद प्रावधानों के मद के तहत, जैसा भी केस हो, स्ट्रीपंग गतिविधि समायोजन के रूप में तुलन-पत्र में दिखलाया जाता है।

ओबीआर लेखा के लिए अनुपात की गणना हेतु रिकार्ड के अनुसार दर्ज ओबीआर की मात्रा को महत्व दिया जाता है, जहाँ दर्ज की गई मात्रा एवं मापी हुई मात्रा के बीच विचलन, दो स्वीकार्य विकल्प सीमाओं में से न्यूनतम के अंदर होता है जिससे नीचे लिखे तालिका में दिखाया गया है।-

खान के ओबीआर का वार्षिक मात्र	विचलन की स्वीकार्य सीमा (%)
1 मिलियन क्यू. मी. से कम	+/- 5%
1 एवं 5 मिलियन क्यू. मी. के बीच	+/- 3%
5 मिलियन से अधिक	+/- 2%

यद्यपि, जहां, पर विचलन उपरोक्त स्वीकार्य सीमा से अधिक है, मापी गई मात्रा को महत्व दिया जाता है।

रेटेड क्षमता 1 मिलियन टन से कम वाली खानों के संदर्भ में, उपरोक्त नीति नहीं अपनाई जाती है एवं वर्ष के दौरान स्ट्रीपिंग गतिविधियों पर खर्च हुई वास्तविक लागत को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकारा जाता है।

2.21 संपत्ति सूची

2.21.1 कोयले का स्टॉक

कोयले/कोक के संपत्ति-सूची को लागत के न्यूनतम पर एवं शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य पर लिखा जाता है। संपत्ति-सूची की गणना प्रथम आवक और प्रथम निर्गत विधि के द्वारा किया जाता है। निबल प्राप्ति योग्य मूल्य, समाप्ति के सभी अनुमानित लागतों एवं विक्रय करने के लिए जरूरी लागतों को घटाते हुए, प्राप्त अनुमानित संपत्ति-सूची विक्रय मूल्य को वर्णीत करती है।

कोयले के दर्ज भंडार को लेखा में स्वीकारा जाता है जहाँ दर्ज भंडार तथा +/-5% तक मापी गई भंडार के बीच विचलन एवं उन केसों में जहाँ विचलन +/-5% से ज्यादा है, मापे गए भंडार को स्वीकारा जाता है। इस प्रकार के भंडार का मूल्यांकन, निबल प्राप्ति योग्य मूल्य या लागत, दोनों जो कम हो, के आधार पर किया जाता है। कोक को कोयले के भंडार का अंश के रूप में समझा जाता है।

कोयले तथा कोक-फाइन्स को लागत या निबल प्राप्ति योग्य मूल्य में से न्यूनतम पर मूल्यांकित किया जाता है तथा इन्हें कोयले के भंडार के अंश के रूप में समझा जाता है।

स्लरी (कोकिंग/अर्द्ध कोकिंग), मिडलिंग (वाशरी के) तथा उप-उत्पादनों को निबल प्राप्ति योग्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है और इन्हें कोयले के भंडार के अंश के रूप में समझा जाता है।

2.21.2 भण्डार एवं कलपूर्जे

केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय स्टोर्स में मौजूद स्टोर्स में एवं स्पेयर पार्ट्स के भंडार को मूल्यकृत स्टोर्स खाता बही में अनिवार्य शेषों के रूप में समझा जाता है तथा इन्हें भारित औसत विधि के आधार पर गणना किए गए लागत के रूप में मूल्यांकन किया जाता है। कोलरियों/उप-स्टोर्स/ड्रीलिंग कैंपों/उपभोग केन्द्रों के संपत्ति-सूची को वर्ष के अंत में सिर्फ व्यक्तिगत रूप से जांचे हुए स्टोर्स के अनुसार, समझा जाता है तथा उन्हें लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

ठीक नहीं करने योग्य, बिगड़े हुए एवं पुराने पड़ चुके स्टोर्स के लिए 100 प्रतिशत के दर से प्रावधान किया है तथा 5 वर्षों से नहीं निकाले गए वैसे स्टोर्स एवं स्पेयर्स के लिए 50 प्रतिशत की दर से प्रावधान किया है।

2.21.3 अन्य संपत्ति-सूची

वर्कशॉप कार्यों जिनमें प्रगति में कार्य शामिल होते हैं, को लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। प्रेस कार्यों के भंडार (प्रगति में कार्य शामिल) एवं प्रिंटिंग प्रेस में स्टेशनरी तथा केन्द्रीय अस्पताल में दवाओं को लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

यद्यपि, स्टेशनरी के भंडार (प्रिंटींग प्रेस में पड़े हुए के अलाव), ईंटों, बालु, दवा (केन्द्रीय अस्पताल को छोड़ कर), एयरक्राफ्ट स्पेयर्स एवं स्क्रैप को संपत्ति-सूची में नहीं स्वीकारा जाता है। इस सोच के साथ कि उनके मूल्य उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं|

2.22 प्रावधान, आकस्मिक देयता एवं आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

प्रावधानों को मान्यता तब दी जाती है जब कंपनी के पास, बीते हुए घटनाओं के कारण वर्तमान देनदारियां/देयताएं (कानुनी या रचनात्मक) होती है, और यह संभावित है कि आर्थिक लाभों की बाह्य प्रवाह दायित्व के निपटारे के लिए जरूरी होगी तथा दायित्व के राशि का एक विश्वसनीय आकलन बनाया जा सकेगा। जहाँ रुपये का समय-मूल्य वस्तु है, प्रावधानों को, दायित्व के निपटारे के लिए अनुमानित व्यय की वर्तमान मूल्य पर लिखा जाता है।

सभी प्रावधानों को प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख पर समीक्षा किया जाता है एवं मौजूदा बेहतरीन आकलन को प्रतिबिम्बित करने के लिए, समायोजित किया जाता है।

जहाँ यह संभावित नहीं है कि आर्थिक लाभों को, बाह्य प्रवाह की आवश्यकता होगी, या राशि का विश्वसनीय तरीके से आकलन नहीं किया जा सकेगा, दायित्व को आकस्मिक देयता के रूप में दिखलाया जाता है, जबतक कि आर्थिक लाभों के बाह्य प्रवाह की संभावना दूर नहीं है। संभावित दायित्वों, जिनका अस्तित्व, कंपनी

के पूर्ण नियंत्रण में नहीं रहने वाले एक या अधिक भावी अनिश्चित घटनाओं के होने या न होने के द्वारा ही सिर्फ सुनिश्चित होगी, को भी आकस्मिक देयताओं के रूप में प्रकट किया जाता है जबतक कि आर्थिक लाभों के बाह्य प्रवाह की संभावना दूर है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में नहीं लिया जाता है। यद्यपि, जब आय की वसुली एकदम से निश्चित है, तब संबद्ध परिसंपत्ति आकस्मिक परिसंपत्ति आकस्मिक परिसंपत्ति नहीं होता है और इसकी स्वीकार्यता उपयुक्त है।

2.23 प्रति शेयर कमाई/आय

मूल्य आय प्रतिशेयर की गणना, कर के बाद निबल लाभ की अवधि के दौरान बकाये इक्विटी शेयरों के भारित औसत संख्या के द्वारा भाग दे कर की जाती है। मिश्रित आय प्रति शेयर की गणना, प्रतिशेयर मूल आय की प्राप्ति के लिए स्वीकार्य गये इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा कर के बाद लाभ को भाग देकर की जाती है तथा इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या के द्वारा भी, जिसे कि सभी मिश्रित भावी इक्विटी शेयरों के रूपांतरण के पश्चात निर्गत किया जा सकता था।

2.24 निर्णय, आकलन तथा मान्यताएँ

भारतीय लेखा मानक के अनुरूप वित्तिय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को आकलनों, निर्णय एवं मान्यताओं का निर्माण करना होता है जो कि लेखा नीतियों के अनुप्रयोग तथा परिसंपत्तियों एवं देयता की दर्ज राशि, वित्तिय विवरण की तारीख पर आकस्मिक परिसंपत्तियों एवं देयताओं का प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व की राशि एवं व्यय को प्रभावित करता है। इन वित्तिय विवरणों में लेखा नीतियों के अनुप्रयोग जिसमें जटिल एवं विषयात्मक निर्णय शामिल हैं, तथा मान्यताओं के उपयोग को प्रदर्शित किया जाता है। लेखा आकलन समय के साथ परिवर्तित हो सकता है। वास्तविक परिणाम एवं आकलित परिणामों में अंतर हो सकता है। आकलन एवं जुड़े हुए मान्यताओं की समीक्षा एक सतत आधार पर की जाती है। लेखा आकलन में पुनरीक्षण, को आकलन पुनरीक्षण के अवधि में मान्यता दी जाती है तथा, अगर वस्तु है, तो उनके प्रभावों को वित्तिय विवरणों के टिप्पणियों में प्रदर्शित किया जाता है।

2.24.1 निर्णय

कंपनी के लेखा नीतियों को लागू करने के पद्धति में, प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णयों का निर्माण किया है, जो समेकित विŸाीय विघटनों में लिए गए राशियों पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव रखती है।

2.24.1.1 लेखा-नीतियों का प्रतिपादन

लेखा-नीतियों को इस प्रकार प्रतिपादित किया जाता है कि वि. वि. में लेन-देन संबंधी सार्थक एवं विश्वसनीय सूचना अन्य घटनाओं एवं शर्तों जिसमें वे लागू होते हैं, परिणाम स्वरूप प्रदर्शित हों। इन नीतियों को लागू करने को जरूरत नहीं जब उनके लागु करने का प्रभाव मायने न रखता हो।

लेन-देन के संबंध में विशेष रूप से लागु होने वाली भारतीय लेखा मानक, अन्य घटना या शर्त की अनुपस्थिति में, प्रबंधन ने अपने निर्णय को विकसित करने में एवं लेखा-नीति लागू करने के लिए उपयोग किया है जिसके परिणाम स्वरूप निम्न सूचनाएं मिलती है यानि:

क) उपयोग कर्त्ता के आर्थिक निर्णय-निर्माण आवश्यकताओं की सार्थकता तथा

ख) इस वर्ष में विश्वसनीय की वित्तीय विवरण::
   - (i) विश्वास करने योग्य वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन एवं तत्व के नगद प्रवाहों को विश्वसनीय तरीके से प्रदर्शित करती है;
   - (ii) लेन-देनों, अन्य घटनाओं एवं शर्तों के आर्थिक पहुलओं को दर्शाती है, न कि सिर्फ कानूनी स्वरूप को;
   - (iii) उदासी न होते हैं, यानि किसी प्रकार के पक्षपात से मुक्त;
   - (iv) विवेकपूर्ण है, तथा
   - (v) सतत आधार पर सभी प्रकार के वस्तुगत पहलुओं में परिपूर्ण है

निर्णय-निर्माण के संबंध में प्रबंधन, निम्नलिखित स्रोतों को अवनतिक्रम में निर्दिष्ट करती है और उनके लागू करने की योग्यता पर विचार करती है:

(क) समान एवं संबद्ध विषयों को साथ व्यवहार करने के भारतीय लेखा मानक की आवश्यकताएं; तथा

(ख) परिभाषाएं, मानदंड मान्यता तथा मवर्क में परिसंपत्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय के लिए मापीकरण अवधारणा।

निर्णय निर्माण में प्रबंधन अंतराष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड के सबसे हाल के उदघोषणाओं पर विचार करती है तथा उनके अनुपस्थिति में अन्य दूसरे स्टैण्डर्ड-सेटिंग संस्थाओं का जो समान अवधारणा ढांचे का उपयोग, लेखा मानकों, अन्य लेखा पत्रिका एवं स्वीकृत औद्योगिक अभ्यासों को विकसित करने के लिए करती है, उस सीमा तक जहां ये उपरोक्त सारांश में स्रोतों के साथ प्रतिकूल नहीं होती है।

कंपनी खनन क्षेत्र में संचालित होती है (एक ऐसा क्षेत्र जहाँ अन्वेषण, मूल्यांकन, विकास उत्पादन चरण विभिन्न स्थलाकृतिक एवं भूखनन इलाकों पर आधारित है, जो दशकों से चल रहे पट्टे अवधि में फैला हुआ है और लगातार बदलाव की संभावना है, जिसकी लेखा नीतियां, अनुसंधान समितियों द्वारा समर्थित विशिष्ट उद्योग पद्धतियों एवं पिछले कई दशकों में इसके लगातार अनुप्रयोगों के कारण तथा विभिन्न नियामकों द्वारा अनुमोदन के आधार पर विकसित हुई है। कुछ विशेष क्षेत्रों में विशिष्ट लेखांकन साहित्य, मार्गदर्शन एवं मानकों की अनुपस्थिति में, जो विकास की प्रक्रिया में हैं। कंपनी लेखांकन साहित्य के विकास के साथ-साथ लेखा-नीतियों को विकसित करने का प्रयास करती है और इसमें किसी भी विकास को भारतीय लेखा मानक 8 में विशेष तौर पर रखे गये प्रावधानों के अनुसार परिद्दश्यात्मकता के लिए लेखाकृत की जाएगी।

वित्तिय विवरणों को लेखा की एक्रूअल आधार को उपयोग करते हुए एक सतत प्रयास के तहत तैयार की जाती है।

2.24.1.2 भौतिकता

भारतीय लेखा मानक उन वस्तुओं पर लागु होता है जो सामग्री है। प्रबंधन यह तय करने के लिए निर्णय का उपयोग करता है कि यदि अलग-अलग वस्तुएं या वस्तु के समुहों वित्तिय विवरण में सामग्री के रूप में है या नहीं। भौतिकता का निर्धारण वस्तु के परिमाण एवं प्रकृति या दोनों के संदर्भ में किया जाता है। निर्णायक कारक यह है कि क्या वित्तिय चूक या गलत विवरण या अस्पष्ट करना उन आर्थिक फैसलों पर अलग-अलग या सामुहिक से प्रभाव डाल सकते हैं, जिन्हें उपयोगकर्त्ताओं ने वित्तिय विवरणों के आधार पर लिया है। प्रबंधन भारतीय लेखा मानक की अनुपालन आवश्यकताओं की निर्धारित करने के लिए भौतिकता के फैसले का भी उपयोग करता है। आगे, एक, तत्व की, कानून द्वारा जरूरी होने की स्थिति में, निराकार वस्तुओं को अलग से प्रस्तुत करने के लिए, आवश्यकता भी हो सकती है।

01.04.2019 से लागु संबंधित मौजूदा वर्ष में पाई गई पूर्व अवधि के त्रुटियों/चूक को वर्तमान वर्ष के दौरान सारहीन माना जाता और समायोजित किया जाता है, अगर कंपनी के अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार ऐसी सभी त्रुटियां एवं चूक परिचालन से कुल राजस्व (वैधानिक रूप से लगान का निबल) के 1% से अधिक नहीं हैं।

2.24.1.3 संचालित पट्टा

कंपनी ने पट्टा समझौते में प्रवेश किया है। समझौते के नियम एवं शर्तो के मूल्यांकन के आधार पर, जैसे कि वे पट्टे अवधि जो परिसंपत्ति के अंकित मूल्य तथा वाणिजिक संपत्ति के आर्थिक जीवन का वृहत भाग न हो, कंपनी ने तय किया है कि वह इन संपत्तियों के स्वामित्व के सभी महत्वपूर्ण जोखिमों एवं पुरस्कारों को तथा निविदाओं के लिए लेखा को, संचालित पटटों के रूप में अपने पास रखती है।

2.24.2 अनुमान एवं मान्यताएं

रिपोर्टिंग तिथि पर भविष्य तथा अनुमान अनिश्चितता के अन्य मुख्य स्रोतों से संबंधित मुख्य मान्यताएं, जिनके पास अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्तियों एवं देनदारियों की मात्रा में सामग्री समायोजन करने का महत्वपूर्ण जोखिम है, नीचे वर्णित है। समेकित वित्तीय वक्तव्यों की तैयार करते समय कंपनी ने मौजूद पारामीटर पर अपी मान्यताओं एवं अनुमानों को आधारित किया था। भविष्य की घटनाओं के बारे में मौजुदा हालात एवं घटनाएं, यद्यपि, बाजार में बदलावों या उत्पन्न होनेवाली वैसी परिस्थितियां जो कि कंपनी के नियंत्रण के बारे है, के कारण बदल सकती है। इस प्रकार के परिवर्तन घटित होने की स्थिति में मान्यताओं में प्रदर्शित होते हैं।

2.24.2.1 गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

हानि/विकृति के संकेत दिखलाई पड़ते हैं, यदि किसी परिसंपत्ति या नगदी उत्पन्न करने वाली ईकाई का वहन मूल्य इसके वसूली योग्य राशि से अधिक होता है, जो कि निपटारे की लागत कम करके इसके अंकित मूल्य तथा उपयोगी मूल्य से अधिक है। कंपनी प्रत्येक खानों को एक अलग नगदी उत्पन्न करने वाली ईकाईयों के रूप में समझती है, हानि/विकृति की जांच उपयोग मे मूल्य की गणना डी सी एफ प्रतिमान पर आधारित होती है। नगदी प्रवाह अगले 5 वर्षों के लिए बजट से प्राप्त होता है तथा इसमें, पुर्नगठन गतिविधियां जिसपर कंपनी अभी तक प्रतिबद्ध नहीं है या वैसे महत्वपूर्ण भविष्य की निवेश जो जाँच किए जा रहे सी जी यू के परिसंपत्तिप्रदर्शन में वृद्धि करेगी, शामिल नहीं होते हैं। वसूली योग्य राशि डी सी एफ प्रतिमान के साथ-साथ अपेक्षित भावी नगदी प्रवाह एवं इन्टरपोलुद्दान प्रयोजनों के लिए उपयोग की गई विकास दर के लिए उपयोग की गई छूट के प्रति संवेदनशील है। ये सभी अनुमान अन्य खनन बुनियादी ढांचे के सबसे अधिक सार्थक है। विभिन्न सी जी यू के लिए वसूली योग्य राशि की निर्धारण के लिए उपयोग की जानेवाली मुख्य मान्यताएं प्रदर्शित की जाती है तथा उन्हें आगे संबंधित टिप्पणियों में समझाया गया है।

2.24.2.2 कर

अस्थगित कर परिसंपत्तियों को अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस हद तक मान्यता प्राप्त है जहां यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरूद्ध हानियों को उपयोग किया जा सकता है। भावी कर नियोजन रणनीतियों के साथ-साथ संभावित समय-निर्धारण एवं भविष्य के कर योग्य लाभों के स्तर के आधार पर अस्थगित कर संपत्ति की राशि को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय आवश्यक है। करों पर अधिक जानकारी को नोट - 38 में दिखलाया गया है।

2.24.2.3 परिभाषित लाभ योजनाएँ

परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना तथा अन्य रोजगारोपरान्त चिकित्सा लाभों की लागत एवं ग्रेच्युटी दायित्व के वर्तमान मूल्य को बीमांकिक मूल्यांकन के द्वारा निर्धारित किया जाता है। एक बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न मान्यताएं शामिल होते हैं जो भविष्य में वास्तविक विकास से अलग हो सकती है। इनमें, छुट दर, भविष्य वेतन वृद्धि एवं मृत्यु दर का निर्धारण शामिल होता है।

परिभाषित लाभ दायित्व के मूल्यांकन तथा इसके दीर्घकालीन प्रकृति में शामिल जटिलताओं के कारण, यह इन मान्यताओं में परिवर्तन के प्रति अति-संवेदनशील होता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग की तारीख पर सभी मान्यताओं की समीक्षा की जाती है। सबसे अधिक परिवर्तन होने वाला प्राचलिक, छुट दर है। भारत में संचालित की जाने वाली योजनाओं के लिए उपयुक्त, छुट दर का निर्धारण करने में, प्रबंधन रोजगारोपरांत लाभ दायित्व के मुद्राओं के अनुरूप मुद्रा में सरकारी बॉन्ड की ब्याज दरों पर विचार करता है।

मृत्यु दर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध देश के मृत्यु-दर तालिका पर आधारित होता है। यह मृत्यु-दर तालिका, जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के जवाब में सिर्फ उस अंतराल पर परिवर्तन की प्रवृति रखता है। भावी वेतन वृद्धि एवं ग्रेच्युटी बढ़ोतरी भविष्य की अनुमानित मुद्रास्फीति दर पर आधारित होता है।

2.24.2.4 वित्तीय साधनों का उचित मूल्य मापन

जब तुलन-पत्र में दर्ज वित्तीय परिसंपत्ति तथा वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य को सक्रिय बाजारों में उद्त कीमतों के आधार पर मापा नहीं जा सकता है, तो उनके उचित मूल्य को डी सी एफ प्रतिभाग सहिज मूल्य निर्धारण तकनीकों का उपयोग करके मापा जाता है। जहां तक संभव हो, इन प्रतिमानों को देखे जाने योग्य बाजारों

से लिया जाता है, लेकिन जहां यह संभव नहीं है, उचित मूल्यों की स्थापित कर्ज के लिए निर्णय के एक अंश की आवश्यकता पड़ती है। निर्णय में नगदी की जोखिम, क्रेडिट जोखिम तथा अस्थिरता जैसे महत्व वाले इनपुट शामिल होते हैं। इन कारकों के बारे में मान्यताओं में परिवर्तन, वित्तीय साधनों के दर्ज अंकित मूल्य को प्रभावित कर सकता है।

2.24.2.5 विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्ति

कंपनी परियोजना के लिए विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्ति को लेखा नीति के अनुसार पूंजीकृत करती है। लागत का प्रारंभिक पूंजीकरण प्रबंधन के निर्णय पर आधारित है कि तकनीकि एवं आर्थिक व्यवहार्यता की पुष्टि की जाती है, आमतौर पर तब जब एक परियोजना प्रतिवेदन केन्द्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थाएं लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) के द्वारा तैयार की जाती है।

2.24.2.6 खान बंदीकरण, स्थल पुनर्स्थापन एवं सेवामुक्तिकरण दायित्व

खान बंदीकरण, स्थल पुनर्स्थापन पन एवं सेवामुक्तिकरण दायित्व के लिए प्रावधान के अंकित मूल्य के निर्धारण हेतु, मान्यताओं एवं आंकलनों को छुट दरों, स्थल पुनर्स्थापन की अनुमानित लागत तथा विघटन और निराकरण की उम्मीद की लागत के संबंध में बनाया जाता है। कंपनी परियोजना/खान के जीवन को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर डी सी एफ पद्धति का उपयोग करते हुए प्रावधान का आकलन करती है।

- कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट अनुसार अनुमानित लागत प्रति हेक्टेयर।
- छुट दर (कर के पहले), जो रूपये के समय-मूल्य का मौजूदा बाजार निर्धारण तथा देयता से संबंधित विशिष्ट जोखिमों को प्रदर्शित करता है

2.25 प्रयुक्त संक्षेपण:

ए.	सीजीयू	नगद उत्पन्न करने वाली ईकाई	एल.	ईसीएल	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
बी.	डीसीएफ	कटौती पश्चात नगद प्रवाह	एम.	बीसीसीएल	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
सी.	एफभीटीओसीआई	अन्य विस्तृत आय के माध्यम से उचित मूल्य	एन.	सीसीएल	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
डी.	एफभीटीपीएल	लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य	ओ.	एसइसीएल	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
इ.	जीएएपी	आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांत	पी.	एमसीएल	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
एफ.	आईएनडी एएस	भारतीय लेखा मानक	क्यू.	एनसीएल	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
जी.	ओसीआई	अन्य व्यापक आय	आर.	डब्ल्यूसीएल	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
एच.	पीएण्डएल	लाभ एवं हानि	एस.	सीएमपीडीआईएल	सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीट्युट लिमिटेड
आइ.	पीपीई	संपत्ति,संयंत्र तथा उपकरण	टी.	एनइसी	नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स
जे.	एसपीपीआई	मूलधन एवं ब्याज का मात्र भुगतान	यू.	आईआईसीएम	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ कोल् मैनेजमेंट
के.	एसपीपीआई	प्रभावी ब्याज दर	वी.	सीआईएल	कोल इंडिया लिमिटेड

31 मार्च, 2023 को समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 3: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	पूर्व स्वामित्व भूमि	अन्य भूमि	भूमि उद्धार/ वापसी लागत	भवन, जल आपूर्ति, सड़क एवं कल्वर्ट	सयंत्र एवं उपकरण	दूरसंचार	रेलवे साइडिंग	रेल लाइन /रेल कॉरिडोर	फर्नीचर एवं फिक्स्चर	कार्यालय उपस्कर	वाहन	एयर क्राफ्ट	अन्य खनन आधारभूत संरचना	सर्वेद ऑफ परिसंपत्ति	योग
सकल वहन राशि:															
1 अप्रैल, 2021 को	17.49	1,669.89	472.49	320.17	1,749.00	5.74	487.51	2,572.29	17.75	69.85	16.16	-	359.26	80.58	**7,838.18**
जोड़	-	62.57	26.82	233.63	269.41	0.22	156.36	63.69	3.54	10.67	12.68	-	24.48	7.30	**871.37**
विलोपन/समायोजन	-	-	(9.42)	(0.05)	(93.75)	(0.33)	(0.29)	-	2.10	(5.63)	0.12	-	1.83	(1.29)	**(106.71)**
31 मार्च, 2022 को	**17.49**	**1,732.46**	**489.89**	**553.75**	**1,924.66**	**5.63**	**643.58**	**2,635.98**	**23.39**	**74.89**	**28.96**	**-**	**385.57**	**86.59**	**8,602.84**
1 अप्रैल, 2022 को	17.49	1,732.46	489.89	553.75	1,924.66	5.63	643.58	2,635.98	23.39	74.89	28.96	-	385.57	86.59	**8,602.84**
जोड़	-	329.15	72.42	54.42	178.21	1.04	92.88	346.25	6.79	18.00	5.86	-	62.61	11.93	**1,179.56**
विलोपन/समायोजन	(0.08)	0.08	(102.31)	(5.26)	(137.69)	0.10	(63.00)	-	0.08	(14.15)	(0.01)	-	-	(2.64)	**(324.88)**
31 मार्च, 2023 को	**17.41**	**2,061.69**	**460.00**	**602.91**	**1,965.18**	**6.77**	**673.46**	**2,982.23**	**30.26**	**78.74**	**34.81**	**-**	**448.18**	**95.88**	**9,457.52**
संचित मूल्यह्रास एवं हानि															
1 अप्रैल, 2021 को	-	346.36	240.65	70.01	983.32	1.87	96.60	266.41	8.79	40.70	8.10	-	208.35	34.99	**2,306.15**
वर्ष के लिए शुल्क	-	156.47	31.49	21.91	150.88	0.78	33.16	177.28	2.02	11.21	2.68	-	53.55	-	**641.43**
हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.30	(10.53)	**(1.23)**
विलोपन/समायोजन	-	(0.07)	(1.23)	0.68	(78.84)	0.07	0.34	-	1.56	(5.50)	0.13	-	2.21	(0.50)	**(81.15)**
31 मार्च, 2022 को	**-**	**502.76**	**270.91**	**92.60**	**1,055.36**	**2.72**	**130.10**	**443.69**	**12.37**	**46.41**	**10.91**	**-**	**273.41**	**23.96**	**2,865.20**
1 अप्रैल, 2022 को	-	502.76	270.91	92.60	1,055.36	2.72	130.10	443.69	12.37	46.41	10.91	-	273.41	23.96	**2,865.20**
वर्ष के लिए शुल्क	-	132.35	49.97	36.71	158.52	0.75	44.88	188.97	1.88	12.15	3.45	-	44.54	-	**674.17**
हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.93	(0.99)	**2.94**
विलोपन/समायोजन	-	-	-	(0.80)	(114.10)	0.04	(12.58)	-	(0.46)	(6.63)	-	-	4.10	(0.29)	**(130.72)**
31 मार्च, 2023 को	**-**	**635.11**	**320.88**	**128.51**	**1,099.78**	**3.51**	**162.40**	**632.66**	**13.79**	**51.93**	**14.36**	**-**	**325.98**	**22.68**	**3,411.59**
निबल वहन राशि															
31 मार्च, 2023 को	**17.41**	**1,426.58**	**139.12**	**474.40**	**865.40**	**3.26**	**511.06**	**2,349.56**	**16.47**	**26.81**	**20.45**	**-**	**122.20**	**73.20**	**6,045.93**
31 मार्च, 2022 को	**17.49**	**1,229.70**	**218.98**	**461.15**	**869.30**	**2.91**	**513.48**	**2,192.29**	**11.02**	**28.48**	**18.05**	**-**	**112.16**	**62.63**	**5,737.64**

1. उन अचल संपत्तियों के स्वत्व विलेख जो कंपनी के नाम पर नहीं हैं

संपत्ति की वस्तु का विवरण	सकल वहन मूल्य	के नाम पर किए गए स्वत्व विलेख	क्या स्वत्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक है या प्रमोटर*/निदेशक का रिश्तेदार# है या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारित है	कंपनी के नाम नहीं होने का कारण
अन्य भूमि	2,061.69	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	—	कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1973 के अनुसरण में अधिग्रहित भूमि, के संबंधित भूमि के लिए अलग से स्वत्व विलेख की आवश्यकता नहीं है। अधिग्रहित भूमि के लिए अन्य सभी स्वत्व विलेख पर अधिकार है एवं पूर्व स्वामित्व भूमि के कुछ मामलों को छोड़कर कंपनी के पक्ष में उत्परिवर्तित हैं, जहां कानूनी औपचारिकताएं लंबित हैं।

नोट- 3: संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (जारी ...)

2. अन्य भूमि में कोयला आधारित क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 और अन्य अधिनियमों के तहत अधिग्रहित भूमि शामिल है।

3. महत्वपूर्ण लेखा नीति के अनुछेद सं. 2.8. में उल्लेख अनुसार, मूल्यह्रास अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर प्रदान किया जाता है, जिसकी समीक्षा प्रत्येक वर्ष के अंत में अधिकार प्राप्त समिति द्वारा की जाती है। मूल्य के विभिन्न उपयोगी जीवन वाले कोई महत्वपूर्ण घटक नहीं हैं, इसलिए घटक लेखांकन को माना नहीं गया है।

4. सर्वेक्षण की गई आस्तियों के संबंध में ₹ 0.99 करोड़ (वि. व. ₹ 10.53 करोड़) की हानि वापस ले ली गयी है।

5. पट्टा समझौतों के संदर्भ में, कंपनी ने अपने ग्राहकों को कंपनी की कुछ संपत्तियों पर अधिकार लेने एवं उपयोग करने का अधिकार दिया है, जिसका सकल मूल्य ₹ 7.90 करोड़ एवं शून्य रुपये की डब्ल्यूडीवी है।

6. कुल मूल्यह्रास राशि 674.15 करोड़ रुपये (वि. व. ₹ 641.43 करोड़) में अन्य खनन बुनियादी ढांचे से संबंधित ₹44.54 करोड़ (वि.व. 53.55 करोड़ रुपये) एवं 49.97 करोड़ रुपये (वि. व. 31.49 करोड़ रुपये) भूमि सुधार / स्थल बहाली लागत के लिए परिशोधन शामिल है।

7. सीआईएल बोर्ड ने अपनी 491वीं बोर्ड बैठक में कोयले की निकासी की सुविधा के लिए तोरी शिवपुर रेल लाइन परियोजना के संबंध में ₹3587.37 करोड़ की संशोधित परियोजना लागत को मंजूरी दी, जिसके लिए ₹ 3384.00 करोड़ पूर्व मध्य रेलवे के पास जमा कर दिया गया है। ईसी रेलवे ने ₹ 2982.23 करोड़ का व्यय किया है जिसे रेल लाइन/रेल कॉरिडोर के रूप में मान्यता दी गई है एवं ₹ 401.77 करोड़ की शेष राशि को वित्तीय विवरण के नोट 10 में पूंजी अग्रिम के रूप में दिखाया गया है। कंपनी को उक्त परियोजना के विरुद्ध सीसीडीएसी से आज तक 595.82 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है।

8. ₹ 778.62 करोड़ का भूमि मुआवजा राशि, अन्य भूमि के रूप में दिखाया गया है, जो समाधान के अधीन है (वित्तीय विवरण के नोट-38 का अनुछेद 7.9) |

9. अवधि के दौरान प्रभारित मूल्यह्रास में विकास चरण में खानों के लिए वर्ष के दौरान पूंजीकृत मूल्यह्रास ₹ 4.07 करोड़ (विगत वर्ष ₹ शून्य) शामिल हैं।

नोट 4 : कैपिटल डब्ल्यूआईपी

(₹ करोड़ में)

विवरण	बिल्डिंग (जल आपूर्ति, सड़को, एवं पुलियों सहित)	संयंत्र एवं उपकरण	रेलवे साइडिंग	विकास	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:						
1 अप्रैल, 2021 का	250.31	48.89	525.17	351.27	—	1,175.64
जोड	44.38	183.39	33.21	12.68	—	273.66
पूंजीकरण/विलोपन	(218.59)	(11.32)	(19.33)	(20.04)	—	(269.28)
31 मार्च, 2022 को	**76.10**	**220.96**	**539.05**	**343.91**	**—**	**1,180.02**
1 अप्रैल, 2022 को	76.10	220.96	539.05	343.91	—	1,180.02
जोड	121.92	185.34	367.28	88.68	—	763.22
पूंजीकरण/विलोपन	(36.22)	(41.24)	(72.11)	(35.17)	—	(184.74)
31 मार्च, 2023 को	**161.80**	**365.06**	**834.22**	**397.42**	—	**1,758.50**
संचित हानि						
1 अप्रैल, 2021 को	0.63	1.46	—	13.45	—	15.54
वर्ष के लिए शुल्क	0.44	0.03	—	0.44	—	0.91
हानि	—	—	—	4.15	—	4.15
विलोपन/समायोजन	0.23	(0.09)	—	(2.46)	—	(2.32)
31 मार्च, 2022 को	**1.30**	**1.40**	**—**	**15.58**	**—**	**18.28**
1 अप्रैल, 2022 को	1.30	1.40	—	15.58	—	18.28
वर्ष के लिए शुल्क	—	—	—	—	—	—
हानि	0.19	0.02	—	3.71	—	3.92
विलोपन/समायोजन	(1.43)	(1.36)	—	(3.96)	—	(6.75)
31 मार्च, 2023 को	**0.06**	**0.06**	**—**	**15.33**	**—**	**15.45**
निबल वहन राशि						
31 मार्च, 2023 को	**161.74**	**365.00**	**834.22**	**382.09**	**—**	**1,743.05**
31 मार्च, 2022 को	**74.80**	**219.56**	**539.05**	**328.33**	**—**	**1,161.74**

नोट 4 : कैपिटल डब्ल्यूआईपी (जारी...)

1. पूंजीगत कार्य-प्रगति (सीडब्ल्यूआईपी) वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए

(क) पूंजीगत कार्य प्रगति के लिए काल प्रभावन सूचि: (₹ करोड़ में)

	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक	कुल
परियोजनाएं प्रगति पर:					
भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों एवं पुलियों सहित)	129.28	27.16	2.58	2.78	161.80
संयंत्र एवं उपकरण	186.06	165.05	7.19	6.76	365.06
रेलवे साइडिंग	317.34	105.13	87.95	323.80	834.22
अन्य खनन अवसंरचना/विकास	89.10	279.43	12.20	16.69	397.42
अन्य	—	—	—	—	—
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं :					
परियोजना के नाम	—	—	—	—	—
कुल	**721.78**	**576.77**	**109.92**	**350.03**	**1,758.50**

(ख) अतिदेय पूंजी-कार्य-प्रगति में

	में पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक
परियोजनाएं प्रगति पर:				
भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों एवं पुलियों सहित)				
उत्तर उरीमारी ओसी में 04 डी-टाइप क्वार्टर एवं 12 सी-टाइप क्वार्टर का निर्माण	3.64	-	-	-
बिरसा में 16 एमक्यू टाइप क्वाटर एवं 16 बी टाइप क्वाटर का निर्माण	1.24	-	-	-
निर्माणाधीन भवन बी एंड के में	0.28			
संयंत्र एवं उपकरण				
निर्माण मशीन संख्या 9038 से 9040 के तहत डब्ल्यू / बी	0.67	-	-	-
निर्माणाधीन वेब्रीज – अशोका मेटालिक्स	1.35			
कोनार वाशरी	5.00			
वाटर स्प्रिंकलर	0.11			
रेलवे साइडिंग				
रेलवे साइडिंग-राइट्स लिमिटेड	191.31			
अन्य खनन अवसंरचना/विकास				
गोविंदपुर फेस-II में कोनार नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	-	2.34	-	-
गोविंदपुर ओसीपी में मोंटिको नाला का डायवर्जन	-	1.90	-	-
बीआरओ सड़क के निकट टो-वाल तथा कच्चा नाला	-	0.13	-	-
डिटेल्स इंजीनियरिंग सर्वेक्षण/मार्ग संरेखण सर्वेक्षण	-	0.10	-	-
कुल	**203.60**	**4.47**	**-**	**-**

नोट 4 : कैपिटल डब्ल्यूआईपी (जारी...)

2. पूंजीगत कार्य-प्रगति (सीडब्ल्यूआईपी) वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए

(क) पूंजीगत कार्य प्रगति के लिए काल प्रभावन सूचि:

(₹ करोड़ में)

	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक	कुल
परियोजनाएं प्रगति पर:					
भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों एवं पुलियों सहित)	43.42	20.92	6.52	5.24	76.10
संयंत्र एवं उपकरण	184.16	17.04	17.10	2.66	220.96
रेलवे साइडिंग	111.36	118.07	97.79	211.83	539.05
अन्य खनन अवसंरचना/विकास	14.21	282.07	34.11	13.52	343.91
निर्माणाधीन रेल कॉरिडोर					
अन्य	—	—	—	—	—
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं :					
परियोजना के नाम	—	—	—	—	—
कुल	**353.15**	**438.10**	**155.52**	**233.25**	**1180.02**

(ख) अतिदेय पूंजी-कार्य-प्रगति में

	में पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक
परियोजनाएं प्रगति पर:				
भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों एवं पुलियों सहित)				
बिरसा में तालाब खुदाई	0.03	-	-	-
बिरसा में 16 एमक्यू टाइप क्वाटर एवं 16 बी टाइप क्वाटर का निर्माण	1.23	-	-	-
बिरसा परियोजना में 04 डी-टाइप क्वार्टर एवं 12 सी-टाइप क्वार्टर का निर्माण	3.12	-	-	-
पुनर्वास क्षेत्र के लिए प्राथमिक विद्यालय भवन का निर्माण	0.07	-	-	-
पुनर्वास क्षेत्र में 3.15 किमी एप्रोच रोड का निर्माण	2.01	-	-	-
केएसपी में सिंगल स्टोरी डी टाइप क्वार्टर का निर्माण		-	0.08	-
निर्माणाधीन सीएमडब्ल्यूओ जलापूर्ति योजना		-	-	0.01
कारखाने एवं खदानों का निर्माण		-	-	0.05
कारखाने एवं खदानों का निर्माण		-	-	0.01
निर्माणाधीन भवन		-	-	0.25
प्रथम श्रेणी यूसी डब्ल्यू / एस बिल्डिंग		-	-	0.01
नए डब्ल्यूटीपी/एसटीपी/पीईटी के निर्माण एवं उन्नयन के लिए मेकॉन को भुगतान		-	-	0.20
कथारा मोड़ से कथारा तक मेन रोड का सुदृढ़ीकरण व चौड़ीकरण	0.81	-	-	-
प्रोजेक्ट अफसर कार्यालय आम्रपाली का निर्माण	1.35	-	-	-
प्री-फैब बिल्डिंग का निर्माण	12.01	-	-	-
डीएवी स्कूल का विस्तार	-	-	-	0.94
भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों एवं पुलियों सहित)	0.08	-	-	-

नोट 4 : कैपिटल डब्ल्यूआईपी (जारी...)

(₹ करोड़ में)

	में पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 साल से अधिक**
संयंत्र एवं उपकरण				
सीएमपीडीआईएल द्वारा प्रदान की गई योजना एवं डिजाइन सेवा				0.18
कोनार ओसीपी (8 मि. ट. प्रति व.) के लिए सीएचपी के एनआईटी के लिए सीएमपीडीआईएल द्वारा प्रदान की गई एनआईटी सेवाएं				0.11
कोनार ओसीपी (8 मि. ट. प्रति व.) के सीएचपी के एनआईटी के लिए सीए-मपीडीआईएल द्वारा प्रदान की गई अनुसंधान एवं विकास सेवाएं				0.14
कोनार ओसीपी (8 मि. ट. प्रति व.) के सीएचपी के एनआईटी के लिए सीए-मपीडीआईएल द्वारा प्रदान की गई अनुसंधान एवं विकास सेवाएं				0.12
कोनार वाशरी की स्थापना के लिए एकीकृत बोली दस्तावेज तैयार करना				0.05
कोनार वाशरी के लिए सीएमपीडीआईएल द्वारा प्रदान की गई 58 इंजीनि-यरिंग दिन अनुसंधान एवं विकास सेवाएं				0.12
कोनार वाशरी के लिए सीएमपीडीआईएल रांची द्वारा प्रदान की गई पी एंड डी सेवाओं के लिए शुल्क		-	-	0.24
निर्माण मशीन संख्या 9025 से 9044 के तहत डब्ल्यू / बी	3.34	-	-	-
रेलवे साइडिंग				
करगली रेलवे साइडिंग की सीमा दीवार का विस्तार	-	0.11	-	
रेलवे साइडिंग	-	-	-	74.44
अन्य खनन अवसंरचना/विकास				
सयाल मोड़ भुरकुंडा से पोटंगा तक, सौंडा सयाल उरीमारी, गिद्दी वाशरी सौंडा, सी/सौंडा के माध्यम से सौंडा डी एवं के.के. खदान से सयाल से खदान तक मौजूदा सड़क का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण	3.85	-	-	-
उत्तर उरीमारी परियोजना के माध्यम से स्थल कार्यालय के लिए पहुँच सड़क	0.18	-	-	-
एकेके ओसीपी के माध्यम से 05 गहरे बोरवेल उपलब्ध कराना	-	0.08	-	-
एमडीआर-079 पर पुनर्संरेखित डायवर्जन पर बाइ-पास रोड का निर्माण	-	0.10	-	-
आरडी में विकास कार्य	-	-	-	2.71
गोविंदपुर फेस-II में कोनार नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	2.34	-	-	-
गोविंदपुर ओसीपी में मोंटिको नाला का डायवर्जन	1.90	-	-	-
राइट्स लिमिटेड द्वारा सड़क का निर्माण	31.69	-	-	-
एनबीसीसी लिमिटेड द्वारा सड़क का निर्माण	274.40	-	-	-
केदला वाशरी	0.33	-	-	-
अन्य खनन अवसंरचना/विकास	2.98	-	-	-
कुल	**341.72**	**0.29**	**0.08**	**79.58**

नोट 5: अनुसंधान एवं मूल्यांकन परिसंपत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत
वहन राशि:	
1 अप्रैल, 2021 को	500.90
जोड़	100.90
विलोपन/समायोजन	(27.65)
31 मार्च, 2022 को	**574.15**
1 अप्रैल, 2022 को	574.15
जोड	123.19
विलोपन /समायोजन	(11.38)
31 मार्च, 2023 को	**685.96**
संचित मूल्यह्रास एवं हानि	
1 अप्रैल, 2021 को	1.11
वर्ष के लिए शुल्क	—
हानि	—
विलोपन/समायोजन	(0.65)
31 मार्च, 2022 को	**0.46**
1 अप्रैल, 2022 को	0.46
वर्ष के लिए शुल्क	—
हानि	1.55
विलोपन /समायोजन	—
31 मार्च, 2023 को	**2.01**
निबल वहन राशि	
31 मार्च, 2023 को	**683.95**
31 मार्च, 2022 को	**573.69**

1. (क) **अन्वेषण एवं मूल्यांकन संपत्तियों के लिए काल प्रभावन सूची**

	अन्वेषण के लिए राशि एवं मूल्यांकन की अवधि				
	1 वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 साल से अधिक**	**कुल**
अन्वेषण एवं मूल्यांकन परियोजना प्रगति पर:	214.26	149.01	72.30	248.84	684.41
अस्थायी रूप से निलंबित अन्वेषण एवं मूल्यांकन परियोजनाएं:	-	-	-	-	-
अशोक वाशरी	0	0	0.76	0.79	1.55
कुल	**214.26**	**149.01**	**73.06**	**249.63**	**685.96**

(ख) **अतिदेय अन्वेषण एवं मूल्यांकन परीसंपत्ति**

	में पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 साल से अधिक**
अन्वेषण एवं मूल्यांकन परियोजना प्रगति पर:				
कुल	-	-	-	-

नोट 5: अनुसंधान एवं मूल्यांकन परिसंपत्ति (जारी...)

2. (क) अन्वेषण एवं मूल्यांकन संपत्तियों के लिए काल प्रभावन सूची

	अन्वेषण के लिए राशि एवं मूल्यांकन की अवधि				
	1 वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 साल से अधिक**	**कुल**
अन्वेषण एवं मूल्यांकन परियोजना प्रगति पर:	223.00	39.94	40.25	269.18	572.37
अस्थायी रूप से निलंबित अन्वेषण एवं मूल्यांकन परियोजनाएं:	-	-	1.78	-	1.78
परियोजना के नाम					
कुल	**223.00**	**39.94**	**42.03**	**269.18**	**574.15**

(ख) अतिदेय अन्वेषण एवं मूल्यांकन परीसंपत्ति

	में पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 साल से अधिक**
अन्वेषण एवं मूल्यांकन परियोजना प्रगति पर:				
कारो वाशरी के लिए सीएमपीडीआईएल पूंजीगत व्यय	-	0.55	-	-
कोनार वाशरी के लिए सीएमपीडीआईएल पूंजीगत व्यय	-	0.93	-	-
कोनार सब स्टेशन के लिए सीएमपीडीआईएल पूंजीगत व्यय	-	0.26	-	-
नई करगली वाशरी के लिए सीएमपीडीआईएल द्वारा अप्रैल, 2018 के दौरान परियोजना नियोजन के लिए किया गया अनुसंधान एवं विकास कार्य	-	0.05	-	-
कुल	-	**1.78**	-	-

नोट 6.1: अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	कम्प्युटर सॉफ्टवेयर	विक्रय के कोल ब्लॉक	अन्य	कुल
वहन राशि:				
1 अप्रैल, 2021 को	12.30	7.28	—	19.58
जोड़	0.02	—	—	0.02
विलोपन/समायोजन	—	—	—	—
31 मार्च, 2022 को	**12.32**	**7.28**	—	**19.60**
1 अप्रैल, 2022 को	12.32	7.28	—	19.60
जोड़	22.62	—	—	22.62
विलोपन /समायोजन	—	—	—	—
31 मार्च, 2023 को	**34.94**	**7.28**	—	**42.22**
संचित मूल्यह्रास एवं हानि				
1 अप्रैल, 2021 को	8.65	—	—	8.65
वर्ष के लिए शुल्क	2.29	—	—	2.29
हानि	—	—	—	—
विलोपन/समायोजन	—	—	—	—
31 मार्च, 2022 को	**10.94**	—	—	**10.94**
1 अप्रैल, 2022 को	10.94	—	—	10.94
वर्ष के लिए शुल्क	4.47	—	—	4.47
हानि	—	—	—	—
विलोपन /समायोजन	—	—	—	—
31 मार्च, 2023 को	**15.41**	—	—	**15.41**
निबल अग्रणीत राशि				
31 मार्च, 2023 को	**19.53**	**7.28**	—	**26.81**
31 मार्च, 2022 को	**1.38**	**7.28**	—	**8.66**

1. विक्रय हेतु कोयला ब्लॉक खानों के प्रारंभिक विकास पर किए गए व्यय को दर्शाते हैं जिसे प्राधिकरण द्वारा ऐसे ब्लॉकों के विक्रय से वसुला जाएगा।

नोट 6.2: विकास के तहत अमूर्त संपत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	कम्प्युटर सॉफ्टवेयर	कुल
वहन राशि:		
1 अप्रैल, 2021 को	—	—
जोड़	11.27	11.27
विलोपन/समायोजन	—	—
31 मार्च, 2022 को	**11.27**	**11.27**
1 अप्रैल, 2022 को	**11.27**	**11.27**
जोड़	—	—
विलोपन /समायोजन	**(11.27)**	**(11.27)**
31 मार्च, 2023 को	—	—
संचित मूल्यह्रास एवं हानि		
1 अप्रैल, 2021 को	—	—
वर्ष के लिए शुल्क	—	—
हानि	—	—
विलोपन/समायोजन	—	—
31 मार्च, 2022 को	—	—
1 अप्रैल, 2022 को	—	—
वर्ष के लिए शुल्क	—	—
हानि	—	—
विलोपन /समायोजन	—	—
31 मार्च, 2023 को	—	—
निबल अग्रणीत राशि		
31 मार्च, 2023 को	—	—
31 मार्च, 2022 को	**11.27**	**11.27**

1. विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्ति के लिए काल प्रभावन सूची

	विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्ति के लिए राशि की अवधि के लिए				
	1 वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
परियोजनाएं प्रगति पर :	—	—	—	—	—
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं:	—	—	—	—	—
परियोजना का नाम					
कुल	—	—	—	—	—

नोट 7 : निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	धारित शेयरों की संख्या	31.03.2023 को	31.03.2022 को
गैर चालू			
सहकारी शेयरों में निवेश (अनउद्धृत)		—	—
सुरक्षित बांड में निवेश (उद्धृत)		—	—
शेयरों में निवेश			
अनुषंगी कंपनी में इक्विटी शेयर्स		—	—
अन्य निवेश			
शेयर अनुप्रयोग राशि		—	—
ब्याज मुक्त ऋण		—	—
कुल		—	—
उद्धत निवेशों का निबल राशि:		—	—
उद्धत निवेशों का बाजार मूल्य:		—	—
अनुद्धत निवेशों का निबल राशि		—	—
निवेश के मूल्य में निबल हानि		—	—

नोट 7 : निवेश (जारी...)

(₹ करोड़ में)

विवरण	एनएवी /फेस प्रति इकाई अंकित मूल्य (रु में)		31.03.2023 को	31.03.2022 को
	31.03.023	31.03.2022		
चालू				
म्यूचुअल फंड निवेश				
यूटीआई लिक्विड नकद प्लान	—	—	—	—
एसबीआई अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड	5,158.4197	4,897.0747	647.83	64.66
एसबीआई म्यूचुअल फंड - लिक्विड	3,523.3030	3,333.0896	4.47	0.02
केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड- लिक्विड	2,696.7127	2,549.7953	17.68	0.01
यूनियन म्यूचुअल फंड - लिक्विड	2,169.4479	2,050.9509	10.12	0.01
बीएनपी परिबास लिक्विड फ़ंड	2,595.4687	2,452.9344	38.49	0.02
अन्य निवेश				
8.5% कर मुक्त विशेष बांडस (पूर्णतः भुगतान) (व्यापार प्राप्तियों के प्रतिभूतिकरण पर)			—	—
कुल			**718.59**	**64.72**
उद्धत निवेश का संकलित मूल्य:			718.59	64.72
उद्धत निवेश का बाजार मूल्य			—	—
अनुद्धत निवेशों की संकलित मूल्य:			718.59	64.72
निवेश मूल्यों में हानि की संकलित मूल्य:			—	—

वर्ष के दौरान खरीदे गए एवं बेचे गए म्यूचुअल फंड का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान कुल खरीद		वर्ष के दौरान विमाच्य प्राप्त लाभांश		अंतिम शेष	
	इकाइयों की संख्या	राशि	इकाइयों की संख्या	राशि	इकाइयों की संख्या	राशि	इकाइयों की संख्या	राशि
एसबीआई अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड	1,32,036.45	64.66	38,09,330.08	1,900.00	26,85,496.34	1,335.37	12,55,870.19	647.83
एसबीआई म्यूचुअल फंड -लिक्विड	47.70	0.02	21,56,277.21	741.47	21,43,634.41	745.53	12,690.50	4.47
केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड -लिक्विड	41.29	0.01	99,779.58	26.33	34,247.27	8.94	65,573.60	17.68
यूनियन म्यूचुअल फंड- लिक्विड	66.11	0.01	67,617.92	14.40	21,061.56	4.44	46,622.47	10.12
बीएनपी परिबास लिक्विड फ़ंड	72.58	0.02	2,67,590.14	67.80	1,19,384.11	30.16	1,48,278.61	38.49
कुल	**1,32,264.13**	**64.72**	**64,00,594.93**	**2,750.00**	**50,03,823.69**	**2,124.44**	**15,29,035.37**	**718.59**

कंपनी लिक्विड स्कीम (ग्रोथ ऑप्शन) और अल्ट्रा शॉर्ट-टर्म फंड (ग्रोथ ऑप्शन) में निवेश करती है।

नोट 8 : ऋण

(₹ करोड़ में)

	31.03.2023 को	31.03.2022 को
गैर चालू		
संबंधित पक्षों के लिए ऋण		
— सुरक्षित, सुविचारित	—	—
— असुरक्षित, सुविचारित	—	—
— संदेहात्मक	—	—
घटाव: संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	—	—
	—	—
संबंधित पार्टियों को छोड़कर अन्य को ऋण		
कॉरपोरेट और कर्मचारियों को ऋण		
— सुरक्षित, सुविचारित	5.10	2.06
— असुरक्षित, सुविचारित	—	—
— ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ	—	—
— क्षीण ऋण	—	—
	5.10	2.06
घटाव: संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	—	—
	5.10	2.06

संबंधित पक्षों को गैर-वर्तमान ऋणों का विवरण	**31.03.2023 को**		**31.03.2022 को**	
उधारकर्ता का प्रकार	**बकाया सकल राशि**	**कुल सकल ऋण का %**	**बकाया सकल राशि**	**कुल सकल ऋण का %**
निदेशक	—	—	—	—
प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति	—	—	—	—
संबंधित पक्ष	—	—	—	—
कुल	—	—	—	—

नोट 8 : ऋण (जारी...)

(₹ करोड़ में)

	31.03.2023 को	31.03.2022 को
चालू		
संबंधित पक्षों के लिए ऋण		
— सुरक्षित, सुविचारित	—	—
— असुरक्षित, सुविचारित	—	—
— ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ	—	—
— क्षीण ऋण	—	—
	—	—
घटाव: संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	—	—
	—	—
संबंधित पार्टियों के अलावा अन्य को ऋण		
कॉर्पोरेट एवं कर्मचारियों के लिए ऋण		
— सुरक्षित, सुविचारित	0.71	—
— असुरक्षित, सुविचारित	—	—
— क्षीण ऋण	—	—
	0.71	—
घटाव: संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	—	—
	0.71	—

संबंधित पार्टियों को गैर-चालू ऋणों का विवरण	**31.03.2023 को**		**31.03.2022 को**	
उधारकर्ता का प्रकार	**बकाया सकल राशि**	**कुल सकल ऋण का %**	**बकाया सकल राशि**	**कुल सकल ऋण का %**
निदेशक	—	—	—	—
प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति	—	—	—	—
संबंधित पक्ष	—	—	—	—
कुल	—	—	—	—

1. निदेशकों से बकाया राशि के लिए - नोट 38(6)(डी) देखें।
2. कर्मचारियों को ऋण सेवा की शर्तों पर सुरक्षित किया जाता है।

नोट 9: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
गैर चालू				
12 महीने से अधिक परिपक्वता वाली बैंक जमा राशि		54.00		—
स्थानांतरण और पुनर्वास निधि योजना के तहत बैंक के साथ जमा		—		—
स्थल बहाली के लिए जमा और प्राप्य[1]		1,526.83		1,365.00
सुरक्षित जमा	116.24		6.59	
घटाव: संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	0.08	116.16	0.08	6.51
अन्य जमा एवं प्राप्य	—		—	
घटाएं : संदिग्ध जमा एवं प्राप्य राशियों के लिए भत्ता	—	—	—	—
कुल		**1,696.99**		**1,371.51**
चालू				
होल्डिंग कंपनी के साथ चालू खाता (आरएसओ सहित)		—		—
उपार्जित ब्याज		31.38		30.01
दावे और अन्य प्राप्य[2]	144.55		83.53	
घटावः संदेहास्पद दावों के लिए भत्ता	14.29	130.26	14.29	69.24
कुल		**161.64**		**99.25**

1. खान बंदीकरण योजना के अंतर्गत बैंक में जमा राशि

प्रारंभिक दिनांक पर एक्क्रो खाता में शेष (चालू/गैर चालू)	1,365.00	1,250.53
जोड़: वर्ष के दौरान राशि शेष	105.06	106.52
जोड़: वर्ष के दौरान आकलित ब्याज	62.27	43.25
घटाव़: वर्ष के दौरान निकाला गया राशि	5.50	35.30
अंतिम दिनांक पर एक्क्रो खाते (चालू/गैर चालू) में शेष	**1,526.83**	**1,365.00**

2. चूंकि दिनांक 01.03.2011 की प्रभावी तिथि से कोयला एक्साइज के अंतर्गत आ गया था, रॉयल्टी और एस.ई.डी. को "अन्य कर" के रूप में मान कर लेन-देन मूल्य से बाहर रखा गया था। सेन्ट्रल एक्साइज इन्टेलिजेंस (डी.जी.सी.ई.आई.), नई दिल्ली के महानिदेशालय द्वारा जारी किए गए समन के परिणामस्वरूप, सीआईएल, होल्डिंग कंपनी, जिसने इस मुद्दे का प्रतिनिधित्व किया, को लेन-देन मूल्य में वादित रॉयल्टी और एस.ई.डी. शामिल करने और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान करने की सलाह दी जबतक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 9 सदस्यीय बैंच में लंबित मामले का निपटारा नहीं हो जाता। तदनुसार, मार्च 2011 से फरवरी 2013 के अवधि के दौरान वादित कोयले के प्रेषण और वाशरी में कच्चे कोयले की खपत के लिए 85.14 करोड़ का भुगतान किया गया है और इसके परिणामस्वरूप उक्त अवधि के दौरान ₹ 79.95 करोड़ का पूरक बिल एकत्र किया गया है, जिसमें से नकद बिक्री ग्राहकों से ₹ 3.96 करोड़ की शेष राशि "अन्य प्राप्ति" मद के अंतर्गत दर्शाया गया है।₹ 3.96 करोड़ में से, ग्राहकों ने कोलकाता और झारखंड के माननीय उच्च न्यायालयों से ₹ 2.56 करोड़ के लिए स्थगन आदेश लिया है और ₹ 1.40 करोड़ के शेष के विरूद्ध ₹ 1.38 करोड़ का प्रावधान किया गया है।.
3. निदेशकों से बकाया राशि के लिए - नोट 38(6)(डी) देखें।

नोट 10: अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

		31.03.2023 को		31.03.2022 को	
(i)	**पूंजी अग्रिम**[1]	2,093.58		1,542.97	
	घटाव: संदेहास्पद अग्रिमों के लिए भत्ता	—	2,093.58	0.08	1,542.89
(ii)	**पूंजीगत अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम**				
	(क) अन्य जमा एवं एवं अग्रिम	0.02		0.02	—
	घटावः संदेहास्पद जमा के लिए भत्ता	—	0.02	—	0.02
	(ख) प्रगतिशील खान बंद करने पर किया गया व्यय		991.15		750.40
	(ग) संबंधित पार्टियों को अग्रिम		—		—
	कुल		**3,084.75**		**2,293.31**

विवरण	अंतिम शेष 31.03.2023 को		किसी भी समय के दौरान अधिकतम बकाया राशि	
	चालू वर्ष (₹ करोड़ में)	पिछला वर्ष (₹ करोड़ में)	चालू वर्ष (₹ करोड़ में)	पिछला वर्ष (₹ करोड़ में)
कंपनियों का बकाया जिनमें कंपनी के निदेशक /सदस्य भी हैं	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
पार्टियों का बकाया, जिसमें कंपनी के निदेशक निहितार्थ हैं।	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य

1. पूंजीगत अग्रिम में मुख्य रूप से टोरी-शिवपुर रेल लाइन के निर्माण हेतु पू.के. रेलवे को दिए गए रु. 401.77 करोड़. (विगत वर्ष रु. 348.02 करोड़) तथा जीएमजेजे भूमि के मद में राज्य सरकार को दिये गए रु. 1212.15 करोड़. शामिल है ।

नोट 11: अन्य चालू परीसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

		31.03.2023 को		31.03.2022 को	
(क)	वैधानिक बकायों का अग्रिम भुगतान	540.65		270.94	
	घटाव: संदिग्ध वैधानिक बकाया के लिए भत्ता	-	540.65	0.89	270.05
(ख)	अन्य अग्रिम एवं जमा	1,344.75		1,604.77	
	घटाव: संदिग्ध अन्य जमा और अग्रिम के लिए भत्ता	19.45	1,325.30	21.24	1,583.53
(ग)	प्रगतिशील खान बंद करने पर किया गया व्यय		87.05		95.77
(घ)	प्राप्य इनपुट टैक्स क्रेडिट		1,481.70		1,268.92
	कुल		**3,434.70**		**3,218.27**

विवरण	अंतिम शेष 31.03.2023 को		किसी भी समय के दौरान अधिकतम बकाया राशि	
	पिछला वर्ष (₹ करोड़ में)	चालू वर्ष (₹ करोड़ में)	चालू वर्ष (₹ करोड़ में)	चालू वर्ष (₹ करोड़ में)
कंपनियों का बकाया जिनमें कंपनी के निदेशक /सदस्य भी हैं	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
पार्टियों का बकाया, जिसमें कंपनी के निदेशक निहितार्थ हैं।	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य

1. निदेशकों से बकाया राशि के लिए - नोट 38(6)(डी) देखें।

नोट 12: भंडार सूचियाँ

(₹ करोड़ में)

		31.03.2023 को	31.03.2022 को
(क)	कोयले का भंडार	965.24	881.21
	विकासाधीन कोयला	—	—
		965.24	**881.21**
(ख)	सामान एवं कलपुर्जों का भंडार (लागत पर)	174.70	144.46
	जोड़: पारगमन पर भंडार	—	—
	सामान एवं कलपुर्जों का निबल भंडार (लागत पर)		
		174.70	**144.46**
(ग)	केंद्रीय अस्पताल में दवा का भंडार	1.66	0.75
(घ)	कार्यशाला कार्य और प्रेस कार्य	2.70	4.92
	कुल	**1,144.30**	**1,031.34**

नोट 12 का अनुलग्नक

तालिका - ए

वर्ष की समाप्ति पर लेखा में लिए गए कच्चे कोयले के इति भण्डार एवं खाता भण्डार के साथ मिलान

(मात्रा लाख टन में) (मूल्य ₹ करोड़ में)

विवरण	कुल भण्डार		गैर विक्रय योग्य/ मिश्रित भण्डार		विक्रय योग्य	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	**मात्रा**	**मूल्य**
1. (क) 01.04.2022 को प्रारंभिक भण्डार	76.43	589.11	1.21	—	75.22	589.11
(ख) प्रारंभिक भण्डार में समायोजन			—	—		
2. वर्ष में उत्पादन	760.87	—	—	—	760.87	—
3. उप-योग (1+2)	837.30	589.11	1.21	—	836.09	589.11
4. वर्ष के दौरान प्रेषण						
(क) बाहरी प्रेषण	696.69	19,305.72	—	—	696.64	19,305.72
(ख) वाशरी को दिया गया कोयला	53.55	573.40	—	—	53.60	573.40
(ग) निजी खपत	—	—	—	—	—	—
योग (क)	**750.24**	**19,879.12**	—	—	**750.24**	**19,879.12**
5. प्राप्त भंडार	87.06	758.80	1.21	—	85.85	758.80
6. मापित भण्डार	86.22	751.75	1.18	—	85.04	751.75
7. अन्तर (5—6)	0.84	7.05	0.03	—	0.81	7.05
8. अन्तर का विवरण						
(क) 5%के अन्दर अतिरिक्त	0.21	1.80	—	—	0.21	1.80
(ख) 5%के अन्दर कमी	1.05	8.85	0.03	—	1.02	8.85
(ग) 5% से परे अतिरिक्त	—	—	—	—	—	—
(घ) 5% से परे कमी	—	—	—	—	—	—
9. खाते में लिखा गया अंतिम भण्डार (6 —8 क +8 ख)	87.06	758.80	1.21	—	85.85	758.80

नोट 12 का अनुलग्नक (जारी...)

तालिका - बी
कोयला/कोक की इति भण्डार का सारांश

(मात्रा लाख टन में) (मूल्य ₹ करोड़ में)

विवरण	कच्चा कोयला		धुला हुआ/डिसाल्ट कोयला				अन्य उत्पादन*		कुल	
			कोकिंग		नन-कोकिंग					
	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा
प्रारंभिक भंडार (अंकेक्षित)	76.43	589.11	0.18	8.86	0.55	5.81	15.53	277.43	92.69	881.21
घटाव: गैर बिक्री योग्य कोयला/मिश्रित कोयला	1.21	—	—	—	—	—	—	–	1.21	—
समायोजित प्रारंभिक भण्डार (विक्रय/बेचने योग्य)	75.22	589.11	0.18	8.86	0.55	5.81	15.53	277.43	91.48	881.21
उत्पादन	760.87	—	7.21	—	36.65	—	8.23	—	812.96	—
प्रेषण										
(क) बाहरी प्रेषण	696.64	19,305.72	7.09	610.13	36.91	1,618.97	12.29	830.90	752.93	22,365.72
(ख) वाशरी को दिया गया कोयला	53.60	573.40	—	—	—	—	—	–	53.60	573.40
(ग) निजी खपत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	–
इति भण्डार	85.85	758.80	0.30	7.30	0.29	2.81	11.47	196.33	97.91	965.24
घटाव: कमी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	–
इति भण्डार (लिया गया)	85.85	758.80	0.30	7.30	0.29	2.81	11.47	196.33	97.91	965.24

1. अन्य उत्पादों के प्रेषण के मूल्य में गैर-कोकिंग स्लरी और रिजेक्ट्स का मूल्य शामिल है लेकिन प्रेषण की मात्रा में गैर-कोकिंग स्लरी 36271 मी टन (विगत वर्ष 12047 मी टन) और रिजेक्ट्स (कोकिंग और गैर-कोकिंग दोनों) 145127 मी टन (विगत वर्ष 102739 मी टन) का प्रेषण शामिल नहीं है।
2. 31.03.2023 को कोकिंग और गैर-कोकिंग स्लरी तथा गैर-कोकिंग रिजेक्ट्स का इति भंडार 195868 मी टन (विगत वर्ष 231247 मी टन) और 6541688 मी. टन (विगत वर्ष 6511890 मी टन) क्रमशः तैयार बाजार के अनुपलब्धता के कारण उसका मूल्य शून्य लगाया गया। विक्रय, प्राप्ति के आधार पर मान्य होते हैं।
3. कोयले के इति भंडार का वॉल्युमीट्रिक माप लिया जाता है और रूपांतरण-कारक के अनुप्रयोग से वजन (टन) में परिवर्तित किया जाता है। वॉल्युमीट्रिक मापन की अन्तर्निर्हित सन्निकटन त्रुटि को तथा गणितीय रूपांतरण-कारक के अनुप्रयोग से वजन में रूपांतरण पर ध्यान रखने के लिए, बुक स्टॉक और भौतिक स्टॉक के बीच(+/-) 5 प्रतिशत का अन्तर कम्पनी को लेखा नीति के अनुसार नजरअंदाज किया जाता है जिसका वर्षों से निरंतर पालन किया जा रहा है और लेखा खाते में 0.81 लाख टन के बुक स्टॉक (बिक्री योग्य) की शुद्ध कमी जिसका मूल्य ₹ 7.05 करोड़ है, की असंगति बनी हुई है।
4. कच्चे कोयले के भंडार में 21014 टन कोयला सम्मिलित है जो वर्ष 2010 से उरीमारी खुली खदान परियोजना में पड़ा हुआ है। इसका मूल्य 4.32 करोड़ रुपये है। यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है तथा इसका मूल्यांकन पुराने सीपीटी पर किया गया है।

नोट 13: व्यापार प्राप्य

(₹ करोड़ में)

	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
अच्छा समझा गया प्रतिभूत	—		—	
अच्छा समझा गया अप्रतिभूत	3,001.17		2,149.65	
ऋण में हानि	380.39		288.26	
	3,381.56		2,437.91	
घटाव: खराब एवं संदेहात्मक ऋण के लिए प्रावधान	380.39	3,001.17	288.26	2,149.65
योग		**3,001.17**		**2,149.65**

1. 31.03.2023 को व्यापार प्राप्य की विवरणी

विवरण	निम्नलिखित अवधियों के लिए लेन-देन की तारीख से बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने 1 साल	1-2 साल	2-3 साल	3 साल से अधिक	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना गया	1,844.84	236.64	832.95	3.27	83.47	3,001.17
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - ऋण बाधित	—	—	—	—	—	—
(iii) विवादित व्यापार प्राप्य- अच्छा माना गया	—	—	—	—	—	—
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - ऋण बाधित	—	—	—	—	380.39	380.39
कुल	**1,844.84**	**236.64**	**832.95**	**3.27**	**463.86**	**3,381.56**
बिल न किये गए देय	—	—	—	—	—	—
ख़राब एवं संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	—	—	—	—	380.39	380.39
अपेक्षित ऋण हानि (हानि भत्ता प्रावधान) -%	—	—	—	—	82.01%	11.25%

31.03.2022 को व्यापार प्राप्य की विवरणी

विवरण	निम्नलिखित अवधियों के लिए लेन-देन की तारीख से बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने 1 साल	1-2 साल	2-3 साल	3 साल से अधिक	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना गया	892.16	351.17	793.56	214.78	(102.02)	2,149.65
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - ऋण बाधित	—	—	—	—	—	—
(iii) विवादित व्यापार प्राप्य- अच्छा माना गया	—	—	—	—	—	—
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - ऋण बाधित	—	—	—	—	288.26	288.26
कुल	892.16	351.17	793.56	214.78	186.24	2,437.91
बिल न किये गए देय	—	—	—	—	—	—
ख़राब एवं संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	—	—	—	—	288.26	288.26
अपेक्षित ऋण हानि (हानि भत्ता प्रावधान) -%	—	—	—	—	154.78%	11.82%

नोट 13: व्यापार प्राप्य (जारी...)

2. व्यापार प्राप्य के विरूद्ध प्रावधान का संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि	
	खराब एवं संदेहात्मक ऋण	कोयला गुणवत्ता भेद
01.04.2022 को प्रारंभिक शेष	288.26	531.99
जोड़: वर्ष के दौरान किए गए	92.13	125.87
शेष प्रावधान	380.39	657.86
घटाव: वापस लिए गए प्रावधान	—	480.34
31.03.2023 को व्यापार प्राप्य के विरूद्ध शेष प्रावधान	**380.39**	**177.52**

3. कोयला गुणवत्ता विचरण में ₹177.52 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 531.99 करोड़) के व्यापार प्राप्य को निबल छूट दिया गया है।

4. निदेशकों से बकाया राशि के लिए - नोट 38(6)(डी) देखें।

नोट 14: नकद एवं नकद तुल्य

(₹ करोड़ में)

	31.03.2023 को	31.03.2022 को
(क) बैंकों के साथ शेष		
जमा खाता में	12.31	0.39
चालू खाते में		
— ब्याज सहित (सीएलटीडी)	645.08	149.61
— गैर ब्याज सहित	222.87	597.30
नगद ऋण खाते में	—	—
(ख) भारत के बाहर के बैंक बचत	—	—
(ग) प्राथमिक डीलरों के साथ आईसीडी	100.00	—
(घ) हस्तगत चेक, ड्राफ्ट्स एवं स्टैम्प्स	0.01	0.01
(ङ) हस्तगत नकद	—	—
(च) भारत के बाहर का हस्तगत नकद	—	—
(छ) अन्य (ई-क्रय खाता/जीईएम खाता/अग्रदाय शेष)	0.17	0.01
उप-कुल नकद एवं नकद समान	**980.44**	**747.32**
(ज) बैंक ओवरड्राफ्ट्स	—	—
कुल नकद एवं नकद तुल्य (निबल बैंक ओवरड्राफ्ट्स)	**980.44**	**747.32**

नोट:

1 नकद एवं नकद समकक्ष में हाथ में और बैंक में नकद, स्वीप खाते एवं तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता वाले बैंकों के साथ सावधि जमा शामिल हैं।

2 मार्जिन राशि या सिक्युरिटी के विरूद्ध उधार, गारंटी, अन्य प्रतिबद्धताओं के विरूद्ध में बैंकों के साथ शेष राशि शून्य है।

3 हस्तगत नकद शेष राशि प्रबंधन द्वारा प्रमाणित नकद सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार है।

4 दो अदालती मुकदमों (मेसर्स नव शक्ति फ्यूल्स बनाम सीसीएल एवं इत्यादि) FA No. 101/2007 के मामले में खातां सं. - 0404002100045433 में जमा के विरूद्ध, सीसीएल द्वारा जारी की गई ₹ 0.39 करोड़ की बैंक गारंटी को सुरक्षित रखा गया है।

5 नकद और नकद तुल्य में ग्राहकों से जमा किए गए कंपोजिट यूजर फीस के तौर पर 441.45 करोड़ रुपये वसूले गए।

6 आईसीडी अंतर-कारपोरेट जमा राशि है जिसे 7 से 15 दिनों के मध्य मूल परिपक्वता के साथ प्राथमिक डीलरों द्वारा स्वीकार किया जाता है। उक्त का विवरण निम्नवत है -

(Rs. in Crores)

प्राथमिक डीलर		
आईसीआईसीआई प्रतिभूति	100.00	—
कुल	**100.00**	—

7 कंपनी संशोधन अधिनियम, 2017 के तहत सीएसआर नीति के अनुसार सीएसआर अव्ययित खाते में 11.92 करोड़ रुपये जमा किए गए।

नोट 15: अन्य बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

	31.03.2023 को	31.03.2022 को
बैंकों के साथ शेष		
जमा खाता	2,493.81	1,474.33
जमा खाता (विशिष्ट उद्देश्यों के लिए)*	40.06	38.71
खान बंदीकरण योजना	—	—
स्थानांतरण एवं पुनर्वासन निधि स्कीम	—	—
शेयर के पुनः खरीद के लिए एस्क्रो खाता	—	—
अदत्त लाभांश खाता	—	—
लाभांश खाता	—	—
योग	**2,533.87**	**1,513.04**

अन्य बैंक बैलेंस में विशिष्ट उद्देश्यों के लिए जमा एवं बैंक जमा शामिल हैं जिन्हें रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 महीनों के अंदर नकद में प्राप्त होने की उम्मीद है।

*** विशिष्ट प्रयोजनों हेतु जमा - ग्रहणाधिकार/अदालत के आदेश एवं अन्य विशिष्ट प्रयोजनों हेतु विनिश्चित किए गए हैं। इसके अंतर्गत —**

i) माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता के आदेशानुसार ₹ 7.41 करोड़ ग्राहक के दावे के विरूद्ध जमा किया गया है जिसमें अन्य वर्तमान देयता (नोट: 20) के साथ तदनरूपी देयता के ₹ 2.99 करोड़ का ब्याज शामिल है।

ii) नवम्बर 2006 से अप्रैल 2008 की अवधि के दौरान पार्टियों पर चार्ज किए गए 20 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता के अनुसार ₹ 32.65 करोड़ जमा किए गए हैं।

नोट 16: इक्विटी शेयर कैपिटल

(₹ करोड़ में)

	31.03.2023 को	31.03.2022 को
अधिकृत		
₹ 1000/- प्रत्येक के 1,10,00,000 इक्विटी शेयर (₹ 1000/- प्रत्येक के 1,10,00,000 इक्विटी शेयर)	1,100.00	1,100.00
निर्गत अभिदत्त एवं प्रदत्त		
₹ 1000/- प्रत्येक के 94,00,000 इक्विटी शेयर ₹ 1000/- प्रत्येक के 94,00,000 इक्विटी शेयर)	940.00	940.00
	940.00	**940.00**

1. उपरोक्त में से 9399997 शेयर्स, नियंत्रक कंपनी कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा रखे गए हैं तथा शेष 3 शेयर इसके नामित द्वारा रखे गए हैं।
2. 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का कम्पनी में शेयर

शेयरधारक का नाम	शेयरों की सं. (प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 1000/-)	कुल शेयरों का प्रतिशत	अवधि के दौरान % परिवर्तन
कोल इण्डिया लिमिटेड	9399997 (9399997)	100 (100)	—

3. रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का मिलान:

विवरण	शेयरों की संख्या	राशि
01.04.2021 को शेष	94,00,000	940.00
वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान परिवर्तन	—	—
31.03.2022 को शेष	94,00,000	940.00
वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान परिवर्तन	—	—
31.03.2023 को शेष	94,00,000	940.00

4. कंपनी के पास इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है जिसका अंकित मूल्य 1000/-₹ प्रति शेयर है। इक्विटी शेयरधारक समय समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने और शेयरधारकों की बैठक में शेयर होल्डिंग के अनुपात में वोटिंग अधिकार के हकदार हैं।

नोट 17: अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	सामान्य संचय	सुरक्षित उपार्जन	ओसीआई	कुल
01.04.2021 को शेष	2,307.15	4,477.77	(174.08)	6,610.84
लेखा नीति में परिवर्तन एवं पूर्व अवधि त्रुटियाँ (कर का शुद्ध)	—	—	—	—
01.04.2021 को शेष	**2,307.15**	**4,477.77**	**(174.08)**	**6,610.84**
वर्ष के दौरान वृद्धि	—	—	—	—
वर्ष के दौरान समायोजन	—	—	—	—
वर्ष के दौरान कुल लाभ	—	1,698.41	—	1,698.41
परिभाषित लाभ योजनाओं की प्रतिपूर्ति (कर का शुद्ध)	—	—	(51.39)	(51.39)
विनियोग				
हस्तांतरित/सामान्य संचय से	84.85	(84.85)	—	—
अंतरिम लाभ	—	(404.20)	—	(404.20)
अंतिम लाभ	—	(377.88)	—	(377.88)
निगम लाभांश कर	—	—	—	—
31.03.2022 को शेष	**2,392.00**	**5,309.25**	**(225.47)**	**7,475.78**
01.04.2022 को शेष	**2,392.00**	**5,309.25**	**(225.47)**	**7,475.78**
वर्ष के दौरान वृद्धि	—	—	—	—
वर्ष के दौरान समायोजन	—	(0.70)	—	(0.70)
लेखा नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटि	—	—	—	—
वर्ष के दौरान कुल लाभ	—	2,755.14		2,755.14
परिभाषित लाभ योजनाओं की प्रतिपूर्ति (कर का शुद्ध)	—	—	177.59	177.59
विनियोग :				
हस्तांतरित/सामान्य संचय से	137.58	(137.58)	—	—
अंतरिम लाभ	—	(600.66)	—	(600.66)
अंतिम लाभ	—	(423.00)	—	(423.00)
निगम लाभांश कर	—	—	—	—
इक्विटी शेयरों का बाय-बैक	—	—	—	—
बाय-बैक पर कर	—	—	—	—
31.03.2023 को शेष	**2,529.58**	**6,902.45**	**(47.88)**	**9,384.15**

लाभांश संवितरण हेतु केवल प्रतिधारित आय तथा सामान्य आरक्षित निधि उपलब्ध होती है।

नोट 18: उधार

(₹ करोड़ में)

	31.03.2023 को	31.03.2022 को
गैर-चालू		
सावधी ऋण	125.12	—
अन्य ऋण	—	—
कुल	**125.12**	**—**
वर्गीकरण		
सुरक्षित	125.12	—
असुरक्षित	—	—
चालू		
मांग पर चुकाए जाने वाले ऋण		
बैंको से		
— बैंक ओवरड्राफ्ट्स	—	—
— बैंक से अन्य ऋण	—	—
अन्य पार्टियों से	—	—
लंबी अवधि के उधार की चालू परिपक्वता	0.03	—
कुल	**0.03**	**—**
वर्गीकरण		
सुरक्षित	0.03	—
असुरक्षित	—	—

निदेशकों एवं अन्य के द्वारा गारंटीकृत ऋण

ऋण का वर्गीकरण	राशि करोड़ ₹ में	गारंटी की प्रकृति
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

नोट 19 : व्यापार देयताएं

(₹ करोड़ में)

	31.03.2023 को	31.03.2022 को
चालू		
माइक्रो, स्मॉल तथा मीडियम इन्टरप्राइजेज के लिए	9.88	6.98
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा	1,305.24	1,556.66
कुल	**1,315.12**	**1,563.64**
वर्गीकरण		
सुरक्षित	—	—
असुरक्षित	1,315.12	1,563.64

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के व्यापार देयताएं

वर्ष के अंत में अप्रदत्त एवं न देने लायक मूल एवं ब्याज राशि	शून्य	शून्य
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन अधिनियम, 2006 के धारा 16 के अनुसार कम्पनी द्वारा ब्याज को देय राशि के साथ वर्ष के नियुक्त तिथि के बाहर दिया गया राशि।	शून्य	शून्य
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को बिना जोड़े देय वर्ष में बकाया ब्याज (भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन से परे)	शून्य	शून्य
वर्ष के अंत तक अर्जित पर अदत्त ब्याज	शून्य	शून्य
आगामी वर्षों में बकाया एवं देय, जब तक कि उपरोक्त तारीख के रूप में ब्याज की राशि वास्तव में छोटे उद्यमों को भुगतान नहीं की जाती	शून्य	शून्य

31.03.2023 को व्यापार देय निर्धारण अनुसूची

विवरण	लेन-देन की तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक	
(i) (एमएसएमई)	9.88	—	—	—	9.88
(ii) अन्य	1,043.69	103.98	32.06	49.80	1,229.53
(iii) विवादित देय राशियां - एमएसएमई	—	—	—	—	—
(iv) विवादित देय राशियां - अन्य	—	—	—	75.71	75.71
(v) बिल न किए गए बकाया	—	—	—	—	—
कुल	**1,053.57**	**103.98**	**32.06**	**125.51**	**1,315.12**

31.03.2023 को व्यापार देय निर्धारण अनुसूची

विवरण	लेन-देन की तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक	
(i) (एमएसएमई)	6.98	—	—	—	6.98
(ii) अन्य	1,342.25	21.70	57.46	53.59	1,475.00
(iii) विवादित देय राशियां - एमएसएमई	—	—	—	—	—
(iv) विवादित देय राशियां - अन्य	—	—	—	81.66	81.66
(v) बिल न किए गए बकाया	—	—	—	—	—
कुल	**1,349.23**	**21.70**	**57.46**	**135.25**	**1,563.64**

नोट 20: अन्य वित्तीय देयताए

(₹ करोड़ में)

	31.03.2023 को	31.03.2022 को
गैर चालू		
प्रतिभूति जमा	232.21	124.13
अन्य	—	—
कुल	**232.21**	**124.13**
चालू		
होल्डिंग कंपनी के साथ चालू खाता	—	—
नियंत्रक कंपनी	12.47	57.66
आईआईसीएम	0.21	0.21
अदत्त लाभांश	—	—
प्रतिभूति जमा	147.91	231.59
अग्रिम राशि	266.37	56.84
पूंजीगत व्यय के लिए देय *	197.30	177.69
कर्मचारी लाभ के लिए देयता	500.59	473.80
अन्य	90.16	50.59
कुल	**1,215.01**	**1,048.38**

1. उपरोक्त अन्य में अव्ययित सीएसआर व्यय शामिल हैं (नोट – 29 सीएसआर व्यय का अनुलग्नक देखें)
2. निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष को भुगतान के लिए कोई राशि देय नहीं है।
   वर्गीकरण हेतु नोट 38(2) देखें

नोट 21: प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	31.03.2023 को	31.03.2022 को
गैर चालू		
कर्मचारी लाभ		
ग्रेच्युटी	64.80	610.99
अवकाश नकदीकरण	467.86	283.02
सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	193.89	214.36
अन्य कर्मचारी लाभ	40.69	40.79
	766.24	1,149.16
अन्य प्रावधान		
स्थल पुनःस्थापन/खान बंदीकरण	929.15	982.09
स्ट्रीपिंग गतिविधि समायोजन	3,639.59	2,987.40
अन्य	—	—
कुल	**5,334.98**	**5,118.65**
चालू		
कर्मचारी लाभ		
ग्रेच्युटी	207.82	197.13
अवकाश नकदीकरण	49.77	29.56
सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	28.27	25.09
एक्स-ग्रेसिया	258.44	250.70
परफोरमेंस लिंटेड पे	268.29	178.07
अन्य कर्मचारी लाभ	1,361.87	153.20
	2,174.46	833.75
अन्य प्रावधान		
अन्य	—	—
कुल	**2,174.46**	**833.75**

1. स्थल पुनःस्थापन/खान बंदीकरण सुधार का मिलान :

01.04.2022/01.04.2021 को स्थल बहाली परिसम्पत्ति का सकल मूल्य	489.89	472.49
जोड़ें: प्रावधानों के खोलने पर प्रभारित (पंजीकृत सहित) तक 01.04.2021\01.04.2020	492.20	451.68
जोड़ें: वर्तमान वर्ष के लिए प्रावधानों के खोलने पर प्रभारित (पूंजीकृत सहित)	75.44	81.77
कम: वर्ष के दौरान वापस लिया गया खान बंदीकरण प्रावधान	128.38	23.85
31.03.2023/31.03.2022 को खान बंदीकरण प्रावधान	**929.15**	**982.09**

2. गैर कार्यकारियों के एक्सग्रेसिया के प्रावधान को वित्त वर्ष 2021-22 के भुगतान के लिए स्वीकृत ₹ 76,500/- के तौर पे किया गया है।
3. खान बंदीकरण योजना के संबंध में, भारत सरकार के कोयला मंत्रालय से प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार, कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी सीएमपीडीआईएल के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर खाते में खान बंदीकरण की लागत का प्रावधान किया जाता है। सीएमपीडीआईएल द्वारा प्रत्येक खान की ऐसी देयताओं की अनुमानित लागत पर / 8% (यानि जी-सेक दर) की दर से छूट दी गई है और उक्त को ही खान बंदीकरण देयता तक पहुंचने के लिए प्रथम वर्ष को ही प्रावधान को बनाने में इसे पूंजीकृत किया जाता है। तदनतर, आगामी वर्षों में देय छूट को कम कर, 31.03.2023 के उक्त प्रावधान पर पहुंचा गया है। ₹ 1526.83 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 1365.00 करोड़) के खान बंदीकरण प्रावधान के विरूद्ध, ₹ 471.05. करोड़ (विगत वर्ष ₹ 408.78 करोड़) एकाउन्ट में जमा है, जिसमें ₹ 929.15 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 982.09 करोड़) ब्याज सहित है।
4. कोयला वेतन समझौता (एनसीडब्ल्यूए-XI) को अंतिम रूप दिए जाने की स्थिति में कर्मचारियों को दिनांक 01.07.2021 से 31.03.2023 तक की अवधि हेतु उनके वेतन + मजदूरी के सभी भत्तों में वृद्धि के कुल राशि पर विचार करते हुए, ₹ 19,100/- प्रति कर्मचारी (गैर-अधिकारी) प्रति माह की दर से कुल 1344.58 करोड़ रुपये के अनुमानित भुगतान को अनुमोदन प्राप्त हुआ है।
5. भारतीय लेखा मानक -19 के अंतर्गत आवश्यक बीमांकिक मूल्यांकन में, कर्मचारी लाभ के मद में कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि, मुद्रास्फीति, पदोन्नति, एनसीडब्ल्यूए समझौते तथा अन्य प्रासंगिक कारण, जिन्हें दीर्घावधि अनुमान माना गया है, पर 6.25% की वेतन – मुद्रास्फीति (महंगाई) पर सहमति दी गयी है ।

नोट 22: अन्य गैर-चालू देयताएँ

(₹ करोड़ में)

	31.03.2023 को	31.03.2022 को
स्थानांतरण एवं पुनःस्थापन निधि	—	—
आस्थगित आय [1]	452.59	496.58
अन्य	0.39	0.55
कुल	**452.98**	**497.13**

1. आस्थगित आय में अवशोषित सरकारी अनुदान जैसे (क) रेल लाइन/रेल कॉरिडोर के निर्माण से संबंधित 595.82 करोड़ रुपये की मूल राशि। (ख) उत्तरी कर्णपुरा क्षेत्र में सड़क के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण से संबंधित 4.29 करोड़ रुपये की मूल राशि तथा (ग) चरही क्षेत्र में सड़क के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण से संबंधित 9.23 करोड़ रुपये की वास्तविक राशि समाहित है।

   आस्थगित आय को व्यवस्थित तौर पर परिसंपत्ति के महत्वपूर्ण भाग में लाभ और हानि की विवरणी में शामिल किया जाता है। जहां रेल कॉरीडोर की आयु 15 वर्ष होती है, वहीं सड़क कॉरीडोर की आयु 10 वर्ष होती है। परिसंपत्तियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष के दौरान लाभ और हानि की विवरण में ₹ 43.99 करोड़ की राशि को आय के रूप में मान्यता दी गई है।

नोट 23: अन्य चालू देयताएँ

(₹ करोड़ में)

	31.03.2023 को	31.03.2022 को
वैधानिक देय	1,404.04	1,044.75
ग्राहकों/अन्यों से प्राप्त अग्रिम	3,063.62	2,071.44
अन्य देयताएं	-	-
कुल	**4,467.66**	**3,116.19**

नोट 24: संचालन से आय

(₹ करोड़ में)

		31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	
क.	**बिक्री**		22,720.19		18,585.25
	घटाव: वैधानिक लेवी		7,493.98		6,233.12
	बिक्री (निबल)(क)		**15,226.21**		**12,352.13**
ख.	**अन्य संचालित आय**				
	लोडिंग एवं यातायात शुल्क	735.04		761.90	
	घटाव : वैधानिक लेवी	35.00	700.04	36.28	725.62
	निकासी सुविधा शुल्क	475.60		429.10	
	घटाव : वैधानिक लेवी	22.65	452.95	20.43	408.67
	अन्य संचालित आय (निबल)(ख)		**1,152.99**		**1,134.29**
संचालन से आय (क+ख)			**16,379.20**		**13,486.42**

1. विसमूहित राजस्व सूचना के लिए नोट-38 के अंक 6(पी) में उल्लेख लिया गया है।
2. रेफ्री/थर्ड पार्टी सैंपलर के परिणाम की प्रतीक्षा तक कोयले की गुणवत्ता में अनुमानित भिन्नता व नमी (रिवर्सल का निबल) के प्रत्याहृत प्रावधान के कारण बिक्री में वृद्धि रु 354.47 करोड़ (विगत वर्ष हेतु 9.17 करोड़ रुपये) की हुई है।

नोट 25: अन्य आय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज आय'	234.85	97.13
लाभांश आय	—	—
अन्य गैर संचालित आय		
परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ		
विदेशी मुद्रा के लेन-देन से प्राप्ति	0.02	0.15
म्यूचुअल फंड की बिक्री पर लाभ	—	—
लीज लगान	19.90	8.85
वापस लिया गया देयता/प्रावधान*	0.35	0.19
उचित मूल्य परिवर्तन (निबल)	352.32	125.02
विविध आय	8.41	0.11
ब्याज आय'	310.61	105.35
कुल	**926.46**	**336.80**

1. ब्याज में आयकर वापसी का ब्याज शून्य (वि.व शून्य) शामिल है।
2. अपलिखित देनदारी में अधिशेष अपलिखित देनदारी सम्मिलित है-

प्रदर्शन से संबंधित भुगतान -पीआरपी	5.80	42.93
खदान बंद करने का प्रावधान- एमसीपी	90.57	7.19
मजदूरी एवं वेतन	3.48	28.89
संविदात्मक एवं भंडार देयता	208.44	37.02
वैधानिक शुल्क सहित अन्य	44.03	8.99
कुल	**352.32**	**125.02**

3. विविध आय में निम्न सम्मिलित हैं —

टोरी-शिवपुर रेल कॉरिडोर का बढ़ा हुआ माइलेज	70.20	-
साइडिंग उपभोगता शुल्क	26.57	11.97
बैंक गारंटी का भुगतान	34.46	3.76
एसडी/ईएमडी की जब्ती	62.21	4.42
रद्दी की बिक्री	16.50	2.34
आपूर्तिकर्ताओं से वसूला गया जुर्माना/एलडी	14.02	26.12
आस्थगित राजस्व आय	43.99	40.75
अन्य	42.66	15.99
कुल	**310.61**	**105.35**

4. कंपनी ने टोरी-शिवपुर रेल कॉरिडोर से 70.20 करोड़ रुपये की आय को बढ़े हुए माइलेज के मद में प्राप्त हुआ है।

नोट 26 : उपयोग किये गए सामग्री की लागत

(₹ करोड़ में)

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
विस्फोटक	441.13	263.94
लकड़ी	0.09	—
तेल एवं ल्युब्रिकेन्ट्स	543.21	416.63
एचईएमएम् कलपुर्जे	141.44	130.15
अन्य उपयोग हेतु भंडार एवं कलपुर्जे	44.96	44.43
कुल	**1,170.83**	**855.15**

नोट 27: तैयार सामान, प्रगतिशील कार्य एवं व्यापार में भंडार की संपत्ति सूचियों में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

		31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
ए.	**कोयले की संपत्ति सूची में परिवर्तन**		
	कोयले का प्रारंभिक भंडार	881.21	1,163.03
	कोयले का शेष भंडार	965.24	881.21
		(84.03)	**281.82**
बी.	**कार्यशाला में निर्मित सामान, प्रगतिशील कार्य एवं प्रेस कार्यों की संपत्ति सूची में परिवर्तन**		
	कार्यशाला में निर्मित सामान, प्रगतिशील कार्य एवं प्रेस कार्यों का प्रारंभिक भंडार	4.92	1.96
	कार्यशाला में निर्मित सामान, प्रगतिशील कार्य एवं प्रेस कार्यों का शेष भंडार	2.70	4.92
		2.22	**(2.96)**
व्यापार में भंडार की संपत्ति सूची में परिवर्तन (ए + बी) {कमी/(अभिवृद्धि)}		**(81.81)**	**278.86**

नोट 28 : कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन एवं मजदूरी (भत्ता एवं बोनस इत्यादि सहित)[1]	5,557.91	4,247.07
पीएफ एवं अन्य निधि में योगदान	1,370.31	1,022.67
कर्मचारी कल्याण व्यय	294.48	206.35
कुल	**7,222.70**	**5,476.09**

1. कर्मचारियों के लंबित राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते (एनसीडब्ल्यूए-XI) को अंतिम रूप दिए जाने की स्थिति में, वेतन तथा मजदूरी के सभी तत्वों में वृद्धि पर विचार करते हुए, वर्ष के दौरान ₹ 1221.28 करोड़ का अनुमानित प्रावधान चिन्हित किया गया है। वित्तीय विवरण के नोट-21 के फुट नोट-4 का संदर्भ देखें।

नोट 29: कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व व्यय	43.39	53.14
कुल	**43.39**	**53.14**

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा तैयार किये गए सीएसआर नीति में कंपनी अधिनियम, 2013 और अन्य प्रासंगिक सूचनाओं की विशेषताएं शामिल हैं। सीएसआर के लिए निधि, तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के लिए औसत शुद्ध लाभ का 2% या विगत वर्ष के कोयला उत्पादन का ₹ 2.00 प्रति टन, जो भी अधिक है, ₹ 46.28 करोड़ होता है। (विगत वर्ष ₹ 50.25 करोड़)

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, चालू परियोजनाओं से संबंधित अव्ययित सीएसआर व्यय ₹15.30 करोड़ रहा। बहरहाल, अनदेखी के कारण उक्त मामले में खोले गए अव्ययित सीएसआर बैंक खाते में ₹18.19 करोड़ की राशि जमा कर दी गई थी। इसलिए, ₹ 2.89 करोड़ की अतिरिक्त राशि (यानी ₹ 18.19 करोड़ घटाव ₹ 15.30 करोड़) को अव्ययित सीएसआर बैंक खाते में जमा कर दी गयी है। इसके परिणामस्वरूप विगत वित्तीय वर्ष में ₹ 2.89 करोड़ का अतिरिक्त सीएसआर व्यय का लेखांकन और प्रतिवेदन हुआ अर्थात ₹ 50.25 करोड़ के स्थान पर ₹ 53.14 करोड़ दर्ज किया है। वित्त वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट में ₹ 50.25 करोड़ की राशि को 2% अनिवार्य सीएसआर व्यय के रूप में दर्शाया गया है (वार्षिक रिपोर्ट की पृष्ठ संख्या-105 देखें)। चूंकि, कंपनी अधिनियम की धारा - 135 (5) के प्रावधान के तहत व्यय की जाने वाली न्यूनतम आवश्यक राशि से अधिक किसी भी राशि को अगले वित्तीय वर्ष में समायोजित किया जा सकता है, तदनुसार, चालू वित्तीय वर्ष के लिए सीएसआर व्यय की प्रकृति अमूर्त के होने के कारण ₹ 2.89 करोड़ की उक्त अतिरिक्त राशि का समंजन करने के बाद ₹ 46.28 करोड़ के स्थान पर ₹ 43.39 करोड़ रिपोर्ट किया गया है।

क. सीएसआर व्यय का गतिविधिवार विवरण (अतिरिक्त खर्च सहित):

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
भूख, गरीबी एवं कुपोषण का उन्मूलन	0.31	0.05
शिक्षा को बढ़ावा देना, विशेष शिक्षा एवं रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल सहित	8.09	3.45
पर्यावरणीय स्थिरता	0.60	0.63
सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों का लाभ	—	—
ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	5.11	3.84
विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में योगदान	—	—
ग्रामीण विकास परियोजनाएं	2.56	0.40
स्लम क्षेत्र का विकास	—	—
पेय जल	4.75	3.16
स्वास्थ्य सेवा	9.20	11.37
स्वच्छता	0.74	0.64
निःशक्तजनों का कल्याण	0.10	0.09
वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण	0.14	0.23
अन्य	1.63	0.95
कुल	**33.23**	**24.81**
जोड़ें: पिछले वित्तीय वर्ष में खर्च की गई अतिरिक्त राशि का उपयोग वर्तमान अवधि में किया गया	—	**10.14**
कुल योग	**33.23**	**34.95**

गतिविधिवार खर्च किए गए सीएसआर व्यय के ब्योरे के साथ अभिज्ञात सीएसआर व्यय का मिलान

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
गतिविधि अनुसार व्यय की गयी सीएसआर राशि	33.23	34.95
घटाव: किया गया अतिरिक्त सीएसआर व्यय	—	—
जोड़: चालू परियोजना के अलावा अन्य पर अव्ययित सीएसआर राशि	—	—
जोड़ें: चालू परियोजना पर अव्ययित सीएसआर राशि	10.16	18.19
वर्ष के दौरान अभिज्ञात सीएसआर व्यय	**43.39**	**53.14**

ख. सीआरएस व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण		नगद में	नकद में भुगतान बाकी	कुल
(ए)	वर्ष के दौरान व्यय करने के लिए आवश्यक राशि			43.39
(बी)	वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली बोर्ड द्वारा अनुमोदित राशि			43.39
(सी)	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशिः			
(i)	किसी भी संपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	4.17	2.34	6.51
(ii)	उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्य पर	23.69	3.03	26.72
कुल		**27.86**	**5.37**	**33.23**

ग. चालू परियोजना के अलावा अव्ययित राशि [धारा 135(5)]

(₹ करोड़ में)

	प्रारंभिक राशि	अनुसूचि VII के निर्दिष्ट निधि में 6 महीने के अंदर जमा राशि	वर्ष के दौरान व्यय के लिए आवश्यक राशि	वर्ष के दौरान व्ययित राशि	समापन राशि
चालू परियोजना के अलावा अव्ययित राशि	—	—	—	—	—

घ. व्ययित अतिरिक्त राशि [धारा 135(5)]

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	प्रारंभिक राशि	वर्ष के दौरान व्यय के लिए आवश्यक राशि	वर्ष के दौरान व्ययित राशि	समापन राशि

ङ. चालू परियोजना [धारा 135(6)]

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	प्रारंभिक राशि			वर्ष के दौरान व्यय के लिए आवश्यक राशि		समापन राशि	
	कंपनी के पास	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में	मात्रा आवश्यक व्यतीत होने के दौरान वर्ष	अलग सीएसआर अव्ययित खाते से	कंपनी के पास	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में
2021-22	—	18.19	50.25	34.95	7.04	—	11.15
2022-23	—		43.39	33.23	—	—	10.16

च. सीएसआर व्यय देयता के लिए प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	प्रारंभिक राशि	अवधि के दौरान जोड़	अवधि के दौरान समायोजन	समापन राशि
सीएसआर व्यय की देयताओं हेतु प्रावधान (अन्य वित्तीय वर्तमान देयता (अन्य) में शामिल - नोट संख्या 20)	25.47	5.37	4.35	26.49

नोट 30: मरम्मतें

(₹ करोड़ में)

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
भवन	146.08	125.17
सयंत्र एवं मशीनरी	95.98	143.64
अन्य	1.06	4.44
कुल	**243.12**	**273.25**

नोट 31 : संविदात्मक व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
परिवहन शुल्क	467.02	522.47
वैगन लदायी	40.66	46.41
सयंत्र एवं उपकरणों का किराया	1,319.51	1,208.18
अन्य संविदात्मक काय	117.68	90.04
कुल	**1,944.87**	**1,867.10**

नोट 32 : वित्त लागत

(₹ करोड़ में)

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
उधार	—	—
छूट पर रियायत	75.44	81.77
अन्य	—	—
कुल	**75.44**	**81.77**

नोट 33 : प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
भत्ता/ इसके लिए किया गया प्रावधान		
संदेहात्मक ऋण	92.13	—
संदेहात्मक अग्रिम एवं दावे	—	—
भंडार एवं कल पुर्जे	—	3.41
अन्य	—	—
कुल	**92.13**	**3.41**

नोट:

सीसीएल अपने एवं सेल/आरआईएनएल के बीच तय किए गए समझौता ज्ञापन में पारस्परिक रूप से सहमत मूल्य पर मेसर्स सेल तथा आरआईएनएल को वॉश्ड मीडियम कोकिंग कोल (डब्ल्यूएमसीसी) की आपूर्ति करता है, जिसमें सीसीएल तथा सेल (स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड)/आरआईएनएल (राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जिसे वाईज़ैग स्टील भी कहा जाता है) के प्रतिनिधियों ने विधिवत हस्ताक्षर किया है। इस प्रकार के अंतिम निष्पादित समझौता ज्ञापन वित्त वर्ष 2016-17 हेतु अर्थात 31.03.2017 तक की तिथि तक मान्य था तथा वित्त वर्ष 2016-17 के लिए लागू मूल्य ₹ 5,780/- प्रति टन था।

सीआईएल (कोल इंडिया लिमिटेड)के निर्देशानुसार, सीसीएल ने सरकार की नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) द्वारा परिकल्पित आयात समानता के सिद्धांत पर विचार करते हुए वॉश्ड मीडियम कोकिंग कोल का मूल्य अधिसूचित/तय किया है। जहां वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रथम व द्वितीय तिमाही हेतु वॉश्ड मीडियम कोकिंग कोल का अधिसूचित मूल्य ₹ 9,000/- प्रति टन रहा, वहीं वित्तीय वर्ष 2017-18 की तृतीय तिमाही के लिए अधिसूचित मूल्य ₹ 8,146/- प्रति टन था तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 की चतुर्थ तिमाही एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 की प्रथम व द्वितीय तिमाही में इसका मूल्य ₹ 8,315/- प्रति टन तय किया गया। हालाँकि, सेल और आरआईएनएल दोनों ने तय किए गए मूल्य के विपरीत एकतरफा मूल्य संशोधन करने के मामले में अपनी चिंता व्यक्त की है। तदनुसार, कई बार विचार-विमर्श समेत अनेकों पत्रों का आदान-प्रदान हो चुका है, परंतु उक्त मामले में अभी तक कोई आम सहमति नहीं बन पाई है।

हालाँकि, उक्त मामले में कई दौर की चर्चा उपरांत दिनांक 28.07.2018 से ₹ 6,500/- प्रति टन की दर पर मूल्य को लागू किया गया। तत्पश्चात, एक स्वतंत्र एजेंसी की सिफारिश पर आयात समता मूल्य को लागू करने पर सहमति हुई। सीसीएल ने 01.04.2017 से 27.07.2018 की अवधि के दौरान लागू अधिसूचित मूल्य के अनुसार चालान देना जारी रखा, जबकि वित्त वर्ष 2016-17 के अंतिम सहमत मूल्य के अनुसार सेल / आरआईएनएल ने दावे के निपटान की प्रक्रिया जारी रखी।

01.04.2017 से 27.07.2018 तक अधिसूचित मूल्य तथा निर्धारित भुगतान के बीच का अंतर ₹ 324.72 करोड़ है, जिसके से ₹ 232.59 करोड़ की राशि पूर्व में ही उपलब्ध है। तदनुसार, कंपनी ने 92.13 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय किया है।

नोट 34 : बट्टे खाते में डाले गए (पूर्व प्रावधानों का निबल)

(₹ करोड़ में)

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
संदेहात्मक ऋण	191.90	—
घटावः पहले दिए गए प्रावधान	—	—
	191.90	—
संदेहात्मक अग्रिम	—	0.03
घटावः पहले दिए गए प्रावधान	—	—
	—	0.03
कुल	**191.90**	**0.03**

नोटः

सीसीएल एवं सेल/आरआईएनएल के बीच तय किए गए समझौता ज्ञापन में पारस्परिक रूप से सहमत मूल्य पर मेसर्स सेल तथा आरआईएनएल को धुला मीडियम कोकिंग कोल (डब्ल्यूएमसीसी) की आपूर्ति करता है, जिसमें सीसीएल तथा सेल (स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड)/आरआईएनएल (राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जिसे वाईज़ैग स्टील भी कहा जाता है) के प्रतिनिधियों ने विधिवत हस्ताक्षर किया है । इस प्रकार के अंतिम निष्पादित समझौता ज्ञापन वित्त वर्ष 2016-17 हेतु अर्थात 31.03.2017 तक की तिथि तक मान्य था तथा वित्त वर्ष 2016-17 के लिए लागू मूल्य ₹ 5,780/- प्रति टन था।

सीआईएल (कोल इंडिया लिमिटेड) के निर्देश के अनुसार, सीसीआई ने सरकार की नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) द्वारा परिकल्पित आयात समानता के सिद्धांत पर विचार करते हुए 14/01/2017 से डब्ल्यूएमसीसी की कीमत 11,500 रुपये प्रति टन अधिसूचित की। हालाँकि, सेल और आरआईएनएल दोनों ने एकतरफा संशोधित मूल्य मामले में अपनी चिंताओं को उठाया था क्योंकि सहमत एमओयू 31.03.2017 तक वैध था।

तदनुसार, कई बार विचार-विमर्श समेत अनेकों पत्रों का आदान-प्रदान हो चुका है, परंतु उक्त मामले में अभी तक कोई आम सहमति नहीं बन पाई है। सेल तथा सीसीएल के अधिकारियों के बीच हाल ही में हुई एक संयुक्त बैठक में, नई मूल्य निर्धारण पद्धति पर पुनः विचार करने पर सहमति हुई है, जो उक्त मामले में सीसीएल द्वारा उठाए गए एकतरफा धुला मीडियम कोकिंग कोल के दावे को वापस लेने के अधीन है। चूंकि सहमत हुए समझौता ज्ञापन के नियमों व शर्तों के अनुसार दिनांक 14.01.2017 से 31.03.2017 की अवधि तक उक्त वित्तीय परिसंपत्ति (अर्थात व्यापार प्राप्य) की वसूली की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए, एकतरफा डब्लूएमसीसी मूल्य संशोधन दावा के ₹ 191.90 करोड़ की राशि को अशोध्य ऋण के रूप में मान्यता दी गई है तथा इसे अपूरणीय के रूप में बट्टे खाते में डाल दिया गया है, जिसे पूर्व में 'परिचालन से राजस्व' के रूप में मान्यता दी गई थी।

नोट 35 : अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
यातायात व्यय	57.19	17.92
प्रशिक्षण व्यय	9.03	13.24
टेलीफोन एवं डाक	16.72	14.43
विज्ञापन एवं प्रकाशन	2.20	1.89
ढुलाई शुल्क	—	—
डेमरेज	31.85	39.29
सुरक्षा व्यय	278.48	315.98
सीआईएल का सेवा शुल्क	152.07	137.70
सीएमपीडीआइ के लिए कंसल्टेंसी चार्ज	76.45	93.59
कानूनी व्यय	2.16	1.62
परामर्श शुल्क	0.53	1.90
अंडर लोडिंग शुल्क	81.84	150.73
परिसंपत्ति की बिक्री/त्याग/सर्वे ऑफ पर हानि	0.04	—
अंकेक्षक का पारिश्रमिक एवं व्यय		
अंकेक्षण शुल्क के लिए	0.30	0.30
कर सम्बन्धी मामलों के लिए	—	—
अन्य सेवाओं के लिए	0.30	0.40
व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए	0.09	0.12
आंतरिक एवं अन्य अंकेक्षण व्यय	3.28	3.30
पुनर्वास शुल्क	44.99	43.12
पट्टा किराया और किराया शुल्क	72.08	73.06
दरें एवं कर	21.43	151.68
बीमा	0.80	0.94
विनिमय दर विचरण पर हानि	—	—
अन्य बचाव / सुरक्षा खर्च	1.14	2.10
साइडिंग रख-रखाव शुल्क	25.09	18.55
अनुसंधान एवं विकास व्यय	—	0.20
पर्यावरण एवं वृक्षारोपण व्यय	19.38	9.94
दान, पुरस्कार और अनुदान	0.07	—
शेयरों के पुनःखरीद पर व्यय	—	—
विविध व्यय	152.80	110.35
कुल	**1,050.31**	**1,202.35**

1. कोयला मंत्रालय के निर्देशानुसार ₹ 44.99 करोड़ रुपये (वि. व. 43.12 करोड़ रुपये) के पुनर्वास शुल्क को ₹ 6 प्रति टन कोयला लदान के आधार पर डेबिट किया जाता है।

2. विभिन्न सेवाओं जैसे खरीद, विपणन, कॉर्पोरेट सेवा आदि प्रदान करने के लिए उत्पादित कोयले पर सीआईएल से प्राप्त विकलन ज्ञाप के आधार पर सीआईएल, होल्डिंग कंपनी द्वारा लगाया गया ₹ 152.18 करोड़ (वि.व. 137.70 करोड़ रुपये) सेवा शुल्क @ ₹

20 प्रति टन।

नोट 36 : कर व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्तमान वर्ष	820.14	404.15
आस्थगित कर	174.52	(5.33)
पूर्व के वर्ष	—	—
कुल	**994.66**	**398.82**
कर व्यय और लेखा लाभ का भारतीय घरेलू कर दर से गुणा कर सामंजस्य		
कर से पूर्व लाभ	**3,751.74**	**2,097.76**
कंपनी की घरेलू कर दर का उपयोग कर	**944.90**	**528.21**
कर का प्रभावः		
कर छूट प्राप्त आय	—	—
कर उद्देश्यों के लिए अतिरिक्त खर्च की अनुमति		—
गैर-कटौती योग्य कर व्यय	(124.76)	(124.06)
पिछले वर्ष के लिए समायोजन	—	—
आस्थगित कर देयता आस्थगित कर	174.52	(5.33)
लाभ और हानि विवरण में रिपोर्ट किए गए आयकर व्यय	**994.66**	**398.82**
प्रभावी आयकर दर	**26.51%**	**19.01%**
आस्थगित कर परिसंपत्तियां/(देयताएं)		
आस्थगित कर देयताएं:		
संदिग्ध अग्रिमों, दावों और ऋणों के लिए प्रावधान	148.93	215.65
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	431.26	501.37
अन्य (कर योग्य हानियों सहित)	145.35	131.88
कुल आस्थगित कर संपत्ति (ए)	**725.54**	**848.90**
आस्थगित कर देयता :		
अचल संपत्तियों से संबंधित	220.59	169.43
अन्य	—	—
कुल आस्थगित कर देयता (बी)	**220.59**	**169.43**
निबल (सी = ए-बी)	**504.95**	**679.47**
परिभाषित लाभ योजना का पुनर्निर्धारण (डी)	—	—
निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां/(आस्थगित कर देयता) (सी+डी)	**504.95**	**679.47**

नोट 37 : अन्य विस्तृत आय

(₹ करोड़ में)

		31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
(ए)	**लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं होने वाले मद**		
	परिभाषित लाभ योजनाओं का पूनः मापन	237.32	(68.68)
	कुल (ए)	**237.32**	**(68.68)**
(बी)	**लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं होने वाले आयकर सम्बंधित मद**		
	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः मापन	59.73	(17.29)
	कुल (बी)	**59.73**	**(17.29)**
	कुल (सी = ए - बी)	**177.59**	**(51.39)**

परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनर्मांप पर आयकर में चालू कर में 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 59.73 करोड़ (31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ (17.29) करोड़ एवं /या आस्थगित कर 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ (शून्य) करोड़ (31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ (शून्य) करोड़, शामिल है।

नोट 38: वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त नोट
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (समेकित)

(₹ करोड़ में)

1. उचित मूल्य मापन

(क) श्रेणी अनुसार वित्तीय साधन

	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
	एफवीटीपीएल	परिशोधन लागत	एफवीटीपीएल	परिशोधन लागत
वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
निवेश* :	—	—	—	—
अधिमान शेयर				
इक्विटी अंग	—	—	—	—
– ऋण अंग	—	—	—	—
म्युचुवल फंड/आईसीडी	818.59	—	64.72	—
अन्य निवेश	—	—	—	—
ऋण	—	5.81	—	2.06
जमा एवं प्राप्य	—	1,858.63	—	1,470.76
व्यापार प्राप्य	—	3,001.17	—	2,149.65
नकद एवं नकद समतुल्य	—	980.44	—	747.32
अन्य बैंक शेष	—	2,533.87	—	1,513.04
वित्तीय देयता				
उधार	—	—	—	—
व्यापार देय	—	1,315.11	—	1,563.64
प्रतिभूति जमा एवं अग्रिम राशि	—	646.49	—	412.56
अन्य देयताएं	—	800.73	—	759.95

(ख) उचित मूल्य पदक्रम

कंपनी वित्तीय उपकरणों के उचित मूल्यों को निर्धारित करने के लिए निर्णय और अनुमानों का उपयोग करती है जिन्हें (क) उचित मूल्य पर पहचाना और मापा जाता है। (ख)परिशोधन लागत पर मापा जाता है और जिसके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्यों का खुलासा किया जाता है। उचित मूल्य निर्धारित करने में उपयोग किए गए इनपुट की विश्वसनीयता इंगित करने हेतु, कंपनी ने अपने वित्तीय उपकरणों को लेखांकन मानक के अंतर्गत निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

उचित मूल्य पर मापा वित्तीय सम्पतियाँ एवं देयतायें	31 मार्च, 2023		31 मार्च, 2022	
	लेवल 1	लेवल 3	लेवल 1	लेवल 1
एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्ती				
निवेश :				
म्यूच्यूअल फंड/आईसीडी	—	—	—	—
वित्तीय देयता				
अन्य कोइ मद	—	—	—	—

परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्ती एवं देयता जिसके लिए उचित मूल्यों को 31 मार्च, 2023 को दिखलाया गया है।	31 मार्च, 2023		31 मार्च, 2022	
	लेवल 1	लेवल 3	लेवल 1	लेवल 3
वित्तीय परिसंपत्ती				
निवेश				
अधिमान शेयर				
– इक्विटी अंग	—	—	—	—
– ऋण अंग	—	—	—	—
म्यूच्यूअल फंड/आईसीडी	818.59	—	64.72	—
अन्य निवेश	—	—	—	—
ऋण	—	5.81	—	2.06
जमा एवं प्राप्य	—	1,858.63	—	1,470.76
व्यापार प्राप्य	—	3,001.17	—	2,149.65
नकद एवं नकद समनुल्य	—	980.44	—	747.32
अन्य बैंक शेष	—	2,533.87	—	1,513.04
वित्तीय देयताएं				
उधार	—	—	—	—
व्यापार प्राप्य	—	1,315.11	—	1,563.64
प्रतिभूति जमा एवं बयाना धन	—	646.49	—	412.56
अन्य देयता	—	800.73	—	759.95

प्रत्येक स्तर का एक संक्षिप्त विवरण दिया गया है।

चरण 1 : चरण 1 अनुक्रम में उद्धत मूल्यों को उपयोग करते हुए मापी गई वित्तीय साधन शामिल हैं इसमें वैसे म्युचुवल फंड शामिल हैं जिनका मूल्यांकन अंतिम निबल परिसंपत्ती मूल्य का उपयोग करते हुए नियत तिथि पर किया गया है।

चरण 2 : वित्तीय साधनों जिनका सक्रिय बाजार में व्यापार नहीं किया गया है, के अंकित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन तकनीक द्वारा किया गया है जो देखे जाने योग्य बाजार आंकड़ों के उपयोग को बढ़ाता है तथा तत्व विशिष्ट आंकलनों पर कम निर्भर रहता है। यदि साधनों के उचित मूल्य के लिए सभी महत्वपूर्ण आंकडे देखे जाने योग्य हैं, तब साधन को लेवल 2 में शामिल किया जाता है।

चरण 3 : यदि 1 या 1 से अधिक महत्वपूर्ण आंकड़े देखे जाने योग्य बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं है तब साधन को लेवल 3 में शामिल किया जाता है। यह लेवल 3 में शामिल अक्रमित इक्विटी प्रतिभूतियां, प्राथमिक शेयर उधारी, प्रतिभूति जमा एवं अन्य शामिल देयताएं के संबंध में लागू हैं।

(ग) उचित मूल्य के निर्धारण में उपयोग किए जानेवाले मूल्यांकन तकनीक

वित्तीय साधनों के मूल्य को निर्धारण के लिए प्रयोग किए जानेवाले मूल्यांकन तकनीकों में म्युचुवल फंड साधनों के उचित बाजार मूल्यों (एनएवी) का उपयोग शामिल है।.

(घ) महत्वपूर्ण अनावश्यक निविष्टों का उपयोग कर उचित मूल्य मापन।

वर्तमान में महत्वपूर्ण अनावश्यक निविष्ट का उपयोग कर उचित मूल्य मापन नहीं है।

(ड.) अमूर्त लागत पर मापित वित्तिय संपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य

- अल्पकालिक प्रकृति के कारण व्यापार प्राप्य राशि, अल्पकालिक जमा, नकद और नकद समकक्ष, व्यापार देय राशि को उनके उचित मूल्यों के समान माना जाता है।
- समूह का मानना है कि सुरक्षा जमा में एक महत्वपूर्ण वित्तीय घटक शामिल नहीं है। सुरक्षा जमा कंपनी के प्रदर्शन के साथ मेल खाता है एवं अनुबंध के लिए वित्त के प्रावधान के अलावा अन्य कारणों से राशि को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक चरण के भुगतान के एक निर्दिष्ट प्रतिशत को रोकने का उद्देश्य, ठेकेदार द्वारा अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पर्याप्त रूप से पूरा करने में विफलता से कंपनी के हितों की रक्षा करना है। तदनुसार, सुरक्षा जमा की लेनदेन लागत को प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य के रूप में माना जाता है और बाद में परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

महत्वपूर्ण अनुमान : वित्तीय साधनों का उचित मूल्य जो एक सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया जाता है, मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। कंपनी अपने निर्णय का उपयोग एक विधि का चयन करने के लिए करती है और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उपयुक्त धारणा बनाती है।

2. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य और नीतियां

समूह की प्रमुख वित्तीय देयताएं में व्यापार और अन्य देयताएं शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य समूह के संचालन को वित्तपोषित करना एवं इसके संचालन का समर्थन करने के लिए गारंटी प्रदान करना है। समूह की प्रमुख वित्तीय संपत्तियों में ऋण, व्यापार एवं अन्य प्राप्य, और नकद और नकद समकक्ष शामिल हैं जो सीधे इसके संचालन से प्राप्त होते हैं।

समूह बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम के संपर्क में है। समूह के वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों के प्रबंधन की देखरेख करते हैं। समूह के वरिष्ठ प्रबंधन को एक जोखिम समिति द्वारा समर्थित किया जाता है जो अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी के लिए वित्तीय जोखिमों और उपयुक्त वित्तीय जोखिम प्रशासन ढांचे पर सलाह देती है। जोखिम समिति निदेशक मंडल को आश्वासन देती है कि कंपनी समूह की वित्तीय जोखिम गतिविधियां उपयुक्त नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा नियंत्रित होती हैं और वित्तीय जोखिमों की पहचान, मापन और प्रबंधन समूह की नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुसार किया जाता है। निदेशक मंडल इन जोखिमों में से प्रत्येक के प्रबंधन के लिए नीतियों की समीक्षा करता है और उनसे सहमत होता है, जिनका सारांश नीचे दिया गया है।

यह नोट जोखिम के उन स्रोतों की व्याख्या करता है जिनसे प्रतिष्ठान उजागर होता है और प्रतिष्ठान वित्तीय विवरणों में जोखिम और बचाव

लेखांकन के प्रभाव का प्रबंधन कैसे करता है।

जोखिम	अनावरण का कारण	मापन	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकद एवं नकद समतुल्य, व्यापार प्राप्य, वित्तीय परिसंपत्ति को परिशोधित लागत पर मापा जाता है	एजिंग विश्लेषण/क्रेडिट रेटिंग	सार्वजनिक उद्यमों का विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), बैंक की क्रेडिट सीमा और जमा अन्य प्रतिभूतियां का विविधीकरण
तरलता जोखिम	उधार एवं अन्य दायित्व	आवधिक नकदी प्रवाह	प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों और उधार लेने की सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम-विदेशी मुद्रा	भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन, मान्यता प्राप्त वित्तीय संपत्ति और देनदारियों को भारतीय रूपए में संप्रदाय नहीं किया गया	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित रूप से देखी और समीक्षा की जाती है।
बाजार जोखिम-ब्याज दर	नकद और नकद समकक्ष, बैंक जमा और म्युचुअल फंड	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	सार्वजनिक उद्यमों का विभाग (डीपीई दिशानिर्देश) का वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित निगरानी और समीक्षा

निदेशक मंडल द्वारा समूह की जोखिम प्रबंधन, भारत सरकार द्वारा जारी डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। बोर्ड समग्र जोखिम प्रबंधन के साथ-साथ अतिरिक्त तरलता के निवेश को कवर करने वाली नीतियों के लिए लिखित सिद्धांत प्रदान करता है।

क. ऋण जोखिम

ऋण जोखिम प्रबंध :

प्राप्तियां मुख्य रूप से कोयले की बिक्री से होती हैं। कोयला की बिक्री को मोटे तौर पर ईंधन आपूर्ति समझौतों (एफएसए) और ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

मैक्रो-आर्थिक जानकारी (जैसे नियामक परिवर्तन) को ईंधन आपूर्ति समझौतों (एफएसए) और ई-नीलामी शर्तों के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है।

ईंधन आपूर्ति समझौताएं (एफएसए)

जैसा कि विचारा गया तथा एनसीडीपी के शर्तों के अनुसार, हम अपने ग्राहकों या राज्य के द्वारा नामित एजेन्सियों के साथ कानूनी रूप से बाध्य ईंधन आपूर्ति समझौता (एफएसए) करते हैं जो कि इस फलस्वरूप ग्राहकों के साथ उपयुक्त वितरण समझौता में तब्दील होता है। हमारे एफएसए वृहत रूप से इन श्रेणियों में बाँटे जा सकते हैं:

- पावर युटिलिटी क्षेत्र में ग्राहकों के साथ एफएसए, जिसमें स्टेट पावर युटिलिटी, प्राइवेट पावर युटिलिटी (पीपीयू) तथा स्वतंत्र पावर उत्पादक (आइपीपी) शामिल हैं
- नॉन-पावर उद्योगों में ग्राहकों के साथ एफएसए (कैप्टिव पावर प्लांट सहित "सीपीपी")
- राज्य द्वारा नामित एजेन्सियों के साथ एफएसए

ई-नीलामी योजना

कोयले का ई-नीलामी योजना को वैसे ग्राहकों के लिए कोयला मुहैया कराने के लिए लाया गया है जो विभिन्न कारणों के कारण एनसीडीपी के तहत मौजूद संस्थागत तरीकों के द्वारा अपने कोयले की आवश्यकता को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं थे, उदाहरण के लिए, एनसीडीपी के तहत उनके सामान्य आवश्यकता के पूरे आवंटन के जगह कम आवंटन, उनके कोयला आवश्यकता का समयावधि तथा कोयले की सीमित आवश्यकता जिसके लिए दीर्घावधि जुड़ाव की आवश्यकता नहीं है। ई-नीलामी के तहत दी जानेवाली कोयले की मात्रा की समीक्षा समय-समय पर कोल मंत्रालय के द्वारा की जाती है।

अनुमानित क्रेडिट हानि :

समूह की आजीवन अनुमानित क्रेडिट हानियों (सरलीकृत पहुंच) के द्वारा संदेहात्मक/क्रेडिट विकृत परिसंपत्तियों के लिए अनुमानित क्रेडिट जोखिम हानि के लिए प्रावधान करती है।

सरलीकृत दृष्टिकोण के तहत व्यापार प्राप्तियों के लिए अपेक्षित ऋण हानि

31-03-2023 को

(₹ करोड़ में)

काल प्रभावन	2 महीनों से बकाया	6 महीनों से बकाया	1 साल से बकाया	2 साल से बकाया	3 साल से बकाया	3 साल से अधिक बकाया	कुल
सकल अग्रणित राशि	860.79	1,055.96	286.48	836.99	9.01	509.84	3,559.07
अनुमानित हानि दर (%)	4.14	3.43	17.40	0.48	63.82	100.00*	15.68
अनुमानित ऋण हानि प्रावधान-संदेहात्मक ऋण	—	—	—	—	—	380.39	380.39
- ग्रेड विचरण	35.65	36.26	49.84	4.04	5.75	45.98	177.52

31-03-2022 को

(₹ करोड़ में)

काल प्रभावन	2 महीनों से बकाया	6 महीनों से बकाया	1 साल से बकाया	2 साल से बकाया	3 साल से बकाया	3 साल से अधिक बकाया	कुल
सकल अग्रणित राशि	474.62	416.39	352.96	963.37	274.31	515.23	2,996.88
अनुमानित हानि दर (%)	(0.14)	(0.11)	0.51	15.25	21.70	100.00*	27.62
अनुमानित ऋण हानि प्रावधान - संदे-हात्मक ऋण	—	—	—	—	—	288.26	288.26
- ग्रेड विचरण	(0.68)	(0.46)	1.80	142.80	59.53	329.00	531.99

* अग्रिम के साथ ग्राहकों के खिलाफ प्रावधान शामिल है

हानि भत्ता प्रावधान का पुनः मिलान - व्यापर प्राप्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	खराब एवं संदेहात्मक ऋण	गुणवत्ता विचरण
01.04.2022 को हानि के लिए प्रावधान	288.26	531.99
हानि के लिए प्रावधान में बदलाव	92.13	(354.47)
31.03.2023 में हानि के लिए प्रावधान	380.39	177.52

वित्तीय परिसंपत्तियाँ के महत्वपूर्ण आंकलन एवं निर्णय दुर्बलता

ऊपर दर्शाई गई वित्तीय संपत्तियों के लिए हानि प्रावधान को अपेक्षित हानि दरों एवं डिफॉल्ट के जोखिम के बारे में मान्यताओं पर आधारित किया गया है। समूह के इतिहास के आधार पर, मौजूदा बाजार की स्थितियों के साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में दूरदर्शी अनुमानों के अनुसार समूह की हानि की गणना के लिए, इन मान्यताओं के मद्देनजर एवं इनपुट का चयन करने का निर्णय करती है।

ख. तरलता जोखिम

विवेकपूर्ण तरलता जोखिम प्रबंधन से तात्पर्य है कि देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त ऋण और पर्याप्त ऋण सुविधाओं के माध्यम से पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना। अंतर्निहित व्यवसायों की गतिशील प्रकृति के कारण, कंपनी कोष प्रतिबद्ध ऋण के उपलब्धता को बनाए रखने के द्वारा वित्त पोषण में नम्यता बनाए रखती है

प्रबंधन कंपनी की तरलता स्थिति (पूर्व उधार लेने की सुविधाओं सहित) और अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर नकदी और नकद समकक्षों के पूर्वानुमान की निगरानी करता है। यह आमतौर पर समूह द्वारा निर्धारित अभ्यास और सीमाओं के अनुसार स्थानीय स्तर पर किया जाता है। कोयला, स्टोर और स्पेयर पार्ट्स के स्टॉक के विरुद्ध प्रभार लगाकर बैंक ऋण को सुरक्षित किया गया है और बैंकों के कंसोर्टियम के भीतर सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा ऋण बुक किए गए हैं। सीआईएल हेतु उपलब्ध कुल कार्यशील पूंजी ऋण की सीमा रु. 430.00 करोड़ है, जिसमें से भुगतान हेतु राशि की सीमा रु. 140.00 करोड़ तथा गैर-भुगतान हेतु राशि की सीमा रु. 290.00 करोड़ है । इसके अलावा, ₹ 5000.00 करोड़ की कंसोर्टियम के बाहर गैर-निधि आधारित सीमा एचईएमएम का आयात सुविधा के लिए स्थापित किया गया था। कोल इंडिया लिमिटेड आकस्मिक रूप से सहायक कंपनियों द्वारा उपयोग की जाती इस तरह की सुविधा तक उत्तरदायी है|

ग. बाजार जोखिम

(क) विदेशी मुद्रा जाखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम भविष्य के वाणिज्यिक लेन-देन और मान्यता प्राप्त संपत्तियों या देनदारियों से उत्पन्न होता है जो एक मुद्रा में संप्रदाय होते हैं, यह समूह की कार्यात्मक मुद्रा (₹) नहीं है। समूह विदेशी मुद्रा लेन-देन से उत्पन्न विदेशी मुद्रा जोखिम के संपर्क में है। विदेशी संचालन के संबंध में विदेशी मुद्रा जोखिम को महत्वहीन माना जाता है। समूह आयात भी करती है एवं जोखिम का नियमित अनुवर्ती द्वारा प्रबंधित किया जाता है। समूह की एक नीति है जिसे विदेशी मुद्रा जोखिम के महत्वपूर्ण होने पर लागू किया जाता है।

(ख) कैश फ्लो एवं उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम

समूह का मुख्य ब्याज दर जोखिम बैंक जमा के ब्याज दर परिवर्तन के फलस्वरूप आता है, जो कि समूह को कैश फ्लो ब्याज दर जोखिम की ओर ले जाता है। जमा राशियों को स्थाई दर के आधार पर रख-रखाव करना, समूह की नीति है।.

समूह, जोखिम का प्रबंधन, डिपार्टमेन्ट ऑफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज (डीपीई) के दिशानिर्देशों, बैंक जमा क्रेडिट लिमिट तथा अन्य प्रतिभूतियों के विविधताकरण के अनुसार करता है।

पूंजी प्रबंधन

सरकारी स्वामीत्व होने के कारण कम्पनी अपने पूंजी का प्रबंधन, वित्त मंत्रालय के अधीन निवेश एवं लोक परिसंपत्तियां प्रबंधन विभाग की दिशानिर्देश के अनुसार करता है|

कम्पनी का पूंजीगत ढांचा इस प्रकार है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023	31.03.2022
इक्विटी शेयर कैपिटल	940.00	940.00
लंबी अवधि ऋण	—	—

3. कर्मचारी लाभ: मान्यता और मापन (भारतीय लेखा मानक - 19)

3.1 परिभाषित लाभ योजनाए:

(क) ग्रेच्युटी

समूह में पात्र कार्मिकों के लिए नियोजन उपरांत परिभाषित लाभ योजना ("प्रतिभूति योजना") का लाभ प्रदान करती है। प्रतिभूति योजना पूरी तरह से भारतीय जीवन बीमा निगम के ट्रस्ट के माध्यम से वित्त पोषित है, जिसमें नियोक्ता का योगदान मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते का 2.01% है। उपदान संदाय अधिनियम, 1972 एवं यथा संशोधित प्रावधानों पर विचार करते हुए कंपनी से अलग होने के समय प्रत्येक कर्मचारी जिसने 5 वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा की है, सेवा के प्रत्येक सम्पूरित वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन के बराबर की प्रतिभूति राशि प्राप्त करने का हकदार है (एक महीने में 15 दिन/26 दिन ' अंतिम आहरित वेतन और महंगाई भत्ता' सेवा के पूर्ण वर्ष) जिसकी सीमा अधिकतम ₹ 0.20 करोड़ रुपये होगी। ग्रेच्युटी योजना के संबंध में बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है, जिसमें से योजना संपत्ति का उचित मूल्य कम है। परिभाषित लाभ दायित्व की गणना प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक द्वारा की जाती है। अनुभव समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले पुनः माप लाभ और हानियों को उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिसमें वे सीधे अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में होते हैं।

(ख) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ - कार्यकारी (सीपीआरएमएसई)

समूह में सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना लागू है जिसे सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों (सीपीआरएमएसई) के अधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति उपरांत अंशदायी चिकित्सा योजना के रूप में जाना जाता है, जिसे के समूह अस्पताल/पैनल में सम्मिलित अस्पतालों या आउट पेशेंट/डोर्मेट्री में अधिकारियों व उनके पति या पत्नी को कॉमन कोल कैडर योजना अंतर्गत सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति उपरांत या चिकित्सीय आधार पर सेवानिवृत्ति या समय-समय पर निर्मित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के उपरांत चिकित्सीय सेवाएँ प्रदान की जातीं है। सीआईएल और उसकी सहायक समूह की सेवाओं से इस्तीफा देने वाले अधिकारियों को सदस्यता नहीं दी जाती है। निर्दिष्ट बीमारियों के मामले में बिना किसी ऊपरी सीमा के, संयुक्त रूप से या अलग-अलग साथ में लिए गए सेवानिवृत्त अधिकारियों और पति या पत्नी के लिए पूरे जीवन के दौरान प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि 25 लाख रुपये है। इस योजना को केवल इस उद्देश्य के लिए समूह स्तर पर सीआईएल द्वारा बनाए गए ट्रस्ट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है, जिसमें नियोक्ता का योगदान प्रति माह मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 2% है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर योजना के लिए देयता की पहचान की जाती है|

3.2 परिभाषित अंशदान योजनाएं

क) भविष्य निधि और पेंशन

समूह पात्र कर्मचारी के वेतन का एक निश्चित प्रतिशत पूर्व निर्धारित दर पर भविष्य निधि एवं पेंशन कोष में भुगतान करती है अर्थात भविष्य निधि एवं पेंशन कोष के लिए मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता का क्रमशः 12% और 7% कोयला खान भविष्य निधि (सीएमपीएफ) नामक एक अलग ट्रस्ट को भुगतान करती है। 31.03.2023 को समाप्त अवधि के दौरान फंड के लिए योगदान 686.31 करोड़ रुपये (622.98 करोड़ रुपये) लाभ और हानि के विवरण (नोट 28) में दिया गया है|

ख) सेवानिवृत्ति उपरांत अंशदायी चिकित्सा योजना(सीपीआरएमएसई-एनई)

वेतन समझौते के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के एक अंश के रूप में, कंपनी गैर-अधिकारियों (सीपीआरएमएसई-एनई) के लिए सेवानिवृत्ति उपरांत अंशदायी चिकित्सा योजना प्रदान कर रही है, जिसमें समूह द्वारा निश्चित राशि का योगदान किया जा रहा है तथा इसे प्रभारित व्यय के रूप में लाभ और हानि विवरण सूचित किया गया है|

ग) सीआईएल कार्यकारी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (एनपीएस)

कंपनी अपने अधिकारियों को सेवानिवृत्ति उपरांत अंशदायी पेंशन योजना प्रदान करती है जिसे "सीआईएल अधिकारी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना-2007" (एनपीएस) के रूप में जाना जाता है। एनपीएस को एकमात्र उक्त उद्देश्य से गठित समूह स्तर पर अलग ट्रस्ट के माध्यम से प्रशासित किया जा रहा है। समूह का बाध्यता है कि अधिकारी के भविष्य निधि, प्रतिभूति, सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ-अधिकारी यानी सीपीआरएमएसई या किसी अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के लिए नियोक्ता के योगदान को घटाकर कंपनी का अंशदान अधिकारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 30% से अधिक न हो। मूल और महंगाई भत्ते के 6.99% के वर्तमान नियोक्ता योगदान को लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित किया जा रहा है।

3.3 अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

क) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

समूह के कर्मचारियों को 30 दिनों की कुल अर्जित छुट्टी (ईएल) और 20 दिनों के आधे भुगतान की छुट्टी (एचपीएल) का लाभ प्रदान करती है, जो हर साल जनवरी और जुलाई के पहले दिन अर्ध-वार्षिक आधार पर अर्जित और जमा किया जाता है। सेवा के दौरान, 75%ईएल जमा शेष राशि प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार भुनाई जा सकती है, जो अधिकतम 60 दिनों के ईएल नकदीकरण की सीमा के अधीन है। संचित एचपीएल को सेवा की अवधि के दौरान नकदीकरण की अनुमति नहीं है। सेवानिवृत्ति पर, ईएल और एचपीएल को एक साथ नकदीकरण के लिए माना जाता है, जो एचपीएल के कम्यूटेशन के बिना 300 दिनों की समग्र सीमा के अधीन है। इसलिए, अर्जित छुट्टी के लिए देनदारियों को सेवा के दौरान और साथ ही कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद निपटाने की उम्मीद है। इसलिए उन्हें अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में किए जाने वाले अपेक्षित भविष्य के भुगतान के वर्तमान मूल्य के रूप में मापा जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार प्रतिफल का उपयोग करके लाभों को छूट दी जाती है, जिसमें संबंधित दायित्व की शर्तों के अनुसार शर्तें होती हैं। यह योजना पूरी तरह से भारतीय जीवन बीमा निगम के ट्रस्ट के माध्यम से वित्त पोषित है।

ख) जीवन सुरक्षा योजना (एलसीएस)

वेतन समझौते के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के एक हिस्से के रूप में, समूह के पास जमा लिंक बीमा योजना, 1976 के तहत जीवन बीमा योजना है, जिसे श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है, जिसे "कोल इंडिया लिमिटेड की लाइफ कवर योजना" (एलसीएस) के रूप में जाना जाता है। योजना के तहत 01.10.2017 से 1,25,000 रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है। योजना के तहत देयता प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कंपनी द्वारा वहन की जाती है।

ग) सेटलमेंट भत्ता

वेतन समझौते के हिस्से के रूप में, एनसीडब्ल्यूए के तहत शासित सभी गैर-कार्यकारी कैडर कर्मचारियों को 31.10.2010 को या उसके बाद सेवानिवृत्ति भत्ते के रूप में 12000/- रुपये की एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है। योजना के लिए देयता को प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है।

घ) ग्रुप व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (जीपीएआईएस)

समूह ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से अधिकारियों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना "कोल इंडिया एक्जीक्यूटिव्स ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम" (जीपीएआईएस) बीमा लिया है। जीपीएआईएस दुनिया भर में 24 घंटे के आधार पर सभी प्रकार की दुर्घटनाओं को कवर करता है। योजना का प्रीमियम कंपनी द्वारा वहन किया जाता है।

ड.) ग्रुप व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (जीपीएआईएस)

वेतन समझौते के एक हिस्से के रूप में, गैर-अधिकारी कर्मचारी 4 साल के ब्लॉक में एक बार अपने गृह नगर और "भारत भ्रमण" के लिए यात्रा सहायता के हकदार हैं। गृहनगर और "भारत भ्रमण" का दौरा करने के लिए क्रमशः 8000/- और 12000/- रुपये की एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है। योजना के लिए देयता को प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है।

च) खान दुर्घटना लाभ पर आश्रितों को मुआवजा

वेतन समझौते के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के एक भाग के रूप में, कंपनी, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 के तहत संदत्त लाभ प्रदान करती है। एक घातक खदान दुर्घटना के मामले में कर्मचारी के परिजनों को 15 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है जो 7.11.2019 से प्रभावी है। लाभ की अपेक्षित लागत को तब पहचाना जाता है जब एक घटना होता है जो योजना के तहत देय लाभ का कारण बनता है।

छ) परिभाषित लाभ योजनाओं, परिभाषित योगदान योजनाओं और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाओं की वित्तीय स्थिति, जिनका मूल्यांकन बीमांकिक आधार पर किया जाता है, निम्नानुसार हैं:

निधिक	अनिधिक
o ग्रेच्युटी	o लाइफ कवर स्कीम
o अवकाश नकदीकरण	o सेटलमेंट भत्ता
o चिकित्सा लाभ	o सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा
o भविष्य निधि	o छुट्टी यात्रा रियायत
o पेंशन योजनायें	o आश्रित को खान दुर्घटना लाभ का क्षतिपूति

ज) दिनांक 31.03.2023 को बीमांकिक के द्वारा मूल्यांकन के आधार पर कुल देयता की राशि ₹4,156.18 करोड़ हैं जिसका विवरण नीचे वर्णित है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	01.04.2022 को प्रारं-भिक वास्तविक देयता	वर्ष के दौरान वृद्धि विधिगत देयता/समायोजन	31.03.2023 को अंतिम वास्तविक देयता
ग्रेच्युटी	2,796.73	(81.48)	2,715.25
अवकाश	527.83	257.69	785.52
अधिकारियों का सेटलमेंट भत्ता	11.84	(1.28)	10.56
कर्मचारियों का सेटलमेंट भत्ता	12.22	(0.42)	11.80
एलटीसी	34.42	1.22	35.64
अधिकारियों का चिकित्सा लाभ	225.94	9.92	235.86
कर्मचारियों का चिकित्सा लाभ	371.63	(10.08)	361.55
कुल	**3,980.61**	**175.57**	**4,156.18**

3.4 बीमांकिक प्रमाण पत्र के अनुसार प्रकटीकरण

ग्रेच्युटी (निधिक) के लिए कर्मचारी लाभ तथा अवकाश नकदीकरण (निधिक) एवं पीआरएमबी (निधिक) के वास्तविक प्रमाण पत्र के अनुसार प्रकटीकरण निम्नलिखित है :

3.4.1 31.03.2023 को ग्रेच्युटी देयता का बीमांकिक मूल्यांकन भारतीय लेखा मानक 19 (2015) के अनुसार प्रमाण पत्र

तालिका 1

31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निर्धारित लाभ लागत का प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

क	लाभ और हानि	31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि	31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि
1	वर्तमान सेवा लागत	135.70	64.03
2	विगत सेवा लागत-योजना संशोधन	—	—
3	कटौती लागत/(ऋण)	—	—
4	निपटान लागत/(ऋण)	—	—
5	सेवा लागत	135.70	64.03
6	निबल परिभाषित लाभ देयता/(संपत्ति) पर निबल ब्याज	57.61	39.97
7	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान-अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	—	—
8	**लाभ एवं हानि में मान्यता प्राप्त लागत**	193.31	103.99
ख	**अन्य विस्तृत आय (ओसीआई)**		
1	डीबीओ अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ) / हानि	99.67	(75.04)
2	डीबीओ धारणा परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ) / हानि	10.51	(99.82)
3	अवधि के दौरान होने वाली बीमांकिक (लाभ)/ हानि	110.18	(174.86)
4	योजना संपत्ति पर वापसी (अधिक)/छूट दर से कम	(6.39)	(23.85)
5	ओसीआई में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	103.79	(198.71)
ग	**परिभाषित लाभ लागत**		
1	सेवा लागत	135.70	64.03
2	निबल परिभाषित लाभ देयता पर निबल ब्याज /(परिसंपत्ति)	57.61	39.97
3	ओसीआई में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	103.79	(198.71)
4	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान-अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	—	—
5	**परिभाषित लाभ लागत**	297.10	(94.71)
घ	**अनुमान के रूप में**	**31 मार्च 2022**	**31 मार्च 2023**
1	छूट की दर	6.85%	6.80%
2	वेतन वृद्धि की दर	कार्यकारी 9% गैर-कार्यकारी 6.25%	कार्यकारी 9% गैर-कार्यकारी 6.25%

तालिका 2
31 मार्च 2023 को निबल तुलन पत्र की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क	निबल तुलन पत्र स्थिति का विकास	31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि	31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि
1	परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ)	(2,796.73)	(2,715.25)
2	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (ऍफ़विए)	1,988.60	2,442.63
3	वित्त पोषित स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]	(808.12)	(272.62)
4	परिसम्पति अंतश्छद का प्रभाव	—	—
5	निबल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	(808.12)	(272.62)
ख	**निबल तुलन पत्र स्थिति का मिलान**		
1	आपकी पूर्व अवधि के अंत में निबल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	(1,171.11)	(808.12)
2	सेवा लागत	(135.70)	(64.03)
3	निबल परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) पर निबल ब्याज	(57.61)	(39.97)
4	ओसीआई में मान्यता प्राप्त राशि	(103.79)	198.71
5	नियोक्ता योगदान	471.07	440.79
6	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	189.01	—
7	अधिग्रहण ऋण/(लागत)	—	—
8	विनिवेश	—	—
9	समाप्ति लाभ की लागत	—	—
10	वर्तमान अवधि के अंत में निबल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	(808.12)	(272.62)
ग	**अनुमान के रूप में**	**31 मार्च 2022**	31 **मार्च** 2023
1	छूट दर	6.80%	7.30%
2	वेतन वृद्धि की दर कार्यकारी अधिकारी	कार्यकारी 9% गैर कार्यकारी 6.25%	कार्यकारी 9% गैर कार्यकारी 6.25%

तालिका 3
31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में लाभ दायित्वों और संपत्तियों में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

क	परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन (डीबीओ)	31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि	31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि
1	पूर्व अवधि के अंत में डीबीओ	2,757.22	2,796.73
2	वर्तमान सेवा लागत	135.70	64.03
3	डीबीओ पर ब्याज लागत	175.78	184.89
4	कटौती (ऋण)/लागत	—	—
5	निपटान (ऋण)/लागत	—	—
6	पिछली सेवा कास्ट-योजना संशोधन	—	—
7	अधिग्रहण (ऋण)/लागत	—	—
8	बीमांकिक (लाभ)/हानि- अनुभव	99.67	(75.04)
9	बीमांकिक (लाभ)/हानि-जनसांख्यिकीय अनुमान	—	—
10	बीमांकिक (लाभ)/हानि- वित्तीय अनुमान	10.50	(99.82)
11	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किए गए लाभ	(189.01)	—
12	योजना संपत्तियों से भुगतान किए गए लाभ	(193.14)	(155.54)

13	**वर्तमान अवधि के अंत में डीबीओ**	2,796.73	2,715.25
ख	**परिसम्पतियों के उचित मूल्य में परिवर्तन**		
1	पूर्व अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य	1,586.11	1,988.60
2	अधिग्रहण समायोजन	—	—
3	योजना संपत्ति पर ब्याज आय	118.17	144.92
4	नियोक्ता योगदान	471.07	440.80
5	छूट दर से अधिक/(कम) योजना संपत्ति पर वापसी	6.39	23.85
6	भुगतान किया गया लाभ	(193.14)	(155.54)
7	**वर्तमान अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य**	1,988.60	2,442.63

तालिका 4

अतिरिक्त प्रकटीकरण सूचना

क	**समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपेक्षित लाभ भुगतान**	
1	मार्च 31, 2024	215.27
2	मार्च 31, 2025	222.08
3	मार्च 31, 2026	255.51
4	मार्च 31, 2027	304.84
5	मार्च 31, 2028	297.00
6	मार्च 31, 2029 से मार्च 31, 2033	1,502.44
7	10 साल से परे	2,572.74
ख	**31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अपेक्षित नियोक्ता योगदान**	54.73
ग	**परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि**	8 years
घ	**31 मार्च 2023 को उपार्जित लाभ दायित्व**	2,116.55
ड.	**31 मार्च 2023 तक योजना की संपत्ति की जानकारी**	प्रतिशतता
1	भारत सरकार की प्रतिभूतियां (केंद्रीय एवं राज्य)	0.00%
2	उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड (पब्लिक सेक्टर के बॉन्ड सहित)	0.00%
3	सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	0.00%
4	संपत्ति	0.00%
5	नकद (विशेष जमा सहित)	0.00%
6	बीमा की योजनाएं- पारंपरिक उत्पाद	100.00%
7	बीमा की योजनाएं-यूलिप उत्पाद	0.00%
8	अन्य	0.00%
	कुल	**100.00%**
च	**31 मार्च 2023 तक वर्तमान एवं गैर-वर्तमान देयता ब्रेकअप**	
		कुल
1	चालू देयताएं	207.82
2	गैर-चालू संपत्ति/(देयता)	2,507.43
3	**31 मार्च 2023 तक देयताएं**	2,715.25

नोट : यह रिपोर्ट योजना संपत्तियों के संबंध में बुनियादी जानकारी प्रदान करती है। भारतीय लेखा मानक19 के अनुछेद 142, 143 में निर्दिष्ट योजना परिसंपत्ति प्रकटीकरण के संबंध में कंपनी द्वारा अतिरिक्त आदान की आवश्यकता हो सकती है।

तालिका 5
संवेदनशीलता विश्लेषण

	31 मार्च 2023 तक आधार अनुमानों पर डीबीओ	**2,715.25**
	इन मान्यताओं को रिपोर्ट के परिशिष्ट सी में संक्षेपित किया गया है	
क	**31 मार्च 2023 तक छूट दर**	**7.30%**
1	छूट दर में 0.5% बढ़ोतरी से डीबीओ पर असर	(93.42)
	प्रतिशत प्रभाव	-3%
2	छूट दर में 0.5% की कमी से डीबीओ पर असर	99.82
	प्रतिशत प्रभाव	4%
ख	**31 मार्च 2023 तक वेतन वृद्धि दर**	कार्यकारी 9% गैर-कार्यकारी 6.25%
1	छूट दर में 0.5% की बढ़ोतरी से डीबीओ पर असर	34.74
	प्रतिशत प्रभाव	1%
2	छूट दर में 0.5% की कमी से डीबीओ पर असर	(36.46)
	प्रतिशत प्रभाव	-1%

सदस्यता जानकारी का सारांश

नीचे योजना के सक्रिय सदस्यों का सारांश दिया गया है:

	कार्यकारीगण	**31 मार्च 2022**	**31 मार्च 2023**
1	कर्मचारियों की संख्या	2,257	2,244
2	कुल मासिक वेतन (रु)	30.08	31.19
3	कुल वार्षिक वेतन (रु)	360.92	374.32
4	औसत वार्षिक वेतन (रु)	0.16	0.17
5	औसत प्राप्त आयु (वर्ष)	42.39	41.85
6	औसत पिछली सेवा (वर्ष)	15.57	14.62
	गैर कार्यकारीगण		
1	कर्मचारियों की संख्या	33,403	32,482
2	कुल मासिक वेतन (रु)	222.38	230.56
3	कुल वार्षिक वेतन (रु)	2,668.57	2,766.75
4	औसत वार्षिक वेतन (रु)	0.08	0.09
5	औसत प्राप्त आयु (वर्ष)	45.34	45.52
6	औसत पिछली सेवा (वर्ष)	20.74	20.85

नोट: कार्यकारी अधिकारियों में केएमपी अधिकारी शामिल हैं

धारणा

31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2023 की गणना के लिए नियोजित बीमांकिक अनुमान (भौगोलिक और वित्तीय) इस प्रकार हैं:

	मान्यताओं	**31 मार्च 2022**	**31 मार्च 2023**
	छूट दर	6.80%	7.30%
	वेतन वृद्धि दर	कार्यकारी 9% गैर कार्यकारी 6.25%	कार्यकारी 9% गैर कार्यकारी 6.25%
	निकासी दर	0.30%	0.30%
	मृत्यु दर	भारतीय आश्वषित लाइव्स मृत्यु दर (2006-08) अंतिम	भारतीय आश्वषित लाइव्स मृत्यु दर (2006-08) अंतिम

नमूना मृत्यु दर

आयु	दर	आयु	दर
20	0.000888	45	0.002874
25	0.000984	50	0.004946
30	0.001056	55	0.007888
35	0.001282	60	0.011534
40	0.001803	65	0.017009

3.4.2 31.03.2023 को अवकाश नकदीकरण लाभ (ईएल/एचपीएल) का बीमांकिक मूल्यांकन भारतीय लेखा मानक 19 (2015) के अनुसार प्रमाण पत्र

तालिका 1

31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित लाभ लागत का प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

क	लाभ और हानि	31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि	31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि
1	वर्तमान सेवा लागत	88.13	139.19
2	पिछली सेवा लागत-योजना संशोधन	—	—
3	कटौती लागत/(ऋण)	—	—
4	निपटान लागत/(ऋण)	—	—
5	सेवा लागत	88.13	139.19
6	निबल परिभाषित लाभ देयता/(संपत्ति) पर निबल ब्याज	21.90	17.18
7	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान-अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	21.89	16.87
8	**लाभ एवं हानि में मान्यता प्राप्त लागत**	131.91	325.06
ख	**अन्य विस्तृत आय (ओसीआई)**		
1	डीबीओ अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ) / हानि	17.32	211.74
2	डीबीओ धारणा परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ) / हानि	2.56	(39.26)
3	अवधि के दौरान होने वाली बीमांकिक (लाभ)/ हानि	19.88	172.48
4	छूट दर से (अधिक)/कम योजना संपत्ति पर वापसी	2.00	(3.79)
5	ओसीआई में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	—	—
ग	**परिभाषित लाभ लागत**		
1	सेवा लागत	88.13	139.19
2	निबल परिभाषित लाभ देयता पर निबल ब्याज /(परिसंपत्ति)	21.90	17.18
3	ओसीआई में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	—	—
4	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान-अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	21.89	168.70
5	**परिभाषित लाभ लागत**	**131.91**	**325.06**
घ	**अनुमान के रूप में**	**31 मार्च 2022**	**31 मार्च 2023**
1	छूट की दर	6.80%	6.80%
2	वेतन वृद्धि की दर	कार्यकारी 9% गैर-कार्यकारी 6.25%	कार्यकारी 9% गैर-कार्यकारी 6.25%

तालिका 2

31 मार्च 2023 तक निबल तुलन पत्र की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क	निबल तुलन पत्र स्थिति का विकास	31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि	31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि
1	परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ)	(527.83)	(785.52)
2	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (ऍफ़विए)	215.25	267.88
3	वित्त पोषित स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]	(312.58)	(517.64)
4	परिसम्पति अंतश्छद का प्रभाव	—	—
5	निबल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	(312.58)	(517.64)
ख	**निबल तुलन पत्र स्थिति का मिलान**		
1	आपकी पूर्व अवधि के अंत में निबल परिभाषित लाभ परिसं-पत्ति/(देयता)	(458.65)	(312.58)
2	सेवा लागत	(88.13)	(139.19)
3	निबल परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) पर निबल ब्याज	(21.90)	(17.18)
4	ओसीआई में मान्यता प्राप्त राशि	(21.89)	(168.70)
5	नियोक्ता योगदान	140.00	120.00
6	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	137.97	—
7	अधिग्रहण ऋण/(लागत)	—	—
8	विनिवेश	—	—
9	समाप्ति लाभ की लागत	—	—
10	वर्तमान अवधि के अंत में निबल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	(312.58)	(517.64)
ग	**अनुमान के रूप में**	**31 मार्च 2022**	**31 मार्च 2023**
1	छूट दर	6.80%	7.30%
2	वेतन वृद्धि की दर	कार्यकारी 9% गैर-कार्यकारी 6.25%	कार्यकारी 9% गैर-कार्यकारी 6.25%

तालिका 3

31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में लाभ दायित्वों एवं परिसंपत्तियों में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

क	परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन (डीबीओ)	31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि	31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि
1	पूर्व अवधि के अंत में डीबीओ	586.71	527.83
2	वर्तमान सेवा लागत	88.13	139.19
3	डीबीओ पर ब्याज लागत	33.33	32.94
4	कटौती लागत/(ऋण)	—	—
5	निपटान लागत/(ऋण)	—	—
6	पिछली सेवा लागत-योजना संशोधन	—	—
7	अधिग्रहण (ऋण)/लागत	—	—
8	बीमांकिक (लाभ)/हानि- अनुभव	17.32	211.74
9	बीमांकिक (लाभ)/हानि-जनसांख्यिकीय अनुमान	—	—
10	बीमांकिक (लाभ)/हानि- वित्तीय अनुमान	2.56	(39.26)
11	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किए गए लाभ	(137.97)	—

12	योजना संपत्तियों से भुगतान किए गए लाभ	(62.24)	(86.92)
13	**वर्तमान अवधि के अंत में डीबीओ**	**527.83**	**785.52**
ख	**परिसम्पतियों के उचित मूल्य में परिवर्तन**		
1	पूर्व अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य	128.06	215.25
2	अधिग्रहण समायोजन	—	—
3	योजना संपत्ति पर ब्याज आय	11.44	15.76
4	नियोक्ता योगदान	140.00	120.00
5	छूट दर से अधिक/(कम) योजना संपत्ति पर वापसी	(2.00)	3.79
6	भुगतान किया गया लाभ	(62.24)	(86.92)
7	**वर्तमान अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य**	**215.25**	**267.88**

तालिका 4

अतिरिक्त प्रकटीकरण सूचना

(₹ करोड़ में)

क	**समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपेक्षित लाभ भुगतान**	
1	मार्च 31, 2024	51.56
2	मार्च 31, 2025	59.57
3	मार्च 31, 2026	64.53
4	मार्च 31, 2027	74.02
5	मार्च 31, 2028	69.57
6	मार्च 31, 2029 से मार्च 31, 2033	361.05
7	10 साल से परे	1,356.88
ख	**31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अपेक्षित नियोक्ता योगदान**	141.13
ग	**परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि**	10 years
घ	**31 मार्च 2023 को उपार्जित लाभ दायित्व**	453.12
ङ	**31 मार्च 2023 तक योजना संपत्ति की जानकारी**	Percentage
1	भारत सरकार की प्रतिभूतियां (केंद्रीय और राज्य)	0.00%
2	उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड (पब्लिक सेक्टर बॉन्ड सहित)	0.00%
3	सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	0.00%
4	संपत्ति	0.00%
5	नकद (विशेष जमा सहित)	0.00%
6	बीमा की योजनाएं- पारंपरिक उत्पाद	100.00%
7	बीमा की योजनाएं-यूलिप उत्पाद	0.00%
8	अन्य	0.00%
	कुल	**100.00%**
च	**31 मार्च 2023 तक वर्तमान और गैर-वर्तमान देयता की ब्रेकअप**	
		कुल
1	वर्तमान देयता	49.77
2	गैर-वर्तमान संपत्ति/(देयता)	735.75
3	**31 मार्च 2023 को देयता**	785.52

नोट: यह रिपोर्ट योजना संपत्तियों के संबंध में बुनियादी जानकारी प्रदान करती है। भारतीय लेखा मानक 19 के अनुच्छेद 142, 143 में निर्दिष्ट योजना परिसंपत्ति प्रकटीकरण के संबंध में कंपनी द्वारा अतिरिक्त आदान की आवश्यकता हो सकती है।

तालिका 5
संवेदनशीलता विश्लेषण

	31 मार्च 2023 तक आधार अनुमानों पर डीबीओ	**785.52**
	इन मान्यताओं को रिपोर्ट के परिशिष्ट सी में संक्षेपित किया गया है	
क	**31 मार्च 2023 तक छूट दर**	**7.30**
1	छूट दर में 0.5% बढ़ोतरी से डीबीओ पर असर	(35.99)
	प्रतिशत प्रभाव	-5%
2	छूट दर में 0.5% की कमी से डीबीओ पर असर	39.26
	प्रतिशत प्रभाव	5%
ख	**31 मार्च 2023 तक वेतन वृद्धि दर**	कार्यकारी 9% गैर-कार्यकारी 6.25%
1	छूट दर में 0.5% की बढ़ोतरी से डीबीओ पर असर	39.11
	प्रतिशत प्रभाव	5%
2	छूट दर में 0.5% की कमी से डीबीओ पर असर	(36.20)
	प्रतिशत प्रभाव	-5%

सदस्यता जानकारी का सारांश

नीचे योजना के सक्रिय सदस्यों का सारांश दिया गया है:

	कार्यकारीगण	**31 मार्च 2022**	**31 मार्च 2023**
1	कर्मचारियों की संख्या	2,257	2,244
2	कुल मासिक वेतन (रु)	30.08	31.19
3	कुल वार्षिक वेतन (रु)	360.92	374.32
4	औसत वार्षिक वेतन (रु)	0.16	0.17
5	औसत प्राप्त आयु (वर्ष)	42.39	41.85
6	कुल सीमित अवकाश शेष (दिन)	1,82,986	2,59,485
7	कुल सीमित अर्ध वेतन अवकाश शेष (दिन)	60,513.50	1,31,018
	गैर कार्यकारीगण		
1	कर्मचारियों की संख्या	33,403	32,482
2	कुल मासिक वेतन (रु)	222.38	230.56
3	कुल वार्षिक वेतन (रु)	2,668.57	2,766.75
4	औसत वार्षिक वेतन (रु)	0.08	0.09
5	औसत प्राप्त आयु (वर्ष)	45.34	45.52
6	कुल सीमित अवकाश शेष (दिन)	16,64,156	20,73,342
7	कुल सीमित अर्ध वेतन अवकाश शेष (दिन)	—	—

नोट: कार्यकारी अधिकारियों में केएमपी अधिकारी शामिल हैं

धारणाएँ

31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2023 की गणना के लिए नियोजित बीमांकिक अनुमान (भौगोलिक और वित्तीय) इस प्रकार हैं:

	मान्यताओं	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023
	छूट दर	6.80%	7.30%
	वेतन वृद्धि दर	कार्यकारी 9% गैर कार्यकारी 6.25%	कार्यकारी 9% गैर कार्यकारी 6.25%
	निकासी दर	0.30%	0.30%
	मृत्यु दर	भारतीय आश्वषित लाइव्स मृत्यु दर (2006-08) अंतिम	भारतीय आश्वषित लाइव्स मृत्यु दर (2006-08) अंतिम

प्रतिरूप मृत्यु दर

आयु	दर	आयु	दर
20	0.000888	45	0.002874
25	0.000984	50	0.004946
30	0.001056	55	0.007888
35	0.001282	60	0.011534
40	0.001803	65	0.017009

3.4.3 31.03.2023 को पीआरएमबी का बीमांकिक मूल्यांकन भारतीय लेखा मानक 19 (2015) के अनुसार प्रमाण पत्र

तालिका 1

31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निर्धारित लाभ लागत का प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

क	(लाभ)/हानि	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1	वर्तमान सेवा लागत	13.49	14.41
2	पिछली सेवा लागत-योजना संशोधन	278.93	—
3	कटौती लागत/(ऋण)	—	—
4	निपटान लागत/(ऋण)	—	—
5	सेवा लागत	292.42	14.41
6	निबल परिभाषित लाभ देयता/(संपत्ति) पर निबल ब्याज	19.06	15.94
7	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान-अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	—	—
8	**लाभ एवं हानि में मान्यता प्राप्त लागत**	311.48	30.35
ख	**अन्य विस्तृत आय (ओसीआई)**	**31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए**
1	डीबीओ अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ) / हानि	(50.08)	(0.13)
2	डीबीओ धारणा परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ) / हानि	32.57	(36.91)
3	अवधि के दौरान होने वाली बीमांकिक (लाभ)/ हानि	(17.51)	(37.04)
4	छूट दर से (अधिक)/कम योजना संपत्ति पर वापसी	(17.59)	(1.58)
5	ओसीआई में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	(35.11)	(38.62)

ग	परिभाषित लाभ लागत	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1	सेवा लागत	292.42	14.42
2	निबल परिभाषित लाभ देयता पर निबल ब्याज /(परिसंपत्ति)	19.06	15.94
3	ओसीआई में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	(35.11)	(38.62)
4	(लाभ)/हानि की तत्काल पहचान-अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं	—	—
5	**परिभाषित लाभ लागत**	276.38	(8.26)
घ	**अनुमान के रूप में**	**31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए**
1	छूट की दर	6.85%	6.80%
2	चिकित्सा मुद्रास्फीति दर	अनुपलब्ध	0.00%

तालिका 2
निबल तुलन पत्र की स्थिति का विकास

(₹ करोड़ में.)

क	लाभ एवं हानि	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1	परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ)	(597.57)	(597.42)
2	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (ऍफ़विए)	358.13	376.27
3	वित्त पोषित स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]	(239.44)	(221.15)
4	परिसम्पति अंतश्छद का प्रभाव	—	—
5	निबल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	(239.44)	(221.15)
ख	**निबल तुलन पत्र स्थिति का मिलान**	**31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए**
1	आपकी पूर्व अवधि के अंत में निबल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	(175.09)	(239.44)
2	सेवा लागत	(292.42)	(14.41)
3	निबल परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) पर निबल ब्याज	(19.06)	(15.94)
4	ओसीआई में मान्यता प्राप्त राशि	35.11	38.61
5	नियोक्ता योगदान	212.02	10.02
6	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	—	—
7	अधिग्रहण ऋण/(लागत)	—	—
8	विनिवेश	—	—
9	समाप्ति लाभ की लागत	—	—
10	वर्तमान अवधि के अंत में निबल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति/(देयता)	(239.44)	(221.15)
ग	**अनुमान के रूप में**	**31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए**
1	छूट की दर	6.80%	7.30%
2	चिकित्सा मुद्रास्फीति दर	कार्यकारी 9% गैर कार्यकारी 6.25%	0.00%

तालिका 3

31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में लाभ दायित्वों एवं परिसंपत्तियों में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

क	परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन (डीबीओ)	31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाला वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाला वर्ष
1	पूर्व अवधि के अंत में डीबीओ	298.65	597.57
2	वर्तमान सेवा लागत	13.49	14.41
3	डीबीओ पर ब्याज लागत	34.43	40.04
4	कटौती लागत/(ऋण)	—	—
5	निपटान लागत/(ऋण)	—	—
6	पिछली सेवा लागत-योजना संशोधन	278.93	—
7	अधिग्रहण (ऋण)/लागत	—	—
8	बीमांकिक (लाभ)/हानि- अनुभव	(50.08)	(0.13)
9	बीमांकिक (लाभ)/हानि-जनसांख्यिकीय अनुमान	28.85	—
10	बीमांकिक (लाभ)/हानि- वित्तीय अनुमान	3.72	(36.91)
11	कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किए गए लाभ	—	—
12	योजना संपत्तियों से भुगतान किए गए लाभ	(10.42)	(17.56)
13	**वर्तमान अवधि के अंत में डीबीओ**	597.57	597.42
ख	**परिसम्पतियों के उचित मूल्य में परिवर्तन**	**31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाला वर्ष**	**31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाला वर्ष**
1	पूर्व अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य	123.56	358.13
2	अधिग्रहण समायोजन	—	—
3	योजना संपत्ति पर ब्याज आय	15.37	24.10
4	नियोक्ता योगदान	212.02	10.02
5	छूट दर से अधिक/(कम) योजना संपत्ति पर वापसी	17.59	1.58
6	भुगतान किया गया लाभ	(10.42)	(17.56)
7	**वर्तमान अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य**	358.13	376.27

तालिका 4

अतिरिक्त प्रकटीकरण सूचना

क	**समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपेक्षित लाभ भुगतान**	
1	मार्च 31, 2024	29.28
2	मार्च 31, 2025	31.91
3	मार्च 31, 2026	34.61
4	मार्च 31, 2027	37.39
5	मार्च 31, 2028	40.17
6	मार्च 31, 2029 से मार्च 31, 2033	235.98
7	10 साल से परे	1337.36
ख	**परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि**	12 years
ग	**31 मार्च 2023 को उपार्जित लाभ दायित्व**	597.42

तालिका 5
संवेदनशीलता विश्लेषण

	31 मार्च 2023 तक आधार अनुमानों पर डीबीओ	**597.42**
	इन मान्यताओं को रिपोर्ट के परिशिष्ट सी में संक्षेपित किया गया है	
क	**31 मार्च 2023 तक छूट दर**	**7.30%**
1	छूट दर में 0.5% बढ़ोतरी से डीबीओ पर असर	(33.47)
	प्रतिशत प्रभाव	-6.00%
2	छूट दर में 0.5% की कमी से डीबीओ पर असर	36.91
	प्रतिशत प्रभाव	6.00%

नीचे योजना के सक्रिय सदस्यों का सारांश दिया गया है:

	कार्यकारीगण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023
1	कर्मचारियों की संख्या (सक्रिय)	2,257	2,244
2	कर्मचारियों की संख्या (निष्क्रिय)	2,251	2,474
3	औसत प्राप्त आयु (वर्ष)- सक्रिय	42.39	41.85
4	औसत प्राप्त आयु (वर्ष) - निष्क्रिय	69.00	68.76
5	औसत पिछली सेवा (वर्ष)- सक्रिय	15.57	14.62
	गैर कार्यकारीगण	**31 मार्च 2022**	**31 मार्च 2023**
1	कर्मचारियों की संख्या (सक्रिय)	33,403	32,482
2	कर्मचारियों की संख्या (निष्क्रिय)	5,147	5,899
3	औसत प्राप्त आयु (वर्ष)- सक्रिय	45.34	45.52
4	औसत प्राप्त आयु (वर्ष) - निष्क्रिय	68.00	66.64
5	औसत पिछली सेवा (वर्ष) - सक्रिय	20.74	20.85

धारणा

मान्यताएं	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023
छूट की दर	6.80%	7.30%
चिकित्सा मुद्रास्फीति दर	अनुपलब्ध	0.00%
मृत्यु दर - सेवा में	भारतीय आश्वषित लाइव्स मृत्यु दर (2006-08) अंतिम	भारतीय आश्वषित लाइव्स मृत्यु दर (2006-08) अंतिम
मृत्यु दर - सेवानिवृत्ति के बाद	अनुपलब्ध भारतीय व्यक्तिगत वार्षिकीदार की मृत्यु तालिका (2012-15)	अनुपलब्ध भारतीय व्यक्तिगत वार्षिकीदार की मृत्यु तालिका (2012-15)
औसत चिकित्सा लागत (रु)	अनुपलब्ध कार्यकारी कर्मचारी: अधिवास लाभ-रु 36,000 प्रति वर्ष। अस्पताल में भर्ती लाभ- रु 35,000 प्रति वर्ष। गैर-कार्यकारी कर्मचारी: अधिवास लाभ + अस्पताल में भर्ती लाभ संयुक्त- रु 18,000 प्रति वर्ष।	अनुपलब्ध कार्यकारी कर्मचारी: अधिवास लाभ-रु 36,000 प्रति वर्ष। अस्पताल में भर्ती लाभ- रु 35,000 प्रति वर्ष। गैर-कार्यकारी कर्मचारी: अधिवास लाभ + अस्पताल में भर्ती लाभ संयुक्त- रु 18,000 प्रति वर्ष।
जीवनसाथी की उम्र का अंतर	अनुपलब्ध जीवनसाथी सदस्य से 5 वर्ष छोटा है	अनुपलब्ध जीवनसाथी सदस्य से 5 वर्ष छोटा है
निकासी दर	0.30%	0.30%

प्रतिरूप मृत्यु दर: भारतीय बीमित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम तालिका

आयु	दरें	आयु	दरें
20	0.000888	45	0.002874
25	0.000984	50	0.004946
30	0.001056	55	0.007888
35	0.001282	60	0.011534
40	0.001803	65	0.017009

प्रतिरूप मृत्यु दर: भारतीय व्यक्तिगत वार्षिकीदार की मृत्यु तालिका (2012-15)

आयु	दर
60	0.006349
65	0.010070
70	0.016393
75	0.027379
80	0.046730

4. अनभिज्ञ मद

(क) आकस्मिक देयताएँ

I. कंपनी के विरूद्ध दावा जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	केन्द्र सरकार/ एजेंसियाँ	राज्य सरकार तथा अन्य इकाईयां/ एजेंसियाँ और अन्य स्थानीय अधिकारी	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	अन्य	कुल
1	01.04.2022 को प्रारंभिक शेष	2,149.79	17,976.32	—	542.07	20,668.18
2	वर्ष के दौरान वृद्धि	73.03	318.32	—	0.34	391.69
3	वर्ष के दौरान किये गए दावा का निपटान					
	ए. प्रारंभिक शेष से	2.46	14,112.85	—	4.81	14,120.12
	बी. वर्ष के दौरान योग से	—	0.27	—	—	0.27
	सी. वर्ष के दौरान कुल दावों का निपटान(ए+बी)	2.46	14,113.12	—	4.81	14,120.39
4	31.03.2023 को अंतिम शेष	2,220.36	4,181.52	—	537.60	6,939.48

पर्यावरण स्वीकृति सीमा से ज्यादा कोयले के तथाकथित उत्पादन पर मांग :

कॉमन कॉज़ बनाम यूओआई तथा अन्य (डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 114/2014) के मामलों पर भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए, झारखंड के जिला खनन अधिकारियों ने 42 परियोजनाओं को उपलब्ध पर्यावरणीय मंजूरी सीमा से अधिक उत्पादन जैसे आरोप तथा उक्त के उल्लंघन हेतु मुआवजे की मांग को लेकर डिमांड नोटिस जारी किए हैं। उक्त मामले में वर्तमान तिथि तक मांग की गयी कुल राशि 13,568.50 करोड़ रुपये है जो (विगत वर्ष 13568.50 करोड़) थी । कंपनी ने एमएमडीआर (अर्थात खान व खनिज विकास विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत उपरोक्त मांगों के विरुद्ध माननीय कोयला न्यायाधिकरण, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की है। पुनरीक्षण प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 16.01.2018 को निर्गत अपने अंतरिम आदेश के माध्यम से पुनरीक्षण आवेदन को स्वीकार किया है तथा अगले आदेश तक मांग आदेशों के निष्पादन पर रोक लगा दी है।

उपरोक्त मामले को नियम का उल्लंघन मानते हुए जिला खनन अधिकारी (डीएमओ), बोकारो, झारखंड ने दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) से सम्बंधित मामले में एक इसी प्रकार की मांग नोटिस जारी की है। हालाँकि, पुनरीक्षण प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने आदेश दिनांक 21/12/2021 के तहत डीएमओ द्वारा पारित मुआवजे की मांग के आदेश को रद्द कर दिया है। पुनरीक्षण प्राधिकारी ने देखा है कि उचित प्रक्रिया, उचित मुआवजा निर्धारण पद्धति तथा प्राप्त हुए अवसर के बाद भी कोई उचित तथ्यात्मक जांच नहीं हुई है । उक्त प्राधिकरण ने आगे यह भी कहा कि तथ्यात्मक स्थिति, कानूनी मुद्दों की जांच करने तथा उक्त मामले में किसी भी निर्णय तक पहुंचने से पहले सुनवाई को उचित अवसर प्रदान किये जाने की आवश्यकता है जिसके लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित करनी होगी।

उक्त मामले से सम्बद्ध घटनाक्रम पर विचार करते हुए, कंपनी ने यह मूल्यांकन किया कि उसके विरुद्ध डीएमओ द्वारा जारी मुआवजे की मांग- नोटिस मान्य नहीं है ।

इसके अतिरिक्त, निपटान में संसाधनों के बहिर्प्रवाह की संभावना बहुत कम है तदनुसार, इसे रिपोर्टिंग के दौरान आकस्मिक दायित्व में नहीं रखा जाता है।

आकस्मिक देयता की प्रकृति वार विवरण नीचे दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2022	31.03.2023
	केन्द्र सरकार:		
	आयकर	1,050.80	1,113.92
	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	153.83	154.28
	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	941.66	941.66
	सेवा कर	3.51	10.50
1	अन्य	—	—
	उप - कुल	**2,149.79**	**2,220.36**
	राज्य सरकार एवं स्थानीय अधिकारी:		
	अधिशुल्क	2,365.64	2,363.24
	पर्यावरण मंजूरी / होल्डिंग टैक्स	13,568.50	—
	बिक्री कर/वैट	1,452.84	1,282.91
	प्रवेश कर	25.00	25.00
	बिजली शुल्क	88.96	58.54
	एमएडीए	475.37	420.73
2	अन्य (पर्यावरणीय मुआवजा)	—	31.10
	उप - कुल	**17,976.32**	**4,181.52**
	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम		
	मध्यस्थता कार्यवाही	—	—
	मुकदमेबाजी के तहत कंपनी के खिलाफ मुकदमा	—	—
	अन्य	—	—
3	**उप- कुल**	—	—
	अन्य:		
	विविध	542.07	537.60
4	**उप- कुल**	**542.07**	**537.60**
	कुल	**20,668.18**	**6,939.48**

II. गारंटी

31.03.2023 को जारी बैंक गारंटीः ₹ 476.36 करोड़ (पिछले वर्ष 433.11 करोड़ रुपये)।

III. साख पत्र

31.03.2023 को बकाया साख पत्र: ₹ शून्य करोड़ (पिछले वर्ष शून्य करोड़ रुपये)।

IV. प्रतिबद्धताएं

पूंजी प्रतिबद्धताएं के लिए पूंजी खाते पर निष्पादित होने वाली शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि और 31.03.2023 को प्रदान नहीं की गईः रु 5667.65 करोड़ (पिछले वर्ष 3881.83 करोड़ रुपये)।

31.03.2023 को अन्य प्रतिबद्धताएं: रु 4737.89 करोड़ (विगत वर्ष रु 9783.74 करोड़)

5. समूह सूचना

नाम	मुख्य गतिविधियाँ	निगमन का देश	इक्विटी ब्याज%	
			31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
कोल इंडिया लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी)	कोयले का खनन एवं उत्पाद	भारत	100 %	100 %
झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (अनुषंगी कंपनी)	झारखंड में रेलवे आधारभूत संरचना का विकास	भारत	64%	73.67 %

6. अन्य सूचनाएं

सहायक / सहयोगी / संयुक्त उद्यम के रूप में समेकित उद्यमों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के तहत आवश्यक अतिरिक्त जानकारी।

उद्यमों के नाम	निबल संपत्ति यानी कुल संपत्ति घटा कुल देनदारियां		लाभ या हानि में हिस्सेदारी		अन्य व्यापक आय में हिस्से-दारी	
	समेकित निबल संपत्ति के% के रूप में	राशि (₹ करोड़ में.)	समेकित लाभ या हानि के% के रूप में	राशि (₹ करोड़ में.)	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	राशि (₹ करोड़ में.)
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	96.59	9,971.96	99.87	2,751.67	100.00	177.59
झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	5.28	545.05	0.20	5.41	—	—
घटाएं:- अल्पसंख्यक हित . में सभी सहायक कंपनियां	1.87	192.87	0.07	1.94	—	—
कुल	100.00	10,324.14	100.00	2,755.14	100.00	177.59

(क) प्रावधान

भारतीय लेखा मानक -37 के अनुसार, कर्मचारी लाभ से असंबंधित विभिन्न प्रावधानों की स्थिति, 31.03.2023 को किये गए बीमांकिक रूप से मूल्यांकन, नीचे दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

प्रावधान	01.04.2022 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान जोड़	प्रतिलेखन/समा-योजन/वर्ष के दौरान किया गया भुगतान	रियायत पर छूट	31.03.2023 को अंतिम शेष
नोट 3: संपत्ती, संयंत्र एवं उप-करण:					
परिसंपत्ति पर हानि	62.26	3.93	(0.99)	—	65.50
नोट 4: प्रगति पर पूंजी कार्य:					
सीडब्ल्यूआईपी के खिलाफ: (हानि)	18.28	3.92	(6.75)	—	15.45
नोट 5: अन्वेषण एवं मूल्यांकन संपत्ती					
प्रावधान एवं हानि:	0.46	1.55	—	—	2.01
नोट 8: ऋण					
अन्य ऋण:	—-	—	—	—	—
नोट 9: अन्य वित्तीय संपत्ती					
अन्य जमा एवं प्राप्य	—	—	—	—	—
उपयोगिताओं के लिए सुरक्षा जमा	—	—	—	—	—
अनुषंगियों के साथ चालू खाता	—	—	—	—	—
दावे एवं अन्य प्राप्य	14.37	—	—	—	14.37
नोट 10: अन्य गैर चालू परिसंपत्ति					
अग्रिम पूंजी	0.08	—	(0.08)	—	0.00
नोट 11: अन्य चालू परिसंपत्ति					
वैधानिक बकाया के लिए अग्रिम भुगतान	0.89	—	(0.89)	—	—
अन्य अग्रिम एवं जमा	21.24	—	(1.79)	—	19.45
नोट 13: व्यापार प्राप्य					
खराब एवं संदेहात्मक ऋणों के प्रावधान:	288.26	92.13	—	—	380.39
नोट 21:- गैर-वर्तमान और वर्तमान प्रावधान:					
एक्स- ग्रेसिया	250.70	258.44	(250.70)	—	258.44
प्रदर्शन संबंधित पारिश्रमिक	178.07	155.55	(65.33)	—	268.29
राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता XI के प्रावधान	123.30	1221.28	—	—	1344.58
अधिकारी पारिश्रमिक संशोधन के प्रावधान अन्य	—	—	—	—	—
स्थल बहाली/खान बंदीकरण	982.09	—	(128.38)	75.44	929.15

(ख) खंड रिपोर्टिंग

समूह की मुख्य रूप से कोयले के उत्पादन और बिक्री के एकल खंड के कारोबार में लगी हुई है। ब्याज और अन्य आय से होने वाली आय कुल राजस्व के 10% से कम है; इसलिए इसके लिए कोई अलग खंड मान्यता प्राप्त नहीं है।

(ग) प्रति शेयर आय

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	इक्विटी अंशधारकों को आरोप्य कर पश्चात निबल लाभ	2,755.14	1,698.41
(ii)	बकाये इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	94 लाख	94 लाख
(iii)	रुपये में प्रति शेयर बेसिक एवं डायलूटेड आय (अंकित मूल्य ₹1000/ - प्रति शेयर)	2,931.00	1,806.82

(घ) संबद्ध पार्टी प्रकटीकरण

पोस्ट-एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट फंड:

i. एलआईसीआई के समूह ग्रेच्युटी नकद संचय योजना।

ii. एलआईसीआई के साथ नई समूह ग्रेच्युटी नकद संचय योजना (01.04.2014 के बाद शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए)।

iii. एलआईसीआई के नई समूह छुट्टी नकदीकरण योजना।

iv. कोयला खान भविष्य निधि (सीएमपीएफ)।

v. कार्यकारी ट्रस्ट के लिए अंशदायी सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा योजना

vi. सीआईएल कार्यकारी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना-2007

समूह से संबंधित पक्षों की सूची

(i) **होल्डिंग कंपनी**

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)

(ii) **सहयोगी कंपनियां**

1. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल)
2. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल)
3. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)
4. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसइसीएल)
5. नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)
6. महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)
7. सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीट्युट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल)

(iii) **सहायक कंपनी से संबंधित कम्पनी (जेसीआरएल)**

1. इरकोन इंटरनेशनल लिमिटेड
2. झारखण्ड सरकार

सम्बंधित कंपनियों से लेन- देन

(₹ करोड़ में)

संबंधित पक्षों के नाम	संबंधित पक्षों को ऋण	संबंधित पक्षों से ऋण	शीर्ष शुल्क	पुनर्वास शुल्क	लीज किराया आय	निधि पर ब्याज	आईआईसीएम शुल्क	अन्य / निवेश	चालू खाता शेष (देय/ प्राप्य)	बकाया शेष (देय / प्राप्य)
कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)	—	—	179.57	45.02	—	—	—	342.77	(12.47)	—
सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीट्युट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल)	—	—	—	—	—	—	—	227.60	—	(146.43)
आईआईसीएम् शुल्क	—	—	—	—	—	—	7.62	—	—	(1.24)

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
(क) सेंट्रल कोलफ़ील्ड्स लिमिटेड

क्र. सं.	नाम	पदनाम	इस तिथि से
1.	श्री मल्लिकार्जुन प्रसाद पोलावरापु	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	01.09.2020
2.	श्री राम बाबू प्रसाद	निदेशक (तकनीकी / संचालन)	14.05.2022
3.	श्री एस.के. गोमस्ता	निदेशक (तकनीकी / यो. परी.)	01.11.2021 to 25.10.2022
4.	श्री बी साईराम	निदेशक (तकनीकी / यो. परी.)	26.10.2022
5.	श्री के.आर. वासुदेवन	निदेशक (वित्त)	01.07.2021 to 09.06.2022
6.	श्री पवन कुमार मिश्रा	निदेशक (वित्त)	10.06.2022
7.	श्री हर्ष नाथ मिश्रा	निदेशक (कार्मिक)	24.08.2022
8.	सुश्री संतोष, उप. महानिदेशक, एमओसी	सरकार के नामित निदेशक	03.01.2022 to 21.02.2023
9.	श्री अजीतेस कुमार	सरकार के नामित निदेशक	22.02.2023
10.	श्री विनय रंजन	सरकार के नामित निदेशक	05.08.2021
11.	श्री रमेश कुमार सोनी	स्वतंत्र निदेशक	01.11.2021
12.	श्री रवि प्रकाश	कंपनी सचिव	13.07.2017 to 30.08.2022
13.	श्री अमरेश प्रधान	कंपनी सचिव	31.08.2022

(ख) झारखण्ड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (सीसीएल की एक अनुषंगी कम्पनी)

निदेशक के नाम /केएमपी	पदनाम	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
बी. साईराम	अध्यक्ष , जेसीआरएल	23.11.2022
एस. के. गोमस्ता (परित्याग)	अध्यक्ष , जेसीआरएल	19.01.2022 to 23.11.2022
अशोक कुमार गोयल (परित्याग)	निदेशक	01.10.2021 to 11.10.2022
प्रणव कुमार (परित्याग)	निदेशक	12.10.2021 to 01.06.2022
रमेश झा (परित्याग)	निदेशक	01.01.2022 to 19.12.2022
रवि शंकर विद्यार्थी (परित्याग)	निदेशक	02.03.2020 to 13.03.2023
अभिजित नरेन्द्र (परित्याग)	निदेशक	20.01.2020 to 09.05.2022
शशांक शेखर झा	निदेशक	15.06.2018
पवन कुमार मिश्रा	निदेशक	19.12.2022
प्रिय रंजन पार्थी	निदेशक	09.05.2022
प्रदीप कुमार	निदेशक	13.03.2023
पराग वर्मा	निदेशक	11.10.2022
रागिनी अडवानी	निदेशक	01.06.2022
आर. के. मिश्रा	सीईओ	29.01.2022
प्रदीप कुमार सिंह	सीएफओ	29.01.2022
श्रेया	कम्पनी सचिव	29.04.2022

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

(क) सेंट्रल कोलफ़ील्ड्स लिमिटेड

(₹ करोड़ में.)

क्र. सं.	अ.प्र.नि., पूर्णकालिक निदेशकों और कंपनी सचिव का पारिश्रमिक	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	**अल्पकालिक कर्मचारी लाभ**		
	सकल वेतन चिकित्सा	2.63	1.49
	लाभ	—	—
	पूर्वकाक्षित अन्य लाभ	—	—
ii)	**रोजगार उपरांत लाभ**		
	पीएफ एवं अन्य निधियों में योगदान	0.17	0.12
	ग्रैचुइटी का बीमांकिक मूल्यांकन	0.53	0.12
	अवकाश नकदीकरण का बीमांकिक	1.34	0.48
	एनपीएस में योगदान	0.09	0.07
iii)	**सेवा समाप्ति/सेवानिवृत्ति लाभ**	0.00	0.79
	कुल	**4.76**	**3.07**

(ख) झारखण्ड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (सीसीएल की एक अनुषंगी कम्पनी)

केएमपी	विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
कम्पनी सचिव	कुल वेतन	0.05	—
	कर्मचारी भविष्य निधि का योगदान	—	—
मुख्य कार्यपालन अधिकारी	कुल वेतन	0.14	0.02
	कर्मचारी भविष्य निधि का योगदान	—	—
	कुल	**0.19**	**0.02**

टिप्पणी:

उपरोक्त के अलावा, पूर्णकालिक निदेशकों को सेवा शर्तों के अनुसार 2000 रुपये प्रति माह के भुगतान पर 1000 किलोमीटर की सीमा तक निजी यात्रा के लिए कंपनी की कारों का उपयोग करने की अनुमति दी गई है।

स्वतंत्र निदेशकगणों को भुगतान

(₹ करोड़ में.)

क्र. सं	स्वतंत्र निदेशकगणों को भुगतान	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	सिटींग शुल्क	0.09	0.21

31.03.2023 को मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के पास अधिशेष

(₹ करोड़ में.)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
i)	देय राशि	—	—
ii)	प्राप्य राशि	—	—

(ङ) हाल के लेखांकन घोषणाएं

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत मौजूदा मानकों समय-समय पर जारी में नए मानक या संशोधन को अधिसूचित करता है। 23 मार्च, 2023 को, एमसीए के माध्यम से कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2023 में संशोधन किया, जो 1 अप्रैल, 2023 से लागू है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और इसके वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

- भारतीय मानक लेखा 1 - वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति - इस संशोधन के तहत कंपनियों को अपनी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के बजाय अपनी सामग्री लेखांकन नीतियों का खुलासा करने की आवश्यकता थी। कम्पनी ने इस संशोधन से अपने वित्तीय विवरणी पर किसी प्रकार का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं की है ।
- भारतीय मानक लेखा 8 - लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन एवं त्रुटियां - इस संशोधन ने 'लेखा अनुमान' की एक परिभाषा पेश की है तथा भारतीय मानक लेखा 8 में संशोधन कर कंपनियों को लेखांकन अनुमानों में हुए परिवर्तन से लेखांकन नीतियों में हुए परिवर्तन को अलग करने में मदद प्रदान किया है। कम्पनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और यह पाया की इसके कम्पनी के समेकित वित्तीय विवरणों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

➢ भारतीय मानक लेखा 12 - आयकर - इस संशोधन ने प्रारंभिक मान्यता छूट के दायरे को सीमित कर दिया है ताकि यह समान और अस्थायी अंतर वाले लेन-देन पर लागू न हो । कम्पनी ने इस संशोधन से अपने वित्तीय विवरणी पर किसी प्रकार का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं की है ।

(च) अनुषंगी कंपनियों की ओर से कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा क्रय सामग्री

मौजूदा पद्धति के अनुसार, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अनुषंगी कंपनियों के लिए क्रय सामग्री की गणना उस अनुषंगी कंपनी के लेखा में सीधे तौर पर किया जाता है।

(छ) बीमा एवं बढ़ोतरी दावा

बीमा तथा बढ़ोतरी दावों को प्रवेश/अंतिम निपटारे के आधार पर लेखाकृत किया जाता है।

(ज) लेखा में किया गया प्रावधान

धीमी-चलन/स्थिर/पुराने भंडारों, प्राप्य दावे, भविष्यों, संदेहात्मक ऋण इत्यादि के विरूद्ध किए गए प्रावधानों को संभावित हानियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझा जाता है।

(झ) चालू परिसंपत्ति, ऋण एवं अग्रिम इत्यादि

प्रबंधन के राय में, स्थायी-परिसम्पत्तियों के अलावा दूसरी परिसम्पत्तियों तथा गैर-मौजूदा निवेशकों में, व्यवसाय के साधारण प्रक्रिया द्वारा प्राप्त वसूली पर एक मान होता है जो कि कम से कम उस राशि के बराबर होता है जिसपर वे लिखे गए हैं।

(ञ) चालू देयताएं

जहाँ वास्तविक देयताएं, मापे नहीं जा सकते वहां अनुमानित देयता दिए गए हैं।

(ट) शेष पुष्टिकरण

नगद एंव बैंक बैलेंस, निश्चित श्रेणी एवं अग्रिमों, दीर्घकालीन देयताएं तथा मौजूदा देयताओं के लिए शेष पुष्टिकरण/समन्वय किया जाता है।

(ठ) महत्वपूर्ण लेखांकन नीति

कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीति (टिप्पणी -2) का मसौदा तैयार किया गया है (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के अंतर्गत, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (इंड ए ए स) के अनुसार किया गया है।

(ड) लीज

i) पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को लीज एग्रीमेंट के तहत कंपनी की 15.50 एकड़ जमीन के इस्तेमाल का अधिकार दिया गया है। परिसंपत्ति की सकल वहन राशि की लागत 7.90 करोड़ ₹ (वि.व. 7.90 करोड़ रुपये) और उस पर प्रगतिशील मूल्यह्रास 7.90 करोड़ (वि. व. ₹ 7.90 करोड़) रुपये है और अवलिखित मूल्य शून्य ₹ (वि. व. शून्य ₹) है। लीज की शेष अवधि के लिए कुल प्राप्य भावी न्यूनतम लीज भुगतान ₹ 2.58 करोड़ है। प्राप्य भावी लीज भुगतानों का विवरण इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में.)

विवरण		31.03.2023 को	31.03.2022 को
(I)	एक वर्ष तक	0.21	0.19
(II)	एक साल से ज्यादा पर पांच साल से कम	0.86	0.77
(III)	पांच सालों से ज्यादा एवं लीज के अवधि तक	1.51	1.83
	कुल	**2.58**	**2.79**

ii) लीज समझौते के तहत ईआईपीएल को कंपनी की भूमि पर कब्जा करने और उसका इस्तेमाल करने का अधिकार दिया गया है। परिसंपत्ति की सकल वहन राशि की लागत 4,968 ₹ (वि.व. 4,968 रुपये) और उस पर प्रगतिशील मूल्यह्रास 4,968 (वि. व. ₹ 4,968) रुपये है और अवलिखित मूल्य शून्य ₹ (वि. व. शून्य ₹) है। लीज की शेष अवधि के लिए कुल प्राप्य भावी न्यूनतम लीज भुगतान ₹ 0.90 लाख है। यह मामला वि. मध्यस्थ के समक्ष लंबित है।

(ढ) खंड रिपोर्टिंग

भारतीय लेखा मानक 108 'परिचालन खंड' के प्रावधानों के अनुसार, जिसके तहत संसाधनों को आवंटित करने और उनके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए बोर्ड द्वारा उपयोग की जाने वाली आंतरिक रिपोर्ट के आधार पर खंड सुचना को प्रस्तुत करने के लिए परिचालन खंड का उपयोग किया जाता है। भारतीय लेखा मानक 108 के अर्थ में, बोर्ड एक मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता का समूह है।

बोर्ड ने महत्वपूर्ण उत्पाद की पेशकश की संभावना से एक व्यवसाय पर विचार किया एवं फैसला लिया है कि वर्तमान में, कोयला की बिक्री के लिए एकल रिपोर्ट ही योग्य खंड है। वित्तीय प्रदर्शन एवं परिसंपत्तियों की जानकारी लाभ एवं हानि और बैलेंस शीट के समेकित विवरण के रूप में प्रस्तुत की गयी है।

गंतव्य के अनुसार राजस्व इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में.)

विवरण	भारत	अन्य देश
राजस्व (निबल)	15,226.21	शून्य

ग्राहक के अनुसार राजस्व इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

10% से अधिक राजस्व (निबल) वाले ग्राहक के नाम	राशि	देश
ग्राहक- 1	2,236.34	
ग्राहक- 2	1,511.43	
अन्य	11,678.44	**भारत**
कुल राजस्व (निबल)	**15,226.21**	

स्थान के अनुसार चालू परिसंपत्तियां इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	भारत	अन्य देश
चालू परिसम्पत्तियां	12,042.35	शून्य

(ण) असंकलित राजस्व सूचना

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
माल या सेवा के प्रकार		
- कोयला	15,226.21	12,352.13
- अन्य	—	—
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल राजस्व	**15,226.21**	**12,352.13**
ग्राहकों के प्रकार		
- बिजली क्षेत्र	9,658.51	8,444.78
- गैर-बिजली क्षेत्र	5,567.70	3,907.35
- अन्य या सेवाएं (सीएमपीडीआईएल)	—	—
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल राजस्व	**15,226.21**	**12,352.13**
संविदा के प्रकार		
- एफएसए	11,522.80	10,053.58
- ई-नीलामी	3,703.41	2,298.55
- अन्य	—	—
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल राजस्व	**15,226.21**	**12,352.13**
माल या सेवाओं का समय		
एक समय में स्थानांतरित माल	15,226.21	12,352.13
समय के दौरान स्थानांतरित माल	—	—
एक समय में स्थानांतरित सेवाएं	—	—
समय के दौरान हस्तांतरित सेवाएं	—	—
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल राजस्व	**15,226.21**	**12,352.13**

(त) अनुपात

(₹ करोड़ में)

अनुपात	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्तमान अनुपात	1.31	1.37
इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात	11.49	9.36
प्राप्य टर्नओवर अनुपात	5.32	5.51
व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	2.19	1.87
निवल पूँजी टर्नओवर अनुपात	1.63	1.56
निवल लाभ अनुपात (%)	18.11	13.75
पूंजी पर वापसी नियोजित	0.22	0.15
इक्विटी पर वापसी (आरओई)	0.29	0.22
निवेश पर वापसी (आरओई)		
(1) असूचीबद्ध सहायक कंपनियों में इक्विटी निवेश पर आरओआई	—	—
(2) म्युचुअल फंड पर आरओआई	0.07	0.28
(3) जमाओं पर आरओआई (बैंकों, वित्तीय संस्थानों सहित आईसीडी के साथ)	0.06	0.04

वर्तमान अनुपात: वर्तमान अनुपात तरलता अनुपात है जो वर्तमान संसाधनों को अपने अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने के लिए मापन करता है। चालू अनुपात की गणना चालू परिसंपत्तियों को चालू देनदारियों से भाग देकर की गई है।

इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात: इन्वेंटरी टर्नओवर एक वित्तीय अनुपात है जो दर्शाता है कि किसी निश्चित अवधि के दौरान कितनी बार इन्वेंट्री बेची गई है। इन्वेंटरी टर्नओवर की गणना बेची गई वस्तुओं की विभाजित लागत / इन्वेंटरी के औसत मूल्य द्वारा की जाती है। जहां, बेचे गए माल की लागत = (कुल व्यय - वित्त लागत - बट्टे खाते में डालना- प्रावधान - कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय- स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन) होती है।

प्राप्य टर्नओवर अनुपात: प्राप्य टर्नओवर अनुपात एक लेखा उपाय है जिसका उपयोग कंपनी के प्राप्य खातों, या ग्राहकों द्वारा बकाया धन को इकट्ठा करने में प्रभावशीलता को मापने के लिए किया जाता है। खाता प्राप्य टर्नओवर = सकल क्रेडिट बिक्री / औसत व्यापार प्राप्य।

व्यापार देयता टर्नओवर अनुपात: व्यापार देयता टर्नओवर दर्शाता है कि एक कंपनी कितनी बार अपने खातों को एक अवधि के दौरान देयता का भुगतान करती है। व्यापार देयता टर्नओवर अनुपात = कुल खरीद / औसत व्यापार देय)।

निबल पूंजी टर्नओवर: निबल पूंजी टर्नओवर वह उपाय है जो व्यवसाय में नियोजित पूंजी के उपयोग के संबंध में संगठन की दक्षता को दर्शाता है और इसकी गणना स्टॉकहोल्डर की इक्विटी (शेयर कैपिटल + अन्य इक्विटी) की कुल राशि से विभाजित कुल वार्षिक कारोबार के अनुपात के रूप में की गई है।)

निबल लाभ अनुपात: शुद्ध बिक्री के प्रतिशत के रूप में शुद्ध लाभ।

नियोजित पूंजी पर वापसी: ब्याज और पाठ से पहले की कमाई (ईबीआईटी) / नियोजित पूंजी जहां नियोजित पूंजी कुल संपत्ति-वर्तमान देनदारियां है।

इक्विटी पर रिटर्न अनुपात: इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) औसत शेयरधारक की इक्विटी द्वारा शुद्ध आय को विभाजित करके गणना की गई वित्तीय प्रदर्शन का एक उपाय है। जहां शुद्ध आय अवधि के लिए कर पश्चात लाभ है, औसत शेयरधारक की इक्विटी = (ओपनिंग इक्विटी + क्लोजिंग इक्विटी)/2

निवेश पर प्रतिलाभ: निवेश पर प्रतिलाभ (आरओआई) एक वित्तीय अनुपात है जिसका उपयोग कंपनी द्वारा उसकी निवेश लागत के संबंध में प्राप्त लाभ की गणना के लिए किया जाता है। जितना अधिक अनुपात, उतना अधिक लाभ अर्जित किया गया।

I. इक्विटी निवेश पर आरओआई असूचीबद्ध अनुषंगियों: अंशदान की इक्विटी में लाभांश/औसत निवेश।

II. म्यूचुअल फंड पर आरओआई = लाभांश + पूंजीगत लाभ + उचित मूल्य लाभ (हानि) / औसत निवेश।

III. जमा पर आरओआई (बैंक के साथ, आईसीडी सहित एफडी) = ब्याज आय / औसत निवेश।

7. सामान्य

7.1 कर अधिकारियों से कर की वसूली/समायोजन को नकद आधार पर लेखाकृत किया जाता है। आयकर, रॉयल्टी, सेस, विक्रय कर, प्रवेश कर इत्यादि के लिए अतिरिक्त माँग को अंतिम आदेश के प्राप्ति के बाद लेखाकृत किया जाता है अन्यथा इसे छोड़कर भारतीय लेखा मानक- 37 में मान्यता नहीं दी जाती है।

7.2 (क) ईआईपीएल द्वारा स्व-निर्माण एवं संचालन (बीओओ) के तर्ज पर, रजरप्पा और गिद्दी कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र के पूंजीकरण मूल्यांकन पर लम्बे समय से लंबित विवाद चला आ रहा है एवं अपीलीय ट्रायब्युनल के द्वारा विधिवत पुष्टिकृत झारखंड राज्य विद्त नियामक कमीशन की दिनांक 31.07.2009 के आदेश के विरूद्ध कंपनी द्वारा उच्चतम न्यायालय में दायर किए गए 2009 के सिविल अपील संख्या 7403 के तहत विवाद अभी लंबित है।

(ख) उक्त अपील में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 14.09.12 तथा 23.11.12 के अंतरिम आदेशों के अनुसार, कंपनी पर वित्त वर्ष 2012-13 में 31/03/2008 तक समाप्त अवधि हेतु 94.33 करोड़ रुपये की देनदारी थी वहीँ कटौती पश्चात ईआईपीएल को रु. पात्र 83.03 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार दिनांक 20.11.13 तथा 10.01.14 को 75 करोड़ रुपये एवं 25 करोड़ रुपये क्रमशः का भुगतान भी किया गया। इसके आगे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अप्रैल'2008 से मार्च'2014 तक की अवधि हेतु देय संशोधित राशि की गणना मार्च'2008 को समाप्त होने वाली अवधि तक संशोधित टैरिफ निर्धारित कर जेएसईआरसी द्वारा अपनाई गई पद्धति के आधार पर की गई । तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान 94.33 करोड़ रुपये के अतिरिक्त 23.25 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई, जैसा की ऊपर दर्शाया गया है । वित्त वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 हेतु प्रदान की गई अतिरिक्त देनदारी रु. 3.26 करोड़ और रु. 0.26 करोड़ क्रमशः दर्शायी गयी है।

ईआईपीएल से शेष प्राप्य राशि का संछिप्त विवरण निम्न प्रकार है:

₹ करोड़ में)

(i)	मार्च'08 तक की अवधि के लिए अंतरीय शुल्क- जिसके संबंध में 2012-13 के वित्तीय विवरण में देयता का प्रावधान किया गया है।	94.33
(ii)	अप्रैल'08 से मार्च'14 तक के लिए अंतरीय शुल्क जिसके संबंध में वर्ष 2013-14 में देयता का प्रावधान किया गया है।	23.25
(iii)	मानित ऊर्जा प्रभारों के संबंध में पुरानी रख-रखाव राशि	31.36
(iv)	वर्ष 2014-15 के लिए अंतरीय शुल्क	3.26
(v)	वर्ष 2015-16 के लिए अंतरीय शुल्क (ए/सी - रजरप्पा क्षेत्र)	0.26
	कुल	**152.46**
(vi)	घटाव : तदर्थ भुगतान (माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार)	183.03
(vii)	निबल शेष राषि (नोट - 9 में 'अन्य प्राप्य' मद में दिखाया गया है)	30.57

यद्यपि ईआईपीएल ने 17.09.2012 को विलंबित भुगतान के एवज में ब्याज के ₹134.20 करोड़ सहित ₹ 302.63 करोड़ के मांग को जमा किया जो कि पीपीए के दायरे से बाहर है। विलंबित भुगतान को छोड़कर ईआईपीएल की कुल मांग रु. 168.43 करोड़ है , जबकि कंपनी द्वारा पूर्व में ही 183.03 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है, जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है ।तथा यह मामला अभी भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

(ग) ईआईपीएल के साथ किए गए बिजली खरीद समझौता के धारा 1.18.3 के अनुसार, संबंधित पावर प्लांट के शुरू होने के 1 साल के समाप्त होने की तिथि से, ईंधन लागत में परिवर्तन के कारण शुल्क के ईंधन अवयवों की वृद्धि/कमी का निर्धारण किया जाएगा। पीपीए के धारा 1.14 के अनुसार रिजेक्ट्स का प्रारंभिक शुल्क ₹ 90 प्रति टन था।

तदनुसार, पीपीए के धारा 1.1.83 के अनुसार गमना की गई थी एवं वर्ष 2013-14 के लिए वित्तीय विवरण में, ईंधन की लागत में बढ़ोतरी के कारण किए गए पुनरीक्षीत शुल्क पर देय अतिरिक्त शुल्क के साथ, रिजेक्ट्स के मूल्य में पुनरीक्षण के कारण प्राप्य होने योग्य अतिरिक्त राजस्व को निबल छूट पश्चात मान्यता दी गई थी तथा ईआईपीएल के लिए पूरक बिल भी प्रस्तुत किया गया था।

बाद में, वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान विक्रय एवं विपणन विभाग के सीसीएल स्टैण्डीय समिति के सिफारिश के आधार पर रिजेक्ट्स के मूल्य को पुनरीक्षित किया गया था तथा उसे ईआईपीएल के निदेशक (संचालन) को दिनांक 17.11.2014 के पत्रांक GM(E&M)/DLF/14/ 3530-36 के माध्यम से सूचित किया गया था। पत्र के अनुसार जुलाई 2000 से दिसंबर, 2011 की अवधि के 01.01.2012 के पहले लागू युएचवी सिस्टम की प्राइसिंग के तहत न्यूनतम ग्रेड वाले जेड ग्रेड स्लैक कोल को डीएलएफ लिमिटेड से चार्ज किया जाएगा। उपरोक्त पत्र के निर्गत होने के पश्चात, विक्रय बिल तथा पावर शुल्क संशोधित किया गया है।

31.03.2016 को रिजेक्ट्स की आपूर्ति के बदले ईआईपीएल से प्राप्त होने योग्य राशि का मूल्य, बढ़े हुए शुल्क के समायोजन के पश्चात, ₹ 38.69 करोड़ है। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2016-17 में 1.64 करोड़ रुपये का भुगतान भी किया गया था और इसलिए, वसूली योग्य कुल राशि 40.33 करोड़ रुपये हो गयी ।

दिनांक 8 फरवरी, 1993 के पावर खरीद समझौता के धारा 2.6 के अनुसार समझौते के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में, उसे मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सीआईएल तथा इआईपीएल को एक दूसरे के साथ स्वीकार्य मध्यस्थ के पास एक मात्र मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। उत्पन्न स्थिति यह है कि समझौते में शामिल दोनों पार्टियों मध्यस्थ के नियुक्ति के लिए एक मत नहीं हो पाते हैं, जिसके बाद याचिकाकर्ता (सीसीएल) के पास मध्यस्थता एवं समझौता अधिनियम, 1996 के सेक्शन 11(6) के तहत दी गई शक्तियों के पालन में मध्यस्थ के नियुक्ति हेतु माननीय उच्च न्यायालय के पास जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। मध्यस्थता आवेदन 7 अप्रैल, 2016 को दायर की गई है। इस मामले की वर्तमान वस्तु स्थिति यह है कि वर्ष 2017-18 में समझौता दावे के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विज्ञ मध्यस्थ की नियुक्ति की है और उक्त मामला विज्ञ मध्यस्थ के समक्ष लंबित है।

7.3 अवधि के दौरान चोरी हुए सामानों की कीमत ₹ 0.25 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 0.25 करोड़) रूपए है।

7.4 भंडार और पुर्जों की सूची का भौतिक लेखा, भंडार परीक्षकों द्वारा नियत समय पर सत्यापन किया जा रहा है। मार्च-22 के लिए सत्यापन पूरी की जा चुकी है।

7.5 **(क)** कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के तहत, कोल इंडिया लिमिटेड एवं भारत के राष्ट्रपति के समझौते के अनुसार कोटरे बसंतपुर और पंचमो कोल ब्लॉक के आवंटन पर सहमति और बाद में संचालन और खानों के व्यावसायिक उपयोग के लिए सीसीएल कोआवंटन, सीसीएल ने अग्रिम शुल्क का 75% ₹30.97 करोड़ की राशि जमा की है और सुरक्षा जमा के रूप में ₹9.91 करोड़ की राशिऔर प्रदर्शन बैंक गारंटी (प्रदर्शन सुरक्षा) की ₹286.14 करोड़ की राशि आवंटन के लिए नामित प्राधिकरण के नामित बैंक खाते में जमा किया । ₹40.88 करोड़ (₹30.97 करोड़ का अग्रिम शुल्क एवं ₹9.91 करोड़ का सुरक्षा जमा) नोट-5 में अन्वेषण मूल्यांकन परिसंपत्तियों के तहत दिखाई दे रहा है। जैसा कि तीसरे किस्त के भुगतान करने के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों की शर्तों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है, ₹10.33 करोड़ की शेष राशि पूंजी प्रतिबद्धता के तहत दर्शाई गई है।

(ख) अन्य बैंक गारंटी:

क्रम सं	मद	परियोजना/क्षेत्र	राशि (करोड़ रूपये में)
(i)	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.03.2017 के अनुपालन में सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	ढोरी खास जीओएम, ढोरी क्षेत्र	140.9
(ii)	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.03.2017 के अनुपालन में सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	कारो खुली खदान परियोजना, बो. एवं कर. क्षेत्र	4.87
(iii)	विद्त अधीक्षण अभियंता विद्त आपूर्ति मंडल, हजारीबाग द्वारा निर्गत लोड स्वीकृति आदेश संख्या 1957/ईएसई(एस) हज़ारीबाग़ दिनांक 22.11.2019 एवं 1955/ईएसई(एस) हज़ारीबाग दिनांक 22.11.2019 के अनुपालन में सहायक विद्त अभियंता, विद्त आपूर्ति उपकेंद्र चतरा जेबीवीएनएल	आम्रपाली खुली खदान परियोजना, आम्रपाली एवं चन्द्रगुप्त क्षेत्र	0.54
(iv)	विद्त अधीक्षक अभियंता विद्त आपूर्ति मंडल, डाल्टनगंज द्वारा निर्गत लोड स्वीकृति आदेश संख्या 2259/ईएससी डालटनगंज दिनांक 28.11.2019 के अनुपालन में सहायक विद्त अभियंता, विद्त आपूर्ति उपकेंद्र चतरा जेबीवीएनएल	मगध खुली खदान परियोजना, मगध एवं संघमित्र क्षेत्र	0.27
(v)	निवारण योजना एवं प्राकृतिक एवं सामुदायिक संसाधन संवर्धन योजना के क्रियान्वयन के अनुपालन में सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	कथारा खुली खदान परियोजना, कथारा क्षेत्र	20.33

7.6 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206 (सी) के अंतर्गत आयकर विभाग की मांग के विरुद्ध ₹106.56 करोड़ रुपये की राशि के लिए, विभाग ने कंपनी के बैंक खाते को जोड़कर ₹71.79 करोड़ एकत्र किए हैं और कंपनी द्वारा शेष राशि 34.77 करोड़ जमा किया गया है। बदले में कंपनी ने ग्राहकों से तुलन पत्र की तारीख तक ₹77.53 करोड़ रुपये वसूले हैं एवं ₹27.99 करोड़ रुपये की शेष राशि वसूली की प्रक्रिया में है।

इसके परिणामस्वरूप, मामले का निपटारा सीआईटी (ए) द्वारा किया गया तथा सीआईटी (ए) द्वारा जारी आदेश स्पष्ट नहीं होने के कारण सीसीएल ने उक्त आदेश के विरुद्ध आईटीएटी के समक्ष एक अपील दायर की है । आईटीएटी ने दिनांक 23.01.2023 के अपने आदेश में सीसीएल के पक्ष में फैसला सुनाया है एवं सीसीएल द्वारा उठाए गए सभी मामलों पर सहमती दर्शायी है ।

7.7 सीसीएल अपने एवं सेल/आरआईएनएल के बीच तय किए गए समझौता ज्ञापन में पारस्परिक रूप से सहमत मूल्य पर मेसर्स सेल तथा आरआईएनएल को वॉश्ड मीडियम कोकिंग कोल (डब्ल्यूएमसीसी)की आपूर्ति करता है, जिसमें सीसीएल तथा सेल (स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड)/आरआईएनएल (राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जिसे वाईज़ैग स्टील भी कहा जाता है) के प्रतिनिधियों ने विधिवत हस्ताक्षर किया है । इस प्रकार के अंतिम निष्पादित समझौता ज्ञापन वित्त वर्ष 2016-17 हेतु अर्थात 31.03.2017 तक की तिथि तक मान्य था तथा वित्त वर्ष 2016-17 के लिए लागू मूल्य ₹ 5,780/- प्रति टन था। सीआईएल (कोल इंडिया लिमिटेड) के निर्देशानुसार, सीसीएल ने सरकार की नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) द्वारा परिकल्पित आयात समानता के सिद्धांत पर विचार करते हुए वॉश्ड मीडियम कोकिंग कोल का मूल्य अधिसूचित/तय किया है । हालाँकि, सेल और आरआईएनएल दोनों ने तय किए गए मूल्य के विपरीत एकतरफा मूल्य संशोधन करने के मामले में अपनी चिंता व्यक्त की है । तदनुसार, कई बार विचार-विमर्श समेत अनेकों पत्रों का आदान-प्रदान हो चुका है, परंतु उक्त मामले में अभी तक कोई आम सहमति नहीं बन पाई है। हालाँकि, उक्त मामले में कई दौर के चर्चा उपरांत दिनांक 28.07.2018 से ₹ 6,500/- प्रति टन की दर पर मूल्य को लागू किया गया । तत्पश्चात, एक स्वतंत्र एजेंसी की सिफारिश पर आयात समता मूल्य को लागू करने पर सहमति हुई। हालाँकि उक्त मामले में वर्तमान तिथि तक कोई विशेष प्रगति नहीं हो पाई है।

7.8 सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार ने अपने पत्र संख्या. 5/Sa.Bhu (CCL) Ramgarh- 303/2012-519 (5)/Ra. दिनांक 07.02.2020 द्वारा अध्यक्ष को कोल इंडिया लिमिटेड ने सीसीएल के कमान क्षेत्र अंतर्गत 36179.30 एकड़ सरकारी भूमि के विरूद्ध 26218.15 करोड़ रुपये की मांग की है। मांग में पट्टा अवधि के लिए भूमि की पट्टा बंदोबस्ती के रूप में किराया, उपकर और सलामी शामिल है।

सीसीएल द्वारा केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सीबीए (ए-डी) अधिनियम, 1957 की धारा 9(1) के तहत भूमि का अधिग्रहण किया जाता है और सीबीए (ए एंड डी) अधिनियम, 1957 की धारा 12 के अंतर्गत भौतिक कब्जा लिया जाता है जो सभी

भारों से मुक्त है। तदनुसार,कंपनी कोयला धारित क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 13(5) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी झारखंड सरकार को सरकारी भूमि के विरुद्ध ग्रामीण कृषि भूमि के वर्तमान सर्किल रेट के अनुसार मुआवजे का भुगतान करने के लिए सहमत है। वर्तमान में ग्रामीण कृषि दर के आधार पर भूमि मुआवजे के लिए 5,392.75 एकड़ सरकारी भूमि के लिए 778.62 करोड़ रुपये की संभावित देनदारी आती है जो जिला अधिकारियों द्वारा सत्यापन के अधीन और सीसीएल ने 1990.77 करोड़ रुपये का तदर्थ भुगतान जारी किया।778.62 करोड़ रुपये की संभावित देनदारी, को पीपीई के तहत अन्य भूमि के रूप में पूंजीकृत किया गया है (वित्तीय विवरणों के नोट -03 देखें)।

7.9 रेलिगारा खुली खदान, लाईयो - झारखंड खुली खदान के संबंध में सीटीओ और सीटीई की लंबित मंजूरी के चलते, ओबीआर लेखांकन को संशोधित स्ट्रिपिंग अनुपात के अनुसार नहीं माना गया और चूँकि, केदला खुली खदान परियोजना में उत्पादन नहीं होती है इसलिए वहां के अधिभार निष्कासन का लेखा-जोखा नहीं किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 को देय खदानों के स्ट्रिपिंग अनुपात में संशोधन का कार्य प्रबंधन द्वारा किया गया है तथा इस प्रकार के संशोधन का तकनीकी मूल्याकन वर्तमान स्थिति में प्रक्रियाधीन है।

7.10 कंपनी द्वारा लगाए गए 0 से 3 किमी के लीड रेंज के लिए भूतल परिवहन शुल्क, एनटीपीसी के कुछ संयंत्रों द्वारा विवादित है। विवाद के समाधान के लिए सीसीएल ने कोल इंडिया लिमिटेड के माध्यम से एएमआरसीडी में मामले को स्थानांतरित कर दिया है। कोल इंडिया ने अपने पत्र संख्या सीआईएल/एमएंडएस/22-23/389 दिनांक 10.10.2022 के माध्यम से कोयला मंत्रालय के समक्ष एएमआरसीडी की बैठक यथाशीघ्र आयोजित करने के है। चूंकि मामला एएमआरसीडी के पास लंबित है, इसलिए 1.94 करोड़ की विवादित राशि के लिए किसी प्रावधान पर विचार नहीं किया गया है।

7.11 सीसीएल ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अंतरिम लाभांश के रूप में 600.66 करोड़ रुपये का भुगतान किया है (पीवाई 2021-22 अंतरिम लाभांश के रूप में 404.20 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अंतिम लाभांश के रूप में 423.00 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है)। निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 423.00 करोड़ रुपये के अंतिम लाभांश का प्रस्ताव रखा,जिसे वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन पर वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान मालिकों को वितरण के रूप में मान्यता दी जाएगी। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रति शेयर लाभांश अंतरिम लाभांश के लिए 639/- रुपये और प्रस्तावित अंतिम लाभांश के लिए 450/- रुपये, कुल 1089/- प्रति शेयर है।(विगत वर्ष अंतरिम लाभांश प्रति शेयर ₹ 430/- और ₹ 450/- प्रति शेयर लाभांश, कुल ₹ 880/- प्रति शेयर)।

अन्य

i. जहां आवश्यक समझे गए हैं, पिछले वर्ष के आंकड़े को फिर से व्यवस्थित और पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

ii. नोट नंबर 3 से 38 में पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक में हैं।

iii. टिप्पणी-1 और 2 क्रमशः कॉर्पोरेट सूचना और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 31 मार्च, 2023 तक तुलन पत्र के भाग 3 से 23 तक के हिस्से हैं एवं उस तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि के विवरण का टिप्पणी 24 से 37 के हिस्से हैं। टिप्पणी- 38 वित्तीय विवरणों में अतिरिक्त टिप्पणियों का प्रतिनिधित्व करता है।

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

कृते **एसपीएएन एन्ड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या 302192E)

ह/-
(सीए. के. चक्रवर्ती)
पार्टनर
सदस्यता सं 015363

निदेशक मंडल के लिए एवं उसकी ओर से

ह/-
(पी एम प्रसाद)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08073913

ह/-
(पवन कुमार मिश्रा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन- 09665365

ह/-
(राजेन्द्र सिंह)
महाप्रबंधक (वित्त)

ह/-
(अमरेश प्रधान)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं F-11264

स्थान: रांची
दिनांक: 27 अप्रैल, 2023

सांविधिक लेखा-परीक्षक प्रतिवेदन पर प्रबंधन का उत्तर
वित्त वर्ष 2022-23 (समेकित)

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
प्रति सदस्यगण सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	
भारतीय लेखा मानक के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण के लेखांकन पर प्रतिवेदन **अभिमत** भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार के लेखा पृच्छा के आधार पर, यह पुनरीक्षित लेखा प्रतिवेदन (कंपनी अधिनियम,2013 के 143(5) के तहत अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताएँ प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'ए' के परिच्छेद 1, भाग-1, क्रम संख्या -I, अतिरिक्त निर्देश पर प्रतिवेदन, भाग- II, क्रम स. 02 तथा 03) का निर्माण 27 अप्रैल 2023 के पूर्व प्रतिवेदन के बदले में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अवलोकन के आलोक में अनुपालन हेतु तैयार किया जा रहा है। हमने सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (इसमें इसके पश्चात "नियंत्रक कंपनी") एवं इसकी अनुषंगी झारखंड सेन्ट्रल रेलवे लिमिटेड (इसमें इसके पश्चात नियंत्रक कंपनी एवं इसकी अनुषंगियों को 'समूह' के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा), जिसमें 31 मार्च, 2023 तक समेकित तुलन पत्र, लाभ तथा हानि विवरणी, समीक्षाधीन वर्ष की समाप्ति तक समेकित नकदी प्रवाह विवरणी और समेकित इक्विटी परिवर्तन विवरणी, समेकित महत्वपूर्ण अंकेक्षण नीतियों का सारांश तथा अन्य विवरणात्मक सूचनाओं सहित भारतीय लेखा मानक की समेकित विवरणी पर नोट (इसमें इसके पश्चात "समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी" के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा) सम्मिलित है। हमारे मत में व हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें प्रदत्त स्पष्टीकरण एवं अन्य लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर विचार के आधार अनुसार, उपरोक्त समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी में दी गयी जानकारी अधिनियम की आवश्यताओं के अनुरूप अपेक्षित है एवं सामान्य रूप से भारत में स्वीकृत अंकेक्षण सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष तक कंपनी की समेकित लाभ/हानि, समेकित नकदी प्रवाह और उक्त तिथि को समापत होने वाले वर्ष में इक्विटी परिवर्तन की समेकित दशा पर सत्य व उचित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।	

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
अभिमत का आधार हमारा अंकेक्षण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा परीक्षण मानक (एसएएस) के अनुरूप है। उक्त मानकों के अनुसार हमारे प्रतिवेदन के वित्तीय विवरण अनुभाग में समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के अंतर्गत अंकेक्षक की जिम्मेदारियों में हमारी जिम्मेदारियां वर्णित है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कंपनी अधिनियम, 2013 के द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार हम समूह से स्वतंत्र हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार उसके नियमों के तहत समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेक्षण के लिए हमने अपनी अनय नैतिक जिम्मेदारियों को निर्वहन किया है। हमारा मानना है कि जो अंकेक्षण साक्ष्य हमें प्राप्त हुए है वो अभिमत आधार हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।	
मामलों की प्रमुखता	
निम्नलिखित मामलों पर हम ध्यान आकर्षित कराते हैं: क) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां (नोट संख्या 11), अन्य गैर-चालू संपत्ति (नोट संख्या 10), व्यापार देय (नोट संख्या 19), अन्य वित्तीय देनदारियां (नोट संख्या 20) एवं अन्य वर्तमान देनदारियां (नोट संख्या 23) पुष्टि के अधीन हैं। इस मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।	व्यापार प्राप्तियों, व्यापार देय और अग्रिमों के संबंध में पार्टियों को शेष पुष्टिकरण पत्र जारी किए गए हैं।प्रमुख देनदारों के साथ शेष राशि का नियमित अंतराल पर मिलान किया जाता है और दोनों पक्षों द्वारा संयुक्त सुलह वक्तव्यों पर भी हस्ताक्षर किए जाते हैं।
ख) जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट के तहत 1,455.57 करोड़ रुपये की संचित राशि उल्टे शुल्क संरचना के संदर्भ का एक मामला है। इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के तहत भुगतान हेतु माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 13.09.2021 के निर्णय अनुसार, राशि की वसूली/समायोजनीयता अनिश्चित है। कृपया नोट-11 देखें: अन्य चालू परिसंपत्तियाँ इस मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।	
ग) वित्तीय वर्ष 2022-23 की अपलिखित देयता राशि 352.32 करोड़ रुपये है। कृपया नोट 25 देखें: अन्य आय इस मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।	इसे वित्तीय विवरण के नोट-25 में पूरी तरह से प्रस्तुत किया गया है।
मुख्य अंकेक्षण मामले	
हमारे प्रोफेशनल निर्णयानुसार, मुख्य अंकेक्षण मामलों के अंतर्गत वैसे मामले है, जो वर्तमान अवधि के समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के हमारे अंकेक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहे। हमारे अंकेक्षण में, इन मामलों पर समग्र विचार स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक के संदर्भ में किया गया है, एवं उस प्रकार हमारी अभिमत निर्मित हुई, इनपर हम अलग अभिमत नहीं प्रदान करते हैं। हमने निम्नलिखित मामलों का निर्धारण मुख्य अंकेक्षण मामलों के रूप में किया है, जो हमारी प्रतिवेदन में सम्मिलित है।	कोई टिप्पणी नहीं।

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन			प्रबंधन का उत्तर
1.	**स्ट्रिपिंग गतिविधि व्यय/ समायोजन** खुली खदानों में खनन के लिए कोयले तक की पहुंचकर उसके निष्कर्षण हेतु खदान अपशिष्ट ("अधिभार") हटाया जाना आवश्यक होता है, जिसमें कोयला सीम के उपर मिट्टी और चट्टान होती है। अपशिष्ट हटाने की इस गतिविधि को 'स्ट्रिपिंग' के रूप में जाना जाता है। खुली खदानों में, कंपनी को खदान के जीवनकाल तक (तकनीकी अनुमान) इस प्रकार का व्यय करना पड़ता है। अतः नीतिगत दृष्टिगत में, एक मिलियन टन प्रति वर्श की क्षमता या उससे अधिक क्षमता वाले प्रत्येक खदान में, खदानों को राजस्वित करने के पश्चात स्ट्रिपिंग गतिविधि आस्तियों एवं अनुपात-प्रसरण लेखा के समायोजन के साथ तकनीकी मूल्यांकन के औसत अनुपात (ओबी-कोयले) के अनुसार स्ट्रिपिंग लागत चार्ज की जाती है। तुलन पत्र की तिथि अनुसार स्ट्रिपिंग गतिविधि आस्तियों का निबल शेष एवं अनुपात प्रसरण को स्ट्रिपिंग एक्टिविटी एडजस्टमेंट के रूप में गैर-चालू प्रावधान/अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियों के मद यथास्थिति दिखाया जाता है। अभिलेख के अनुसार अधिभार की सूचि मात्रा को ओबीआर अंकेक्षण हेतु अनुपात की गणना करने में प्रयोग किया जाता है यदि सूचित मात्रा और मापि मात्रा के मध्य विचलन स्वीकृत सीमा के भीतर है। यदि, विचलन स्वीकृत सीमा से अधिक है, वहां मापित मात्रा को मान लिया जाता है।	**मुख्य अंकेक्षण प्रविधि**: हमने निम्नलिखित मूल प्रविधि का अनुपालन किया: (1) स्ट्रिपिंग समायोजन कार्य के आंकड़ों को लेकर वर्षपर्यत कुल व्यय को कोयला उत्पादन एवं अधिभार के मध्य आवटन की जांच की। अनुपात की गणना में विचार किए गए व्यय की सटीकता एवं व्यय की पूर्णता के बारे में सुनिश्चित किया गया। (2) वर्ष के दौरान अनुपात प्रसरण की सही गणना निष्कर्षित ओबी की मात्रा तथा अधिभार हेतु आवंटित राशि के आधार पर की गयी है। (3) विश्लेषणात्मक प्रक्रियोओं का पालन किया तथा व्ययों के तर्क हेतु विभिन्न गतिविधि सामंजस्य गणना पर विचार किए गए विवरणें का परीक्षण किया गया। स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के लिए लगाया गया लेखांकन नीति एंव प्रबंधन के निर्णय उचित पाए गए है। **अंकेक्षण निष्कर्ष**: हमारे प्रक्रियाओं ने किसी भी भौतिक अपवाद की पहचान नहीं की।	कोई टिप्पणी नहीं।

<table>
<tr><th colspan="3">लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन</th><th>प्रबंधन का उत्तर</th></tr>
<tr><td></td><td>समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के नोट 21 देखें
भारतीय लेखा मानक 115 'ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व'
स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक में राजस्व प्राप्ति की सटीकता के संबंध में वित्तीय विवरण और कोयला गुणवत्ता विचलन के समायोजन में महत्वपूर्ण प्राक्कलन समाहित हैं।
किसी अनुबंध विशेष में कंपनी द्वारा प्राप्त राजस्व संबंधित ग्राहक से विक्रय समझौते/ ई-नीलामी में आवंटन पर आश्रित है। कोयला ग्रेड विमेल/ स्लिपेज के कारण हस्तांतरित लेनदेन मूल्य का अनुवर्ती समायोजन किया जाता है।
अनुबंध की कीमत में भिन्नता यदि अनुबंध के लिए पार्टियों के बीच पारस्परिक रूप से तय नहीं की जाती है, तो उन्हें तीसरे पक्ष के परीक्षण के लिए प्रेषित किया जाता है और कंपनी इस तरह के विवाद के राजस्व मान्यता लंबित निपटान के लिए आवश्यक समायोजन का अनुमान लगाती है। राजस्व में इस तरह के समायोजन ऐतिहासिक प्रवृत्ति के बाद अनुमानित आधार पर किए जाते हैं।
भारतीय लेखा मानक समेकित वित्तीय विवरण के नोट 24 को देखें</td><td>मुख्य अंकेक्षण प्रविधि:
हमने कंपनी की राजस्व प्राप्ति और प्रक्रिया में अनुमानित समायोजन की उपयुक्तता के संबंध में भारतीय लेखा मानक 115 के प्रावधानों की प्रयुक्ति का प्राक्कलन किया है।
हमने लेनदेन का चयन सैंपल बेसिस पर किया है और अनुबंध की शर्तों के अनुसार ग्रेड विमेल/ स्लिपेज से संबंधित अनुबंधों की पहचान हेतु जांच, प्रदर्शन दायित्व संतुष्टि का मूल्यांकन, लेनदेन मूल्य में भिन्नता के कारण राजस्व के समायोजन की जांच की है।
प्राक्कलन के आधार को स्थापित करने और क्या इस प्रकार के प्राक्कलन कंपनी की लेखांकन नीति के अनुरूप हैं की जांच करने हेतु हमने परीक्षण किया है।
अंकेक्षण निष्कर्ष:
हमारे प्रक्रियाओं ने किसी भी भौतिक अपवाद की पहचान नहीं की।</td><td>कोई टिप्पणी नहीं।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="2">समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के अलावा अन्य सूचनाएं तथा उस पर अंकेक्षक का प्रतिवेदन
कंपनी के प्रबंधन और निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में शामिल जानकारी, बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक सहित बोर्ड की रिपोर्ट, व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन और शेयरधारक की जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें भारतीय लेखा मानक समेकित वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।
समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी पर हमारा अभिमत अन्य जानकारियों को कवर नहीं करता है और हम उक्त पर अश्वाषित निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।
समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के हमारे अंकेक्षण से सम्बद्ध, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारियों को पढ़ना है और, यह सुविचार करना है कि क्या समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के साथ अन्य सूचनाओं में मटेरियल असंगतता है या अंकेक्षण दौरान प्राप्त जानकारी या अन्य किसी भी प्रकार से मटेरियल अशुद्धि ज्ञात होती है।</td><td></td></tr>
</table>

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के लिए प्रबंधन एवं प्रशासन-प्रभारी की जवाबदेही कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134(5) की आवश्यकताओं के सन्दर्भ में, नियंत्रक कंपनी के निदेशकीय मंडल वित्तीय विवरणी के निर्माण एवं प्रस्तुति के लिए कंपनी का निदेशकीय मंडल जवाबदेह हैं, जो अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत अंकेक्षण मानक एवं उसके अंतर्गत नियम सहित भारत में स्वीकृत सामान्य लेखा पद्धतियों के अनुसार अन्य विस्तृत आय सहित कंपनी की वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय प्रदर्शन और समेकित नकदी प्रवाह और इक्विटी में बदलाव पर सत्य एवं समुचित दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसके अधीन धोखाधड़ी एवं अन्य नियमितताओं की पहचान एवं रोकथाम के लिए अधिनियम के प्रवधानानुसार उचित लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव हेतु जवाबदेह है। समुपयुक्त अंकेक्षण नीतियों का चयन और कार्यान्वयन समुचित एवं विवेकशील निर्णय और प्राक्कलन तथा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को कार्यान्वयन एवं रख-रखाव, जो लेखा अभिलेखों की सटीकता व संपूर्णता सुनिश्चित करने हेतु प्रभावकारी रूप से कार्य कर रहे थे, समेकित भारतीय लेखा मानक विवरणी के निर्माण और प्रस्तुति हेतु सतय व उचित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं व धोखाधड़ी या त्रुटि से उतपन्न मेटेरिअल अशुद्धियों से मुक्त है, जिनकी प्रयुक्ति नियंत्रक कंपनी के निदेशकों द्वारा पूर्वोक्त समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी का निर्माण किया गया है। समेकित भारतीय लेखा वित्तीय विवरणी के निर्माण में, समूह में सम्मिलित कंपनी से सम्बद्ध निदेशकी मंडल कार्यशील संस्थाओं क्षमता के आकलन हेतु जवाबदेह हैं और यदि लागू हो तो, कार्यशील संस्थाओं के सम्बद्ध मामलों का अनावरण प्रबंधन की इच्छानुसार समूह का विलयन या जब तक संचालन की समाप्ति नहीं हो जाती है, तब तक कार्यशील संस्था के आधार पर अंकेक्षण किया जाए, या कोई सार्थक विकल्प मौजूद न हो, समूह से सम्मिलित कंपनी से सम्बद्ध निदेशकीय मंडल की जिम्मेदारी है कि समूह एवं सहयोगियों एवं संयुक्त नियंत्रित इकाइयों की वित्तीय सूचना प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करें।	

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
समेकित वित्तीय विवरणी के अंकेक्षण हेतु लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी हमारा उद्देश्य इस बारे उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित भारतीय लेखा मानक के रूप में समग्र रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली मटेरियल अशुद्धियों से मुक्त है, और अंकेक्षक प्रतिवेदन जारी करें जिसमें हमारा अभिमत भी शामिल हो। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखा मानकों के अनुसार अंकेक्षण से सदैव मटेरियल अशुद्धि का पता चलेगा, यदि हो तो। व्यक्तिगत या समग्र रूप से, अशुद्धियों, त्रुटि या धोखाधड़ी से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें वास्तविक माना जा सकता है, इन समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणियों के आधार पर उक्त अशुद्धियों उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय में यथोचित प्रभाव डाल सकती है। लेखा मानक अनुसार अंकेक्षण के भागीदार के रूप में, हम प्रोफेशनल निर्णय लेते हैं तथा पूरी अंकेक्षण प्रक्रिया के दौरान प्रोफेशनल संशय से कार्य करते हैं। हम: • समेकित भारतीय लेखा मानक की वित्तीय विवरणियों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण उत्पन्न मटेरियल अशुद्धियों के जोखिमों की पहचान और उनका आकलन, उन जोखिमों के अध्याधीन अंकेक्षण प्रक्रियाओं का डिजाइन और कार्यान्वयन, एवं वैसे अंकेक्षण साक्ष्य प्रापत करें जो हमारी अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित मालूम हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप उत्पन्न मटेरियल अशुद्धियों की जानकारी नहीं होना, त्रुटि के कारण उत्पन्न अशुद्धियों से ज्यादा जोखिमपूर्ण है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर भूल, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का लंघन हो सकती है। • अंकेक्षण प्रक्रियाओं को डिजाइन करने हेतु प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की परिस्थितिनुकूल समण्। अधिनियम की धारा 143(3) (i) के तहत, हम इस विषय पर अपना अभिमत व्यक्त करने के लिए भी जवाबदेह है कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली तथा इस प्रकार के प्रभावकारी नियंत्रण कार्यान्वयन है। • प्रयोग में लायी गई अंकेक्षण नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए अंकेक्षण प्राक्कलन एवं सम्बद्ध प्रकटीकरण की तार्किकता का मूल्यांकन। • प्रबंधन द्वारा उपयोगित कार्यशील संस्था आधृत अंकेक्षण की उपयुक्तता पर निष्कर्ष एवं, प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य के आधार पर, क्या किसी घटना या वस्तुस्थिति से सम्बद्ध कोई मटेरियल अनिश्चितता विधमान है जो समुह द्वारा कार्यशील संस्था को चलने में रखने में महती संदेह उत्पन्न करता है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालें की कोई मटेरियल अनिस्चतता विधमान है तोह हमसे यह अपेक्षित है की हम अपने अंकेक्षण से समेकित भारतीय लेखा मानक की वित्तीय विवरणियों में सम्बद्ध प्रकटीकरण की ओर ध्यान आकर्षित करें या, यदि वैसे प्रकटीकरण अपर्याप्त है, तो हम अपनी अभिमत में परिवर्तन करें। हमारे निष्कर्ष अंकेक्षण प्रतिवेदन की तारिख तक प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य के आधार पर है।	

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
• समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी की समग्र प्रस्तुति, स्वरूप एवं विषय-सूची का मूल्यांकन, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल हो, और क्या समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी में अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं की प्रस्तुति की इस प्रकार करते हैं जो उचित हो। मटेरियलिटी, समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी में अशुद्धि का एक परिमाण है, जो व्यक्तिगत या समग्र रूप में, समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी का किसी सुविज्ञ उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय क्षमता को प्रभावित करने में सक्षम हो। हम (i) अपने अंकेक्षण की सीमा का नियोजन एवं अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन तथा (ii) समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी में अभिज्ञात अशुद्धियों के प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं। अंकेक्षण के दौरान, अन्य मामलों के साथ-साथ हम अंकेक्षण की अवधि एवं महत्वपूर्ण अंकेक्षण निष्कर्ष एवं योजनाबद्ध स्कोप सहित आंतरिक नियंत्रण में अन्य किसी प्रकार की महत्वपूर्ण अपूर्णता होन पर हम प्रशासन-प्रभारी के साथ संवाद स्थापित करते है। हम प्रशासन प्रभारी को स्वयं की स्वतंत्रता से सम्बद्ध प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं के अनुपालन पर एक वक्तव्य प्रदान करते हैं, तथा समस्त संबंधों एवं अन्य मामलों पर संवाद करते हैं, जिन्हें तार्किक आधार पर हमारी स्वतंत्रता, एवं जहां लागू हो, संरक्षण से संबंधित माना जा सकता है। शासन-प्रभारी को संप्रेषित मामलों से, हम वर्तमान अवधि के समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के अंकेक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मामलों का निर्धारण करते हैं और वे प्रमुख अंकेक्षण मुद्दे हैं। जब तक विधि या विनियमन इसके सार्वजनिक प्रकटीकरण पर निर्षध नहीं करता है या अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, जब हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी प्रतिवेदन में उक्त मुद्दे को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के सम्प्रेषण से आम जनता की यथोचित अपेक्षा से यह अधिक होगा और इसके विपरीत परिणाम हो सकते हैं, तब हम अपने अंकेक्षण प्रतिवेदन में इन मामलों का विवरण देते है।	

अन्य मामले

	लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
(क)	हमने सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी का लेखा परीक्षण नहीं किया, जिसका वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी कुल 671.26 करोड़ रुपये की संपत्ति को दर्शाती है। 31 मार्च, 2023 को कुल राजस्व ₹ 8.26 करोड़ और शुद्ध नकदी प्रवाह ₹ 47.39 करोड़ उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए, जैसा कि समेकित भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों में माना गया है, इन वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं की लेखापरीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, जिसकी (संशोधित) रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और समेकित इंड-एएस वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इन सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं और सहयोगियों के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है, और अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (3) और (11) के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट, अब तक जैसा कि यह उपरोक्त सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं और सहयोगियों से संबंधित है, पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।	कोई टिप्पणी नहीं।
(ख)	**हमें इनपर पूर्ण विश्वास है:** i. खान बंदीकरण के व्यय हेतु प्रावधान के उद्देश्य से सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) द्वारा तैयार की गयी खान बंदीकरण योजना जिसे सीसीएल के प्रबंधन द्वारा अनुमोदित किया गया है। ii. प्रबंधन का मूल्यांकन/अनुमान, चाहे वो तकनीकी अथवा अचल परिसंपत्तियों की हानि हेतु प्रावधान हो।	कोई टिप्पणी नहीं। कोई टिप्पणी नहीं।
(ग)	समेकित वित्तीय विवरणी के अनुसार ग्राहकों से अग्रिम राशि का योग ₹ 3063.62 करोड़ (नोट 23) होता है। तथापि, उन अग्रिमों के सापेक्ष व्यापार प्राप्यों (नोट 13) के अंतर्गत शेष बकाया है जिनके समंजन की आवश्यकता है। समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, और नीचे अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर हमारी प्रतिवेदन, किए गए कार्यों और अन्य लेखा परीक्षकों की प्रतिवेदन और वित्तीय विवरणों पर हमारी निर्भरता के संबंध में उपरोक्त मामलों के संबंध में संशोधित नहीं है और वित्तीय विवरण/जानकारी प्रबंधन द्वारा प्रमाणित है।	शेष राशि की स्वत: निकासन का विकास किया जा रहा है तथा आशा है कि इसका शीघ्र परिचालन प्रारंभ किया जाएगा है।
अन्य विधिक और विनियामक आवश्कताओं पर प्रतिवेदन		

	लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन					प्रबंधन का उत्तर
1.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के आलोक में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निर्गत निर्देश अनुसार अंकेक्षण पर विवरण, उनपर कार्यान्वयन एवं समुह की लेखा एवं वित्तीय विवरणी पर इसके प्रभाव, को हम "**अनुलग्नक-ए**" में प्रदान करते हैं।					
2.	अधिनियम की धारा 143 (II) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश ("सीएआरओ"), 2020 के अनुच्छेद 3 (xxi) एवं 4 के निर्दिष्ट मामलों के संदर्भ में मामला जिसे हमारे द्वारा शामिल किया जाना है तथा अन्य लेखा परीक्षक द्वारा जारी कंपनी की समेकित वित्तीय विवरणी में शामिल इसकी सहायक कंपनी की में, जिस पर सीएआरओ के तहत रिपोर्टिंग लागू होती है, जिसके लिए हमें समूह की कंपनियों के सीएआरओ रिपोर्ट की धाराओं को रिपोर्ट करने की आवश्यकता है, जहां संबंधित लेखा परीक्षकों द्वारा किसी भी अभियोग्यता या प्रतिकूल टिप्पणियों की सूचना दी गई हैं, उन्हें हम निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं :					
	क्र	**नाम**	**सीआइएन**	**होल्डिंग कं./ अनुषंगी / एसोसिएट / जेवी**	**कारो रिपोर्ट का खंड संख्या जो योग्य या प्रतिकूल है**	
	1.	सीसीएल	U10200JH1956GOI000581	होल्डिंग कंपनी	खंड 3(i) (सी) 3(ii) (ए)	
	2.	जेसीआरएल	U45201JH2015GOI00313	अनुषंगी कं	शून्य	

	लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
3.	जैसा की अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार आवश्यक है, हम प्रतिवेदित करते है कि: 1. हमने समस्त जानकारियों व स्पष्टीकरण की मांग की है और प्राप्त किया है, जोकि हमारी जानकारी और विश्वास के सर्वोत्तम है, समेकित वित्तीय विवरण के रूप में उपरोक्त भारतीय लेखा मानक के हमारे लेखा परीक्षण के लिए आवश्यक थे, इसे उपरोक्त "मामलों की प्रमुखता" के साथ पढ़ा जाए। 2. हमारे अभिमत में, समेकित भारतीय एएस वित्तीय विवरणी के निर्माण में विधिक आवश्कतानुसार बही-खातों का अभिलेख रखा गया है जो अन्य अंकेक्षक के प्रतिवेदन में एवं इन बही-खातों के अभिलेखों के परीक्षण में अब तक द्दष्टिगत हुआ है। 3. हमारे द्वारा लेखा परीक्षित होल्डिंग कंपनी (शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित क्षेत्रों सहित) एवं अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143(8) के तहत भारत में निगमित इसकी अनुषंगी कंपनी के खातों पर प्रतिवेदन हमें भेजी गई है और इस प्रतिवेदन को तैयार करने में उचित रूप से निपटा गया है। 4. समेकित तुलन पत्र, लाभ और हानि का समेकित विवरण, और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए समेकित नकदी प्रवाह विवरण समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से बनाए गए लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं। 5. हमारी राय में, हमारे पास ऐसा कोई अवलोकन नहीं है जिसका कंपनी के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। 6. हमारे अभिमत में, समेकित वित्तीय विवरण के रूप में उपरोक्त भारतीय लेखा मानक अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों एवं साथ जारी किया गया प्रासंगिक नियमे का अनुपालन करते हैं। 7. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या जीएसआर 463 (ई (दिनांक05.06.2015 के अनुसरण में, निदेशकों के अयोग्य ठहराने हेतु, अधिनियम की सेक्शन 164 (2), सरकारी कंपनी के लिए लागू नहीं है। 8. हमारे पास खातों के रखरखाव और उससे जुड़े मामलों से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है। 9. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता व इस प्रकार के नियंत्रणें के संचालन प्रभावशीलता के सम्बन्ध में ''**अनुलग्नक-बी** ''में हमारी प्रतिवेदन देखें। हमारी प्रतिवेदन वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक असम्बद्ध राय व्यक्त करती है।	

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
10.अन्य मामलों के सम्बन्ध में अंकेक्षक की प्रतिवेदन में कंपनी (अंकेक्षण व अंकेक्षक (नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार संशोधन के रूप में हमारे अभिमत में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी अनुसार, एवं प्रदत्त स्पष्टीकरण के अनुसार: i. कंपनी की समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी के अतिरिक्त नोट-38 के अंतर्गत लंबित मुकदमों की जानकारी दी है, और इनका प्रभाव, यदि हो तो, उक्त पर तब दिया जायेगा जब उस पर फैसला आएगा। ii. कंपनी ने पूर्वाभासी भौतिक नुकसान हेतु, यदि हो तो, दीर्घकालिक संविदाओं पर विनियमित विधि या अंकेक्षण मानकों के तहत आवश्यक प्रावधान किए है एवं कंपनी के पास कोई डेरीवेटिव संविदा नहीं थे। iii. प्रबंधन से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के अनुसार, ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी। iv. (क) प्रबंधन का अभ्यावेदन है कि, उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या निकाय, जिसमें विदेशी निकाय") मध्यस्थ ("शामिल हैं को, या किसी अन्य व्यक्ति या निकाय में कोई निधि अग्रिम या ऋण या निवेश) या तो ऋण पर ली गई धनराशि से या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या किसी प्रकार की निधि से (नहीं किया गया है लिखित रूप में या चाहे अन्य रूप में दर्ज किया गया हो, कि मध्यस्थ, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप कंपनी") अंतिम लाभार्थी ("द्वारा या उसकी ओर से चिह्नित किसी अन्य व्यक्ति या निकाय में उधार या निवेश करेगा जो किसी भी प्रकार से अंतिम लाभार्थी की ओर से सुरक्षा, कोई गारंटी या समरूप लाभ प्रदान करेगा। (ख) प्रबंधन का अभ्यावेदन है कि, उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार कंपनी को किसी व्यक्ति, निकाय अथवा विदेशी निकाय ("फंडिंग पार्टियां"), से कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया	

	लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
	गया हो या नहीं , कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी अन्य व्यक्ति या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी, जो किसी भी तरीके से फंडिंग पार्टी की ओर से ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा प्रदान करेगी । (ग) वैसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं जिन्हें परिस्थिति में उचित व योग्य माना गया है के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं दृष्टिगत हुआ है जिससे यह विश्वास हो कि नियम 11(सी) के उप-खंड (i) और (ii) के अंतर्गत अभ्यावेदन, जैसा ऊपर)ए(तथा) बी (में वर्णित है, में किसी प्रकार की भौतिक मिथ्या कथन सम्मिलित है। v. (क) पिछले वर्ष में प्रस्तावित, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया अंतिम लाभांश, अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है। (ख) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुपालन में है। (ग) कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव दिया है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। प्रस्तावित लाभांश की राशि अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है। Vi. अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके लेखा बहीकृत करने हेतु कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) के प्रावधान, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा को रिकॉर्ड करने की सुविधा हो, उसे दिनांक 1 अप्रैल, 2023 से कंपनी में लागू किया गया है । तदनुसार, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु रिपोर्टिंग के लिए लागू कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 11(जी) मान्य नहीं होंगे ।	
	कृते **एसपीएएन एण्ड एसोसिएट्स** चार्टर्ड अकाउंटेंट (फर्म पंजीकरण संख्या 302192E) ह/- **(सीए. के. चक्रवर्ती)** पार्टनर (सदस्यता सं 015363) यूडीआईएन: 23015363BGYQYR3589 स्थान: रांची दिनांक: 13.06.2023	

अनुलग्नक "ए" जो 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र अंकेक्षकीय प्रतिवेदन में "अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन" के अनुछेद 1 में निर्दिष्ट है, हम प्रतिवेदित करते हैं कि:

वर्ष 2022-23 हेतु मेसर्स सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देश पर प्रतिवेदन।

	लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
1.	क्या कंपनी के पास आईटी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की व्यवस्था है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली से बाहर लेनदेन के प्रसंस्करण की सत्यनिष्ठा के साथ-साथ वित्तीय पहलुओं पर प्रभाव, यदि हो, घोषित करें। सैप प्रणाली के माध्यम से लेखा संबंधी समस्त लेनदेन को संसाधित करने हेतु प्रणाली स्थापित है। सैप प्रणाली के कुछ मॉड्यूल पूर्णरूपेण क्रियान्वित किए जाने शेष हैं। प्र-दर्शन इन्सेंटिव, अंतिम स्टॉक मूल्यांकन तथा ओबीआर का लेखांकन अन्य आईटी प्रणाली द्वारा किया जाता हैतथा अंतिम परिणाम को मुख्य लेखांकन प्रणाली में डाला जाता है।	कोई टिप्पणी नहीं।
2.	क्या कंपनी के ऋण अदायगी असमर्थता के कारण किसी मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन/ऋण पर बट्ट/ ऋण/ ब्याज आदि कंपनी द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव को वर्णित किया जाये। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है) हमें प्राप्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार विचलन सम्बन्धी ऐसा कोई भी मामला नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
3.	केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि का नियम एवं शर्तों के अनुसार सदुपयोग/हिसाब किया गया या नहीं ? विचलन के मालों की सूची प्रदान करें। हमें प्राप्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार विचलन सम्बन्धी ऐसा कोई भी मामला नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।

भाग -II
अतिरिक्त निर्देश

वर्ष 2022-23 हेतु मेसर्स सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देश पर प्रतिवेदन।

	लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
1.	**वर्ष 2022-23 हेतु मेसर्स सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत अतिरिक्त निर्देशों पर रिपोर्ट।**	
	क्या कोयले के स्टॉक का मापन पीत पुस्तक के आधार पर किया गया था? क्या भौतिक स्टॉक माप प्रतिवेदन सभी मामलों में समरूप मानचित्र सहित है? वर्ष के दौरान बनाई गई नई संचय, यदि कोई हो तो क्या सक्षम पदाधिकारी का अनुमोदन लिया गया है? हमें प्राप्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, कोयले के स्टॉक का मापन पीत पुस्तक के आधार पर किया जाता है। भौतिक स्टॉक का मापन सीआईएल की वार्षिक कोयला स्टॉक मापन के दिशानिर्देशानुसार, माप रिपोर्ट के साथ संलग्न समोच्च मानचित्र को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इसके अलावा, किसी भी नए हीप के निर्माण से पहले सक्षम पदाधिकारी का अनुमोदन लिया जाता है। आगे, किसी भी नए संचय के निर्माण से पहले सक्षम पदाधिकारी का अनुमोदन लिया जाता है।	कोई टिप्पणी नहीं।
2.	यदि किसी भी क्षेत्र की विलय/पुनः संरचना के समय कम्पनी ने परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन का अभ्यास किया गया था। यदि ऐसा है तो क्या संबंधित सहायक कम्पनी ने अपेक्षित प्रक्रिया का पालन किया है? हमें दी गयी जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, गिरिडीह क्षेत्र का विलय वित्त वर्ष 2022-23 में ढोरी क्षेत्र के साथ कर दिया गया है तथा परिसंपत्ति तथा आस्तियों का भौतिक सत्यापन क्षेत्र द्वारा किया गया था।	कोई टिप्पणी नहीं।
3.	यदि कंपनी द्वारा प्रत्येक खान के लिए अलग एस्क्रो खातों का रख-रखाव किया गया है। खाते की निधि की उपयोगिता की भी जांच करें। हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, 66 खदानों के लिए एस्क्रो अकाउंट को बनाए रखा गया है और वर्ष के दौरान, कंपनी को कोयला नियंत्रक कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात खदान की गतिविधियों के लिए 5.50 करोड़ रुपये (वि.व-35.30 करोड़) प्राप्त हुए हैं। पिंडरा खुली खान तथा दक्षिणी तापिन खुली खदान के संबंध में, स्वीकृत पीआर एंड एमसीपी की अनुपलब्धता के कारण एस्क्रो खाता नहीं खोला गया है।	कोई टिप्पणी नहीं।

	लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
4.	क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय/राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवैध खनन हेतु लगाए गए जुर्माने के प्रभाव पर विधिवत विचार किया गया है तथा क्या लेखांकित किया गया है? भारत सरकार के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में, झारखण्ड के कुछ जिला खनन पदाधिकारियों द्वारा 13568.50 करोड़ ₹ (वि. व 13568.50 करोड़ रु) की मांग, 42 खानों में पर्यावरण मंजूरी सीमा से अधिक खनन के एवज में की गई थी। उक्त मांग के खिलाफ, सीसीएल ने माननीय कोयला न्यायाधिकरण, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, एमएमडीआर अधिनियम के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की है। पुनरीक्षण प्राधिकारी ने दिनांक 16.01.2018 के अपने अंतरिम आदेश द्वारा मांग के निष्पादन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। पुनरीक्षण प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश को ध्यान में रखते हुए इसी तरह के मांग नोटिस में दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) को अपने दिनांक 21/12/2021 के आदेश के तहत, उक्त मांग को न तो ऋण के रूप में स्वीकार किया गया है और न ही इसे स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण की आकस्मिक देयता में शामिल किया गया है। नोट 38 के तहत उक्त मामले का खुलासा किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
5.	क्या कोलनेट पोर्टल से सैप (SAP) में डाटा की स्थानांतरण की प्रक्रिया के संबंध में कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/प्रमाणन किया गया है। प्राप्त सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कोल नेट पोर्टल से सैप (SAP) में डाटा के स्थानांतरण की प्रक्रिया के संबंध में स्वतंत्र मूल्यांकन/प्रमाणन अभी किया जाना शेष है।	कंपनी माइग्रेशन ऑडिट करने की प्रक्रिया में है।

'अनुलग्नक-बी' जो 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी स्वतंत्र अंकेक्षीय प्रतिवेदन में 'अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन' के अनुछेद 3(जी) में निर्दिस्ट है, हम प्रतिवेदित करते हैं की:

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के सेक्शन 143 के सब सेक्शन 3 के अन्तर्गत धारा (i) अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	प्रबंधन का उत्तर
हमनें 31 मार्च,2023 तक 'सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड' ("कंपनी") के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा-परीक्षण के साथ उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी का लेखा-परीक्षण किया है। **आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी** कंपनी प्रबंधन, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदन मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने एवं अनुरक्षण के लिए उत्तरदेय है। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक, इन जिम्मेदारियों के अंतर्गत पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों का अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम तथा चिन्हित करने, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता एवं विश्वसनीय वित्तीय जानकारी के ससमय निर्माण सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित एवं कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे। **अंकेक्षक की जिम्मेदारी** हमारे अंकेक्षण के आधार पर कंपनी की वित्तीय सूचनाओं के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणें पर अभिमत प्रदान करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने अपना अंकेक्षण आईसीएआई के आंतरिक अंकेक्षण हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग (मार्गदर्शन रिपोर्टिंग) और अंकेक्षण मानकों के आधार पर किया है, एवं जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत माना गया है, जो आंतरिक अंकेक्षण नियंत्रण पर लागू होते है, तथा वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए जाने एवं कायम रखने तथा यदि इन नियंत्रणें को सभी भौतिक विषयों के संदर्भ में प्रभावी तरीके से संचालित किया गया, के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु अंकेक्षण किया जाये।	

हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनके संचालन की प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्यापतता के बारे में लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारे लेखा परीक्षण में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, मटेरियल कमजोरी के जोखिम का आकलन और आकलन जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण व मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं, लेखा परीक्षक के फैसले पर निर्भर करती है, जिसमें समेकित वित्तीय विवरणों के सामग्री के अशुद्ध वर्णन के जोखिम का आकलन शामिल है, जो चाहे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो।

हम विश्वास करते हैं हमारे द्वारा प्राप्त ऑडिट साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त, उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए समेकित वित्तीय विवरणी की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल करना है, जो

(1) अभिलेख के रख-रखाव से संबंधित है, विवरणात्मक रूप में, कंपनी की परिसम्पत्तियों के सटीक एवं उचित लेन-देन और निपटान को दर्शाते है,

(2) उचित आश्वासन देते है कि लेन-देन स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों अनुरूप समेकित वित्तीय विवरणी के निर्माण करने के लए आवश्यक है और कंपनी प्रबंधन और निदेशकों की अनुज्ञप्ति के पश्चात कंपनी की प्राप्तियां और व्यय किये जा रहे है और

(3) कंपनी की संपत्ति का अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की ससमय पहचान और रोकथाम पर उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसके कारण कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों पर मेटेरियल प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय प्रतिवदेन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अन्तर्निहित परिसीमाएँ

वित्तीय प्रतिवदेन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अन्तर्निहित परिसीमा के कारण, त्रुटि या धोखाधड़ी से मेटेरियल अशुद्धियों, मिलीभगत या नियंत्रण पर अनुचित प्रबंधकीय लंघन किया जाप सकता है और इनका पता भी नहीं लगाया जा सकता, साथ ही, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की किसी भी भविष्यवाणी के अनुमान का मूल्यांकन जोखिम यह है कि बदलते परिदृश्य/नीति/प्रक्रिया अनुपालन की दशा के कारण वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में अपकर्षण हो सकता है।

अभिमत

हमारे अभिमत में, कंपनी के पास, सभी मटेरियल परिप्रेक्ष्य में, वित्तीय आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2023 को प्रभावकारी रूप से कार्य कर रहे थे, जो इंस्टीट्युट ऑफ चार्टेड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय विवरण के आंतरिक वित्तीय विवरण के अंकेक्षण हेतु जारी दिशा- निर्देशो के अनुरूप कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मानदंड पर निर्मित की गयी है।

हालाँकि, इसमें और अधिक सुधार करने की आवश्यकता है

(i) सैप (ईआरपी) के माध्यम से पीस रेटेड श्रमिकों को वेतन का भुगतान ।

(ii) एमएसएमई अधिनियम, 2006 के अनुपालन हेतु सैप में एमएसएमई विक्रेता की मैपिंग।

(iii) असुरक्षित नेटवर्क/कनेक्शन से सैप (ईआरपी) में एक्सेस पर रोक लगाना।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय योग्य नहीं है।

कृते **एसपीएएन एण्ड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या 302192E)

ह/-

(सीए. के. चक्रवर्ती)
पार्टनर
(सदस्यता सं 015363)
यूडीआईएन: 23015363BGYQYR3589

स्थान: रांची
दिनांक: 13.06.2023

प्रपत्र ए ओ सी - 1

(कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पढ़े जाने वाले धारा 129 की उपधारा (3) के पहले प्रावधान के संदर्भ में)

अनुषंगियों/सहयोगी कम्पनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तिय विवरण की मुख्य विशेषताओ का विवरण

खण्ड 'ए': अनुषंगियों

(प्रत्येक अनुषंगी से सम्बद्ध राशि (करोड़ ₹ में) के साथ सूचनार्थ प्रस्तुत)

1.	क्रमांक	:	1
2.	अनुषंगी का नाम	:	झारखंड सेन्ट्रल रेलवे लिमिटेड
3.	अनुषंगी के अधिग्रहण की तारीख	:	31.08.2015
4.	अनुषंगी के अधिग्रहण के लिए रिपोर्टिंग अवधि, यदि नियंत्रक कम्पनी की रिपोर्टिंग अवधि से अलग हो	:	लागु नहीं
5.	विदेशी अनुषंगियों के केस में प्रासंगिक वित्तिय वर्ष के अंतिम तारीख पर रिपोर्टिंग करेंसी तथा विनिमय दर	:	लागु नहीं
6.	शेयर पूंजी	:	₹ 100.99 करोड़
7.	इक्विटी स्वरुप में पूर्ण प्रपत्र	:	₹ 433.51 करोड़
8.	भंडार और अधिशेष	:	₹ 10.55 करोड़
9.	कुल सम्पत्ती	:	₹ 671.26 करोड़
10.	कुल देनदारी	:	₹ 126.22 करोड़
11.	निवेश	:	-
12.	कारोबार	:	-
13.	कर से पहले लाभ	:	₹ 8.13 करोड़
14.	कर का प्रावधान	:	₹ 2.72 करोड़
15.	कर के बाद लाभ	:	₹ 5.40 करोड़
16.	प्रस्तावित लाभांश	:	-
17.	शेयर धारण की सीमा (प्रतिशत में)	:	64.00%

कंपनी सचिव **महाप्रबंधक (वित्त)**

श्री प्रल्हाद जोशी, माननीय कोयला, खान एवं संसदीय कार्य मंत्री, भारत सरकार के कर कमलों द्वारा अधिकारी हॉस्टल, गाँधी नगर, राँची का उद्घाटन

सेन्ट्रल कोलफ़ील्ड्स लिमिटेड

एक मिनीरत्न कंपनी

(कोल इंडिया की एक अनुषंगी कंपनी)
(सीआईएन : U10200JH1956GOI000581)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस
रांची - 834 029 (झारखण्ड)

वेबसाइट : https://www.centralcoalfields.in

@CCLRanchi
@CentralCoalfieldsLimited
Centralcoalfieldltd
Central Coalfields Limited
@cclranchi